हिन्दी

34

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड्मय

डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख और वक्तव्य (7 अगस्त 1951 से 28 सितंबर 1951)

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड–34

डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख और वक्तव्य
(7 अगस्त 1951 से 28 सितंबर 1951)

बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

जन्म : 14 अप्रैल, 1891 परिनिर्वाण 6 दिसंबर, 1956

बाबासाहेब

डॉ. अम्बेडकर

सम्पूर्ण वाड्.मय

खंड 34

डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाङ्मय

खंड : 34

डॉ. भीमराव अम्बेडकर : लेख और वक्तव्य
(7 अगस्त 1951 से 28 सितम्बर 1951)

पहला संस्करण : 2019 (जून)
दूसरा संस्करण : 2020 (अगस्त)

ISBN : 978-93-5109-142-4

आवरण परिकल्पना : डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, पी.एच.डी.

पुस्तक के आवरण पर उपयोग किया गया मोनोग्राम बाबासाहेब डॉ. बी. आर. अम्बेडकर के लेटरहेड से साभार

ISBN (सेट) : **978-93-5109-129-5**

रियायत के अनुसार सामान्य (पेपरबैक) 1 सेट (खंड 1–40) का मूल्य : रू 1073/-
रियायत नीति (Discount Policy) संलग्न है,

प्रकाशक:
डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार
15 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
फोन : 011–23320571
जनसंपर्क अधिकारी फोन : 011–23320588
वेबसाइट :http://drambedkarwritings.gov.in
Email-Id :cwbadaf17@gmail.com

मुद्रक : अरावली प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा.लि., W-30 ओखला, फेज–2, नई दिल्ली–110020

परामर्श सहयोग

डॉ. थावरचन्द गेहलोत

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार

एवं

अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

श्री रामदास अठावले

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री कृष्णपाल गुर्जर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री रतनलाल कटारिया

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

श्री आर. सुबह्मण्यम

सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार

सुश्री उपमा श्रीवास्तव

अतिरिक्त सचिव एवं सदस्य सचिव, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार

डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, पी.एच.डी.

निदेशक

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

डॉ. बृजेश कुमार

संयोजक, सी.डब्ल्यू.बी.ए.

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सकंलन (अंग्रेजी)

श्री वसंत मून

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री
भारत सरकार
MINISTER OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
GOVERNMENT OF INDIA
तथा
अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
CHAIRPERSON, DR. AMBEDKAR FOUNDATION

संदेश

स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता डॉ. अम्बेडकर, बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉ. अम्बेडकर एक उत्कृष्ट बुद्धिजीवी, प्रकाण्ड विद्वान, सफल राजनीतिज्ञ, कानूनविद्, अर्थशास्त्री और जनप्रिय नायक थे। वे शोषितों, महिलाओं और गरीबों के मुक्तिदाता थे। डॉ. अम्बेडकर सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के प्रतीक है। डॉ. अम्बेडकर ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी क्षेत्रों में लोकतंत्र की वकालत की। एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में डॉ. अम्बेडकर का योगदान अतुलनीय है।

डॉ. अम्बेडकर के लेख एवं भाषण क्रांतिकारी वैचारिकता एवं नैतिकता के दर्शन–सूत्र है। भारतीय समाज के साथ–साथ संपूर्ण विश्व में जहां कहीं भी विषमतावादी भेदभाव या छुआछूत मौजूद है, ऐसे समस्त समाज को दमन, शोषण तथा अन्याय से मुक्त करने के लिए डॉ. अम्बेडकर का दृष्टिकोण और जीवन–संघर्ष एक उज्ज्वल पथ प्रशस्त करता है। समतामूलक, स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण, बंधुता वाले एक समाज के निर्माण के लिए डॉ. अम्बेडकर ने देश की जनता का आह्वान किया था।

डॉ. अम्बेडकर ने शोषितों, श्रमिकों, महिलाओं और युवाओं को जो महत्त्वपूर्ण संदेश दिए, वे एक प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। तत्कालीन विभिन्न विषयों पर डॉ. अम्बेडकर का चिंतन–मनन और निष्कर्ष जितना उस समय महत्त्वपूर्ण था, उससे कहीं अधिक आज प्रासंगिक हो गया है। बाबासाहेब की महत्तर मेधा के आलोक में हम अपने जीवन, समाज राष्ट्र और विश्व को प्रगति की राह पर आगे बढ़ा सकते हैं। समता, बंधुता और न्याय पर आधारित डॉ. अम्बेडकर के स्वप्न का समाज–"सबका साथ सबका विकास" की अवधारणा को स्वीकार करके ही प्राप्त किया जा सकता है।

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है, कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का स्वायत्तशासी संस्थान, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, "बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर : संपूर्ण वांग्मय" के अन्य अप्रकाशित खण्ड 22 से 40 तक की पुस्तकों को, बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के अनुयायियों और देश के आम जन–मानस की मांग को देखते हुए मुद्रत किया जा रहा है।

विद्वान, पाठकगण इन खंडों के बारे में हमें अपने अमूल्य सुझाव से अवगत कराएंगे तो हिंदी में अनुदित इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

(डॉ. थावरचंद गेहलोत)

बाबासाहेब अम्बेडकर के सम्पूर्ण वाड्मय (Complete CWBA Vols.) का विमोचन

हिंदी और अंग्रेजी में CWBA / सम्पूर्ण वाड्मय, (Complete Volumes) बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर के संग्रहित कार्यों के संपूर्ण खण्ड, डॉ. थावरचंद गेहलोत, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, और अध्यक्ष, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। साथ ही डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी, निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान और श्री सुरेन्द्र सिंह, सदस्य सचिव भी इस अवसर पर उपस्थित थे। हिंदी के खंड 22 से खंड 40 तक 2019 में पहली बार प्रकाशित हुए है।

उपमा श्रीवास्तव, आई.ए.एस.
अपर सचिव
UPMA SRIVASTAVA, IAS
Additional Secretary

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
Government of India
Ministry of Social Justice & Empowerment
Shastri Bhawan, New Delhi-110001
Tel. : 011-23383077 Fax : 011-23383956
E-mail : as-sje@nic.in

प्राक्कथन

भारतरत्न डॉ. बी.आर. अम्बेडकर भारतीय सामाजिक–राजनीतिक आंदोलन के ऐसे पुरोधा रहे हैं, जिन्होंने जीवनपर्यंत समाज के आख़िरी पायदान पर संघर्षरत् व्यक्तियों की बेहतरी के लिए कार्य किया। डॉ. अम्बेडकर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे इसलिए उनके लेखों में विषय की दार्शनिक मीमांसा प्रस्फुटित होती है। बाबासाहेब का चिंतन एवं कार्य समाज को बौद्धिक, आर्थिक एवं राजनैतिक समृद्धि की ओर ले जाने वाला तो है ही, साथ ही मनुष्य को जागरूक मानवीय गरिमा की आध्यात्मिकता से सुसंस्कृत भी करता है।

बाबासाहेब का संपूर्ण जीवन दमन, शोषण और अन्याय के विरुद्ध अनवरत क्रांति की शौर्य–गाथा है। वे एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें वर्ण और जाति का आधार नहीं बल्कि समता व मानवीय गरिमा सर्वोपरि हो और समाज में जन्म, वंश और लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव की कोई गुंजाइश न हो। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के प्रति कृतसंकल्प बाबासाहेब का लेखन प्रबुद्ध मेधा का प्रामाणिक दस्तावेज़ है।

भारतीय समाज में व्याप्त विषमतावादी वर्णव्यवस्था से डॉ. अम्बेडकर कई बार टकराए। इस टकराहट से डॉ. अम्बेडकर में ऐसा जज़्बा पैदा हुआ, जिसके कारण उन्होंने समतावादी समाज की संरचना को अपने जीवन का मिशन बना लिया।

समतावादी समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता के कारण डॉ. अम्बेडकर ने विभिन्न धर्मों की सामाजिक, धार्मिक व्यवस्था का अध्ययन व तुलनात्मक चिंतन–मनन किया।

मैं प्रतिष्ठान की ओर से माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ जिनके सद्परामर्श एवं प्रेरणा से प्रतिष्ठान के कार्यों में अपूर्व प्रगति आई है।

उपमा श्रीवास्तव

(उपमा श्रीवास्तव)
अतिरिक्त सचिव
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,
भारत सरकार, एवं
सदस्य सचिव

प्रस्तावना

बाबासाहेब डॉ. भीमराव रामजी अम्बेडकर एक प्रखर व्यक्तित्व, ज्ञान के प्रतीक और भारत के सुपुत्र थे। वह एक सार्वजनिक बौद्धिक, सामाजिक क्रांतिकारी और एक विशाल क्षमता संपन्न विचारक थे। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के व्यावहारिक विश्लेषण के साथ–साथ अंतःविषयक दृष्टिकोणों को अपने लेखन और भाषणों के माध्य से प्रभावित किया जो बौद्धिक विषयों और भावनाओं को अभिव्यक्त एवं आंदोलित किया। उनके लेखन में वंचित वर्ग के लोगों के लिए प्रकट न्याय और मुक्ति की गहरी भावना है। उन्होंने न केवल समाज के वंचित वर्गों की स्थितियों को सुधारने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, बल्कि समन्वय और 'सामाजिक समरसता' पर उनके विचार राष्ट्रीय प्रयास को प्रेरित करते रहे। उम्मीद है कि ये खंड उनके विचारों को समकालीन प्रासंगिकता प्रदान कर सकते हैं और वर्तमान समय के संदर्भ में डॉ. अम्बेडकर के पुनःपाठ की संभावनाओं को उपस्थित कर सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, भारत के साथ–साथ विदेशों में भी जनता के बीच बाबासाहेब डॉ. अंबेडकर की विचारधारा और संदेश के प्रचार–प्रसार हेतु स्थापित किया गया है। यह बहुत ख़ुशी की बात है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री के नेतृत्व में प्रतिष्ठान के शासी निकाय के एक निर्णय के परिणामस्वरूप, तथा पाठकों की लोकप्रिय माँग पर डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान, बाबासाहेब अम्बेडकर के हिंदी में संपूर्ण वांग्मय (Complete CWBA Volumes) का दूसरा संस्करण पुनर्मुद्रित कर रहा है।

मैं संयोजक, अनुवादकों, पुनरीक्षकों, आदि सभी सहयोगियों, एवं डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान में अपनी सहायक, कुमारी रेनू और लेखापाल, श्री नन्दू शॉ के प्रति आभार प्रकट करता हूँ, जिनकी निष्ठा एवं सतत् प्रयत्न से यह कार्य संपन्न किया जा सका है।

विद्वान एवं पाठकगण इन खंडों के बारे में सुझाव से डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान को उसकी वैधानिक ई–मेल आई.डी. **cwbadaf17@gmail.com** पर अवगत कराएं ताकि, अनुदित इन खंडों के आगामी संस्करणों को और बेहतर बनाने में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान हमेशा पाठकों को रियायती कीमत पर खंड उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करता रहा है, तदनुसार आगामी संस्करण का भी रियायत नीति (Discount Policy) के साथ बिक्री जारी रखने का निर्णय लिया गया है। अतः प्रत्येक खंड के साथ प्रतिष्ठान की छूट नीति को संलग्न कर दिया गया है। आशा है कि ये खंड पाठकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे।

(डॉ. देबेन्द्र प्रसाद माझी)

निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार,

15, जनपथ,

नई दिल्ली

जिस समाज में कुछ वर्गों के लोग जो कुछ चाहें वह सब कुछ कर सकें और बाकी वह सब भी न कर सकें जो उन्हें करना चाहिए, उस समाज के अपने गुण होते होंगे, लेकिन इनमें स्वतंत्रता शामिल नहीं होगी। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है, उसे विशेषाधिकार कहना अधिक उचित होगा।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर

विषय सूची

खंड VIII

खंड VII

रियायत नीति (Discount Policy)

खंड VI

7 अगस्त, 1951

से

12 अक्तूबर, 1951

(35)

संसद निरर्हता निवारण विधेयक

***विधिमंत्री (डॉ. अम्बेडकर) :** मैं यह प्रस्ताव रखने का अनुरोध करता हूँ:–

''कि कतिपय लाभ के पदों के बारे में यह घोषित करने के लिए कि उनके धारक संसद सदस्य होने के कारण, निरर्हित नहीं होंगे, विधेयक पर विचार किया जाए।''

महोदय, यह विधेयक वास्तव में कतिपय उन व्यक्तियों के लिए संरक्षण अधिनियम है जो, यदि यह विधेयक प्रवर्तन में नहीं लाया जाता है तो, संविधान के अनुच्छेद 102 के उपबंधों के अधीन संसद सदस्य होने के लिए निरर्हित हो जाएंगे, जो यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है तो संसद का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा। दुर्भाग्यवश, ऐसा हुआ कि ऐसे संसद सदस्य हैं जो, उन कारणों से, जिनका मैं अतिसंक्षेप में उल्लेख करूंगा, अनुच्छेद 102 के उपबंधों के अधीन आ गए थे। उन कारणों से जो मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, सरकार महसूस करती है कि यही ठीक है यह निरर्हता संसद द्वारा निर्मित विधि द्वारा हटाई जानी चाहिए।

लाभ के पद के प्रश्न के संबंध में सदन को यह याद रखना आवश्यक है कि यह उपबंध बहुत पुराना है और इसे भारत सरकार के उन अनेक अधिनियमों में समाविष्ट किया गया था जिनके द्वारा इस देश के संविधान की नींव रखी गई थी। केवल 1935 के अधिनियम से शुरू करते हैं। उसमें धारा 26 विद्यमान थी जो संघीय सरकार के अधीन लाभ के पद धारकों से संबद्ध मामलों के विषय में थी, चूंकि 1935 के अधिनियम का संघीय भाग लागू नहीं हुआ था इसलिए वह धारा उस समय विद्यमान केन्द्रीय विधानमंडल पर लागू नहीं होती थी, किन्तु धारा 69, जो प्रांतीय भाग में उपबंध थी प्रांतीय विधानमंडलों पर लागू होती थी।

जैसा कि सदन को ज्ञात है, संविधान के प्रारूपण के प्रयोजनार्थ 1946 में एक संविधान सभा बुलाई गई थी। उस संविधान सभा में, संविधान बनाने के विषय पर

* संसदीय वाद–विवाद (वि.) वि., जिल्द–14, भाग–2, 7 अगस्त, 1951, पृष्ठ 34–40

संभव सर्वोत्तम सलाह प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए, ऐसे सभी व्यक्तियों को एक साथ लाना आवश्यक था जो ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी सलाह देने के लिए अर्हित थे, और यह महसूस किया गया कि यह वांछनीय नहीं होगा कि इस प्रतिबंध को संविधान सभा की सदस्यता पर अधिरोपित किया जाए, और हुआ यह कि परिणामस्वरूप इसे नई परिस्थितियों के अनुरूप बनाने के लिए भारत शासन अधिनियम को अनुकूलित किया गया, तथा इस उपबंध को अनुकूलित भारत शासन अधिनियम, 1935 में से निकाल दिया गया। परिणामस्वरूप, कोई भी सदस्य संविधान सभा का सदस्य बन सकता था और जैसा कि सदन को भी ज्ञात है, संविधान सभा ने भी डोमिनियम विधानमंडल के रूप में कार्य किया इसलिए ऐसे व्यक्ति संसद के सदस्य बने रह सकते थे, भले ही वे लाभ का पद धारण किए हों।

ऐसी स्थिति में, जो हुआ वह यह था कि कुछ सदस्य जो संविधान सभा के सदस्य थे और जो संविधान सभा के सदस्य होने के साथ—साथ डोमिनियन विधानमंडल के भी सदस्य थे, किसी प्रकार की सांविधानिक पाबंदी अधिरोपित हुए बिना, लाभ के पदों पर बने रहे और एक बार जब वे अनुकूलित 1935 के भारत शासन अधिनियम के अधीन लाभ के पदों पर आसीन रहे तो वे 26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू हो जाने के बाद भी उन पदों पर बने रहे। निःसंदेह, सरकार के लिए उन सदस्यों को यह सूचित करना संभव था कि अब कानून बदल गया है और लाभ का पद निरर्हता बन गया है इसलिए यह उनके हित में है कि वे उन पदों को छोड़ दें जिनके कारण वे इस पाबंदी के अधीन आते हैं। किन्तु संसद सदस्य प्रत्यक्षतः यह महसूस करेंगे कि इससे एक बहुत बड़ी प्रशासनिक कठिनाई उत्पन्न हो जाती। सदस्यों ने पहले ही आयोग के सदस्यों और समितियों के सदस्यों के रूप में अपने ऊपर एक जिम्मेदारी ले रखी थी और उनके कार्यकाल के बीच में उन्हें यह बताया गया कि उन्हें अपना पद छोड़ना होगा और आयोग तथा समिति का गठन इस प्रकार किया जाए कि उनका हर सदस्य इस प्रतिबंध से मुक्त रहे। इससे प्रशासनिक दृष्टि से बहुत बड़ी कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। परिणामस्वरूप इस बात के होते हुए भी कि अनुच्छेद 102 में समाविष्ट पाबन्दी प्रवर्तित हो गई है उन्हें अपने पदों पर काम करते रहने दिया गया। इस विधेयक को लाने का यह एक औचित्य है : क्योंकि यदि आयोग और समितियों के बहुत से सदस्यों को पद छोड़ने के लिए कहा जाता तो इससे बहुत बड़ी प्रशासनिक कठिनाई उत्पन्न हो जाती। अतः इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उन सदस्यों के अपने पदों पर बने रहने और अपने कार्यों का निर्वहन करने की अनुमति देना सरकार के हितों में था। इसलिए उस निरर्हता को दूर करने के लिए सरकार निःसंदेह बाध्य थी जो वास्तव में उत्पन्न हो गई थी, जिसके लिए वे वस्तुतः उत्प्रेरित किए गए हैं। यह एक कारण है जिसकी वजह से यह विधेयक लाया गया है।

दोहपर 12 बजे

इस विधेयक को लाने का दूसरा कारण यह है कि अनेक सदस्यों ने 26 जनवरी, 1950 (जब संविधान प्रवृत्त हुआ था) के पश्चात् अपना पद ग्रहण किया था और उन्हें, उनके इस निवेदन के अनुसार इस बात की जानकारी नहीं थी या इस बारे में वे सजग नहीं थे कि संविधान में इस प्रकार का प्रावधान किया गया है। उनके निवेदनों के अनुसार यह गलतफहमी का मामला था। वे यह नहीं समझ पाए कि वास्तव में क्या हो रहा है और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि विधि का यह साधारण नियम है कि विधि की अज्ञानता कोई बहाना नहीं होती; इस प्रकार के मामले में हमें सदस्यों के इस निवेदन को सद्भावपूर्वक स्वीकार करना चाहिए कि उन्हें वास्तव में इस बात की जानकारी नहीं थी कि वे इस प्रकार की निर्योग्यता के अंतर्गत आ रहे हैं। यदि माननीय सदस्य उन व्यक्तियों और पदों के प्रवर्गों का विश्लेषण करते जिनका विधेयक में उल्लेख किया गया है तो वे यह मानेंगे कि वे सदस्य जिन्हें यह संरक्षण दिया गया है इन दो–प्रवर्गों में से एक के अंतर्गत आते हैं। एक प्रवर्ग उन व्यक्तियों का है जो संविधान के विद्यमान होने से बहुत पहले से पद धारण किए हुए थे और दूसरा प्रवर्ग उन व्यक्तियों का है जो इस सद्भावपूर्ण रीति में विश्वास करते थे कि वे संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन किसी निरर्हता के अंतर्गत नहीं आते। इसी आधार पर यह विधेयक विरचित किया गया है।

मैं सदन को उन सिद्धांतों के बारे में भी जानकारी देना चाहता हूँ कि जिन पर सरकार जहाँ तक इस विधेयक का संबंध है और जहाँ तक लाभ के पद से उत्पन्न होने वाली निरर्हता के सिद्धांत का संबंध है कार्यवाही कर रही है। सरकार यह मत अपनाती है कि ब्रिटिश विधि के तकनीकी नियम को लागू करना वांछनीय नहीं है, अर्थात् यह कि यदि विधि यह घोषित करती है कि पद लाभ का पद है तो इस प्रश्न के बावजूद कि क्या सदस्य उस पद से संबद्ध वेतन लेता है या नहीं उसे निरर्हित घोषित किया जाना चाहिए। यह ब्रिटिश संविधान के अधीन नियम है; कतिपय पद विधि द्वारा लाभ के पद घोषित किए गए हैं। संसद के कुछ सदस्य ऐसे हो सकते हैं जो उस विशेष पद को स्वीकार कर लें और साथ ही उस पद के लाभ लेने से इनकार कर दें किंतु यह तथ्य कि उसने पद के लाभ लेने से इनकार कर दिया है, लाभ के पद के नियम से उसे नहीं बचाता है। सरकार यह सोचती है कि वह नितांत अवांछनीय बात है, क्योंकि यह कोरी तकनीकी बात है, हमें उसे अंगीकृत करने की आवश्यकता नहीं है। लाभ का पद क्या है, इसको परिभाषित करने के लिए सरकार ने जो कुछ किया है वह बहुत ही सरल बात है। उन्होंने इस बात को अवधारित करने के लिए कि क्या कोई विशिष्ट पद लाभ का पद है आधार निश्चित किए हैं। हाल

ही में वित्त विभाग ने अनेक समितियों में कार्य करने के लिए गैर–सदस्यों (अर्थात् ऐसे व्यक्ति जो संसद सदस्य नहीं है) को भुगतान करने के लिए नियम बनाए हैं। मैं यह नहीं जानता कि माननीय सदस्यों को इसकी जानकारी है या नहीं अथवा उन्होंने वित्त विभाग द्वारा प्रकाशित अधिसूचना देखी है या नहीं?

श्री सिधवा (मध्य प्रदेश) : हमें जानकारी नहीं है।

श्री सोंधी (पंजाब) : यह परिचालित नहीं की गई है।

डॉ. अम्बेडकर : ठीक है, मैं सोचता हूँ कि वे इसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर भी यह बहुत आसान बात है। वे भत्ते जो वित्त विभाग की अधिसूचना (अथवा कार्यालय ज्ञापन जैसा वे कहते हैं) के अधीन उन सदस्यों के लिए संदेय हैं, जो समितियों में या अन्य पदों पर कार्य कर रहे हैं और संसद सदस्य नहीं है, इस प्रकार हैं :–

यात्रा भत्ता 1 ½ रेल किराये की दर से दिया जाता है यदि वह रेलवे यात्रा करता है और 1¼ किराया यदि वह हवाई जहाज से यात्रा करता है।

दिल्ली में 12–8–0 रुपए प्रतिदिन कलकत्ता और बंबई में 15/– रुपए प्रतिदिन अधिकतम 20/– रुपए प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता दिया जाता है।

अब यदि कोई संसद सदस्य समिति में नियुक्त किया जाता है और यदि उसे कार्यालय ज्ञापन में जो कुछ विहित किया गया है, जिसे मैंने अभी संक्षिप्त रूप में सदन को बताया है, उससे अधिक संदत्त नहीं किया जाता तो उसे लाभ का पद धारण करने वाला सदस्य नहीं माना जाएगा। उसके लिए निरर्हता नहीं होगी क्योंकि उसे उस व्यक्ति के समकक्ष माना जाता है, जो संसद सदस्य नहीं है। किंतु यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जो संसद सदस्य है और जिसे सरकार द्वारा किसी विशिष्ट समिति के लिए नियुक्त किया जाता है और वह उससे अधिक प्राप्त करता है जो वित्त विभाग के ज्ञापन में उल्लिखित है तो प्रश्न उत्पन्न होगा कि यह व्यक्ति लाभ का पद धारण करता है या नहीं।

श्री सोंधी : मान लीजिए वह और अधिक के लिए हकदार है किंतु उससे अधिक प्राप्त नहीं करता?

डॉ. अम्बेडकर : यह ऐसा मामला है कि जिसके बारे में मैं कल्पना करने में असमर्थ हूँ। जैसा कि मैंने कहा, स्थिति इस प्रकार है। यदि संसद सदस्य का, जिसे किसी समिति में नियुक्त किया जाता है, गैर–सदस्यों को देय दरों के रूप जो कुछ वित्त मंत्रालय ने नियम बनाया है उससे अधिक नहीं दिया जाता है तो निरर्हता का मामला बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक सदस्य किसी भी समिति में नियुक्त किए जाने के लिए स्वतंत्र है जो सरकार ठीक समझे। किंतु यदि उससे अधिक संदत्त किया

जाता है, तब प्रश्न उत्पन्न होगा कि क्या ऐसा सदस्य लाभ का पद धारण कर रहा है या नहीं। ऐसे आपवादिक मामलों के बारे में सरकार की स्थिति इस प्रकार है कि वे कोई साधारण नियम अधिकथित नहीं करेंगे किन्तु वे प्रत्येक मामले पर पृथकतः विचार करेंगे, जब वह उत्पन्न होगा। सरकार नाम निर्देशन करते समय यह उल्लेख कर सकती है कि इस बात के होते हुए भी कि संदेय भत्ते वित्त मंत्रालय द्वारा तय की गई दरों से अधिक हैं, इससे सदस्य को कोई निर्योग्यता नहीं होगी। अथवा, ऐसे अनेक मामले होने पर, वे मामलों की साधारणतया जांच कर सकते हैं और इस प्रकार का विधेयक ला सकते हैं जैसा कि मैं लाया हूँ अर्थात् ऐसे कतिपय पदों को छूट देने के लिए जिनसे नियमाधीन निर्योग्यता उत्पन्न हो सकती है।

श्रीमान्, मैं यह सोचता हूँ कि मैंने सदन को वह समस्त जानकारी दे दी है जो उन कारणों को समझने के लिए आवश्यक है कि सरकार इस विधेयक को क्यों लाई है। मैं सोचता हूँ मैंने वे सभी आधारभूत सिद्धांत भी बता दिए हैं जो अनुच्छेद 102 से उत्पन्न होने वाले मामलों पर कार्यवाही करते समय सरकार के मस्तिष्क में थे।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रस्ताव रखा गया :

''कि कतिपय लाभ के पदों के बारे में यह घोषित करने के लिए कि उनके धारण करने वाले संसद सदस्य होने के कारण, निरर्हित नहीं होंगे, विधेयक पर विचार किया जाए।''

श्री सिधवा : महोदय, इस विधेयक का प्रस्ताव रखते समय माननीय मंत्री के भाषण माननीय सदस्यों के मन में से संदेह दूर नहीं हुआ है। बल्कि उनके भाषण के पश्चात्वर्ती भाग से संदेह बढ़ा है। उन्होंने कहा है कि यदि सदस्य ने उससे अधिक वेतन लिया है जो वित्त मंत्रालय ने तय किया है तो यह निरर्हता का मामला है। डॉ. अम्बेडकर के लिए भले ही यह प्रश्न गंभीर न हो। वह मंत्री है और उन्होंने किसी समिति में कार्य नहीं किया है। किंतु इस सदन के लगभग 50 प्रतिशत सदस्य समितियों में कार्य कर रहे हैं। उन्हें उनमें काम करने के लिए उस रूप में उत्प्रेरित नहीं किया गया था जैसा कि उन्होंने कहा है। उनसे उन समितियों में कार्य करने के लिए अनुरोध किया गया था। वे उनमें कार्य करने के लिए बाध्य थे। वे इस बारे में नहीं जानते थे कि इससे वे किसी निरर्हता के अंतर्गत आ जाएंगे। अतः इस मामले पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है और मैं यह कहूँगा कि सरकार इस पर अधिक सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार करे। मैंने संशोधन का नोटिस दिया है जो इस बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ता। मैं चाहता हूँ कि वे सभी समितियाँ जिनमें सदस्यों को कार्य करने के लिए कहा गया था, इस विधेयक में सम्मिलित की जानी चाहिए। डॉ. अम्बेडकर ने अपना निजी मत प्रतिपादित किया है कि वे व्यक्ति जिन्होंने वित्त

मंत्रालय द्वारा तय किया गया शुल्क लिया था, निरर्हित नहीं होंगे। किंतु हम यह नहीं जानते कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय का निर्वचन क्या होगा। निस्संदेह डॉ. अम्बेडकर विधिवेत्ता हैं। वे संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे फिर भी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों ने संविधान के अनेक अनुच्छेदों का उससे भिन्न निर्वचन किया है जो उन्होंने हमें संविधान सभा में बताया था। अतः मैं इस निर्वचन को स्वीकार नहीं करता हूँ। उनके निर्वचन का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। उन्हें हमें अपने अनुमान नहीं देने चाहिए। यदि वे चाहते हैं कि सदस्य सदन में बने रहें, यदि वे चाहते हैं कि सदस्य चुनाव लड़ें तो उन्हें इस बारे में ईमानदारी से यह कहना चाहिए कि इन समितियों में कार्य करने से वे निरर्हित नहीं होंगे। उनके अपने कथन के अनुसार, जो भुगतान की विहित दरों से अधिक प्राप्त करते हैं उन्हें अपने नाम निर्देशन पत्र में इसका उल्लेख करना चाहिए और तब सरकार उनके मामले पर विचार करेगी। क्या यही विचार था जब इन सदस्यों से अनुरोध किया गया था– मैं इस बात को दोहराता हूँ कि उनसे इन समितियों में कार्य करने के लिए अनुरोध किया गया था, न कि उन्हें उत्प्रेरित किया गया था। यदि उन्हें यह मालूम होता कि इन समितियों में कार्य करने से कोई निरर्हता उत्पन्न होगी तो वे उनमें कार्य नहीं करते।

माननीय उपाध्यक्ष : इस मामले में न्यायालयों की कोई अधिकारिता प्रतीत नहीं होती। संविधान के अधीन, मामला राष्ट्रपति को निर्दिष्ट करना होगा, जो निर्वाचन आयुक्त की सलाह से इसका विनिश्चय करेंगे।

डॉ. अम्बेडकर : मैं अपने माननीय मित्र को जानकारी देना और यह बताना चाहूँगा कि वास्तव में यह प्रश्न कैसे उत्पन्न हुआ? संसद के कुछ सदस्यों ने अध्यक्ष के समक्ष कुछ मामले रखे थे। उन्होंने कहा था कि उनकी राय में कुछ सदस्य लाभ के पद धारण किए हुए हैं। अध्यक्ष महोदय ने ही मामला राष्ट्रपति को निर्दिष्ट कियाथा और राष्ट्रपति ने ही इस मामले को नियमित बनाने के लिए हमसे कहा था। हमने अपने आप इसकी पहल नहीं की है।

श्री सिधवा : मुझे इसकी जानकारी है। किंतु मेरा तर्क भिन्न था। मैं इस तथ्य का उल्लेख कर रहा था कि माननीय मंत्री द्वारा केवल चार प्रवर्गों का उल्लेख किया गया है जबकि ऐसे अनेक सदस्य हैं जो विभिन्न समितियों में कार्य कर रहे हैं। माननीय मंत्री के अनुसार ये व्यक्ति निरर्हित नहीं होगे किंतु उच्चतम न्यायालय के अनुसार वे निरर्हित होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष : यहाँ पर उच्चतम न्यायालय किस प्रकार आता है?

श्री सिधवा : ठीक है, वह राष्ट्रपति है। यदि यह राष्ट्रपति द्वारा भी विनिश्चित किया जाने वाला मामला है तो भी मैं इस बारे में कोई संदिग्धता नहीं चाहता हूँ।

मान लीजिए, राष्ट्रपति मामले का भिन्न रूप से निर्वचन करते हैं और कहते हैं कि ''हाँ, आप निरर्हित हैं''? तब क्या होगा? माननीय मंत्री काफी ठीक थे जब उन्होंने यह कहा कि यदि इन सदस्यों से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता तो इससे प्रशासन अस्त व्यस्त हो जाता। उन्होंने यह भी उल्लेख किया था कि इन सदस्यों को इसकी जानकारी नहीं थी कि वे नए संविधान के अधीन निरर्हित हो जाएंगे। मेरा विश्वास है, ये नेक आशय थे। इसलिए इस विधान में उन्हें समाविष्ट क्यों न कर लिया जाए? मैंने लगभग पच्चीस समितियों का उल्लेख किया है और मुझे आशा है, अन्य सभी माननीय सदस्य उनको सम्मिलित कराने के लिए दबाव डालेंगे।

डॉ. अम्बेडकर : निश्चित रूप से आपने कुछ का उल्लेख छोड़ दिया है।

श्री सिधवा : आप उन्हें जोड़ लें मुझे खुशी होगी। अन्यथा करने के बजाए आप को हमारी रक्षा करनी चाहिए। इस सदन के 50 प्रतिशत सदस्य निरर्हता का खतरा क्यों उठाए? मैं चाहता हूँ कि सरकार को इस मामले पर पुनः विचार करना चाहिए। उन्हें उसमें एक खंड सम्मिलित करना चाहिए जिसके द्वारा ऐसे सभी सदस्य, जिन्होंने मंत्रालयों द्वारा नियत सभी समितियों या किसी समिति में कार्य किया है, निरर्हित नहीं समझे जाएंगे। अथवा, उन्हें समितियों के सभी नामों को सम्मिलित करना चाहिए। मैंने दो विकल्प दिए हैं। मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि माननीय मंत्री जी को उनमें से एक को क्यों स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे किसी अन्य पर क्यों छोड़ना चाहिए भले ही वह राष्ट्रपति क्यों न हो? वह शुल्क की प्राप्ति को लाभ के पद के समकक्ष समझते हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूँ कि औद्योगिक वित्त निगम में ऐसे संसद सदस्य हैं जो वित्त मंत्रालय द्वारा विहित नियमों के अधीन 50/— रुपये पाते हैं। कुछ मामलों में वे 75/— रुपये भी पाते हैं। बाद में वे 40/— रुपये के लिए सहमत हो गए। यह एक ज्वलंत उदाहरण है। वे 40/— रुपये ले रहे हैं। क्या वे निरर्हित होंगे? क्या यह उचित होगा कि उन्हें निरर्हित कर दिया जाए? उनसे लिखित रूप में पूछा गया था कि क्या संबद्ध मंत्रालय ने उनसे निगम में कार्य करने के लिए अनुरोध किया था और उन्होंने वह स्वीकार कर लिया था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (पंजाब) : उन्होंने कुछ शुल्क वापिस कर दिया था और वे शुल्क उन्हें फिर से लौटा दिए गए।

श्री सिधवा : इसलिए इस मामले को हल्के तौर पर नहीं लेना चाहिए। मैं इस बारे में बहुत खुश हूँ कि सरकार यह विधेयक लाई है। यह विधेयक पिछले सत्र के दौरान इस सदन के समक्ष था। वास्तव में हम उप मंत्रियों और राज्य मंत्रियों से संबद्ध विधेयक के साथ इस पर विचार करना चाहते थे। जब नया संविधान प्रवृत्त हुआ तो हमें यह आश्वासन दिया गया था कि सदस्यों के मामले पर अलग

से सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। अब यह विधेयक लगभग पांच महीने पहले पिछले सत्र के दौरान पारित कर दिया जाना चाहिए था। मुझे खुशी है कि कम से कम अब इसे पहले स्थान पर रखा गया है यह इतना आसान कदम नहीं है जैसा कि डॉ. अम्बेडकर मानते हैं। मेरा उनसे निवेदन है कि सरकार का आशय सुस्पष्ट है। वे यह नहीं चाहते कि कोई भी अपने किसी दोष के न होते हुए भी अप्रन्नता या निरर्हता का भागी बने। यदि ऐसा है तो विधेयक में ही इसे बिल्कुल स्पष्ट किया जाए। स्वयं डॉ. अम्बेडकर के कथन से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि कुछ सदस्य स्वतः निरर्हित समझे जाएंगे यदि कोई मामला राष्ट्रपति के पास ले जाया गया, जो निश्चित रूप से विधि मंत्रालय के कहने पर विधि का निर्वचन करेंगे। राष्ट्रपति स्वाभाविक रूप से डॉ. अम्बेडकर से सलाह लेंगे और मुझे विश्वास है कि वे उस निर्वचन में भिन्न निर्वाचन नहीं करेंगे जो उन्होंने अब किया है।

अपने भाषण के दौरान डॉ. अम्बेडकर ने मेरे संशोधन को निर्दिष्ट नहीं किया था–संभवतः उन्होंने इसे न देखा हो। आप देखेंगे कि मैंने, अपने संशोधन में पच्चीस समितियों के नाम दिए हैं जिनमें सदस्यों ने कार्य किया है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि क्या कुछ सदस्यों ने वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित शुल्कों से अधिक शुल्क प्राप्त किया है। किसी भी हालत में, मैं डॉ. अम्बेडकर के निर्वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ जबकि संविधान का निर्वाचन करने के लिए उच्चतर प्राधिकरण हैं।

***श्री करुणाकर मेनन (मद्रास) :** ऐसी कुछ समितियाँ है जो मंत्रियों द्वारा नहीं बनाई गईं बल्कि सरकार द्वारा बनाई गई हैं। उदाहरणार्थ केंद्रीय सुपारी समिति जो सरकार द्वारा गठित समिति है। उस समिति के सदस्य नाम निर्देशित किए जाते हैं जिनमें से कुछ सदस्य संसद सदस्य भी हैं। उस समिति के बारे में क्या किया जाना है?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसी प्रकार की एक समिति में मैं स्वयं भी था– भारतीय केंद्रीय कपास समिति। किंतु यहाँ शब्दावली इस प्रकार है ''जो भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करता है''। ये सब डॉ. अम्बेडकर के निर्वचन के अंतर्गत आते हैं कि– लाभ का पद क्या है। यदि आप सहमत भी नहीं होते तब भी यह संदेहास्पद बात है, जैसा कि उद्देश्य और कारणों के कथन में कहा गया था। मैं इस बात को निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि ऐसी सदस्यता लाभ का पद नहीं है और इसीलिए यह निश्चय ही संदेहास्पद है। अब हमारे नए संसदीय सचिवों का क्या होगा?

---

* संसदीय वाद–विवाद खड–14, भाग–II, 7 अगस्त, 1951, पृ. 57–71

डॉ. अम्बेडकर : आप ऐसी समस्याओं को क्यों उठाना चाहते हैं जो यहाँ हैं ही नहीं?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उपबंध–2 में मैं पाता हूँ कि केवल मंत्री ही लाभ के पद ग्रहण कर सकते हैं। उपमंत्रियों के बारे में क्या है?

डॉ. अम्बेडकर : वे सम्मिलित हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : भाषा विस्तारित करके आप उपमंत्रियों को सम्मिलित कर सकते हैं लेकिन संसदीय सचिवों का क्या होगा?

एक माननीय सदस्य : वे अवैतनिक हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं एक अवैतनिक सलाहकार था। मेरे मामले में एक वर्ष में एक रुपया था, उनके मामले में भी ऐसा ही होगा। मैंने जो कहा है वह यह है कि यदि आप ज्ञान या अनुभव का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको उन पदों की सूची को सम्मिलित करना चाहिए जिनका धारण करना संसद–सदस्य को निरर्हित नहीं करता। मान लीजिए, कोई सदस्य किसी विषय का विशेष ज्ञान रखते हुए किसी समिति में नियुक्त किया जाता है किंतु यदि वह पद इस विधेयक के अधीन घोषित नहीं किया जाता है तब वह उसे स्वीकार करने में न्यायोचित नहीं होगा। एक ओर उसके और उसकी सेवाओं तथा दूसरी ओर, इस निरर्हता के बीच में होने से देश उसकी सेवाओं से वंचित रह जाएगा। इसलिए इस विधेयक को कायम रखकर हम ठीक ही करेंगे या कम से कम इन कारणों पर जो मैं पेश कर रहा हूँ, किए गए कुछ संशोधनों को स्वीकार कर हम ठीक ही करेंगे। अन्यथा इसका यह अर्थ होगा कि इन पांच प्रवर्गों को छूट प्राप्त है और बाकी के लिए हमें पुनः डॉ. अम्बेडकर के पास जाना पड़ेगा.....

डॉ. अम्बेडकर : मेरा कोई दुर्भाव नहीं है।

श्री सिधवा : वह उदार हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं जानता हूँ कि विधि मंत्रालय ने यह पहल नहीं की है किंतु मैं उन्हें उस रीति के लिए बधाई देता हूँ जिसमें वे अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं क्योंकि वे इस बारे में सहमत हैं कि जहाँ तक इन व्यक्तियों का संबंध है, उनकी सहायता की जानी चाहिए। किंतु क्या डॉ. अम्बेडकर के कहने का यह अर्थ है कि हर समय इस तरह का मामला होता है। हमें उनके पास जाकर उनसे बात करनी चाहिए। इसलिए उनके विधेयक के लिए बधाई देते हुए मैं उनसे विधेयक में आगे यह उपबंध सम्मिलित करना चाहता हूँ कि यदि ऐसा है और ऐसा सिद्धांत लागू किया जाता है तो निरर्हता लागू नहीं होगी। मैं आदरपूर्वक उनसे अनुरोध करूंगा कि

जहाँ तक अनुच्छेद 102 का संबंध है, एक अच्छा विचार बनाएं, जिसमें लाभ के अनेक पद परिभाषित किए जाएं कम से कम इस सीमा तक कि ऐसे पद उनके धारकों को निरर्हित नहीं करेंगे और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि यदि वेतन उससे अधिक नहीं है जो सत्र में उपस्थित होने पर संसद के सदस्य के लिए हैं तो इसे लाभ का पद नहीं समझा जाएगा। यदि हम विभिन्न समितियों और आयोगों के नाम विनिर्दिष्ट करें तो मैं जानता हूँ उनमें से अधिकांश उसके अंतर्गत आ जाएंगे, किंतु फिर भी कॉमथ द्वारा निर्दिष्ट समिति उनमें सम्मिलित नहीं होगी। इस बाबत मैं एक बहुत बड़ा अपराधी हूँ। मैं भी पुनर्वास वित्त निगम का सदस्य था। प्रारंभ में उन्होंने हमें शुल्क दिया था। हमने उन्हें बताया था कि पुनर्वास कार्य के मामले में हम कोई शुल्क नहीं चाहते। उन्होंने कहा 'नहीं', आप हकदार हैं। उन्होंने हमें 50 रुपए प्रति बैठक दिए जबकि संसद के सदस्य केवल 40 रुपए प्रतिदिन के लिए हकदार हैं। उन्होंने हमसे बैठकों, जिनके लिए हमने संसद से आहरण किया था, हमें संदत्त धनराशि लौटाने के लिए कहा। हमने कहा, ठीक है। धनराशि को लौटाने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हम उस धन के लिए हकदार थे, जो कि हमें वापिस लौटा दी गई थी। हमने कभी इसके लिए नहीं कहा था किंतु जब वह आई तो हमने स्वीकार कर ली।

डॉ. अम्बेडकर : इससे सरकार की उदारता दिखाई पड़ती है।

शिक्षा मंत्री (मौलाना आजाद) : मेरा अनुमान है उन्होंने रकम वापस नहीं मांगी?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अब कठिनाई यह है। यदि हम इस धन को स्वीकार न करते और इसे वापिस दे देते तो भी हम इस नियम की परिधि के अंतर्गत आ जाते, यदि पद लाभ का पद माना जाता है, क्योंकि धन प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वह पद महत्वपूर्ण है जिसके लिए परिलब्धियाँ हैं।

पं. ठाकुर दास भार्गव : यह स्वायत्त निकाय है।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या यह कानून द्वारा सृजित स्वायत्त निकाय नहीं है? इसलिए क्या सह सरकार के अधीन लाभ का पद हैं?

माननीय उपाध्यक्ष : इसलिए आपको धनराशि वापिस की गई थी।

डॉ. अम्बेडकर : यदि आप कृपया मुझे स्पष्ट करने की इजाजत दें तो मेरे विचार में इससे चर्चा कम हो जाएगी।

पं. ठाकुर दास भार्गव : किंतु आपको निम्नलिखित तीन मुद्दे स्पष्ट करने चाहिए : (1) पुनर्वास सलाहकार, (2) पुनर्वास वित्त निगम, (3) साधारण समितियाँ। इनके अलावा अन्य समितियाँ हैं जिनके बारे में सदस्यों ने मुझे अभी बताया है। उदाहरण

के लिए कुछ रेल सदस्य रेल प्रणाली के प्रबंधक द्वारा नियुक्त समितियों के सदस्यों के रूप में या वाणिज्य मंडल के अध्यक्षों के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे उस सीमा तक सरकार के अधीन लाभ के पद धारण कर रहे हैं। क्या वे सब इसके अंतर्गत आते हैं? मैं चाहता हूँ, यह प्रश्न किसी संदेह से परे होना चाहिए। यदि केवल पाँच प्रवर्गों का उल्लेख किया गया है तो हमारे लिए केवल दो रास्ते खुले हैं या तो यह कि ये व्यक्ति छूट प्राप्त नहीं है और वे हमारी तरह रहते हैं; अथवा यह कि हम भी उनकी तरह छूट प्राप्त हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि इस सदन द्वारा इस विधेयक को, जैसा कि है, पारित करना न्यायोचित नहीं होगा। या तो श्री सिधवा का यह संशोधन स्वीकार किया जाए कि कतिपय सिद्धांत पर उन सभी सदस्यों को छूट दी जानी चाहिए और पुनर्वास सलाहकार को भी इस प्रवर्ग में सम्मिलित किया जाना चाहिए अथवा कोई सिद्धांत अधिकथित किया जाए, जो व्यापक प्रवर्तन का हो और उन पदों को धारण करने वालों को इस नियम की परिधि के अंतर्गत न आने वाला समझा जाए। जो डॉ. अम्बेडकर ने किया वह स्थिति की आकस्मिकताओं के अनुसार है, जैसा कि उन्होंने उस समय समझा था। किंतु अब, उनके ध्यान में अनेक नई चीजें लाई गई हैं और अन्य समितियों को सम्मिलित किए बिना इस प्रस्ताव को पारित करना न्यायोचित नहीं होगा।

जहाँ तक निरर्हता के प्रश्न का संबंध है, मेरा निवेदन है कि इन व्यक्तियों में से किसी ने भी वास्तव में निरर्हता उपगत नहीं की है क्योंकि इन व्यक्तियों में से कोई भी न तो इस बात को समझता था और न ही उन्हें इस बात का पूर्ण ज्ञान था कि वास्तव में उस पद को स्वीकार करके वे निरर्हता के अंतर्गत आ रहे हैं। जब यह स्थिति है, तो उन्हें निरर्हता नहीं मानना चाहिए। पिछली बातों की बाबत, यह कहा जाना चाहिए कि वे पद, ऐसे पद थे, जिनके बारे में कोई निरर्हता नहीं थी। जब तक यह नहीं किया जाता है, यह संरक्षण विधेयक, संरक्षण विधेयक नहीं होगा, क्योंकि आप उन व्यक्तियों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं बल्कि आप पदों को संरक्षण दे रहे हैं। यदि आप व्यक्तियों को भी मुक्त रखते हैं तो आप ठीक करते हैं। वही मेरा निवेदन है।

डॉ. अम्बेडकर : संसद–सदस्यों के दृष्टिकोण से यह विधेयक बहुत ही नाजुक विधेयक है और मैं माननीय सदस्यों को यह स्मरण कराने से प्रारंभ करूँगा कि इस विधेयक के उपबंधों पर विचार करते समय वे अति उत्साही होने के बारे में बहुत सावधान रहें। मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव अकेले ऐसे सदस्य थे जिन्होंने मामले के इस पहलू पर अति संक्षेप में प्रकाश डाला था। वह ऐसा मुद्दा था जिस पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए था। जिस कारण, संविधाान के अनुच्छेद 102 में इस उपबंध को सम्मिलित किया गया था वह बहुत ही सारवान था। यह संसद की स्वाधीनता को संरक्षित रखने के लिए उद्दिष्ट था और इसके

परिणामस्वरूप, संसद के सदस्यों को अनुच्छेद 192 के उपबंधों का विस्तार करते हुए बहुत उत्साही रहना चाहिए ताकि बाहर जनता एक प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए उनकी आलोचना न करे– आशा है, सदस्य मुझे क्षमा करेंगे। हमें इसे उसी दृष्टिकोण से देखना होगा। यह बिल्कुल सच है कि जब किसी सदस्य को समिति में नियुक्त किया जाता है तो वह देश की कतिपय सेवा कर रहा है।

मननीय सदस्य : क्या भ्रष्टाचार है?

डॉ. अम्बेडकर : इसके बारे में सभी पहलू हैं। सदस्य के दृष्टिकोण से, निस्संदेह यह सेवा है, जो वह करता है। विपक्ष की दृष्टि से, यदि ऐसा है– इसका एक और पहलू हो सकता है। विपक्ष बहुत ही विधि सम्मत रूप से यह दलील दे सकता है कि सरकार लाभ के पद के नियम का विस्तार कर रही है ताकि उसको समर्थन देने के लिए अधिक लोग इकट्ठे हो सकें जब उसको समर्थन चाहिए। इसलिए, जैसा कि मैंने कहा, जबकि अनुच्छेद 102 में अंतर्विष्ट उपबंध में कठिनाइयाँ हैं और उनका समाधान किया जाना चाहिए ताकि समिति के सदस्यों की सलाह लेने में सरकार के रास्ते में कोई गंभीर बाधा न आए, जब कभी संसद के सदस्य ऐसी समितियों में नियुक्त किए जाएँ और इस दृष्टि से भी कि संसद–सदस्य समितियों के माध्यम से सरकार की सेवा करने से वर्जित न हों। ऐसा करते समय हमें यह देखने के लिए सावधान रहना चाहिए कि उपबंध मंदिर न बन जाए जिसके दरवाजे बहुत चौड़े हों और जहाँ पर कोई भी प्रवेश कर सकता हो। सदन के हित में, मैं सोचता हूँ मुझे यह चेतावनी बता देनी चाहिए।

मेरे विचार में इस बारे में कुछ गलतफहमी है कि उसके अध्यधीन रहते हुए विधेयक क्या करता है और विधेयक का आधार क्या है। मुझे बहुत खेद के साथ यह कहना है कि मैंने अपना पक्षकथन स्पष्ट रूप से पेश नहीं किया, क्योंकि संसद–सदस्यों ने मेरा अनुसरण नहीं किया या मुझे नहीं समझा। यह अवश्य ही मेरा दोष रहा कि मैं इतना स्पष्ट नहीं था जितना मुझे नहीं होना चाहिए। अतः मैं एक बार फिर से स्थिति स्पष्ट करना चाहूँगा। लाभ के पद के बारे में हमें यह अवधारित करना है कि लाभ का पद क्या है और लाभ का पद क्या नहीं है। जैसा कि मैंने सदन को पहलू ही बता दिया था, सरकार लाभ के पद का कोरा तकनीकी दृष्टिकोण लेना प्रस्तावित नहीं करती जैसा वे इंग्लैंड में करते हैं, जहाँ पर विधि में उल्लेख है कि अमुक पद लाभ का पद है और क्या कोई लाभ का पद है या नहीं अथवा क्या कोई विशिष्ट व्यक्ति जो उस लाभ के पद को धारण करता है, कोई धन प्राप्त करता है अथवा नहीं, विधि के प्रयोजन के लिए ही यह है कि लाभ का पद धारण करने वाला निरर्हित है। सरकार का आशय इस नियम को संविधान में न लाना और संसद

सदस्यों को लाभ का पद मानकर तकनीकी दृष्टिकोण के अधीन अनावश्यक रूप से निरर्हित करना है। मेरे विचार में सदन को यह याद होगा। जैसा कि मैंने कहा है, लाभ का पद क्या है इस बारे में हम यथार्थवादी दृष्टिकोण अपना रहे हैं। इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कि क्या कोई पद विशेष लाभ का पद है या नहीं, हमें सदस्य को किए गए भुगतान को दो अलग प्रवर्गों में विभाजित करना होगा। एक, किसी सदस्य को किया गया भुगतान है जिसमें उससे अधिक कुछ सम्मिलित नहीं होता जो वास्तविक जेब खर्च कहा जा सकता है, यात्रा, रहन–सहन आदि।

पंडित कुंजरू (उत्तर प्रदेश) : और क्या?

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस पर आ रहा हूँ। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। मुझे ज्ञात नहीं कि क्या आप इससे परिचित हैं, किंतु मेरे विचार में यह एक उदाहरण है जिसके बारे में बहुत लोग जानते हैं, जो गोल मेज सम्मेलन में उपस्थित थे। द्वितीय प्रवर्ग में वह सम्मिलित होगा जिसे मैं सदस्य द्वारा उपगत वास्तविक व्यय कहूँगा ताकि वह अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए समिति में उपस्थित रह सके तथा साथ में कुछ और जो उस हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में है जो इस काम को करने के लिए अन्य कुछ कार्य को छोड़ने से होती है। मैं यह नहीं जानता कि क्या मेरे माननीय मित्र गोल मेज सम्मेलन में उपस्थित थे किंतु यह सच है और मुझे इसकी जानकारी है, क्योंकि मैं सदस्य था; सदस्यों को दिए गए भत्ते दो प्रवर्गों में विभाजित किए गए थे। एक प्रवर्ग को निर्वाह भत्ता कहा गया था जिसका अर्थ 22 या 21 रुपए प्रतिदिन था। दूसरा प्रवर्ग केवल 'भत्ता' कहा गया था जिसके अंतर्गत वह हानि आशायित थी जो इस देश में अपने कारोबार को छोड़ने और लंदन में सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए, व्यवसायियों या व्यापारियों को हुई थी।

श्री सिधवा : वह कितनी थी?

डॉ. अम्बेडकर : अब मैं राशि भूल गया हूँ– मेरे विचार में, यह प्रतिमाह 100 डालर थी। यह एक लंबी कहानी है किंतु उनका अंतर मुझे भली–प्रकार याद है। किंतु मेरे विचार में यह अंतर एक बहुत ही स्पष्ट अंतर है। यह ऐसा अंतर है, जो तथ्यों के आधार पर न्यायोचित हो सकता है और इसके पीछे अनेक नजीरें हैं। इसलिए यह निष्कर्ष, जो सरकार ने इस आकलन के समय निकाला था कि क्या कोई विशेष पद लाभ का पद था या नहीं। यह अंतर था– क्या सदस्य को दिया गया भत्ता या भुगतान मात्र खर्च से अधिक कुछ नहीं था, जिसके बारे में यह माना जा सकता है कि वह सामान्य समय में उसके द्वारा किया गया, अथवा क्या इसके साथ कुछ और अधिक दिया जाता था। हमने वास्तविक खर्च के लिए वह आधार लिया है जो वास्तव में वित्त मंत्रालय द्वारा विनिश्चित किया गया है। मुझे कहना चाहिए–जो

सरकार ने स्वीकार किया है— न केवल वित्त मंत्रालय द्वारा विनिश्चित है, बल्कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सरकार द्वारा स्वीकार किया गया था।

जैसा कि मैंने कहा, मामला अध्यक्ष और राष्ट्रपति के माध्यम से सरकार के सामने लाया गया था। केवल एक या दो मामले थे जो सरकार के विचारार्थ निर्दिष्ट किए गए थे किंतु सरकार ने यह महसूस किया कि यह पता लगाना वांछनीय है कि इस प्रकार के कई और मामले हैं जिनकी ओर अध्यक्ष का ध्यान आकर्षित नहीं किया गया था और इसीलिए हमने विभिन्न मंत्रालयों में परिपत्र भेजे। हमने विभिन्न विभागों को यह जानने के लिए परिपत्र भेजे कि क्या ऐसे कोई अन्य मामले हैं, जिन पर विचार किया जाना अपेक्षित है ताकि एक वृहत प्रस्ताव लाया जा सके जिसके अंतर्गत ऐसे सभी मामले आ जाएं जो संविधान के प्रारंभ से प्रकट हुए थे। मामले प्राप्त होने के पश्चात् हमने यह कसौटी लागू की जिसके बारे में मैंने अभी उल्लेख किया है— प्रति कर की राशि क्या थी, जो दी गई थी। क्या यह मात्र खर्चे थे या उससे कुछ अधिक थी। यदि वह उससे कुछ अधिक थी, तब हमने विनिश्चित किया कि इसे लाभ का पद समझा जाना चाहिए। यदि राशि थी तब हमने यह माना कि यह लाभ का पद नहीं है, यह इस प्रश्न के बावजूद था कि क्या इसका धारक संसद—सदस्य है या नहीं। हम बहुत सावधान थे मैं पुनः दोहराता हूँ, हमारे विनिश्चिय के लिए सही आधार का पता लगाने के लिए हम सावधान थे, क्योंकि यदि तदर्थ प्रत्येक मामले को, उसी के आधार पर देखते तो यह कहा जा सकता था, कि हमने इस विशेष मामले पर एक कसौटी लागू की और दूसरे मामले में दूसरी कसौटी। हम सरकार के विरूद्ध उस प्रकार का अभियोग लगाना नहीं चाहते थे और इसीलिए हम एक व्यापक मूल सिद्धांत खोजने के बहुत इच्छुक थे जो सभी मामलों में लागू किया जाए। इसी आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ऐसे कुूछ मामले थे जो इस सिद्धांत से भी आगे थे अर्थात् भत्ते उनसे परे थे जिसे उपगत वास्तविक खर्चों के लिए प्रतिकर मात्र कहा जा सकता है।

पंडित कुंजरू : किंतु अन्य समितियाँ भी थीं।

डॉ. अम्बेडकर : मैं उन पर भी आ रहा हूँ। उठाए गए प्रश्न अर्थात् पुनर्वास वित्त निगम की बाबत अब यह स्पष्ट है कि यह अनुच्छेद भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद की बाबत है। किसी निगम के अधीन लाभ का पद, लाभ का पद हो सकता है। निश्चित रूप से वह सरकार के अधीन लाभ का पद नहीं है और इसीलिए वह व्यक्ति निरर्हित नहीं है।

श्री सिधवा : यह भारत सरकार के अधीन है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं जो कह रहा हूँ वह न्यायिक निर्वचन है और मुझे विश्वस है,

मेरे माननीय मित्र श्री सिधवा, मेरे विचार में यह दावा नहीं करेंगे कि वह एक बड़े सांविधानिक वकील है, उस स्थिति का विरोध नहीं करेंगे।

श्री सिधवा : उच्चतम न्यायालय के विनिश्चिय के बारे में क्या है?

डॉ. अम्बेडकर : उच्चतम न्यायालय का इससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यह कहने जा रहा हूँ कि बहुत से सदस्यों की यह धारणा है कि यह ऐसा मामला है जो उच्चतम न्यायालय में ले जाया जा सकता। यदि सदस्य मुझे ऐसा कहने की अनुमति देंगे तो यह सदन के सम्मान के लिए है कि हम यह कानून लाए हैं। राष्ट्रपति को यह कहने की पूर्ण शक्ति है कि क्या कोई विशेष पद लाभ का पद है या नहीं। किंतु हमने यह सोचा कि इसका विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जाना ठीक नहीं है। हमने सोचा कि अच्छा होगा कि यह मामला संसद के समक्ष लाया जाए और संसद की मंजूरी प्राप्त की जाए, और यही कारण है कि यह विधेयक लाया गया है।

जहाँ तक पुनर्वास वित्त निगम का संबंध है, अब इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यह बात केवल सरकार के अधीन लाभ के पद को लागू होती है चाहे वह केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार। यह बात, उदाहरणार्थ सिंदरी निगम या दामोदर घाटी निगम या अन्य अनेक निगमों को जो सरकार द्वारा सृष्ट की गई है, लागू नहीं होती है।

श्री सिधवा : सिंदरी निगम नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस को केवल उदाहरण के लिए उद्धृत कर रहा था। मैं केवल व्यापक प्रतिपादन कर रहा हूँ कि जहाँ तक निगम के अधीन लाभ के पद का संबंध है, कोई व्यक्ति उस बात से प्रभावित नहीं होता है जो संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन कही गई है या की गई है। परिणामस्वरूप संसद के उन सदस्यों की बाबत इस विधेयक में कोई निर्देश या उपबंध करना अनावश्यक था, जो पुनर्वास वित्त निगम या विभिन्न अन्य निगमों, के अधीन जिनका हवाला दिया गया है, लाभ का पद धारण कर रहे हों।

मेरे माननीय मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि भारत सरकार सदस्यों से धनराशि लौटाने और फिर से उसे लेने का अनुरोध करके यदि हास्यास्पद ढंग से नहीं तो कुछ अनियमित रूप से अवश्य कार्य कर रही है। ठीक है, मैं मानता हूँ जो भी अधिकारी था, जो इस प्रकार की बात के लिए जिम्मेदार था निस्संदेह इस धारणा के अधीन कि लाभ का पद, लाभ का पद है भले ही वह भारत सरकार के अधीन हो या निगम के अधीन। इस गलती का पता लग गया था और मेरे विचार में बाद में सुधार कर दिया गया था और इस बारे में मेरा विश्वास है कि इसके बाद

ऐसी गलती नहीं दोहराई जाएगी। इसी कारण पुनर्वास वित्त या अन्य निगमों की बाबत इस विधेयक में उल्लेख नहीं किया गया है।

जहाँ तक लंबी सूची का संबंध है जो मेरे माननीय मित्र श्री सिधवा ने अपने संशोधन में दी है, मैं यह कहना चाहता हूँ कि फिर से वही बात लागू होती है। जो सलाह विधि मंत्रालय को प्राप्त हुई थी वह यह थी कि इन सदस्यों को दिए गए भत्ते ऐसे नहीं थे जिसे लाभ या वास्तविक खर्चों से कुछ अधिक के रूप में सम्मिलित किया जा सके। इस प्रकार उस मत की दृष्टि से जो हमने अपनाया है, वे लाभ के पद नहीं हैं, उस प्रवर्ग में ऐसे व्यक्तियों या अधिकारियों को जिनका श्री सिधवा ने संशोधन में हवाला दिया है, सम्मिलित करके हम सूची को बढ़ाना वांछनीय नहीं समझते।

पंडित कुंजरू : क्या मैं इस बात का उल्लेख कर सकता हूँ, वह यह है कि जो भत्ते इन सदस्यों ने प्राप्त किए थे, उस सीमा से अधिक थे, जो मैं समझता हूँ अब वित्त मंत्रालय द्वारा नियत की गई है।

डॉ. अम्बेडकर : ऐसा हो सकता है। किंतु जब विधेयक में यह कहा गया है कि इसके अनुसार, कुछ समितियों के सदस्य निर्योग्य हो गए हैं और वह निर्योग्यता दूर की जाएगी तो उस खंड का उचित अर्थान्वयन यह होगा कि समिति का कोई भी अन्य सदस्य निरर्हित नहीं है और इसीलिए विधेयक में इसका कोई हवाला नहीं दिया गया है।

इसके पश्चात् उस व्यापक प्रतिपादन के संबंध में विचार जिसे मेरे मित्र श्री सिधवा ने अपने वित्तीय संशोधन में प्रतिपादित किया है......

पंडित कुंजरू : क्या मेरे माननीय मित्र उसे स्पष्ट करने की कृपा करेंगे कि वे विशेष कारण क्या थे जिनकी वजह से विधेयक में निर्दिष्ट समितियों के सदस्यों को निर्हता के दायित्वाधीन बनाया गया?

डॉ. अम्बेडकर : क्योंकि, उन्हें जो भुगतान किया गया था उसमें लाभ का तत्व है।

पंडित कुंजरू : अर्थात् उनके द्वारा प्राप्त भत्ता 20 रुपये से अधिक है।

डॉ. अम्बेडकर : हमने यह सोचा था कि उनके मामले में कुछ संदेह है और विधेयक में उस संदेह को दूर करना ईप्सि है।

उस व्यापक प्रतिपादन की बाबत जिसे मेरे मित्र श्री सिधवा ने संशोधन सं. 2 प्रतिपादित किया है कि साधारण नियम होना चाहिए और साधारण नियम लागू हो ताकि इस प्रकार के विधेयकों की और अधिक आवश्यकता न हो। मेरे विचार में यह

इतना बड़ा आदेश है, जिसे मैं मात्र इस कारण स्वीकार नहीं कर सकता कि यद्यपि फिलहाल और इस विधेयक के प्रयोजनार्थ, हमने पारिश्रमिक का एक निश्चित आधार स्वीकार किया है और उस पारिश्रमिक के आधार पर ही हम निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि किस समिति को छूट दी जानी अपेक्षित है और किसे नहीं। संसद या सरकार के लिए उस पारिश्रमिक के आधार में परिवर्तन करना पूरी तरह संभव है। और यदि वे पारिश्रमिक के आधार में परिवर्तन करते हैं तो वह व्यापक प्रतिपादन हमारे लिए अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न करेगा क्योंकि व्यापक प्रतिपादन मामले को वास्तविकताओं से भिन्न होगा। इसलिए जैसा कि मैंने हमेशा कहा है, यह उचित है कि संसद इस शक्ति को अपने हाथ में रखे। बहरहाल, सरकार यह घोषणा नहीं कर सकती कि अमुक–अमुक व्यक्ति निरर्हित है। किसी को यह कहने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार नहीं है कि कोई सदस्य निरर्हित है। अंततः संपूर्ण मामला संसद के हाथ में है और हम मामले को संसद के हाथों में छोड़ना चाहते हैं ताकि जब कभी मामला उत्पन्न हो तो संसद यह विनिश्चय कर सकेगी कि क्या यह ऐसा मामला है, जो निरर्हता के अंतर्गत आता है अथवा यह ऐसा मामला है जिसे संरक्षित किया जाना चाहिए, यदि यह निरर्हता के अंतर्गत आता है। मैं सोचता हूँ कि यह अधिक अच्छा होगा कि उसी स्थिति में छोड़ देना चाहिए जिसमें मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ न कि इसे और जटिल बनाया जाए ताकि कोई भी ठीक मौके पर इस गुत्थी को सुलझा सके।

श्री कॉमथ : क्या यह अंततः सदन के विशेषाधिकार का मामला नहीं है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस बात पर नहीं आना चाहता कि यह विशेषाधिकार है या नहीं। किंतु निश्चित रूप से यह संवैधानिक उपबंध है, जिसका पालन संसद से अपेक्षित है और संसद की संविधान के प्रति बहुत बड़ी गलती होगी यदि वह अनुच्छेद 102 के उपबंधों का उस समय अनुसरण नहीं करती है जब अंततः जैसा कि मैं कहता हूँ और विधेयक तैयार है और सरकार वास्तव में प्रत्येक मामले को विनिश्चित करने के लिए संसद के हाथ में छोड़ना चाहती है। श्री सिधवा के पास कुछ संशोधन था। किंतु क्या इस सदन में कोई अभी मुझे यह बता सकता है कि किन पदों या समितियों की संभावना है, जिन्हें सरकार इसके पश्चात् सृष्ट कर सकती है? मैं ऐसी बात की इस समय कल्पना नहीं कर सकता, यदि कोई मुझसे यह प्रश्न पूछे, "मुझे बताओ कौन सी समितियाँ हैं।" यदि आप इन सबको विधेयक में सम्मिलित करना चाहते हैं तो आपको उनकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए और उन्हें परिभाषित किया जाना चाहिए। इसकी प्रत्याशा कोई नहीं कर सकता कि कौन सी समितियों के बनाए जाने की संभावना है।

अतः जब संसद समिति नियुक्त करती है या जब संसद यह प्रस्ताव करती है कि संसद के किसी सदस्य को किसी समिति के लिए नियुक्त किया जाता है, तभी संबद्ध सदस्य उठकर प्रधानमंत्री या उस मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, जो समिति नियुक्त कर रहा है, से पूछ सकता है कि उसकी स्थिति क्या होगी, वह निरर्हित होगा अथवा नहीं, और वह मंत्री से आश्वासन की माँग कर सकता है या संसद द्वारा समकालीन संकल्प स्वीकृत किए जाने की मांग कर सकता है कि ''इस विशिष्ट समिति में नियुक्त किया गया कोई सदस्य निरर्हित नहीं समझा जाएगा।''

श्री सोंधी : यदि यह सरकारी समिति है?

डॉ. अम्बेडकर : फिर भी संसद–सदस्यों को अपने आपको अवश्य संरक्षित करना चाहिए और संसद–सदस्य सरकार से यह आश्वासन मांग कर स्वयं को संरक्षित कर सकता है कि अन्य बातें कुछ भी हों, वह निरर्हित नहीं समझा जाएगा। जब ऐसा आश्वासन दिया जाता है तो सरकार प्रत्यक्षतः ऐसे आश्वासन से पीछे नहीं हट सकती है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अनुच्छेद 102 के अधीन ही संसद यह घोषणा करते हुए कि वह पद लाभ का पद नहीं है, विधि पारित करे।

डॉ. अम्बेडकर : विनिर्दिष्ट मामले पर विचार कर रहे हैं। जहाँ तक संसद के साधारण विधि पारित करने की बात है मैं यह नहीं जानता वह साधारण विधि क्या कर सकती है। जहाँ तक मैं कल्पना कर सकता हूँ, उसमें यह कहा जा सकता है कि जब कभी कोई संसद–सदस्य समिति में नियुक्त किया जाता है, उसके सदस्य भत्ता प्राप्त करते हैं जिसे लाभ कहा जा सकता है– उसी मामले में संसद यह कह सकती है, जैसा वे इंग्लैंड में करते हैं कि सदस्य की नियुक्ति लाभ का पद नहीं समझी जाएगी।

श्री कॉमथ : क्या हम एक समान प्रक्रिया निर्धारित नहीं कर सकते?

डॉ. अम्बेडकर : नहीं हो सकती, कारण यह है कि बुनियादी भत्ता बदल सकता है।

श्री कॉमथ : फिर भी हम एक समान प्रक्रिया निर्धारित कर सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : संसद के लिए ऐसा करना संभव है। मैं यह नहीं जानता कि हमारे पास कितना समय है किंतु आगामी संसद यह कहते हुए एक छोटा अधिनियम पारित कर सकती है कि जब कभी कोई संसद–सदस्य किसी समिति के लिए नियुक्त किया जाता है, जहाँ भत्ते मात्र पारिश्रमिक से अधिक हो सकते हैं और नियुक्ति लाभ का पद माना जा सकता है तब प्रत्येक नियुक्ति के मामले में संसद का अधिनियम

यह कहेगा कि– ''इसे लाभ का पद नहीं माना जाएगा।'' यह साधारण तरीके से किया जा सकता है।

श्री सिधवा : उन समितियों के बारे में क्या है, जिनमें सदस्य अब 20/– रुपये से अधिक ले रहे हैं? ऐसी कुछ समितियाँ हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मेरे पास इसकी कोई धारणा नहीं है।

श्री सिधवा : उस मुद्दे को स्पष्ट किया जाना है।

डॉ. अम्बेडकर : यदि आप ऐसे मामले हमारे ध्यान में लाएंगे तो हम उनकी जाँच करेंगे जहाँ तक हमारे विभाग का संबंध है, हमने सभी मंत्रियों से तमाम सूचना एकत्रित कर ली थी। हमने उनकी जांच की और यह पाया कि ये ऐसे मामले हैं जहाँ भत्ते हमारे द्वारा नियत मानदंड से अधिक थे और इसीलिए संरक्षण आवश्यक था। अन्य मामलों में हमने यह पाया कि भत्ते आधारभूत नियम का अतिवर्तन नहीं करते थे और परिणामस्वरूप ऐसा कोई संकल्प आवश्यक नहीं था।

श्री सिधवा : आपकी क्या सूचना है?

डॉ. अम्बेडकर : आपको हमोरी सूचना स्वीकार करनी चाहिए। इससे प्रभावित सदस्यों को यह अभ्यावेदन करना चाहिए कि ''मैं अधिक ले रहा हूँ और मुझे छूट नहीं है।''

श्री सिधवा : इसे यहाँ क्यों नहीं करते?

डॉ. अम्बेडकर : मैं आपके सुझाव को तत्काल स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। आप यह स्वीकार करना चाहेंगे कि आपके तथ्य इतने सही नहीं हैं जितने मेरे हो सकते हैं। आपके सुझाव अकेले व्यक्ति के परिश्रम हैं। यहाँ पर सैंकड़ों ने जाँच की है और निश्चित रूप से उनकी सूचना अधिक विश्वसनीय मानी जा सकती है।

मेरे मित्र श्री कॉमथ ने मुझसे असम सरकार के अधिवक्ता की बाबत कुछ पूछा था। ठीक है, मैं नहीं जानता किंतु मुझे इस पर कहना चाहिए। क्या किसी प्रांत में सरकारी अभिवक्ता लाभ का पद धारण करता है या नहीं, ऐसा मामला है जो बहुत पहले विनिश्चित किया गया था। जहाँ तक मुझे याद है, जब भारत सरकार अधिनियम, 1937 में प्रांत में प्रवृत्त हुआ था तब मुझे विश्वास है, कुछ प्रांतों में उनके महाधिवक्ताओं द्वारा यह विनिर्णय दिया गया था कि यह लाभ का पद है। वास्तव में मेरे मस्तिष्क में एक मामला है जहाँ कुछ सरकारी अधिवक्ताओं को इसी आधार पर त्याग–पत्र देना पड़ा था। मैं नहीं जानता कि क्या असम में कोई ऐसा मामला हुआ था। हो सकता है यह हुआ हो, हो सकता है न भी हुआ हो। एक कठोर निर्वचन से यह संकेत मिल सकता है कि जो वकील सरकारी अधिवक्ता है उसे स्थिति से परिचित होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : मुझे यह जानकारी दी गई थी कि माननीय श्री वाज़ेद अली स्वयं सदस्य थे और वे बोलने के लिए अवसर चाहते थे।

डॉ. अम्बेडकर : यदि वे बोलते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा। किंतु वे एक दिन मेरे पास आए थे– मुझे दिन याद नहीं– और उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या वह निरर्हित हैं। मेरे विचार में वह मेरी इस बात से सहमत होंगे कि मैंने उन्हें बताया था कि वह निरर्हित हैं, वह मेरा मत था और यह कि कोई भी संसद–सदस्य, जो किसी भी प्रांत में सरकारी अधिवक्ता है, निरर्हित है। मैंने उन्हें यह बता दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें बहुत खेद है और यह कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। इस पर मैंने कहा कि माफी के लिए उपबंध हो सकता है आदि–आदि और मैंने बताया था कि "आप उचित प्राधिकारी को अपना अभ्यावेदन दें तो अच्छा होगा," मैं समझता हूँ कि उन्होंने मामले में अध्यक्ष को अभ्यावेदन दिया था और अध्यक्ष महोदय ने मामला मेरे पास भेजकर यह कहा था कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सदस्य ने निश्चित रूप से यह कहा है कि उसे इस विनिर्णय की जानकारी नहीं थी और वे उस पद को धारण किए रहे और सरकार उनके मामले पर भी संरक्षण के लिए विचार कर सकती है।

उसी आधार पर हमने उनके मामले को सम्मिलित किया था। मुझे बस इतना ही कहना है।

श्री कॉनथ : कोयला जाँच समिति संविधान के प्रवृत्त होने के पश्चात्, मार्च 1950 के बाद गठित की गई थी। निरर्हता के इस पहलू पर समिति गठित किए जाते समय क्यों विचार नहीं किया गया था?

डॉ. अम्बेडकर : श्री कॉमथ, ये बहुत अच्छे और बहुत उत्तम बिंदु हैं, किन्तु जैसा मैं महसूस करता हूँ सरकार अनुच्छेद 102 को लागू करने में बहुत सावधान या सतर्क नहीं थी क्योंकि हम तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे थे। संपूर्ण परेशानी इस तथ्य से उत्पन्न हुई थी कि जहाँ तक संविधान सभा का संबंध था, हमने इस नियम को निराकृत कर दिया था और हमने संविधान सभा को भी विधायिका के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात कर दिया था। इसमें कुछ हद तक उलझन और भ्रांति थी और परिणामस्वरूप सरकार का ध्यान इस विशिष्ट प्रतिपादना की ओर आकर्षित नहीं किया गया था किंतु जब मामला उनके ध्यान में लाया गया तो उन्होंने सोचा कि वह यही सर्वोत्तम काम परिस्थितियों में कर सकते थे और मुझे आशा है सदन इस विधेयक को अपना समर्थन देगा।

डॉ. पट्टाभि (मद्रास) : मैं सदन का ध्यान मद्रास सरकार द्वारा इस प्रश्न की बाबत लिए गए उस रोचक मत की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि क्या विधायी

निर्वाचनों के प्रयोजनार्थ लोक अभियोजक या सरकारी अभिवक्ता सरकारी सेवक है या नहीं। जहाँ तक विधानमंडल के निर्वाचन का संबंध है, नैलोर के लोक अभियोजक श्री याहिया अली को लोक सेवक समझा गया था और अपनाई गई रीति इस प्रकार थी। उन्हें विधानसभा का सदस्य होने के कारण लोक अभियोजक के पद से त्यागपत्र देना पड़ा था ताकि वह विधानसभा का चुनाव लड़ सकें और उसके बाद उन्हें सरकार द्वारा लोक अभियोजक नियुक्त किया गया था। उन्होंने ऐसा तीन या चार बार किया है और अंततः उन्हें उच्च न्यायालय की पीठ में स्थानांतरित करके उनकी परेशानी समाप्त हुई थी।

श्री श्यामनंदन सहाय : महोदय, क्या मैं एक जानकारी दे सकता हूँ? आपने भाग (घ) में 1951 तक रेल स्थानीय सलाहकार समितियों के सदस्यों के पदों को सम्मिलित किया है। संभवतः आप इसे 1952 करने के लिए संशोधन प्रस्तावित करेंगे। मेरी कठिनाई यह है, क्या आप वर्षानुवर्ष ऐसे प्रस्ताव लाएंगे ताकि हर वर्ष 1952, 1953 और 1954 सम्मिलित किए जा सकें अथवा क्या आप यह अधिकथित करेंगे कि रेल स्थानीय सलाहकार समितियों की सदस्यता से निरर्हता नहीं होगी।

अब दूसरा मुद्दा है यदि इन विभिन्न समितियों को इस विधेयक में निश्चित रूप से अधिकथित कर दिया गया तो क्या इससे वास्तव में राष्ट्रपति उलझन में नहीं पड़ जाएंगे। अब उसे कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि संसद ने केवल कुछ समितियों का उल्लेख किया है। जिसका अर्थ लाभ के पदों के रूप में नहीं होगा। यदि कोई मामला उनके पास भेजा जाता है तो उन्हें कठिनाई हो सकती है और उन्हें संसद बुलानी पड़ सकती है। भले ही मामला न्याटय हो और विनिश्चित करने की उनकी सक्षमता के भीतर हो।

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि मेरे माननीय मित्र को राष्ट्रपति के बारे में चिंता करने की जरूरत है। हम उनका उपयोग विभिन्न बातों के लिए करते हैं और हमारे पास अनुच्छेद 392 है जिसके द्वारा वह आदेश जारी कर सकते हैं और संक्रमण स्थिति के बावजूद हम उनका लाभ उठाना नहीं चाहते।

माननीय उपाध्यक्ष : इस चर्चा के बाद हम एक अन्य चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। मैं सदन में प्रस्ताव रखूंगा। अन्य खंड हैं और माननीय सदस्यों के पास पर्याप्त अवसर है।

प्रश्न यह है :

''कि कतिपय लाभ के पदों के बारे में यह घोषित करने के लिए कि उनके धारण करने वाले संसद सदस्य होने के कारण निरर्हित नहीं होंगे, विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव अंगीकृत किया गया।

खंड–2 (निरर्हता का निवारण आदि)

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1 में, (1) पंक्ति 23 में ''और'' का लोप किया गया; और (2) पंक्ति 2 के बाद निम्नलिखित जोड़ा गया :–

''(च) 8 अप्रैल, 1950 को भारत और पाकिस्तान के बीच किए गए करार के अनुसरण में असम सरकार या पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा किसी अवधि के लिए जिसका विस्तार 31 दिसंबर, 1950 से परे न हो, नियुक्त जांच आयोग के सदस्यों के पद; और (छ) किसी भी अवधि के लिए, जो अप्रैल 1951 के प्रथम दिन से परे न बढ़ाई जाए, बम्बई राजस्व अधिकरण के सदस्य का पद।''

माननीय उपाध्यक्ष : हम अन्य संशोधनों पर विचार करेंगे।

श्री कॉमथ : चूंकि मंत्री महोदय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है, इसलिए मैं 2 और 3 का प्रस्ताव नहीं करता, बल्कि नं. 1 पर बाद में आएंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : माननीय डॉ. अम्बेडकर के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए, मैं अपने संशोधन को आवश्यक नहीं समझता।

डॉ. अम्बेडकर : मैं माननीय मित्र द्वारा उठाए गए मुद्दे को, आपकी अनुज्ञा से, स्पष्ट करना चाहता हूँ। वास्तव में जब संबद्ध विशिष्ट विभाग ने संकल्प जारी करके खाद्यान अन्वेषण समिति बनाई, तो उल्लिखित भत्ता 20/– रुपए था और संभवतः इस स्थिति को स्पष्ट करने के प्रयोजनार्थ विधि मंत्रालय को जो सूचना दी गई थी वह यही संकल्प था। हमने उस संकल्प को ही कार्यरूप दिया है। किंतु अब मैंने सुना है कि खाद्य मंत्रालय ने वह नियम बदल दिया है और सदस्यों को कुछ और अधिक लेने के लिए अनुज्ञात कर दिया है। किंतु हमारी कार्यवाही का आधार उक्त संकल्प है।

श्री सिधवा : उस सदस्य का क्या होगा?

डॉ. अम्बेडकर : मेरे मित्र श्री सिधवा ने संभवतः इस मुद्दे को नहीं समझा है। जब तक राष्ट्रपति यह आदेश जारी नहीं करते कि सदस्य निरर्हित हो गया है, सदस्य सदन में बैठ सकता है और काम कर सकता है।

श्री सिधवा : मैं जानता हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : इसलिए, जैसा मैंने कहा, समितियों का गठन करते हुए मंत्रालयों द्वारा पारित अनेक संकल्प हमें दिए गए हैं और संकल्पों के आधार पर हमने यह

पाया है कि उन समितियों ने आधारभूत नियम का उल्लंघन नहीं किया यदि यह दर्शाते हुए और जानकारी दी जाती है कि ऐसे मामले हैं जहाँ सदस्यों ने वास्तव में अधिक धन लिया है, उस स्थिति को नियमित करना पूरी तरह संभव होगा। कठिनाई कहाँ है? मैं नहीं समझता।

श्री हिम्मत सिंगका : इसे व्यापक रूप में क्यों नहीं करते।

डॉ. अम्बेडकर : मैं इसे नहीं कर सकता। मुझे अवश्य ही इसके बारे में और जाँच करनी चाहिए कि वास्तव में स्थिति क्या है। यदि यह विधेयक पारित किया जाता है तो इससे कोई हानि होने नहीं जा रही है और एक अन्य विधेयक उन मामलों के विषय में लाया जाए, जिनका वास्तव में उसके अंतर्गत लाना आवश्यक है?

श्री सिधवा : वह कैसे हो सकता है?

डॉ. अम्बेडकर : क्यों? मैं नहीं समझता?

माननीय उपाध्यक्ष : इस पर निश्चित रूप से विचार किया जा सकता है। यदि इस पर कल तक विचार हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

कुछ माननीय सदस्य : जी हाँ, श्रीमान्।

माननीय उपाध्यक्ष : किंतु, यदि कल से पहले ये मामले तय नहीं किए जा सकते तो हम विधेयक पर तत्काल विचार कर सकते हैं। राष्ट्रपति को सर्वप्रथम यह कहना चाहिए कि कोई सदस्य निरर्हित है। यह बात स्पष्ट है। अनुच्छेद 102 के खंड (1) (क) का कहना हैः ''यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है।'' अनुच्छेद 103 के अधीन प्रक्रिया से स्वतंत्र रूप में कोई प्रश्न उठाए बिना और मामला राष्ट्रपति को निर्देशित करते हुए, संसद यह कह सकती है कि ऐसा कोई पद लाभ का पद नहीं समझा जाएगा, जहाँ पर यह बात स्पष्ट है कि पारिश्रमिक वह है जो उचित प्रतिकर समझा जाए। एक अन्य विधेयक लाए बिना, यदि इसमें उपयुक्त संशोधन से इसे निपटाया जा सकता है, तो माननीय विधि मंत्री उस मामले पर विचार कर सकते हैं। इन सब समितियों की एक सूची है और श्री सिधवा का संशोधन स्थगित हो जाएगा। मैं सदन में दूसरा संशोधन रखूंगा, जिसका संभवतः विरोध नहीं होगा। वह श्री श्रीनारायण महथा के नाम में है।

डॉ. अम्बेडकर : उसे मैं स्वीकार कर रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : इसे मैं सदन में रखूंगा। उसको छोड़कर अन्य बातों के लिए दिए गए श्री सिधवा के नोटिस पर अगले दिन विचार किया जा सकता है।

डॉ. अम्बेडकर : वह मुझे वास्तविक संकल्प दे सकते हैं; मैं सत्यापित कर सकता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : कल यह प्रथम मामला होगा। उन्हें कोई संशोधन लाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक, श्री सिधवा के संशोधनों का संबंध है, यही रहेगा।

श्री हिम्मतसिंगका : क्या मैं माननीय विधि मंत्री के विचार के लिए यह सुझाव दे सकता हूँ? यदि वह व्यापक रूप में प्रतिपादन रखें कि किसी समिति की सदस्यता, जहाँ अतीत में संदाय निश्चित राशि से अधिक नहीं है, लाभ का पद नहीं माना जाएगा, वह उसके अंतर्गत होगा।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय विधि मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि ऐसी व्यापक प्रतिपादना.................।

श्री हिम्मतसिंगका : यह केवल अतीत की बाबत है।

माननीय उपाध्यक्ष : अतीत की बाबत, विभिन्न धन राशियाँ दी गई हैं। 40/– रुपए, 50/– रुपए आदि।

श्री सोंधी : चालीस रुपये अधिकतम है।

माननीय उपाध्यक्ष : यदि माननीय सदस्य इन मामलों को विधि मंत्री के ध्यान में लाएं तो वह उदार होने और उससे ऐसा प्रतीत होने के बजाए कि हम अनेक सदस्यों को उन्मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं, उन पर विचार करेंगे। हम स्वयं इस तरह के अभियोग में न फंसें।

एक माननीय सदस्य : वह केवल अतीत के लिए है।

माननीय उपाध्यक्ष : यदि कोई विशिष्ट प्रवर्ग है, जो विधि मंत्री के ध्यान में लाया जा सकता है। वह उन पर विचार करेंगे।

डॉ. अम्बेडकर : इस मामले में, संकल्प में 20/– रुपए उल्लिखित है।

पंडित कुंजरू : चर्चा को कल तक के लिए स्थगित करने से पूर्व, मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ। समस्त परेशानी वित्त मंत्रालय के यह विनिश्चित करने से उत्पन्न हुई है कि यदि कोई सदस्य समिति में कार्य करते हुए, 20/– रुपए से बढ़ाकर 40/– रुपए कर देनी चाहिए जो कि संसद की बैठकों में उपस्थित होने के लिए संसद के सदस्य को दी जाती है, तब तो ये परेशानियाँ गायब हो जाएंगी। मान लीजिए, यदि वित्त मंत्रालय द्वारा यह मत स्वीकार कर लिया गया होता तो डॉ. अम्बेडकर द्वारा इस विधेयक को लाने की कोई आवश्यकता ही न होती। वित्त मंत्रालय इन सब परेशानियों को दूर कर सकता है और मात्र यह घोषणा करके माननीय सदस्यों के

मन को शांत कर सकता है कि यदि कोई सदस्य दैनिक भत्ते से अधिक प्राप्त नहीं करता है, जिसके लिए संसद की बैठकों में उपस्थित होने के लिए संसद–सदस्य हकदार है तो उसे लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा। कोई संदेह उत्पन्न नहीं होगा और कोई विधेयक आवश्यक नहीं होगा।

डॉ. अम्बेडकर : जो कुछ मेरे माननीय मित्र ने कहा है मैं उसमें सुधार का केवल एक शब्द कहना चाहूँगा। जो कुछ वित्त मंत्रालय, मुझे वित्त मंत्रालय को बीच में नहीं लाना चाहिए–जो कुछ अब सरकार कहती है वह यह है। समिति के गैर–सदस्यों के लिए कतिपय भत्ते नियत किए गए हैं, जैसा मैंने कहा, हवाई यात्रा के लिए इतना, रेल से यात्रा करने के लिए इतने भत्ते कलकत्ता और बम्बई में 15/– रुपए और अन्य जगहों पर रहने के लिए बारह रुपये आठ आने (12–8–0)। रुपए ही वह एक मानदंड है जिसे सरकार भुगतान के मानदंड के रूप में स्वीकार करती है, जिसमें कोई लाभ का तत्व समाहित नहीं है। मेरा विश्वास है मेरे माननीय मित्र ने उसको ध्यान में नहीं रखा है। यदि हम अंशतः संसद के सदस्यों और अंशतः ऐसे सदस्यों, जो संसद–सदस्य नहीं हैं, वाली मिश्रित समिति को लें तो प्रत्यक्षतः हम भुगतान भिन्न मानदंड विहित नहीं कर सकते। भुगतान का मानदंड, इस प्रकार की मिश्रित समिति के लिए, जो हमें अंगीकार करना चाहिए वह मानदंड है जो उन सदस्यों के लिए अधिकथित किया गया है, जो संसद के सदस्य नहीं हैं और परिणामस्वरूप वह मानदंड निर्णायक मानदंड हो जाता है।

श्री सोंधी : श्रीमन्, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा। कृषि विभाग की एक समिति केन्द्रीय सुपारी समिति है। दैनिक भत्ते 12–8–0 रुपए हैं न कि 12/– रुपए। क्या हम निरर्हित हैं। इसके चार सदस्य हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैंने डॉ. अम्बेडकर को बहुत ध्यान और सम्मान से सुना है, किंतु मुझे विनम्रता के साथ उल्लेख करना होगा कि इस प्रश्न पर इस प्रकार विचार करना पूर्णतः गलत होगा। संविधान का अनुच्छेद 102 इसे बिल्कुल स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति अंतिम प्राधिकारी है, किसी विशिष्ट मामले को विनिश्चित करने की उन्हें अंतिम शक्ति है और इसके विकल्प के रूप में यह संसद है जो यह विनिश्चित कर सकती है कि कतिपय धारित पद निरर्हता की कोटि में नहीं आएंगे। वित्त मंत्रालय या सरकार जो भी हो, इस संबंध में कोई आत्यंतिक शक्ति नहीं है। वे कोई मानक नियत नहीं कर सकते। मान लीजिए, कोई समिति है, जिसकी सदस्यता में केवल 10/– रुपए या 5/– रुपए का भत्ता है किंतु फिर भी समिति ऐसे महत्व की हो सकती है कि इसकी सदस्यता एक सम्मान की बात मानी जाए और बहुत से लोग समिति में कार्य करना पसंद करें, ऐसे मामले में सरकार को ऐसी समिति

में सदस्यों की नियुक्त करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करने की छूट होगी। यह ठीक वही बात होगी जिससे डॉ. अम्बेडकर और हम सभी बचना चाहते हैं। अतः मैं कहता हूँ, यह निश्चित करना सरकार का काम नहीं है कि धारित पद लाभ का है या नहीं। यह विनिश्चिय राष्ट्रपति करेंगे या संसद करेगी।

डॉ. अम्बेडकर : इसीलिए संसद के सामने विधेयक लाया गया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : सरकार के लिए इस शक्ति को अनधिकार चेष्टा स्वरूप स्वयं अपनाना निश्चित रूप से गलत है। यदि वे यह कहते हैं कि उनके हाथ में राष्ट्रपति है और वे लाभ का मानक नियत कर सकते हैं तो मैं कहता हूँ, वे गलत हैं। कतिपय मामलों में राष्ट्रपति ही निर्वाचन आयोग की सलाह से; यह विनिश्चय करता है कि क्या कोई पद लाभ का पद है या नहीं और अन्य मामलों में संसद विनिश्चिय करती है। मैं नहीं समझता कि वित्त मंत्रालय या सरकार इस मामले को कतई विनिश्चित कर सकती है।

श्री सिधवा : क्या हम इससे सहमत नहीं होंगे कि जो संसद सदस्य के भत्ते की सीमा तक भत्ता मिलता है, वह निरर्हता नहीं मानी जाएगी? इस मामले को सदन तय करे, न कि डॉ. अम्बेडकर।

माननीय उपाध्यक्ष : चर्चा सुनने के बाद इस प्रक्रम पर मैं यह कह सकता हूँ कि इस विधेयक में इस विषय में खंड जोड़ने से हमें कुछ भी नहीं रोकता, अब तक इसमें किसी बात के होते हुए भी, यदि संसद सदस्य किसी समिति में है और उससे अधिक भत्ता नहीं लेता है, जो संसद के सदस्य को मिलता है तो उसे निरर्हित नहीं समझा जाएगा। यह केवल एक सुझाव है। उस दशा में, इस बाबत कोई आपत्ति नहीं होगी कि सरकार सदस्यों को लुभा रही है, क्योंकि 40/— रुपए से अधिक कुछ भी नहीं दिया जाएगा। किंतु कठिनाई यह है कि यदि किसी कर्मचारी को समिति में नियुक्त किया जाता है तो वह भत्ते की भिन्न दर प्राप्त करता रहेगा, संभवतः वेतन के अनुसार, जो वह प्राप्त करता है। किंतु इस मामले पर विचार किया जा सकता है। इसलिए मैं इसे कल तक के लिए स्थगित करने के लिए अनुज्ञात करता हूँ और अब श्री नारायण महथा के संशोधन पर आता हूँ।

श्री कॉमथ : श्रीमान्, पिछले साल इस सदन ने यह फैसला किया था कि राज्य मंत्री और उपमंत्री के पद अनुच्छेद के अधीन निरर्हता की कोटि में नहीं आएंगे। अतः वर्तमान राज्य मंत्री और उप मंत्री निरर्हित नहीं होंगे, किंतु नए संसदीय सचिवों के बारे में क्या होगा?

माननीय उपाध्यक्ष : वे भी अधिनियम में सम्मिलित किए गए हैं।

डॉ. अम्बेडकर : श्रीमान्, आपके इस सुझाव के संदर्भ में कि इसे कल लिया जा

सकता है, मैं यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि मेरे लिए उस मामले को लेना संभव नहीं हो सकता, क्योंकि यह मामला कल लिया जाएगा। यह ऐसा मामला है, जिसे मुझे मंत्रालयों को वापिस निर्दिष्ट करना है और वे समय ले सकते हैं। इसलिए यदि यह रखा जाता है तो इसे किसी सुविधाजनक तारीख को लिया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या यह माननीय विधि मंत्री की इच्छा है कि हम अन्य संशोधनों पर विचार करें।

डॉ. अम्बेडकर : संशोधनों को रखा जा सकता है। मैं श्री नारायण महथा के संशोधन को स्वीकार करता हूँ।

श्री एस. एन. महथा (बिहार) : श्रीमान्, मैं यह प्रस्ताव रखता हूँ: पृष्ठ 1, पंक्ति 23 में ''मार्च 1951'' के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए :

''या 31 मार्च, 1952 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए।''

श्री सिधवा : किंतु श्रीमान्, हमें इस संशोधन की बिल्कुल कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। हमें इसे परिचलित नहीं किया गया है।

डॉ. अम्बेडकर : यह बिल्कुल छोटा सा संशोधन है।

श्री सिधवा : विधि मंत्री के अनुसार, यह छोटा हो सकता है किंतु यह बहुत महत्वपूर्ण है।

माननीय उपाध्यक्ष : इसके बाद माननीय सदस्य इसे भी स्थगित कराना चाहते हैं। यह मार्च, 1951 से मार्च, 1952 तक की अवधि का विस्तार करने वाला छोटा–सा संशोधन है।

श्री सिघवा : इस पर भी बाद में संपूर्ण विधेयक के साथ विचार किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : यह मार्च, 1952 तक अवधि का विस्तार करने वाला साधारण संशोधन है। इस पर किसी भाषण की आवश्यकता नहीं है और मैं इसे सदन के सामने रखूंगा।

संशोधन का प्रस्ताव किया गया :–

पृष्ठ 1, पंक्ति 23 में ''मार्च, 1951'' के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाए:–

''या 31 मार्च 1952 को समाप्त होने वाले वर्ष तक।''

श्री सिधवा : महोदय, ये स्थानीय सलाहकार समितियाँ रेल स्थायी समिति द्वारा निर्वाचित स्थायी समितियाँ है। अतः मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या निरर्हता के दूर करने के लिए प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के संशोधन लाए जाएंगे? क्या इस मामले में अधिक विस्तार से विचार करना कुछ प्रतिपादना करना, जिसके अधीन वार्षिक

निष्पादन आवश्यक न हो, अच्छा नहीं होगा?

माननीय उपाध्यक्ष : जैसा कि माननीय सदस्य देखेंगे, यह वर्तमान सदस्यों से संबद्ध है। वर्ष 1951–1952 पहले ही प्रारंभ हो चुका है और संपूर्ण अवधि से निरर्हता हटाने के लिए तारीख 31 मार्च, 1952 तक बढ़ाई जानी है।

डॉ. पट्टाभि : किंतु हम अप्रैल, 1952 में भी बैठ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : यदि यह नहीं बढ़ाई जाती है, तो उन सदस्यों को सीधे त्यागपत्र देना पड़ेगा जो समितियों में कार्य करने के लिए सहमत हुए थे। इसलिए अवधि 31 मार्च, 1952 तक बढ़ाई जा रही है। अब हम वर्ष 1951–52 के मध्य में हैं इसलिए यह संशोधन आवश्यक है। क्या यह संशोधन अभी लागू होना चाहिए या इसके बाद, इस पर विधि मंत्री और सदन विचार करके फैसला कर सकता है। अनेक प्रवर्गों के अधीन निरर्हताओं को दूर करने के लिए हम विधान नहीं ला रहे हैं।

श्री सिधवा : महोदय, आप जो कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। किंतु ये सलाहकार समितियाँ बहुत महत्वपूर्ण निकाय हैं। मेरा मुद्दा यह है और मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं सलाहकार समिति का सदस्य नहीं हूँ। मेरा मामला है– संसद के सदस्यों के रूप में रेल द्वारा यात्रियों और माल को ले जाने में हमारा हित है और कयोंकि समिति के सदस्य के रूप में कोई व्यक्ति 30/– रुपए या ऐसा ही भत्ता लेता है, इसलिए उसे संसद का सदस्य होने से विवर्जित नहीं किया जाना चाहिए। इस मामले में रेल वित्त समिति और सलाहकार समिति से सलाह ली जानी है। इसलिए मार्च, 1951 से मार्च 1952 तक तारीख परिवर्तन के प्रश्न को भी स्थगित रखा जाए और जब विधेयक अगली बार हमारे सामने आए तो उसी समय विधेयक के अन्य उपबंधों के साथ–साथ इस पर विचार किया जाए।

डॉ. पट्टाभि : यह क्यों नहीं कहते "वर्तमान संसद के कार्यकाल के दौरान।"

डॉ. अम्बेडकर : मेरे विचार में संशोधन बहुत आसान है। इसका कारण है क्योंकि विधेयक में मूल रूप से उन शब्दों का उल्लेख नहीं जिनको संशोधन द्वारा अब पुरःस्थापित करना ईप्सित है क्योंकि विधेयक के बहुत पहले पारित होने की प्रत्याशा थी। वह नहीं हुआ। सदस्य बैठे रहे। यदि आप उन्हें लाभ के पद के इस नियम के प्रवर्तन से पूर्णतः मुक्त करना चाहते हैं तो उस अवधि को आगे जारी रखना आवश्यक है। भविष्य की बाबत मैं यह समझता हूँ कि भत्ते कम किए गए हैं ताकि कोई निरर्हता पैदा न हो।

एक माननीय सदस्य : कितने?

डॉ. अम्बेडकर : वही 20/– रुपए।

परिवहन और रेल राज्य मंत्री (श्री संथानम) : मैं इसकी जानकारी अगले दिन दूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष : यह इतनी कम कर दी गई है ताकि निरर्हता अधिरोपित न हो। यह केवल वर्तमान सदस्यों पर लागू है।

प्रश्न यह हैः—

पृष्ठ 1, पंक्ति 23 में, ''मार्च, 1951'' के बाद निम्नलिखित जोड़ें :—

''या 31 मार्च, 1952 को समाप्त होने वाले वर्ष तक।''

प्रस्ताव अंगीकृत किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : विधेयक का शेष भाग दूसरे दिन के लिए स्थगित रहेगा, जो माननीय विधि मंत्री सदन के सामने इसे लाने के लिए सुविधाजनक समझें।

पंडित कुंजरू : चूंकि माननीय विधि मंत्री को इस मामले पर विचार करने के लिए समय दिया गया है, मुझे आशा है कि वे ठीक फैसले पर पहुंचेंगे।

डॉ. अम्बेडकर : मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुझे अपने माननीय मित्र की सलाह पर बहुत निर्भर रहना पड़ेगा।

*असम (सीमा–परिवर्तन) विधेयक

माननीय उपाध्यक्ष : अब सदन आगे इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अग्रसर होगा कि उस राज्य में सम्मिलित क्षेत्र की एक पट्टी को भूटान सरकार को समर्पित करने के परिणामस्वरूप असम राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने के विधेयक पर विचार किया जाए।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मुझे खेद है मैं उस समय सदन में उपस्थित नहीं था जब कुछ सदस्यों द्वारा कोई मुद्दा उठाया गया था कि संसद को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस विधेयक को पारित करने की शक्ति नहीं है कि प्रस्तावित विधेयक यद्यपि परोक्ष रूप से उस क्षेत्र के कुछ भाग को, जो भारत संघ का था, भूटान को समर्पित करने के लिए है। मैंने सुना है कि मेरे माननीय मित्र श्रीप्रकाश ने भी सरकार द्वारा लिए गए आधार के औचित्य में इस मुद्दे पर सदन के समक्ष कुछ निवेदन किए थे। किंतु मुझे यह बताया गया था कि सदन मुझसे इस प्रश्न पर कुछ कहने की प्रत्याशा रखता है।

यह बात बड़ी आसान प्रतीत होती है। मैं सोचता हूँ, मामले को अच्छी तरह समझने के लिए सातवीं अनुसूची में अंतर्विष्ट सूची I का हवाला देकर प्रारंभ करना अच्छा है, जोकि इस संसद की विधायी शक्तियों को परिभाषित करती है। मैं सूची I की प्रविष्टि सं. 14 और प्रविष्टि सं. 15 का निर्देश करना चाहूँगा। प्रविष्टि सं. 14 संधियाँ करने के विषय में है और प्रविष्टि सं. 15 युद्ध और शांति का उल्लेख करती है। उठाया गया प्रश्न ''संधि करने'' और ''युद्ध तथा शांति'' शब्दों के निर्वचन पर बहुत अधिक निर्भर करता है। इन मुद्दों में क्या सम्मिलित है? इस मामले पर संयुक्त राज्य (यूनाइटेड स्टेट्स) में सविस्तार चर्चा की गई थी, जब निर्वचन के लिए प्रथम बार प्रश्न उठा था। मामले को संक्षिप्त करते हुए, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स में यह स्वीकार किया गया था कि संधि करने में क्षेत्र के समर्पण की शक्ति सम्मिलित नहीं होती है।

पंडित एम. बी. भार्गव (अजमेर) : क्या कोई प्रतिषेध है?

---

* संसदीय वाद–विवाद खड–14, भाग–II, 8 अगस्तश 1951, पृ. 103–118

डॉ. अम्बेडकर : यदि मेरे मित्र चाहते हैं तो मैं नजीरें उद्धृत करूँगा। मेरे पास ऐसी अनेक नजीरे हैं। मैं सदन को थकाना नहीं चाहता। मैं केवल सारांश दे रहा हूँ।

संधि करने में क्षेत्र का समर्पण सम्मिलित होता है। उसी तरह उस विशिष्ट प्रविष्टि के अलावा, युद्ध और शांति से संबद्ध प्रतिविष्ट में आवश्यक रूप से क्षेत्र का समर्पण सम्मिलित होना चाहिए क्योंकि इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कभी–कभी उस राज्य के लिए जो एक अन्य विदेशी राज्य से युद्ध कर रहा है, शांति स्थापित करने के लिए शांति की शर्तों में से अपने क्षेत्र के एक भाग का समर्पण करना आवश्यक हो जाता है। मुझे विश्वास है, कि युद्ध और शांति से संबद्ध प्रविष्टि के निर्वचन को चुनौती नहीं दे सकता या इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि अब किन्हीं परिस्थितियों में युद्ध और शांति तथा संधि करने से संबद्ध प्रविष्टि में आवश्यक रूप से क्षेत्र का समर्पण सम्मिलित होता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इन प्रविष्टियों की अंतर्वस्तु को राज्यक्षेत्र के समर्पण को सम्मिलित किया जाना माना जाए। अतः मात्र इस तथ्य के विरुद्ध कि संविधान के शेष भाग में राज्यक्षेत्र का समर्पण करने के लिए संसद को विशिष्ट शक्ति प्रदत्त करने वाला कोई विशिष्ट अनुच्छेद नहीं है, मेरी दलील यह है कि प्रविष्टियाँ 14 और 15 बिल्कुल पर्याप्त हैं।

श्री कॉमथ (मध्य प्रदेश) : नहीं, नहीं।

डॉ. अम्बेडकर : राज्यक्षेत्र का समर्पण करने के लिए संसद को शक्ति सौंपना। मेरे माननीय मित्रों में से कुछ यह कहते हुए अपने सिर हिला रहे हैं कि यह ठीक नहीं है। किंतु यदि फिर भी मैं अपने मत पर कायम हूँ।............

श्री कॉमथ : हम भी अपने मतों पर कायम हैं।

डॉ. अम्बेडकर : ....कि जो कुछ मैं निवेदन कर रहा हूँ ऐसा विषय है, जो सभी महान् संविधान के वकीलों द्वारा और यूनाईटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

श्री सिधवा (मध्य प्रदेश) : हमारे उच्चतम न्यायालय के बारे में क्या है?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसलिए पहली बात जो मैं सदन के सामने रखना चाहता हूँ वह यह है कि जहाँ तक सूची I की प्रविष्टि 14 और 15 का संबंध है, राज्य क्षेत्र के समर्पण के प्रयोजनार्थ संसद को बहुत व्यापक शक्ति प्रदत्त की गई है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संसद के कुछ सदस्य सहमत प्रतीत नहीं होते या निवेदन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं जो मैं कर रहा हूँ, मैं इस बात को थोड़े विस्तार से रखना चाहूँगा। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा

कि संयुक्त राज्य का संविधान एक तरह से बहुत कठिन संविधान है। इसका एक साधारण कारण यह है कि संयुक्त राज्य के राज्य उन राज्यों से अधिक स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न हैं जितने भारतीय संघ के घटक राज्य इस अर्थ में हैं कि काँग्रेस की शक्तियाँ उन शक्तियों से प्राप्त की जाती हैं जो संयुक्त राज्य गठित करने वाले राज्यों द्वारा उसे प्रत्यायोजित की गई हैं। यह एक ऐसी शक्तियों से सम्पन्न सरकार है जो मात्र प्रत्यायोजित शक्तियों की नहीं कही जाती, अपितु वे प्रगणित शक्तियाँ हैं। संयुक्त राज्य की केंद्रीय सरकार में अवशिष्ट शक्ति जैसी कोई चीज नहीं है जैसी हमारे संविधान में है। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए अर्थात् संयुक्त राज्य में राज्य अपने राज्यक्षेत्र के स्वामी होते हैं और जहाँ तक राज्यों के राज्यक्षेत्र का संबंध है, संयुक्त राज्य केंद्रीय सरकार को कोई प्राधिकार नहीं है केवल केंद्रीय सरकार को सौंपे गए कुछ सीमित विषयों के बारे में है। इस विशिष्ट दस्तावेज के निर्वचन में एक चरण था, जिसके अधीन यह दलील दी गई थी कि यद्यपि संयुक्त राज्य सरकार की संधि करने की शक्ति में राज्य क्षेत्र के समर्पण की शक्ति सम्मिलित है, किंतु इसमें ऐसे राज्यक्षेत्र के समर्पण की जो राज्य से संबंध है, शक्ति सम्मिलित नहीं है। दूसरे शब्दों में, संयुक्त राज्य की संधि करने की शक्ति उसके अध्यधीन थी जिसे राज्यों के अंतर्निहित अधिकारों का सिद्धांत कहा जाता था। यह ऐसे अन्य राज्यक्षेत्र को हस्तांतरित कर सकता है जो उसके पास है, जिस पर उसने विजय प्राप्त की है, जो संयुक्त राज्य में संयुक्त राज्य के क्षेत्र के रूप में हैं न कि संयुक्त राज्य के घटक भागों के रूप में। जैसा कि मैंने कहा, यह सिद्धांत संयुक्त राज्य में अनेक वर्षों तक चला था किंतु संयुक्त राज्य की सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंततः यह स्थिति अपनाई गई कि संधि करने की शक्ति इतनी असीमित है कि संपूर्ण राज्य भी हस्तांतरित किया जा सकता है और संयुक्त राज्य द्वारा समर्पित किया जा सकता है, यदि यह आवश्यक महसूस किया जाए और युद्ध और शांति की प्रविष्टि के अधीन या संधि करने की प्रविष्टि के अधीन ऐसा किया जा सकता है।

श्री कॉमथ : उस तरह से कौन–सा विशिष्ट राज्य समर्पित किया गया था।

डॉ. अम्बेडकर : मैं आपको नहीं बता सकता किंतु मैं पूरा वाल्यूम और संदर्भ भी दे सकता हूँ यह विलोग्बी आन दी कांस्टीट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स'' में पृष्ठ 572 से जिल्द के अत तक है। मैं सोचता हूँ यह बहुत अधिक नहीं है। यह जिल्द के अध्याय XXXV में हैं और और यहाँ आपको सभी चर्चित बिंदु मिल जाएंगे। और इस पर न्यायमूर्ति स्टोरे की मूल्यवान राय है। मैं सोचता हूँ अधिकांश सदस्य, जो सांविधानिक विधि में रुचि रखते हैं, उसके नाम से परिचित होंगे कि वह संविधानिक विधि पर महत्वपूर्ण आधिकारिक विद्वानों में से एक हैं। यह अध्याय पष्ठ 561 से प्रारंभ होता है किंतु विशिष्ट प्रविष्टियाँ पैरा 311, 312 में और पैरा 317 तक अन्य पैरों में है।

इसलिए, मेरा प्रथम निवेदन यह है कि जहाँ तक कल उठाए गए प्रश्न का संबध है कि संसद को प्राधिकार नहीं है, मेरा यह निवेदन है कि उस प्रश्न का विधि में कोई आधार नहीं है और इस संसद को किसी राज्यक्षेत्र के समर्पण के लिए विस्तृत शक्ति प्राप्त है और राज्यक्षेत्र के समर्पण के परिणामस्वरूप संघ के राज्यों की सीमाओं में समायोजन करने की विस्तृत शक्ति है।

अब आगे विचारार्थ जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या राष्ट्रपति के लिए संसद के समक्ष इस मामले को लाना आवश्यक है अथवा क्या वह इसे विशुद्धतः अपनी कार्यपालिका की हैसियत में निपटा सकते हैं। इस प्रश्न पर अब मैं प्रासंगिक रूप से यह भी उल्लेख कर सकता हूँ कि वही सिद्धांत इंग्लैंड में प्रचलित है कि राजा क्षेत्र का समर्पण कर सकता है। वास्तव में ऐसा करने के लिए राजा को विशेषाधिकार प्राप्त है।

श्री कॉमथ : कदाचित अलिखित रूप में।

डॉ. अम्बेडकर : जो भी हो, सिद्धांत है।

श्री कॉमथ : इंग्लैण्ड का संविधान अलिखित है, यही कठिनाई है।

डॉ. अम्बेडकर : इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ मेरे माननीय मित्र संविधान के अनुच्छेद 3 का अवलंब ले रहे हैं।

मध्याह्न 2.00 बजे

श्री कॉमथ : अनुच्छेद 2 और 3

डॉ. अम्बेडकर : मैं उनको बिल्कुल नहीं छू रहा हूँ।

श्री कॉमथ : उनसे बच रहे हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मैं भिन्न आधार मानता हूँ, क्योंकि मैं यह कहने के लिए तैयार हूँ कि इन अनुच्छेदों में राज्यक्षेत्र के समर्पण के लिए कोई निर्देश नहीं है। वे प्रतिषेध नहीं करते, किंतु उनका समर्पण से कुछ लेना देना नहीं है। मैं यह कहने के लिए तैयार हूँ कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मैं संविधान के निर्माण से संबद्ध था और कदाचित अधिकांश सदस्य यह नहीं जानते कि आशय क्या है......

श्री कॉमथ : हम सभी संबद्ध थे।

डॉ. अम्बेडकर : वे संभवतः यह नहीं जानते कि इन अनुच्छेदों के मूल में क्या आशय था। मैं अच्छी तरह जानता हूँ और मैं यह कहने को तैयार हूँ कि यद्यपि यह समर्पण का प्रतिषेध नहीं करता, जैसा मेरे मित्र श्री संथानम द्वारा इंगित किया गया है। इसका प्राथमिक आशय प्रांतों के भाषाई विभाजन के बारे में था। इसीलिए

मैं संविधान के अनुच्छेद निर्दिष्ट नहीं करता हूँ क्योंकि यदि मैं अनुच्छेद 3 का अवलंब लूँ तो सरकार का मामला बहुत कमजोर माना जा सकता है। इसलिए मैं कुछ और अधिक मूलभूत विषय का अवलंब ले रहा हूँ और उसके लिए कोई सदस्य अनुच्छेद 3 के अधीन बनाने की शक्ति से इनकार नहीं कर सकता।

श्री कॉमथ : नए राज्यक्षेत्रों का अर्जन अनुच्छेद 2 के अधीन है जो समर्पण का उल्लेख नहीं करता।

डॉ. अम्बेडकर : किंतु अब वह महत्वपूर्ण नहीं है। यह नियम कि यदि कोई बात अभिव्यक्त है और दूसरी अभिव्यक्त नहीं है तो वे अपवर्जित है, यह बात सार्वभौम रूप से लागू नहीं होती।

मैं यह संकेत करने का प्रयास कर रहा था कि यह स्थिति अर्थात् यह कि राज्य क्षेत्र का समर्पण करने का हकदार है, इंग्लैण्ड में भी विधि है। ऐसा करना राजा का विशेषाधिकार है और वह ऐसा कर सकता है।

अब मैं प्रश्न के दूसरे भाग पर आऊंगा, अर्थात् क्या संसद का इस प्रकार के मामले में सलाह लेना आवश्यक है। जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लैंड में स्थिति समय–समय पर बदलती रहती है। एक समय लिया गया मत यह था कि ऐसा मामला था जो राजा के विशेषाधिकार से संबंधित था और विशेषाधिकार का क्या अर्थ है? मैं संक्षेप में इसे परिभाषित करता हूँ। विशेषाधिकार का अर्थ राजा की कुछ करने की शक्ति है जिसके लिए संसदीय मंजूरी आवश्यक नहीं है। जो राजा का विशेषाधिकार कहा जाता है, यह उसका सारांश है। इसलिए पुराना मत यह था कि चूंकि राज्यक्षेत्र का समर्पण राजा के विशेषाधिकार का परिणाम था इसलिए मामले को संसद के सामने लाने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि राजा सर्वोच्च था, जब तक संसद विशिष्ट विधि द्वारा संधि करने और राज्यक्षेत्र के समर्पण करने के राजा के विशेषाधिकार को छीन नहीं लेती और चूंकि संसद ने ऐसा नहीं किया है, इसलिए राजा के पास शक्ति है। इसके साथ राज्य क्षेत्र के समर्पण वाली संधियाँ इंग्लैंड में संसद के समक्ष आई हैं और मैं संक्षेप में उस कारण को स्पष्ट करूंगा कि संसद के समक्ष वे क्यों आई थीं। प्रथमतः इंग्लैण्ड की सरकार ने यह महसूस किया कि राज्यक्षेत्र के समर्पण के लिए संसद की मंजूरी लेना अधिक अच्छा है क्योंकि वह राज्यक्षेत्र को इतना कम कर रही है तथा जिसके ऊपर संसद की सर्वोच्चता थी। इसलिए संसद की सम्मति के बिना कुछ नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा कारण था ब्रिटिश सरकार के लिए संसद के समक्ष समर्पण की संधियों को लाना क्यों आवश्यक था। यह महसूस किया गया था कि राज्यक्षेत्र का हस्तांतरण आखिरकार उस विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों की राष्ट्रीयता का स्थानांतरण है। कारण यह है कि जब आप राज्यक्षेत्र को हस्तांतरित करते हैं तो उस हस्तांतरण के

कारण आप व्यावहारिक रूप से लोगों की राष्ट्रीयता भी हस्तांतरित करते हैं। वे एक अन्य राज्य के नागरिक हो जाते हैं। यह महसूस किया गया था कि यह बहुत अधिक है और संसद की सलाह लेना आवश्यक है, क्या ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए, क्योंकि यह संभव था कि संसद इस बात पर जोर दे कि समर्पण आत्यंतिक निबंधनों में नहीं होना चाहिए अपितु, कुछ शर्तों के अध्यधीन हो। उदाहरणार्थ, संसद कह सकती है कि यद्यपि राज्यक्षेत्र हस्तांतरित किया जा सकता है किंतु हस्तांतरण के द्वारा लोगों को अपनी पुरानी राष्ट्रीयता कायम रखने के लिए अनुज्ञा दी जा सकती है या संधि में कोई अन्य उपबंध पुरःस्थापित किया जा सकता है जिसके द्वारा राष्ट्रीयता के हस्तांतरण को समर्पण की शर्त के रूप में स्वैच्छिक बनाया जा सकता है। चूंकि इसमें नागरिकता और राष्ट्रीयता अंतर्वलित थीं, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने सदैव यह महसूस किया कि किसी भी संधि को संसद के समक्ष रखना वांछनीय है भले ही उसे राजा के विशेषाधिकार से किया गया हो, जिसके कारण संसद की मंजूरी अपेक्षित नहीं थी। यह महसूस किया गया कि उस क्षेत्र, जिसका समर्पण किया जा रहा है, में लोगों की राष्ट्रीयता अवधारित करने के लिए संसद को अधिकार दिया जाना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि आंग्ल विधि के अधीन जबकि राज्यक्षेत्र के हस्तांतरण के लिए राजा के पास परमाधिकार था, इसलिए संधि अपने आप लोगों के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकती थी। यदि संधि के पालन के लिए कतिपय विद्यमान विधियाँ निराकृत या प्रभावित होती थी तो संधि स्वयं इसे करने के लिए सक्षम नहीं थी। उन विधियों को बदलने के लिए संसद की अलग मंजूरी अपेक्षित थी जो लोगों के अधिकारों, बाध्यताओं और दायित्वों को विनियमित करती थी ताकि उन्हें संधि के उपबंधों के अनुरूप बनाया जा सके।

ये प्रमुख कारण थे जिनकी वजह से आंग्ल विधि के अधीन, यद्यपि राज्यक्षेत्र के हस्तांतरण का अधिकार राजा का परमाधिकार था, कभी ब्रिटिश सरकार ने ऐसी समस्त संधियों को मंजूरी के लिए, संसद के समक्ष रखने की परिपाटी चालू कर रखी थी। वही कारण है जिसकी वजह से सरकार ने इस मामले में यह महसूस किया कि इस मामले को संसद के समक्ष लाना है और उसकी मंजूरी अभिप्राप्त करना वांछनीय है, क्योंकि इसी विधेयक में उस राज्यक्षेत्र, जिसका भूटान जैसे विदेशी राज्य को हस्तांतरित किया जाना ईप्सित है, के लोगों की राष्ट्रीयता की बाबत संसद द्वारा कुछ परिवर्तन किए जाने से मैं इंकार नहीं कर सकता।

उठाए गए अनेक प्रश्नों के बारे में ये मेरे निवेदन है। मेरा प्रथम निवेदन यह है कि संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 का अवलंब लेना आवश्यक नहीं है क्योंकि उनका संबध भिन्न मामले से है। इस विधेयक और इस संधि का प्रयोजन सातवीं

अनुसूची की विधायी सूची सं. 1 में प्रविष्टि 14 और 15 के अधीन आता है। इन दो प्रविष्टियों को विषय–वस्तु और परिधि के निर्वचन के अनुसार, मेरी राय में इस प्रकार के कानून की मंजूरी के लिए संसद को प्राधिकार देना पर्याप्त है।

श्री कॉमथ : इससे पहले कि आप आगे बढ़ें, महोदय क्या मैं चर्चा के दौरान महान्यायवादी के उपस्थित रहने के लिए निवेदन कर सकता हूँ क्योंकि सदन में महत्वपूर्ण मामले उठाए जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : वह आस्ट्रेलिया में हैं।

श्री कॉमथ : क्या उनका डिप्टी यहाँ नहीं हैं?

अनेक सदस्य : खड़े हो गए।

माननीय उपाध्यक्ष : जो माननीय सदस्य पहले बोल चुके हैं उन्हें उठने की जरूरत नहीं है। उनका बोलने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि विधि मंत्री ने कुछ नए प्रश्न उठाए हैं।

डॉ. पट्टाभि (मद्रास) : ऐसे अनेक विषय, जो न तो विधेयक में हैं और न ही उद्देश्यों और कारणों के कथन में हैं, अब विधि मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए हैं और यदि आपने इसका ध्यानपूर्वक अनुसरण किया हो तो संपूर्ण चर्चा नया रूप धारण करती है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अधीन भाग (ग) के उद्देश्यों के कथन में एक निर्देश था। विधि मंत्री का यह कथन है कि संविधान के अनुच्छेद 3 का विधेयक से कुछ लेना देना नहीं है। महोदय, आप अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और मामले में नए सिरे से चर्चा करने की इजाजत दें।

डॉ. अम्बेडकर : अनुच्छेद 3 केवल आनुषंगिक रूप से आता है क्योंकि राज्य क्षेत्र का समर्पण उस समय तक नहीं किया जा सकता जब तक असम की सीमाएं समायोजित नहीं हो जातीं। अन्यथा अनुच्छेद 3 की कोई सुसंगतता नहीं है।

डॉ. पट्टाभि : कल आप उस समय सदन में उपस्थित नहीं थे जब कुछ कथन किए गए थे......

डॉ. अम्बेडकर : खेद है, मैं यहाँ नहीं था। यदि कोई मुझे बताता तो मैं यहाँ उपस्थित हो गया होता। (रुकावट)। अनुच्छेद 3 केवल आनुषंगिक रूप में आता है। राज्यक्षेत्र का समर्पण असम की सीमाओं के पुनर्समायोजन का परिणाम है। जहाँ तक यह मामला है, अनुच्छेद 3 में इसका निर्देश होना चाहिए था।

डॉ. पट्टाभि : जिसके लिए अधिनियम में कोई संबंध नहीं है, मेरा अभिप्राय राज्य क्षेत्र के समर्पण से है।

डॉ. अम्बेडकर : वह मत वैभिन्न्य है। यदि आप चाहते हैं, तो प्रविष्टियाँ 14 और 15 में संघ राज्यक्षेत्र के लिए कार्यवाही का आधार है।

डॉ. पट्टाभि : तब अनुच्छेद 3 को उद्धृत न करें।

डॉ. अम्बेडकर : अनुच्छेद 3 आनुषंगिक रूप से प्रतिवेदित किया गया है क्योंकि इसमें असम की सीमाओं के पुनर्समायोजन का उल्लेख है।

श्री कॉमथ : क्या यह स्पष्ट है कि विवाद्य विषय समर्पण है न कि सीमा विवाद का समायोजन, जैसा प्रधान मंत्री ने कहा था।

डॉ. अम्बेडकर : राज्यक्षेत्र का समर्पण सीमा विवाद का परिणाम हो सकता है। तब कठिनाई कहाँ है?

श्री कॉमथ : कौन–सा हेतुक है और कौन–सा परिणाम है?.......

डॉ. अम्बेडकर : वह मैं नहीं जानता। प्रशासनिक विभाग आपको बताएगा लेकिन मुझे यहाँ कोई कठिनाई नहीं दिखती।

श्री आर. के. चौधरी (असम) : महोदय, क्या आप यहाँ उपस्थित होने के लिए महान्यायवादी से निवेदन करेंगे। हम उनके विचारों को सुनने के लिए हकदार हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : महान्यायवादी आस्ट्रेलिया में हैं। मैं समझता हूँ, महान्यायवादी को सुनने की आवश्यकता नहीं है। सदन ने विधि मंत्री को सुना है। (रुकावट)। आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्यों को बोलने के पर्याप्त अवसर थे। अन्य लोगों को भी बोलने का अवसर मिलना चाहिए। मात्र इसलिए कि एक माननीय सदस्य, जिसे बोलने का अधिकार था, ने विशिष्ट प्रतिपादन के पक्ष में विशिष्ट बात कही थी, एक अन्य माननीय सदस्य, जो पहले ही बोल चुका है, फिर से बोलने के लिए अतिरिक्त समय नहीं ले सकता। इसका कोई अन्त नहीं होगा।

श्री शिवचरण लाल (उत्तर प्रदेश) : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : अब नहीं। डॉ. मुखर्जी।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी (पश्चिमी बंगाल) : इस विधेयक पर बोलने के लिए खड़े होते हुए प्रारंभ में मैं यह कहना चाहूँगा कि मैं विधेयक के गुणावगुण पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। क्या राज्य क्षेत्र का छोटा–सा भूभाग भूटान को दिया जाना चाहिए या नहीं, एक ऐसा प्रश्न है जो कि तत्काल आपके सामने नहीं है। मैं वह जानता हूँ जो कल प्रधानमंत्री ने कहा था, जो सरकार के मामले को मजबूत करता है और इसके विशेष कारण हो सकते हैं, क्यों न उस प्रस्ताव को लागू किया जाए जैसा कि सरकार ने किया है। किंतु मैं उस असाधारण प्रक्रिया के लिए भारी आपत्ति

करता हूँ जो सरकार की इच्छाओं को लागू करने के लिए अपनाई जा रही है और जब मैंने विधि मंत्री को इसकी प्रतिरक्षा करते सुना तो मेरी सांस रुक गई। निश्चय ही उन्होंने कहा था कि वह संविधान के रचयिता हैं—न कि एकमात्र रचियिता......

डॉ. अम्बेडकर : मैंने नहीं कहा था कि मैं रचयिता हूँ, किंतु मैं उनमें से एक हूँ......

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : संविधान की रचना में उनको सबसे अधिक कार्य करना पड़ा था। ऐसा होते हुए कोई भी यह प्रत्याशा करेगा कि संविधान की पवित्रता और प्रतिष्ठा की प्रतिरक्षा करने के लिए वह पहले व्यक्ति होंगे। मैं विधि मंत्री गृहमंत्री भी, के भाषण को किसी अन्य सदस्य से समझ सकता था। किंतु जहाँ तक विधि मंत्री का संबंध है, उन्हें सुस्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि प्रस्ताव के निहितार्थ क्या हैं।

विधि मंत्री ने अमरीका की सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित कुछ निर्णयों को निर्दिष्ट किया है। मेरे अनुभव के बाद, पिछली बार जब हम संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे थे, मैं विधि मंत्री की जल्दबाजी में की गई सिफारिशों को स्वीकार करने में झिझकता हूँ जब तक मैं उन्हें सत्यापित न कर लूँ........

डॉ. अम्बेडकर : ऐसी बातों से मुझे संरक्षण करना चाहिए। यदि मेरे मित्र मेरे कथन को चुनौती दे रहे हैं तो मैं स्वयं उसे चुनौती देने को अपने अधिकार को सुरक्षित रखूंगा, जो भी उन्होंने कहा है। मुझे यह बात अच्छी तरह से स्पष्ट करनी चाहिए।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : विधि मंत्री इतना अधिक विरोध कर रहे हैं।

डॉ. अम्बेडकर : यह इतना अधिक विरोध करना नहीं है किंतु मैंने सुना है आपने किसी अन्य दिन जब मैं उपस्थित नहीं था, ऐसा कहा था।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : आप यहाँ थे किंतु जब मैं बोल रहा था तो आप चले गए थे।

डॉ. अम्बेडकर : आप इतने भयानक आदमी नहीं हैं जो मुझे भागने के लिए विवश कर सकें।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : जहाँ तक भीम राव अम्बेडकर का संबंध है, उसे कौन डरा सकता है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं इन लांछनों को पसंद नहीं करता हूँ। आपने वक्तव्य दिया है। मैं जानता हूँ, मैं यहाँ उसे चुनौती देने के लिए नहीं हूँ किन्तु मैं दूँगा...

माननीय उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्यों को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए?

डॉ. अम्बेडकर : महोदय नहीं, यह बात बहुत दूर जा रही है। यह जानबूझकर कह रहे हैं कि मैंने गलत उद्धृत किया था और गलत रूप से पेश किया था।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : मैंने यह नहीं कहा है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं अपने मित्र श्री कॉमथ को पुस्तक और पृष्ठ के प्रति निर्देश करने के लिए इच्छुक रहा हूँ। मुझे ये बातें पसंद नहीं हैं। मैं आपको बहुत सम्मान देता हूँ– यदि आप इसे नहीं करेंगे तो मुझे भी आपके स्तर पर उतरना पड़ेगा।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : आप अपने स्तर पर उतर गए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : दोनों ही संसद के सम्माननीय सदस्य हैं। पिछले वक्तव्य के बारे में माननीय सदस्य को यह कहने की आवश्यकता नहीं है। विधि मंत्री ने शायद अपनी राय दी हो, किंतु माननीय सदस्य को हमेशा स्वयं सुसंगत निर्णय को पढ़ने का अवसर प्राप्त था। मैं जो कुछ कह सकता हूँ वह यह है कि यथासंभव सदन में उनकी अपनी स्थिति के संगत और स्वयं सदन की स्थिति के अनुरूप उन्हें तर्क का उत्तर तर्क से देना चाहिए। माननीय सदस्यों से मेरी यही अपील है।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : मेरी किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने की इच्छा नहीं है। मैंने कहा था मुझे विधि मंत्री की जल्दबाजी से की गई सिफारिशों को स्वीकार करने में झिझक है।

डॉ. अम्बेडकर : कोई सिफारिश नहीं है। मैंने कहा, ये निर्णय हैं– मैंने पृष्ठ उद्धृत किए हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि उसी पुस्तक में भिन्न व्यक्ति भिन्न निर्वचन कर सकते हैं। इसलिए माननीय सदस्य डॉ. मुखर्जी को इसे भिन्न रूप से पढ़ने की स्वतंत्रता थी।

डॉ. अम्बेडकर : यदि उनके सामने निर्णय होता और उसे पढ़ने के बाद उन्होंने इसे निर्दिष्ट किया होता तो मैं उसका सम्मान करता। किंतु यह कहना कि मैंने गलत उद्धृत किया है या गलत रूप में पेश किया है बहुत दूर की बात है?

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : मैंने कभी गलत उद्धृत करना नहीं कहा।

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस तरह की बातों को अनुज्ञात नहीं करूंगा।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : महोदय, जो मुद्दा मैं उठा रहा था, वह यह था। माननीय मंत्री ने कोई निर्णय निर्दिष्ट किया था जिस पर अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचार किया गया था– उन्होंने निर्णय नहीं पढ़ा था। जहाँ तक अमरीका के निर्णय का संबंध है, यह इस विषय से सुसंगत नहीं है कि जिस पर अब हम यहाँ चर्चा कर

रहे हैं। विधि मंत्री ने कुछ ऐसी बातों को निर्दिष्ट किया है, जो इंग्लैण्ड में राजा द्वारा की जाती हैं। राजा के पास परमाधिकार की शक्ति है , जिसके कारण वह कुछ राज्यक्षेत्र का समर्पण कर सकता है। मैं निवेदन करूंगा कि वह भी आज की चर्चा के विषय में सुसंगत नहीं है। हम सब जो चर्चा कर रहे हैं, वह यह है : क्या संसद कुछ विशिष्ट प्रक्रिया, जो कि संविधान के अधीन अधिकथित है, को अनुसरण किए बिना भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भूभाग का समर्पण कर सकती है? क्या संविधान में ऐसा कोई अनुच्छेद है, जो सरकार को भारत के भीतर क्षेत्रों के किसी भाग का समर्पण करने के लिए अनुज्ञात करने के प्रयोजनार्थ उपबंध करता है। वही साधारण प्रश्न है, जिस पर हमसे विचार करने के लिए कहा गया है। महोदय, यहाँ, यदि अनुच्छेद 2 और 3 पर दृष्टि डालें तो आप देखेंगे, जब संविधान का भाग I अधिनियमित किया गया था तो व्यवस्था क्या थी।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या हमें यह बात समझनी है जो माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि राज्यक्षेत्र का समर्पण संविधान के अधीन संभव है किंतु अनुच्छेद 3 के अधीन केवल प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है?

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : संविधान में राज्य क्षेत्र के समर्पण विषयक कोई विशिष्ट उपबंध नहीं है, किंतु फिर भी मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ कि यदि संधि के कारण यह स्थिति पैदा हुई है कि भारतीय राज्यक्षेत्र के एक भाग का समर्पण किया जाना है तो स्वाभाविक है कि ऐसे फैसले के लिए किसी को अंतिम मंजूरी देनी है और मामला संसद के सामने आता है। यहाँ आप न केवल राज्यक्षेत्र का समर्पण कर रहे हैं बल्कि आप अपने विद्यमान राज्यों में से एक की सीमाओं का समायोजन कर रहे हैं और इस मामले की बाबत हर हालत में संविधान के अधीन एक विशिष्ट प्रक्रिया अधिकथित की गई है, जिसका आपको अवश्य अनुसरण करना है।

माननीय उपाध्यक्ष : यह दावा किया गया कि इसका अनुसरण किया गया है।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : नहीं, श्रीमान्।

डॉ. अम्बेडकर : महोदय, आपकी आज्ञा से मैं इस प्रश्न को कुछ वाक्यों में स्पष्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपने प्रश्न को बहुत स्पष्ट रूप से रखा है। प्रश्न इस बाबत प्रतीत होता है कि प्रक्रिया क्या है।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : ठीक है, मुझे पूरा करने दें। मैं अधिक समय नहीं लूँगा।

डॉ. अम्बेडकर : मैं बोल नहीं रहा हूँ, मैं केवल स्पष्ट कर रहा हूँ।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : श्रीमन्, मैंने सोचा था, जब विधि मंत्री पहले भी बोल रहे थे तब भी वह स्पष्ट कर रहे थे।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या माननीय मंत्री यह महसूस करते हैं कि वह किसी विशिष्ट प्रश्न को अब स्पष्ट कर सकते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं। मेरे विचार में प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है। राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दे दी है, संकल्प असम विधानसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। राष्ट्रपति की सिफारिश विधेयक के पिछले पृष्ठ पर मुद्रित की गई है।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : मैंने उसे देखा है। किंतु जहाँ तक भारतीय राज्यक्षेत्र के किसी भाग को समर्पण के लिए उपबंध करने का संबंध है, वह व्यावहारिक रूप से अनुच्छेद 1 और 2 के उपबंधों द्वारा आबद्ध है और ऐसी परिस्थितियों में क्या संसद भारतीय राज्यक्षेत्र के किसी भाग के समर्पण करने वाले विधेयक को पारित करने के लिए स्वतंत्र है।

माननीय उपाध्यक्ष : यह एक दूसरा मामला है। यह प्रक्रिया का नहीं है।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : मैं दोनों मामलों का उल्लेख कर रहा हूँ। यह संविधान के अंतर्गत काम करने का प्रश्न है। यदि आप ऐसे मामले पर विचार करना चाहते हैं और आप यह पाते हैं कि आपका संविधान ऐसी अनिश्चित परिस्थिति के लिए उपबंध नहीं करता है तो यह भूल हो सकती है; आपने इसे शायद नज़रअंदाज कर दिया है, किसी भी तरीके से यह किया गया है, जो एक मात्र बात आप कर सकते हैं वह है संविधान का संशोधन और संसद को इसे प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक शक्ति लेनी चाहिए।

जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था, मैं इस विशिष्ट मामले की बाबत इतना अधिक चिंतित नहीं हूँ। यहाँ पर राज्यक्षेत्र का एक छोटा सा भाग है, जिसको भूटान को दिया जाना प्रस्तावित है। विशेष कारण हो सकते हैं, आपको ऐसा क्यों करना चाहिए। इसके ऐतिहासिक कारण हैं, ऐसे कदम, यदि वह भारत सरकार द्वारा अनुमोदित होता है तो इस देश के लोगों से कदाचित उन लोगों और हमारे बीच अच्छे संबंध हो सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य की बहस के पूर्ववर्ती भाग से यह प्रतीत होता है कि वे इस स्थिति को स्वीकार कर रहे हैं कि संधियों से संबंद्ध प्रविष्टि 14 के कारण ऐसी शक्ति है। यह केवल प्रक्रिया का प्रश्न है।

डॉ. एस. पी. मुखर्जी : जो कुछ मैं मानने को तैयार हूँ वह यह है। यदि युद्ध है या दो देशों के बीच संधि की जाती है, या यह विनिश्चित किया जाता है कि हमारे वेतन में एक भाग का समर्पण किया जाना चाहिए या कुछ अन्य भागों को, जो भारत

से बाहर हैं, भारतीय राज्यक्षेत्र में सम्मिलित किया जाना चाहिए तो भारत सरकार के लिए ऐसी संधि करने के लिए कोई वर्जन नहीं है। संपूर्ण प्रश्न है कि इसे किस प्रकार लागू किया जाए और यही बात है जिस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से, मैं प्रस्ताव के गुणावगुण पर नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ तक कार्यान्वयन की बात है, वर्तमान संविधान, में ऐसा कुछ नहीं है, जो इस संसद को उस क्षेत्र के किसी भाग का, जो भारत में सम्मिलित है; समर्पण करने के लिए सशक्त बनाता हो। यह विशिष्ट, स्पष्ट और असंदिग्ध है। यदि यह आवश्यक समझा गया था कि यह विशिष्ट कदम उठाया जाना चाहिए, तब मैं यह सुझाव दूँगा कि इस विधेयक को वापिस किया जाना चाहिए, संविधान में आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए ताकि कार्य उचित रूप से तथा सांविधानिक रूप से किया जा सके। इस उदाहरण में अन्तर्वलित क्षेत्र सिद्धांत का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और हमें कार्यपालिका से कुछ कम, संसद को भी इस क्षेत्र के समर्पण की शक्ति उस समय तक नहीं देनी चाहिए, जो संविधान के ढांचे में सम्मिलित है जब तक उस बाबत संविधान में विशिष्ट उपबंध न किए जाएं और उनका कड़ाई से पालन न किया जाए। जहाँ तक संसद की शक्तियों का संबंध है, संविधान के बाहर संसद में कोई अवशिष्ट शक्ति निहित नहीं है। यह हमारी पवित्र पुस्तक, बाइबिल, गीता या आप इसे जो कहें आपको इसके भीतर ही सीमित रहना चाहिए। यदि हम पाते हैं कि कोई कमी है जिसे सुधारा जाना है, तो हमें ऐसी रीति से अग्रसर नहीं होना चाहिए जिससे लोगों के किसी वर्ग के मस्तिष्क में भय या अविश्वास की भावना उत्पन्न हो बल्कि हमें पहले संविधान में संशोधन करना चाहिए, इस विधेयक को वापिस लेकर और इसे फिर से उचित रीति से लाया जाना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर : क्या मैं इस बात को स्पष्ट कर सकता हूँ? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि डॉ. मुखर्जी की मताभिव्यक्तियों ने इस प्रश्न को बहुत संकीर्ण सीमाओं में बांध दिया है। उन्होंने यह स्वीकार किया है, यदि मैंने उन्हें ठीक से समझा है कि उक्त प्रविष्टियों के अधीन राज्यक्षेत्र के समर्पण की शक्ति है। मुझे विश्वास है, ऐसे मामले की कल्पना करना कठिन है, जहाँ राज्यक्षेत्र का समर्पण, कुछ प्रांतों की सीमा के पुनर्समायोजन में अंतर्वलित नहीं होगा। उस तरह के मामले की कम से कम मैं तो कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए प्रश्न प्रक्रिया का है। यदि सातवीं अनुसूची की सूची I या II की किसी प्रविष्टि के अधीन कोई विधि बनाई जानी है तो साधारण प्रक्रिया विधेयक की प्रक्रिया है। क्या ऐसी बात नहीं है? आप एक विधेयक लाइए और इसे प्रक्रमों में सदन में रखा जाए, तब विधेयक पारित किया जाता है और कार्य पूरा हो जाता है। आपको अनुच्छेद 3 के अधीन आने वाले उपबंधों की बाबत निर्धारित की गई आवश्यक प्रक्रिया का अनुसरण करना है। मेरा निवेदन इस प्रकार है कि यह विनिश्चित करने के लिए कि क्या इस मामले में विधेयकों की साधारण प्रक्रिया लागू

होती है या अनुच्छेद 3 में अधिकथित प्रक्रिया लागू होती है। हमें केवल एक बिंदु का हवाला देना है और वह यह है : विधेयक का मुख्य प्रयोजन क्या है? कया विधेयक का मुख्य प्रयोजन असम की सीमाओं का पुनर्समायोजन है या विधेयक का मुख्य प्रयोजन भूटान के राज्य क्षेत्र का समर्पण करना है और असम की सीमा में जिससे यह राज्यक्षेत्र लिया गया है, में आवश्यक परिणामिक समायोजन करना है। इस प्रकार के मामले में, जहाँ दोनों पहलू विद्‌यमान हैं (और किसी भी समर्पण में अवश्य विद्‌यमान होने चाहिए क्योंकि समर्पण में पुनर्समायोजन का परिणाम अवश्य होना चाहिए), मेरा निवेदन है कि अपनाई जाने वाली प्रक्रिया विधेयक के मुख्य प्रयोजन को लागू करने की प्रक्रिया होनी चाहिए न कि सहायक या आनुषंगिक प्रयोजन को लागू करने के लिए। यद्‌यपि इस विधेयक का प्रारूपण इस रूप में किया गया है कि सीमाओं का पुनर्समायोजन करना मुख्य प्रयोजन प्रतीत हो, फिर भी वास्तविक प्रयोजन राज्यक्षेत्र का समर्पण करने का है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि वह प्रक्रिया, जो सातवीं अनुसूची की प्रविष्टियों में उल्लिखित किसी विषय की विधियों को प्रभावी रूप देने के लिए संविधान द्वारा विहित की गई हैं, सही प्रक्रिया है और सरकार ने संविधान द्‌वारा अधिकथित सबसे सही प्रक्रिया का अनुसरण किया है।

माननीय उपाध्यक्ष : भले ही यह सीमाओं का समायोजन हो तो भी क्या निहित प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया है?

विदेश कार्य उपमंत्री (डॉ. केसकर) : यही किया गया है।

डॉ. अम्बेडकर : यदि ऐसा है तो वह प्रश्न भी कायम नहीं रहता।

माननीय उपाध्यक्ष : अनुच्छेद 3 में अधिकथित प्रक्रिया का भी अनुसरण किया गया है। इसलिए मैं डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी के कहने का यह अर्थ समझता हूँ कि वे प्रविष्टि 14 के अधीन समर्पण के अधिकार को स्वीकार नहीं करते और इसीलिए वे कहते हैं कि संविधानिक संशोधन आवश्यक है।

श्री नजीरुद्‌दीन अहमद (पश्चिमी बंगाल) : खड़े हो गए।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को फिर से बोलने की अनुमति देना नहीं चाहता हूँ जो पहले ही बोल चुके हैं, जब यह विषय कल व्यवस्था के प्रश्न के रूप में उठाया गया था।

***डॉ. अम्बेडकर (विधि मंत्री) :** मैं पहले ही यह प्रस्तावित कर चुका हूँ कि इस विधेयक पर विचार किया जाए। मेरे लिए जो कुछ शेष रहता है वह इस विशिष्ट कानून के स्वरूप को और इसको लाने की आवश्यकता को स्पष्ट करना है। नोटरी

---

* संसदीय वाद–विवाद खड–14, भाग–II, 17 अगस्त, 1951, पृ. 832–835

पब्लिक एक ऐसा कर्मचारी है जो कुछ दस्तावेजों से, जो वाणिज्यिक संव्यवहार कहे जाते हैं, उत्पन्न होते हैं, की बाबत कुछ कार्य करता है। भारत में नोटरी पब्लिक की बाबत स्थिति यह है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन भारत सरकार को उन दस्तावेजों पर जो अधिनियम के अधीन परक्राम्य लिखत हैं, विचार करने के लिए नोटरी पब्लिक नियुक्त करने की शक्ति प्राप्त है। किन्तु अन्य वाणिज्यिक संव्यवहार भी हैं जो कुछ अन्य वाणिज्यिक दस्तावेजों को सृष्ट करते हैं किंतु वे भारतीय परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन नियुक्त नोटरी पब्लिकों के कार्यक्षेत्रों से बाहर है। वे नोटरी पब्लिक, जो भारतीय परक्राम्य लिखत अधिनियम से बाहर हैं, ग्रेट ब्रिटेन के प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

इस संस्था का इतिहास, संभावतः रोचक है। शुरू में संपूर्ण इंगलैंड में और संभवतः यूरोप में भी नोटरी पब्लिक की नियुक्ति पोप द्वारा की जाती थी। यह एक धार्मिक पद था और उस अधिकारी का काम धार्मिक मामलों पर विचार करना था, अर्थात् यदि किसी विशिष्ट गिरजाघर में बैठने की व्यवस्था के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता था तो उस विवाद को नोटरी पब्लिक द्वारा विनिश्चित किया जाता था। यदि यह प्रश्न उत्पन्न होता था कि क्या वह व्यक्ति, जो मर गया था, सार्वजनिक कब्रिस्तान का हकदार है या उसे गिरजाघर के कुछ अमान्यताप्राप्त भाग में प्राइवेट कब्रिस्तान कहे जाने वाले स्थान में दफनाया जाना है, वह मामला भी नोटरी पब्लिकों द्वारा विनिश्चित किया जाता था। बाद में कुछ वाणिज्यिक कर्त्तव्य भी नोटरी पब्लिक को दे दिए गए थे जिनके अधीन वे इन संव्यवहारों के बारे में टिप्पणी लिखने, विरोध करने या तैयार करने या आदर या अनादर अंकित करने से संबंद्ध कर्त्तव्यों का निर्वहन करते थे। जब प्रोटस्टेंट (धार्मिक) क्रांति हुई तो ग्रेट ब्रिटेन के संबंध में पोप का प्राधिकार समाप्त हो गया और ब्रिटिश सम्राट द्वारा इसे ग्रहण किया गया तथा ब्रिटिश सम्राट ने वह अधिकारिता, जो उसने नोटरी पब्लिक की नियुक्ति के मामले में पोप से अर्जित की थी, आर्कबिशप, ऑफ केंटरबरी को अंतरित कर दी, जो उसका अधिकारी भी हो गया था, क्योंकि धार्मिक क्रांति के अधीन राज्य गिरजाघर (चर्च) के विरुद्ध सर्वोच्च हो गया था और गिरजाघर के सभी अधिकारी राज्य के अधिकारी हो गए थे। आर्कबिशप ने कोर्ट ऑफ फैकल्टी अधिकारी को जो गिरजाघर के मामलों को देखता था, जिसका मैंने पहले ही कुछ उल्लेख कर दिया है उससे संबद्ध किया था और इंग्लैंड में सभी नोटरी पब्लिक आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी के अधीक्षण के अधीन जो कोर्ट ऑफ फैकल्टी कही जाती थी, द्वारा नियुक्त किए जाते थे। वही निकाय भारत में भी नोटरी पब्लिक को नियुक्त करती रही। हमने केवल यह किया कि हमने इंग्लैंड की कोर्ट ऑफ फैकल्टी के प्राधिकार में से एक छोटा–सा भाग निकाल लिया जिसने परक्राम्य लिखत अधिनियम के संबंध में नोटरी पब्लिकों को

नियुक्त करने की यह कानूनी अधिकारिता अर्जित कर ली थी।

इसलिए आज भारत में स्थिति यह है कि नोटरियों का एक ग्रुप, जो परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन दस्तावेजों का कार्य करते हैं, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है जबकि अन्य सभी दस्तावेज, जो परक्राम्य लिखित अधिनियम के अधीन नहीं आते, उन नोटरियॉ द्वारा व्यवहृत किए जाते हैं जिन्हें इंग्लैंड से नियुक्त किया जाता है। हमारा संविधान अर्थात् इंडिया (कान्सीक्वेंशल प्रोविजन्स) एक्ट, 1949 और संविधान का अनुच्छेद 372 (1) द्वारा अनुज्ञा दी गई कि ऐसा अधिकारी जो संविधान से पहले नियुक्त किया गया था, उस प्राधिकार का प्रयोग करता रहेगा ताकि इस तथ्य के होते हुए भी कि भारत स्वतंत्र हो गया है और इस बात के होते हुए कि इन दो उपबंधों के कारण, जो मैंने उद्धृत किए हैं राष्ट्रपति को नोटरियों की नियुक्तियाँ करने का प्राधिकार है वे व्यक्ति नोटरियों के रूप में काम करते रहें यद्यपि उन्हें भारतीय संविधान के अधीन प्राधिकारी द्वारा नियुक्त नहीं किया गया यह बहुत वांछनीय महसूस किया गया कि ये विसंगति समाप्त की जाए और यह कि नियुक्ति का अधिकार, जो अब कोर्ट ऑफ फैकल्टी के पास है, बंद किया जाए। वह इस विधेयक का मुख्य प्रयोजन है और मैं यह नहीं समझता कि संसद का कोई सदस्य इस पर कोई आपत्ति कर सकता है। दूसरी ओर, मेरा विश्वास है कि संसद के बहुत से सदस्य यह पूछ सकते हैं कि इन अधिकारियों को संविधान के अस्तित्व में आने के पश्चात् भी काम करने के लिए क्यों अनुज्ञात किया गया। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि कभी न होने से विलंब होना अच्छा है। यही एकमात्र औचित्य है।

विधेयक के मुख्य खंड ये हैं : खंड 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार भारत में कहीं पर नोटरी के रूप में कार्य करने के प्राधिकार युक्त नोटरियों को नियुक्त करने के लिए सशक्त है। प्रत्येक राज्य भी अपने क्षेत्राधिकार के भीतर प्रैक्टिस करने के लिए, नोटरियों को नियुक्त करने के लिए सशक्त है।

खण्ड 4 और 5 में कहा गया है कि नोटरी उस समय तक प्रैक्टिस करने के हकदार नहीं होंगे जब तक वे अपना नाम पंजीकृत न करवा लें और प्रैक्टिस करने का प्रमाण–पत्र अभिप्राप्त न कर लें। नियमों के अधीन उससे कुछ शुल्क अदा करना अपेक्षित है। ये शुल्क खंड 14 (2) के प्राधिकार के अधीन विहित है।

खण्ड 6 नोटरियों की सूचियों के वार्षिक प्रकाशन के बारे में है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों से उन नोटरियों का रजिस्टर रखना अपेक्षित है, जिन्होंने अपने नाम पंजीकृत कराए हैं।

खण्ड 7 नोटरी की सील (मुहर) से संबंधित है।

खण्ड 8 नोटरी के कृत्यों के बारे में है। यह सामान्य कृत्य हैं, जो एक नोटरी

से इंग्लैंड की विधि अधीन और प्रैक्टिस के लिए निष्पादित किए जाने अपेक्षित हैं। वे हैल्सबरीज लॉज ऑफ इंग्लैंड से व्यावहारिक रूप से लिए गए हैं।

खण्ड 9 किसी व्यक्ति को प्रैक्टिस के प्रमाण–पत्र के बिना नोटरी के रूप में प्रैक्टिस करने से प्रतिषिद्ध करता है। उन व्यक्तियों को जो पहले से ही नोटरी हैं, अपने आपको इस विधेयक के अधीन रजिस्टर कराने के लिए एक वर्ष का समय दिया गया है।

खण्ड 10 सामान्य खंड है जो नोटरियों के रजिस्टर से नामों को हटाने की बाबत है। यदि नोटरी ने कोई ऐसा कार्य किया है, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि वह उसे नोटरी पब्लिक का पद धारण करने से निरर्हित करता है।

खण्ड 11 में उपबंध किया गया है कि किसी अन्य विधि में नोटरी पब्लिक के लिए कोई निर्देश विशुद्धतः निर्वचनात्मक है और उसका अर्थ इस अधिनियम के अधीन प्रैक्टिस करने के हकदार नोटरी के प्रति निर्देश होगा।

खण्ड 12 और 13 शास्ति और अपराधों के संज्ञान के विषय में हैं।

खंड 13 क एक नया खंड है पारस्परिक जो विदेश में किए गए नोटरी के कार्य के पारस्परिक आधार पर विधिमान्य बनाने के लिए अन्तःस्थापित किया गया है।

विधेयक में यही सब कुछ है और मुझे आशा है कि सदन मेरे प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करेगा।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश किया गया।

''यह कि नोटरी के व्यवसाय को विनियमित करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।''

श्री सिधवा (मध्य प्रदेश) : यह बहुत साधारण विधेयक है। मुझे बहुत खुशी है कि माननीय विधि मंत्री ने हमें बहुत ही रोचक इतिहास बताया है। मैं यह नहीं जानता था कि नोटरी, जिन्हें भारत में नियुक्त किया गया था, आर्कबिशप ऑफ कैंटरबरी द्वारा नियुक्त किए गए थे। मैंने सोचा था यह भारत सरकार द्वारा किया गया था। वास्तव में यह खबरों की जगह है। मैं सोचता हूँ हममें से अनेक, कम से कम मैं, यह नहीं जानता था।

मैं ''सम्यक रूप से निरर्हित'' शब्द का अर्थ जानना चाहता हूँ। क्या इससे विधि के अनुसार सम्यक रूप से अर्हित अभिप्रेत है।

डॉ. अम्बेडकर : बिल्कुल नहीं।

माननीय अध्यक्ष : कदाचित वह खंड 14 के अधीन विरचित नियमों द्वारा शासित होगा।

****

नोटरी विधेयक

***विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) :** मैं नोटरी की वृत्ति को विनियमित करने के लिए विधेयक को पुरःस्थापित करने की इजाजत के लिए प्रस्ताव करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह हैः

''कि नोटरी की वृत्ति को विनियमित करने के विधेयक को पुरःस्थापित करने की इजाजत दी जाए।''

प्रस्ताव अंगीकार किया गया

डॉ. अम्बेडकर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

**** पंडित ठाकुर दास भार्गव :** आज के आदेश – पत्र में संशोधन नहीं दिया गया है, किंतु आपकी अनुज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूँः–

''कि विधेयक डॉ. बख्शी टेक चंद, डॉ. पंजाबराव शामराव देशमुख, देश बंधु गुप्ता, श्री गोकुल भाई भट्ट, पंडित मुकुट बिहारी लाल भार्गव, श्री प्रभु दयाल हिम्मतसिंगका, श्री अरुण चंद्र गुहा, श्री रोहिणी कुमार चौधरी, श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला, श्री आर. के. सिधव, श्री सी. सुब्रह्मण्यम और प्रस्तावक की प्रवर समिति को 31 अगस्त 1951 से पहले रिपोर्ट देने के अनुदेशों के साथ, निर्देशित किया जाए।''

अब, यह भी एक नई संस्था है। मैं नहीं जानता, शेष प्रांतों या राज्यों में क्या स्थिति है किंतु जहाँ तक मेरी जानकारी है, कदाचित बड़े शहरों को छोड़कर सभी अन्य स्थानों में नोटरी पब्लिक जैसी कोई संस्था नहीं है। मेरे कथन में सुधार किया जा सकता है। वहाँ भी जो कार्य उन्हें सौंपा जाता है वह केवल परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन होता है।

डॉ. अम्बेडकर : सब नहीं। मूलतः यह केवल परक्राम्य लिखत अधिनियम के अधीन ही था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या उन्हें अन्य शक्तियाँ दी गई हैं।

---

* संसदीय वाद–विवाद, जिल्द–10, भाग–II, 18 अप्रैल, 1951, पृ. 740

** संसदीय वाद–विवाद, जिल्द–14, भाग–II, 17 अगस्त, 1951, पृ. 836–838

डॉ. अम्बेडकर : वे नोटरी पब्लिक होंगे, जो परक्राम्य लिखत अधिनियम से बाहर भी नोटरी पब्लिक का कार्य करते रहेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस विधेयक के अधीन। किंतु इस समय वे केवल परक्रम्य लिखत अधिनियम के अधीन अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

इस विधेयक के परिशीलन से मेरा निष्कर्ष है कि वास्तव में अब भारत में बिल्कुल एक नई संस्था को लाना ईप्सित है। इस संस्था का इतिहास बहुत रोचक है; यह प्राचीन इंग्लिश स्टेट्स से उद्भूत हुआ है। मैं यह सब इतिहास नहीं जानता था।...

डॉ. अम्बेडकर : वह इतिहास मैंने ही दिया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इंग्लैंड में आर्कबिशप और फिर मास्टर ऑफ फैकल्टीज का निर्देश है, किन्तु यह हमारे लिए अनर्गल वार्तालाप है और हम इसे नहीं समझते। मैंने जो समझा वह यह है। आज संपूर्ण भारत में वकील लिखत निष्पादित करते हैं– विक्रय विलेख, बंधक विलेख, दान विलेख– और यह सब या तो अर्जी नवीशों द्वारा या वकीलों द्वारा किया जाता है। मैं पंजाब के संबंध में प्रमाण के साथ बोल सकता हूँ। वहाँ हर वकील विलेख लिखने के लिए सक्षम है। जहाँ अर्जी नवीश हैं वहाँ वे इस व्यवसाय को करते हैं और वकील सामान्यतः इसे नहीं करते। वे ऐसा करने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हैं। जहाँ तक ओथ कमिश्नरों का संबंध है, वे उन दस्तावेजों को प्रमाणित करते हैं जो न्यायालय में पेश किए जाते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता में कतिपय ऐसे उपबंध हैं जिनके अनुसार शपथ–पत्र प्रमाणित किए जाते हैं और उन्हें न्यायालयों में पेश किया जाता है। इसके अतिरिक्त ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें इन ओथ कमिश्नरों द्वारा प्रमाणित किया जाना होता है और जब कभी कोई व्यक्ति दांडिक मामले में अन्यत्र उपस्थित होने को स्थापित करना चाहता है तो भी इन ओथ कमिश्नरों के प्रमाण–पत्र (एक या दो) दस्तावेज लेने या विशिष्ट तारीख को अनुप्रमाणित करने के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता था कि पंजाब में इस प्रकार होता था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि मेरे माननीय मित्र भारत के शेष भाग के बारे में पूछताछ करें तो यह जान कर उनका भ्रम दूर हो जाएगा कि पंजाब इसका अपवाद नहीं है। मैं नहीं जानता इस विधि व्यवसायियों का भविष्य क्या होगा, जिन्हें नोटरी पब्लिक नियुक्त किया जाता है। क्या उन्हें वकालत करने के लिए भी अनुज्ञात किया जाएगा।

श्री सिधवा : वे अब वकालत कर रहे हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि विधेयक के परिकल्पित प्रकार का काम उनको दिया जाना है तो मैं सोचता हूँ कि नोटरी पब्लिक को नियमित कार्यालय रखना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर : उनके हैं। प्रत्येक नोटरी पब्लिक का एक कार्यालय है।

***माननीय अध्यक्ष :** क्या मैं सुझाव दे सकता हूँ, यदि आप खंड 8 के उपखण्ड (2) को देखें तो उसमें यह उपबंधित है कि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट कार्य नोटेरियल कार्य तबके सिवाय नहीं समझा जाएगा जब इसे नोटरी द्वारा अपने हस्ताक्षरों से और कार्यालय की सील लगाकर किया जाएगा। मेरे विचार में इसमें लंबा समय लगेगा कि सर्वोच्च कोटि के साक्ष्यात्मक महत्व का काम हो।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसका अर्थ है कि जहाँ तक उसकी सील और हस्ताक्षरों का संबंध है वे तैयार किए गए दस्तावेजों को कुछ साक्ष्यात्मक महत्व देते हैं, किंतु यदि आप इस विधेयक को देखें तो सरकार द्वारा नोटरी पब्लिक की नियुक्ति के मामले में कोई प्रतिषेध नहीं है। एक जिले में चौबीस व्यक्ति नियुक्त किए जा सकते हैं। यह अवैतनिक मजिस्ट्रेट की तरह है।

श्री सिधवा : नहीं, उसकी तरह नहीं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आप अनुभव से बोल रहे हैं; मैं बिना अनुभव के बोल रहा हूँ। मैं वास्तव में जानना चाहता हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : आप अज्ञात के डर को व्यक्त कर रहे हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह बिल्कुल ठीक है। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि इस तरह की संस्था जो संपूर्ण भारत में स्थापित की जानी ईप्सित है, यह जाने बिना स्वीकार कर लेनी चाहिए कि यह क्या है। मैं डॉ. अम्बेडकर से निवेदन करता हूँ कि वे प्रवर समिति में इनको स्पष्ट करें।

डॉ. अम्बेडकर : इन बातों को मैं स्वयं सदन में स्पष्ट कर सकता हूँ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वह एक नई संस्था लाना चाहते हैं, जो इस देश के लिए विदेशी है, जो इतने वर्षों से हमारे यहाँ नहीं थी।

श्री सिधवा : यह नई चीज नहीं है; यह पोत शहरों में विद्यमान है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह परक्राम्य लिखतों के लिए है। डॉ. अम्बेडकर ऐसा कहते हैं और उनके कथन को आप से ज्यादा अच्छे रूप में स्वीकार करता हूँ।

---

* संसदीय वाद–विवाद, खड–14, भाग–II, 17 अगस्त, 1951, पृ. 840–41

श्री सिधवा : नोटरी पब्लिक आज विद्‌यमान हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैंने स्वयं यह निवेदन किया है कि मद्रास, बम्बई और कलकत्ता तथा कुछ अन्य स्थानों पर वे विद्‌यमान हैं।

डॉ. अम्बेडकर : जहाँ कहीं परक्राम्य लिखत अधिनियम लागू है, वहाँ नोटरी पब्लिक हैं। परक्राम्य लिखत अधिनियम सिवाय कुछ भाग ख राज्यों के संपूर्ण भारत में लागू होता है। मैं ऐसी कल्पना करता हूँ। भाग क और भाग ग राज्यों में परक्राम्य लिखत अधिनियम प्रवष्त है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : परक्राम्य लिखत अधिनियम की बाबत मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मैं जानता हूँ यह संपूर्ण भारत में प्रवृत्त हे। किंतु मैं नहीं जानता कि यह कानून जनता को कैसे प्रभावित करेगा। अवैतनिक मजिस्ट्रेटों या कुछ अन्य व्यक्तियों की व्यवस्था का जो संपूर्ण देश में कुछ कार्य करते थे। यहाँ आप संपूर्ण देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसा कुछ जो बिल्कुल नया है। जहाँ तक संरक्षण का संबंध है, नियुक्ति प्राधिकारी राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार होंगी, और इसीलिए ऐसा है। और इसके पश्चात्, कुछ अर्हताएं विहित की गई हैं। किंतु हम नहीं जानते कि ये कार्यालय किस प्रकार कार्य करेंगे। वे दस्तावेज निष्पादित करेंगे। किंतु क्या वे दस्तावेजों की प्रतियाँ रखेंगे। जब तक आप प्रतियाँ रखने का उपबंध नहीं करते वह डर उत्पन्न होगा जो मैं अब व्यक्त कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई हौवा खड़ा करना चाहता हूँ। भय यथार्थ है। और मुझे विश्वास है कि संपूर्ण देश के वकील इस कानून को पसंद नहीं करेंगे।

डॉ. अम्बेडकर : क्यों नहीं? यह उन्हें एक अनुपूरक व्यवसाय प्रदान करेगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अब प्रत्येक वकील दस्तावेजों को निष्पादित करने के लिए सक्षम है और लोग इन दस्तावेजों के निष्पादन के लिए उनके पास जाते हैं। यदि आप इन नोटरियों से दस्तावेजों को निष्पादित करवाएं तो आप उतनी अधिकारिता वकीलों से छीन सकते हैं। यह छोटा मामला नहीं है जो केवल वकीलों के दृष्टिकोण से देखा जाए, आम जनता का क्या होगा? उस व्यक्ति को जिससे दस्तावेज निष्पादित किया जाना अपेक्षित है, उसे बड़े शहर आना होगा और मान लीजिए नोटरी अधिक शुल्क (फीस) लेता है तो उसे उसका भुगतान करना होगा। यहाँ यह नई बात है जो आप पुरःस्थापित कर रहे हैं। कम से कम हमें इसकी संपूर्ण विवक्षा को जानना है। अब ऐसा कानून लाना और इसे पारित करना हमारे लिए ठीक नहीं है। यदि मैं इसे समझता हूँ और मैं इस बाबत आश्वस्त हूँ कि यह लोगों की भलाई के लिए है तो मैं निश्चित रूप से समर्थन करूंगा। किंतु उस समय तब जब तक मुझे विश्वास नहीं हो जाता, मैं कुछ शब्द बोलकर भी उसे नहीं छेूडुंगा।

सबसे पहले हमें यह जानना है कि क्या यह जनता के लिए उपयोगी है या नहीं। माननीय सदस्य के भाषण से मैं अधिक नहीं समझ पाया हूँ।

माननीय अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करेंगे अब 6.45 बज चुके हैं और इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा कल होगी।

***माननीय उपाध्य :** अब हम डॉ. अम्बेडकर द्वारा 9 अगस्त, 1951 को रखे गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अग्रसर होते हैं :–

''कि नोटरी की वषत्ति को नियमित करने के विधेयक पर विचार किया जाए।''

पंडित ठाकुरदास भार्गव (पंजाब) : मैंने कल सदन के सामने उस बारे में अनेक कारण रखे थे कि इस विधेयक को प्रवर समिति को क्यों निर्दिष्ट किया जाए। यह सर्वविदित तथ्य है कि कुछ न्यायालयों और बड़े शहरों में.....

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : क्या सदन का समय बचाने के लिए मैं वक्तव्य दे सकता हूँ?

मेरे मित्र ठाकुरदास भार्गव और मैं विश्वास करते हैं कि डॉ. देशमुख इस विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट कराना चाहते हैं। जहाँ तक मेरे मित्र पंडित ठाकुरदास भार्गव के कल के वक्तव्य का संबंध है, मैं उनके सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि मैंने यह नहीं सोचा था कि उन्होंने कोई सारवान आधार दिए हैं। किंतु जहाँ तक उनके इस अभिवचन का संबंध है कि यह एक अनूठा कानून है और वह उपबंधों की जांच करने के लिए, उसके निहितार्थ आदि को समझने के लिए और अधिक समय चाह सकते हैं, मैं कोरी अनुकंपा के कारण उनके सुझाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

डॉ. देशमुख (मध्य प्रदेश) : प्रवर समिति के पास निर्देश के लिए प्रस्ताव स्वीकार क्यों न किया जाए?

डॉ. अम्बेडकर : मैं सदन का समय बचाना चाहता हूँ। मैं विधेयक के उबपंधों को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ यदि उससे वे संतुष्ट हों और वे अपने प्रस्ताव को वापिस ले लें। किंतु मैं सोचता हूँ कि इससे समय नष्ट होगा क्योंकि वह बराबर जोर देंगे। मैं विधेयक को प्रवर समिति को निर्देश करने के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : चाहे कुछ भी कारण हों, माननीय मंत्री प्रवर समिति के लिए प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं। इसलिए मैं समझता हूँ आगे अधिक

---

* संसदीय वाद–विवाद खड–14, भाग–II, 18 अगस्त, 1951, पृ. 853–55

चर्चा करने की जरूरत नहीं है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : जहाँ तक अनुकंपा के प्रश्न का सबंध है....

माननीय उपाध्यक्ष : अनुकंपा का कोई प्रश्न नहीं है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : तो क्या यह आवेश है? मैं केवल यह निवेदन करूंगा कि दिए गए कारण इतने अकाट्य हैं कि उन्होंने डॉ. अम्बेडकर को भी प्रवर समिति को निर्देश करने के लिए स्वीकार करने हेतु हिला दिया है। मुझे अन्य लोगों की भांति सदन के समय के महत्व का अधिक ध्यान है; किंतु मैं यह इंगित करना चाहूँगा कि इस मामले के बारे में जानकारी के अभाव के लिए मैं अकेला ही नहीं हूँ। अनेक लोग हैं जो इस विषय की अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : इसमें ऐसा कोई आकर्षण नहीं है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : इसमें कोई आकर्षण नहीं हो सकता, किंतु साथ ही हमारा इस बारे में अवश्य समाधान होना चाहिए कि वास्तव में इस कानून की आवश्यकता है। मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए मैं डॉ. अम्बेडकर का आभारी हूँ, यद्यपि उन कारणों से, जो उनके अनुसार अन्य अनेक बातों पर आधारित हैं। किंतु मेरे अनुसार यह स्वीकार किया गया था, क्योंकि तर्क बहुत विश्वासप्रद है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं माननीय सदस्य से केवल यह अनुरोध करूंगा कि तारीख 5 सितंबर के बाद किसी दिन की रख लें क्योंकि मैं दो या तीन दिन बाहर रहूँगा।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : माननीय मंत्री को उपयुक्त कोई भी तारीख, मैं स्वीकार करने के लिए इच्छुक हूँ।

डॉ. देशमुख : महोदय.................

डॉ. अम्बेडकर : अब कोई भाषण किसलिए?

माननीय उपाध्यक्ष : यह तकनीकी किस्म का विषय है और अच्छा है कि यह सीधे प्रवर समिति को जाए।

डॉ. देशमुख : किंतु मैं प्रस्ताव का नोटिस देता हूँ और मैं दो मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या हम तारीख रखेंगे जैसे.....

डॉ. अम्बेडकर : मैं 7 सितंबर का सुझाव देता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : संशोधन रखा गया है :

"कि विधेयक डॉ. बक्शी टेकचंद, डॉ. पंजाब राव शामराव देशमुख, श्री देशबंधु

गुप्ता, श्री गोकुल भाई दौलतराम भट्ट, पंडित मुकुट बिहारी लाल भार्गव, श्री प्रभु दयाल हिम्मतसिंगका, श्री अरुण चन्द्र गुहा, श्री रोहिणी कुमार चौधरी, श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला, श्री आर. के. सिधवा, श्री सी. सुब्रह्मण्यम और प्रस्तावक की प्रवर समिति को 7 सितंबर, 1951 से पहले रिपोर्ट के लिए अनुदेशों के साथ, निर्देशित किया जाए।''

डॉ. देशमुख प्रवर समिति के सदस्य हैं और पूर्ववर्ती नियम का अनुसरण करते हुए वह यहाँ न बोलकर प्रवर समिति में विधेयक पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं अब सदन से सीधे प्रश्न करता हूँ।

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

*****

(38)

अखिल भारतीय बार की आवश्यकता विषयक संकल्प

श्री श्यामनंदन सहाय (बिहार) : महोदय, क्या मुझे निवेदन करने की इजाजत है? अगला संकल्प पंडित एम. बी. भार्गव के नाम में हैं किंतु एक अन्य प्रस्ताव मेरे नाम में हैं– मैं पांच मिनट से अधिक समय नहीं लूँगा..................

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

श्री श्यामनंदन सहाय (बिहार) : ....और मेरे विचार में माननीय मंत्री भी संभवतः पांच मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे। इसलिए हम इसे पहले लेकर निपटा सकते हैं।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं इस प्रस्ताव को एक मिनट में निपटा सकता हूँ जो आप नहीं कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : विचार करना सदन का काम है। माननीय मंत्री यह कहना चाहते हैं कि संकल्प के सारवान भाग को प्रभावी किया गया है। संकल्प पहले की वरीयता में अगला है। किसी भी ओर से मात्र कथन करने की अपेक्षा इसके बारे में कुछ नहीं किया जाना है।

डॉ. अम्बेडकर : दूसरे संकल्प की बाबत मेरी वही स्थिति है। मैंने समिति नियुक्त करने के लिए व्यावहारिक कदम उठाए हैं और मैं अपने माननीय मित्र को यह बताने जा रहा था कि इस मामले में चर्चा करने से सदन और उनका समय नष्ट होगा। यदि मुझे वक्तव्य देने की इजाजत दी जाए। मैं सोचता हूँ उन्हें बिल्कुल कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, वह केवल यह कह सकते हैं, ''मैं प्रस्ताव करता हूँ।''

माननीय उपाध्यक्ष : हाँ, पंडित एम. बी. भार्गव औपचारिक रूप से अपने संकल्प का प्रस्ताव कर सकते हैं।

पंडित ठाकुरदास भार्गव (अजमेर) : मैं सविनय प्रस्ताव करता हूँ–

''इस सदन की राय है कि लोकहित में और विधिक वृत्ति के हित में अखिल भारतीय आधार पर एक स्वतंत्र और स्वायत्त बार की आवश्यकता है और यह कि

सरकार को शीघ्रातिशीघ्र इस विषय पर विधान बनाना चाहिए।''

श्री एस. एन. दास द्वारा एक संशोधन पेश है।

श्री एस. एन. दास (बिहार) : महोदय इससे पूर्व कि मैं अपना संशोधन रखूं मैं माननीय मंत्री का वक्तव्य सुनना चाहूँगा।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री संकल्प और संशोधन दोनों की बाबत वक्तव्य देंगे। इसलिए संशोधन पेश किया जाए।

श्री एस. एन. दास : मैं प्रस्ताव करता हूँ:

मूल संकल्प के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए :–

''इस सदन की राय है कि अब समय आ गया है कि भारत सरकार विभिन्न राज्यों में प्रवृत्त विधिक वृत्ति से संबद्ध विधियों के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करे जिससे कि अखिल भारतीय आधार पर एक स्वतंत्र और स्वायत्त बार की आवश्यकता, वांछनीय और व्यावहारिकता अभिनिश्चित की जा सके।''

माननीय उपाध्यक्ष : संशोधन पेश किया गया :–

''इस सदन की राय है कि अब समय आ गा है कि भारत सरकार विभिन्न राज्य में प्रवृत्त विधिक वृत्ति से संबद्ध विधियों के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करे जिससे कि अखिल भारतीय आधार पर एक स्वतंत्र और स्वायत्त बार की आवश्यकता, वांछनीयता और व्यावहारिकता अभिनिश्चित की जा सके।''

डॉ. अम्बेडकर : संसद के उन सदस्यों की जो इस सदन में विधिक वृत्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इच्छा रही है कि एक स्वतंत्र स्वायत्त और अखिल भारतीय बार हो। व्यक्तिगत रूप से मुझे पूर्ण तथा पर्याप्त ख्याल नहीं था कि सदस्यों का इससे ठीक–ठीक क्या मतलब है, जब वे कहते हैं कि वे एक स्वतंत्र और स्वायत्त बार चाहते हैं। किंतु मैं नहीं सोचता कि इस बारे में इस समय कोई चर्चा करने की आवश्यकता है कि स्वतंत्र तथा स्वायत्त बार कैसी हो और इसलिए मेरी राय है कि यह वांछनीय है कि इस मामले में जांच करने हेतु समिति नियुक्त की जाए ताकि इस मसले पर एक बार में पूरी चर्चा हो जाए।

इस मामले में विचार करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि भारत में बार के संबंध में संभवतः छह प्रश्न हैं जिन पर विचार किया जाना अपेक्षित है। एक है संपूर्ण भारत के लिए एक संपूर्ण समान बार की वांछनीयता और व्यावहारिकता, दूसरा काउंसल और सॉलीसीटर या अभीकर्त्ता की दोहरी प्रणाली जो उच्चतम न्यायालय और बंबई तथा कलकत्ता के उच्च न्यायालय में है; तीसरा विधि व्यवसायियों के

विभिन्न वर्गों का बने रहना या बंद हो जाना, जैसे उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता, विभिन्न उच्च न्यायालयों के अधिवक्ता, जिला न्यायालयों के प्लीडर, मुखतार जो केवल दंड न्यायालयों में वकालत करने के हकदार हैं, राजस्व अभिकर्त्ता, आयकर की प्रैक्टिस करने वाले आदि; चौथा या तो संपूर्ण भारत के लिए एकल बार कौंसिल (विधिज्ञ परिषद) या प्रत्येक राज्य के लिए अलग–अलग बार कौंसिल की स्थापना की वांछनीयता और व्यावहारिकता; पाँचवां, उच्चतम न्यायालय के लिए एक अलग बार कौंसिल की स्थापना, और अंतिम विधि व्यवसाय करने वालों के संबंध में केंद्र और राज्य के विभिन्न अधिनियमितियों का समेकन और पुनरीक्षण।

मुझे विश्वास है, मैंने उन सब प्रश्नों को ले लिया है जिन पर विचार किया जाना है ताकि प्रस्ताव के तात्पर्य को प्रभावी बनाया जाए, जो मेरे मित्र श्री मुकुट बिहारी लाल ने अभी हाल में रखा है। जैसा मैंने कहा है, मैंने पहले ही एक समिति नियुक्त करने का फैसला कर लिया था और मैं उच्चतम न्यायालय के साथ पत्र व्यवहार कर रहा हूँ ताकि यह अभिनिश्चित किया जा सके कि क्या उच्चतम न्यायालय इस समिति के अध्यक्ष के रूप कार्य करने के लिए अपने न्यायाधीशों में से किसी एक की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। दुर्भाग्यवश, जैसा माननीय सदस्य जानते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश फिलहाल भारत से बाहर गए हुए हैं इस मामले में और मेरे लिए उनका अंतिम रूप से उत्तर प्राप्त करना संभव नहीं हो पाया है। मुझे बताया गया है कि वे अगले महीने के शुरू में किसी समय आएंगे और जैसे ही वह आते हैं और यह बताते हैं कि समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए वे किस विशिष्ट न्यायाधीश की सेवाएं देने की स्थिति में हैं, समिति नियुक्त की जाएगी और वह कार्य करना प्रारंभ कर देगी। मैं महान्यायवादी, एक प्रमुख राज्य के महाधिवक्ता को, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त करने तथा संसद के एक या दो उन सदस्यों को नियुक्त करने की प्रस्थापना करता हूँ जिन्होंने इस समिति के गठन के विषय में गहरी रुचि ली है।

श्री कॉमथ (मध्य प्रदेश) : कौन–सा प्रमुख राज्य।

डॉ. अम्बेडकर : प्रमुख राज्यों में से कोई एक–जिसका मैंने विनिश्चिय नहीं किया है। प्रमुख राज्य से मेरा अभिप्राय भाग 'क' राज्य से है। मैंने यद्‌यपि अभी विनिश्चित नहीं किया है, मैं यह भी प्रस्थापित करता हूँ कि हमें भाग 'ख' राज्य से एक सदस्य लेना चाहिए, विशिष्ट रूप से राजस्थान से और उस क्षेत्र से जहाँ वह प्रणाली चल रही है जिसके बारे में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है और किसी भी हालत में मैं इससे बिल्कुल भी परिचित नहीं हूँ। इसलिए मैं उस क्षेत्र से समिति में एक प्रतिनिधि लेना चाहूँगा जो हमें यह जानकारी दे कि उस क्षेत्र में बार किस प्रकर कार्य करती है। मैं समिति से लगभग तीन–चार माह में रिपोर्ट देने के लिए

अनुरोध करूँगा ताकि रिपोर्ट प्राप्त होने और उस पर विचार करने के पश्चात् संसद के समक्ष विचारार्थ विधान का प्रश्न लाया जाए। मुझे आशा है, मेरे माननीय मित्र इससे संतुष्ट होंगे और वे संकल्प को वापिस ले लेंगे।

श्री सिधवा (मध्य प्रदेश) : मैं संसद के तीन सदस्यों का सुझाव देता हूँ जिन्हें न्यायिक ज्ञान है।

डॉ. अम्बेडकर : यदि वह चाहें तो मैं श्री सिधवा को सम्मिलित करने के लिए तैयार हूँ। उन्हें एक गैर विधिक सदस्य भी लेना चाहिए क्योंकि वह सामान्य विवेक दे पाएगा।

पंडित एम. बी. भार्गव : क्या इस समिति को इन बार कौंसिलों की शक्तियों, कृत्यों और उनके गठन तथा उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों से उनके परस्पर संबां को निर्दिष्ट करने की स्वतंत्रता होगी?

डॉ. अम्बेडकर : जी हाँ।

पंडित एम. बी. भार्गव : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या इन कौंसिलों में अनुशासनिक अधिकारिता निहित होगी या केवल उच्च न्यायालयों में निहत होगी।

डॉ. अम्बेडकर : जिन्हें मैं विशेष समस्याएं समझता हूँ, जो इस समय कठिनाई उत्पन्न करती हैं, उन्हें मैं पहले ही सदन के समक्ष रख चुका हूँ। आनुषंगिक प्रश्नों पर निस्संदेह विचार किया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष : मुझे विश्वास है एक अनौपचारिक समिति बैठी थी जिसने इस प्रश्न पर विचार करने हेतु माननीय मंत्री से कुछ सिफारिश की थी।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे याद नहीं है। हो सकता है ऐसा हो।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री द्वारा किए गए कथन को ध्यान में रखते हुए मैं नहीं समझता कि संकल्प पर जोर दिया जाए। क्या सदन की इजाजत से प्रस्तावक अपना संकल्प वापिस ले सकते हैं?

संकल्प इजाजत से वापिस लिया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : संशोधन स्वतः ही समाप्त हो गए। अगला संकल्प।

*****

(39)

संसद–सदस्य का आचरण

***गृह मंत्री (श्री राजगोपालाचारी) :** निस्संदेह, विधि मंत्री अधिक आधिकारिक तौर पर बोलेंगे। वह अनुच्छेद जो निर्दिष्ट किया गया है तथा कोई अन्य नियम जिसे सोचा जाए और साधारण अनुक्रम में लागू करने के लिए शब्दों में रखा जाए। तथापि साधारण सिद्धांत हैं जो हर प्रक्रिया के लिए मार्गदर्शक का काम करते हैं जिनमें न्यायिक प्रक्रिया का गुण होता है। किसी विधि या नियम का अवश्य निर्वचन किया जाए तथा उसे लागू किया जाना चाहिए ताकि विधि स्वयं में परिसीमित न हो। यहाँ ऐसा मामला है, जहाँ सदस्य के आचरण के बारे में पूछताछ करने के लिए कार्यवाहियाँ प्रारंभ हो चुकी थीं। मुझे यह मूलभूत साधारण सिद्धांत का मामला प्रतीत होता है कि संसद का उद्देश्य और उसकी प्रक्रिया इस तरह के तकनीकी कार्य द्वारा परिसीमित नहीं की जा सकती। इसमें वह आता है जो श्री संथानम ने कहा है कि वहाँ 'यथाशीघ्र' शब्द नहीं हैं जो स्वतः रिक्ति हो जाएं। मामले में किसी तकनीकी दोष के अलावा मेरा यह निवेदन है कि साधारण सिद्धांत महत्वपूर्ण है कि विधि, विधि के उद्देश्यों के लिए आशयित होती है, न कि उसे परिसीमित किया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : हमें माननीय विधि मंत्री को सुनना है।

डॉ. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : यह प्रश्न मेरे समक्ष अचानक आया है इसलिए मैं केवल यह कह रहा हूँ, कि यदि मैं ऐसा कहूँ तो अनुच्छेद 101 खण्ड (3) को पढ़ने के पश्चात् मेरी प्रथम धारणा है। स्थान उन कारणों से खाली हो सकता है जो अनुच्छेद 101 और 102 में विनिर्दिष्ट किए गए हैं। अनुच्छेद 101, खण्ड (3) का उपखंड (ख) संसद के सदस्य द्वारा त्याग–पत्र को निर्देशित करता है, यह वह खंड है जिसके अधीन माननीय सदस्य ने, जिसका आचरण जांच की विषय–वस्तु है, कार्यवाही की है। एक अन्य अनुच्छेद भी है जो सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के कारण निरर्हता के बारे में है। यदि सदस्य अनुच्छेद 102 में उल्लिखित शर्तों में से किसी एक में आता है तो वह भी स्थान खाली करता है। जो प्रश्न विचारार्थ उत्पन्न होता

---

* संसदीय वाद–विवाद, खड–14, भाग–II, 27 अगस्त, 1951, पृ. 3247–48

है वह यह है कि क्या अनुच्छेद 101 और 102 निःशेषी हैं अथवा क्या संविधान में कोई दूसरा ऐसा अनुच्छेद है जो स्वतंत्र रूप से लागू हो सकता है यद्यपि मामला अनुच्छेद 101 और 102 के अंतर्गत नहीं आता हो। मेरा निवेदन है कि अनुच्छेद 105 (3) सीट को खाली कराने की बाबत संसद को दी गई अतिरिक्त शक्ति है और यह अनुच्छेद 101 और 102 में अंतर्विष्ट किसी बात से समाप्त नहीं होती।

यह ऐसा मामला है जिसमें सदस्य ने विशेषाधिकार भंग किया है और सदन अपने आप इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विशेषाधिकार भंग किया गया है और मामला इतना गंभीर है कि निष्कासन का आदेश दिया जा सकता है तो सदन अनुच्छेद 105 (3) के अधीन निष्कासन का आदेश दे सकता है। अनुच्छेद 105 (3) में उल्लिखित होने के कारण सदन ऐसा करने के लिए सक्षम है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि संसद की शक्तियाँ आदि हाउस ऑफ कामन्स की शक्तियों जैसी होगी और मेज़ पार्लियामेन्टरी प्रैक्टिस के प्रति निर्देश से मेरे विचार में यह दर्शित होगा कि निष्कासन हाउस ऑफ कॉमन्स की शक्तियों में से एक है, उन शक्तियों में से एक शक्ति यह है, जो रखती है वह है विशेषाधिकार के भंग के लिए दंडित करना। इसलिए निष्कासन का आदेश देकर सीट खाली कराने की शक्ति अनुच्छेद 105 (3) के अधीन है और वह अनुच्छेद 101 और 102 में अंतर्विष्ट उपबंधों द्वारा किसी भी रूप में निराकृत नहीं होती। एकमात्र प्रश्न जो विचारार्थ उत्पन्न होता है वह है कि क्या संसद के विशिष्ट आदेश द्वारा अनुच्छेद 105 के उपबंधों के अधीन माननीय सदस्य के विरूद्ध पहले ही प्रारंभ की गई कार्यवाहियाँ समाप्त हो जाएंगी, यदि सदस्य अनुच्छेद 101 के उपबंधों के अधीन अपना त्याग–पत्र देना चाहता है। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि माननीय सदस्य अनुच्छेद 101 का रास्ता अपनाकर अनुच्छेद 105 के अधीन कार्यवाहियों को बंद नहीं करवा सकता। ये कार्यवाहियाँ इस तथ्य के होते हुए भी अवश्य जारी रहनी चाहिए कि माननीय सदस्य ने अनुच्छेद 101 के अधीन अपना त्याग–पत्र दे दिया है, और वास्तव में अपनी कार्यवाहियों द्वारा संसद के लिए उसको सीधे ही दंड देना संभव नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य के त्याग–पत्र के होते हुए भी संसद को उन कार्यवाहियों को आगे चलाने की स्वतंत्रता है जो कि पहले ही अनुच्छेद 105 के अधीन प्रारंभ की जा चुकी हैं।

श्री संथानम : जो कुछ विधि मंत्री ने कहा है, मैं उसमें एक शब्द और जोड़ूंगा। ''त्याग–पत्र'' शब्द का एकमात्र अर्थ यह है कि त्याग–पत्र के प्रभावी होने से पूर्व इस संबद्ध प्राधिकारी द्वारा औपचारिक रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए। अन्यथा सभी प्रकार की जटिलताएं उत्पन्न होंगी। मान लीजिए, आपके घर में कोई पत्र दिया जाता है, और आप वहाँ नहीं हैं। और आप बाद में चार दिन बाद आते हैं। क्या इससे

यह समझा जा सकता है कि यह उस दिन प्रभावी हो गया जब इसे आपके घर दिया गया था? ऐसे मामलों में मेरे द्वारा किया गया अर्थ ही वास्तविक अर्थ है।

माननीय उपाध्यक्ष : किंतु हम उस प्रश्न पर नहीं हैं।

***पंडित मैत्रा (पश्चिमी बंगाल) :** महोदय, मैं चाहता हूँ कि आप और सदन के माननीय सदस्य ध्यानपूर्वक इस बात को मस्तिष्क में रखें कि अब जो हम कार्यवाही कर रहे हैं, उसका कोई पूर्वोदाहरण नहीं हैं। संविधानिक विधि का एक प्रश्न उठाया गया है और यह बहुत महत्व का है। मेज़ पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में भी इस तरह का कोई पूर्वोदाहरण नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर : हाँ, ठीक है।

पंडित मैत्रा : मैं जानता हूँ मेज़ के पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस में शास्ति के कुछ प्रकार अधिकथित हैं, अर्थात्, परिनिंदा, भर्त्सना, जेल में डालना, आदि—ये सब चीजें, कोई नई नहीं हैं, जो प्रश्न मेरे माननीय मित्र गृह मंत्री ने उठाया है, यदि उस पर तर्कसंगत ढंग से देखें तो यह है कि जब एक बार कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है वह कभी समाप्त नहीं हो सकती। क्या यही विधिक स्थिति है? इससे यह बात सामने आ रही है कि यदि माननीय सदस्य का कल देहाँत हो जाता, मैं एक काल्पनिक मामला ले रहा हूँ, तो क्या उस मामले में भी कार्यवाही आगे चलती? अपना विनिश्चय देते हुए मैं अध्यक्ष महोदय से इन बातों को ध्यान में रखने के लिए कह रहा हूँ। यह सांविधानिक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि क्या सदस्य स्वयमेव अध्यक्ष को अपना त्याग—पत्र देते ही सीट खाली कर देता है। मैं अपने माननीय मित्र श्री संथानम की इस बात से सहमत नहीं हूँ कि त्याग—पत्र प्रस्तुत किए जाने और उसके स्वीकार किए जाने के बीच कुछ समय का अंतराल होना चाहिए। संविधान में कहीं भी यह उपबंध नहीं किया गया है कि यह स्वीकार किया जाना चाहिए अथवा यह कि आप इसे स्वीकार करें या स्वीकार न करें। विधि उपबंध करती है, संविधान में यह उपबंध किया गया है, कि जिस क्षण कोई अपना त्याग—पत्र लिखित रूप में आपको देता है तो वह तभी प्रभावी हो जाता है और इस मामले में, महोदय, इस सदन की अध्यक्षता करते समय आपको व्यक्तिगत रूप से त्याग—पत्र दिया गया था। संविधान में कहीं भी यह उपबंध नहीं किया गया है कि समय अंतराल होना चाहिए। इसलिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या जब कोई माननीय सदस्य संसद के पटल पर अपना त्याग—पत्र अध्यक्ष के हाथ में देता है तो क्या वह तत्काल अपना स्थान खाली कर देता है। यदि वह अपनी सीट खाली कर देता है तो इस प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। इस मामले पर विचार

---

* संसदीय वाद—विवाद, खड—14, भाग—II, 24 सितंबर, 1951, पृ. 3251—54

किया जाना है। मैं आपके विनिर्णय की आलोचना नहीं कर रहा है (व्यवधान)। अवश्य ही मेरे मित्र कुर्सी पर बैठ सकते हैं किंतु इसी क्षण मैं उनके निर्वचन को स्वीकार नहीं करता हूँ। महोदय, हमें सावधानीपूर्वक अपना मस्तिष्क लगाना है क्योंकि हम भविष्य में मार्गदर्शन के लिए पूर्वोदाहरण अधिकथित कर रहे हैं। मेदी दिलचस्पी उस दृष्टि से है न कि मामले के गुणावगुण की दृष्टि से। संसदीय समिति ने इस मामले पर अधिक समय देते हुए और अत्यधिक शक्ति से सविस्तार विचार किया है। किस उद्देश्य से? ताकि इस संपूर्ण प्रश्न की जांच की जा सके, चर्चा हो सके से इसके विनिश्चित किया जा सके। माननीय सदस्य ने अपना कथन रखने के बाद सीधे ही त्याग–पत्र दे दिया और सदन छोड़कर चले गए। प्रश्न यह है कि क्या आप यह आधार लेते हैं कि जब एक बार कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है तो उसमें कभी बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकती, अथवा यदि संबद्ध व्यक्ति के किसी स्वैच्छिक कार्य के कारण; या दुर्घटना अथवा मृत्यु के कारण उस व्यक्ति को दृश्य से हटा दिया जाता है तो क्या कार्यवाही चालू रहेगी। अपना विनिर्णय देने से पूर्व आप इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करें क्यों कि यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इस संसद के इतिहास में आप पहली बार नज़ीर रख रहे हैं, जो भविष्य के लिए मार्गदर्शक होगी।

डॉ. अम्बेडकर : आपकी इजाजत से मैं एक या दो शब्द इसमें जोड़ता हूँ जैसा मैंने पहला कहा था, क्योंकि मैं यह महसूस करता हूँ कि संभवतः मेरा वक्तव्य बिल्कुल भी इतना पूर्ण नहीं है जितना यह होना चाहिए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि मेरे माननीय मित्र पंडित मैत्रा ने यह प्रश्न उठाया है, मैं सोचता हूँ, इस मामले की बाबत हमारे मस्तिष्क का स्पष्ट होना वांछनीय है। कया मेरे माननीय मित्र मुझे क्षमा करेंगे, मैं मामले को कुछ तकनीकी विधिक रीति में रखूंगा और वह इस प्रकार है। जब किसी सदस्य पर विशेषाधिकार के भंग का आरोप है और कार्यवाहियों के समाप्त होने से पूर्व ही वह त्याग–पत्र दे देता है तो क्या यह ऐसा मामला है जिसमें उस पर संसद की अधिकारिता खत्म हो गई है क्योंकि उसने त्याग–पत्र दे दिया है। मैं सोचता हूँ हमें इसी प्रश्न पर विचार करना है और वही प्रश्न है जो मेरे माननीय मित्र ने उठाया है, यद्यपि उन तकनीकी शब्दों में नहीं। उस प्रश्न का उत्तर यह है कि अवमानना के लिए, लोगों को सजा देने के लिए या लोगों के विरुद्ध कार्यवाहियाँ करने के लिए यह अवमानना का मामला है– जो संसद के सदस्यों तक ही सीमित नहीं है अपितु इसका विस्तार जनता के लोगों तक है जिन्होंने संसद की अवमानना की है। और एक छोटा सा पैरा पढ़ूंगा, जो मैंने 'मे महोदय' से सावयव लिया है :–

''सदनों की दांडिक अधिकारिता उनके अपने सदस्यों तक ही और उन अपराधों तक ही सीमित नहीं है जो उनकी आसन्न उपस्थिति में किए जाते हैं। अपितु, इसका विस्तार सदनों के सभी अवमाननाओं तक होता है भले ही वे सदस्यों द्वारा या उन

व्यक्तियों द्वारा हों, जो सदस्य नहीं हैं। भले ही अपराध सदन के भीतर किया गया हो या उसकी चारदीवारी के बाहर।''

अतः अवमानना से, जो विशेषाधिकार के भंग का एक पहलू है, स्वयं अपने संरक्षण के लिए संसद की अधिकारिता संसद के सदस्यों तक ही सीमित नहीं है। इसका विस्तार सभी नागरिकों तक है। कोई नागरिक कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो सदन के विशेषाधिकार के अवमानना की कोटि में आए। इसलिए यदि तर्क की दृष्टि से हम यह मानते हैं कि श्री मुद्गल का त्याग–पत्र जो आपको दिया गया है अब तत्काल प्रभावी हो गया है, मेरे इस निवेदन के बावजूद कि उसके विरुद्ध इस सदन की अधिकारिता कार्यवाही को अग्रसर करने के लिए बनी रहती है। वे इससे बच नहीं सकते। दंड का क्या रूप हो यह एक भिन्न मामला है, जिस पर उस समय विचार किया जा सकता है जब हम उस पर वास्तव में आएंगे। यदि मेरे माननीय मित्र पंडित मैत्रा की दलील यह है कि अपना त्याग–पत्र देकर आप संसद की अधिकारिता से बच जाते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि यह बिल्कुल गलत हैं।

पंडित मैत्रा : मैं इसे भिन्न तरीके से रखता हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : मैंने उस रूप में रखा है जो अधिक बोधगम्य है।

पंडित मैत्रा : एक बार जब कार्यवाही प्रारंभ हो जाती है तो किसी का भी यह पक्षकथन नहीं हो सकता कि इसे कभी नहीं रोका जा सकता।

डॉ. अम्बेडकर : जब तक अधिकारिता विद्यमान रहती है, कार्यवाही चलती रह सकती है।

सरदार बी. एस. मान : व्यवस्था के मुद्दे पर। वह प्रस्ताव, जिस पर चर्चा हो रही है, तब अनुज्ञेय था जब इसे पुरःस्थापित किया गया था किंतु अब पश्चात्वर्ती घटनाओं से यह अननुज्ञेय हो गया है। मैं इस पर आपका विनिर्णय चाहता हूँ।

आप देखेंगे कि प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट रूप से यह कहा गया है :–

''कि यह सदन संसद–सदस्य श्री एच. जी. मुदगल के आचरण की जाँच करने के लिए 8 जून, 1951 को नियुक्त समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद.......''

इसलिए प्रश्न संसद की अधिकारिता का नहीं है। हम ''संसद–सदस्य'' के आचरण पर चर्चा कर रहे हैं और श्री मुदगल अब ''संसद–सदस्य'' नहीं हैं। अतः मेरी दलील है कि प्रस्ताव प्रारंभ में ग्रहण करने योग्य था किंतु पश्चात्वर्ती घटनाओं के कारण यह इस दौरान अननुज्ञेय हो गया है और अब हम इस प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए अग्रसर नहीं हो सकते।

श्री राजगोपालाचारी : इस पर इस रीति में हम जितनी बहस करते हैं मेरे

मस्तिष्क में यह उतनी ही स्पष्ट हो गई है कि इसका परिसीमन अनुज्ञात नहीं किया जा सकता। उन शब्दों और रीति, जिनमें प्रश्न किए जाते हैं, यह प्रकट होता है कि वह परिसीमन के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। डॉ. अम्बेडकर ने जो कहा, उसे जारी रखते हुए यह याद रखना चाहिए कि ''मे'' में दंड अतिरिक्त है। इसमें का गया है :–

''सदस्यों द्वारा हाउस आफ कॉमन्स के विरुद्ध किए गए अवमान के मामले में दो अन्य शास्तियाँ उपलब्ध हैं..........।'' निष्कासन ही एकमात्र शास्ती नहीं है।

''............सामान्यतः सदन की सेवा से निलंबन तथा निष्कासन...............।''

निष्कासन सदस्यों के विरुद्ध किसी एक नियम की सजा के अलावा एक अतिरिक्त उपलब्ध शास्ति है जिसे सदन किसी के विरुद्ध जो, अवमान का दोषी है, पारित करने क लिए सक्षम है। अब कुछ सदस्यों की राय में निष्कासन असंभव हो सकता है, क्योंकि वह सदस्य नहीं रहा है इसलिए सदन को दूसरे किस्म के दंड पर विचार करना होगा। दोष और कार्यवाहियाँ उस व्यक्ति के कृत्य द्वारा समाप्त नहीं हो सकतीं, जिस पर आरोप लगाया गया है।

***माननीय उपाध्यक्ष :** अब हम विधि मंत्री को सुन लें।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मेरे मित्र श्री नजीरुद्दीन अहमद द्वारा प्रस्तावित संशोधन का वास्तव में श्री मुदगल के त्याग–पत्र के साथ कुछ लेना–देना नही है। संशोधन त्याग–पत्र से बहुत पहले प्रस्तुत किया जा चुका था।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : मुझे यह प्रस्ताव नहीं रखना था। मैंने पहले ही प्रस्ताव न लाने पर विनिश्चय कर लिया था और मैंने प्राइवेट रूप से सरकारी सचेतक को वह राय बता दी थी; किंतु मैंने उसका प्रस्ताव साधारण रूप से नहीं, अत्यावश्यकता के कारण किया था। जब मैंने संशोधन सदन के पटल पर रखा तो यह इस गलत धारणा के अधीन था कि सदन की अधिकारिता नहीं है। किंतु बाद में मैंने पाया कि सदन की पूरी अधिकारिता है और मैंने इस प्रस्ताव को न रखने का विनिश्चय किया था। बाद में त्याग–पत्र की इस अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा यह सुसंगत हो सकता है यद्यपि उस समय जब मैंने सदन के पटल पर संशोधन रखा था मेरा ऐसा प्रयोजन नहीं था।

डॉ. अम्बेडकर : मैं अपने माननीय मित्र का हेतु और प्रयोजन नहीं समझा।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : नहीं, कभी–कभी यह कठिन होता है।

---

* संसदीय वाद–विवाद, खड–14, भाग–II, 25 सितंबर, 1951, पृ. 3271–75

डॉ. अम्बेडकर : किंतु यह तथ्य शेष रहता है कि संशोधन श्री मुद्गल के त्याग–पत्र से बहुत पहले दिया गया था और संशोधन का प्रयोजन निस्संदेह उस दंड को कम करना था जो उस मूल प्रस्ताव में प्रस्तावित था, जो माननीय प्रधान मंत्री द्वारा रखा गया था, अब जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है वह यह है– क्या श्री मुद्गल के त्याग–पत्र को ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यथा प्रस्तावित प्रस्ताव को उसके मूल रूप में लाया जाए या क्या कोई पश्चात्वर्ती संशोधन आवश्यक है। संपूर्ण प्रश्न दूसरे मुद्दे पर लटका प्रतीत होता है अर्थात् क्या श्री मुद्गल का त्याग–पत्र ठीक है ताकि इसे त्याग–पत्र के रूप में स्वीकार किया जा सके और तत्काल प्रभावी हो सके। महोदय, आपसे मेरा यह निवेदन है कि त्याग–पत्र का कार्य या तो त्याग–पत्र के आधारों को अभिव्यक्त किए बिना या सदन पर कोई लांछन लगाए बिना कि माननीय सदस्य ने त्याग–पत्र क्यों दिया, त्याग–पत्र का साधारण कृत्य होना चाहिए। जब प्रश्न पीछे उठाया गया था तो आपने कृपापूर्वक कहा था कि त्याग–पत्र को स्वीकार करने के लिए आप स्वतंत्र हैं किंतु इस तथ्य के अधीन श्री मुद्गल द्वारा प्रयुक्त कुछ शब्दों और वाक्यों को निकाला जाए तथा इस प्रकार मिटाने के परिणामस्वरूप त्याग–पत्र को उचित बनाया जाए। महोदय, आपसे मेरा यही निवेदन है। निस्संदेह यह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या उस बाबत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठा कोई व्यक्ति चर्चा के किसी भाग को जो मान हानिकारक, अशिष्ट या असंसदीय या मर्यादाहीन हो, निकालने के लिए स्वतंत्र है किंतु जो प्रश्न मैं पेश करना चाहता हूँ वह यह है कि अभिलेख के किसी भाग को निकालने के लिए अध्यक्ष का प्राधिकार केवल चर्चा के दौरान न कही गई किसी बात से संबंधित है। मैं प्रक्रिया के नियमों के नियम 176 को पढ़ना चाहता हूँ। नियम 176 कार्यवाहियों की रिपोर्ट के बारे में है। नियम 176–क विषय को निकालने के बारे में है तथा यह कहता है:–

पूर्वाह्न 10.00 बजे

" यदि अध्यक्ष की राय है कि चर्चा में एक या दो ऐसे शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या मर्यादाहीन है तो वह विवेक से यह आदेश कर सकेंगे कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सदन की कार्यवाहियों से निकाल दिए जाएँ।"

जैसा कि आप देखेंगे, यह नियम चर्चा के दौरान कही गई किसी भी बात तक सीमित है। मेरा ससम्मान निवेदन है कि श्री मुद्गल द्वारा दिया गया त्याग–पत्र शब्द के अर्थ को खींचकर चर्चा के दौरान की गई किसी बात के रूप में नहीं समझा जा सकता। इसलिए यह सदन की कार्यवाहियों से बिल्कुल बाहर है और इसीलिए अध्यक्ष को उन शब्दों को निकालने की कोई शक्ति नहीं है जो स्वीकृततः (मेरा विश्वास है) सदन तथा सरकार दोनों ही राय में ऐसे हैं जो नियम 176–क में उल्लिखित आधारों पर निकाले जाने योग्य नहीं हैं। अतः नियम 176 क श्री मुद्गल द्वारा दिए

गए त्याग–पत्र को लागू करने के लिए उसमें अंतर्विष्ट उपबंधों को लागू करने के लिए अध्यक्ष अनुज्ञात नहीं होंगे।

इसलिए आवेदन को उसके किसी शब्द को निकाले बिना उसी रूप में लेना चाहिए तथा मेरा निवेदन यह है कि आवेदन त्याग–पत्र का आवेदन नहीं समझा जाना चाहिए (व्यवधान)।

पंडित कुंजरू (उत्तर प्रदेश) : व्यवस्था के प्रश्न पर।

डॉ. अम्बेडकर : मैंने समाप्त नहीं किया है।

माननीय उपाध्यक्ष : वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। हमें पहले उन्हें सुनना चाहिए।

पंडित कुंजरू : महोदय कल आपने व्यवस्था दी थी कि आपकी अंतिम राय यह है कि त्याग–पत्र प्रभावी हो गया था। क्या अब उस प्रश्न पर चर्चा की स्वतंत्रता है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता।

पंडित कुंजरू : उपाध्यक्ष महोदय ने कल ऐसा कहा था।

डॉ. अम्बेडकर : जहाँ तक मुझे याद है, यह अंतिम नहीं था।

पंडित मैत्रा (पश्चिमी बंगाल) : महोदय, आपने कल यह कहा था कि प्रस्ताव का प्रभावी भाग आस्थगित रखा जाए। यह आपका विनिर्णय था और यह वह सब था जो आपने कहा था। मेरे द्वारा उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या ज्योंही श्री मुद्गल का त्याग–पत्र आया और आपको दिया गया त्यों ही उसने सदन में अपनी सीट खाली कर दी थी या नहीं? उठाया गया यह मुख्य प्रश्न था और पंडित कुंजरू की बात से जो समझ आता है पहले आपकी भी यह राय थी कि त्याग–पत्र प्रभावी हो गया था।

डॉ. अम्बेडकर : उसने कहा था विचार के अध्यधीन।

पंडित कुंजरू : मैं सोचता हूँ कि अभिलेख इसे दर्शाएगा।

गृह मंत्री (श्री राजगोपालचारी) : महोदय, मैं सोचता हूँ और अभिलेख इस बात को दर्शाएगा कि आपने निश्चित रूप से यह कहा था कि विचार करने के लिए आप समय लेंगे।

पंडित कुंजरू : फिर भी प्रश्न यह है कि आपको यह विचार करना था कि प्रधानमंत्री द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर बिना किसी संशोधन के सदन में विचार किया जा सकता है या कोई संशोधन लाया जाना चाहिए और इसमें आगे क्या कार्यवाही की जा सकती है। किंतु जहाँ तक स्वयं त्याग–पत्र का संबंध है, आपने अनुच्छेद 101 की ओर ध्यान आकर्षित किया था और यह कहा था कि आपके मस्तिष्क में इस

बाबत कोई संदेह नहीं है कि त्याग–पत्र अंतिम था और प्रभावी हो गया था।

एक माननीय सदस्य : नहीं महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं अभिलेख से पढूँगा। यही हुआ था।

माननीय उपाध्यक्ष : मैंने काफी सुन लिया मैंने सदन को पहले ही बता दिया है कि जहाँ तक प्रभावी भाग का संबंध है, क्या कार्यवाही की जानी है जिस पर फुर्सत से चिार किया जाना चाहिए। मैं उस मामले पर विचार करूंगा। जैसा कि मैंने 'में महोदय' कृत पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के उस भाग को पहले ही निर्दिष्ट किया था, किसी सदस्य का निष्कासन या उसका निलंबन एक अतिरिक्त उपचार है क्योंकि वह संसद का सदस्य है। कोई भी सदन के अंदर या बाहर सदन का अवमान कर सकता है। मात्र इसलिए, कि वह सदस्य है, अन्य व्यक्ति की अपेक्षा उस पर हमारी अधिक अधिकारिता है। जहाँ तक अन्य व्यक्ति का संबंध है, वह बाहर का है, उन्हीं परिस्थितियों में हम उसको निष्कासित या निलंबित नहीं कर सकते क्योंकि वह सदस्य नहीं है। अतः इसके साथ क्या कोई सदस्य है या बाहर का है, सदन का अवमान कर सकता है। जहाँ तक उपचार का संबंध है वह केवल यह है कि परिवर्तित परिस्थितियों में उस उपचार में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए। किंतु हम इस प्रस्ताव को हाथ में लेने की स्थिति से मुक्त नहीं हैं क्योंकि वह पहले ही पेश किया जा चुका है। जब वह शुरू में बिल्कुल ठीक था तो मैं नहीं समझता कि एकपक्षीय त्याग–पत्र या सदन से हटने से सभी आगामी कार्यवाहियाँ समाप्त की जा सकती हैं।

दूसरे मामले के बारे में मैं फुर्सत से विचार करूंगा। जो कोई अब बोलना चाहते हैं, वे यह धारणा न रखें कि मैं सुनूंगा नहीं। वह सदन के पटल पर नहीं है जो मैं उसे सुनूँ। वह मुझे अपनी राय संसूचित कर सकता है।

पंडित मैत्रा : किस पर? गुणागुण में हमारी रुचि नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : सभी मामले; जब त्याग–पत्र प्रभावी होता है, मात्र इसलिए कि सदस्य ने त्याग–पत्र दिया है, जब उसका आचरण सदन के समक्ष लाया गया है। तो क्या मात्र उसके त्याग–पत्र से सदन की अधिकारिता खत्म हो जाती है– विशेषकर तब जब वह उन व्यक्तियों पर भी अधिकारिता रखता है जो इस सदन के सदस्य नहीं है, यदि वे सदन का अवमान करते हैं। वह प्रश्न है जो माननीय सदस्यों को नोट करना हैं। यदि कोई व्यक्ति सदन से बाहर सदन का अवमान करता है तो त्याग–पत्र का प्रश्न नहीं है। सदन फिर भी अपने आपको बेकार नहीं मानेगा और उसके विरुद्ध अग्रसर होगा। क्या मात्र त्याग पत्र से स्थिति बदल जाती है। यह ऐसी स्थिति है जिस पर हमें विचार करना है। इस समय मैं नहीं समझता कि स्थिति बदल गई है सिवाय उपचार संबंधी भाग के और वह है कि कौन–सा उपचार लागू किया जाना है।

***ख़्वाजा इनायतुल्ला (बिहार) :** क्या श्री मुद्गल अब सदन के सदस्य हैं या नहीं?

माननीय उपाध्यक्ष : वास्तव में यही बात हम विनिश्चित कर रहे हैं। मेरा मत है कि वह अब सदस्य नहीं है। मैं यह दर्शाने के लिए कोई भी तर्क सुनने को तैयार हूँ कि वह सदस्य बने हुए है। और इसीलिए प्रभावी भाग भी ठीक है।

जहाँ तक पूर्ववर्ती भाग का संबंध है, मैंने इसके विपरीत कोई नज़ीर नहीं देखी है कि एक बार जब सदन के हाथ में अवमान का मामला है तो दूसरे व्यक्तियों की मात्र एकपक्षीय कार्यवाही से उसकी (सदन की) अधिकारिता समाप्त हो जाएगी। जहाँ तक प्रभावी भाग का संबंध है, यदि उसने पहले ही त्याग–पत्र दे दिया है तो निष्कासन का प्रश्न नहीं है। यदि उसने त्याग–पत्र नहीं दिया है, तो निष्कासन का प्रश्न आता है। इसलिए यह एक संकीर्ण प्रश्न है कि इस सदन द्वारा प्रभावी भाग कैसे पारित किया जा सकता है। मैं विधि मंत्री को और किसी भी अन्य माननीय सदस्य को सुनना चाहूँगा जो इस मामले में बोलना चाहेंगे।

डॉ. अम्बेडकर : महोदय, अब तक मैंने निवेदन किया है कि कतिपय अंशों को निकालने से त्याग–पत्र विधिमान्य नहीं हो जाएगा, क्योंकि नियम 176–क के अधीन निकालने की शक्ति केवल कार्यवाहियों तथा चर्चा तक सीमित है। त्याग–पत्र चर्चा और कार्यवाहियों का भाग नहीं है।

मेरा दूसरा निवेदन बिल्कुल भिन्न किस्म का है और वह यह है। जब त्याग–पत्र के औचित्य के बारे में प्रश्न उद्भूत होता है तो उसका विनिश्चय करने के लिए कौन प्राधिकारी है? मेरा निवेदन है कि जब कोई ऐसा प्रश्न पैदा होता है तो इसे विनिश्चित करने वाला प्राधिकारी स्वयं सदन है। महोदय, आप मुझे इस भाषण को निर्दिष्ट करने की अनुज्ञा देंगे जो मैंने श्री कॉमथ द्वारा लाए गए संशोधन पर इसी प्रश्न के बारे में संविधान सभा में दिया था। मैंने कहा था कि वास्तव में त्याग–पत्र संसद को प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि त्याग–पत्र का प्रयोजन उस निकाय से अपने आपको अलग करना है, अर्थात्, संसद से, जिसके लिए उसे चुना गया था। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष सदन के संसूचना के माध्यम मात्र हैं। चर्चा के दौरान मैंने यह कहा था कि यद्यपि सैद्धांतिक रूप से त्याग–पत्र संसद कहे जाने वाले लोगों के एक सामूहिक निकाय के लिए है, किसी सदस्य के लिए, जो त्याग–पत्र देना चाहता है, सदन के 292 या 295 सदस्यों को अपना त्याग–पत्र भेजना बिल्कुल असंभव है। इसलिए जहाँ तक इसका संबंध है कि वह संप्रेषण माध्यम से अपनी इच्छाओं को संसूचित कर रहा है वह संसद से अपने आपको अलग करना चाहता है, उस हद तक अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति है जिसको त्याग–पत्र प्रस्तुत किया जाना है। किंतु यदि

---

* संसदीय वाद–विवाद, खड–14, भाग–II, 25 सितंबर, 1951, पृ. 3277–79

इस बाबत प्रश्न उठता है कि क्या त्याग–पत्र विधिमान्य रूप में है या नहीं, तो मैं सोचता हूँ यह मामला स्वयं सदन को विनिश्चित करना है।

पंडित मैत्रा : यह संविधान में कहाँ उपबंधित है? हर बात संविधान में उपबंधित होनी चाहिए। कृपया यह मत भूलें कि इस देश के लिए आपके पास लिखित संविधान है।

डॉ. अम्बेडकर : अतः मेरा निवेदन यह है कि यदि त्याग–पत्र का कोई भाग निकाला नहीं जा सकता है और वह उस पत्र का भाग अवश्य रहेगा तथा प्रश्न यह उठाया जाता है कि क्या त्याग–पत्र इसके मूल रूप में विधिमान्य है या नहीं, तो मैं सोचता हूँ इस पर सदन ही विनिश्चय करेगा कि श्री मुद्‌गल का त्याग–पत्र विधिमान्य है या नहीं। ये दो निवेदन हैं जो मैं इस प्रश्न की बाबत करना चाहता हूँ कि श्री मुद्‌गल का त्याग–पत्र विधिमान्य है और प्रभावी हो गया है इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा लाए गए प्रस्ताव का अंतिम भाग निष्फल हो गया है। संपूर्ण बात की यहीं सुसंगतता है। जिस बारे में हमें विचार करना है वह यही है :– क्या माननीय प्रधानमंत्री द्‌वारा लाए गए प्रस्ताव का अंतिम भाग श्री मुद्‌गल के त्याग–पत्र के कारण निष्फल हो गया है, क्योंकि सदन के लिए ऐसा कुछ करने के लिए अग्रसर होना उचित नहीं होगा, जिसको वह कोई विधिक प्रभाव नहीं दे सकता। मेरा निवेदन है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि श्री मुद्‌गल का त्याग–पत्र एक विधिमान्य पत्र नहीं है, श्री मुद्‌गल फिर भी सदन के सदस्य बने रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री द्‌वारा लाए गए प्रस्ताव का अंतिम भाग, श्री मुद्‌गल के संबंध से प्रभावी बनाया जा सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष : हम यह धारणा करेंगे कि एक माननीय सदस्य अपना त्याग–पत्र देता है– यह श्री मुद्‌गल का मामला नहीं है– और इसके कुछ क्षण बाद वह यह कहते हुए अध्यक्ष को अन्य पत्र लिखता है कि वह इसे वापिस लेना चाहता है। क्या उसे वापिस लेने के लिए उपबंध है? क्या मैं उसे सदन में बैठने और मत देने के लिए इजाजत दे सकता हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : नहीं। जब तक पहला मामला नहीं निपटाया जाता है।

पंडित मैत्रा : इस मामले में निपटाने का साधारण अर्थ सभापति या अध्यक्ष को त्याग–पत्र प्रस्तुत करना है। संविधान में इससे भिन्न कुछ अनुध्यात नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या त्याग–पत्र के लिए संविधान में कोई प्ररूप विहित है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि है।

*****

(40)

प्रवर समिति की बैठकें

***विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) :** मैं नियम 65 के उपनियम (3) के अधीन यह विनम्र रिपोर्ट करता हूँ कि नोटरी विधेयक पर विचार करने के लिए सदन द्वारा नियुक्त प्रवर समिति लगातार दो दिन बैठक करने में असफल रही है।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री ने मात्र तथ्य सूचित किया है– इसके बाद ठोस प्रस्ताव आ सकता है जो वह रखना चाहें।

डॉ. अम्बेडकर : फिलहाल मैं मात्र नियम 65 के उपनियम (3) द्वारा यथापेक्षित रिपोर्ट करने का प्रस्ताव रखता हूँ। यह सदन को विनिश्चत को करना है कि क्या सदन उस प्रवर समिति को कार्यमुक्त करेगा, जो नियुक्त की गई है और अग्रसर होगा।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या मैं प्रवर समिति के किसी माननीय सदस्य से पूछ सकता हूँ कि वास्तविक स्थिति क्या है?

पंडित ठाकुरदास भार्गव (पंजाब) : मैं प्रवर समिति का सदस्य हूँ.......

डॉ. अम्बेडकर : मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं प्रवर समिति के असफल रहने के लिए सदस्यों पर कोई लांछन नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि वे अन्य अनेक प्रवर समितियों में व्यक्त हैं, जिनकी साथ–साथ बैठक होती हैं किंतु नियम प्रवर समिति के अध्यक्ष पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वह इस सदन को रिपोर्ट करे। मैं सदन के ध्यान में इस मामले को लाने के लिए औपचारिक प्रस्ताव ला रहा हूँ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मैं यह निवेदन कर रहा था कि जहाँ तक इस प्रवर समिति का संबंध है, इसकी बैठकें ऐसे समय पर हुईं जब सदस्य संभवतः उनमें उपस्थित नहीं हो सकते थे। हम अनेक प्रवर समितियों के सदस्य हैं और हमें यह विकल्प है कि समिति में उपस्थित हों। कल भी, मुझे इस वित्तीय निगम विधेयक

---

* संसदीय वाद–विवाद, खड–14, भाग–II, 28 सितंबर, 1951, पृ. 2617–18

में कुछ संशोधन के लिए प्रस्ताव लाना था किंतु मैं एक अन्य समिति में कार्यरत था इसलिए सदन में उपस्थित नहीं हो सका और उसके लिए मैंने आप की अनुज्ञा ले ली थी। चूंकि मैं समझता हूँ वे संशोधन लाने के लिए अनुज्ञात नहीं किए गए थे, क्या वे अब अनुज्ञात किए जाएंगे। इसलिए यह इस तरह हो रहा है– प्रवर समिति के सदस्यों का दोष नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं दोष नहीं दे रहा हूँ।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : इन परिस्थितियों के अंतर्गत मैं डॉ. अंबेडकर से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया इसे छोड़ दें। यह विधेयक महत्वपूर्ण नहीं है– यह अपेक्षित नहीं है..................।

डॉ. अम्बेडकर : मैं हर उस विधेयक को देने के लिए तैयार हूँ जो मेरे नाम में है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : मैं सुझाव दूंगा कि यह विधेयक छोड़ दिया जाए।

***माननीय उपाध्यक्ष :** जहाँ तक नोटरी विधेयक वाली प्रवर समिति का संबंध है, माननीय सदस्य अपने नियंत्रण से परे कारणों से उपस्थित नहीं हो सके थे। उन्हें अन्य अनेक प्रवर समितियों में उपस्थित होना था और बैठक गणपूर्ति के अभाव में नहीं हो सकती। मैं माननीय मंत्री से इस दिशा में एक अन्य प्रयास करने का अनुरोध करूंगा।

डॉ. अम्बेडकर : मैं सदन के नियंत्रण में हूँ।

डॉ. टेकचन्द (पंजाब) : क्या मैं सुझाव दे सकता हूँ कि इस प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय 6 तारीख तक बढ़ाया जाए। समय आज समाप्त हो रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं मौखिक प्रस्ताव पर ध्यान दूंगा। क्या सदन समय बढ़ाने के लिए सहर्ष तैयार है?

डॉ. टेकचन्द (पंजाब) : हम 4 या 5 तारीख को मिलेंगे और इस समय तक अन्य प्रवर समितियाँ अपना कार्य समाप्त कर लेंगी। यह केवल आधे घंटे का काम है। अतः मैं समय के विस्तार के लिए सुझाव दे रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या माननीय मंत्री समय के विस्तार के प्रस्ताव से सहमत हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

---

* संसदीय वाद–विवाद, खड–14, भाग–II, 28 सितंबर, 1951, पृ. 3277–79

माननीय उपाध्यक्ष : मैंने सोचा था कि माननीय मंत्री, जो विधेयक के प्रायोजक हैं, प्रस्ताव लाएंगे।

डॉ. अम्बेडकर : इस प्रक्रम पर मेरे लिए यह कठिन मामला है। यदि सदन प्रवर समिति नियुक्त करता है तो सरकार अवश्य ही अध्युपाय को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

माननीय उपाध्यक्ष : इस सदन की विचित्र परिस्थितियों पर विचार करते हुए सदन प्रवर समिति को कार्यमुक्त करने के पक्ष में प्रतीत नहीं होता और सदस्यों में से एक माननीय सदस्य ने समय बढ़ाने के लिए मौखिक प्रस्ताव किया है। मैं चाहूँगा कि यह प्रस्ताव स्वयं माननीय मंत्री द्वारा रखा जाए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। किसी प्रस्ताव को लाना मेरा काम नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : वे विधेयक के प्रायोजक हैं। इसलिए उन्हें प्रस्ताव रखना है। एक मिनट। समय आज समाप्त नहीं होता है। प्रवर समिति पहली तारीख तक रिपोर्ट दे सकती है। अतः सम्यक अनुक्रम में माननीय मंत्री 6 तारीख तक समय का विस्तार करने के लिए प्रसताव रख सकते हैं। अब उन्हें यह ज्ञात है कि सदन सामान्यतः प्रवर समिति को चालू रखने के पक्ष में है। इससे यह विशिष्ट मामला निपट जाता है?

जहाँ तक अन्य मामलों का संबंध है, मैं माननीय सदस्यों से नियम 70 को निर्दिष्ट करने के लिए कहूँगा। यह सच है कि माननीय सदस्य अनेक प्रवर समितियों में हैं और प्रातःकालीन और सायंकालीन सत्रों में प्रवर समितियों को सदन में रहना होगा। जब सदन सत्र में है। नियम 70 कहता है कि प्रवर समितियाँ बैठक कर सकती हैं जब सदन सत्र में है परंतु शर्त यह है कि मत विभाजन की घंटी बजने पर समिति का अध्यक्ष ऐसे समय के लिए, जो उसकी राय में विभाजन पर सदस्य को मत देने के लिए सक्षम बनाए, समिति की कार्यवाहियों को निलंबित करेगा। मैं समझता हूँ यही परिपाटी हाउस ऑफ कॉमन्स में भी है। माननीय सदस्य प्रवर समितियों को अनेक मामले निर्दिष्ट करना चाहते हैं। एक ओर यह इच्छा है और दूसरी ओर यह कहने की इच्छा है, ''हमें प्रवर समिति में बुलाया जाता है।'' कल की मेरी टिप्पणियाँ उन माननीय सदस्यों को लागू नहीं होती थीं जो प्रवर समिति के संबंध में दूर थे। प्रवर समिति का कार्य उतना ही अच्छा है जितना इस संसद में कार्य। जहाँ तक

श्री सिधवा का संबंध है, उन्हें यह शिकायत करने की जरूरत नहीं है कि सरकार ने उन्हें अनेक समितियों में रखा है। उन्हें एक प्रवर समिति से अधिक में सेवा करने की क्यों इच्छा नहीं होनी चाहिए।

श्री सिधवा : हमने प्रवर समिति की सदस्यता के लिए पेशकश नहीं की थी।

डॉ. अम्बेडकर : यदि लोगों को प्रवर समितियों में नाम निर्देशित करते समय, यह देखने की सावधानी बरती जाए कि वही लोग दो समितियों में नाम निर्देशित न हों तो प्रवर समिति और सदन का कार्य सुकर होगा।

श्री सिधवा : बिल्कुल ठीक।

माननीय उपाध्यक्ष : भविष्य में, यह देखने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि सदस्यों को अनेक प्रवर समितियों में इस प्रकार रखा जाए जिससे बाधा न पड़े, बजाय इसके कि एक सदस्य से एक से अधिक प्रवर समिति में होने का अनुरोध किया जाए। यदि विधेयक के प्रायोजक द्वारा उसी सदस्य को फिर से रखने की गलती की जाती है तो संबद्ध संभवतः यह विचार कर सकता है कि क्या उसके लिए एक से अधिक प्रवर समिति की सदस्यता स्वीकार करना उचित है और वह सदन से यह शिकायत नहीं करेगा कि बैठक में उपस्थित होने के लिए उसके पास समय नहीं है।

*****

(41)

निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन आदेशों के बारे में प्रस्ताव

माननीय उपाध्यक्ष : हम निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन विषयक प्रस्तावों को लेंगे। मैं उन माननीय सदस्यों के नाम पुकारुंगा जिन्होंने प्रस्ताव का नोटिस दिया है, वे केवल इतना कहें, वे प्रस्ताव रखते हैं।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मुझे पांच प्रस्ताव रखने हैं जो मुख्य प्रस्ताव हैं। उसके पश्चात् मेरे प्रस्तावों के संशोधन के लिए कुछ प्रस्ताव हैं। अतः आपके विनिर्णय के अधीन रहते हुए मैं निवेदन करता हूँ कि उचित यह होगा कि मुझसे मेरे प्रस्तावों को रखने के लिए कहा जाए और बाद में अन्य सदस्यों से कहा जाए जो अपने संशोधन प्रस्तावों को प्रस्तावित करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री अब अपने प्रस्ताव रखें।

परिषद निर्वाचन क्षेत्र (बम्बई) आदेश

डॉ. अम्बेडकर : मैं सविनय निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूँ :

कि 20 सितंबर, 1951 को पटल पर रखे गए परिषद निर्वाचन क्षेत्र (बंबई) परिसीमन आदेश, 1951 में निम्नलिखित उपान्तर किए जाएं, अर्थात्:—

(1) कि स्तंभ 1 में ''बंबई नगर (स्नातक)'' प्रविष्टि के सामने तालिका में ''स्नातक निर्वाचन क्षेत्र'' शीर्षक के नीचे स्तंभ 2 में ''बंबई नगर'' प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए अर्थात्:—

''बृहत्तर बंबई''

(2) कि तालिका में, स्तंभ 1 में ''उत्तरी डिवीजन (स्नातक)'' प्रविष्टि के सामने ''स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों'' शीर्षक के नीचे स्तंभ 2 में उत्तरी डिवीजन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :—

''बंबई उप नगरीय जिलों और अहमदाबाद नगर को छोड़कर उत्तरी डिवीजन।''

(3) कि तालिका में, स्तंभ 1 में ''मध्य डिवीजन (स्नातक)'' प्रविष्टि के सामने ''स्नातक निर्वाचन क्षेत्र'' शाीर्षक के नीचे स्तंभ 2 में ''मध्य डिवीजन'' प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात्–

''पूना नगर को छोड़कर मध्य डिवीजन।''

(4) कि तालिका में, स्तंभ 1 में ''बंबई नगर टीचर्स'' प्रविष्टि के सामने ''टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र'' शीर्षक के नीचे स्तंभ 2 में आई ''बंबई नगर'' प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात :–

''बृहत्तर बंबई।''

(5) कि तालिका में, स्तंभ 1 में ''उत्तरी डिवीजन (टीचर्स)'' प्रविष्टि के सामने स्तंभ 2 में ''उत्तरी डिवीजन'' प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए अर्थात् :–

''बम्बई उपनगरीय जिलों और अहमदाबाद नगर को छोड़कर उत्तरी डिवीजन।''

(6) कि तालिका में स्तंभ 1 में ''केन्द्रीय डिवीजन टीचर्स'' प्रविष्टि के सामने ''शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र'' शीर्षक के नीचे स्तंभ 2 में ''मध्य डिवीजन'' प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए अर्थात् :–

''पूना नगर को छोड़कर मध्य डिवीजन।''

(7) कि तालिका में स्तंभ 1 में ''बंबई नगर (स्थानीय प्राधिकरण)'' प्रविष्टि के सामने ''स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र'' शीर्षक के नीचे स्तंभ 2 में ''बंबई शहर का नगर निगम'' प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए अर्थात्:–

''बृहत्तर बंबई नगर निगम की अधिकारिता के अधीन क्षेत्र।''

(8) कि तालिका में, स्तंभ 1 में ''अहमदाबाद नगर (स्थानीय प्राधिकरण)'' प्रविष्टि के सामने ''स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र'' शीर्षक के नीचे निम्नलिखित रखा जाए अर्थात् :–

''अहमदाबाद नगर निगम की अधिकारिता के अधीन क्षेत्र।''

(9) कि तालिका में, स्तंभ 1 में ''अहमदाबाद जिला (स्थानीय प्राधिकरण)'' प्रविष्टि के सामने ''स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र शीर्षक के नीचे स्तंभ 2 में ''अहमदाबाद जिला (अहमदाबाद नगर निगम को छोड़कर) और साबरकंठा जिला प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए अर्थात् :–

''अहमदाबाद जिला (अहमदाबाद नगर निगम की अधिकारिता के अधीन क्षेत्र को छोड़कर) और साबरकंठा जिला।''

(10) कि तालिका में, स्तंभ 1 में ''पूरा नगर (स्थानीय प्राधिकरण)'' प्रविष्टि के सामने ''स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र'' शीर्षक के नीचे स्तंभ 2 में ''पूरा शहर का नगर निगम'' प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात्ः–

''पूना नगर निगम की अधिकारिता के अधीन क्षेत्र।''

(11) कि तालिका में स्तंभ 1 में ''पूरा (स्थानीय प्राधिकरण)'' प्रविष्टि के सामने ''स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र'' शीर्षक के नीचे कॉलम स्तंभ 2 में ''पूरा शहर नगर निगम को छोड़कर पूरा जिला'' प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :–

''पूना जिला (पूना नगर निगम की अधिकारिता के अधीन क्षेत्र को छोड़कर)।''

परिषद निर्वाचन क्षेत्र (मद्रास) आदेश

डॉ. अम्बेडकर : मैं सविनय निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूँ :–

''कि 20 सितम्बर, 1951 को पटल पर रखे गए परिषद निर्वाचन क्षेत्र (मद्रास) परिसीमन आदेश, 1951 में निम्नलिखित उपांतर परिवर्तन किए जाएं, अर्थात् :–''

(1) कि पृष्ठ 1 पर तालिका में स्तंभ 1 में ''मद्रास दक्षिण (स्नातक)'' प्रविष्टि के सामने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र ''शीर्षक के नीचे स्तंभ 2 में'' मद्रास नगर और चिंगलपुट'' शब्दों के स्थान पर ''मद्रास चिंगलपुट'' शब्द रखे जाएं।

(2) कि पष्ठ 2 पर तालिका में स्तंभ 1 में ''मद्रास दक्षिण (टीचर्स)'' प्रविष्टि के सामने ''शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र'' शीर्षक के नीचे स्तंभ 2 में ''मद्रास नगर'' और ''चिंगलपुट'' शब्दों के स्थान पर ''मद्रास चिंगलपुट'' रखे जाएं।

परिषद निर्वाचन क्षेत्र (मैसूर) आदेश

डॉ. अम्बेडकर : मैं सविनय निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूँ :–

कि 20 सितंबर, 2951 को पटल पर रखे गए परिषद निर्वाचन क्षेत्र (मैसूर) परिसीमन आदेश, 1951 में निम्नलिखित उपांतर किए जाएं, अर्थात् :–

कि तालिका में जहाँ कहीं, ''राजस्व'' शब्द आया है, उसका लोप किया जाए।

संसदीय तथा विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्र (मद्रास) (संशोधन) आदेश

डॉ. अम्बेडकर : मैं सविनय निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूँ :–

(1) कि 20 सितंबर, 1951 को पटल पर रखे गए संसदीय और विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्र (मद्रास) (संशोधन) परिसीमन आदेश, 1951 में निम्नलिखित उपांतर किए जाएं, अर्थात् :–

कि पृष्ठ 17 पर मद (69) में – ''और चिन्नकालुपल्ली'' जो ''चिन्नकालुपल्ली और देवास्थानम'' शब्दों के अंत में आए हुए शब्दों के स्थान पर ''तिरपत्तूर तालुक में वनियामबाडी के फिरका से युक्त गांव'' रखे जाएं।

(2) कि 20 सिंतबर, 1951 को पटल पर रखे गए संसदीय और विधानमंडल निर्वाचन (मद्रास) (संशोधन) परिसीमन आदेश, 1951 में निम्नलिखित उपांतर किए जाएं, अर्थात् :–

1. कि पष्ठ 1 पर पैरा 2 (ख) में प्रस्तावित स्पष्टीकरण में ''गांवों से युक्त क्षेत्र'' शब्दों के स्थान पर, 'क्षेत्र' शब्द रखा जाए।

2. पष्ठ 2 पर उक्त आदेश के पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :–

''5 उक्त आदेश के परिशिष्ट की मद (23) में ''सेवालुर पार्ट, पोथुरावुथामपट्टी, मानाप्पराई'' शब्दों के स्थान पर ''मानापराई पंचायत'' शब्द रखे जाएं।

3. कि पैरा 6 में : –

(i) अनुसूची की मद (2) में ''पिटाली, सिरीमामिडी और गोलागंडी'' शब्दों के स्थान पर ''पिटाली और सिरीमामिडी'' शब्द रखे जाएं।

(ii) अनुसूची की मद, (14) में ''वेनकमपेटा रामावरम के पास'' शब्दों के बाद ''रामावरम'' शब्द अंतःस्थापित किया जाए।

(iii) अनुसूची की मद (21) में ''डेरासन'' शब्द के बाद ''पिदी भीमावम'' शब्द अंतःस्थापित किया जाए।

(iv) अनुसूची की मद (63) में ''कोप्पेडु कपुला, कनड्रीगा'' शब्दों के बाद

''आगारम'' शब्द अंतःस्थापित किया जाए।

(v) अनुसूची की मद (80) में ''काल्लुपट्टी'' शब्द जहाँ दूसरी बार आता है ''सेथुपट्टी'' शब्द रखा जाए,

(vi) अनुसूची की मद (87) में ''अरुप्पुकोटाई'' शब्द के स्थान पर ''अरुप्पुकोटाई नगरपालिका'' शब्द रखे जाएं

(vii) अनुसूची की मद (93) में ''देवकोट्टाई इरावासेरी ग्रामीण शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर ''देवकोट्टाई नगरपालिका, इरावासेरी '' शब्द रखे जाएं, और

(viii) अनुसूची की मद (95) में ''कोप्पापटनम् (मानामथुराई पंचायत बोर्ड'' शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर ''कोप्पारपटनम, मानामथुराई पंचायत'' शब्द और कोष्ठक रखे जाएं।

संसदीय और विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) संशोधन आदेश

डॉ. अम्बेडकर : मैं सविनय निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूँ :–

कि 20 सितम्बर, 1951 को पटल पर रखे गए संसदीय और विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) परिसीमन आदेश, 1951 में निम्नलिखित उपांतर किए जाएं, अर्थात् :–

(1) कि पष्ष्ठ 1 पर पैरा 2 (ii) में ''किंतु मोहम्मदी को सम्मिलित करते हुए, 'शब्दों के बाद' 'अटवा, पिपरिया' शब्द अंतःस्थापित किए जाएं।

(2) कि पृष्ठ 1 पर पैरा 2 (ii) में ''मोहम्मदी का अपवर्जन करते हुए'' कोष्ठक और शब्दों के बाद ''अटवा पिपरिया'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएं।

(3) कि पृष्ठ 2 पर पैरा 3(i) में तालिका में कॉलम 1 में ''पौड़ी (उत्तरी) और चमोली (पूर्वी)'' प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएं, अर्थात् :–

''पौड़ी (दक्षिणी) और चमोली (पूर्वी)।''

(4) कि पष्ष्ठ 2 पर पैरा (iii) के बाद निम्नलिखित नया उप–पैरा अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :–

(iiiक) स्तंभ 1 में ''मोहम्मदी (पश्चिमी) और मोहम्मदी (पूर्वी) प्रविष्टियों के स्थान पर स्तंभ 2 में उनके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएं, अर्थात् :–

1.	2
मोहम्मदी (पश्चिमी)	मोहम्मदी, अटवा पिपरिया, मगदपुर और मोहम्मदी तहसील का पसगवाँ परगना।
मोहम्मदी (पूर्वी)	मोहम्मदी तहसील (मोहम्मदी, अटवा पिपटिया, मगदपुर और पसगवां परगना को छोड़कर)।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं पहले बिहार को लूंगा। क्या उन्होंने कोई प्रबंध किया है?

बिहार आदेश

डॉ. अम्बेडकर (बम्बई) : मैं अनेक सदस्यों से मिला था, जिन्होंने राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए निर्वाचन क्षेत्र आदेशों की बाबत मेरे मुख्य प्रस्ताव के लिए संशोधन प्रस्ताव पटल पर रखे हैं। व्यवस्था इस प्रकार की गई है। सूची 4 से मैं शेख मोहीऊद्दीन और श्री क्षुदिराम महता द्वारा प्रस्तावित संशोधन 7, संशोधन 6 भाग 1 और 2 स्वीकार करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं समझता हूँ केवल दो भाग हैं। माननीय मंत्री दोनों भागों को स्वीकार कर रहे हैं।

डॉ. अम्बेडकर : फिर भी मैं भागों को विशिष्टता देना चाहूँगा, मैं भाग 1 और 2 को स्वीकार करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : वह सब बिहार के बारे में है।

डॉ. अम्बेडकर : हाँ।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं इसे सदन में रखूंगा। क्या अन्य किसी माननीय सदस्य का बोलना बाकी है।

श्री श्यामनंदन सहाय (बिहार) : इससे पहले कि हम बिहार आदेश स्वीकृत करें, माननीय मंत्री क्या यह बताएंगे कि वास्तव में वे परिवर्तन क्या हैं, जिन्हें वे स्वीकार कर रहे हैं?

माननीय उपाध्यक्ष : इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संशोधन पूर्व रूप में स्वीकृत किया जाता है। मैं इसे पढ़ूंगा!

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्योंकि श्री क्षुदिराम महता के नाम में अनेक संशोधन हैं। इसलिए हम वास्तविकता जानना चाहेंगे।

डॉ. अम्बेडकर : माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तावित कुछ संशोधनों को स्वीकार करने के बाद मैंने सोचा था कि कुछ व्यवस्था के प्रश्न हो सकते हैं जो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उनके विरुद्ध उठाए जा सकते हैं कि कुछ मामलों में उन प्रतिवादनाओं के लिए संशोधन थे जो बिल्कुल भी विद्यमान नहीं थीं। इसलिए मैंने इन संशोधनों के प्रस्ताव करने की जिम्मेदारी अपने आप लेना अधिक अच्छा समझा ताकि कोई व्यवस्था का प्रश्न उत्पन्न न हो।

श्री श्यामनन्दन सहाय : मैं कोई नियमापत्ति नहीं उठा रहा हूँ। मैं केवल श्री महता के विशिष्ट संशोधन को समझना चाहता था जो स्वीकार किया जा रहा है। यदि आप कृपया इसे पढ़ें अथवा यदि माननीय मंत्री स्पष्ट करेंगे तो हम ये जानेंगे कि असली स्थिति क्या है।

डॉ. अम्बेडकर : स्थिति इस प्रकार है।

माननीय उपाध्यक्ष : क्या मैं एक सुझाव दे सकता हूँ। मैं माननीय विधि मंत्री को संशोधन का प्रस्ताव लाने के लिए अनुज्ञात करूंगा, जिसे वे स्वीकार करते हैं। उसके पश्चात् मैं अन्य संशोधनों पर विचार करूंगा। यदि वे वर्जित हैं तो वे वर्जित होंगे। यदि कोई माननीय सदस्य कोई संशोधन प्रस्ताव लाना चाहता है, जो वर्जित नहीं है, तो सदन उन पर विचार करेगा। संशोधनों के लिए पहले ही प्रस्ताव रखा जा चुका है। यदि वे बोलना चाहते हैं तो वे बोल सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : शेख मोहिउद्दीन और भी क्षुदिराम महता द्वारा प्रस्तावित संशोधन राज्यों की परिषद के लिए स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के विभाजन के बारे में है। मूलतः राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेश में विभिन्न रीति से ग्रुप बनाया गया था। समिति के सदस्यों ने जिन्हें मैंने आमंत्रित किया था, यह उल्लेख किया था कि शेख मोहिउद्दीन और श्री महता द्वारा प्रस्तावित आदेश अंगीकृत किया जाना चाहिए, दूसरे शब्दों में, पटना के लिए एक अलग डिवीजन, तिरहुत के लिए अलग डिवीजन और भागलपुर के लिए अलग डिवीजन तथा छोटा नागपुर के लिए अलग डिवीजन होना चाहिए। समग्र रूप से मैंने यह सोचा कि इन दो सदस्यों द्वारा पेश किए गए तर्कों में कुछ सार था, जिन्होंने इन संशोधनों का प्रस्ताव करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली थी। ऐसा ही राज्यों की परिषद के लिए शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की बाबत हुआ है। दूसरे शब्दों में, बिहार को चार डिवीजनों में विभाजित किया गया है। पटना, तिरहुत, भागलपुर और छोटा नागपुर। जहाँ तक मैं बिहार के सदस्यों की भावना को समझ सका हूँ, जो उस बैठक में उपस्थित हैं, सर्वसम्मति

इस संशोधन द्वारा प्रस्तावित व्यवस्था के पक्ष में है।

माननीय उपाध्यक्ष : उसने केवल यही किया है। बिहार में स्नातक के लिए संपूर्ण राज्य को एकल निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाने के बजाए, इस संशोधन के अधीन इसे अब चार निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

डॉ. अम्बेडकर : स्नातक और शिक्षक दोनों के लिए।

माननीय उपाध्यक्ष : राष्ट्रपति के आदेश में केवल स्नातक का उल्लेख है।

डॉ. अम्बेडकर : यदि आप कृपया सूची 4, बिहार को पढ़े तो आप देखेंगे...।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र को बाद में रख रहा हूँ। माननीय सदस्य राज्य परिषद निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश को निर्दिष्ट करेंगे। तालिका में, बिहार, स्नातक सबसे पहली प्रविष्टि है। संशोधन निम्नलिखित है। द्वितीय स्तंभ में स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में ''संपूर्ण राज्य'' के स्थान पर माननीय सदस्य ने अपने इस संशोधन का नोटिस दिया है कि निर्वाचन के प्रयोजनार्थ संपूर्ण राज्य को चार उपखंडों (उप डिवीजनों) में विभाजित किया जा सकता है। मैं उसे भी सदन में रखूंगा और इसके बाद शिक्षकों पर आऊंगा।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :–

कि 20 सितंबर, 1951 को पटल पर रखे गए परिषद निर्वाचन क्षेत्र (बिहार) परिसीमन आदेश, 1951 में निम्नलिखित उपांतर किए जाएं; अर्थात् :–

1. कि तालिका में स्तंभ 1 में ''बिहार (स्नातक)'' प्रविष्टि के स्थान पर और कॉलम 2 और 3 में उसके सामने आने वाली सभी प्रविष्टियाँ निम्नलिखित रूप में रखी जाएंगी, अर्थात् :–

1	2	3
पटना डिवीजन (स्नातक)	पटना डिवीजन	2
तिरहुत डिवीजन (स्नातक)	तिरहुत डिवीजन	2
भागलपुर डिवीजन (स्नातक)	भागलपुर डिवीजन	1
छोटा नागपुर डिवीजन (स्नातक)	छोटा नागपुर डिवीजन	1

2. कि तालिका में ''शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र'' शीर्षक के नीचे 1, 2 और 3 की सभी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :–

1	2	3
पटना डिवीजन (स्नातक)	पटना डिवीजन	2
तिरहुत डिवीजन (स्नातक)	तिरहुत डिवीजन	2
भागलपुर डिवीजन (स्नातक)	भागलपुर डिवीजन	1
छोटा नागपुर डिवीजन (स्नातक)	छोटा नागपुर डिवीजन	1

प्रस्ताव अंगीकृत किया गया था।

माननीय उपाध्यक्ष : बिहार से संबंधित शिक्षक निर्वाचन से संबद्ध राष्ट्रपति का आदेश इस सीमा तक संशोधित होता है।

बहार से संबंधित शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संबद्ध राष्ट्रपति का आदेश भी इस सीमा तक संशोधित (परिवर्तित) होता है।

क्या सभी अन्य माननीय सदस्यों, जिन्होंने इस आदेश संशोधन का प्रस्ताव रखा है, को वापिस लेने के लिए सदन की इजाजत है?

संशोधन इजाजत लेकर वापिस लिए गए।

बंबई आदेश

डॉ. अम्बेडकर : बंबई आदेश (परिषद) की बाबत, मैं श्री देवगिरीकर और अन्यों द्वारा सूची सं. 1 भाग 1 और 2 में संशोधन सं. 1 को स्वीकार करता हूँ, जैसे श्री देवगिरीकर द्वारा सूची सं. 3 में संशोधन सं. 3 द्वारा संशोधित किया गया था।

मैं इन संशोधनों के सार को स्पष्ट करता हूँ जो वैसा ही है जैसा उन संशोधनों का सार है जो हमने बिहार आदेश के बारे में स्वीकार किया है।

कतिपय समानुपात में बंबई, अहमदाबाद और पूना के बीच स्नातक सीटों का वितरण करने वाले राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया मूल आदेश बंबई को दो सीट तथा अहमदाबाद और पूना को सम्मिलित करते हुए एक–एक सीट देता था। यह भी देवगिरीकर और दूसरों की, जिन्होंने इस वितरण में परिवर्तन के लिए संशोधन पटल पर रखे हैं, इच्छा थी। पहले वे अहमदाबाद और पूरा के बीच रोटेशन चाहते थे या एक सीट जो प्रत्येक को अपनी पारी के द्वारा जाएगी। मैं नहीं समझता कि यह रोटेशन प्रणाली अच्छी है। तथापि मैंने इसे स्वीकार किया है कि बंबई, पूना और अहमदाबाद जैसे शहरों को समान आधार पर मानना वांछनीय हो सकता है भले ही

उन विशिष्ट शहरों में रहने वाले सभी स्नातकों की कुल संख्या का निर्धारण करना संभव नहीं हो। परिणामस्वरूप, मैंने संशोधन स्वीकार कर लिया था ताकि बंबई, पूरा और अहमदाबाद के बीच समान रूप से एक–एक सीट वितरित की जा सके, और मैंने यही बात शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की बाबत भी की है।

प्रस्ताव अंगीकृत किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : बंबई शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रपति का आदेश संशोधन की सीमा तक परिवर्तित होता है जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया है।

ऐसा ही बंबई स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की बाबत राष्ट्रपति का आदेश उस संशोधन की सीमा तक परिवर्तित होता है जो सदन द्वारा स्वीकार किया गया है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं श्री देवगिरीकर और अन्यों के संशोधनों को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप सूची सं. 2 बंबई आदेश (परिषद) में अपने संशोधन सं. 2 के भाग (1) से (6) को सदन की इजाजत से वापिस लेने का अनुरोध करता हूँ।

संशोधन के भाग (1) से (6) इजाजत लेकर वापिस लिए गए।

***माननीय उपाध्यक्ष :** राष्ट्रपति का आदेश श्री देवगिरीकर के संशोधन द्वारा प्रभावित परिवर्तन के अतिरिक्त इस संशोधन की सीमा तक परिवर्तित हो जाता है।

प्रश्न है :–

कि 20 सितंबर, 1951 को पटल पर रखे गए परिषद निर्वाचन क्षेत्र (मद्रास) परिसीमन आदेश, 1951 में निम्नलिखित उपांतर किया जाए, अर्थात् :–

(1) कि पृष्ठ 1 पर तालिका में 1 में ''स्नातक निर्वाचन क्षेत्र'' शीर्षक के ''मद्रास नगर और चिंगलपुट'' शब्दों के स्थान पर ''मद्रास चिंगलपुट'' शब्द रखे जाएं।

(2) कि पृष्ठ 2 पर तालिका में स्तंभ 1 में अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र'' शीर्षक के नीचे ''मद्रास दक्षिणी (अध्यापक)'' प्रविष्टि के सामने स्तंभ में ''मद्रास नगर और चिंगलपुट'' शब्द रखे जाएं।

प्रस्ताव अंगीकृत किया गया।

डॉ. अम्बेडकर : महोदय, मैं केशवराव द्वारा प्रस्तावित सूची सं. 2 (मद्रास परिषद आदेश) पर संशोधन सं. 2 स्वीकार करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :–

---

* संसदीय वाद–विवाद, जिल्द–16, भाग–II, 11 अक्तूबर, 1951, पृ. 4624

कि 20 सितम्बर, 1951 को पटल पर रखे गए परिषद निर्वाचन क्षेत्र (मद्रास) परिसीमन आदेश, 1951 में निम्नलिखित उपांतर किए जाएं, अर्थात् :–

कि तालिका में, स्तंभ 2 में ''मलाबार और दक्षिण कनारा जिले'' शब्दों के बाद जहाँ कहीं वे आए हैं, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :–

''और मिनीकॉय, लक्षद्वीप और अमीनद्वीप।''

प्रस्ताव अंगीकृत किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : परिषद निर्वाचन क्षेत्र (मद्रास) परिसीमन से संबद्ध राष्ट्रपति का आदेश सदन द्वारा स्वीकृत दो संशोधनों की सीमा तक परिवर्तित होता है ।

*****

उत्तर प्रदेश आदेश

***डॉ. अम्बेडकर :** मैं बाबू गोपीनाथ सिंह द्वारा द्वितीय विकल्प संशोधन सं. 1, भाग (1) और (2) को स्वीकार कर रहा हूँ। इसमें सामीप्य का उपबंध किया गया है और इसलिए मैं इसे स्वीकार कर रहा हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :–

कि 20 सितंबर, 1951 को पटल पर रखे गए परिषद निर्वाचन क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) परिसीमन आदेश, 1951 में निम्नलिखित उपांतर किए जाएं, अर्थात् :–

(1) (i) कि तालिका में, स्तंभ 1 में 'स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों' शीर्षक के नीचे ''पश्चिमी उत्तर प्रदेश (स्नातक) प्रविष्टि के सामने स्तंभ 2 में आए सभी शब्दों के स्थान पर मेरठ, आगरा, झांसी, इलाहाबाद और फैजाबाद डिवीजन'' शब्द रखे जाएं।

(ii) कि तालिका में स्तंभ 1 में ''स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों'' शीर्षक के नीचे ''पूर्वी उत्तर प्रदेश (स्नातक)'' प्रविष्टि के सामने स्तंभ 2 के सभी शब्दों के स्थान पर रोहिलखण्ड, कुमायूं, लखनऊ, बनारस और गोरखपुर डिवीजन'' शब्द रखे जाएं।

(2) (i) कि तालिका में, स्तंभ 1 में ''अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र'' शीर्षक के नीचे ''पश्चिमी उत्तर प्रदेश (शिक्षक)'' प्रविष्टि के सामने स्तंभ 2 में आए सभी

---

* संसदीय वाद–विवाद, जिल्द–16, भाग–II, 11 अक्तूबर, 1951, पृ. 4425–26

शब्दों के स्थान पर ''मेरठ, आगरा, झांसी, इलाहाबाद और फैजाबाद डिवीजन'' शब्द रखे जाएं।

(ii) कि तालिका में, स्तंभ 1 में ''अध्यापक निर्वाचन क्षेत्र'' शीर्षक के नीचे ''पूर्वी उत्तर प्रदेश (अध्यापक) प्रविष्टि के सामने स्तंभ 2 में आए सभी शब्दों के स्थान पर ''रोहिलखण्ड, कुमायूँ, बनारस और गोरखपुर डिवीजन'' शब्द रखे जाएँ।

प्रस्ताव अंगीकृत किया गया।

डॉ. अम्बेडकर : मैं परिषद निर्वाचन क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) परिसीमन आदेश, 1951 के लिए डॉ. पांडे द्वारा प्रस्तावित सूची सं. 2 में संशोधन सं. 2 को स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :–

कि 20 सितम्बर, 1951 को पटल पर रखे गए परिषद निर्वाचन क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) परिसीमन आदेश, 1951 में निम्नलिखित उपांतर किए जाएं, अर्थात् :–

(1) कि तालिका में, स्तंभ 1 में ''स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र'' शीर्षक के नीचे ''उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश (स्थानीय प्राधिकरण) प्रविष्टि के सामने स्तंभ 2 में आए शब्द ''शाहजहाँपुर'' शब्द के स्थान पर ''बदायूँ'' शब्द रखा जाए।

(2) कि तालिका में, स्तंभ 1 में ''स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र'' शीर्षक के नीचे ''मध्य उत्तर प्रदेश (स्थानीय प्राधिकरण)'' प्रविष्टि के सामने स्तंभ 2 में ''बदायूँ'' शब्द के स्थान पर ''शाहजहाँपुर'' शब्द रखा जाए।

प्रस्ताव अंगीकृत किया गया।

आदेश के लिए अन्य संशोधन इजाजत से वापिस ले लिए गए।

माननीय उपाध्यक्ष : परिषद निर्वाचन क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) परिसीमन से संबद्ध राष्ट्रपति आदेश सदन द्वारा अंगीकृत संशोधनों द्वारा जो बाबू गोपीनाथ सिंह और डॉ. सी.डी. पाण्डे के नामों में थे, संशोधित होता है।

*****

पश्चिमी बंगाल आदेश

डॉ. अम्बेडकर : मैं परिषद निर्वाचन क्षेत्र (पश्चिमी बंगाल) परिसीमन आदेश, 1951 के लिए सर्वश्री सामंत और अब्दुसत्तार के नामों में सूची सं. 2 में संशोधन सं. 2 को स्वीकार करता हूँ।

श्री चट्टोपाध्याय (पश्चिमी बंगाल) : किए गए करार को ध्यान में रखते हुए मैं सदन से अपने संशोधन को वापिस लेने की इजाजत चाहता हूँ। किंतु इससे पूर्व कि आप सदन में प्रस्ताव रखें मेरे संदेह को स्पष्ट किया जाना है जो स्थानीय प्राधिकरणों के नामनिर्देशित सदस्यों के मामले से संबंधित है। इस संसद या संविधान सभा की कभी भी यह इच्छा नहीं रही है कि नामनिर्देशित सदस्यों को परिषदों के निर्वाचनों के मामले में मत देने का कोई अधिकार होना चाहिए। हमने संविधान में यह उपबंध किया है कि केंद्र तथा राज्यों में ऊपरी सदनों के नामनिर्देशित सदस्यों का चर्चा के अधीन इस निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। दो नगर पालिकाएं चर्चाधीन हैं जिनके सदस्यों की कुल संख्या 24 है, जो सभी नामनिर्देशित हैं और यदि उन्हें परिषद के निर्वाचन के मामले में मत देने का अधिकार प्राप्त हो, तो मैं सोचता हूँ बंगाल राज्य में परिषद कुछ तमाशे की तरह हो जाएगी क्योंकि नामनिर्देशित सदस्यों द्वारा निर्वाचित परिषद के सदस्य चुने गए सदस्यों द्वारा भेजे गए प्रतिनिधियों के बराबर होंगे। संसद या संविधान सभा की कभी भी यह इच्छा नहीं रही है कि स्थानीय निकायों के नामनिर्देशित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन के मामले में या परिषदों के निर्वाचन के मामले में मत देने का कोई अधिकार हो। यह असावधानी के कारण है कि इतनी गंभीर प्रकषति की गलती हो गई और मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या गलती को ठीक करने के लिए कुछ किया जा सकता है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं अपने माननीय मित्र द्वारा उठाए गए प्रश्न की महत्ता को देखता हूँ किंतु कठिनाई सांविधानिक कठिनाई है। संविधान नाम निर्देशित सदस्यों और निर्वाचित सदस्यों के बीच कोई अंतर नहीं करता है। यद्यपि मैं अपने मित्र की इस बात से सहमत हूँ कि संविधान सभा का आशय नामनिर्देशित सदस्यों को निर्वाचन में भाग लेने की अनुज्ञा देने का नहीं था, क्योंकि यह मामला संविधान सभा के ध्यान में नहीं लाया गया था, इसलिए हमारे लिए उस समय तक कुछ करना असंभव है, जब तक संविधान का संशोधन न हो जो कि एक असंभव प्रतिपादना का रास्ता है।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या निर्वाचन में मतदाता होने से ऐसे सदस्यों को विवर्जित करने के लिए राज्य सरकार कुछ कर सकती है और

क्या राज्य सरकार इस प्रक्रम पर भी कार्यपालक आदेश द्वारा उनकी सदस्यता को ले सकती है?

डॉ. अम्बेडकर : निर्वाचन होने से पहले संपूर्ण नगरपालिका को पूर्णतः निर्वाचित बनाने के लिए स्थानीय विधानमंडल एक अन्य नगरपालिका अधिनियम पारित करने के लिए निश्चित रूप से बिल्कुल स्वतंत्र है ताकि मेरे मित्र द्वारा उठाई गई कठिनाई समाप्त की जा सके। किंतु ऐसा कुछ नहीं है जिसे यह संसद इस मामले में नहीं कर सकती है।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या विधि मंत्री इस संबंध में राज्य सरकार को अनुदेश देने जा रहे हैं?

डॉ. अम्बेडकर : मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री इस प्रश्न पर विचार करेंगे और मंत्रालय को सूचित करेंगे यदि वे यह सोचते हैं कि यह वांछनीय है कि नाम निर्देशित सदस्यों को निर्वाचन में भाग नहीं लेना चाहिए।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या मैं इस मामले में प्रधानमंत्री की राय जान सकता हूँ?

प्रधानमंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : मुझे खेद है, मैं तर्क को बिल्कुल नहीं समझ पाया हूँ...................।

डॉ. अम्बेडकर : मैं प्रधानमंत्री को बताता हूँ कि प्रश्न यह है कि पश्चिमी बंगाल में नगर पालिकाएँ हैं जहाँ नगरपालिका की अधिकांश सदस्यता नाम निर्देशन द्वारा होती है......................।

श्री सोंधी (पंजाब) : पंजाब में भी।

डॉ. अम्बेडकर : पंजाब में भी। हमारे संविधान में जब हमने ऊपरी सदन के गठन के प्रश्न पर विचार किया था तो हमने ''निर्वाचित सदस्यों'' की अर्हता किए बिना ''नगरपालिका के सदस्यों'' की मात्र साधारण अभिव्यक्ति प्रयुक्त की थी। प्रश्न यह उत्पन्न हुआ है कि क्या यह वांछनीय है कि नगरपालिका के नामनिर्देशित सदस्यों को भी ऊपरी सदन के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लेना चाहिए। मैंने जो उत्तर दिया, वह यह है कि यद्यपि इस तथ्य के कारण हमारे लिए कुछ करना संभव नहीं है कि हमारे सामने ये सांविधानिक उपबंध है, फिर भी, चूंकि नगरपालिकाएं राज्य के अध्यधीन हैं, राज्य सरकारों के लिए अपने नगरपालिका अधिनियमों में परिवर्तन करने की संभावना होगी, जिससे वे नगरपालिकाओं से नामनिर्देशित सदस्यों को समाप्त कर सकें। मेरे सामने किया गया प्रश्न यह था कि क्या केंद्र सरकार कुछ कर सकती है। मैंने कहा– एकमात्र उत्तर जिसका मैं सुझाव दे सकता हूँ वह यह है कि संभवतः प्रधानमंत्री यदि ठीक समझें, पश्चिमी बंगाल या पंजाब के मुख्यमंत्रियों को अनुदेश दे सकते हैं कि यह विसंगति समाप्त की जाए।

गृह मंत्री (श्री राजगोपालाचारी) : विधि मंत्री का तात्पर्य यह है कि उन्हें परिषद से हटा दिया जाए—वे उन्हें संविधान के अधीन उनके कृत्यों से नहीं हटा सकते।

डॉ. अम्बेडकर : नहीं, नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष : जब तक वे नगरपालिकाओं के सदस्य हैं, संविधान के अधीन नामनिर्देशित सदस्य मत देने के हकदार हैं। सुझाव यह नहीं है कि एक रात में संविधान में परिवर्तन किया जाए। सुझाव यह है कि यदि वे सभी विद्यमान नगरपालिकाओं को भंग करके और निर्वाचन होने से पूर्व सभी सीटों को निर्वाचन द्वारा भरे जाने के लिए अनुज्ञात करते हुए नगरपालिकाओं से संबंधित वर्तमान विधि में परिवर्तन करें तो इससे प्रयोजन पूरा हो जाएगा। किंतु क्या हम सदन के समक्ष अब सुझाव दे रहे हैं कि क्या किया जाना चाहिए? हम आगे बढ़ें। हमारे पास बहुत कम समय बचा है। हमारे हाथ में निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश का मामला है। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री को उस समय तक परेशान नहीं किया जाना चाहिए जब तक वह स्वयं करना न चाहें। हमें अपने विधिसम्मत कार्य के लिए अग्रसर होना चाहिए।

*****

मैसूर आदेश

***माननीय उपाध्यक्ष :** हमारे सामने सूची सं. 1 संशोधन है।

श्री शंकरय्या (मैसूर) : इससे पूर्व कि इसे सदन में मत के लिए रखा जाए, मैं माननीय मंत्री को इस बात पर विचार करने का सुझाव देना चाहूँगा कि स्तंभ 2 में राजस्व'' शब्द का लोप करने के बजाए उसे कोष्ठक में रखने के लिए अनुज्ञात किया जा सकता है; इसका परिणाम भी वही होगा। शब्द को हटाना या कोष्ठकों में रखना व्यावहारिक रूप से एक ही बात होगी। इसे कोष्ठकों में रखने से यह और अधिक स्पष्ट एवं प्रामाणिक होगा।

डॉ. अम्बेडकर : यह विशुद्धतः प्रशासनिक मामला है और हम मैसूर सरकार से प्राप्त सलाह पर कार्यवाही कर रहे हैं कि यदि ''राजस्व'' शब्द रखा जाता है तो इससे कुछ जटिलताएं हो सकती हैं या भूल उत्पन्न हो सकती है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :—

कि 20 सितंबर, 1951, को पटल पर रखे गए परिषद निर्वाचन क्षेत्र (मैसूर)

---

* संसदीय वाद—विवाद, जिल्द—14, भाग—II, 11 अक्तूबर, 1951, पृ. 4629—41

परिसीमन आदेश, 1951 में निम्नलिखित उपांतर किया जाए; अर्थात् :—

कि तालिका में, ''राजस्व'' शब्द जहाँ कहीं आता है, उसका लोप किया जाए।

प्रस्ताव अंगीकृत किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : इस सीमा तक राष्ट्रपति का आदेश परिवर्तित होता है। परिषद निर्वाचन क्षेत्र आदेश समाप्त हुए। अब सदन संसदीय और विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्रों विषयक संशोधनों पर विचार करने के लिए अग्रसर होगा।

डॉ. अम्बेडकर : अब हम संशोधन आदेशों को ले रहे हैं। राष्ट्रपति ने स्वयं कुछ संशोधनकारी आदेश जारी किए हैं और इन संशोधन आदेशों के संशोधन हैं।

*****

संसदीय और विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्र

डॉ. अम्बेडकर बंबई (संशोधन) आदेश : मैं सूची सं. 2 में संशोधन सं. 2 और 3 को स्वीकार करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :

(i) कि संसदीय और विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्र (बंबई) (संशोधन) परिसीमन आदेश, 1951 में मद सं. 2 के बाद निम्नलिखित नई मद सं. 2—क अंतः स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''2 क—तालिका क—उक्त आदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में—''

(i) स्तंभ 1 में ''अहमदाबाद उत्तरी'' प्रविष्टि के सामने स्तंभ 2 में ''नन्दगांव नगरपालिका क्षेत्र'' शब्दों का लोप किया जाएगा; और

(ii) स्तंभ 1 में ''केंद्रीय नासिक'' प्रविष्टि के सामने स्तंभ 2 में ''नन्दगांव नगरपालिका क्षेत्र'' शब्दों का लोप किया जाएगा।''

(iii) कि संसदीय और विधान मंडल निर्वाचन क्षेत्र (बंबई) (संशोधन) परिसीमन आदेश, 1951 में मद सं. 3 के बाद निम्नलिखित नई मद सं. 3 क अंतः स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''3 क तालिका ख उक्त आदेश के विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्र में :—

(i) स्तंभ 1 में ''उत्तरी मालेगांव'' प्रविष्टि के सामने स्तंभ 2 में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

''मालेगांव नगरपालिका क्षेत्र और मालेगांव तालुका— ऐसे गांवों को छोड़ते हुए

जो परिशिष्ट की मद (36) में विनिर्दिष्ट हैं,

(ii) स्तंभ 1 में ''दक्षिण मालेगांव–उत्तरी नन्दगांव'' प्रविष्टि के सामने स्तंभ 2 में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

''परिशिष्ट की मद (36) में जो विनिर्दिष्ट हैं मालेगांव के ऐसे गांव और नन्दगांव तालुका– ऐसे गांवों को छोड़ते हुए जो परिशिष्ट की मद (35) में विनिर्दिष्ट हैं; और

(iii) स्तंभ 1 में ''येवला नन्दगांव'' प्रविष्टि के सामने स्तंभ 2 में ''नन्दगांव नगरपालिका क्षेत्र का लोप किया जाएगा।''

प्रस्ताव अंगीकृत किया गया।

माननीय उपाध्यक्ष : इस विस्तार तक राष्ट्रपति का आदेश परिवर्तित होता है।

क्या अन्य माननीय सदस्यों को, जिन्होंने अन्य संशोधन पटल पर रखे हैं, उन्हें वापिस लेने के लिए सदन की इजाजत है?

संशोधन इजाजत द्वारा वापिस लिए गए।

माननीय उपाध्यक्ष : बम्बई से संबद्ध राष्ट्रपति का संशोधन आदेश सदन द्वारा स्वीकृत संशोधनों के विस्तार पर परिवर्तित होता है।

*****

मध्यप्रदेश (संशोधन आदेश)

डॉ अम्बेडकर : महोदय, मैं सूची सं. 1 और सूची सं. 3 में संशोधन सं. 3 प्रस्तावित करता हूँ।

संशोधन किया गयाः–

कि 20 सितंबर, 1951 को पटल पर रखे गए संसदीय और विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्र (मध्य प्रदेश) (संशोधन) परिसीमन आदेश, 1951 में निम्नलिखित उपांतर किया जए, अर्थात् :–

कि आदेश के पैरा 3 के उप–पैरा (i) में ''आयुध कारखाना; खमरिया, गन कैरिज कारखाना'' शब्दों के स्थान पर ''आयुध कारखाना खमरिया, गन कैरिज कारखाना संपदा'' शब्द रखे जाएँ।

–(डॉ. अम्बेडकर)

इसमें आगे संशोधन किया गया :–

कि 20 सितंबर, 1951 को पटल पर रखे गए संसदीय और विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्र (मध्य प्रदेश) (संशोधन) परिसीमन आदेश, 1951 में निम्नलिखित उपांतर किया जाए, अर्थात् :–

कि पष्ठ 1 पर आदेश के पैरा 3 (i) के बाद निम्नलिखित नए उपपैरा (iक) और (iख) अंतःस्थापित किए जाएं; अर्थात् :–

(iक) स्तंभ 1 में ''नागपुर।'' प्रविष्टि के सामने स्तंभ 2 में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी :–

''वार्ड सं. 1 जिसमें गांव सोमलवाडा चिचाभुवन, अजनी सम्मिलित हैं, वार्ड सं. 2 से 4, 7 37 और 38 तथा वार्ड सं. 39 जिसमें गांव बोरगांव, हजारीपहाड़ और ढाबा सम्मिलित हैं, वार्ड सं. 40, 41 जिसमें गांव काचीमठ और सोनेगांव सीम और वार्ड सं. 42 जिसमें गांव जयटला, भामती, सोनेगांव (बाजार) खामला, ताकालीसीम, परसोड़ी और नागपुर के नागपुर नगर का शिवानगांव सम्मिलित है।''

(iख) स्तंभ में ''नागपुर IV'' प्रविष्टि के सामने स्तंभ 2 में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगीः–

''वार्ड सं. 8 जिसमें गांव बाबुल खेड़ा, सकरदारा, मानेवाडा, चिरखाली खुर्द, सम्मिलित हैं, वार्ड सं. 10 जिसमें गांव हरपुर, दिघोरी, बिदपेठ और वथोड़ा सम्मिलित हैं, वार्ड सं. 22 जिसमें गांव हिवाडी, परडी, भंदेवाडी, चिखाली (देवस्थान), पुरापुर और भरतवाड़ा सम्मिलित हैं, वार्ड सं. 23 और 24 जिसमें गांव कलामना, वंजारा और वंजारी सम्मिलित हैं, वार्ड सं. 29 से 32, वार्ड सं. 33 जिसमें नारी सम्मिलित है, वार्ड सं. 34 जिसमें तकाली (बड़ा) और गोरेवाड़ा वार्ड सं. 35 जिसमें गांव नारा, इंदौरा और मानक पुर सम्मिलित है तथा नागपुर नगर का वार्ड सं. 36 और नागपुर आर. आई. सी. नागपुर तहसील के (पटवारी सर्किल सं. 1 और 10 से 12 को छोड़कर) सम्मिलित है।

–(डॉ. अम्बेडकर)

माननीय उपाध्यक्ष : क्या अन्य संशोधन सदन की इजाजत से वापिस लिए गए।

संशोधन इजाजत से वापिस लिए गए।

माननीय उपाध्यक्ष : मध्य प्रदेश से संबद्ध राष्ट्रपति का संशोधन आदेश सदन द्वारा स्वीकृत सीमा तक परिवर्तित होता है।

मद्रास (संशोधन) आदेश

संशोधन किया गया :—

कि 20 सितम्बर, 1951 को पटल पर रखे गए संसदीय और विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्र (मद्रास) (संशोधन) परिसीमन आदेश, 1951 में निम्नलिखित उपांतर किया जाए, अर्थात् :—

''कि पृष्ठ 17 पर, मद (69) में—तिरपत्तूर तालुका में वनियामबाड़ी के फिरका से युक्त गांव'' —अंत में आए हुए ''और चिन्नैकाल्लुपल्ली'' शब्दों के स्थान पर चिन्नकाल्लुपली और देवस्थानम'' शब्द रखे जाएँ।

इसके आगे संशोधन किया गया :—

कि 20 सितंबर, 1951 को पटल पर रखे गए संसदीय और विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्र (मद्रास) (संशोधन) परिसीमन आदेश, 1951 में निम्नलिखित उपांतर किए जाएं, अर्थात् :—

1. कि पृष्ठ 1 पर, पैरा 2 (ख) प्रस्तावित स्पष्टीकरण में ''गांवों से युक्त क्षेत्र'' शब्दों के स्थान पर, 'क्षेत्र' शब्द रखा जाए।

2. कि पृष्ठ 2 पर उक्त आदेश के पैरा 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :—

''5 उक्त आदेश के परिशिष्ट की मद (23) में ''सेवालुर पार्ट, पोथुरावुथामपट्टी, मानप्पराई'' शब्दों के स्थान पर ''मानप्पराई पंचायत'' शब्द रखे जाएंगे।''

3. कि पैरा 6 में :—

(i) अनुसूची की मद (2) में ''पिताली, सिरीमामिडी और गोल्लगंडी'' शब्दों के स्थान पर पिताली और श्रीमामिडी'' शब्द रखे जाएं;

(ii) अनुसूची की मद (14) में ''रामावरम के पास वेनकमपेटा'' शब्दों के बाद ''रामवरम'' शब्द अंतःस्थापित किया जाए;

(iii) अनुसूची की मद (21) में, ''डेरासन'' शब्द के बाद ''पिडीभिमावरम'' शब्द अंतःस्थापित किया जाए;

(iv) अनुसूची की मद (63) में, ''कोपेडु कपुला कांड्रीग'' शब्दों के बाद ''अगराम'' शब्द अंतःस्थापित किया जाए।

(v) अनुसूची की मद (80) में, ''काल्लुपटू'' जहाँ दूसरी बार आता है ''सेथुपट्टी'' शब्द रखा जाए;

(vi) अनुसूची की मद (87) में ''अरुप्पुकोटाई'' शब्द के स्थान पर ''अरुप्पपुकोटाई नगर पालिका'' शब्द रखे जाएं;

(vii) अनुसूची की मद (93) में ''देवाकोटाई ग्रामीण (एरावसेरी)'' शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर ''देवाकोटाई नगरपालिका एरावसेरी (ग्रामीण)'' शब्द और कोष्ठक रखे जाएं; और

(viii) अनुसूची की मद (95) में, ''केपारपटनम (मानामथुराई पंचायत बोर्ड)'' शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर ''केपारपटनम, मानामदुराई पंचातय'' शब्द रखे जाएं।

—(डॉ. अम्बेडकर)

माननीय उपाध्यक्ष : मद्रास से संबंधित राष्ट्रपति संशोधन आदेश सदन द्वारा स्वीकष्त संशोधनों की सीमा तक परिवर्तित हो जाता है।

*****

उत्तर प्रदेश (संशोधन) आदेश

पंडित कुंजरू (उत्तर प्रदेश) : इतना पर्याप्त नहीं है कि राष्ट्रपति द्वारा परिवर्तन करने वाला आदेश सदन, के समक्ष रखा जाए और न ही यह पर्याप्त है कि मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर को उनमें आगे परिवर्तन प्रस्तावित करने चाहिए। हम यह जानना चाहेंगे कि क्या ये परिवर्तन आवश्यक हो गए हैं। निर्वाचन क्षेत्र, जैसे उनका सीमांकन किया गया है, मैं समझता हूँ व्यापक समाधान देते हैं और हमें इसलिए उनमें परिवर्तन करने के लिए सावधान रहना चाहिए। यदि मेरे माननीय मित्र विधि मंत्री मुझे संक्षेप में कारण बताएं जिनसे उत्तर प्रदेश के संसदीय और विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन आवश्यक हो गए हैं। हमारे लिए यह विनिश्चित करना संभव होगा कि क्या हमें उनके पक्ष या विपक्ष में मत देना चाहिए किंतु इस समय हम बिल्कुल बेबस हैं। हम सब नहीं जानते कि हमें क्या करना है।

डॉ. अम्बेडकर : मेरे पास मेरे माननीय मित्र पंडित हृदय नाथ कुंजरू के विरुदध नियमापत्ति उठाने के लिए कोई कारण नहीं है क्योंकि निस्संदेह हममें से प्रत्येक को निर्वाचन क्षेत्रों के बनाने में किसी प्रकार का राजनैतिक गोलमाल अनुज्ञात करने के विरुद्ध बहुत सावधान रहना चाहिए और यदि इस बारे में कोई संदेह है कि कोई विशिष्ट दल निर्वाचन क्षेत्र के परिवर्तन की कूट चाल चल रहा है, जो कि पहले ही राष्ट्रपति द्वारा विहित और सदन द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है तो हमें सदन में उठाया जाना विधि सम्मत है। किंतु मैं अपने माननीय मित्र को, जहाँ तक मेरी

जानकारी और ज्ञान है, बताना चाहूँगा कि इस संशोधन में किसी प्रकार के गोलमाल होने का जरा सा भी साक्ष्य नहीं है। जो संशोधन, मैंने चाहा है उसमें केवल दो बातें हैं। एक उन त्रुटियों को ठीक करना है, जो किसी किस्म की अनवधाता के कारण हुई हैं। कुछ थाने जिनका उल्लेख होना चाहिए था समुचित स्थान पर नहीं हुआ है और कुछ अन्य थाने या कुछ अन्य स्थानों का उसकी जगह उल्लेख किया गया है। दूसरी बात यह है कि यह पता चला है कि इन मामलों में से कुछ में, जहाँ सामीप्य संभव था, किसी प्रकार की भूल से एक निर्वाचन क्षेत्र से दूसरे में कुछ स्थानों के अनवधानता से मिलने से सामीप्य का सिद्धांत खत्म हो गया है और इस संशोधन में इन दो त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया गया है; अर्थात् भौगोलिक किस्म की भूल और द्वितीयतः ऐसी भूल जिससे कुछ मात्रा में असामीप्य आ गया है।

पंडित कुंजरू : क्या मैं अपने माननीय मित्र से यह पूछ सकता हूँ कि क्या वह यह बात अपने स्वयं के संशोधन के संदर्भ में कह रहे हैं या राष्ट्रपति के आदेश में संशोधन की बाबत? यदि वे राष्ट्रपति के आदेश के संदर्भ में कह रहे हैं तो मैं उनसे गढ़वाल निर्वाचन क्षेत्र में प्रस्तावित परिवर्तन की ओर ध्यान देने के लिए कहना चाहूँगा और वे बताएं कि सामीप्य को पुनः स्थापित करने का प्रश्न कहाँ विद्‌यमान है। सुझाए गए निर्वाचन क्षेत्रों के अनेक भागों के बीच सामीप्य है। मैं जानता हूँ कि स्थानीय मामले पर विचार करना उनके लिए बहुत कठिन है किंतु मैं उनको केवल यह इंगित करने के लिए उल्लेख करता हूँ कि सुझाए गए परिवर्तन उनके द्वारा उल्लिखित कारणों से सम्पूर्णतः सम्यक नहीं हैं।

डॉ. अम्बेडकर : महोदय, क्या मैं जारी रख सकता हूँ?

आपको याद होगा कि पिछली बार जब परिसीमन की बाबत राष्ट्रपति का आदेश इस सदन द्वारा पारित किया गया था तो सावधानी के तौर पर मैंने यह प्रस्ताव रखा था कि सदन के अध्यक्ष को ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति दी जानी चाहिए जो कुछ त्रुटियों को दूर करने के लिए वह आवश्यक समझें।

श्री कॉमथ : मौखिक त्रुटियाँ, मौखिक संशोधन।

10.00 बजे पूर्वाह्न

डॉ. अम्बेडकर : मौखिक, गौण, परिणामिक या आनुषंगिक मेरे विचार में यही शब्द प्रयुक्त किए गए थे। मैं प्रतिपादना इतनी व्यापक करने में बहुत सावधान था जितना मैं इस साधारण कारण से कर सकता था कि सदन याद रखेगा कि बहुत जल्दी में और बड़ी हड़बड़ी में और बैठकों और बैठकों और फिर बैठकों में पास किया था।

इस बात के होते हुए भी कि यह पता चला है कि हम भी उन त्रुटियों के संबंध में जो हो गई थीं, अध्यक्ष को सलाह देने की स्थिति में नहीं थे। इसलिए कुछ त्रुटियाँ

रह गई थीं और हमने सोचा कि यह उचित अवसर है उन त्रुटियों को दूर करने के लिए कुछ उपबंध बनाने का। ये त्रुटियाँ स्थानीय सरकारों की संवीक्षा, विधि मंत्रालय की संवीक्षा और अध्यक्ष की संवीक्षा के होते हुए भी रह गई थीं। मैं नहीं सोचता मेरे माननीय मित्र पंडित कुंजरू यहाँ तक कहेंगे कि हमने राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों को एक बार में ही पारित कर दिया था, हमें किन्हीं त्रुटियों को जो फिर भी आदेशों में रह सकती हैं, दूर करने के लिए आगे कोई अवसर नहीं लेना चाहिए।

उस विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र की बाबत जिसका उन्होंने हवाला दिया है, उनका यह सुझाव अच्छा था कि मैं स्वयं अपनी जानकारी या ज्ञान से उस बात का सही उत्तर देने की स्थिति में नहीं हूँ कि क्या कोई विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र उस संशोधन से संसक्तता है जो हम इस परिसीमन आदेश में करने जा रहे हैं। इस मामले में हमें स्थानीय सरकार पर निर्भर रहना है। जैसा उन्हें याद होगा मैंने उन आधारों पर मुझे सहायता और सलाह देने के लिए उत्तर प्रदेश परिसीमन समिति के सदस्यों की बैठक बुलाने में विशेष सावधानी बरती थी, जो उत्तर प्रदेश परिसीमन आदेशों में ये परिवर्तन करने के लिए अभिकथित किए गए हैं, अर्थात् त्रुटियों को ठीक करना और संसक्ता को अपेक्षाकृत अधिक संभव बनाना, किंतु दुर्भाग्यश, वे उस बैठक में नहीं आ सके थे। वह उत्तर प्रदेश परिसीमन समिति के अध्यक्ष थे। और यदि हमें दी गई उस सलाह के होते हुए वह यह दलील देते हैं कि कुछ ऐसी चीज की गई है, जो संसक्ता उत्पन्न नहीं करती, मैं जो कुछ कह सकता हूँ वह यह है कि दोष उनके कंधों पर ही होना चाहिए क्योंकि वे मुझे इस बारे में सलाह देने के लिए बैठक में नहीं आए थे कि जो मैं कर रहा हूँ वह ठीक है या नहीं।

पंडित कुंजरू : मुझे ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला था।

डॉ. अम्बेडकर : मेरे विचार में मैंने अपने माननीय मित्र को संदेश भेजा था। मेरे माननीय मित्र ने इसे टिप्पणी के साथ वापिस भेजा दिया था कि उन संशोधनों की बाबत जो मैं श्री गोपीनाथ से स्वीकार कर रहा था, वह उस संशोधन का समर्थन करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं।

पंडित कुंजरू : मुझसे केवल................ की बाबत सलाह ली गई थी।

डॉ. अम्बेडकर : उनकी प्रेस विधेयक में अधिक रुचि थी।

पंडित कुंजरू : ....लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के अधीन अध्यक्ष द्वारा विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों के लिए नियुक्त समिति द्वारा सुझाव किए गए थे और मैंने उनकी बाबत उत्तर दिया था। अन्य परिवर्तनों की बाबत यदि उत्तर प्रदेश सरकार ने केंद्रीय सरकार को उन कारणों को प्रस्तावित करने के लिए सूचित कर दिया था तो मेरे माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर ने उन कारणों को सदन के समक्ष क्यों नहीं रखा।

श्री टी. एन. सिंह (उत्तर प्रदेश) : यदि परिसीमन समिति के सदस्य के रूप में मुझे बोलने की इजाजत दी जाए तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस अधिसूचना में प्रस्तावित परिवर्तन और माननीय विधि मंत्री द्वारा यथा प्रस्तावित बिल्कुल पारिणामिक या आनुषंगिक नहीं है। मैंने उन अनेक परिवर्तनों को, जिनका प्रस्ताव किया जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास किया है। उदाहरणार्थ, बनारस जिले को लें, जिसके बारे में पूर्णतः परिचित हूँ। मैं नहीं जानता किस कारण एक अन्य परगना जोड़ा गया है, जिसका अर्थ मतदाताओं की संख्या में वष्द्धि है। गढ़वाल के बारे में मैं नहीं जानता, इसी तरह चमोली को क्यों अलग किया जा रहा है।

वित्त राज्य मंत्री (श्री त्यागी) : यह कौन सा है?

श्री टी. एन. सिंह : यह देहरादून नहीं है। यह गढ़वाल है।

श्री त्यागी : मैं समान रूप से रुचि रखता हूँ।

श्री टी. एन. सिंह : इसी प्रकार कानपुर की बाबत, फर्रुखाबाद सामान्य निर्वाचन क्षेत्र, प्रस्तावित परिवर्तनों पर ध्यानपूर्वक विचार करने की जरूरत है।

इन सभी प्रश्नों पर विस्तार से विचार करने के बारे में सोचता हूँ कि सदन के लिए यह अनुचित होगा यदि इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाता है, इस संबंध में मैं सदन को यह बताना चाहूँगा कि अपने अध्यक्ष के मार्गदर्शन में हमने प्रश्न को हर विस्तार से देखा, हमने प्रत्येक गांव के प्रत्येक पटवारी सर्किल के सीमांकन पर विचार किया और इसमें बहुत समय लगाया......। किंतु इस समय अंधकार में होने के कारण और बिना यह जाने कि वास्तविक अर्थ क्या है, मैं संशोधन का समर्थन करने के लिए वास्तव में बहुत कठिनाई पाता हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : प्रथम संशोधन के बारे में यह स्थिति है, अर्थात् पष्ठ 1 पर पैरा 2 (ii) में ''किंतु मोहम्मदी को सम्मिलित करते हुए'' शब्दों के बाद ''अटवा पिपरिया'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएं। वहाँ एक स्थान है जो अटवा पिपरिया कहा जाता है जिसका मूल आदेश में बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है। उससे भारत के नागरिकों का अभिप्राय है, जो अटवा पिपरिया में रह रहे हैं, निर्वाचन में भाग लेने के बिल्कुल हकदार नहीं होंगे, क्योंकि वे उस विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र का भाग नहीं हैं। इस गलती को सुधारने के लिए यह प्रस्ताव किया गया है कि इसे जोड़ा जाना चाहिए। अब जब यह जोड़ दिया गया है, तो अन्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी कुछ पारिणामिक संशोधन किए जाने चाहिए ताकि उन्हें हमारे संविधान में अधिकथित नियमों के अनुरूप बनाया जा सके। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में अवश्य ही मतदाताओं की कुछ संख्या होनी चाहिए और तदनुसार प्रतिनिधित्व वितरित होना चाहिए।

जैसे मुझे अब सलाह दी गई है, मुख्य संशोधन केवल अटवा पिपरिया की बाबत है। उनमें से शेष मात्र पारिणामिक है। उनमें कोई सार नहीं है सिवाय इस तथ्य के कि वे किए जाने चाहिए। यदि हम प्रथम संशोधन को स्वीकार कर लेते हैं, अर्थात् ''अटवा पिपरिया'' जोड़ने के लिए। मैं समझता हूँ माननीय सदस्य यह स्पष्ट अनुभव करेंगे कि प्रथम संशोधन नितांत अनिवार्य है क्योंकि हम किसी विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से किसी विशिष्ट भाग का लोप नहीं कर सकते। यदि हम उस निर्वाचन क्षेत्र में कुछ जोड़ना चाहते हैं और वह निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्य को देने के लिए अनुध्यात निर्वाचन क्षेत्र से बड़ा हो जाता है तो प्रत्यक्षतः अन्य परिवर्तन भी अवश्य किए जाने चाहिए। मैं केवल अपने मित्र को स्पष्ट कर रहा हूँ कि इसमें बिल्कुल भी दम नहीं है।

श्री टी. एन. सिंह : अन्य स्थानों के बारे में क्या स्थिति है। अन्य निर्वाचन क्षेत्र भी हैं जिनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रकट होते हैं, जिनके बारे में मुझे बताया गया है। उदाहरण के लिए बनारस के सामने यह ''शिवपुर परगना और देहात अमानत परगना बनारस की नगरपालिका और छावनी को छोड़कर है। उन्हें पुनः लीजिए (V) : ''बनारस तहसील के जलहुपुर, सुलतानी पुर और कटेहर परगना।'' पहले मैंने सोचा था कि केवल सुलतानपुर और कटेहर परगना हैं। आपने एक पूरा परगना जोड़ दिया है। मैं जानना चाहता हूँ इस परिवर्तन का क्या कारण है।

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं इसे सदन में रखूंगा। प्रश्न है :—

कि 20 सितंबर, 1951 को पटल पर रखे गए संसदीय और विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) (संशोधन) परिसीमन आदेश, 1951 में निम्नलिखित उपांतर किए जाएं, अर्थात् :—

(1) कि पष्ठ 1 पर पैरा 2 (iii) में ''किंतु मोहम्मदी सहित'' शब्दों के बाद ''अटवा पिपरिया'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएं।

(2) कि पृष्ठ 1 पर पैरा 2 (ii) में ''(मोहम्मदी को छोड़कर)'' कोष्ठक और शब्दों के बाद, ''अटवा पिपरिया'' शब्द अंतःस्थापित किए जाएं।

(3) कि पृष्ठ 2 पर पैरा 3(i) में तालिका में स्तंभ 1 में ''(उत्तरी) तथा (पूर्वी) चमोली'' प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाए, अर्थात् :—

''पौड़ी (दक्षिणी) और चमौली (पूर्वी)''

''(iiiक) स्तंभ 1 में ''मोहम्मदी (पश्चिमी)'' और ''मोहम्मदी (पूर्वी)'' प्रविष्टियों के स्थान पर और स्तंभ 2 में उनके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएं, अर्थात् :—

1.	2
मोहम्मदी (पश्चिमी)	मोहम्मदी, अटवा पिपरिया मगदपुर और मोहम्मदी तहसील के पसगवां परगना
मोहम्मदी (पूर्वी)	मोहम्मदी तहसील (मोहम्मदी अटवा पिपरिया, मगदपुर और पसगवां परगना को छोड़कर)

प्रस्ताव अंगीकृत किया गया था।

माननीय उपाध्यक्ष : संसदीय और विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) परिसीमन से संबंधित राष्ट्रपति का आदेश सदन द्वारा स्वीकृत संशोधन की सीमा तक परिवर्तित होता है।

पंडित कुंजरू : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या यह उत्तर प्रदेश विधानमंडल की भी बाबत है या केवल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन की बाबत है?

डॉ. अम्बेडकर : यह दोनों के लिए है।

माननीय उपाध्यक्ष : हमने परिषद निर्वाचन क्षेत्रों और संसदीय तथा विधान मंडल निर्वाचन क्षेत्रों, दोनों की बाबत किया है। अब कोई प्रस्ताव नहीं है।

पंडित कुंजरू : क्या मैं विधानमंडल निर्वाचन क्षेत्रों में से एक के बारे में माननीय मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकता हूँ?

माननीय उपाध्यक्ष : अब यह विषय समाप्त हो गया है।

पंडित कुंजरू : इस विषय पर विचार करने के पश्चात् हमने कहा है कि एक निर्वाचन क्षेत्र दो सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र होना चाहिए। वह क्यों आवश्यक हो गया है? क्या उनका निष्कर्ष था कि उनके द्वारा यथा प्रस्तावित निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति के मतदाताओं का अनुपात उससे अधिक होगा जो समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तावित किया गया है?

डॉ. अम्बेडकर : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसा परिवर्तन किया है।

*****

(42)

सभा का कार्य

माननीय उपाध्यक्ष : सभा के कार्य और छुट्टियों के बारे में माननीय प्रधानमंत्री वक्तव्य देंगे।

प्रधानमंत्री व सभा के नेता (श्री जवाहर लाल नेहरू) : मेरे विचार में कल मुहर्रम का दसवाँ दिन होने के कारण, हमारी छुट्टियों की सूची में छुट्टी अधिसूचित की गई है। किंतु मुझे पता चला है कि निर्धारित तिथि के अनुसार चाँद नहीं निकला और अब हिसाब लगाया गया है कि दसवाँ दिन कल की बजाय परसों पड़ता है और इसी कारण दिल्ली के मुख्य आयुक्त ने मुहर्रम के लिए परसों की छुट्टी घोषित कर दी है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि यह सभा भी कल की बजाय परसों मुहर्रम की छुट्टी रखे अर्थात् कल की बैठक होगी, परसों की नहीं।

श्री कॉमथ (मध्य प्रदेश) : क्या कल सत्र का अंतिम दिन होगा?

श्री जवाहर लाल नेहरू : यह मैं नहीं कह सकता।

माननीय उपाध्यक्ष : कार्य सूची के अनुसार बहुत सारा काम पड़ा है।

श्री जवाहर लाल नेहरू : सभा की बैठक कल होगी। परसों बैठक नहीं होगी। किंतु हो सकता है हमें एक और दिन के लिए संभवतः रविवार को बैठक करनी पड़े।

पंडित कुंजरू (उत्तर प्रदेश) : रविवार को क्यों, सोमवार को क्यों नहीं?

श्री जवाहर लाल नेहरू : इसके बारे में विचार किया जा सकता है। रविवार और सोमवार क्यों नहीं?

पंडित कुंजरू : हमारे विषेशाधिकार ब्रिटेन के हाऊस आफ कॉमन्स के अनुरूप हैं और चूँकि हाउस आफ कामन्स की बैठक रविवार को नहीं होती, हमें भी पूरा अधिकार है कि हम भी रविवार को बैठक न रखें।

श्री जवाहर लाल नेहरू : हाउस आफ कॉमन्स तो मुहर्रम के दिन भी बैठक करता है।

पंडित कुंजरू : यदि सभा के माननीय नेता ऐसा सुझाव देने की हिम्मत रखते

हों तो हम सभा की बैठक मुहर्रम के दिन रख सकते हैं।

श्री जवाहर लाल नेहरू : मैं सभा की बैठक रविवार को रखने की, सभा को सुझाव देने की हिम्मत रखता हूँ।

पंडित कुंजरू : यह बात हमारे विशेषाधिकार के विरुद्ध है।

श्री कॉमथ : मैं सुझाव देना चाहता हूँ कि रविवार को बैठक रखने के बजाय हम मुहर्रम का त्यौहार, छुट्टी करने की बजाय, बैठक रखकर क्यों न मनाएं और अधिक परिश्रम से देश की सेवा करें जैसे कि हमने विनायक चतुर्थी और अनंत चतुर्दशी के अवसर पर किया था?

माननीय उपाध्यक्ष : इस विषय पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। कल कार्य दिवस रहेगा। यद्यपि मूलतः 12 तारीख की छुट्टी अधिसूचित की गई थी, संसद की बैठक कल होगी। छुट्टी परसों के दिन के लिए स्थानांतरित कर दी जाएगी। कार्य सूची में बहुत सारा काम पड़ा है और यदि सरकार काम को जारी रखना चाहती है तो हम निश्चय ही सोमवार और मंगलवार को भी बैठ सकते हैं।

जहाँ तक रविवार का संबंध है, मैं सामान्य स्थिति में, रविवार को बैठक रखने के विरुद्ध हूँ किन्तु हम इस बारे में, बाद में, कार्य की स्थिति देखकर विचार करेंगे।

अब सभा उद्योग विधेयक पर आगे विचार करेगी।

डॉ. अम्बेडकर : उठे......................

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री मध्याह्न अपना वक्तव्य दे सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : इस विधेयक के पश्चात्?

माननीय उपाध्यक्ष : लगभग 6 बजे।

डॉ. अम्बेडकर : आप और मेरे तथा प्रधानमंत्री के बीच हुई बातचीत में पहले ही तय हो चुका है कि मैं 6 तारीख को अपना वक्तव्य दे सकता हूँ। चूँकि 6 तारीख को सभा का कोई कार्य समाप्त नहीं हो पाया था, आपने निश्चित रूप से 6 तारीख को स्वीकार किया था कि आप कार्य निष्पादन संबंधी नियम को निलंबित करके 11 तारीख को मुझे अपना वक्तव्य देने की अनुमति देंगे। इसलिए अब समय आ गया है जब मुझे अपना वक्तव्य देना चाहिए जो भूतपूर्व मंत्री के रूप में पढ़ा जाएगा। मेरे विचार में 6 बजे बात तो नहीं हुई थी।

माननीय उपाध्यक्ष : यह सच है कि मैंने माननीय विधि मंत्री से कहा था कि मैं नियम को निलंबित कर दूंगा। सामान्य तौर पर नियम 128 के अधीन, प्रश्न काल के तत्काल बाद, कोई भी मंत्री महोदय, जिसने त्याग—पत्र देने के कारण स्पष्ट करने

वाला वक्तव्य दे सकता है। आज मुझे इस प्रयोजन के लिए उस नियम को निलंबित करना है और मैं ऐसा करूंगा मैंने केवल यह सुझाव दिया है कि इसे 6 बजे तक स्थगित रखा जाए। बस, इतनी सी बात है।

डॉ. अम्बेडकर : अभी क्यों नहीं?

माननीय उपाध्यक्ष : मैं 6 बजे मंत्री महोदय की बात सुनूंगा।

डॉ. अम्बेडकर : मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि मेरे वक्तव्य को 6 बजे तक क्यों टाला जा रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष : किसी मंत्री द्वारा कोई वक्तव्य दिये जाने से पूर्व, नियमों के अनुसार माननीय अध्यक्ष की सहमति अपेक्षित है। मैं जानना चाहूँगा कि माननीय मंत्री क्या वक्तव्य देना चाहते हैं। निःसंदेह, इसमें मेरी सहमति अपेक्षित है। मैं उसके बारे में सदन को कुछ नहीं बताने वाला, इसकी कोई व्यवस्था भी नहीं है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह अपने वक्तव्य की एक प्रति मुझे दे दें और मैं उनको मध्याह्न पश्चात् वक्तव्य देने की अनुमति दे दूंगा।

डॉ. अम्बेडकर : यदि यह बात थी, तो मैं जब आप से मिला था, आप मुझे तभी बता सकते थे। मैं आपको, आपके द्वारा अनुमति दिए जाने से पूर्व, अपने वक्तव्य की एक प्रति दे देता। आपने मुझे बताया ही नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष : अभी कुछ नहीं बिगड़ा है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं आ गया और इसके बाद मैंने एक पत्र लिखा था किंतु जहाँ तक मेरा संबंध है, आपने मुझे यह नहीं बताया कि वक्तव्य देने की अनुमति देने के बारे में निर्णय करने से पूर्व मुझे अपने वक्तव्य की एक प्रति आपको देनी चाहिए और मैंने नियम 128 को पढ़कर देखा है और उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके अनुसार अध्यक्ष को, उनके द्वारा सहमति दिये जाने से पूर्व, वक्तव्य की एक प्रति दिया जाना अपेक्षित हो। प्रधानमंत्री ने मुझे अपने वक्तव्य की एक प्रति देने को कहा था और मैंने उनको उसकी एक प्रति दे दी है। यदि आप भी मुझे आदेश देते कि आपको, यह निर्णय करने से पूर्व कि क्या वक्तव्य दिये जाने की अनुमति दी जाए अथवा न दी जाए, उससे पूर्व वक्तव्य की एक प्रति आपको दी जानी अपेक्षित है तो मैं सहर्ष ऐसा करता किंतु जब मैं आपके पास आया था तब आपने इस बात की ओर कोई संकेत नहीं दिया था। मेरे विचार में, कठिनाई यह थी कि नियमों के अनुसार प्रश्नकाल के तुरंत बाद वक्तव्य दिया जाना चाहिए और प्रधानमंत्री की उत्कट इच्छा थी कि मैं कुछ काम संपन्न कर लूं जो संभवतः अन्य सदस्यों को करने में कठिनाई होती क्योंकि इसमें कुछ पेचीदा समस्याएं अंतर्निहित थीं। मैं इस बात पर सहमत हो गया और फिर मैं आपके पास आया और आपसे पूछा कि क्या

आप कृपया नियमों को निलंबित करेंगे जिससे मैं कार्य निष्पादन में प्रधानमंत्री की सहायता कर सकूं? आपने तब भी मुझे नहीं बताया कि मुझे वक्तव्य देने की अनुमति देने से पूर्व मुझे अपने वक्तव्य की एक प्रति आपको देनी होगी और आपने पहली बार अब यह बात कही है।

पंडित कुंजरू : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या पीठासीन अध्यक्ष द्वारा उसका निरीक्षण कर उसमें कांट–छांट की जा सकती है, जैसा कि आपने कहा है?

माननीय उपाध्यक्ष : जी, हाँ। पीइासीन अध्यक्ष इस विचार से सेंसर कर सकता है कि सदन के समक्ष कोई ऐसा पाठ नहीं रखा जाना चाहिए जो निंदात्मक हो, मानहानिपूर्ण हो, अप्रासंगिक हो, आदि आदि (व्यवधान)। शांति, शांति, मैं पूछे गए प्रश्न का केवल उत्तर दे रहा हूँ। निश्चय ही, मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं अप्रासंगिक टिप्पणियों तथा अनुचित वक्तव्यों की अनुमति नहीं दे सकता। मैं अपने आपकी नियम 128 तक सीमित रखना चाहूँगा और यदि कोई माननीय मंत्री सभा में कोई वक्तव्य देना ही चाहता है, और मैं महसूस करता हूँ कि वक्तव्य में शिष्टाचार का अभाव है, अथवा मेरे विचार में वह अप्रासंगिक है तो मैं कह सकता हूँ, कि सभा कार्यविधि के अनुसार चले। यह मेरा अधिकार है। अन्यथा इस नियम का कोई अर्थ नहीं रह जाता है।

जहाँ तक मंत्री महोदय को अनुमति दिये जाने का संबंध है मैं स्वीकार करता हूँ कि वह मेरे पास आए थे। संभवतः उनकी स्मरण शक्ति कमजोर हो गयी है। उन्होंने मुझे ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया था कि मैं नियमों के अधीन स्थायी आदेशों को निलंबित कर सकता हूँ। मैं उनकी बात को स्वीकार करना चाहता था और मैंने उन्हें बताया था कि मैं उन्हें किसी भी समय, जब वह चाहेंगे, वक्तव्य देने की अनुमति दे दूँगा और मैंने यह भी कहा था कि मैं आदेशों को निलंबित कर सकता हूँ। उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था। अब भी, उनके द्‌वारा वक्तव्य दिए जाने के दौरान यदि मैं समझूंगा कि ऐसा वक्तव्य नहीं दिया जाना चाहिए तो मैं निश्चित ही कह सकता हूँ कि उसमें से किसी भाग विशेष को कार्यवाही–वृतान्त में से निकाल दिया जाए। इस बात से बचने के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि वास्तव में वक्तव्य में क्या लिखा है। वह नियमों के विरुद्‌ध और अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं होना चाहिए। मैं नियम को निलंबित करके उनको वक्तव्य देने की अनुमति देने के लिये तैयार हूँ, वह प्रश्न काल के तुरंत बाद अपना वक्तव्य दे सकते हैं। मैं अपनी बात पर कायम हूँ। मेरी स्थिति वही है और चूंकि मेरे लिए यह रास्ता खुला है कि माननीय मंत्री जब वक्तव्य दे रहे होंगे तो मैं इस बात पर नज़र रखूंगा कि इस तरह की कोई बात सदन के समक्ष न लाई जाए। मैंने उनसे केवल इतना ही कहा था कि अब चूंकि समय है, मुझे वक्तव्य की एक प्रति दे दें। मुझे पता चला है

कि उन्होंने प्रधानमंत्री, सभा के नेता को वक्तव्य की एक प्रति दे दी है। किंतु सभा के अध्यक्ष के पास सदन का पूरा विशेषाधिकार, सम्मान, शिष्टाचार आदि सब कुछ रहता है। इसलिए, इस संबंध में जहाँ तक अध्यक्ष का संबंध है, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं नियम के विरुद्ध–कुछ नहीं कर रहा हूँ। वक्तव्य देने की स्वतंत्रता के संबंध में मैं सभा अथवा माननीय सदस्यों के सम्मान को ठेस पहुंचाए बिना अपने अधिकार का प्रयोग कर रहा हूँ। मैं मंत्री महोदय को 6 बजे अपना वक्तव्य देने की अनुमति दूँगा।

श्री कॉमथ : क्या यह सच नहीं है कि नियमों के अनुसार, किसी मंत्री या सदस्य को, अप्रासंगिकता के आधार पर अथवा अन्यथा नियम का पालन करने के लिए कहा जा सकता है किंतु वक्तव्य को पहले से सेंसर नहीं किया जाना चाहिए?

माननीय उपाध्यक्ष : यह बात नहीं है, मेरे विचार में, नियमों के अधीन मुझे उस वक्तव्य को देखने का अधिकार है, जो मंत्री महोदय द्‌वारा सदन में दिया जाने वाला है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस बात को इस रूप में लेता हूँ, कि आप मुझे वक्तव्य देने की अनुमति नहीं देना चाहते, मैं आपके विनिर्णय का यही अर्थ लगाता हूँ। मैं अब मंत्री नहीं हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ। मैं इस प्रकार के आदेश के आगे झुकने वाला नहीं।

पंडित कुंजरू : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जब श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने त्याग–पत्र दिया था तब क्या माननीय अध्यक्ष ने उनके वक्तव्य की प्रति सदन में उनके द्‌वारा दिये जाने से पूर्व मांगी थी।

माननीय उपाध्यक्ष : उन्होंने माननीय अध्यक्ष से बात की थी और उन्होंने माननीय अध्यक्ष को बता दिया था कि वह सदन में क्या कहना चाहते हैं।

सदन में ही सारी चर्चा हुई थी। अब सदन अगली मद पर विचार करेगा।

पंडित कुंजरू : उनको भाषण की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

माननीय उपाध्यक्ष : उसकी आवश्यकता नहीं थी।

श्री कॉमथ : कुछ भी हो, हम तो वक्तव्य से वंचित रह गए।

माननीय उपाध्यक्ष : यह बात उन पर छोड़ दी गयी थी। अब माननीय सदस्यों को अवगत कराया जाता है कि वह वक्तव्य नहीं देंगे।

*****

(43)

डॉ. अंबेडकर का त्याग–पत्र

*मााननीय उपाध्यक्ष : मैंने कहा था कि यदि डॉ. अंबेडकर चाहें तो वह 6 बजे अपना वक्तव्य दे सकते हैं। किंतु वह अपनी सीट पर नहीं हैं। किसी भी माननीय मंत्री को जिसने त्याग–पत्र दिया हो, अध्यक्ष की अनुमति से, प्रश्न काल के तत्काल बाद, वक्तव्य देने की अनुमति दी जा सकती है। आज अल्प सूचना प्रश्न के बाद प्रश्न–काल समाप्त हो गया था और डॉ. अंबेडकर ने निर्वाचन–क्षेत्र परिसीमन संबंधी प्रस्तावों का संचालन किया था और इसीलिए यह कार्य त्तकाल नहीं किया जा सका, जब वह वक्तव्य देना चाहते थे। तत्पश्चात् मैंने सोचा कि प्रथा के अनुसार, अथवा प्रश्न काल के तुरंत बाद वह ऐसा कर सकते हैं या दिन के अंत में 6 बजे कर सकते हैं। इसलिए मैंने 6 बजे का समय निर्धारित कर दिया था। मुझे उनको यह अवसर अब प्रदान करने में प्रसन्नता होगी किंतु वह अब उपस्थित नहीं हैं।

जहाँ तक वक्तव्य की प्रति का संबंध है, वह सच है कि जब वह मौखिक वक्तव्य देना चाहते थे, तब वह मेरे कक्ष (चेंबर) में आए थे, उस समय मेरे दिमाग में यह बात नहीं आई थी कि मैं उनसे कहूँ कि वह अपना वक्तव्य लिखित रूप में मुझे दे दें यह बात ठीक नहीं थी। इसीलिए मैंने उनको वक्तव्य देने की अनुमति दे दी थी और यह भी कहा था कि यदि वह प्रश्न काल के तुरंत बाद वक्तव्य न दे सकें तो मैं नियमों को निलंबित कर दूंगा। किंतु आज प्रातः मैंने देखा कि जो बात वह वक्तव्य के माध्यम से कहना चाहते थे, उन्होंने वह लिखित रूप में दे दी और एक प्रधानमंत्री जो सदन के नेता भी हैं को भी दे दी। स्वभावतः मैंने वक्तव्य देने के लिये उठने से काफ़ी पहले सचिव के माध्यम से उन्हें कहलवा भेजा था कि वह मुझे वक्तव्य की एक प्रति भेज दें। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि उन्होंने मुझे उस वक्तव्य की प्रति नहीं भेजी। मैं इसका कोई कारण नहीं जानता। मेरा काम वाद–विवाद को विनियमित करना है; मैं उस वक्तव्य के संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। जब सदन में कोई वक्तव्य पढ़ा जाता है तो संबंधित व्यक्ति सामान्य तौर पर उसकी एक प्रति मुझे दे

---

* संसदीय वाद–विवाद, जिल्द–16, भाग–II, 11 अक्तूबर, 1951, पृ. 4730–37

देता है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा करने से मना क्यों किया।

जब वह वक्तव्य देना चाहते थे, तब मैंने उनसे, बिना किसी शर्त के, 6 बजे अपना वक्तव्य देने को कह दिया था किंतु उन्होंने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया। इसलिए मुझे खेद है कि उन्होंने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया। मैं इस ग़लतफ़हमी को दूर कर देना चाहता था। जब वह अपने वक्तव्य की प्रति देने के लिए खड़े हुए तो दुर्भाग्य से वह नहीं दे पाये, मैंने उससे पहले ही उनसे कहा था। वह मुझे अपने वक्तव्य की प्रति देते या न देते, मैंने उनको इस सदन में मौखिक वक्तव्य देने की अनुमति दे देनी थी। उन्होंने मेरे सुझाव को स्वीकार नहीं किया।

श्री ज्ञानी राम (बिहार) : उनका वक्तव्य समाचार–पत्रों में प्रकाशित हो चुका है।

माननीय उपाध्यक्ष : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। सदन उस पर कोई ध्यान नहीं देगी।

प्रधानमंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : क्या मैं इस संबंध में कुछ कह सकता हूँ। मेरे लिए यह बड़े दुःख की बात है कि मेरे एक पुराने साथी इस तरीके से हमसे आज अलग हो गए हैं। मैं उन सभी पहलुओं के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता जिनका आपने उल्लेख किया है। मुझे वक्तव्य की एक प्रति, जब मैं अपने स्थान पर बैठा हुआ था, प्रातः 9.30 बजे प्राप्त हुई थी अर्थात् वास्तव में वक्तव्य देने के लिये उठने से लगभग 45 मिनट पहले, मुझे उसको पढ़कर कुछ हैरानी हुई थी क्योंकि त्याग–पत्र देने वाले किसी मंत्री से मैं इस प्रकार के वक्तव्य की आशा नहीं करता। फिर भी जो सच्चाई है, वह तो है और मेरा विचार है कि जब वह वक्तव्य देंगे तो मैं कुछ शब्द कहूँगा क्योंकि नियमों के अधीन ऐसे मामले में कोई वाद–विवाद करना न तो वांछनीय होता है और न ही उसकी अनुमति दी जा सकती है, मैं, आपकी अनुमति से मुझे भेजे गये त्याग–पत्र को और इससे पहले और बाद में, एक–दूसरे को भेजे गये कुछ पत्रों को पढ़ना चाहता हूँ।

मुझे प्राप्त पहला पत्र इस प्रकार है–

डॉ. देशमुख (मध्य प्रदेश) : यदि पीठासीन अध्यक्ष की इच्छा डॉ. अम्बेडकर को एक अन्य अवसर देने की है तो मेरे विचार से प्रधानमंत्री द्वारा इस विषय पर इस समय वक्तव्य दिए जाने के बजाय अच्छा यही होगा कि प्रतीक्षा कर ली जाए कि क्या वह इस अवसर का लाभ उठाने के लिए राज़ी हैं।

ख़्वाजा इनाइत उल्लह (बिहार) : उसकी प्रति हमारे हाथों में आ चुकी है।

डॉ. देशमुख : यदि एक अन्य अवसर दिया जाना हो;

माननीय उपाध्यक्ष : मेरे विचार में, कोई माननीय सदस्य किसी अन्य सदस्य की ओर से नहीं बोल सकता और मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि क्या डॉ. देशमुख डॉ. अम्बेडकर की ओर से प्राधिकृत हैं।

डॉ. देशमुख : बिल्कुल नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष : यद्यपि उन्होंने मंत्री के रूप में त्याग–पत्र दिया है, वह अब भी इस सदन के सदस्य हैं। हम सच में अपेक्षा करते हैं, जब उन्होंने उपाध्यक्ष से नोटिस पर ध्यान न देने को कहा था, तो उपाध्यक्ष, उस पर सहमत हो गए थे और वक्तव्य देने के लिये सांय 6 बजे का समय निश्चित कर दिया था, हमें आशा थी कि वह 6 बजे यहाँ पर उपस्थित रहेंगे और अपने विचार व्यक्त करेंगे। यह तो उनकी इच्छा थी कि वह वक्तव्य देते या न देते किंतु वह अपनी सीट पर ही नहीं हैं। प्रधानमंत्री एक वक्तव्य देना चाहते हैं।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं उनका त्याग–पत्र सभा में पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि सामान्य तौर पर किसी मंत्री का वक्तव्य उसके त्याग–पत्र से संबंधित होता है।

डॉ. देशमुख : जब हमारे पास वक्तव्य ही नहीं है तो इसकी क्या उपयोगिता है?

माननीय उपाध्यक्ष : इसकी प्रासंगिकता इस प्रकार है। हम मंत्रियों को सदन से मिलवाते हैं जब कोई मंत्री प्रधानमंत्री के निर्देश पर, परामर्श से नियुक्त किया जाता है तो प्रधानमंत्री किसी त्याग–पत्र को भी सदन में पढ़ सकते हैं।

डॉ. देशमुख : किसी सदस्य को वक्तव्य देने का विशेषाधिकार प्राप्त है। यदि उसको क्रियात्मक रूप नहीं दिया जा रहा तो पता नहीं, आप किन नियमों के अधीन आगे कार्यवाही करने पर विचार कर रहे हैं और किसी अन्य वक्तव्य की क्या आवश्यकता है।

माननीय उपाध्यक्ष : यह सदा पीठासीन अध्यक्ष के स्वविवेक पर निर्भर करता है, वह सरकार की ओर से कोई भी वक्तव्य दिए जाने की अनुमति दे सकते हैं।

डॉ. देशमुख : मैं इस पर आपत्ति नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इतना कह रहा हूँ, कि इसका आज सुबह उत्पन्न हुई स्थिति से क्या वास्ता है।

माननीय उपाध्यक्ष : यदि सरकार किसी विषय विशेष के संबंध में स्पष्टीकरण देना चाहती है, जिस मामले में सभी सदस्य रुचि लेते हों उसकी अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री जवाहरलाल नेहरू : महोदय, जैसा कि आपको विदित है जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं सम्मानपूर्वक कह सकता हूँ कि मुझे आशा थी कि वह अपना वक्तव्य देंगे। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि निश्चित समय पर वक्तव्य नहीं दिया

जाएगा अथवा आप कोई अन्य समय निर्धारित करेंगे। जो कुछ हुआ है, मुझे इसकी कदापि आशा नहीं थी। किंतु चूंकि अब यह हो गया है और वक्तव्य समाचार–पत्रों में प्रकाशित हो चुका है या होने वाला है तो मेरे विचार में सदन अब पत्राचार की जानकारी प्राप्त करने का इच्छुक होगा, जिसका आदान–प्रदान हुआ है। इस संबंध में वक्तव्य का बिल्कुल उल्लेख नहीं कर रहा हूँ बल्कि मैं उन पत्रों का उल्लेख कर रहा हूँ जिनका आदान–प्रदान मेरे और डॉ. अंबेडकर के बीच में हुआ है।

मुझे लिखे गए पत्र में उनके त्याग–पत्र का कोई जिक्र नहीं है और वह 10 अगस्त, 1951 को लिखा गया था।

यह इस प्रकार है :–

नई दिल्ली

तारीख 10 अगस्त, 1951

प्रिय प्रधान मंत्री,

मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंता हो रही है और मेरे डॉक्टर भी चिंति हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि मैं उनको लगातार इलाज करने के लिए लगभग एक महीने का लंबा समय दूं और इस इलाज को अब और टाला नहीं जा सकता क्योंकि ऐसा करने से और पेचीदगियाँ बढ़ सकती हैं। मैं बहुत चाहता हूँ कि इसके पूर्व कि मैं डॉक्टरों की सलाह मानकर अपना इलाज शुरू करूं, हिंदू संहिता विधेयक का निपटान हो जाता। इसलिए मैं हिंदू संहिता विधेयक को अधिक प्राथमिकता देना चाहता हूँ, इस पर 16 अगस्त को विचार आरंभ करके, यदि विरोधी पक्ष के लोग इसके मार्ग में बाधाएँ डालने के तरीके न अपनाएं, तो 1 सितम्बर तक इस पर निपटान तो किया जा सकता है। आपको पता है कि मैं इस विधेयक को बहुत अधिक महत्व देता हूँ और मैं इसको पास करवाने के लिए अपने स्वास्थ्य का कोई भी जोख़िम उठा सकता हूँ, किंतु यदि इस विधेयक को पास करवाकर जोखिम पहले ही टाला जा सके तो मेरे विचार में आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। 16 अगस्त को प्रस्ताव रखते समय मैं सभी तात्कालिक विधेयकों जैसे पंजाब, अध्यादेशों और श्री गोपालास्वामी अय्यंगार के नाम 'ग' राज्यों संबंधी विधेयकों की प्राथमिकता को भी ध्यान रख रहा हूँ।

मैं यह इसलिये लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चला है कि पार्टी की पिछली बैठक में आपने शायद कहा है कि विधेयक को सितंबर के प्रथम सप्ताह में लिया जाए। मैं विश्वास करता हूँ, कि वह आपका सुझाव मात्र था। वह आपका निर्णय नहीं था।

ससम्मान आपका

ह./– बी. आर. अम्बेडकर

मैंने इन्हें उसी दिन लिखा था।

10 अगस्त, 1951

प्रिय अम्बेडकर,

मैंने कल आपको हिंदू संहिता विधेयक के बारे में लिखा था। आपका पत्र आज दिनांक 10 अगस्त का मिला।

मुझे खेद है कि आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और आप चिंत्ति हैं। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप जीवन को थोड़ा सहज रूप में लें।

जहाँ तक हिंदू संहिता विधेयक का संबंध है, आपको इस बात की जानकारी है कि इसका बहुत अधिक विरोध किया जा रहा है, सदन के अंदर ही नहीं, बाहर भी। हम विश्व में प्रबल इच्छाशक्ति के साथ भी विरोधी पक्ष के विचारों की उपेक्षा नहीं कर सकते और इसको जल्दी पास नहीं करवा सकते, वे इसमें विलंब करवाने में समर्थ हैं। इसलिए हमें किसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए तभी हम किसी नतीजे पर पहॅुच सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि यह विधेयक इस सत्र में पास हो जाना चाहिए।

मंत्रिमंडल ने निर्णय किया था और मेरे विचार में कार्यवाही सारांश में से रिकार्ड भी किया गया था कि सितंबर के आरंभ में विधेयक को लिया जाए। मैंने इस बात का उल्लेख पार्टी की बैठक में किया था और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया था। यदि हम जल्दबाजी करने का प्रयास करेंगे और इस विधेयक को जल्दी लाएंगे तो इससे हमारे विरोधियों को व्यर्थ का बहाना मिल जाएगा और वे हमारे लिए परेशानी खड़ी करेंगे। वैसे भी कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों–अध्यादेशों, भाग 'ग' राज्य विधेयक, उद्योग विधेयक से निपटने के बाद सितंबर के प्रथम सप्ताह में इस विधेयक को लेना अधिक उपयोगी रहेगा। यदि हम इनमें से किसी से भी पहले हिंदू संहिता विधेयक को लेने का प्रयत्न करते हैं तो इससे बहुत शोर मचेगा और अन्य लोगों को व्यर्थ में बहाना मिल जाएगा। मेरे विचार में, सब बातों को ध्यान में रखते हुए बेहतर यही होगा कि हम घोषित तिथियों के अनुसार ही कार्यवाही करें। इससे हम अधिक शक्ति के साथ इस कार्य का निष्पादन कर पाएंगे और हमें कम–कम विरोध का सामना करना पड़ेगा। संसद की बैठक कम से कम अक्तूबर के पहले सप्ताह तक चलेगी। अतः पर्याप्त समय उपलब्ध है।

आपका

ह./

जवाहर लाल नेहरू

27 सितंबर को मुझे निम्नलिखित त्याग–पत्र प्राप्त हुआ।

''मैं काफी समय से मंत्रिमंडल से त्याग–पत्र देने के बारे में सोच रहा था। केवल एक ही बात मुझे अपने त्याग–पत्र देने से रोके हुई थी, मुझे आशा थी कि शायद इस संसद की कालावधि समाप्त होने से पूर्व मैं हिंदू संहिता विधेयक को प्रभावी बना सकूँ। मैं इस बात पर भी सहमत हो गया था कि विधेयक के दो भाग कर दिए जाएँ और हम इसको विवाह और तलाक तक सीमित रखें मुझे आशा थी कि कम से कम हमारी मेहनत सफल हो जाये। किंतु विधेयक का इतना भाग भी समाप्त हो गया अब मुझे आपके मंत्रिमंडल का सदस्य बने रहने का कोई प्रयोजन नज़र नहीं आता।

मैं चाहता हूँ, कि मेरा त्याग–पत्र तुरंत प्रभावी माना जाए। आपको मेरा त्याग–पत्र स्वीकार करने में संभवतः एक कठिनाई आ सकती है और वह यह कि मेरे नाम पर कुछ विधेयक और प्रस्ताव हैं जो अभी निपटाए नहीं गए हैं। परन्तु मैं समझता हूँ कि इस संबंध में मेरी अनुपस्थिति महसूस नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपके मंत्रिमंडल का कोई भी अन्य मंत्री उनका संचालन कर सकता है। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि मेरा त्याग–पत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व मैं ही उनका संचालन करूं। तो मैं उनके निष्पादन तक ठहरने के लिए तैयार हूँ, परंतु केवल तभी तक। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं आपके प्रति व मंत्रिमंडल के प्रति उचित शिष्टाचार का निर्वाह न करूं। उस स्थिति में, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे नाम पर विधेयकों व प्रस्तावों को दूसरों पर प्राथमिकता दी जाए।''

उसी तारीख को, अर्थात् 27 सितंबर को मैंने उसका निम्नलिखित उत्तर दिया :

''मुझे आपका दिनांक 27 सितंबर का पत्र मिला। दो दिन पूर्व समाचार–पत्रों में आपका त्याग–पत्र प्रकाशित हुआ था और मैं चकित रह गया था। सत्र के आरंभ में, आपने अपने स्वास्थ्य के खराब होने के बारे में मुझसे बात की थी और निःसंदेह मैं जानता हूँ कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है।

आपका स्वास्थ्य ठीक न हरने और मंत्रिमंडल से त्याग–पत्र देने की इच्छा के कारण, मैं आपको मंत्रिमंडल में बने रहने पर विवश नहीं कर सकता। आपने इन वर्षों में मंत्रिमंडल में हमारा सहयोगी बनकर हमारे साथ मिलकर इकट्ठे काम किया, मैं इसकी सराहना करता हूँ। हमारे बीच में कई बार मतभेद भी हुआ है किंतु उससे आपके द्वारा किये अच्छे काम की सराहना में कोई अंतर नहीं पड़ा बल्कि मुझे खेद है कि आप हमसे दूर हो जाएंगे।

आपको इस बात से हुई भारी निराशा को मैं भली–भांति समझता हूँ कि इस सत्र में हिंदू संहिता विधेयक पास नहीं हो सका और उसके विवाह तथा तलाक

वाले भाग को भी अंततोगत्वा स्थगित करना पड़ा। मै इस बात को भी समझता हूँ कि आपने इस पर बहुत मेहनत की थी और आपकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। यद्यपि मैं इस विधेयक से बहुत अधिक नहीं जुड़ा रहा परंतु मैं काफी समय से इसकी आवश्यकता को महसूस करता रहा हूँ और मेरी उत्कट इच्छा थी कि यह पास हो जाए। मैंने बहुत प्रयत्न किया, परंतु भवितव्य और संसद के नियम हमारे विरुद्ध थे। अब मुझे यह स्पष्ट हो चुका है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि इस विधेयक को इसी सत्र में पास करवाया जा सके। मैं निजी रूप से इस संघर्ष से जूझता रहूँगा, मैं इसको छोड़ूँगा नहीं, क्योंकि मेरे विचार में, किसी भी दिशा में प्रगति के लिए, आगे बढ़ने हेतु इसका पास होना अत्यंत आवश्यक है।

आपका कहना है कि आप चाहते हैं कि आपका त्याग–पत्र तुरंत प्रभावी हो जाए। परंतु उसके साथ आपने सुझाव दिया है जोकि बहुत अच्छी बात है, कि आपके नाम से जो विधेयक और प्रस्ताव हैं, उनके निपटान तक आप रुक सकते हैं। मैं इस विषय में विचार करूंगा। किसी भी स्थिति में यह सत्र 6 अक्तूबर तक ही चलेगा अर्थात् आज से एक सप्ताह से कुछ अधिक समय तक चलेगा। कुछ दिनों की अवधि में प्राथमिकताओं की अधिक गुंजाइश नहीं रह जाती। हम यथाशीघ्र आपके विधेयक व प्रस्ताव निपटाने का प्रयास करेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप सत्र के अंत तक अपने पद पर बने रहेंगे।

शुभकामनाओं सहित

उन्होंने इस बात का उत्तर 1 अक्तूबर को इस प्रकार भेजा था:– ''मुझे आपका 28 सितंबर, 1951 का पत्र मिला जिसमें आपने मुझे मेरा त्याग–पत्र स्वीकार कर लिए जाने की सूचना दी है। चूंकि आप चाहते हैं कि मैं इस सत्र के अन्त तक अपने पद पर बना रहूँ, जो मेरी जानकारी के अनुसार इस मास की 6 तारीख तक चलेगा, मैं आपकी इच्छानुसार ऐसा करने को तैयार हूँ।

मैं भी आपको सूचित करना चाहता हूँ कि मेरा विचार संसद में एक वक्तव्य देने का है जो सेवा मुक्त होने वाला मंत्री सामान्य तौर पर देता है।''

इसका दिनांक 3 अक्तूबर का मेरा उत्तर निम्नलिखित था:–

''आप निश्चय ही सत्र के अंतिम दिन सदन में अपना वक्तव्य दे सकते हैं। मुझे अभी ज्ञात नहीं है कि सत्र का अंतिम दिन कौन–सा होगा। ऐसा लगता है कि 6 अक्तूबर सत्र का अंतिम दिन नहीं होगा।

संभव है कि आपके वक्तव्य के बाद मैं भी कोई वक्तव्य दूँ। इसलिए यदि आप मुझे अपने दिए जाने वाले वक्तव्य की एक प्रति भिजवा देंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा।

डॉ. अंबेडकर का दिनांक 4 अक्तूबर का पत्र :–

''मुझे आपका पत्र संख्या शून्य दिनांक 3 अक्तूबर, 1951 को मिला।''

आपने कहा है कि मैं सत्र के अंतिम दिन सदन में अपना वक्तव्य दूँ। क्या इसका अर्थ यह है कि यदि 6 तारीख सत्र का अंतिम दिन न हो तो मुझे उस दिन अपना वक्तव्य नहीं देना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूँ कि मुझे अपना वक्तव्य किस दिन देना है क्योंकि मुझे उपाध्यक्ष को भी सूचित करना है।

मैंने देखा कि आप भी मेरे वक्तव्य के बाद अपना वक्तव्य देना चाहते हैं। इस प्रकार का वक्तव्य देने की रूढ़ि तो नहीं है जैसा कि आप देना चाहते है। सदन के कार्य के अनुसार जो भी आपका अधिकार है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। मेरे वक्तव्य के बाद यदि आप कोई वक्तव्य देते हैं, तो उस पर निजी तौर पर मैं कोई आपत्ति नहीं करूंगा। जहाँ तक आपको मेरे वक्तव्य की अग्रिम प्रति दिए जाने संबंधी अनुरोध की बात है, जैसाकि आप जानते हैं, भाषण या वक्तव्य लिखकर रखने की मेरी आदत नहीं हैं। मैंने अपने वक्तव्य का पाठ अब तक नहीं लिखा है। यदि मुझे अपना वक्तव्य समय पर लिख सकने का अवसर मिला तो मुझे उसकी अग्रिम प्रति भेजकर प्रसन्नता होगी। मैं कितना पहले आपको अग्रिम प्रति भेज पाऊंगा, कह नहीं सकता।

डॉ. अंबेडकर को लिखा गया दिनांक 4 अक्तूबर का मेरा पत्र :–

''आपका पत्र दिनांक 4 अक्तूबर, मिला। अब मुझे स्पष्ट हो गया है कि सत्र कम से कम 11 अक्तूबर तक चलेगा। मैंने इस संबंध में सदन को भी सूचित कर दिया है। यदि आपके लिये उपयुक्त हो तो आप अपना वक्तव्य उस दिन दे सकते हैं।

जहाँ तक मेरा वक्तव्य दिए जाने का संबंध है, मैंने इस बारे में कोई पक्का निर्णय नहीं किया है। परंतु मैंने सोचा था कि शायद मैं इस अवसर पर कुछ शब्द कहूँ।''

डॉ. अम्बेडकर का 4 अक्तूबर का ही पत्र:–

'' जैसे कि आपने अपने पत्र संख्या 3373–पी. एम. दिनांक 4 अक्तूबर में सुझाव दिया है, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ और मैं अपना वक्तव्य संसद में 11 अक्तूबर को दूंगा। मैंने उपाध्यक्ष महोदय से भी बात कर ली है और वह भी मेरे नाम में लिखे कार्य अर्थात् परिसीमन आदेश के निष्पादन के पश्चात् उस तारीख को मुझे वक्तव्य देने की अनुमति देने पर सहमत है।''

महोदय यह अंतिम पत्र था।

***श्री कॉमथ :** महोदय, आगे बढ़ने से पूर्व क्या आप मुझे यह पूछने की अनुमति

---

* संसदीय वाद–विवाद, जिल्द–16, भाग–II, 12 अक्तूबर, 1951, पृ. 4751–53

देंगे कि क्या डॉ. अंबेडकर को, जो इस समय सदन में उपस्थित हैं, सूचित किया गया था कि प्रधानमंत्री और उनके बीच पत्राचार को सदन में पढ़ा जाएगा? यह संबंधित मंत्री के प्रति शिष्टाचार दिखाने की बात है कि उन्हें इस बात की सूचना दे दी जाती कि उनका पत्राचार सदन में पढ़ा जाने वाला है। यदि उनको सूचित नहीं किया गया था तो सदन जानना चाहती है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उनको सूचित किया गया था या नहीं। वह सदन को बताए कि उनको सूचित किया गया था या नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष : इन सब बातों से मेरा कुछ लेना–देना नहीं है। जब सरकार का काई प्रवक्ता इस संबंध में कुछ कागजात को पढ़कर सुनाना चाहता है तो मैं सहज स्वभाव में उसकी अनुमति दे देता हूँ। इसके अतिरिक्त मैंने डॉ. अंबेडकर द्वारा अपना वक्तव्य दिखाए जाने हेतु 6 बजे का समय निर्धारित किया था। उस समय वह अपनी सीट पर बैठे नहीं थे। तत्पश्चात् उससे संबंधित ये सब बातें हुईं और पत्र पढ़े गए। यही अपेक्षित था, इसलिए कोई विशेष सूचना दिए जाने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री कॉमथ : किंतु क्या पत्राचार के दूसरे पक्ष को सूचित किया गया था?

माननीय उपाध्यक्ष : यदि वह अनुपस्थित रहना पसंद करें तो क्या किया जा सकता है?

श्री कामथ : वह यह कहकर चेम्बर से बाहर चले गये थे कि उन्होंने त्याग–पत्र दे दिया है। क्या उनको भूतपूर्व मंत्री के रूप में वक्तव्य देने की अनुमति दी जाती? मेरे विचार में, उनको यह नहीं बताया गया था कि उनके पत्राचार को 6 बजे पढ़ा जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष : मंत्री की हैसियत से वक्तव्य नहीं दिया जाना था, पद पर रहते हुए नहीं, बल्कि त्याग–पत्र देने के बाद ही वक्तव्य दिया जाना था। समय कुछ भी हो, त्याग–पत्र देने के एक मिनट बाद ही वह भूतपूर्व मंत्री हो जाता है। फिर वह मंत्री नहीं रहता। नियमों के अनुसार, एक सदस्य, जिसने मंत्री का पद छोड़ दिया हो, अध्यक्ष के अनुमति से अपने त्याग–पत्र के स्पष्टीकरण के रूप में निजी वक्तव्य दे सकता है। जैसे ही उसने त्याग–पत्र दे दिया हो और प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, वे नियम कुछ भी हो मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, जब वह त्याग–पत्र दे देता है और वक्तव्य देना चाहता है तो वह मंत्री की हैसियत से वक्तव्य नहीं देता। उस समय वह भूतपूर्व मंत्री ही होता है। मैं इस तरह की आकस्मिक बातों की अनुमति नहीं दूंगा। यदि माननीय सदस्य कोई मामला उठाना चाहते हैं तो उन्हें या तो कक्ष में इसे मिलना चाहिए या पहले से मेरे साथ बात करनी चाहिए फिर इन मामलों का उल्लेख किया जाए। अब इस मामले को और आगे न बढ़ाया जाए।

श्री कामथ : क्या मैं कृपया पुनः निवेदन कर सकता हूँ कि कल पत्राचार के पढ़े जाने से यह आश्चर्य सामने आया था। चूंकि डॉ. अंबेडकर आज उपस्थित हैं, क्या आप उनको कल पढ़े गए पत्राचार के संबंध में एक वक्तव्य देने की, यदि वह चाहें तो, अनुमति देंगे?

माननीय उपाध्यक्ष : मुझे इस बात की जानकारी है, माननीय सदस्य अपने हितों की रक्षा करने में स्वयं समर्थ है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर काल्पनिक कथनों का उत्तर नहीं दे सकता। इसलिए यदि माननीय सदस्य स्वयं ऐसा कुछ करना चाहते हैं, यदि वह स्वयं कोई वक्तव्य देना चाहते हैं अथवा ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो मैं उस पर विचार करूंगा।

डॉ. अंबेडकर (बम्बई) : मैं आपकी अनुमति से केवल दो टिप्पणियाँ करना चाहता हूँ जब मैं चेंबर से बाहर निकला तो मुझे विश्वास था कि मैं सदन पर तथा आप पर ऐसा प्रभाव छोड़कर जा रहा हूँ कि मैं 6 बजे अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरे विचार में, मैंने इस बात को स्पष्ट कर दिया था। अब मैं न तो बोलने का अवसर मांग रहा हूँ और नहीं यह कह रहा हूँ, कि प्रधानमंत्री द्‌वारा 6 बजे पत्राचार पढ़े जाने से मैं क्षुब्ध हूँ। यह पूरी तरह जानते हुए कि मैंने आज सुबह स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं आपके द्‌वारा की गई टिप्पणियों को स्वीकार नहीं करने वाला कि मैं 6 बजे अपना वक्तव्य दूँ। यह बात मैं आप पर छोड़ता हूँ कि बिना मुझे पहले से यह सूचित किए कि वह पत्राचार पढ़ने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के लिए ऐसा करना उचित था या नहीं, मैं यह बात आप पर और प्रधानमंत्री पर छोड़ता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, कि पत्राचार से यदि कोई गलत प्रभाव पड़े होंगे तो उनको ठीक करने के लिए अनेक अन्य साधन उपलब्ध हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अपना मन बदलने के मामले में हमेशा स्वतंत्र हैं; परंतु मैंने 6 बजे का समय निश्चित किया था और 6 बजे का समय निश्चित रहेगा इसलिए मैं कह रहा था कि माननीय सदस्य 6 बजे अपनी सीट पर नहीं थे।

*****

[मंत्रिमंडल से अपने त्याग–पत्र के स्पष्टीकरण के रूप में डॉ. अंबेडकर का वक्तव्य समाचार–पत्र को तथा संसद सदस्यों के बीच वितरित किया गया था। जो इस श्रृंखला (सीरीज) में खंड 14 के भाग 2 में अनुबंध–1 के रूप में सम्मिलित किया गया है–संपादक]

(25)

*केन्द्रीय और राज्य कानूनों की संवीक्षा

पंडित एम. बी. भार्गव : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने कोई विधि आयोग अथवा अन्य ऐसे किसी समुचित तंत्र की स्थापना की है अथवा स्थापित करने का इरादा है जो भारत के संविधान के भाग III तथा अन्य उपबंधों के असंगत मौजूद कानूनों में भारत के संविधान की आत्मा के अनुसार संशोधन करने, परिवर्तन करने अथवा निरस्त करने संबंधी सभी केन्द्रीय और राज्य विधियों की संवीक्षा और जांच करेगा और यदि नहीं, तो क्यों?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : जी नहीं, श्रीमान्। संविधान के अनुच्छेद, 372 के अधीन केन्द्रीय और राज्य विधियों को संविधान के अनुरूप बनाने के लिए सरकार का मत है कि जहाँ तक मूल अधिकारों का सवाल है, अनुच्छेद 13(1) को ध्यान में रखते हुए किसी कानून का लोप करना अथवा उसमें किसी तरह का परिवर्तन करना तब तक उचित नहीं होता जब तक कि संविधान के भाग III के किसी उपबंध और उस कानून के बीच कोई स्पष्ट असंगतता न दिखाई दे जैसे कि, उदाहरणार्थ पंजाब लैण्ड एलिएनेशन, ऐक्ट, 1900 को अनुकूलन के द्वारा निरसित कर दिया गयाँ

पंडित एम. बी. भार्गव : क्या सरकार ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि राज्य और केन्द्रीय कानून किस सीमा तक वर्तमान संविधान के अनुकूल हैं और क्या सरकार का प्रतिपादना पर विचार करने का इरादा है?

डॉ. अम्बेडकर : महोदय, मैं नहीं समझता कि यह ऐसा मामला है जिसे प्रश्नोत्तर काल में उठाया जा सकता है। इस मुद्दे पर विभिन्न कोणों से वाद–विवाद किए जाने की आवश्यकता है, जिसे अनुच्छेद 13(1) के अनुरूप अनुच्छेद, 372 के प्रयोजन को कार्य रूप देने के लिए अंगीकष्त किया जा सकता है।

पंडित एम. बी. भार्गव : महोदय, क्या मैं जान सकता हूँ कि असंख्य कानूनों में से एक विशेष अधिनियम को ही क्यों चुना गया है और इस कानून को कौन सी

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–7, भाग–I, 7 अप्रैल, 1951, पृ. 2820

विशेष पद्धति के द्वारा चुना गया है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं माननीय सदस्य की इस बात से असहमत हूँ कि अनेक कानून ऐसे हैं जो संविधान से असंगत हैं हालांकि मैं मानता हूँ कि कुछ कानून जरूर ऐसे होंगे। मेरे माननीय मित्र को याद होगा कि यह एक बहुत ही कठिन मामला है और सरकार को इस मुद्दे के संबंध में निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना है कि क्या यह कानून वास्तव में असंगत है अथवा इसे बनाए रखा जाना चाहिए। इस एक कानून की विधि मंत्रालय और अटार्नी जनरल के साथ–साथ पंजाब सरकार के विधि परामर्श द्वारा बहुत बारीकी से जांच की गई थी और तब यह निष्कर्ष निकाला गया था कि मूल अधिकारों की दृष्टि से इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता और सरकार को इस मामले में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है कि मामले पर अनुकूलन के द्वारा कार्यवाही की जा सकती है।

*****

(26)

*निर्वाचक नामावलियाँ

2824 श्री सोनवाने : (क) क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि बंबई राज्य में निर्वाचक नामावलियाँ हिन्दी में प्रकाशित की गई हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि केन्द्र ने बंबई राज्य को निर्देश दिया है कि पहले ही से हिन्दी में प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों को अंग्रेजी में भी प्रकाशित किया जाए; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसा निर्देश क्यों दिया गया और इनके प्रकाशन पर कितनी अतिरिक्त लागत आएगी तथा इसे किसके द्वारा वहन किया जाएगा?

डॉ. अम्बेडकर : (क) बंबई राज्य में निर्वाचक नामावलियों को संबंधित जिलों की क्षेत्रीय भाषाओं अर्थात् गुजराती, मराठी और कन्नड़ में प्रकाशित किया गया है। बेलगाम और दक्षिण सतारा जैसे द्विभाषी जिलों में निर्वाचक नामावलियों को मराठी तथा कन्नड़ दोनों भाषाओं में प्रकाशित किया गया है। बंबई शहर में निर्वाचक नामावलियाँ को देवनागरी लिपि में प्रकाशित किया गया है।

(ख) और (ग) : माननीय सदस्य से अनुरोध किया जाता है कि वे दिनांक 13 फरवरी, 1951 को श्री कॉमथ द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 1409 के भाग (ख) के मेरे उत्तर का अवलोकन करें।

बंबई शहर में अंग्रेजी भाषा में निर्वाचन नामावलियों के प्रकाशन पर छह लाख रुपए की लागत आने की संभावना है और इस खर्च को बंबई सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा उसी प्रकार वहन किया जाएगा। जिस प्रकार कि मतदाता सूचियों को तैयार करने में हुए अन्य खर्च को वहन किया जाता है।

श्री सोन वाने : मैं जानना चाहता हूँ कि निर्वाचक नामावलियाँ कितने दिनों तक या कितनों महीनों के पश्चात् बंबई शहर में देवनागरी लिपि में प्रकाशित हो पाई

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–7, भाग–I, 7 अप्रैल, 1951, पृ. 2957

हैं? क्या अंग्रेजी में निर्वाचन नामावलियों को प्रकाशित करने के लिए यही निर्देश दिए गए थे?

डॉ. अम्बेडकर : मैं इन प्रश्न का कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता। परन्तु मैं समझता हूँ कि निर्वाचन आयुक्त को इस शिकायत के मिलने पर ही कि बंबई में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हिन्दी में प्रकाशित मतदाता सूचियों को समझ पाने में असमर्थ हैं, ये निर्देश दिए गए थे।

श्री सोनवाने : क्या यह निर्देश नहीं दिया जा सकता था कि जिससे इन निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन पर होने वाला छह लाख रुपये के अतिरिक्त खर्च को बचाया जा सकता था?

डॉ. अम्बेडकर : यह पूर्ण रूप से संभव है। मैं समझता हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है।

श्री सोनवाने : मैं पूछना चाहता हूँ धन की इस बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है?

डॉ. अम्बेडकर : धन की कोई बर्बादी नहीं हुई है। जब अंग्रेजी में निर्वाचक नामवलियों का प्रकाशित करना आवश्यक ही था तो फिर इन्हें एक साथ प्रकाशित किया जा सकता था, पहले या बाद में भी किया जा सकता था।

श्री सोनवाने : लेकिन क्या निर्वाचक नामावलियों का देवनागरी और अंग्रेजी में साथ–साथ प्रकाशित करने से खर्च में कमी नहीं की जा सकती थी?

डॉ. अम्बेडकर : जी, नहीं। यह कैसे हो सकता था।

श्री कॉमथ : क्या बंबई तथा अन्य राज्यों से ऐसी रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं कि पहले से प्रकाशित निर्वाचक नामावलियों के संबंध में अनेक दावे–एतराज दर्ज कराए गए हैं तथा इन दावों तथा एतराजों में से कितनों का निपटारा कर दिया गया है?

डॉ. अम्बेडकर : महोदय, यह बात इस से उत्पन्न नहीं होती।

माननीय उपाध्यक्ष : हाँ, ऐसा ही है।

श्री सारंगधर दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बिहार का सिंहभूम जिला द्विभाषी क्षेत्र है, क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वहाँ पर निर्वाचक नामवलियों को हिन्दी में प्रकाशित करने के साथ ही उड़िया भाषा में क्यों प्रकाशित नहीं किया गया?

डॉ. अम्बेडकर : हो सकता है, उड़िया उस क्षेत्र की क्षेत्रीय भाषा न हो।

*****

(27)

*उच्चतम न्यायालय में वकील

3233 श्रीमती दुर्गाबाई : (क) क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार और राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व करने हेतु वकीलों को नियुक्त करने के लिए क्या पद्धति अपनाई जाती है;

(ख) मंत्रालय के अधीन किस एजेन्सी को सरकार की ओर से वकीलों को नियुक्त करने का कार्य सौंपा गया है;

(ग) विभिन्न मामलों में सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों का चयन करने हेतु क्या कोई पैनेल बनाया गया है;

(घ) इन वकीलों का शुल्क किस आधार पर निर्धारित किया जाता है?

विधि मंत्री डॉ. अम्बेडकर : (क) उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार के लगभग सभी मामलों को हमेशा महान्यायवादी (अटार्नी जनरल) देखते रहे हैं। उनकी सहायता के लिए एक जूनियर काउंसिल होता है जिसका चयन मामले की प्रकषति और महत्ता को देखते हुए अटार्नी जनरल से परामर्श करके किया जाता है। इसी प्रकार राज्य सरकार के मामलों को सामान्यतः राज्य के महाधिवक्ता (एडवोकेट–जनरल) द्वारा देखा जाता है जिसकी सहायता के लिए एक जूनियर काउंसिल होता है। किसी काउंसिल विशेष की नियुक्ति के समय राज्य सरकारों के निर्देशों का पालन किया जाता है।

(ख) विधि मंत्रालय की केन्द्रीय एजेन्सी अनुभाग का प्रभारी जो सरकारी एजेन्ट होता है, भारत सरकार की ओर से और उन राज्य सरकारों की ओर से भी, जो उस अनुभाग को अपना कार्यभार सौंपती हैं। काउंसिल की नियुक्ति करता है।

(ग) केन्द्रीय एजेन्सी अनुभाग में वकीलों का कोई पैनल नहीं रखा जाता है। सरकारी एजेन्ट उच्चतम न्यायालय में वकालत करने वाले काउंसिलों की एक सूची

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–7, भाग–I, 18 अप्रैल, 1951, पृ. 3315

अपने पास रखता है और प्रश्न के भाग 'क' के उत्तर में इंगित पद्धति के अनुसार काउंसिल की नियुक्ति करता है।

(घ) स्वाभाविक है, काउंसिलों का शुल्क इस बात पर निर्भर करता है कि नियुक्त काउंसिल कितना वरिष्ठ है और उसकी स्टैंडिंग क्या है और साथ ही इस बात पर भी कि मामला कितना महत्वपूर्ण और कितना पेचीदा है। मुझे खेद है कि मैं प्रश्न का इससे अधिक निश्चित उत्तर दे पाने में असमर्थ हूँ।

श्रीमती दुर्गाबाई : क्या विधि मंत्री महोदय नियुक्त किए गए सभी जूनियरों की सूचना दे सकते हैं और उन्हें किस आधार पर शुल्क दिया गया था?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : केन्द्र और राज्य सरकारों के लिए सामान्यतः श्री अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर और श्री इन्द्र देव दुआ को, वरिष्ठ वकील नियुक्त किया गया था।

सामान्य रूप से नियुक्त किए गए, जूनियर वकील ये हैं :–

श्री जी. एन. जोशी

श्री एस. एन. सीकरी

श्री राजिन्द्र लाल

श्री के. सिंह

श्री एच. जे. उमरीगर

श्री आर. गणपति अय्यर

श्री बी. सेन

श्री सी. आर. पट्टाभिरामन

श्री एस. एन. मुखर्जी

श्रीमती दुर्गाबाई

श्री एस. बी. जेठ

राय बहादुर नानकचन्द

श्री वी. एन. सेठी

सरदार करतार सिंह चावला

श्री जी. सी. माथुर

श्री ए. एन. किरपाल

श्री आर. एन. टिक्कू

श्री एम. के. पिल्लै

श्री पी. एम. नथवानी

जूनियर वकीलों के लिए शुल्क का निर्धारण सामान्यत : निम्न प्रकार से किया जाता है :

विशेष इजाजत याचिका का विरोध करने के लिए सोने की दस मोहरें दांडिक अपीलों अथवा संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन रिट याचिका के लिए मामले की प्रकृति के अनुसार दस से बीस सोने की मोहरें प्रति दिन।

मामले की प्रकृति के अनुसार सिविल अपीलों के लिए पन्द्रह से बीस सोने की मोहरें प्रतिदिन। परन्तु जिन मामलों में महत्वपूर्ण मुद्दे अन्तर्ग्रस्त होते हैं उनमें काउंसल को और अधिक शुल्क दिया जाता है किन्तु किसी भी स्थिति में सोने की चालीस मोहरों से अधिक नहीं।

जिन मामलों में अटार्नी जनरल राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में हाजिर होते हैं उन्हें सौ स्वर्ण मोहरें प्रतिदिन के हिसाब से दी जाती हैं और जब वे केन्द्र सरकार की ओर से हाजिर होते हैं तो उन मामलों के सिवाय जिनमें खर्च विरोध पक्षकार से वसूल किया जाता है कोई शुल्क नहीं दिया जाता।

जिन मामलों में राज्य सरकार सीधे ही अन्य वकीलों को नियुक्त करती है उन्हें सीधे वही सरकार शुल्क देती है।

*****

(28)

*कूच बिहार (जनसंख्या)

3235 श्री एस. सी. सामन्तः (क) क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में कूच बिहार के उन गांवों के नाम क्या हैं, और वहाँ की जनसंख्या कितनी है, जहाँ कि आगामी आम चुनावों के लिए प्रत्येक गांव में एक–एक अथवा दो–दो ही मतदाता हैं;

(ख) सन् 1941 की जनगणना के अनुसार उन गांवों की जनसंख्या क्या थी?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) और (ख) : मुझे चुनाव आयोग के माध्यम से पता चला है कि कूच बिहार में 25 गांव ऐसे हैं, जहाँ कि निर्वाचक नामावली के अनुसार प्रत्येक गांव में तीन से अधिक मतदातों नहीं हैं। इन गांवों के नामों और मतदाताओं की संख्या को प्रथम प्रकाशन के समय दर्ज मतदाताओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है (देखिए परिशिष्ट XXII उपाबंध 19) इन गांवों की जनसंख्या से संबंधित विवरण इस समय उपलब्ध नहीं है लेकिन मैं इसे स्थानीय प्राधिकारियों से मंगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके साथ ही एक बात और बता देना चाहिता हूँ कि दावे प्रस्तुत करने की तारीख अभी 31 मार्च को समाप्त हुई है तथा चुनाव आयोग के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इन दावों के आधार पर मतदाताओं के रूप में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज किए गए हैं?

श्री एस. सी. सामन्त : क्या यह सच है कि यह मामला चुनाव आयोग को भेजा गया था? और यदि हाँ, तो इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

डॉ. अम्बेडकर : जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि सही वस्तु–स्थिति का पता लगाने के लिए हमने इस मामले को स्थानीय प्रशासन के पास भेज दिया है और इस बात की पूरी संभावना है कि हाल ही में हुई कुछ गड़बड़ियों के कारण कुछ गांव वाले एक गांव से दूसरे गांव में चले गए हों और कुछ गांव वाले, जिसे हम तकनीकी भाषा में 'बेचीरा' कहते हैं, हो गए हों।

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–7, भाग–I, 18 अप्रैल, 1951, पृ. 3318

श्री एस. सी. सामन्त : माननीय मंत्री महोदय का कहना है कि इन गांवों के जनसंख्या संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। क्या मैं यह समझूं कि कूच बिहार के जनगणना संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं?

डॉ. अम्बेडकर : मैंने तो उन्हें नहीं देखा है।

श्री कॉमथ : चुनाव आयोग को इन गांवों से संबंधित दावों और एतराजों संबंधी रिपोर्ट के कब तक मिल जाने की आशा है? क्या एक भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है?

डॉ. अम्बेडकर : सामान्यतः मैं ऐसा नहीं समझता क्योंकि यह मामला पूर्णतया उन लोगों द्वारा निपटाया जाना है, जिन्हें इस मामले में दावों पर न्याय–निर्णय करने के लिए नियुक्त किया गया है।

श्री एस. सी. सामन्त : कूच बिहार की आबादी के बिखरी होने के कारण क्या सरकार आगामी आम चुनावों में मतदान केन्द्रों से संबंधित नियमों में ढील देने पर विचार कर रही हैं?

डॉ. अम्बेडकर : इन सब बातों को ध्यान में रखा जाएगा।

*****

(29)

*निर्वाचक नामवलियाँ

3361 श्री कॉमथ : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या भाग 'क', 'ख' और 'ख' के प्रत्येक राज्य से निर्वाचक नामावलियों से संबंधित दावों और आपत्तियों की संख्या संबंधी रिपोर्ट मिल गई हैं अथवा मंगाने के लिए कहा गया है;

(ख) यदि हाँ, तो दर्ज कराए गए दावों और शिकायतों की राज्यवार कुल संख्या क्या हैं;

(ग) अब तक कितने दावों और शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है; और

(घ) कितने मंजूर और कितने नामंजूर हैं?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) से (घ) चुनाव आयोग द्वारा सूचना एकत्रित की जा रही है। और यह यथा समय सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

श्री कॉमथ : क्या आपत्तियाँ दर्ज कराने की लिए अंतिम तारीख सभी राज्यों में एक ही है या अलग–अलग हैं?

डॉ. अम्बेडकर : इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मुझे इस प्रश्न का नोटिस दिया जाना चाहिए।

श्री कॉमथ : दावों और आपत्तियों संबंधी सूचना चुनाव आयोग के कार्यालय में कब तक पहुंच जाएंगी?

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि इस मामले में कोई अनावश्यक विलम्ब होगा।

*****

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–7, भाग–I, 21 अप्रैल, 1951, पृ. 3439

(30)

*मतपेटियों का निर्माण

3355 श्री आर. सी. उपाध्याय (श्री किशोरी मोहन त्रिपाठी की ओर से): (क) क्या विधि मंत्री यह बताने की कष्पा करेंगे कि विभिन्न राज्यों द्वारा आम चुनावों के प्रयोजनार्थ मत पेटियों के निर्माण और मतपत्रों के प्रकाशन संबंधी कार्य में अब तक कितनी प्रगति की गई है;

(ख) क्या ये पूरे भारत में एक ही प्रकार के होंगे?

(ग) क्या अज्ञानी और अनपढ़ मतदाताओं को अपनी इच्छानुसार मतदान करने की बात को ध्यान में रखते हुए मतपेटियों के निर्माण और मतपत्रों के प्रकाशन में पर्याप्त सावधानियाँ बरती गई हैं?

विधि मंत्री डॉ. अम्बेडकर : (क) पश्चिमी बंगाल, बिहार और राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों में चुनाव आयोग के परामर्श से मतपेटियों के निर्माण संबंधी आदेश दे दिये हैं। इन तीन राज्यों से संबंधित सूचना की प्रतीक्षा है। पूरे देश के लिए मत पत्रों की छपाई का कार्य एक ही जगह सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस, नासिक में चल रहा है।

(ख) मतपेटियों के आकार–प्रकार को चुनाव आयेाग द्वारा अनुमोदित कराया गया है और सभी मतपेटियाँ लगभग एक ही तरह की होंगी। केवल ताले की व्यवस्था अलग–अलग तरह की होगी। मत–पत्रों का आकार–प्रकार एक ही होगा।

(ग) जी हाँ। मतपेटियाँ दो रंगों की होंगी। लोकसभा चुनावों के लिए अलग रंग होगा और राज्य विधानसभा के लिए दूसरा रंग होगा। मत–पत्रों के रंग में भी इसी प्रकार की भिन्नता होगी। प्रत्येक मतदान केन्द्र पर प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक मत पेटी आवंटित की जाएगी और अलग–अलग उम्मीदवारों की मत पेटी की पहचान उन पर आसानी से प्रभेद्य और परिचित चिन्ह जैसे फूल, झोंपड़ी, पेड़, हाथ, हल, हाथी जैसे चिन्ह चिपकाएं जाएंगे। प्रत्येक उम्मीदवार को एक चुनाव चिह्न

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–7, भाग–I, 21 अप्रैल, 1951, पृ. 3444

दिया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था से अनपढ़ मतदाताओं को अपना वोट स्वतंत्र रूप से डालने में आसानी होगी।

श्री आर. सी. उपाध्याय : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने मत पेटियों के निर्माण हेतु इस्पात (स्टील) की खरीद कर ली है?

डॉ. अम्बेडकर : जी हाँ, बिना इस्पात के मतपेटियाँ कैसे बन सकती हैं?

चौ. रणबीर सिंह : चुनावों से कितने दिन पहले मतदाताओं को चुनाव चिन्ह बता दिए जाएंगे?

डॉ. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ कि जिस दिन संवीक्षा पूरी हो जाएगी और नामांकन पत्रों को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया जाएगा, चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। अपने मतदाताओं के बीच में अपने चुनाव चिन्ह को प्रचारित करने का काम उम्मीदवार का है।

श्री जे. एन. हजारिका : मैं जानना चाहता हूँ कि चुनाव के लिए मतपेटियों की अपेक्षित संख्या का किस आधार पर पता लगाया है और क्या यह पता लगाते समय भौगोलिक परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा गया है?

डॉ. अम्बेडकर : यह मतदाताओं की संख्या और मतदान केन्द्र की क्षमता पर निर्भर करता है। मेरे पास इस बात की सूचना उपलब्ध है कि चुनावों के प्रोजनार्थ किस–किस राज्य ने कितनी–कितनी पेटियों की मांग की है। यह एक बहुत लम्बी सूची है।

एक माननीय सदस्य : वे असम की जानकारी चाहते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : असम के लिए कुल 50,000 मतपेटियाँ हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं नहीं समझता कि उसे पढ़कर सुनाने की आवश्यकता है। प्रश्न–काल समाप्त हुआ।

*****

(31)

*संसद का भंग किया जाना

3476 श्री सोनवाने : (क) विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का प्रस्ताव नवम्बर, दिसम्बर, 1951 में होने वाले आम चुनावों के मद्देनजर संसद को भंग करने का है?

(ख) यदि हाँ, तो संसद कब भंग होगी; चुनाव परिणाम आने के पहले होगी अथवा बाद में।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) और (ख) : माननीय सदस्य कृपया संविधान के अनुच्छेद 379(1) का अवलोकन करें। इस अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार इस अंतिम संसद का गठन विधिवत ढंग से किया गया है और इसे इसके पहले सत्र की बैठक के लिए आहूत किया गया है। तदनुसार, यह संसद आगामी नवम्बर–दिसम्बर में होने वाले चुनावों से पूर्व अथवा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद तक भंग नहीं होगी। जैसे ही संसद के नये सदन प्रथम सत्र की बैठक के लिए आहूत किये जाएंगे वैसे ही इस संसद के कार्यकलाप स्वतः समाप्त हो जाएंगे।

*****

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–7, भाग–I, 25 अप्रैल, 1951, पृ. 3556

(32)

*निर्वाचक नामावलियाँ

3611 श्री किशोरी मोहन त्रिपाठी : (क) विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आगामी चुनावों की निर्वाचक नामावलियों संबंधी संभावित मांग को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर लिए गए हैं;

(ख) क्या ऐसी मांगों का कोई आकलन किया गया है? और यदि हाँ, तो किस आधार पर किया गया है?

(ग) (i) लोकसभा सीट, (ii) राज्य परिषद सीट और (iii) राज्य विधानसभा अथवा राज्य विधान परिषद की सीट के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए निर्वाचक नामावलियों पर लगभग कितना खर्च आएगा।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) हाँ।

(ख) हालांकि निर्वाचक नामावलियों की प्रतियों संबंधी संभावित मांग का सही–सही आंकलन करना संभव नहीं है तो भी सुनिश्चित करने के लिए कि विधिवत ढंग से नामांकित प्रत्येक उम्मीदवार तथा प्रत्येक संगठित दल को एक निर्वाचन क्षेत्र की एक प्रति प्राप्त कर सकने के प्रबंध किए गए हैं।

(ग) चुनाव आयोग द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

*****

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–7, भाग–I, 28 अप्रैल, 1951, पृ. 3702

(33)

*पश्चिम बंगाल विधानमंडल (रिक्त स्थान)

3845 श्री चट्टोपाध्याय : विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 1950–51 में पश्चिमी बंगाल विधानमंडल में कितनी सीटें एक वर्ष से अधिक समय खाली पड़ी हुई थीं;

(ख) उनमें से कितनी सीटें ऐसी हैं जिनके लिए अभी तक चुनाव नहीं हुए हैं;

(ग) क्या उन्हें आगामी आम चुनावों से पूर्व भर लिया जाएगा और;

(घ) इतने लम्बे समय से उन सीटों के खाली पड़े रहने के क्या कारण हैं?

विधि मंत्री (माननीय डॉ. अम्बेडकर) : राज्य विधानमंडलों में आकस्मिक रिक्तियों को भरने से भारत सरकार का कोई संबंध नहीं है। चुनाव आयोग से निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुई है :–

(क) सात

(ख) दो

(ग) आशा है कि शेष दो सीटों के लिए बहुत जल्दी ही उपचुनाव कराए जाएंगे।

(घ) इन खाली सीटों को भरने में हुआ विलम्ब वर्तमान पश्चिम बंगाल विधानसभा के कार्य–काल के संबंध में कुछ समय से उत्पन्न अनिश्चित्ता की वजह बताया गया है। इस देरी का पहला कारण तो उस विधानसभा का प्रस्तावित पुनर्गठन है और दूसरा, अप्रैल–मई, 1951 में आम चुनाव कराने के संबंध में पूर्व निर्णय है।

श्री चट्टोपाध्याय : तो क्या यह समझूं कि राज्य विधानमंडल में रिक्त पड़ी सीटों को तत्काल भरने के संबंध में केन्द्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है?

डॉ. अम्बेडकर : जी नहीं। कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह तो पूर्ण रूप से प्रांतीय

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–7, भाग–I, 5 मई, 1951, पृ. 3931

सरकार और राजप्रमुख अथवा राज्यपाल का मामला है।

श्री चट्टोपाध्याय : एक वर्ष से भी ज्यादा समय से खाली पड़ी इन सीटों में से कितनी साधारण निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हैं और कितनी ट्रेड यूनियन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हैं?

डॉ. अम्बेडकर : मुझे अफसोस है कि मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

डॉ. एम. एम. दास : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में पिछले दो महीनों के दौरान चार उपचुनाव हो चुके हैं?

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

प्रो. एस. एल. सक्सेना : क्या माननीय मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में भी रिक्त सीटों को एक वर्ष से अधिक हो गया है?

माननीय उपाध्यक्ष : व्यवस्था बनाए रखिये, माननीय मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब अगला प्रश्न।

*****

(34)

*मद्रास में आम निर्वाचन

3866 श्री पी. बासी रेड्डी : (क) विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मद्रास विधान परिषद ने एक संकल्प के माध्यम से सरकार से यह अनुरोध किया है कि राज्य में आम चुनाव फरवरी, 1952 से पूर्व न कराए जाएं;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) जी हाँ।

(ख) सरकार मद्रास राज्य में चुनावों को फरवरी, 1952 तक के लिए टालने के लिए मद्रास विधान परिषद में पारित संकल्प में निवेदित कारणों को पर्याप्त नहीं समझती है।

श्री पी. बासी रेड्डी : क्या कुछ और राज्य सरकारों ने भी ऐसा अनुरोध किया है? यदि हाँ, तो किन–किन सरकारों ने?

डॉ. अम्बेडकर : किसी ने नहीं।

श्री केशव राव : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नवम्बर और दिसम्बर माह के दौरान मद्रास में बरसात का मौसम रहता है और इसीलिए वहाँ पर ऐसे मौसम में चुनाव करना संभव नहीं होगा?

डॉ. अम्बेडकर : आशा है कि उन्हें इस बात की जानकारी है।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री यह आश्वासन देने की कृपा करेंगे कि पूरे देश में आम चुनावों को 31 दिसम्बर, 1951 से पूर्व करा लिया जाएगा?

श्री जे. एन. हजारिका : क्या सरकार किसानों को प्रथम राष्ट्रीय आम चुनावों में पूरी तरह भागीदारी करने का अवसर प्रदान करने के लिए असम सहित कुछेक राज्यों में जनवरी और फरवरी माह में धान की कटाई के मौसम को देखते हुए चुनावों को

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–7, भाग–I, 5 मई, 1951, पृ. 3955

कटाई के बाद नहीं करा सकती?

डॉ. अम्बेडकर : सरकार ने दो माह का समय निर्धारित किया है। इस अवधि में कोई भी राज्य किसी भी समय का चयन करने के लिए स्वतंत्र है।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद : क्या सरकार का ध्यान प्रातःकालीन समाचार–पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि चुनाव आगामी फरवरी माह के दौरान होंगे?

डॉ. अम्बेडकर : मैंने वह समाचार पढ़ा है परन्तु उस समाचार के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ।

श्री पी. बासी रेड्डी : क्या किसी अन्य राज्य ने भी ऐसा ही अनुरोध किया है; यदि हाँ, तो वे कौन–कौन से राज्य हैं?

डॉ. अम्बेडकर : मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूँ, मेरा उत्तर है ''नहीं।''

श्री वेंकटरामन : क्या मैसूर सरकार ने भी मद्रास सरकार की भांति यह सिफारिश की है कि चुनाव फरवरी अथवा मार्च में कराए जा सकते हैं?

डॉ. अम्बेडकर : जी नहीं, मेरे ध्यान में ऐसी कोई सूचना नहीं आई है।

श्री द्विवेदी : इस तथ्य को देखते हुए कि कुछेक राज्यों के निर्वाचन–क्षेत्रों का परिसीमन संबंधी मामला अभी तक संसद के विचाराधीन है, क्या मैं यह पूछ सकता हूँ क्या उन राज्यों में भी अन्य राज्यों के साथ ही चुनाव कराए जाएंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस मामले को उचित समय तक सुलझा लिया जाएगा और चुनाव निर्धारित समय पर हो सकेंगे।

*****

(35)

*उड़ीसा में आम चुनाव

4553 श्री सिधवा : (क) विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि मद्रास सरकार के अलावा, उड़ीसा सरकार ने केन्द्र सरकार को यह सुझाव दिया है कि चुनाव जनवरी–फरवरी, 1952 माह में होने चाहिएं?

(ख) यदि हाँ, तो केन्द्र सरकार ने उड़ीसा सरकार को क्या जवाब भेजा है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) और (ख) : चुनाव आयोग को उड़ीसा सरकार की ओर से एक संदेश प्राप्त हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि उनके राज्य में नवम्बर–दिसम्बर, 1951 के दौरान सभी जिलों में चुनाव का एक ही समय निर्धारित करने में कुछ कठिनाइयाँ हैं। और उन्होंने यह सुझाव दिया था कि चुनावों के लिए जनवरी–फरवरी के महीने बेहतर हो सकते हैं। हालांकि राज्य सरकार ने नवम्बर–दिसम्बर की समय–तालिका का पालन करने की इच्छा व्यक्त की थी बशर्ते कि राज्य के कुछ हिस्सों में चुनाव 15 नवम्बर के बाद कराया जाए और शेष भागों में 10 से 22 दिसम्बर, 1951 के दौरान कराए जाएं। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को उत्तर दिया है कि चुनाव कार्यक्रम को किसी भी स्थिति में दिसम्बर, 1951 के आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती और आयोग को चुनावों के नवम्बर से लेकर दिसम्बर तक होने में कोई एतराज नहीं है, जैसा कि प्रस्तावित किया गया है। हालांकि प्रयास यह किया जाना चाहिए कि चुनाव यदि संभव हो तो कुल मिलाकर चार सप्ताहों के अंदर हो जाएं।

श्री सिधवा : सरकार चुनाव के मास निर्धारित कर चुकी है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इन मासों में कोई परिवर्तन होने की संभावना है?

डॉ. अम्बेडकर : वर्तमान स्थिति के अनुसार परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है परन्तु मैं यह नहीं बता सकता कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं कहना चाहूँगा कि इस प्रश्न का संबंध केवल उड़ीसा

---
* संसदीय वाद–विवाद, खंड–8, भाग–I, 26 मई, 1951, पृ. 4684

से है।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह सच है कि उड़ीसा से मिल रही सूचना और इस समय चल रही चुनावों की तैयारियों के मद्दे नजर माननीय मंत्री महोदय ने यह विचार व्यक्त किया है कि जनवरी–फरवरी से पूर्व चुनाव कराना संभव नहीं है और यदि यह बात सच नहीं है तो क्या माननीय मंत्री स्पष्ट वक्तव्य देंगे कि चुनावों को 31 दिसम्बर, 1951 के बाद तक स्थगित करने की रत्तीभर भी गुंजाइश नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : अभी उन्होंने यही तो कहा था।

सेठ गोविन्द दास : मैं केवल इतना जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री ने अनेक जिम्मेदार लोगों के सामने स्वयं यह विचार व्यक्त किये थे कि......

माननीय उपाध्यक्ष : व्यवस्था बनाए रखिए। इस मुद्दे पर कोई तर्क–विर्तक नहीं होगा।

श्री बिश्वनाथ दास : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नवम्बर–दिसम्बर के महीने बरसात के महीने होते हैं?

डॉ. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ कि चुनावों की समय–सारणी को निश्चित करते समय चुनाव आयोग ने सभी बातों को ध्यान में रखा है।

*****

(36)

*क्षेत्रीय आयुक्त

4565 श्री कॉमथ : विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 324(4) के अनुसरण में निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो कितने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कब तक कर दी जाएगी?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) हाँ।

(ख) चार। उनकी नियुक्ति की तारीख के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है।

*****

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–8, भाग–I, 26 मई, 1951, पृ. 4702

(37)

*निर्वाचन की तिथियों का निर्धारण

93 श्री कॉमथ : विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरकार ने लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान की तारीख या तारीखों के संबंध में कोई विनिश्चय कर लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो वह विनिश्चय क्या है और प्रत्येक राज्य में मतदान किस तारीख से किस तारीख के बीच होगा;

(ग) लोकसभा के साथ–साथ विभिन्न राज्य विधानसभाओं के अंतिम–चुनाव परिणामों के कब तक घोषित हो जाने की आशा है; और

(घ) केन्द्र में राज्य परिषद और राज्यों में विधान परिषदों का गठन करना तथा भारत संघ के राष्ट्रपति को निर्वाचित करना कब का प्रस्तावित है?

विधि मंत्री डॉ. अम्बेडकर : (क) हाँ।

(ख) मतदान तीन अथवा तीन जनवरी के आसपास शुरू होकर 24 जनवरी, 1952 तक चलेगा लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछेक क्षेत्रों में असाधारण कठिनाइयों के कारण तारीखों में मामूली तालमेल करने की आवश्यकता पड़ सकती है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब में कांगड़ा जिले के कुछ भाग में और उत्तर प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संभवतः इस वर्ष के अक्तूबर माह के अन्त तक मतदान कार्य पूरा हो जाएगा क्योंकि इसके बार इन क्षेत्रों में हिमपात शुरू हो जाएगा।

(ग) चुनाव आयोग का विचार है कि 15 फरवरी, 1952 को अंतिम चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।

(घ) इस समय यह बताना संभव नहीं है, क्योंकि राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषदों का गठन किया जाना शेष है और उपर्युक्त कार्यक्रम को देखते हुए यह आशा है कि राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषदों के गठन का कार्य मार्च, 1952 के अंतिम दिनों में लगभग पूरा हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव राज्य सभा और राज्य विधानसभाओं का लोकसभा विधिवत गठन होने के तत्काल पश्चात् किया जाएगा।

---

*   संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 9 अगस्त, 1951, पृ. 116

(38)

*राज्यों में आम चुनाव की तिथियाँ

114 श्री जे. एन. हजारिका : विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने अपने–अपने राज्यों में आगामी आम चुनावों की तिथियाँ निर्धारित कर दी हैं? यदि हाँ, तो किस–किस राज्य ने कौन–कौन सी तिथियाँ, निर्धारित की हैं; और

(ख) क्या निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं से यह कहा गया है कि वे संसद तथा राज्य विधानसभाओं के लिए अपने–अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें?

विधि मंत्री डॉ. अम्बेडकर : (क) जी नहीं, श्रीमान्। इस विषय में निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकारों से बात की है।

(ख) नहीं।

श्रीमती दुर्गा बाई : क्या माननीय मंत्री महोदय का ध्यान हाल में प्रसारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त की इस बातचीत की ओर दिलाया गया है कि लगभग 25 लाख महिला मतदाताओं को अयोग्य करार दे दिया गया है; यदि हाँ, तो मैं जानना चाहती हूँ कि क्या अयोग्य महिला मतदाताओं को मतदान करने के योग्य बनाने के उद्देश्य से चुनाव तिथियों को आगे बढ़ाया जा सकता है?

डॉ. अम्बेडकर : इस प्रश्न से यह मुद्दा उत्पन्न नहीं होता है। यह प्रश्न मतदान की तारीखों के बारे में हैं न कि निर्वाचक नामावलियों के बारे में है।

श्री कॉमथ : इस तथ्य के मुद्दे नजर कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव अक्तूबर के अन्त तक होंगे, क्या सरकार ने मतदान की सही तारीख की घोषणा पहले ही कर दी है ताकि मतदाता एवं उम्मीदवार भी अपना कार्य सही ढंग से कर सकें?

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 9 अगस्त, 1951, पृ. 117

डॉ. अम्बेडकर : मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

श्री कॉमथ : क्या सरकार की नई संसद के पहले सत्र के आहूत किए जाने की संभाव्य तारीख के बारे में कुछ मालूम है?

डॉ. अम्बेडकर : प्रारंभिक चरणों को पूरा कर लेने से पहले सत्र नहीं बुलाया जा सकता।

श्रीमती दुर्गाबाई : मैं जानना चाहती हूँ कि क्या राजस्थान की महिलाओं ने निर्वाचक नामावलियों के बारे में कोई ज्ञापन दिया है?

डॉ. अम्बेडकर : यह तो इस प्रश्न से नहीं उठता।

श्रीमती रेणुका रे : उठता तो है, क्योंकि इस प्रश्न का संबंध मतदान की तिथियों से है।

डॉ. अम्बेडकर : निश्चित ही यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। परन्तु दुर्भाग्यवश यह इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री ने मतदान की तारीख बताने की कृपा की, परन्तु क्या सरकार मतदान संबंधित नामांकन तथा अन्य चीजों से सम्बद्ध प्रारंभिक कार्य की पूर्ण योजना बना रही है और यदि हाँ, तो नामांकन, आवेदन–पत्रों की संवीक्षा और मतदान की तारीखें कब बताई जाएंगी?

डॉ. अम्बेडकर : यह सब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में पहले से वर्णित है।

श्री सोंधी : इस बात को देखते हुए कि लोकसभा और राज्य विधानमंडल के लिए साथ–साथ मतदान होगा, क्या यह आवश्यक है कि पंजाब में कांगड़ा जिले में एक लोक सभा सीट को पूरा करने के लिए राज्य के कम से कम सात निर्वाचन क्षेत्र हों।

डॉ. अम्बेडकर : जो भी आवश्यक होगा, किया जाएगा। निःसंदेह सरकार चुनाव संबंधी किसी भी अनियमितता को सहन नहीं करेगी।

श्री सोंधी : मैदानी क्षेत्र में पांच सीटें हैं और दो सीटें पहाड़ी क्षेत्रों में हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि चुनाव सातों सीटों के लिए होंगे अथवा केवल दो के लिए।

डॉ. अम्बेडकर : ये नियमों के अनुसार होंगे। मैं समझता हूँ कि परिस्थितियाँ निर्णायक रही तो अपवाद किए जाएंगे।

श्री सोंधी : मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री के पास प्रत्येक निर्वाचन–क्षेत्र की विस्तृत सूचना उपलबध नहीं है। इसलिए माननीय सदस्यों को इस कठिनाई को समझना होगा।

श्री सोंधी : क्योंकि अब केवल दो महीने ही बचे हैं।

श्री सोनाबने : क्या किसी राज्य में चुनाव एक ही दिन में समाप्त हो जाएंगे अथवा कई दिनों तक चलते रहेंगे?

डॉ. अम्बेडकर : यह प्रशासन तंत्र उपलब्धता पर निर्भर करता है। यदि किसी राज्य के पास इतना बड़ा प्रशासन तंत्र है कि वह एक ही दिन में सभी चुनावों का सम्पन्न करा सकता है तो वह कराएगा। अन्यथा सरकार इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार है कि राज्यों को होने वाली कठिनाई को ध्यान में रखते हुए चुनाव एक निश्चित अवधि के भीतर हो जाएं।

श्री कॉमथ : प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तरों को देखते हुए, क्या देश के अन्य भागों में भी क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति की गई है और क्या राज्य सरकारों से मतदान तथा मतदान से संबंधित कार्यों में क्षेत्रीय आयुक्तों की मदद करने के लिए कह दिया गया है?

डॉ. अम्बेडकर : क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति के मामले पर विचार किया जा रहा है। क्षेत्रीय आयुक्तों के नियुक्त किए जाने की आशा है।

श्री कामथ : क्या निर्वाचक नामावलियों को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं अनिश्चित उत्तर नहीं दे सकता।

निःसंदेह वे उचित समय पर प्रकाशित हो जाएंगी।

श्री द्विवेदी : इस तथ्य को देखते हुए कि राज्य मंत्री तथा गृहमंत्री ने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है कि भाग 'ग' के कुछ राज्यों में विधानमंडल होंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि भाग 'ग' के राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव आम चुनावों के साथ ही कराए जाएंगे।

डॉ. अम्बेडकर : मैं विधेयक के उपबंधों के बारे में कुछ नहीं कह सकता।

श्रीमती अम्मूस्वामीनाथन : मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि राजस्थान में मतदान के लिए कौन–सी तारीखें निश्चित की गई हैं?

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता।

श्री कॉमथ : निर्वाचन विधेयक के अधीन नियमों को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा और किस तारीख को अधिसूचित कर दिया जाएगा?

माननीय उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

डॉ. अम्बेडकर : आशा है इस माह के अंत तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष : अफसोस है कि माननीय सदस्य प्रश्न पूछते ही रहेंगे और माननीय मंत्री महोदय उत्तर देते रहेंगे। मैंने अगला प्रश्न पुकारा है; माननीय मंत्री जी को उत्तर देने की आवश्यकता नहीं थी।

श्री कॉमथ : महोदय, मैंने आपकी बात नहीं सुनी थी।

*****

*राजनीतिक दलों के लिए प्रतीक चिह्न

115 श्री एस. एन. दास : विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) निर्वाचन आयोग ने जिन विभिन्न दलों को आगामी आम चुनावों के लिए प्रतीक (चुनाव चिह्न) आवंटित करने पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया है उनके नाम क्या–क्या हैं?

(ख) इन दलों को किस आधार पर बुलाया गया था;

(ग) इन दलों को चुनाव चिह्न आबंटित करने से पूर्व क्या यह पता लगाने का प्रयास किया गया था कि इनमें से कौन–कौन से राजनीतिक दल चुनाव लड़ने वाले हैं; और

(घ) क्या चुनाव चिह्न आवंटित करने के बारे में कोई निर्णय ले लिया गया है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) (1) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

(2) आल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक (रुईकर ग्रुप)

(3) आल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक (भारतीय कामगारों और किसानों के मार्क्सवादी ग्रुप की पार्टी)

(4) अखिल भारतीय हिंदू महासभा

(5) किसान मजदूर प्रजा पार्टी

(6) अखिल भारतीय राम राज्य परिषद

(7) सोशलिस्ट पार्टी

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 9 अगस्त, 1951, पृ. 133

(8) आल इंडिया शेडयूल्ड कास्ट्स फेडरेशन

(ख) और (ग) : निर्वाचन आयोग के अनुसार से दल जिन्हें सम्मेलन में आमंत्रित किया था, सभी राज्यों में या अधिकांश राज्यों में वास्तव में सक्रिय हैं और आशा है कि वे वहाँ पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करेंगे।

(घ) निर्वाचन आयोग ने निम्नानुसार प्रतीकों (चुनाव चिह्नों) का आवंटन किया है:

(1) आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक (मार्क्सवादी ग्रुप)– खड़ा हुआ शेर

(2) आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक (रुईकर ग्रुप)– मानव हाथ

(3) अखिल भारत हिंदू महासभा – घोड़ा और घुड़ सवार

(4) किसान मजदूर प्रजा पार्टी – झोंपड़ी

(5) अखिल भारतीय राम राज्य परिषद – उगता सूरज

(6) ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन – हाथी।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय सोशलिसट पार्टी को दिए जाने वाले प्रतीकों के बारे में शीघ्र फैसला किए जाने की आशा है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने भी दो प्रतीक चुने हैं और इस की सूचना निर्वाचन आयोग को दी है। इन पर निर्वाचक आयोग द्वारा विचार किया जा रहा है।

*****

(40)

*आम चुनाव के लिए निर्वाचक नामावलियाँ

20 डॉ. एम. वी. गंगाधर सिवा : (क) विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : देश के विभिन्न भागों में प्रारंभिक निर्वाचक नामावलियों को कब तक अंतिम रूप से तैयार कर लिया जाएगा; और

(ख) अंतिम निर्वाचन नामावलियाँ कब तक प्रकाशित हो जाने की संभावना है और क्या उन्हें भारत में मुद्रित कराया जायेगा अथवा विदेश में।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) निर्वाचक नामावलियों के इस माह के अंत तक प्रकाशित हो जाने की आशा है।

(ख) निर्वाचक नामावलियों को अंतिम रूप से प्रकाशित होने से पूर्व, पुनः मुद्रित नहीं कराया जाएगा। प्रारंभिक नामावलियों में दावे और शिकायतों के आधार पर आवश्यक होने पर ही अनिवषद्धि पत्र और शुद्धिपत्र जोड़ करके मुद्रित किया जा सकेगा। मतदाता सूचियों को छापने का कार्य देश के बाहर न तो हुआ है और न ही होगा।

*****

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 9 अगस्त, 1951, पृ. 149

(41)

*महिला मतदाता और निर्वाचक नामावलियाँ

24 श्री एस. एन. दास : (क) विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितनी महिला मतदाताओं के नाम निर्वाचक नामावलियों से निकाल दिए गए हैं क्योंकि भारत सरकार ने इस आधार पर सूचना जारी की थी कि उनमें महिला मतदाताओं के नाम सही नहीं हैं, तत्संबंधी राज्यवार आंकड़े क्या हैं?

(ख) क्या यह सच है कि – नाम लिखने वालों ने उन महिलाओं से पूछे बिना ही उनके नाम लिखे थे;

(ग) क्या यह सही है कि सरकार को निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण करने के लिए बड़ी संख्या में अभ्यावेदन मिले हैं ताकि ऐसी अनेकों महिला मतदाताओं के नामों को शामिल किया जा सके; और

(घ) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उन अभ्यावेदनों पर विचार किया है और क्या कोई निर्णय लिया है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) से (घ) माननीय सदस्य कृपया 9 अगस्त, 1951 के तारांकित प्रश्न संख्या 120 के उत्तर का अवलोकन करें।

*****

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 9 अगस्त, 1951, पृ. 151

(42)

*पिछड़े वर्गों के लिए केन्द्रीय अनुदान

322 श्री क्षुदी राम मेहता : क्या शिक्षा मंत्री अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के अलावा पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए वर्ष 1948, 1949, 1959 और 1951 के दौरान मंजूर की गई केन्द्रीय अनुदान राशि बताने की कृपा करेंगे?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भारत सरकार की छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के केवल योग्य विद्यार्थियों को भारत में मैट्रिकोत्तर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को छोड़कर पिछड़े वर्गों को दी गई छात्रवृत्तियों पर अब तक किए गए खर्च का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

1948–49 – शून्य

1949–50 – रुपए 502,46,327।

1950–51 – रुपए 513,57,504।

वर्ष 1951–52 के दौरान पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को कुल 3,65,000 रुपए मूल्य की छात्रवृत्तियॉं प्रदान किए जाने की संभावना है।

श्री क्षुदीराम मेहता : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी आवेदन विशेष पर विचार करने से पूर्व कुल धनराशि को प्रान्तीय आधार पर आवंटित किया जाता है और यदि हाँ, तो किस आधार पर?

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि कोई प्रान्तीय आवंटन किया जाता हैं।

श्री रुद्रप्पा : क्या मैं 1949–50 और 1950–51 में प्राप्त हुए आवेदन पत्रों की संख्या जान सकता हूँ?

डॉ. अम्बेडकर : आवेदन–पत्रों से संबंधी आंकड़े निम्न हैंः–

वर्ष	प्राप्त हुए आवेदन	छात्रवषत्ति दी गई
1949–50	3006	349
1950–51	3830	517

श्री रत्नास्वामी : पिछड़े वर्गों के लाभार्थ दी गई राहत को राज्यों द्वारा सही ढंग से खर्च किए जाने की देखभाल के लिए क्या तरीका अपनाया गया है?

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 9 अगस्त, 1951, पृ. 400

डॉ. अम्बेडकर : राज्यों को धनराशि प्रदान नहीं की जाती है। आवेदन–पत्रों को निपटाने का कार्य एक केन्द्रीय बोर्ड करता है और इसमें राज्यों का किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं है।

ठाकुर कृष्ण सिंह : क्या मैं जान सकता हूँ कि विलय हुए राज्यों तथा भाग ख और भाग ग राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों ने पिछड़े वर्गों की कोई सूचियाँ तैयार की हैं और क्या यह सही है कि इन राज्यों के विद्यार्थियों द्वारा छात्रवृत्ति के लिए दिए गए आवेदन–पत्रों पर इसलिए विचार नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ पर ऐसी कोई सूची ही उपलब्ध नहीं है?

डॉ. अम्बेडकर : इस प्रकार की सूचियाँ उपलब्ध हैं जिन्हें विभिन्न राज्यों द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया है।

श्री आर. के. चौधरी : क्या मैं जान सकता हूँ कि पिछड़े वर्गों की सूची को अंतिम बार कब पुनरीक्षित किया गया था?

डॉ. अम्बेडकर : इसके लिए मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए।

डॉ. देशमुख : क्या इन पिछड़े वर्गों की राज्यवार जनसंख्या का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया गया है।

डॉ. अम्बेडकर : इस समय जनसंख्या की बात करना बिल्कुल महत्त्वहीन है।

डॉ. देशमुख : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि प्रत्येक राज्य की अनुसूची मे शामिल पिछड़े वर्गों की संख्या में बहुत अधिक अन्तर है और यह कि भाग 'ग' राज्यों में शामिल वर्गों की संख्या बहुत कम है?

डॉ. अम्बेडकर : इस बात की पूरी संभावना है, क्योंकि एक क्षेत्र में जो समुदाय पिछड़े वर्ग में शामिल है, हो सकता है दूसरे क्षेत्र में वह उसमें शामिल न हो।

डॉ. देशमुख : क्या यह सच नहीं है कि भाग 'ग' के राज्य देश के अन्य भागों की तुलना में अधिक पिछड़े हुए हैं।

डॉ. अम्बेडकर : संभवतः यह एक लांछन है जिसे लगवाना वे पसन्द नहीं करेंगे।

ठाकुर कृष्ण सिंह : क्या यह सच नहीं है कि संघ बनने और प्रान्तों के राज्यों में विलय होने से पूर्व पुनरीक्षित सूची तैयार की गई थी?

डॉ. अम्बेडकर : ऐसा हो सकता है, लेकिन इससे मुद्दे पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये सूचियाँ पक्की नहीं हैं। इन्हें हर बार पुनरीक्षित किया जाता है।

श्री देशबंधु गुप्ता : क्या यह सच नहीं है कि इन छात्रवृत्तियों को प्रदान करने से पूर्व विभिन्न राज्यों की जनसंख्या के आधार पर धनराशि का आवंटन किया जाता है और छात्रवषत्तियों का संवितरण भी राज्यों के माध्यम से ही किया जाता है?

डॉ. अम्बेडकर : जहाँ तक मैं समझता हूँ, बात ऐसी नहीं है।

(43)

*राष्ट्र भाषा के उन्नयन के लिए अनुदान

323 श्री केशव राव : (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्र भाषा को बढ़ावा देने के प्रयोजन से वर्ष 1949—50 और 1950—51 के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई?

(ख) इस प्रयोजन हेतु किन—किन निजी संस्थाओं और संगठनों को अनुदान प्रदान किया गया था?

(ग) क्या भारत सरकार ने विभिन्न हिंदीतर राज्यों को अनुदान देने के लिए अलग धनराशि निर्धारित की है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) वर्ष 1949—50 के दौरान 2,80,000 रुपए तथा वर्ष 1950—51 के दौरान 1,05,000 रुपए खर्च किए गए।

(ख) (i) हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद।

(ii) हिन्दुस्तानी कल्चरल सोसायटी, इलाहाबाद।

(iii) इदारा तालीम—ओ—तरक्की, जामिया मिलिया, कल्चरल, दिल्ली—साक्षरेत्तर हिन्दी साहित्य के लिए।

(iv) अखिल भारतीय हिंदी परिषद, नई दिल्ली।

(ग) सरकार हिन्दीतर राज्यों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय में एक विशेष अनुभाग खोल रही है और साथ ही एक केन्द्रीय संगठन की स्थापना भी करना चाहती है। इस संबंध में जो खर्च आएगा सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

श्री केशव राव : क्या मैं प्रश्न के भाग 'ख' के उत्तर के संबंध में यह जान सकता हूँ कि हिन्दीतर क्षेत्रों में किन्हीं गैर सरकारी संगठनों को केन्द्र सरकार द्वारा सहायता दी जाती है?

डॉ. अम्बेडकर : तत्संबंधी तथ्यों का उल्लेख दिए गए उत्तर 'ख' किया गया है।

---

* संसदीय वाद—विवाद, खंड—9, भाग—I, 18 अगस्त, 1951, पृ. 323

श्री केशव राव : प्रश्न के भाग 'ख' में माननीय मंत्री महोदय ने जिन कुछेक संगठनों के नाम लिए वे या तो इलाहाबाद में स्थित हैं अथवा दिल्ली में। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या हिन्दीतर क्षेत्रों में स्थित कोई संगठन हैं जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा कोई सहायता राशि दी जाती हो?

डॉ. अम्बेडकर : उपर्युक्त स्थानों के अलावा किसी और संगठन की मुझे कोई जानकारी नहीं है और यदि कहीं कोई संगठन है भी तो शायद वह इस प्रकार के कार्य को करने में समर्थ नहीं है।

श्री केशव राव : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को हिंदीतर क्षेत्रों द्वारा अपने क्षेत्रों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए किए गए अतिरिक्त खर्च के बारे में कोई जानकारी है?

डॉ. अम्बेडकर : वे संभवतः ऐसा ही कर रहे होंगे। जो राज्य सरकारें इस संबंध में काफी उत्साही हैं वे ज्यादा धन खर्च करती हैं और जिन राज्य सरकारों में इस संबंध में कम उत्साह है वे कम पैसा खर्च करती हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि सरकार संस्थाओं को खोलने, उन्हें मान्यता प्रदान करने और हिन्दीतर क्षेत्रों के लिए भी एक केन्द्रीय संस्थान की आवश्यकता पर विचार कर रही है।

श्री आर. के. चौधरी : क्या गैर हिंदीतर क्षेत्रों को वितरित करने के लिए निर्धारित किए धन का पहले ही वितरण कर दिया गया है? और यदि हाँ, तो असम को कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

डॉ. अम्बेडकर : मुझे मालूम नहीं है कि ऐसा किया गया है। मैं इस विषय पर अब कोई जानकारी नहीं दे सकता।

श्री ए. सी. गुहा : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री ने सहायता प्राप्त कर रहे जिन चार संस्थानों के नाम गिनाए हैं वे या तो इलाहाबाद में स्थित है अथवा दिल्ली में स्थित हैं, मैं यह जानना चाहता हूँ कि उनके कार्यकलाप क्या–क्या है और उन्हें धनराशि देने के पीछे क्या प्रयोजन है?

डॉ. अम्बेडकर : क्योंकि हम हिंदी का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं और इन संस्थाओं की शाखाएं पूरे देश में फैली हुई हैं।

श्री ए. सी. गुहा : क्या उनकी शाखाएं पूरे देश में हैं?

डॉ. अम्बेडकर : कोई भी इस बात का पता लगा सकता है कि इनकी शाखाएं पूरे देश में हैं वरना उन्हें इमदाद नहीं दी जाती।

श्री शिवचरण लाल : हिन्दी साहित्य सम्मेलन को वर्ष 1949–50 और 1950–51 के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की गई?

डॉ. अम्बेडकर : क्योंकि हिन्दी का बहुत ज्यादा प्रसार–प्रचार हुआ है।

सेठ गोविन्द दास : हिन्दी साहित्य सम्मेलन और जामिया मिलिया को कितनी–कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ?

डॉ. अम्बेडकर : जैसा कि मैं कह चुका हूँ, मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके आधार पर मैं कोई तुलना नहीं कर सकता। कुल धनराशि का ब्यौरा में दे चुका हूँ।

सेठ गोविन्द दास : क्या सरकार के पास हिंदी का प्रचार–प्रसार करने में लगे अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थानों और संगठनों के कार्यकलापों से संबंधित कोई जानकारी है; और क्या सरकार को इस संबंध में कोई वार्षिक, छमाही अथवा तिमाही रिपोर्ट प्राप्त होती है?

डॉ. अम्बेडकर : मुझे लगता है कि मेरे माननीय मित्र यह मान रहे हैं कि धनराशि प्रदान करने से पूर्व सरकार को इस बारे में सूचना होनी चाहिए।

श्री केशवराव : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किन्हीं हिन्दीतर राज्यों ने अपने राज्यों में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए अनुदान की मांग की है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ कि प्रत्येक राज्य सरकार को अनुदान मांगने की आदत होती है।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री उत्तर देते जा रहे हैं, माननीय सदस्य खुद ही उनसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। वह स्पष्टतः विस्तष्त उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं। सदस्य संबंधित मंत्री महोदय के सदन में आने तक अपने प्रश्नों को रोक कर रख सकते हैं। काल्पनिक सवालों के काल्पनिक उत्तर प्राप्त करने का कोई लाभ नहीं है।

सेठ गोविन्द दास : मैं विवरण नहीं माँग रहा हूँ बल्कि मैं तो सैद्धांतिक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या सरकार ने हिन्दी के प्रचार–प्रसार के लिए कोई निश्चित योजना बनाई है अथवा ऐसी कोई योजना बना रही है अथवा ऐसी कोई योजना ही नहीं है?

डॉ. अम्बेडकर : मुझे इस प्रश्न को माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा उत्तर दिए जाने के लिए छोड़ देना चाहिए।

*****

(44)

*आम चुनावों में मतदान का तरीका

455 श्री अलेक्ज़ेण्डर : विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने आगामी चुनावों में मतदान के ढंग के बारे में निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह ढंग क्या है और इस बारे में आम आदमी को शिक्षित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) और (ख) : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 59 के अनुसार प्रत्येक चुनाव में जहाँ कि मतदान होगा, नियमों द्वारा विहित ढंग के अनुसार मत पत्र के माध्यम से मतदान किया जाएगा। इन नियमों को इस समय तैयार किया जा रहा है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय का फिल्म प्रभाग ऐसी शैक्षणिक फिल्में बना रहा है जिनमें मतदाताओं को उम्मीदवार के प्रतीक/चुनाव चिन्ह युक्त पेटी में वास्तविक रूप में मत पत्र पर मुहर लगाकर मतदान करते हुए दिखाया गया है। फिल्म में दर्शाए गए चुनाव चिन्हों को चुनाव आयोग द्वारा अनुमोदित चिह्नों में शामिल नहीं किया जाएगा। मतदाताओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से रेडियो वार्ताओं और चुनाव पूर्वाम्यासों की भी व्यवस्था की गई है।

*****

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 22 अगस्त, 1951, पृ. 533

(45)

*कानूनी और कानूनेतर निकाय

447 श्री एस. एन. दास : विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन स्थायी रूप से कार्य कर रहे कानूनी और कानूनेतर निकायों की संख्या क्या है और उनके नाम क्या हैं; प्रत्येक के बारे में निम्नलिखित सूचना दें :–

(i) उनके गठन का वर्ष;

(ii) उनके द्वारा वहन किया गया वार्षिक खर्च;

(iii) उनके खातों की लेखा परीक्षा के लिए क्या प्रावधान हैं; और

(iv) उनकी गतिविधियों से संबंधित रिपोर्ट देने का तरीका।

(ख) 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् मंत्रालय में गठित की गई तदर्थ समितियों की संख्या कितनी है तथा उनके नाम क्या हैं और उनमें से कितनी समितियों ने अपना कार्य समाप्त कर दिया है; और

(ग) ऐसी कितनी तदर्थ समितियाँ अभी कार्यरत हैं, उनके नाम क्या–क्या हैं, उन्हें किन तारीखों को नियुक्त किया गया था तथा वे अपना काम कब तक समाप्त कर लेंगी?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) मेरे मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन कोई ऐसा कानूनेतर निकाय कार्य नहीं कर रहा है जो स्थायी प्रकृति का हो। केवल आयकर अपीलीय अधिकरण ही ऐसा कानूनी निकाय है जो स्थायी रूप से कार्य कर रहा है।

(i) इसकी स्थापना वर्ष 1941 में की गई थी।

(ii) प्रत्येक वर्ष अलग–अलग खर्च होता है। चालू वर्ष का बजट अनुदान 7,87,700 रुपए का है।

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 22 अगस्त, 1951, पृ. 554

(iii) खातों की लेखा परीक्षा संबंधित महालेखाकार द्वारा की जाती है।

(iv) न्यायाधिकरण की विभिन्न पीठों द्वारा निपटाई गई अपीलों और आवेदन पत्रों संबंधी मासिक रिपोर्ट मंत्रालय को प्राप्त होती है। इसके अलावा एक वार्षिक रिपोर्ट भी अधिकरण द्वारा मंत्रालय को भेजी जाती है। अधिकरण से संबंधित सूचना को मंत्रालय की गतिविधियों संबंधी टिप्पणी में शामिल किया जाता है और अनुदानों की मांगों के संबंध में संसद सदस्यों को वार्षिक तौर पर परिचालित किया जाता है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) कोई नहीं।

*****

(46)

*पंजाब के हिमाच्छादित क्षेत्रों के चुनाव

83 ज्ञानी जी. एस. मुसाफिर : (क) क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि पंजाब के लाहौल और स्पीति इलाके अधिकांशतः वर्ष भर बर्फ में ढके रहते हैं?

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर हाँ है तो सरकार द्वारा उस इलाके में निर्वाचन देश के अन्य भागों के साथ ही कराने के लिए क्या व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है?

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का प्रस्ताव उन क्षेत्रों में कब चुनाव कराने का है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) से (ग) : पंजाब सरकार से हाल ही में प्राप्त हुई रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि स्पीति अक्सर अगस्त के पश्चात् और लाहौल अक्तूबर, के पश्चात् हिमाच्छादित हो जाता है। प्रश्न यह है कि छुट–पुट आबादी वाले इन दो क्षेत्रों में चुनाव आगामी जनवरी से पहले कराएं जाएं अथवा यदि यह संभव नहीं तो चनुाव आयोग द्वारा पंजाब सरकार से परामर्श करके जनवरी माह में चुनाव कराए जाने के लिए विशेष उपाय किए जाने चाहिएं। जैसे ही तत्संबंधी निर्णय लिया जाएगा, घोषणा कर दी जाएगी।

*****

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 22 अगस्त, 1951, पृ. 551

(47)

*मतपेटियों का निर्माण

84 श्री ए. बी. गुरंग : क्या विधि मंत्री 10 मार्च, 1951 के तारांकित प्रश्न संख्या 2084 के संबंध में उन फर्मों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्हें भारत सरकार ने भाग 'ग' के राज्यों में आम चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए मतपेटियों के निर्माण का आदेश दिया है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : भाग 'ग' के सभी राज्यों के मुख्य आयुक्तों (मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़कर) ने मैसर्स गोदरेज एण्ड बॉयस मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, बंबई को मतपेटियों के निर्माण का आदेश दिया है। मणिपुर और त्रिपुरा के मुख्य आयुक्तों ने मैसर्स बुंगो स्टील फर्नीचर लिमिटेड, कलकत्ता को मतपेटियों के निर्माण का आदेश दिया है। ये आदेश भारत सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों का अनुमोदन प्राप्त करके दिए गए हैं।

*****

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 22 अगस्त, 1951, पृ. 562

(48)

*अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद

530 श्री राज कंवर : विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या 15 अगस्त, 1947 के पश्चात् पारित किए गए सभी अधिनियमों का हिंदी में अनुवाद कर दिया गया है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : जी नहीं, श्रीमान, लेकिन 15 अगस्त, 1947 और गत जून में समाप्त हुए संसद के तीसरे सत्र के अंत तक पारित किए 274 केन्द्रीय अधिनियमों में से 113 का हिन्दी में अनुवाद किया जा चुका है।

श्री राजकंवर : शेष अधिनियमों का कब तक हिन्दी में अनुवाद कर दिया जाएगा?

डॉ. अम्बेडकर : इस सबंध में कोई भी वचन देने में पूर्णतया असमर्थ हूँ।

सेठ गोविन्द दास : क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ किसी विशेष अनुभाग की स्थापना की है और क्या सभी अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद कराने के लिए किन्हीं व्यक्तियों की नियुक्तियाँ की गई हैं?

डॉ. अम्बेडकर : विधि मंत्रालय में एक अनुभाग है जिसमें हिन्दी अनुवादक हैं जो कि संसद द्वारा पारित किए गए अति महत्वपूर्ण विधेयकों का अनुवाद करते हैं।

सेठ गोविन्द दास : क्या आगामी चुनावों से संबंधित सभी अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद कर दिया गया है? और यदि नहीं, तो इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना हैं?

डॉ. अम्बेडकर : मैं कोई निश्चित उत्तर नहीं दे सकता। जहाँ तक मुझे जानकारी हैं, मैं समझता हूँ कि उन अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद करने पर विचार किया गया है।

श्री सोधी : क्या उनका अनुवाद आम चुनावों से पूर्व हो जाएगा?

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 27 अगस्त, 1951, पृ. 659

डॉ. अम्बेडकर : मुझे विश्वास है कि ऐसा हो जाएगा।

श्री ज्ञानी राम : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद हो गया है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ कि उनका अनुवाद हो रहा है।

श्री ए. सी. गुहा : क्या सरकार का विचार इस अधिनियमों का अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद करने का है?

श्री राजकंवर : सामान्यतया किसी अधिनियम के अंग्रेजी प्रकाशन के कितने दिनों के पश्चात् हिन्दी अनुवाद उपलब्ध हो जाता है?

डॉ. अम्बेडकर : इस मामले में ''सामान्यतः'' जैसी कोई चीज नहीं है।

श्री अमोलख चन्द : मैं जानना चाहता हूँ कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियमों का अनुवाद चुनावों के पूर्व होगा अथवा बाद में?

डॉ. अम्बेडकर : यह विभिन्न विभागों द्वारा इस कार्य को करने की क्षमता पर निर्भर करता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे माननीय मित्र अनुमान लगा सकते हैं कि सरकार इतना तो समझती है कि चुनावों के पश्चात् उनके अनुवाद का प्रयोजन शून्य हो जाएगा।

सेठ गोविन्द दास : जहाँ तक चुनावों से संबंधित अधिनियमों का संबंध है, उनमें से कितनों का हिन्दी में अनुवाद हो चुका है, कितनों का प्रकाशन हो चुका है और कितने प्रकाशित होने शेष हैं तथा उनके कब तक प्रकाशित हो जाने की आशा हैं?

डॉ. अम्बेडकर : मेरे माननीय मित्र लोक प्रतिनिधित्व और चुनाव संबंधी अधिनियमों की बडत्री संख्या होने का अनुमान लगा रहे हैं। जबकि हमारे पास केवल दो छोटे–छोटे अधिनियम हैं जिनमें से एक का नाम है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि.........

सेठ गोविन्द दास : जब चुनावों से संबंधित तीन ही अधिनियम हैं और उनमें भी केवल एक ही बड़ा है और दो छोटे हैं तब उनके कार्य में इतना वक्त क्यों लग रहा है?

डॉ. अम्बेडकर : क्योंकि इसके लिए केवल दो ही अनुवाद हैं।

सेठ गोविन्द दास : तब आप उनकी संख्या क्यों नहीं बढ़ाते हैं?

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 27 अगस्त, 1951, पृ. 664

डॉ. अम्बेडकर : क्योंकि वित्त मंत्री महोदय स्वीकृति नहीं देंगे।

श्री कॉमथ : जहाँ तक विभिन्न अधिनियमों का हिन्दी में अनुवाद कराने का संबंध है, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार के विधि मंत्रालय अथवा सचिवालय ने मानक शब्दावली और मानक हिंदी शब्दकोश के साथ हिंदी को मानकीकृत किया है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ कि हिंदी के मानकीकरण का कार्य ऐसा है जो भविष्य में किया जाएगा, अन्यथा मेरे मित्र तो यह चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बोली जा रही हिंदी को मानक हिंदी के रूप में स्वीकार कर लिया जाए।

श्री कॉमथ : जी नहीं। मध्यप्रदेश की हिंदी होनी चाहिए।

ज्ञानी जी. एस. मुसाफिर : क्या सरकार इस बात पर ध्यान देगी कि अनुवाद सरल हिन्दी में होना चाहिए ताकि उसे सभी लोग आसानी से समझ सकें?

डॉ. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ कि सरकार इस बात पर गौर करेगी।

सेठ गोविन्द दास : जहाँ तक अधिनियमों के अनुवाद का संदर्भ है, क्या मैं माननीय मंत्री को यह सुझाव दे सकता हूँ कि यदि अनुवाद अनुभाग में स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है तो कम से कम अनुवाद कार्य को तेजी से कराए जाने के लिए कुछ समय के लिए अस्थायी कर्मचारियों को तो लगाया जा सकता है?

वित्त राज्य मंत्री (श्री त्यागी) : इस सुझाव पर विचार करने के लिए मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए।

*****

(49)

*नकली निर्वाचन

532 श्री सिधवा : विधि मंत्री यह बताने की कष्पा करेंगे कि :–

(क) क्या चुनाव आयुक्त ने कुछेक स्थानों पर नकली निर्वाचन कराये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो यह नकली चुनाव कहाँ–कहाँ किया गया और इसमें मतदाताओं के रूप में कितने लोगों ने हिस्सा लिया;

(ग) मतदान करने में कितना समय लगा; और

(घ) क्या चुनाव आयुक्त ने इस प्रकार किए गए नकली चुनाव में लगे समय के आधार पर वास्तविक चुनावों के लिए कोई योजना तैयार की है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) से (घ) निर्वाचन आयोग ने मई, 1951 में विभिन्न राज्य सरकारों का निर्देश दिए कि वे संभावित परिस्थितियों में नकली चुनाव कराएं ताकि भविष्य में होने वाले वास्तविक चुनावों के दौरान मतदान में लगने वाले औसत समय और आंकड़ों का अंदाजा और अनुभव हो सके। निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकारों से यह जानकारी मांगी है कि उन्होंने नकली चुनाव कहाँ–कहाँ किया है और इस संबंध में अब तक केवल उड़ीसा से ही सूचना प्राप्त हुई है।

इन नकली चुनावों के अनुभव को वास्तविक चुनावों के समय मतदान केन्द्रों की संख्या और स्थानों का चयन करते समय ध्यान में रखा जाएगा। इन नकली चुनाव से प्राप्त अनुभवों के आधार पर राज्य सरकारों द्वारा तैयार प्रारंभिक प्रस्तावों को सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किा जाएगा और यदि जनता की ओर से कोई सुझाव प्राप्त हुए तो उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग के परामर्श से अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

श्री सिधवा : क्या आप किसी एक राज्य के बारे में यह बता सकते हैं कि वहाँ पर अभ्यास स्वरूप हुए इन चुनावों में कितने वोट पड़े?

डॉ. अम्बेडकर : मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है।

श्री सिधवा : अनपढ़ लोगों द्वारा किए गए मतदान के बारे में निर्वाचन आयुक्त ने क्या मत व्यक्त किया था? इस इसमें सफलता प्राप्त हुई?

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 27 अगस्त, 1951, पृ. 664

डॉ. अम्बेडकर : इसमें साक्षर और निरक्षर का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि मतदान के समय यह प्रश्न नहीं पूछा गया था।

श्री सिधवा : तो भी निर्वाचन आयुक्त ने इस अभ्यास के तौर पर किए चुनावों के प्रति कोई न कोई आम धारणा तो अवश्य बनाई होगी, वह क्या है? क्या वे महसूस करते हैं कि...

डॉ. अम्बेडकर : निर्वाचन ने अपनी धारणा के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया है।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि अब तक केवल उड़ीसा से ही रिपोर्ट प्राप्त हुई है और अन्य प्रान्तों से अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। क्या सरकार ने ऐसी कोई तारीख निश्चित की है कि अमुक तारीख तक ये नकली चुनाव हो जाने चाहिएं और इसकी रिपोर्ट भारत सरकार को मिल जानी चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि यह कोई ऐसा मामला है जिसमें सरकार स्वयं को यह समझे कि वह निर्देश देने के लिए प्राधिकृत है।

सेठ गोविन्द दास : जी नहीं, यह मामला प्राधिकार का नहीं है................

श्री भट्ट : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इन नकली चुनावों के दौरान लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ पूर्वाभ्यास किया गया था?

डॉ. अम्बेडकर : मुझे विश्वास है कि ऐसा ही हुआ है।

श्री चट्टोपाध्याय : क्या ऐसा नकली चुनाव किसी केन्द्र शासित क्षेत्र में भी किया गया था? और यदि हाँ, तो संबंधित रिपोर्ट अभी तक क्यों प्राप्त नहीं हुई है?

डॉ. अम्बेडकर : मुझे वाकई इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये किन राज्यों में हुए और क्या केन्द्र शासित क्षेत्रों में भी हुए, परन्तु इतना अवश्य कह सकता हूँ कि अवश्य हुए होंगे?

श्री कॉमथ : क्या इन नकली चुनावों में नकली अधिकारियों और नकली उम्मीदवारों को भी शामिल किया गया था?

डॉ. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ कि वे दिखावे के तौर पर थे।

श्री आर. वेलायुधन : क्या नकली चुनावों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आगामी आम चुनाव नकली चुनाव होंगे?

डॉ. अम्बेडकर : जी ऐसे ही होंगे। बहुत संभव है।

श्री सिधवा : क्या मैं जान सकता हूँ कि इन नकली चुनावों में कितने लोगों ने मतदाताओं के रूप में भाग लिया?

डॉ. अम्बेडकर : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

*****

(50)

*निर्वाचक नामावलियों पर आपत्तियाँ

534 श्री कॉमथ : विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भाग 'क', 'ख' और 'ग' के प्रत्येक राज्य से प्रारंभिक निर्वाचक नामावलियों से संबंधी दावों और आपत्तियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) अब तक प्रत्येक राज्य की कितनी आपत्तियों का निपटारा किया जा चुका है; और

(ग) अब तक प्रत्येक राज्य में कितने–कितने दावों और आपत्तियों के मामले में अनुमति दे दी गई है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) से (ग) 1 अगस्त, 1951 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों को प्राप्त हुए दावों और आपत्तियों की संख्या और उनके द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है (देखिए परिशिष्ट–IV, उपबंध 17) ।

श्री कॉमथ : श्रीमान्‌जी, सदन के पटल पर रखे गए विवरण को देखने से पता चलता है कि हैदराबाद में 4284 महिलाओं को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है। क्या इन महिलाओं को उसी आधार पर उनके मताधिकार से वंचित किया गया जिस आधार पर राजस्थान की महिलाओं को किया गया था। अथवा किन्हीं भिन्न कारणों से?

डॉ. अम्बेडकर : इसके लिए मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए।

श्री कामथ : क्या यह सच है कि मताधिकार से वंचित की गई राजस्थान की महिलाओं अथवा उनके संगठन अथवा उनके प्रतिनिधियों ने हाल ही में उनके मताधिकार की बहाली के लिए सरकार को कोई अभ्यावेदन दिए हैं?

डॉ. अम्बेडकर : जी हाँ, उन्होंने ऐसा किया है।

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 27 अगस्त, 1951, पृ. 667

श्री कॉमथ : क्या उनके अभ्यावेदन विचाराधीन हैं?

डॉ. अम्बेडकर : हम उन पर विचार कर रहे हैं परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि हम उन्हें कोई राहत दे सकते हैं या नहीं।

श्री कॉमथ : महोदय, निर्वाचक नामावलियों को अंतिम रूप से कब तक प्रकाशित कर दिया जाएगा?

डॉ. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ, बहुत जल्दी ही प्रकाशित होंगी, परन्तु कोई निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती।

श्री कॉमथ : क्या अभी तक कोई तारीख भी निश्चित नहीं की गई?

डॉ. अम्बेडकर : निश्चित रूप से बहुत शीघ्र प्रकाशित होंगी।

श्रीमती रेणुका रे : क्या सरकार राजस्थान में मताधिकार से वंचित की गई महिलाओं को राहत पहुंचाने के लिए कोई कदम उठाएगी?

डॉ. अम्बेडकर : राहत देने का सवाल वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि हम निर्वाचक नामावलियों से इन महिलाओं के नाम हटा सकते हैं, आपत्तियाँ दर्ज करने और उन की आपत्तियों को निपटाने के लिए पर्याप्त समय दे सकते हैं ताकि चुनाव की तारीख से पहले ही निर्वाचक नामावलियों के इस कार्य को अंतिम रूप दिया जा सके। ये सभी कार्य एक साथ विचारधीन हैं।

श्रीमती रेणुका रे : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है और नामों को दर्ज करने वालों को सही ढंग से प्रशिक्षित नहीं किया गया था, क्या सरकार, यह देखने के लिए कि क्या इस गलती को सुधारा जा सकता है और उन महिलाओं के नाम मतदाता के रूप में शामिल किए जा सकते हैं, कोई कदम उठाना आवश्यक नहीं समझती?

डॉ. अम्बेडकर : हम यहाँ किसी का दोष ढूंढ़ने के लिए बहस नहीं कर रहे हैं बल्कि हम वस्तुस्थिति का पता लगाने के लिए बहस कर रहे हैं।

श्री आर. सी. उपाध्याय : क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री ने राजस्थान की महिलाओं के प्रतिनिधि मण्डल को यह आश्वासन दिया है कि इस बारे में कुछ न कुछ किया जाएगा?

डॉ. अम्बेडकर : इस संबंध में मुझे पक्का विश्वास है कि प्रधान मंत्री महोदय ने कानून के अनुसार ही आश्वासन दिया होगा।

श्री कॉमथ : महोदय, क्या निर्वाचन आयेाग को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ राज्यों के कुछ क्षेत्रों में यहाँ तक कि मृत व्यक्तियों के नाम भी प्रारंभिक नामावलियों

में शामिल किए गए थे?

डॉ. अम्बेडकर : ऐसा हो सकता है, मुझे पूर्ण विश्वास है।

श्री कॉमथ : क्या ऐसा हुआ है?

श्री सोढी : उपाध्यक्ष महोदय, जब प्रधानमंत्री जी सदन में उपस्थित हैं तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वे स्वयं इस बारे में कोई वक्तव्य दें?

प्रधानमंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : मेरे सहयोगी, विधि मंत्री महोदय एकदम यह स्पष्ट कर चुके हैं कि मैं अथवा कोई अन्य मंत्री कानून के बाहर जाकर किसी भी तरह का कोई आश्वासन नहीं दे सकता। इस मामले में मैंने इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि निर्वाचन आयोग के विवेकाधिकार में कोई हस्तक्षेप न किया जाए। मैंने तो बस यही किया है कि जो भी व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने उसे निर्वाचन आयुक्त के पास भेज दिया। जब भी ऐसा मामला मेरे सामने आया तो मैंने निश्चित रूप से सहानुभूति जताई कि महिला मतदाता की इतनी बड़ी संख्या को शामिल नहीं किया गया और मैं समझता हूँ कि पूरा सदन ऐसा ही महसूस करेगा। निर्वाचन आयुक्त भी इस मामले में कानून के अनुसार ही कार्य करना चाहते हैं। यह कार्य कैसे किया जाए यह पूर्णतः निर्वाचन आयुक्त पर निर्भर करता है। मुझे उनसे पूर्ण सहानुभूति थी और मैंने जो भी आश्वासन दिया है, वह अपनी सहानुभूति पर ही दिया है। मैंने इस कार्य को किए जाने के तरीके के संबंध में कोई आश्वासन नहीं दिया।

श्री कॉमथ : क्या निर्वाचक नामावलियों के संबंध में प्रधानमंत्री से केवल राजस्थान की महिलाओं की ओर से ही कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है अथवा कहीं ओर से भी प्राप्त हुआ है?

श्री जवाहर लाल नेहरू : जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, केवल यही ध्यान में आता है कि वे राजस्थान से थे और उनके साथ उनसे सहानुभूति रखने वाले एक अथवा दो लोग अन्य राज्यों के भी थे।

सेठ गोविन्द दास : जहाँ तक कानून का सवाल है, वह अपरिवर्तनीय नहीं है। कानून में परिवर्तन हमेशा होते रहे हैं। तब क्या यह संभव नहीं है कि इन महिलाओं के नाम सूचियों में शामिल कर लिए जाएं क्योंकि अभी तो चुनाव होने में भी समय शेष है? भाग 'ग' राज्यों से संबंधित उपाय हो चुका है और संसद का वर्तमान सत्र भी अभी और चलने वाला है। तब क्या इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए कोई प्रबंध संभव नहीं है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं अपने माननीय मित्र को बता देना चाहता हूँ कि यदि आज से भी राहत देने का सिलसिला आरंभ कर दिया जाए तो भी इसमें पूरे दो महीने से

कम का समय नहीं लगने वाला और इसका सीधा अर्थ है कि चुनाव आगे स्थगित करने होंगे।

श्री आर. सी. उपाध्याय : क्या सरकार निर्वाचक नामावलियों में श्रीमती अमुक–अमुक के लिए उचित विधान द्वारा संशोधन नहीं कर सकती?

वित्त राज्य मंत्री (श्री त्यागी) : पतियों के नामों में संशोधन नहीं किया जा सकता।

श्री आर. सी. उपाध्याय : पतियों के नामों में नहीं लेकिन........

डॉ. अम्बेडकर : पंजीकरण की प्रक्रिया कानून द्वारा निर्धारित की गई है और उस प्रक्रिया का पालन किया ही जाना चाहिए।

श्री आर. सी. उपाध्याय : क्या इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता?

डॉ. अम्बेडकर : ठीक है, कानून को बदला जा सकता है– परन्तु यह संसद के हाथ में है। मैं यह नहीं बता सकता कि यदि इसे संसद के समक्ष रखा गया तो इसके संशोधन में कितना समय लगेगा।

कोई माननीय सदस्य : पांच मिनट।

श्रीमती रेणुका रे : यदि कानून बदला जाता है तो इन्हें मतदाता सूची में शामिल किया जा सकता है। निश्चय ही, यही एक संभव रास्ता है। अतः क्या सरकार संसद के समक्ष बिल रखने पर विचार कर रही है?

डॉ. अम्बेडकर : मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए किसी ऐसे प्रस्ताव को ग्रहण करना कठिन है कि महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग–अलग कानून होने चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष : अब हम इस मुद्दे पर बहस नहीं करेंगे। अगला प्रश्न।

*****

(51)

*राज्यों में निर्वाचन आयुक्त

535 श्री कॉमथ : विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रत्येक राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति और वांछित चुनाव तंत्र की स्थापना कर दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इनको कब तक गठित कर दिया जाना प्रस्तावित है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) और (ख) : अभी तक कोई क्षेत्रीय निर्वाचन आयुक्त नियुक्त नहीं किए गए हैं परन्तु तीन या चार ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। मैं उपधारणा करता हूँ कि ''अध्यपेक्षित चुनाव तंत्र'' अभिव्यक्ति से माननीय सदस्य का आशय वास्तविक चुनावों के समय नियुक्त किए जाने वाले विभिन्न अधिकारियों की संख्या से है। वस्तु–स्थिति इस प्रकार है। जैसे ही संसद द्वारा विभिन्न परिसीमन संबंधी आदेशों में किए गए उपान्तर अधिसूचित हो जाएंगे और निर्वाचन क्षेत्रों को अंतिम रूप से निर्धारित कर लिया जाएगा त्योंही निर्वाचन आयोग द्वारा सभी राज्यों में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की औपचारिक नियुक्ति के लिए कदम उठाए जाएंगे। रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात् रह प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए पीठासीन और मतदान अधिकारी की नियुक्ति करेगा। बाद में होने वाली इन नियुक्तियों के नवम्बर के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है, सिवाय उन क्षेत्रों के, यदि कोई हो, जहाँ चुनाव अक्तूबर माह में होंगे, जहाँ पर यह कार्य सितम्बर, 1951 के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

श्री कॉमथ : महोदय, क्या सरकार को भाग 'क' अथवा भाग 'ख' के क्षेत्र की किसी राज्य सरकार की ओर से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि चुनाव संबंधी भारी भरकम कार्य को निपटाने के लिए मतदान और अन्य संबंधित प्रयोजनों हेतु उनका कानून और व्यवस्था संबंधी तंत्र अथवा अन्य वांछित तंत्र सक्षम नहीं है और क्या उन्होंने इस संबंध में अधिकारियों तथा अन्य कोई सहायता केन्द्र सरकार से मांगी है?

डॉ. अम्बेडकर : इस संबंध मे मुझे कोई जानकारी नहीं है।

*****

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 27 अगस्त, 1951, पृ. 670

(52)

*निर्वाचक नामावलियाँ

547 ज्ञानी राम : विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों ने निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन का कार्य पूरा कर लिया है; और

(ख) इस वर्ष में इन राज्यों द्वारा कितनी धनराशि वहन की गई और केन्द्र सरकार ने कितनी धनराशि का आवंटन किया?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) सभी राज्यों द्वारा निर्वाचक नामावलियों के अंतिम रूप में प्रकाशित करने का कार्य इस माह के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) जब तक निर्वाचक नामावलियों को अंतिम रूप से प्रकाशित करने का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक यह बताना संभव नहीं है कि वास्तव में इस कार्य पर राज्य सरकारों का कितना धन खर्च हुआ है और इस कार्य में केंद्र की कितनी भागीदारी रही।

हालांकि मैं इतना बता सकता हूँ कि भारत सरकार ने भाग 'क' और भाग 'ख' राज्यों द्वारा निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने पर वहन किए गए अपने आधे भाग के रूप में अतिरिक्त खर्च दो वित्तीय वर्षों के दौरान लगभग दो करोड़ सात लाख रुपए आवंटित किए हैं।

*****

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 27 अगस्त, 1951, पृ. 685

(53)

*नकली निर्वाचन

575 श्री भट्ट : विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों के कौन–कौन से शहरी और कौन–कौन से ग्रामीण क्षेत्रों में नकली चुनाव कराये गए?

(ख) इन नकली चुनावों के दौरान प्रत्येक स्थान पर कितने–कितने मतदाताओं ने भाग लिया था;

(ग) क्या महिलाओं के लिए अलग–अलग मतदान–केन्द्र बनाए गए;

(घ) ग्रामीण और शहरी मतदान केन्द्रों पर मतदाताओं ने अपना वोट डालने में क्रमशः औसतन कितना–कितना समय लिया;

(ड.) कितने प्रतिशत मतदान हुआ;

(च) क्या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से और जोर जबरदस्ती से भी वोट डाले गए; और

(छ) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने वोट डालने में ज्यादा समय लिया?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) से (छ) चुनाव आयोग द्वारा सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जाएगी।

*****

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 27 अगस्त, 1951, पृ. 698

(54)

*संविधान का अनुच्छेद 171 (ख)

576 श्री देवगिरीकर : (क) विधि यह बताने की कृपा करेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 171 (ख) में उल्लिखित किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का चयन करने के लिए निर्वाचक–गणों की योग्यता जो स्नातक के समकक्ष रखी गई है, क्या वह संसद द्वारा अथवा उसके द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा विहित है?

(ख) यदि हाँ, तो वह अर्हता क्या है? और

(ग) यदि नहीं, तो इन अर्हताओं को कब विहित किया जाएगा?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) मैं माननीय सदस्य का ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 27(3) की ओर दिलाना चाहूँगा जो राज्य सरकार को चुनाव आयोग के सहयोग से यह विनिर्दिष्ट करने के लिए प्राधिकृत करती है कि वह कौन–सी अर्हताएं हैं जिन्हें वह भारतीय विश्वविद्यालयों के स्नातक के समकक्ष समझती है।

(ख) और (ग) : ऊपर लिखित अर्हताओं संबंधी अधिसूचनाएं उन सभी राज्य सरकारों, जहाँ–जहाँ पर विधान परिषद हैं अर्थात् बिहार, बम्बई, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मैसूर द्वारा जारी की जा चुकी है। प्रत्येक अधिसूचना की प्रति संसद के ग्रंथालय में उपलब्ध हैं।

*****

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 27 अगस्त, 1951, पृ. 698

(55)

*निर्वाचन–क्षेत्रों के मानचित्र

748 श्री राज कंवर : विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार आगामी आम चुनावों के प्रयोजन से भाग 'क', 'ख' और 'ग' के प्रत्येक राज्य के अंतिम रूप से निर्धारित किए गए निर्वाचन–क्षेत्रों की परिसीमा को दर्शाने वाले एक अथवा अधिक मानचित्रों को अलग–अलग प्रकाशित करने की मंशा रखती हैं?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : प्रत्येक राज्य सरकार से अपने–अपने राज्य के अंतिम रूप से निर्धारित किए गए संसदीय और विधान–सभा निर्वाचन–क्षेत्रों को अलग–अलग दर्शाने वाले मानचित्र तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

श्री राजकंवर : जन साधारण के ये मानचित्र कब उपलब्ध हो सकेंगे?

डॉ. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ, जैसे ही वे तैयार होंगे, उपलब्ध हो जाएंगे।

श्री राजकंवर : ऐसा कब तक हो पाएगा, महोदय?

डॉ. अम्बेडकर : चुनाव होने से पहले।

माननीय उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, यदि आपके पास कुछ और निश्चित जानकारी है तो आप सदन को बता सकते हैं। सदन अपेक्षा करता है कि कोई निश्चित अवधि बता दी जाए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं अपने माननीय मित्र से बस इतना ही निवेदन कर सकता हूँ कि वे जाकर निर्वाचन आयुक्त से संपर्क करें। निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय से उन्हें वह सब जानकारी मिल जाएगी, जो वे चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री चुनाव आयुक्त से संपर्क करने की बात कर रहे हैं। यह तो आपके मंत्रालय के ही अंतर्गत आता है। साधारणतः ऐसा उत्तर देना उचित बात नहीं है। माननीय सदस्य अपना अनुमान लगा सकते हैं। परन्तु वह आशा

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 4 सितम्बर, 1951, पृ. 941

करते हैं कि सरकार एक माह अथवा दो माह में तो ऐसा कर पाने में समर्थ होगी। तीन उत्तरों में से एक भी उत्तर सुस्पष्ट नहीं है।

डॉ. अम्बेडकर : इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

प्रो. रंगा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात पर आपत्ति है कि कोई भी मंत्री खड़ा होकर हमसे यह कहे कि जाओ मेरे किसी अधीनस्थ से सूचना प्राप्त कर लो, यह तो वास्तव में संसद की गरिमा का अनादर है।

माननीय उपाध्यक्ष : मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री के कहने का आशय केवल यह था कि सूचना केवल सरकारी स्रोतों से प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार के मुद्दों के संबंध में सदन का समय लेने से पूर्व उन्हें उपलब्ध जानकारी को हासिल कर लेना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर : मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मेरे माननीय मित्र प्रो. रंगा अन्य अनेक अवसरों पर भी अधिकारियों से मिले हैं और उन्होंने गरिमा को ठेस लगने जैसी बात महसूस नहीं की।

प्रो. रंगा : इस प्रकार का उत्तर देने से एक और विवाद खड़ा हो जाएगा। हम जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। लेकिन सूचना मांगे जाने पर मंत्री महोदय हमसे यह नहीं कह सकते कि हमें उनसे सूचना प्राप्त करने के स्थान पर उनके अधीनस्थ अधिकारी से सूचना प्राप्त करनी चाहिए।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि सदस्य उनके अधीनस्थ अधिकारियों के पास सूचना लेने के लिए गए तो क्या यह प्रश्न सदस्यों की गरिमा के सवाल के अलावा स्वयं माननीय मंत्री को बुरा नहीं लगेगा?

माननीय उपाध्यक्ष : अब मैं दूसरे प्रश्न पर आऊंगा। सदन में आने से पूर्व पुस्तकों और अधिकारियों को निर्देशित करना एक आम बात है।

श्री ए. सी. गुहा : हमें एक परिपत्र जारी किया गया है कि हमें अधिकारियों से जाकर नहीं मिलना चाहिए। मंत्री महोदय कैसे हमें यह कह सकते हैं कि अधिकारी के पास जाकर सूचना ले लें। सूचना देने का काम मंत्री का है।

*****

(56)

*जनजातीय ईसाई और आम चुनाव

770 श्री एस. सी. सामंत : विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनजातीय ईसाईयों (आदिवासियों) को आगामी आम चुनावों में अनुसूचित जनजातीय निर्वाचन–क्षेत्रों से अनुसूचित जनजातीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा; और

(ख) यदि किसी प्रकार कोई रोक नहीं है तो क्या उनके चुनावों को प्रश्नगत किया जाएगा और चुनाव अधिकरणों में चुनाव विवाद के रूप में उठाया किया जाएगा?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) माननीय सदस्य मुझसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 में सन्निहित संगत वैधानिक उपबंधों की व्याख्या करने को कह रहे हैं। जो उम्मीदवार किसी राज्य में अनुसूचित जन–जाति के लिए आरक्षित सीट के लिए खड़ा होता है तो यह जरूरी है कि वह राष्ट्रपति के अनुसूचित जनजाति संबंधी आदेशों में दी गई सूची के अनुसार अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। मैं यह नहीं कह सकता कि प्रश्न में जिस ''जनजातीय ईसाईयों'' का उल्लेख किया गया है वह किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है अथवा नहीं।

प्रश्न के 'ख' भाग के संदर्भ में, माननीय सदस्य का ध्यान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 की ओर दिलाया जाता है जिसमें वे आधार दिए गए हैं जिन के आधार पर किसी चुनाव को प्रश्नगत किया जा सकता है। वे विशेष से रूप से उपधारा (1), खण्ड 'ग' को देखने का कष्ट करें।

*****

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 4 सितम्बर, 1951, पृ. 972

(57)

*विधि मंत्रालय में अधिकारी वर्ग

227 प्रो. के. टी. शाह : विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उनके सचिवालय में (i) 15 अगस्त, 1947, (ii) 31 मार्च, 1948, (iii) 31 मार्च, 1949, (iv) 31 मार्च, 1950, (v) 31 मार्च, 1951 की स्थिति के अनुसार (i) राजपत्रित अधिकारियों और (ii) अराजपत्रित अधिकारियों, लिपिकों, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की संख्या कितनी–कितनी है; और

(ख) (i) पहली बार में अस्थायी आधार पर नियुक्त किए गए अधिकारियों, लिपिकों, और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और इसके पश्चात् वर्ष 1947–48 (विभाजन–उपरांत), 1948–49, 1949–50 और 1959–51 के दौरान प्रतिवर्ष कितने लोगों को स्थायी किया गया, (ii) कितने सेवा–निवृत्त हुए अथवा (iii) निकाल दिए गए।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : माँगी गई सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। इन आंकड़ों को एकत्र करने में बहुत समय और श्रम अधिक लगेगा।

*****

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 12 सितम्बर, 1951, पृ. 1270

(58)

*मतदान केन्द्रों की सूची

1069 पंडित कुंजरू : विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुनाव आयोग ने बंबई राज्य सरकार अथवा जिला मजिस्ट्रेट को मतदान केन्द्रों की सूची तैयार करने को कहा था और ये निर्देश दिए थे कि इन सूचियों के अंतिम रूप से तैयार हो जाने तक इन्हें किसी भी पार्टी को न दिखाया जाए;

(ख) क्या बंबई सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देशों के बावजूद जिला मजिस्ट्रेटों में से किसी एक को ये निर्देश दिए हैं कि प्रारंभिक सूचियाँ ग्रामीण विकास बोर्डों के उपाध्यक्षों को दिखा दी जाएं;

(ग) क्या ये उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस समितियों के सदस्य हैं और अनेक मामलों में उनके अध्यक्ष भी हैं; और

(घ) यदि उपर्युक्त (क) और (ख) का उत्तर हाँ है, तो सरकार द्वारा इन मामले में क्या कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) जी नहीं, श्रीमान। निर्वाचन आयोग ने ऐसे कोई निदेश जारी नहीं किए हैं जिनमें यह कहा गया हो कि मतदान केन्द्रों की सूची के अंतिम रूप से अनुमोदन के पूर्व इन्हें किसी भी राजनीतिक दल को नहीं दिखाया जाए बल्कि निर्वाचन आयोग ने तो इसके उलट राज्य सरकारों को सुझाव दिए हैं कि वे मतदान केन्द्रों से संबंधित अपनी प्रारंभिक योजनाओं को विभिन्न दलों को उपलब्ध कराएं और जितना भी जयादा से ज्यादा संभव हो, इनका प्रचार करें। सूचना के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकारों को दिनांक 26 मई, 1951 को भेजी गई चिट्ठी की प्रति सदन पटल पर रखी जाती है (देखें VII, उपाबंध 9)

(ख) बंबई सरकार ने कलेक्टरों को निदेश दिए हैं कि उन्हें सरकार द्वारा यथा अनुमोदित प्रारंभिक योजनाओं को राजनीतिक दलों और जनता को दिखाया जाना

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 17 सितम्बर, 1951, पृ. 1273

चाहिए। इन योजनाओं को उस राज्य के जिला मुख्यालयों और तालुका मुख्यालयों में निरीक्षण के लिए रखा गया है और कलेक्टरों से कहा गया है कि जनता की ओर से आए सुझावों और आलोचनाओं पर ध्यानपूर्वक विचार करें। बंबई सरकार ने कलेक्टरों, जो कि ग्रामीण विकास बोर्डों के अध्यक्ष भी हैं, के कार्य को सरल बनाने के लिए इन योजनाओं को उन बोर्डों के उपाध्यक्षों को भी दिखाने के लिए निदेश दिये थे।

(ग) बंबई में ग्रामीण विकास बोर्डों के उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटियों के सदस्य भी हैं और कुछ मामलों में वे अध्यक्ष भी हैं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पंडित कुंजरू : क्या मैं जान सकता हूँ कि बंबई राज्य में अनन्तिम मतदान केन्द्रों की सूचियों को ग्रामीण विकास बोर्डों के उपाध्यक्षां से भिन्न लोगों को दिखाया जा रहा है?

माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

पंडित कुंजरू : यदि निर्वाचन आयोग ने सभी पार्टियों के संबंध में साधारण किस्म के निदेश दिए हैं तब बम्बई सरकार ने जिला मजिस्ट्रेटों को यह कहने की आवश्यकता क्यों महसूस की कि वे मत केन्द्रों की इन अंतिम सूचियों को ग्रामीण विकास बोर्डों के अध्यक्षों को दिखाएं?

डॉ. अम्बेडकर : संभवतः उस क्षेत्र के लोगों के संगठित विचारों को संग्रहीत करने की आवश्यकता स्वरूप ऐसा किया गया होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : कया यह सच है कि प्रत्येक निर्वाचन–क्षेत्र में निर्वाचकों की सूचियों को अकारादिक्रम से व्यवस्थित किया गया है?

डॉ. अम्बेडकर : अफसोस है कि मैंने स्वयं भी इन मतदाता सूचियों को नहीं देख है। इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। संभवतः माननीय सदस्य को इस बारे में अधिक जानकारी है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या यह सच है कि प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए अलग–अलग सूचियाँ नहीं हैं और किसी एक मतदान केन्द्र के क्षेत्र निवासियों को उस निर्वाचन–क्षेत्र में वोट डालने के लिए कई मीलों का सफर तय करना होगा?

डॉ. अम्बेडकर : मैं ऐसा नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि सभी मतदाताओं को मतदाता नम्बर के हिसाब से सूचित किया जाएगा और उसी के अनुसार वे विशेष मतदान केन्द्र पर मतदान करेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इन सभी सूचियों को अकारादिक्रम में व्यवस्थित किया गया है, जिसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए अलग–अलग सूची नहीं होगी, और जब तक प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए अलग सूची नहीं होगी वे कैसे जान पाएंगे कि उन्हें किस मतदान केन्द्र पर वोट डालना है और फलस्वरूप उन्हें मीलों लम्बा सफर तय करना होगा।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि मतदाता सूचियों को अकारादिक्रम में व्यवस्थित किया गया है।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं समझता हूँ कि मतदाता सूचियों को अकारादिक्रम में ही तैयार किया गया है और प्रत्येक मतदान केन्द्र पर इस प्रकार की सूची लटकी हुई है।

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस बारे में जांच कराऊँगा।

माननीय उपाध्यक्ष : खैर। इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है।

पंडित कुंजरू : क्या मैं विधि मंत्री से यह पूछ सकता हूँ कि जैसे अनुदेश निर्वाचन आयोग ने बम्बई राज्य को दिये हैं, क्या वैसे ही अनुदेश अन्य राज्यों को भी दिए गए हैं?

डॉ. अम्बेडकर : वह पत्र एक साधारण किस्म का पत्र था जो सभी राज्यों को भेजा गया है।

पंडित कुंजरू : क्या विधि मंत्री यह बता सकते हैं कि क्या इन मतदान केन्द्रों संबंधी आरंभिक सूचियों को अन्य राज्यों में राजनीतिक दलों के सदस्यों को दिखाया गया है।

डॉ. अम्बेडकर : मेरे मित्र यह मान रहे हैं कि राजनीतिक दल प्रत्येक जगह हैं। मुझे विश्वास है कि यदि कोई राजनीतिक दल है तो राज्य सरकार इन सूचियों को उन्हें दिखाने के लिए वैसे ही कदम उठाएगी जैसे वह दूसरों का दिखा रही है।

पंडित कुंजरू : मेरे माननीय मित्र इतने नासमझ नहीं हो सकते जो यह विश्वास कर लें कि देश में केवल एक ही राजनीतिक पार्टी है।

डॉ. अम्बेडकर : कदाचित दूसरी पार्टियाँ अटकल हैं।

*****

(59)

*कुष्ठ रोग

1074 श्री सिवन पिल्लै : स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुष्ठ रोग से पीड़ित रोगियों की सही–सही राज्यवार आंकड़ों की संख्या की जानकारी है;

(ख) यदि हाँ, तो देश के कौन से राज्य में जनसंख्या के अनुसार कुष्ठ रोगियों की संख्या सबसे अधिक है; और

(ग) इस भयानक रोग का सामना करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) और (ख) : जैसे कि पहले भी प्रायः कहा जाता रहा है इस बारे में सही–सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) यह मामला मुख्य रूप से, राज्य सरकार से संबंधित है। भारत सरकार ने कुछ समय पूर्व देश में केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्थापित करने की योजना बनाई थी जिसका उद्‌देश्य कुष्ठ रोग संबंधी समस्याओं पर अनुसंधान करना, अनुसंधान के परिणामों के कार्यान्वयन हेतु क्षेत्र में जाकर अध्ययन को बढ़ावा देना, कुष्ठ–विरोधी तकनीकी सलाह और मार्ग निर्देशन करना तथा राज्यों में कुष्ठ रोग संस्थाओं के संगठन और उनके विकास में सक्रिय रूप से भागीदारी करना था। केवल वित्तीय परेशानी के कारण यह योजना अधूरी रह गई। परन्तु कुछ स्वयंसेवी संस्थाएँ और कुछेक राज्य कुष्ठ रोगियों के बीच जाकर अच्छा कार्य कर रहे हैं तथा अनुसंधान कार्य भी चल रहा है।

श्री सिवन पिल्लै : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गांधी स्मारक निधि द्वारा केन्द्रीय कुष्ठ रोग राहत समिति बनाई गई है। इस महारोग को समाप्त करने के लिए सरकार का प्रस्ताव किस प्रकार सहयोग करने का है?

डॉ. अम्बेडकर : सरकार उन सभी कार्यों को करने को बाध्य हैं जो वह कर सकती है।

श्री सिवन पिल्लै : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कोई ऐसा राज्य है जहाँ एक भी कुष्ठ रोग निदानगृह नहीं है? और यदि हाँ, तो वह राज्य कौन–सा हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे विश्वास है कि अनेक राज्य ऐसे हैं जहाँ एक भी कुष्ठ रोग निदानगृह नहीं है।

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 17 सितम्बर, 1951, पृ. 1378

(60)

लेडी हार्डिंग मेडिकल कालिज

1084 श्री एलेक्जेंडर : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार द्वारा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज को कितना वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ख) क्या इस कॉलेज के शासि निकाय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व है यदि हाँ, तो कितने सदस्य हैं?

(ग) क्या इस संस्थान का उद्देश्य सारे देश की सेवा करना है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों को सीट आवंटन के विषय में किसी सिद्धांत का पालन किया जाता है; और

(ड.) इस वर्ष दाखिल विद्यार्थियों की राज्यवार संख्या क्या है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज को प्रत्येक वर्ष भिन्न–भिन्न अनुदान राशि प्रदान की गई हैं। गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष प्रदान की गई अनुदान राशि निम्न प्रकार हैं :–

1948–49	5,23,100 रुपए
1949–50	10,80,576 रुपए
1950–51	9,44,000 रुपए

(ख) इसके शासी निकाय में भारत सरकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। हालांकि इस निकाय के सदस्यों में सात अधिकारी हैं।

(ग) जी हाँ,

(घ) आवेदकों की योग्यता के आधार पर कॉलेज प्राधिकारी भरसक प्रयास करते हैं कि जितना संभव हो सके, अधिक से अधिक राज्यों के विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाए। केन्द्रशासित क्षेत्रों और उन राज्यों को जिन में चिकित्सा–शिक्षा संबंधी सुविधाएं

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 17 सितम्बर, 1951, पृ. 1388

सीमित हैं, प्राथमिकता दी जाती है। तथापि सरकार इस बात पर ध्यान दे रही है कि कॉलेज में प्रवेश संबंधी नियमों में इस बात को ध्यान में रखा जाए कि इस संस्थान का अखिल भारतीय स्वरूप बरकरार रहे।

(ड.) आवश्यक सूचना युक्त विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। (देखें परिशिष्ट VII, उपबंध 12)

श्री एलेक्जेंडर : मैं प्रश्न के भाग (क) के उत्तर के संबंध में यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार को कॉलिज के प्रशासन के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार कॉलेज के प्रशासन को अपने हाथ में लेने का है?

डॉ. अम्बेडकर : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री कॉमथ : मंत्री महोदय ने कॉलेज की कमेटी में जिन सात अधिकारियों के नामंकन का उल्लेख किया है क्या वे सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं?

डॉ. अम्बेडकर : मुझे प्रश्न का नोटिस दिया जाना चाहिए था।

श्री कॉमथ : क्या माननीय मंत्री उन अधिकारियों के नाम, उनके पद नाम अथवा रैक बता सकते हैं?

डॉ. अम्बेडकर : इस प्रश्न के लिए भी मुझे नोटिस दिया जाना चाहिए था।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि वित्त मंत्रालय के सचिव इस कमेटी के सदस्य व्यक्तिगत हैसियत में हैं अथवा अपनी पदीय हैसियत में?

डॉ. अम्बेडकर : मैं चाहूँगा कि मेरे माननीय सहयोगी इस प्रश्न का उत्तर दें।

वित्त मंत्री (श्री सी. डी. देशमुख) : अपनी पदीय हैसियत में।

श्री कॉमथ : क्या यह सच है कि स्वास्थ्य मंत्री प्रशासन अथवा कमेटी के किसी भी कार्य में इस संस्थान से सम्पर्क नहीं है?

डॉ. अम्बेडकर : मुझे विश्वास है कि वह अवश्य होगा।

श्री कॉमथ : सरकार का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। वे नहीं जानते।

डॉ. अम्बेडकर : इस संस्थान के आरंभिक गठन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

माननीय उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न, श्री गुहा।

*****

(61)

*दाइयों और नर्सों का प्रशिक्षण

1081 श्री एम. वी. गंगाधर सिवा : (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के उन संस्थानों के नाम बता सकते हैं जिनका रख–रखाव सरकार द्वारा किया जाता है और जिन्हें सरकार द्वारा दाइयों, नर्सों और दिल्ली में स्वास्थ्य सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए अनुदान दिया जाता है?

(ख) क्या यह सच है कि इन संस्थानों में प्रतिवर्ष प्रवेश के लिए उपलब्ध स्थानों से अधिक संख्या में विद्यार्थी आवेदन करते हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो लगभग कितने विद्यार्थियों को प्रवेश देने से मना किया जाता है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना युक्त विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(देखें परिशिष्ट VII, उपबंध 13)

(ग) हाँ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

*****

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 17 सितम्बर, 1951, पृ. 1403

(62)

इमेटाइन

1093 श्री कॉमथ : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) इपेकाकुनहा पौधों को भारत में उगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस समय उठाए जा रहे हैं जिसकी जड़ों से इमेटाइन प्राप्त होता है और वह अमीबा रक्तविकार की विशिष्ट औषधि है?

(ख) भारत में अमीबा रक्तविकार के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में कितने मूल्य का इमेटाइन और इपेकाकुन मूल को किन–किन देशों से आयात किया जाता है;

(घ) क्या यह सच है कि सिनकोना निदेशालय द्वारा पश्चिम बंगाल में इपेकाकुन पौधों को उगाए जाने की दिशा में कोई कार्य किया गया है; यदि हाँ, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ड.) क्या इस समय पश्चिम बंगाल में उगाए जा रहे इपेकाकुन पौधों को अन्य स्थानों पर भी उगाए जाने का प्रस्ताव है? और यदि हाँ, तो क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) समझा जाता है कि भारत में इसे उगाने में अब तक जो कठिनाई महसूस की गई है वह इसके वाणिज्यिक स्तर को लेकर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रायोगिक स्तर पर इपेकाकुनहा को उगाने का कार्य कर रही है और इसे कोयम्बतूर, पंचगनी और दार्जिलिंग में की जा रही औषधीय पौधों की खेती के लिए परिषद द्वारा तैयार की गई समन्वित योजना में शामिल किया गया है;

(ख) माना जाता है कि अमीबा रक्तविकार की घटनाएँ भारत के पूर्वी और दक्षिणी भागों अर्थात् मद्रास और पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा होती हैं। इस रोग के सूचनीय न होने से इसके आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(ग) इमेटाइन हाइड्रोक्लोराइड और इपेकाकुन मूल के आयात किए जाने संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं;

(घ) और (ड.) पश्चिम बंगाल सरकार से सूचना मंगवाई गई है और यथा समय सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 17 सितम्बर, 1951, पृ. 1405

(63)

*आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान

1094 डॉ. वी. सुब्रमणियम : (क) स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली संबंधी समिति (पंडित समिति) की सिफारिशों के अनुसरण में आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने की किसी योजना को स्वास्थ्य मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति तथा स्थायी वित्त समिति के समक्ष रखा गया;

(ख) यदि हाँ, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं और क्या इस योजना को मंजूरी दे दी गई है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) और (ख) योजना पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। इसे शीघ्र ही स्वास्थ्य मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति और स्थायी वित्त समिति के समक्ष अनुमोदन के लिए रखा जाएगा।

*****

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 17 सितम्बर, 1951, पृ. 1406

(64)

*आवास निदेशालय

259 श्री कॉमथ : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः—

(क) आवास निदेशालय की स्थापना किस तारीख को की गई थी;

(ख) यह किस तारीख को बंद हो गया;

(ग) इस अवधि के दौरान आवास निदेशालय ने किस तरह का और कितना कार्य किया; और

(घ) आवास निदेशक की अर्हताएं क्या रखी गई थीं?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) और (ख) : आवास निदेशालय की अलग से कोई स्थापना नहीं की गई थी। अपूर्ण कर्मचारी वृन्द युक्त आवास निदेशालय को 4 अक्तूबर, 1948 को नियुक्त किया गया था। आवास निदेशक ने पहली जुलाई, 1951 को अपने पद से त्याग—पत्र दे दिया था।

(ग) आवास निदेशक द्वारा आवास से संबंधित मुद्दों पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों को सलाह दी गई थी और उनका अधिकांश समय सरकारी आवास फैक्ट्री के निमार्ण और प्रबंध में लगा।

(घ) माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे दिनांक 7 दिसम्बर, 1949 के नामांकित प्रश्न संख्या 390 के भाग (ग) के उत्तर का अवलोकन करें।

*****

---

* संसदीय वाद—विवाद, खंड—9, भाग—I, 17 सितम्बर, 1951, पृ. 1413

(65)

*कुष्ठ रोगी

1176 डॉ. देशमुख : (क) क्या स्वास्थ्य मंत्री भारत में कुष्ठ रोगियों और कुष्ठ रोग सदनों के बारे में दिनांक 8 अप्रैल, 1948 को पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 1326 के उत्तर को देखेंगे और यह बताएंगे कि क्या डॉ. धमेन्द्र जिन्हें अमेरिका, यू. के., दक्षिणी अमेरिका और फिलीपीन्स पर भेजा गया था, वापस आ गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उनके दौरे से क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) इस समय वे क्या कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या उनकी स्वदेश वापसी के पश्चात् कुष्ठ रोगियों के उपचार में कोई चमत्कारी परिवर्तन आया है, यदि हाँ, तो किस प्रकार;

(ड.) केन्द्रीय कुष्ठ रोग शिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या कुष्ठ रोग के स्थायी इलाज और उससे बचने के कारगर निवारक उपायों की खोज कर ली गई है;

(छ) यदि हाँ, तो इससे भारत के लोगों को किस हद तक फायदा मिला है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) जी हाँ। वे 12 नवम्बर, 1948 को वापस आ गए थे।

(ख) उन्होंने अपने इस दौरे के दौरान उन देशों द्वारा किए जा रहे कुष्ठ रोग विरोधी कार्यों का अध्ययन किया;

(ग) इस समय वे कलकत्ता स्कूल ऑफ ट्रापिकल मेडिसिन में कुष्ठ रोग अनुसंधान विभाग में विभागाध्यक्ष हैं। वे अनुसंधान, शिक्षण और चिकित्सीय कार्यों से जुड़े हैं। तथा इसके साथ वे हिन्द कुष्ठ निवारण संघ द्वारा प्रकाशित की जा रही ''लेप्रॉसी

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 20 सितम्बर, 1951, पृ. 1527

इन इन्डिया'' पत्रिका के संपादक भी हैं।

(घ) कुष्ठ रोग के इलाज में 'सल्फोन' का प्रयोग आरंभ करने से इलाज की अवधि में कमी आई है।

(ड.) केन्द्रीय कुष्ठ रोग संस्थान समिति ने सिफारिश की है कि मद्रास राज्य सरकार को चाहिए कि वह लेडी विलिगंडन लेप्रोसी सेनेटोरियम, तिरुमणि तथा सिल्वर जुबली, चिल्ड्रन्स क्लीनिक, सेडापेटे जो कि मद्रास राज्य के चिंगलपुट जिले में हैं दोनों को अपने हाथ में लेकर उनका विस्तार करे और मद्रास राज्य में इस संस्थान की स्थापना करे। मद्रास सरकार इन शर्तों पर राजी नहीं हुई। इस समय इस संस्थान को उड़ीसा में खोलने का प्रश्न विचाराधीन है।

(च) जी नहीं। सल्फोन उपचार की सफलता के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डॉ. देशमुख : क्या मैं जान सकता हूँ कि उड़ीसा को ही क्यों चुना जा रहा है, मध्य प्रदेश का चयन क्यों नहीं किया गया? श्रीमान क्या यह सच नहीं है कि सर्वाधिक कुष्ठ रोग सदन मध्यप्रदेश में ही हैं?

डॉ. अम्बेडकर : मैं यह नहीं मानता कि मध्यप्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से कभी यह इच्छा व्यक्त की हो कि ऐसे संस्थान की स्थापना के प्रयोजन के लिए उनके राज्य पर भी विचार किया जाए।

डॉ. देशमुख : क्या केन्द्र सरकार का कुष्ठ रोग सदनों को किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव हैं?

डॉ. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ कि जहाँ भी संभव होता है सहायता प्रदान करते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं सामान्य रूप में यह कह सकता हूँ कि जब कोई माननीय मंत्री किसी अन्य मंत्री की ओर से पूरक प्रश्नों का यह उत्तर देता है कि माननीय सदस्य पूछें तो उन्हें मूल प्रश्न से हटकर नहीं पूछना चाहिए। मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि वे असंगत हैं; वे उठाए जा सकते हैं, परन्तु माननीय मंत्री से उनका उत्तर देने की आशा नहीं की जा सकती।

डॉ. देशमुख : किसी मंत्री द्वारा किसी दूसरे मंत्री के ओर से प्रश्नों का उत्तर दिया जाना एक आम बता हो गई है, ऐसे में हम क्या करें महोदय?

माननीय उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री जांगडे : एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ महोदय। माननीय मंत्री महोदय, कृपया यह बतायें कि डॉ. धमेन्द्र, जो अमेरिका, यू. के., दक्षिणी अमेरिका और फिलिपीन्स द्वारा कुष्ठ रोग के बारे में किए जा रहे कार्यों का अध्ययन करने के लिए उन देशों की यात्रा पर गए थे, के दौरे पर कितना खर्च किया गया था?

डॉ. अम्बेडकर : जो सूचना यहाँ पर मेरे पास है उसे देखने पर पता चला है कि डॉ. धमेन्द्र द्वारा क्यूबा में अन्तर्राष्ट्रीय कुष्ठ रोग सम्मेलन में भाग लेने और उनके विदेश दौरे के संबंध में भारत सरकार ने ब्रिटिश एम्पायर लेप्रोसी रीलीफ ऐसोसियेशन को 17350 रुपए की स्वीकृति दी थी। हालांकि डॉ. धमेन्द्र का प्रतिनियुक्ति के दौरान वेतन भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा वहन किया गया था।

कडॉ. देशमुख : क्या इस बात की गणना की गई है कि नई उपचार विधि से रोगी का उपचार करने में कितनी लागत आएगी; क्या यह उपचार बहुत महंगा है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस समय इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका नोटिस दिया जाए।

*****

(66)

*शरणार्थी छोटे दुकानदारों की हड़ताल

1185 श्री ज्ञानी राम : स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इर्विन रोड और पंचकुइंया रोड, नई दिल्ली के शरणार्थी छोटे दुकानदारों ने 27 अगस्त, 1951 से हड़ताल की है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) इन छोटे दुकानदारों ने 27 अगस्त, 1951 से 29 अगस्त, 1951 तक तीन दिनों की हड़ताल की है;

(ख) यद्यपि नई दिल्ली नगरपालिका समिति और इन छोटे दुकानदारों के बीच कुछ समय से विवाद चल रहा था, समझा जाता है कि हड़ताल का तात्कालिक कारण नगरपालिका समिति के नियमों का उल्लंघन करने वाले कुछेक दुकानदारों के विरुद्ध समिति द्वारा अनियोजन प्रारंभ किया जाना था।

(ग) कोई जांच कराए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ज्ञानी राम : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या अब इन छोटे दुकानदारों की शिकायतों को दूर कर दिया गया है?

डॉ. अम्बेडकर : शायद ही कोई शिकायत हो। जो कागजात मुझे सौंपे गए थे उनसे तो ऐसा लगता है कि यह विवाद पूर्णतः कानूनी किस्म का है। नगरपालिका का कहना है कि ये दुकानदार लाइसेंसधारक हैं और दुकानदारों का कहना है कि वे पट्टेदार हैं। नगरपालिका कह रही है कि उनके लाइसेंसधारक होने से वह उन्हें बिना नोटिस दिए वहाँ से हटा सकती है जबकि दुकानदारों का कहना है कि वे पट्टेदार हैं और उनके साथ पट्टे की शर्तों के अनुसार ही व्यवहार किया जाना चाहिए। यह पूर्णतः कानूनी मसला है जिसका निपटारा केवल न्यायालय अथवा

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 20 सितम्बर, 1951, पृ. 1538

न्यायिक प्राधिकरण द्वारा ही किया जा सकता है।

श्री सिधवा : क्या ये दुकानदार इस आशय के किसी करार के अनुसार किराया देते हैं कि उन्हें लाइसेंस धारक के रूप में जाना जाएगा।

डॉ. अम्बेडकर : जहाँ तक मैं समझ सका, और मैं सुधार ही शर्त के साथ बोलता हूँ– उन्हें वहाँ पर पटरी पर बैठकर कुछ समय के लिए अपनी दुकानदारी करने की अनुमति दी गई थी। परन्तु वे कहते हैं कि हम इतने दिनों से यहाँ बैठ रहे हैं कि हमारे लाइसेंस अब पट्टे में परिवर्तित हो गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को कानून की शिक्षा नहीं दी जा सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्या को कानून की शिक्षा प्राप्त नहीं दी जा सकता।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं, वे वहाँ अनधिकृत भूमि कब्जा कर नहीं हो सकते। संभवतः वे यह जानना चाहते हैं कि लाइसेंस और पट्टे में क्या अन्तर है।

श्री सिधवा : मेरा प्रश्न था कि क्या वे किराया दे रहे हैं अथवा नहीं?

माननीय उपाध्यक्ष : मैं कानूनी मुद्दों पर राय व्यक्त करने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री सारंगधर दास : इस मुद्दे के कानूनी पहलू के अलावा क्या उन स्थानों पर जहाँ पर ये दुकान बनाई गई हैं पानी की किल्लत और साफ–सफाई की व्यवस्था संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

माननीय उपाध्यक्ष : इस बात का प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। क्या इन सुविधाओं के लिए ही हड़ताल शुरू की गई थी?

श्री सारंगधर दास : उनकी शिकायतों में से यह भी एक है।

डॉ. अम्बेडकर : जहाँ तक मुझे मालूम है नगरपालिका समिति द्वारा चलाये गए अभियोजनों से हड़ताल हुई।

*****

(67)

*राजस्थान की महिला मतदातओं के संबंध में जयपुर की महिला समिति की याचिका

1266 श्रीमती दुर्गागाई (श्रीमती रेणुका रे के स्थान पर) : (क) विधि मंत्री 27 अगस्त, 1951 के तारांकित प्रश्न संख्या 534 के बारे में पूछे गए पूरक प्रश्नों के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मतदाता सूचियों में महिला मतदाताओं के नाम काटने के कारण मतदाता सूचियों को तैयार करने वाले कर्मचारियों द्वारा प्रारंभ में ही सही नाम दर्ज न करना था?

(ख) क्या यह सच है कि इन अधिकारियों को संबंधित महिलाओं के नामों को सही ढंग से लिखने के अनुदेश नहीं दिए गए थे जिसके परिणामस्वरूप उनके नाम निर्वाचक नामावलियों में शामिल नहीं किए गए?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : (क) नहीं श्रीमान। जिन अधिकारियों ने प्रारंभिक रूप से इन मतदाता सूचियों को तैयार किया था वे कुछ राज्यों में महिला मतदाताओं के वास्तविक नामों को जानने में असमर्थ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसका कारण महिलाओं तथा उनके रिश्तेदारों द्वारा उन महिलाओं के नामों को बताने में संकोच करना है।

(ख) निर्वाचन आयोग ने राज्य सरकारों को विशेष रूप से यह अनुदेश दिए थे कि महिलाओं के सही नाम लिखें जाए और 'अमुक की पत्नी' अथवा 'अमुक का पुत्री' न लिखा जाए। राज्य सरकारों को यह भी अनुदेश दिए गए थे कि वे जिन महिलाओं के नाम मतदातासूचियों में वास्तविक सही नामों से दर्ज नहीं किए गए थे उन महिला मतदाताओं के सही नामों का सरकारी एजेंसी के माध्यम से पता लगाने के लिए भरसक सरकारी प्रयास किए जाएं। इस कार्य में जनता का सहयोग भी मांगा गया था। यह सही अनुदेशों के अभाव के कारण नहीं था कि सूचियों में नामों की विहित रीति से दर्ज नहीं किया जा सकता था।

श्रीमती दुर्गाबाई : महोदय, यह आप एक या दो पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति देने की कृपा करेंगे?

माननीय उपाध्यक्ष : नहीं, यह प्रश्न काल नहीं है।

श्री सोधी : और माननीय सदस्य स्वयं नियमों को जानती हैं।

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 25 सितम्बर, 1951, पृ. 1666

(68)

*हिंदू तलाक (विवाह–विच्छेद)

1412 श्रीमती जयश्री : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन राज्यों के नाम क्या–क्या हैं जहाँ हिंदू विवाह के तलाक की अनुमति देने वाला कानून प्रवृत्त है।

(ख) वर्ष 1950 के दौरान इन राज्यों के न्यायालयों में तलाक के लिए दिए गए आवेदन–पत्रों की संख्या कितनी थी;

(ग) वर्ष 1950 के दौरान कितने आवेदकों को तलाक की मंजूरी मिल गई; नामंजूर कर दिया गया; और

(ड.) वर्ष 1950 के दौरान कितने पुरुषों और कितनी महिलाओं ने तलाक के लिए आवेदन किया?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) जहाँ तक मैं समझता हूँ हिंदूओं में तलाक की अनुमति देने वाला कानून केवल बंबई और मद्रास राज्यों में ही लागू है।

(ख) से (ड.) : वर्ष 1950 के सही–सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। बंबई के आंकड़ों को देखकर पता चलता है कि 12 मई, 1947 को इस कानून के लागू होने के बाद से जून, 1950 के अंत तक के आंकड़े निम्न प्रकार हैंः–

कुल आवेदन पत्रों की संख्या	5,356
पुरुष आवेदकों की संख्या	2,452
महिला आवेदकों की संख्या	2,904
तलाक मंजूर किए गए आवेदकों की संख्या	2,756
नामंजूर किए गए आवेदनों की संख्या	1,164

मुझे मद्रास से अब तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

*****

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–9, भाग–I, 28 सितम्बर, 1951, पृ. 1813

(69)

*हिंदू द्विविवाह निवारण अधिनियम

1413 श्रीमती जयश्री : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन राज्यों के नाम क्या—क्या हैं जहाँ पर हिंदू द्विविवाह निवारण कानून लागू है;

(ख) वर्ष 1950 के दौरान इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में हुए विवाहों की संख्या कितनी है; और

(ग) वर्ष 1950 के दौरान कितने मामलों में दोषी करार किया गया?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) जहाँ तक मुझे जानकारी है हिंदू द्विविवाह निवारण कानून केवल बम्बई और मद्रास राज्य में ही लागू है।

(ख) और (ग) : वर्ष 1950 के सही—सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि बम्बई के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि 6 नवम्बर, 1946 को बंबई अधिनियम के लागू होने के बाद से इस अधिनियम का उल्लंघन करते हुए 31 अगस्त, 1950 तक हुए विवाहों की संख्या 1,934 है और इस अवधि के दौरान 756 मामलों में दोषी करार किए गए। मद्रास के बारे में मुझे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

*****

* संसदीय वाद—विवाद, खंड—9, भाग—I, 28 सितम्बर, 1951, पृ. 1814

परिशिष्ट

(क)

*विधि व्यवसायी और विधिज्ञ परिषद (संशोधन) विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूँः ''कि विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 और भारतीय विधिज्ञ परिषद, अधिनियम, 1926 का और ''आगे संशोधन करने संबंधी विधेयक को आगे जारी रखा जाए।''

श्री बिश्वनाथ दास (उड़ीसा : सामान्य) : मैं जानना चाहता हूँ कि यह विधेयक किस चरण में है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह पुरःस्थापित ही हो पाया था।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न है :–

''कि विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 और भारतीय विधिज्ञ परिषद, अधिनियम, 1926 का और आगे संशोधन करने संबंधी विधेयक को आगे जरी रखा जाए।''

प्रस्ताव अंगीकृत हुआ।

*****

---

* संसदीय सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–1, भाग–II, 17 नवम्बर, 1947, पृ. 40

(ख)

*प्रेस (विशेष शक्तियाँ) विधेयक

माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः महोदय, मैं प्रस्ताव रखता हूँः

कि विधेयक खण्ड–17 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाए, अर्थात्ः

''1947 के अध्यादेश ग का निरसन

''17, प्रेस (विशेष शक्तियाँ) (संख्या 2) अध्यादेश, 1947 को एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।''

माननीय उपाध्यक्ष : बाईं तरफ के शब्द पार्श्व टिप्पणी प्रतीत होते हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : उन शब्दों को रखने की आवश्यकता नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री द्वारा यह प्रस्तावित किए जाने के बाद कि, विधेयक को यथा संशोधित पारित कर दिया जाए मैं इस संशोधन को लूंगा।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं आपकी अनुमति से पुनः खण्ड–2 के बारे में प्रस्ताव रखता हूँ कि इस खण्ड में ''कुछ'' (समथिंग) शब्द के स्थान पर ''कोई भी'' (एनीथिंग) शब्द रखा जाए। इस शब्द के अधिक उचित होने के कारण इसी का प्रयोग होना चाहिए। इससे पूर्व भी संशोधन की बात हुई थी परन्तु मेरे माननीय मित्र ने प्रस्ताव ही नहीं रखा था।

श्री नजीरुद्दीन अहमद : इसका कारण मेरा बहुत देर से आना था।

*****

---

* संसदीय सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–1, भाग–II, 20 नवम्बर, 1947, पृ. 353 पृष्ठ 353

** संविधान सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–1 भाग–II, 20 नवम्बर, 1947, पृष्ठ 355

(ग)

*विस्थापित व्यक्ति (विधिक कार्यवाहियाँ) विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : महोदय मैं प्रस्ताव रखता हूँ कि विस्थापित व्यक्तियों को राहत देने के लिए कतिपय विधिक कार्यवाहियों का विशेष उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :—

''कि विस्थापित व्यक्तियों को राहत देने के लिए कतिपय विधिक कार्यवाहियों का विशेष उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।''

प्रस्ताव अंगीकृत हुआ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

*****

---

* संविधान सभा (विधायी) वाद—विवाद, खंड—3, भाग—II, 31 मार्च, 1949, पृ. 2141

(घ)

*वर्ष 1948–49 (न्याय प्रशासन) के लिए पूरक अनुदानों की माँग

माननीय उपाध्यक्ष : मैंने सोचा है कि मुझे पहले माननीय मंत्री महोदय को मांग संख्या 34 का उत्तर देने के लिए बुलाना चाहिए था। मुझे इस पर मतदान कराना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि माननीय सदस्य इस बारे में कुछ बोलना चाहते थे।

श्री आर. के. सिधवा : नहीं, महोदय।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : महोदय, 'न्याय प्रशासन' की मद वास्तव में गृह मंत्रालय की है क्योंकि इस विषय का प्रभार उन्हीं के जिम्मे है परन्तु मुझे विश्वास है, हमें कम से कम आज सरकार को बहस का उत्तर देने की इस मुसीबत से मुक्त कर देना चाहिए। इसीलिए मैंने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। मुझे एक बात और बतानी है कि मैंने गृह मंत्रालय के साथ कोई सलाह मशविरा नहीं किया है इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि जो विचार मैं रखने जा रहा हूँ वे वास्तव में गृह मंत्रालय के भी विचार होंगे।

महोदय कानूनी मामलों में देरी होने का सवाल बहुत पुराना है जो इस देश में उठता रहता है और भारत सरकार भी इससे अवगत है। यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूँ तो एक बार 'सिविल न्याय समिति' नाम की एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति द्वारा की गई सिफारिशों को नागरिक प्रक्रिया संहिता के साथ–साथ दंड प्रक्रिया संहिता में इस उद्देश्य से शामिल किया गया था कि मुदकमों के निर्णय लेने में होने वाले विलम्ब से बचा जा सके। लेकिन दुर्भाग्यवश कानूनी प्रक्रिया में होने वाली विलम्ब संबंधी शिकायत ज्यों की त्यों बनी रही और आज भी हमारे सामने हैं। मेरे निर्णय में और मेरे विचार में, (मेरे) दोनों माननीय, मित्र, डॉ. पी. एस. देशमुख और श्रीमती दुर्गाबाई, जिन्हें न्यायालयों में कार्य करने का काफी तजुर्बा है, इस बात से सहमत होंगे कि मुकदमों की सुनवाई में होने वाले विलंब के असली जिम्मेदार खुद मुवक्किल होते हैं। जहाँ तक मेरे अनुभव में देखने में आया है, जब न्यायालय द्वारा किसी भी मुवक्किल को किसी निर्धारित तारीख को, गवाह अथवा दस्तावेजों अथवा किसी अन्य सामान जो कि न्यायालय द्वारा जारी किया गया था, को साथ लेकर आने के लिए बुलाया जाता है तो वह खाली हाथ न्यायालय में आकर गुहार करता

---

* संविधान सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–3, भाग–II, 31 मार्च, 1949, पृष्ठ 2151–53

है कि मुझे अगली तारीख दे दी जाए और यदि सुनवाई के लिए तारीख नहीं बढ़ाई जाती तो वह अपना वकील इसलिए बदल देता है कि इस वकील के न्यायाधीश से अच्छे संबंध नहीं हैं जिसके अभाव में वह तारीख बढ़वाने में भी असमर्थ रहा है और कभी–कभी मुवक्किल अपने वकील से पूर्णतः असंतुष्ट हो जाता है और न्यायालय को इस बात पर विचार करना पड़ता है कि सुनवाई में होने वाले विलंब से बचने के लिए क्या उसकी अर्जी को नामंजूर किया जाए या नहीं। हमारी साधारण जनता भोली–भाली और अनजान होने के कारण निर्धारित तारीख को सभी वांछित वस्तुओं के साथ न्यायालय में हाजिर नहीं हो पाती है और उनकी सभी बातों के उचित होते हुए भी यदि उन्हें समय नहीं दिया जाए तो उन के पक्ष के कथन के उचित होते हुए भी मुकदमे में उनकी हार हो सकती है।

जहाँ तक प्रक्रियात्मक (प्रोसीजरल) कानून का संबंध है, इसमें होने वाले विलंब से बचने के लिए सभी तरीके और सभी आवश्यक नियम मौजूद हैं। यदि हमारे लोग हमारी जनता अपने मुकदमों की कार्यवाही को अधिक शीघ्रता से अधिक प्रभावपूर्ण ढंग से कराना चाहे और अपने गवाहों को बुलाने, पेश करने में ज्यादा चुस्त–दुरुस्त हो जाए तो मुकदमों की सुनवाई में होने वाले विलंब से काफी हद तक बचा जा सकता है।

डॉ. पी. एस. देशमुख : उच्च न्यायालयों में होने वाले विलंब का क्या कारण है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उच्च न्यायालयों में होने वाले विलंब का भी यही कारण है। शायद मेरे माननीय मित्र इस बात से, जिसे मैं जानता हूँ अनजान ही हैं कि हमारी अधिकांश जनता ज्योतिष में विश्वास करती है और जब उनसे यह कहा जाता है कि आपके मुकदमे की सुनवाई के लिए अमुक तारीख निर्धारित की गई है तो सबसे पहले वे यह जानने के लिए ज्योतिषी के पास पहुंचते हैं कि क्या यह दिन उनके लिए सौभाग्य कारक है अथवा नहीं। यदि उन्हें यह पता चलता है कि निर्धारित तारीख उनके लिए सौभाग्य कारक नहीं है तो वे दौड़कर बंबई जाते हैं और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के कार्यालय से सम्पर्क स्थापित करते हैं और कभी–कभी तो क्लर्क को भारी रिश्वत भी देते हैं कि उनके मामले की सुनवाई के लिए कोई विशेष दिन निर्धारित कर दें। इस प्रकार के अनेक मामलों की मुझे जानकारी है। इसलिए हमने प्रक्रियात्मक (प्रोवीजन) कानून के संसबंध में विलंब से बचने का प्रयास किया है।

श्रीमती जी. दुर्गाबाई : क्या विलंब का कारण अभिलेखों के मुद्रण में लगने वाला अत्यधिक समय नहीं है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार प्रिवी कॉसिल

ने यह कहा है कि उनके सामने जो भी मामले रखे जाएं, उनका मुद्रित रिकार्ड रखा जाए, उसी प्रकार उच्च न्यायालय को भी इस नियम का पालन करना होगा। हो सकता है, इस बारे में उच्चतम न्यायालय किसी भिन्न नियम का पालन करता हो, हम नहीं कह सकते।

जहाँ तक निचली अदालतों का सवाल है, वहाँ पर सुधार की काफी गुंजाइश है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ और हमारे न्यायालयों का भी यही कहना है कि जिन कस्बों में अवर न्यायाधीश (सब जज) बैठते हैं कभी–कभी गांवों से बहुत दूर होते हैं और गांव वालों को वहाँ तक पहुंचने के लिए यात्रा पर बहुत धन खर्च करना पड़ता है। कभी–कभी मैं सोचता हूँ कि अच्छा हो यदि हमारे अवर न्यायाधीश (सब जज) अथवा इनके अधीनस्थ अन्य न्यायाधीश सर्किटों में जाएं। आप छह या सात गांवों के लिए एक सर्किट बना सकते हैं जहाँ ये न्यायाधीश अलग–अलग सप्ताहों के दौरान अलग–अलग सर्किटों में जाकर गांवों में ही मामलों की सुनवाई करें। मैं समझता हूँ कि यह एक व्यावहारिक बात है। यह तो मैं अवश्य ही कहूँगा कि यह एक ऐसा मामला है जो पूरी तरह प्रान्तीय सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। मेरे सुझाव के अनुसार प्रान्तीय सरकारें ही न्यायपालिका को सुव्यवस्थित कर सकती हैं। यदि वे चाहें तो वे अमूल्य सुझाव को स्वीकार कर सकती हैं।

जहाँ तक न्यायालय शुल्क का सवाल है, मुझे पुनः यही कहना होगा कि यह मामला भी पूर्णत प्रान्तीय सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। यदि प्रान्तीय सरकारें यह समझती हैं कि निर्धारित किया गया न्यायालय शुल्क मुकदमा दायर करने वालों की क्षमता से बाहर है तो वे न्यायालय शुल्क को कम करके मुकदमा दायर करने वाली जनता को राहत पहुंचा सकती हैं। जहाँ तक कानूनी सहायता का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस दिशा में अवश्य ही कुछ किए जाने की जरूरत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, ब्रिटिश संसद ने अभी हाल ही में एक अधिनियम पारित किया है जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि मुदकमा दायर करने वाला जो व्यक्ति अपने मुकदमें की सुनवाई के लिए पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं है उसको सहायता प्रदान करना राष्ट्र की जिम्मेदारी है। हालांकि अपने देश के लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुझे लगता है कि यह कानून हमारे देश के लिए बहुत उपयोगी है परन्तु देश के राष्ट्रीय राजस्व पर इतना बोझ डालना संभव नहीं हो पाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के लोगों को जिनके महत्वपूर्ण विधि–प्रश्न तय किए जाने हैं किसी अन्य प्रकार से सहायता दी जा सकती है ताकि उन्हें धन संबंधी आंशिक राहत मिले।

विधि पुनरीक्षण समिति के बारे में कुछ कहा गया था। मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ भ्रांतियाँ हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इंग्लैड स्टेट्यूट रिवीजन कमेटी है परन्तु इस का कार्यक्षेत्र अत्याधिक सीमित है। 1927 में पारित किए गए स्टेट्यूट लॉ रिवीज़न कमेटी एक्ट मेरे पास है। इस अधिनियम का उद्देश्य पूरा हो

चुका है और जो आजकल लागू नहीं है तथा अन्य कानून जिनकी स्थिति भी वैसी ही है। वास्तव में, देखा जाए तो इसका मुख्य उद्देश्य बेमतलब और अनावश्यक कानूनों को कानूनों की पुस्तक से अलग करना है। हमारे देश में मैं देखता हूँ कि स्टेट्यूट लॉ डिवीजन कमेटी का गठन सन् 1921 में किया गया था। यद्यपि भारत सरकार द्वारा जब इस समिति का गठन किया गया था तो उसका आशय वही था जो ब्रिटिश स्टेट्यूट में लेखबद्ध था, फिर भी इसके कार्य में थोड़ी भिन्नता थी और यह वह थी कि इस समिति का कार्य स्वयं उनके द्वारा ड्राफ्ट किए गए कतिपय कानूनों पर सरकार को सुझाव देना था। मैं नहीं जानता कि इस प्रकार का कार्य आवश्यक है क्योंकि कानून तैयार करने का कार्य पूर्णतः सरकारी मामला है। उस कानून के प्रारूपण का कार्य प्रारूपकार का है। प्रारूपकार विधि विभाग में कार्यरत रहते हैं। मुझे इस दृष्टिकोण से विधि पुनरीक्षण समिति की कोई खास आवश्यकता प्रतीत नहीं होती बल्कि देखा गया है कि विधि विभाग कर्मचारियों की कमी के कारण किसी व्यक्ति को यह देखने के लिए नियुक्त नहीं कर सकता कि कौन से कानून बेकार हो गए हैं, कौन से अनावश्यक हैं और कौन से आजकल लागू नहीं हैं। तथापि जब कभी सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी तो मैं इस सुझाव को ध्यान में रखूंगा।

फेडरल कोर्ट के बारे में प्रश्न किया गया है कि न्यायाधीशों की अल्प संख्या के कारण न्यायालय में मामले लंबित पड़े हुए हैं। एक प्रश्न यह भी उठाया गया था कि फेडरल कोर्ट के पास एक ऐसी पुस्तकालय भी नहीं है जिसे उसके पास होना चाहिए। मुझे इस बात में रत्ती भर भी संदेह नहीं है कि भारत सरकार फेडरल कोर्ट की अपेक्षाओं और इसकी पुस्तकालय संबंधी जरूरतों को पूरा करने में कभी शिथिल नहीं हो सकती और मुझे इस बात में भी कोई संदेह नहीं है कि जब फेडरल कोर्ट को उच्चतम–न्यायालय में परिवर्तित किया जाएगा तो इस मुद्दे पर अवश्य ही विचार किया जाएगा। फेडरल कोर्ट को उच्चतम न्यायालय में परिवर्तित होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। अतः फेडरल कोर्ट और इसकी पुस्तकालय संबंधी सुविधाओं के लिए जो सुधार संबंधी सुझाव दिए गए हैं उनको लागू करने में उच्चतम न्यायालय के गठन होने तक ठहरा जा सकता है। मुझे इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि भारत सरकार पुस्तकालय की आवश्यकताओं के साथ–साथ न्यायाधीशों की संख्या, जो न्यायालय के कार्यों को निपटाने के लिए आवश्यक है, को ध्यान में रखेगी।

माननीय उपाध्यक्ष : मैं मांगों को सदन के समक्ष रखता हूँ।

प्रश्न यह है :

''कि गवर्नर जनरल को न्याय प्रशासन के संबंध में 31 मार्च, 1949 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान की जाने वाली अदायगियों के लिए अधिक से अधिक 2,46,000/– रुपए की पूरक धनराशि दी जाए।''

प्रस्ताव अंगीकृत हुआ।

(ङ.)

*सदन के पटल पर रखे गए कागज़ात

संविधान (कठिनाइयों का निवारण) आदेश

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं संविधान के अनुच्छेद 392 के खण्ड (2) के अधीन सदन के पटल पर निम्नलिखित पत्रों/कागजात को रखने की अनुमति चाहता हूँ:

(i) संविधान (कठिनाइयों का निवारण) आदेश संख्या एक (गवर्नर–जनरल द्वारा 7 जनवरी, 1950 को बनाया गया)।

(ii) संविधान (कठिनाइयों का निवारण) आदेश संख्या दो (राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी, 1950 को बनाया गया) ।

(iii) संविधान (कठिनाइयों का निवारण) आदेश संख्या तीन (राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी 1950 को बनाया गया) ।

(ग्रंथालय में रख दिए गए। देखिए संख्या पी. 61/50

*****

(च)

**वायुसेना विधेयक

प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : मैं वायुसेना के संचालन संबंधी कानून का समेकन और संशोधन करने संबंधी विधेयक के बारे में प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ।

*****

---

* संविधान सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–I, भाग–II, 14 फरवरी, 1950, पृ. 9497
* संविधान सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–3, भाग–II, 21 मार्च, 1950, पृ. 1895

(छ)

*निरसन और संशोधन विधेयक

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँः–

''कि कतिपय अधिनियमों का निरसन अथवा संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

महोदय मैं नहीं समझता कि इस समय कोई वक्तव्य देना आवश्यक है क्योंकि यह तो एक नैमित्तिक कार्य है। कई अधिनियम तो युद्धकाल में पारित किए गए थे और उन अधिनियमों के अंतर्गत दी गई शक्तियाँ समाप्त हो गई हैं तथा उनमें से कुछ तो समाप्त हो गए हैं जरूरी बात तो यह है कि इन अधिनियमों से स्टेट्यूट बुक इतनी भारी बोझिल हो गई है उसे कांट–छांट कर छोटा कर दिया जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गयाः–

''कि कतिपय अधिनियमों का निरसन या संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

श्री एम. अनन्तशयनम आयंगर (मद्रास : साधारण) : महोदय मैं आपका समय नहीं लेना चाहता लेकिन मुझे खेद है कि उन्होंने भारत सरकार के लगभग डेढ़ सौ अधिनियमों की सूची में वृद्धि नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :–

''कि कतिपय अधिनियमों का निरसन करने अथवा उनमें संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।''

प्रस्ताव अंगीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़े गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ी गई।

---

* संविधान सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–3, भाग–II, 11 दिसम्बर, 1947, पृ. 1727

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ा गया।

विधेयक का नाम तथा प्रस्तावना विधेयक में जोड़ी गई।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:–

''कि विधेयक पारित किया जाए''

प्रस्ताव अंगीकृत हुआ।

*****

*__माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) :__ महोदय मैं कतिपय अधिनियमों का निरसन करने तथा अन्य अधिनियमों का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की इज़ाजत देने का अनुरोध करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :

''कि कतिपय अधिनियमों का निरसन करने तथा अन्य अधिनियमों का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की इजाजत दी जाए।''

प्रस्ताव अंगीकृत हुआ।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

*****

(ज)

**विधि मंत्रालय के लिए स्थायी समिति

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (विधि मंत्री) : मैं सविनय प्रस्तुत करता हूँ:

''कि यह सदन डॉ. पी. के. सेन, जिनका 17 नवम्बर, 1950 को निधन हो गया था, के स्थान पर चालू वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए विधि मंत्रालय के विषयों पर सलाह देने के लिए स्थायी समिति में कार्य करने के लिए एक सदस्य का ऐसी रीति के अनुसार जो माननीय अध्यक्ष निदेश दें, चुनाव करने के लिए अग्रसर हो।''

प्रस्ताव अंगीकृत हुआ।

*****

---

* संविधान सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–2, भाग–II, 1 मार्च, 1949, पृ. 989

** संविधान सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–6, भाग–II, 29 नवंबर, 1950, पृ. 845–48

माननीय अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नलिखित समितियों के संबंध में नामांकन प्राप्त करने ओर यदि आवश्यक हुआ तो चुनाव कराने के लिए निम्नलिखित तारीखें निश्चित की गई हैं :–

	नमांकन की तारीख	चुनाव की तारीख
(1) गृह मंत्रालय की स्थायी समिति	01–12–50	04–12–50
(2) जनरल सिल्क बोर्ड		
(3) भारतीय क्षय रोग एसोसिएशन की स्थायी समिति		
(4) रेलवे की स्थायी वित्तीय समिति		
(5) विधि मंत्रालय की स्थायी समिति	01–12–50	05–12–50

इन समितियों के लिए नामांकन संसदीय सूचना कार्यालय में 01–12–50 को 12 बजे दोपहर तक प्राप्त किए जाएंगे। चुनाव जो एकल हस्तांतरणीय मत के अनुसार होंगे, संसद भवन में सहायक सचिव के कक्ष संख्या 21 में 10:30 बजे से 1:00 बजे तक होंगे।

*****

(झ)

*श्रमिक संघ विधेयक

प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं रमिक संघ को पंजीकृत करने और मान्यता प्रदान करने तथा कुछ मामलों में पंजीकष्त तथा मान्यता प्राप्त श्रमिक संघों/विषयक विधि को परिभाषित करने तथा नियोजकों और पंजीकृत श्रमिक संघों के अनुचित व्यवहारों को रोकने के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ।

*****

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–6, भाग–II, 1 दिसम्बर, 1950, पृ. 1066

(ण)

*संविधान (कठिनाइयों का दूर किया जाना) आदेश संख्या (VI) से (VIII)

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं संविधान के अनुच्छेद 392 के खण्ड (2) के अधीन निम्नलिखित दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूँः–

(i) संविधन (कठिनाई दूर किया जाना) आदेश संख्या VI (राष्ट्रपति द्वारा 21 सितम्बर, 1950 को किया गया)।

(ii) संविधान (कठिनाइयों का दूर किया जाना) आदेश संख्या VII (राष्ट्रपति द्वारा 7 अक्टूबर 1950 को किया गया)।

(iii) संविधान (कठिनाइयों का दूर किया जाना) आदेश VIII (राष्ट्रपति द्वारा 25 अक्तूबर, 1950 को किया गया)

(ग्रंथालय में रख दिया गया, देखिए संख्या पी. 116/50)

*****

(ट)

**संविधान (कठिनाइयों का दूर किया जाना) आदेश संख्या (IV) से (V)

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं संविधान के अनुच्छेद 392 के खंड (2) के अधीन निम्नलिखित दस्तादेजों को सदन के पटल पर रखता हूँ–

(i) संविधान (कठिनाइयों का दूर किया जाना) आदेश संख्या (iv) (राष्ट्रपति द्वारा 24 मई, 1950 को किया गया) (पुस्तकालय में रख दिया गया देखिए संख्या पी. 92/50)

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–5, भाग–II, 1 अगस्त, 1950, पृ. 21

** संसदीय वाद–विवाद, खंड–5, भाग–II, 20 नवम्बर, 1947, पृ. 266–67

(ii) संविधान (कठिनाइयों का दूर किया जाना) आदेश संख्या (v) (राष्ट्रपति द्वारा 6 जून, 1950 को किया गया)

(ग्रंथालय में रख दिया गया, देखिए संख्या पी. 93/50)

***विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) :** मुझे सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देने की कृपा की जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है :–

''कि सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 का और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति देने की कृपा की जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. अम्बेडकर : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

*****

(ठ)

**सदन के पटल पर कागजात रखा जाना

संविधान (कठिनाइयों का दूर किया जाना) आदेश संख्या (ii) (तीसरा संशोधन) आदेश

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मैं राष्ट्रपति द्वारा 16 अगस्त, 1951 को किए गए संविधान (कठिनाइयों का दूर किया जाना) आदेश संख्या (ii), (तीसरा संशोधन) आदेश 1951 की प्रति संविधान के अनुच्छेद 392 के खण्ड (2) के अधीन सदन की पटल पर रखता हूँ।

(ग्रंथालय में रख दिया गया, देखिए संख्या पी. 197/51)।

*****

हजार वर्ष पुरानी है – कुछ लोग इस कालावधि से संतुष्ट नहीं हैं, वे इसे और अधिक पुरानी मानते हैं– इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता– 6 हजार वर्ष पुरानी ही मान लेते हैं– इतने समय में 5 करोड़ अस्पृश्य लोग पैदा हुए हैं, लगभग दो करोड़

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–7, भाग–II, 18 दिसम्बर, 1950, पृ. 1835

** संसदीय वाद–विवाद, खंड–14, भाग–II, 27 अगस्त, 1951, पृ. 1363

आदिवासी और लगभग 50,000 आपराधिक जातियों के लोग पैदा हुए हैं। इस सभ्यता के बारे में क्या कहा जा सकता है? जिस सभ्यता के ये परिणाम हैं, उसमें कोई मूल गलती रही होगी और मेरे विचार में अब समय आ गया है कि हिंदू लोग इस दृष्टि से इस सभ्यता को देखें कि क्या वे अपनी सभ्यता पर गर्व कर सकते हैं जिसके अंतर्गत ये समुदाय, जैसे अस्पृश्य जन आपराधिक जातियाँ और आदिवासी लोग पैदा हुए हैं। मेरे विचार में उन्हें दो बार सोचना चाहिए– दो बार ही नहीं, सौ बार वे परम्परागत रूप से सभ्य कहलाते हैं– जिन की सभ्यता के ये परिणाम निकले हैं, क्या उन्हें सभ्य कहा जा सकता है।

महोदय, यह अवसर प्रदान करने के लिये मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ।

*****

(51)

संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक, 1954

***डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बंबई) :** उपसभापति महोदय, सदन में प्रस्तुत विधेयक में दो बातें उठाई गई हैं और यह वांछनीय है कि उन दोनों बातों पर अलग–अलग विचार किया जाए। पहला मुद्दा विधेयक के गुण–दोष से संबंधित है कि क्या इस विधेयक को गुण–दोष के आधार पर अच्छा विधेयक माना जाये, और दूसरा मुद्दा यह है कि किस तरीके से इस विधेयक को संसद से पारित करवाया जा रहा है। मैं विधेयक के गुण–दोष के बारे में कुछ कहना चाहूँगा।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस विधेयक में कोई नयी बात नहीं है। इस विधेयक में समवर्ती सूची में प्रविष्टि संख्या 33 को निकाले जाने और उसके स्थान पर अनुच्छेद 369 में, वर्तमान रूप में उल्लिखित उपबंध रखने तथा उसके साथ कुछ और अर्थात् पटसन का निर्यात जोड़ने की व्यवस्था है अन्यथा उसमें कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं है और यह केवल प्रतिस्थापन का मामला है। यदि इस दृष्टि से इस विधेयक पर विचार किया जाये तो इस प्रभारी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर कैसे कोई आपत्ति की जा सकती है। विवाद की एक ही बात हो सकती है कि क्या अनुच्छेद 369 के उपबंधों को राज्यसूची सूची II में रखा जाये जिससे राज्यों को पूर्ण शक्ति मिल जायेगी या क्या उनको सूची I में रखा जाए जिससे इन वस्तुओं से निपटने हेतु केन्द्रीय सरकार

---

* संसदीय वाद–विवाद, (राज्य सभी) जिल्द–7 ख, 15 सितम्बर, 1954, पृ. 2297–2203

को पूर्ण शक्ति प्राप्त हो जाए। वर्तमान स्थिति यह हैः– अनुच्छेद 369 के अनुसार इन मामलों अथवा इन वस्तुओं से निपटने के लिये इनको समवर्ती सूची में शामिल किया हुआ है। वर्तमान स्थिति यही है। समवर्ती सूची में, केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार दोनों इस विषय में कानून बना सकती हैं। इस लिये अनुच्छेद 369 तथा प्रविष्टि 33 में परिभाषित रूप में वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमें पता चलता है कि दोनों ने इन मामलों को समवर्ती सूची में रखा हुआ है। राज्य यह शिकायत नहीं कर सकते कि संविधान द्वारा उनको प्रदत्त कोई अधिकार क्षेत्र इस संशोधनकारी विधेयक के माध्यम से उनसे छीना जा रहा है। स्थिति बिल्कुल वैसी ही रहेगी : केवल प्रश्न यह है कि क्या अनुच्छेद 369 द्वारा केन्द्र को प्रदत्त विधायी नियंत्रण जो केवल पांच वर्षों के लिये और उससे अधिक के लिए नहीं दिया गया था– क्या वह अब अनिश्चित काल तक जारी रहना चाहिए। मेरा अपना विचार यह है कि इस मामले पर प्रशासन को निर्णय करना चाहिए कि क्या जिन परिस्थितियों में वे अब रह रहे हैं, वे इतनी बदल गयी हैं कि इन मदों पर विधान बनाने की जो शक्ति संसद को पांच वर्ष के लिये दी गयी थी उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस विषय में मेरा अपना विचार यह है कि मैं प्रशासन के निर्णय को स्वीकार करने के लिये तैयार हूँ क्योंकि वे एक सांसद से कहीं बेहतर निर्णय कर सकते हैं। इसलिये जहाँ तक विधेयक के गुण–दोष का सम्बन्ध है, मैं इसका समर्थन करता हूँ।

इस विधेयक पर बोलते हुए इसके प्रभारी मंत्री महोदय ने राज्यों के साथ विचार–विमर्श करने का कुछ हवाला दिया था। मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना था कि उन्होंने विभिन्न राज्यों में संबद्ध विभागों से विचार–विमर्श किया था और यह विचार–विमर्श, जहाँ तक मैं उनकी टिप्पणी से समझ पाया हूँ महज दिखावा मात्र था। मेरे विचार में यह बहुत गंभीर बात है और इसका सीधा कारण यह है कि यह विधेयक केवल दो सदनों के मतों के आधार पर कानून बनाने वाला नहीं है। कानून बनने से पहले इस विधेयक को और भी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इस संबंध में मैं माननीय प्रभारी मंत्री का ध्यान अनुच्छेद 368 की ओर दिलाना चाहता हूँ विशेषकर परन्तुक के खण्ड (ग) की ओर जिसमें लिखा है ''परन्तु यदि ऐसा संशोधन... कोई बदलाव करने वाला हो। (ग) सातवीं अनुसूची में किसी सूची में कोई बदलाव कोई परिवर्तन करने के लिए है, ऐसे संशोधन के लिये उपबंध करने वाला विधेयक राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति हेतु प्रस्तुत किए जाने से पहले उस संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों को उन विधान मंडलों द्वारा पारित इस आशय के संकल्प द्वारा उन विधानमंडलों, जो प्रथम अनुसूची के भाग क और ख में विहित आधे राज्यों से कम न हो, का अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा। इसलिये यह वैसे ही संशोधनों में से एक है....

श्री टी. टी. कृष्णमाचारी : मैं जानकारी के लिये कुछ कहना चाहता हूँ। पहला पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 1953, सभी राज्य सरकारों को संबोधित किया गया था और दूसरा पत्र दिनांक 20 अगस्त, 1954, जिसके साथ इस पत्र की प्रति संलग्न थी, सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के नाम से भेजा गया था न कि वाणिज्य मंत्रालय के संबद्ध विभागों को।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे खेद है; संभवतः मुझ से गलती हुई होगी और अब सही बात का पता चल गया है। फिर भी मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरा तर्क बहुत ठोस है, प्रारंभ में प्रभारी मंत्री व राज्य सरकारों के बीच जो भी बातचीत हुई हो, सच यह है कि उनके संशोधन को कानून का रूप देने के लिये राज्यों द्वारा संकल्प पास करके सहमति दिया जाना आवश्यक है और यदि हमारे मित्र ने शिष्टाचार के नाते विचार–विमर्श करके राज्य सरकारों की शुभ इच्छा पहले से प्राप्त कर ली है तो राज्य सरकारों की बाद की कार्यवाही अर्थात् संकल्पों का पास किया जाना, केवल औपचारिकता की बात रह जाती है। परन्तु हो सकता है जो विचार–विमर्श मंत्री महोदय ने किया है, उससे वे संतुष्ट न हों तब उनके सामने बाधा खड़ी हो सकती है जिसको, शायद वे दूर न कर सकें। मुझे इतना ही कहना है।

अब मैं इस बात पर आता हूँ कि सरकार संविधान के संशोधन हेतु किस तरीके से कार्यवाही करती है। मेरे विचार में, हमारा संविधान चार वर्ष पुराना है।

श्री बी. के. पी. सिन्हा (बिहार) : चार वर्ष और सात महीने।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : ठीक है, अभी वयस्क नहीं हुआ है बच्चा भी नहीं है तथा चार वर्ष और सात महीने के अपने अस्तित्व में उसमें तीन बार संशोधन हो चुका है, मेरे विचार में संविधान का यह तीसरा संशोधन है। मुझे विश्व के किसी भी ऐसे संविधान की जानकारी नहीं है जिसमें किसी सरकार ने इतनी जल्दी या मैं यह कहूँ कि अविवेक पूर्ण ढंग से संशोधन किए हों।

अब, महोदय मैं अपने तर्क को स्पष्ट करने के लिये संविधान में संशोधन करने के लिये अमरीका और आस्ट्रेलिया के संविधानों के उपबंध सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ। बाद में, मैं बताऊंगा कि संविधान में संशोधन करने के मामले में हमारे संषविधान और इन दो संविधानों में क्या अन्तर है। आस्ट्रेलिया के संविधान के अनुच्छेद 128 में यह उपबन्ध है कि संशोधनकारी विधान प्रत्येक सदन में पूर्ण बहुमत से दोनों सदनों द्वारा पास किया जायेगा। यह पहली शर्त है। दूसरे, पूर्ण बहुमत से दोनों सदनों द्वारा पारित संशोधन विधान पर निर्वाचकों का निर्णय प्राप्त करने के लिये उनको प्रस्तुत किया जायेगा। यदि दोनों सदन प्रस्तावित संशोधन पर एकमत नहीं हैं तो गवर्नर जनरल को संशोधन के लिये अंतिम प्रस्तावित विधान को निर्वाचकों के पास

उनका निर्णय जानने हेतु भेजने का अधिकार होता है और फिर ये शर्तें भी होती हैं यदि किसी राज्य में अधिकांश निर्वाचक प्रस्तावित विधान के पक्ष में मतदान करें और सभी निर्वाचकों की अधिकांश संख्या भी प्रस्तावित विधान को मंजूरी दे, तभी प्रस्तावित विधान सम्राट की अनुमति से संविधान का अंग बन सकता है। शर्तें ये हैं कि सर्वप्रथम दोनों सदनों को पूर्ण बहुमत से प्रस्तावित विधान पास करना चाहिए। यदि वे परस्पर सहमत नहीं होते हैं अथवा एकमत नहीं होते हैं तो फिर गवर्नर–जनरल को यह मामला निर्वाचकों के पास भेजने का अधिकार दिया जाता है। पहली स्थिति में भी मामलों को निर्वाचकों के पास भेजना चाहिए और फिर भी अधिकांश निर्वाचकों द्वारा विधेयक के पख में मतदान किये जाने मात्र से ही नहीं बल्कि अधिकांश राज्य, अधिकांश निर्वाचक और कुल निर्वाचकों की बहुतसंख्या भी विधेयक का अनुमोदन करे तभी संविधान में संशोधन किया जा सकता है।

अब अमरीका का संविधान लीजिए। अमरीका के संविधान में अनुच्छेद 5 है। जिसमें संविधान में संशोधन करने के बारे में लिखा है जो इस प्रकार है : ''जब दोनों सदनों के दो तिहाई सदस्य किसी संशोधन का प्रस्ताव करें, तभी उस पर आगे कार्यवाही की जा सकती है। पहली शर्त यह है कि दोनों सदनों को दो–तिहाई मत से संशोधनकारी विधेयक पास करना चाहिए या दो तिहाई राज्य अपना सम्मेलन बुलाएं, अर्थात् निर्वाचकों का सम्मेलन बुलाएं और वे राज्य सरकार द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार संविधान संशोधन का प्रस्ताव रखें। ऐसे संशोधन तभी विधान का रूप लेंगे, जब तीन–चौथाई राज्य या तीन चौथाई राज्यों के सम्मेलन उसका अनुसमर्थन करेंगे। मैंने केवल अपनी बात को स्पष्ट करने के लिये इन दो संविधानों का सहारा लिया है। अन्य संविधानों में ऐसे अनेक उपबंध मिल जायेंगे।

संविधान संशोधन के संबंध में इस उपबंध का मूल सिद्धांत क्या है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आस्ट्रेलिया और अमरीका में संविधान से संबंधित इन दो अनुच्छेदों का यदि कोई छात्र अध्ययन करे तो उसे पता चलेगा कि संविधान में संशोधन करने के संबन्ध में कोई कार्यवाही करने के लिये दो सिद्धांत काम करते हैं। पहला सिद्धांत यह है कि इस संबन्ध में लोगों को जानकारी दी जानी चाहिए। जनता को पता होना चाहिए कि सरकार संविधान में संशोधन करने जा रही है। दूसरा सिद्धांत यह है कि उसके लिये मतदातओं की सहमति होनी चाहिए चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो, जैसे अमेरिका में होता है और चाहे राज्यों द्वारा परोक्ष रूप से अनुसमर्थनकारी संकल्प के माध्यम से।

अब, महोदय, क्या हमारी सरकार इन मूलभूत नियमों का पालन कर रही है? यह बिल्कुल सच है कि हमारा संविधान बहुत लचीला है। यह कठोर नहीं है, अमेरिकी संविधान या आस्ट्रेलियाई संविधान जैसी इसमें आधी भी कठोरता नहीं है। जिन लोगों ने हमारा संविधान बनाया है वे भली–भांति जानते थे कि स्थिति को लचीला रहने दिया

जाना चाहिए क्योंकि ऐसी स्थितियाँ पैदा हो सकती हैं जिनमें संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता पड़ सकती है ओर आप ऐसा नहीं कर सकते कि आवश्यक सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिये संविधान में कोई समाधान ही न मिले। इसी कारण यह प्रस्ताव किया गया था कि अनुच्छेद 368 के उपबंध ऐसी स्थिति के लिये पर्याप्त होंगे। हमें कुछ मामलों को छोड़कर राज्यों के पास जाने अथवा मतदाताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है किन्तु मेरे मन में लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माण से संबंधित किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं सोचा था कि सरकार मतदाताओं को कोई जानकारी दिये बिना एकदम, संविधान का संशोधन करने लगेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कि राजनीतिक जीवन और पार्टी के हित के लिये मतदाताओं को जानकारी देना एक सामान्य सिद्धांत है। इंग्लैण्ड में भी कोई भी पार्टी किसी ऐसे विधान पर काम नहीं करेगी जो चुनाव के लिये उसके राजनीतिक कार्यक्रम का अंग न हो। प्रत्येक पार्टी के पास कोई काम करने के लिए जनादेश अवश्य होना चाहिए। आप मतदाता को आश्चर्य में नहीं डाल सकते और आप यह भी नहीं सोच सकते कि चूंकि आप निर्वाचित है इसलिए आपको संविधान में संशोधन करने का पूरा अधिकार मिल गया है। हमारी सरकार बिल्कुल ऐसा ही व्यवहार कर रही है। चूंकि उनको बहुमत मिल गया है, वे सोचते हैं कि वे कोई भी कानून, किसी भी प्रविष्टि के संबंध में जो उनको कानून बनाने का अधिकार देती है, न केवल बना सकते हैं बल्कि उनके पास, केवल निर्वाचित होने की हैसियत से ही जनता को अपना इरादा बताये बिना संविधान का संशोधन भी कर सकते हैं। क्या संविधान किसी साधारण कानून के किसी भी रूप में भिन्न नहीं हैं? क्या यह कागज़ का एक टुकड़ा मात्र है जिसमें कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से संशोधन कर सकता है। मराठी में एक कहावत है—मैं नहीं जानता कि मैं उसका अंग्रेजी में ठीक अनुवाद कर सकता हूँ या नहीं—और वह कहावत बहुत अच्छी है और वह बहुत उपयुक्त है। हम कहते हैं कि यदि कोई वृद्धा मर जाए तो उससे वास्तव में कोई अन्तर नहीं पड़ता परन्तु हम इस बात से डरते हैं कि यमराज को हमारे घर आने की आदत पड़ जाएगी और हम यमराज के आक्रमण को रोकना चाहते हैं। इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता यदि कोई वृद्धा मर जाती है या चली जाती है। वास्तव में यहाँ वही हो रहा है और मैं देख रहा हूँ कि सरकार के मन में संविधान के लिये आदर नहीं है या बहुत कम आदर है। आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है लेकिन आपको निश्चय ही संविधान को बेहतर और विशेष दर्जा देना चाहिए। आपको अपने इरादे के बारे में जनता को जानकारी देनी चाहिए और तत्पश्चात् आप संशोधन कीजिए अन्यथा अनावश्यक रूप से संवैधानिक उपबंध लगाये जाने के अभ्यास को रोकने के लिए अनुच्छेद 368 में संशोधन करना आवश्यक हो जाये। बस, मुझे इतना ही कहना है।

*****

(52)

अस्पश्श्यता अपराध विधेयक 1954

***डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बंबई) :** उप–सभापित महोदय, मैं इस विधेयक पर बोलना चाहता हूँ। इस विधेयक पर चर्चा के दौरान मेरे लिये चुप रहना असंभव है। परन्तु मैं देखता हूँ, कि मेरे माननीय मित्र प्रभारी मंत्री ने मुझे इस विधेयक को संबंधित प्रवर समिति में रखने की इजाजत दी है। यह एक परम्परा है जो सदस्य प्रवर समिति में हैं वे प्रवर समिति को भेजे जाने वाले प्रस्ताव पर वाद–विवाद में भाग नहीं लेगा। मैं नहीं जानता कि इस नियम का कहाँ तक सख्ती से पालन किया जाता रहा है।

माननीय उप सभापति : इसका उल्लंघन नहीं किया गया है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : दूसरे सदन में इसका सख्ती से पालन नहीं किया गया और मुझे पता चला है कि ऐसी स्थिति में कोई सदस्य सदन में अपने विचार रख सकता है। फिर भी, यदि यहाँ परम्परा का सख्ती से पालन किया जाता हो तो मैं अपना नाम वापिस लेने के लिये अनुमति चाहता हूँ और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरा अनुरोध स्वीकार कर लेंगे।

प्रो. एन. जी. रंगा (आंध्र) : यह परम्परा कठोर नहीं है।

माननीय उपसभापति : यह कठोर है और हम इसका पालन करते रहे हैं।

प्रो. एन. जी. रंगा : यदि निर्धारित समय के भीतर ....

माननीय उपसभापति : ऐसा करने से गलत दृष्टांत स्थापित हो जायेगा।

प्रो. एन. जी. रंगा : इसमें गलत दष्टांत की कोई बात नहीं हैं। मैंने तो हमेशा यही समझा है कि जब दूसरे सदस्य जो प्रवर समिति के सदस्य नहीं होते और बोलने के लिये तत्पर होते हैं, तब उन सदस्यों से जो प्रवर समिति के सदस्य होते हैं आशा की जाती है कि वे अन्य सदस्यों को बोलने दें परन्तु इससे प्रवर समिति के किसी सदस्य को बोलने के अपने विशेषाधिकार से वंचित नहीं किया जाता। यदि...

माननीय उपसभापति : हम इस परंपरा का निर्वाह करते रहे हैं कि प्रवर समिति के सदस्य.......................

---

* संसदीय वाद–विवाद, (राज्य सभी) जिल्द–7 ख, 16 सितम्बर, 1954, पृ. 2417–18

प्रो. एन. जी. रंगा : हमने इस रूप में इसका पालन नहीं किया है। यह कोई नियम नहीं, परम्परा है।

माननीय उपसभापति : परम्परा का अर्थ इसी रूप में लगाया जाना चाहिए क्योंकि उसका पालन इसी रूप में किया जाता रहा है।

प्रो. एन. जी. रंगा : इस सम्बन्ध में कोई निश्चित नियम नहीं है। परन्तु हम जिस परंपरा का अनुसरण करते रहे हैं वह यह है कि सामान्य रूप से वे सदस्य, जो प्रवर समिति के सदस्य होते हैं, यहाँ नहीं बोलते।

माननीय उपसभापति : पिछले दो या तीन अवसरों पर मैंने सदस्यों को बोयलने से मना किया है।

श्री विश्वनाथ दास (उड़ीसा) : चूंकि उनको प्रवर समिति के समक्ष अपने विचार रखने का अवसर मिलता है, इसलिये यह वांछनीय नहीं समझा जाता कि उनको यहाँ भी आवश्यक.....

माननीय उप सभापति : इससे गलत दृष्टांत स्थापित होगा।

श्री विश्वनाथ दास : इसलिये जो प्रवर समिति के सदस्य नहीं होते, उनको अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाता है जिससे प्रवर समिति उनके विचारों का भी लाभ उठा सके। मेरा निवेदन है कि ऐसा कोई नियम नहीं है और हमें कोई ऐसी कठोर परम्परा भी नहीं बनानी चाहिए कि प्रवर समिति के सदस्यों को बोलने से बिल्कुल मनाही हो। अतः मैं अपने माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर से अनुरोध करूंगा कि वे इस बात को इसी दृष्टि से देखें और प्रवर समिति से अपना नाम वापिस लेने पर विचार करें जो, मेरे विचार में अधिक उपयोगी और सहायक होगा।

***डॉ. बी. आर. अम्बेडकर :** उप–सभापित महोदय, मैं इस विधेयक के उपबधों पर वास्तव में कुछ कहने से पूर्व यह वांछनीय समझता हूँ कि मैं संविधान के कुछ अनुच्छेदों में उल्लिखित जिम्मेदारी और उन प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार पर डाली गयी जिम्मेदारी की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करूं।

मैं पहले संविधान के अनुच्छेद 13 का हवाला देना चाहता हूँ। अनुच्छेद 13 में लिखा है कि वे सभी विधियाँ जो मूल अधिकारों से असंगत हैं, संविधान के अस्तित्व में आने की तारीख से शून्य हो जाएंगी। यह एक सामान्य प्रावधान है जो अनुच्छेद 13 में उल्लिखित है। यह वास्तव में, जनता को तथा न्यायालय के न्यायाधीशों को सूचना है कि यदि उन के समक्ष कोई ऐसा मामला उठाया जाता है तो मूलभूत

---

* संसदीय वाद–विवाद, (राज्य सभी) जिल्द–7 ख, 16 सितम्बर, 1954, पृ. 2424–66

अधिकारों के न्याय–निर्णय से संबंधित हो तो न्यायालय ऐसे किसी विद्यमान कानून को प्रभावी नहीं करेगा जो मूल अधिकारों के विरुद्ध हैं। लेकिन संविधान के निर्माता इस सामान्य उद्‌घोषणा से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उन्होंने महसूस किया है कि एक आम आदमी से आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले को न्यायालय में ले जाये और वहाँ से न्याय प्राप्त करे। आम नागरिक पर इतना बोझ डालना उचित नहीं समझा जाता इसलिये संविधान में एक अन्य अनुच्छेद –अनुच्छेद 372, खण्ड (2) रखा गया जो मूल अधिकारों के साथ एकरूपता लाने के विचार से विद्यमान विधियों में उपांतरण करने और अनुकूलन करने के लिये सरकार को शक्ति प्रदान करता है।

यदि मेरे माननीय मित्र मुझे एक निजी बात कहने का अवसर दें तो मैं यह कहूँगा कि जब विधि विभाग मेरे अधीन था तब मैंने मूल अधिकारों के साथ एकरूपता लाने के लिये विद्यमान विधि के उपांतरण और अनुकूलन का मामला उठाया था। मैं पंजाब में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधान को निरस्त कराने में सफल भी हो गया था। उसका नाम था पंजाब लैंड एलाइनेशन एक्ट जिसके अधीन कुछ समुदाय अथवा विधि की शब्दावली के अनुसार यह घोषणा कर दी गयी थी कि केवल कुछ जनजातियाँ ही पंजाब में संपत्ति रख सकती हैं या खरीद सकती हैं। मेरे निर्णय में वह कानून इतना अन्याय करने वाला था कि वह व्यक्ति जो वास्तव में किसान था लेकिन जिसके समुदाय व जनजाति को सरकार द्वारा खेतिहर जनजाति घोषित नहीं किया था वह भूमि रखने का हकदार नहीं है। लेकिन कोई अन्य व्यक्ति जो पूरा जीवन बैरिस्टर रहा और निचले स्तर पर खेती करने की कभी उम्मीद तक नहीं की, वह संपत्ति खरीदने का हकदार बन गया क्योंकि सरकार ने उसकी जाति को खेती करने वाली जनजाति घोषित कर दिया था। मैंने अनुच्छेद 372, खण्ड (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत उस पूरे अधिनियम को रद्‌द करवा दिया। उस समय एक अन्य कानून या प्रथा विद्यमान थी जो पंजाब लैंड एलीअनेशन के एक्ट के साथ थी और जिसमें संयुक्त भूमि का उल्लेख था अर्थात् ऐसी भूमि जो गांव वालों की शामिलात थी। रूढ़िजन्य पंजाब के कानून के अधीन शामिलात भूमि में उन्हीं समुदायों का हिस्सा हो सकता था जिनको जमींदार कहा जाता था, वंशानुगत भूमि के स्वामी समुदाय। दूसरे लोग वे थे जो जमींदार नहीं थे उनको कमीनास कहा जाता था अर्थात् वे लोग छोटी जाति के होते थे और उनको उस भूमि में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं था। इसके परिणामस्वरूप वह उस भूमि पर पक्का मकान नहीं बना सकते थे जिस पर वे रहते थे। उनको सदा इस बात का भय रहता था कि कहीं पंजाब का जमींदार उनको वहाँ से निकाल न दे। लोग वहाँ पक्के मकान बनाने की हिम्मत नहीं करते थे। जब मैंने यह विधि विभाग छोड़ा था तब मैं वहाँ पर एक टिप्पणी लिखकर छोड़ आया था कि

इस मामले पर विचार किया जाना चाहिए और अनुच्छेद 372 खण्ड (2) के उपबन्धों के अधीन सरकार को इसका निपटान करना चाहिए। अब मुझे पता नहीं कि विधि मंत्रालय ने क्या किया है अथवा गृह मंत्रालय ने क्या किया है। मेरे विचार में, उस पर अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी होगी। मैंने अपने मार्गदर्शन के लिये कुछ विधियों की एक सूची बनायी थी जिनमें, मेरे विचार में संविधान के अनुरूप बनाने के लिए परिवर्तन करने की नितान्त आवश्यकता है। इनमें सब से पहला मद्रास रेगुलेशन 1816 का XI है। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने यह आपराधिक कानून बनाया था। उसमें एक प्रावधान है, सम्भवतः धारा 10 है जिसमें लिखा है कि यदि अपराधी निचली जातियों का हो तो उसको जो दंड दिया जाए वह लकड़ी के शिकंजे में अपराधी के पांव फंसाकर बैठाये रखने का हो। यह दंड उस व्यक्ति को नहीं दिया जाता है जो ऊंची जाति का है। महोदय, ऐसा नहीं होना चाहिए यह विनियम (रेगुलेशन) भेदभावपूर्ण है और इसको निरस्त कर देना चाहिए। तत्पश्चात्, अगली मद जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ वह है 1890 का बम्बई म्युनिसिपल सर्वेंट्स ऐक्ट अ। इस अधिनियम में यह प्रावधान है सम्भवतः उसकी धारा 3 है,– कि यदि नगरपालिका का कोई कर्मचारी, जिसके कर्तव्य अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, बिना अनुमति के अपने काम से अनुपस्थित रहता है या कम से कम तीन महीने की लिखित रूप में सूचना दिये बिना अपने पद से त्याग–पत्र देता है, तो उसे कारावास की सजा दी जाएगी। अब यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि रोजगार की संविदा केवल सिविल संविदा होती है जिसके लिए यदि दंड दिया भी जाना है तो वह केवल शास्ति तक सीमित रहना चाहिये, उसके लिये कारावास का दण्ड नहीं होना चाहिए। परन्तु नगरपालिका की यह विधि अभी तक कानून की पुस्तक में मौजूद है। इसका परिणाम यह है कि इस अधिनियम के अधीन–यदि मेरे माननीय मित्र अनुसूची को देखें तो उन्हें पता चलेगा कि–अनुसूची में वस्तुतः उन्हीं लोगों का उल्लेख है, यद्यपि कर्तव्य के रूप में जो सफाई कर्मचारी हैं या सड़कों पर सफाई का काम करते हैं, आदि और उनमें अधिकांश अनुसूचित जातियों के लोग अथवा अस्पृश्य होते हैं–वे हड़ताल करने की स्थिति में भी नहीं होते क्योंकि त्याग–पत्र देने की शर्त के अनुसार तीन महीने की पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। जहाँ तक इस अधिनियम का संबंध है अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अब मैं एक अन्य मद अर्थात् 1916 के यू. पी. म्यूनिसिपिलेटीज एक्ट II को लेता हूँ। मेरे विचार में इसकी धारा 85 है। इस धारा के प्रावधान भी लगभग बम्बई म्यूनिसिपिल सर्वेंट्स एक्ट के प्रावधानों जैसे हैं। इसमें भी कहा गया है कि बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई सफाई कर्मचारी, जो सेवा की लिखित संविदा की शर्तों के अतिरिक्त अथवा बिना किसी उचित कारण के, जिसकी पूर्व सूचना दी गयी हो, त्याग–पत्र देता

है या अपनी नौकरी छोड़ता है, तो वह दंड का भागी होगा और उसे दो महीने तक का कारावास का दंड मिल सकता है। मेरे विचार में, ये विधियाँ बिल्कुल बेहूदा हैं। आजकल विश्व में कोई भी देश सेवा की संविदा के उल्लंघन को कोई ऐसा अपराध नहीं मानता जिसके लिये कारावास का दंड दिया जाये या जुर्माना लगाया जाए। यह हानिकारक है फिर भी इसके बारे में कुछ नहीं किया गया है।

तत्पश्चात् मैं तीन अन्य अधिनियमों का उल्लेख करना चाहता हूँ। उनमें से एक है 1874 का बम्बई हेरिडेटरी विलेज आफिसर्स एक्ट। इस अधिनियम के अधीन जो कार्य करते हैं अथवा स्थानापन्न रूप में काम करते हैं, उनको दो श्रेणियों में विभक्त किया गया है। मेरे मित्र श्री ढागे इससे भली–भांति परिचित होंगे, यद्यपि गृह मंत्री स्वयं शायद परिचित न हों। मुझे पता नहीं कि उनके प्रान्त में कौन–सी प्रणाली प्रचलित है। परन्तु वहाँ कर्मचारियों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक वर्ग को अधिकारी कहा जाता है और दूसरे वर्ग को ग्राम कर्मचारी कहते हैं। यद्यपि दोनों वर्गों को पुराने तरीके से भुगतान किया जाता है अर्थात् उनको सेवा के लिये भूमि दी जाती है और उसमें से उनको अपनी आमदनी भी निकालनी होती है। प्राचीन काल में संभवतः शिवाजी के समय अथवा पेशवाओं के शासन काल में यह भूमि उनको दी गयी थी। उस समय दी गयी भूमि में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं की गयी है। वे उस भूमि को कांट–छांट कर हिस्से करते रहे हैं। और अब किसी एक व्यक्ति के पास एकड़ भूमि के 100वें हिस्से से अधिक भूमि नहीं होगी। फिर भी ये निर्धन लोग उस भूमि से चिपके बैठे हैं। जब अंग्रेज लोग भारत में आये तो उन्होंने प्रतिस्थापन नामक एक योजना प्रारम्भ की अर्थात् वंशानुगत सेवा के कर्तव्य से किसी व्यक्ति को मुक्त करना और उसको भूमि रखने की अनुमति देना बशर्ते कि वह 'जुड़ी' अथवा भू–राजस्व, जितना सरकार उचित समझे, देने के लिये तैयार हों। अनिश्चितकाल तक वही योजना चलती रही और अनेक आनुवंशिक पदाधिकारी अब तक कार्य मुक्त कर दिये गये। हाल ही में बम्बई प्रशासन ने गांव के आनुवंशिक अधिकारियों के अग्रेतर प्रतिस्थापन का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया है परन्तु बम्बई राज्य में अनुसूचित जातियों की इस निरन्तर मांग के बावजूद कि उनके कर्मचारियों व आनुवंशिक अधिकारियों का भी प्रतिस्थापन किया जाना चाहिए जिससे वे भी सेवा के कर्तव्य से मुक्त हो जायें और उनकी भी भू–राजस्व का भुगतान करके भूमि रखने की अनुमति मिल जाये–वे बहुत उदार थे और पूरा भू–राजस्व देने को तैयार थे और किसी प्रकार की कोई छूट नहीं चाहते थे – बम्बई प्रशासन ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया। वे अपने कानून को उन अधिकारियों तक सीमित रखना चाहते हैं जो अनुसूचित जाति के नहीं हैं। मैं अपने अनुभव से यह बात कहता हूँ कि यह कानून बहुत ही बर्बरतापूर्ण है, क्योंकि यह गांव के पटेल, जो इस अधिनियम

के अधीन अधिकारी माना जाता है, के लिये बिल्कुल संभव है कि वह चाहता हो कि अनुसूचित जाति का पूरा समुदाय उसके अधीन काम करे, सरकारी काम ही नहीं बल्कि उसके निजी काम भी करे। उदाहरण के लिये, गांव के किसी पटेल के घर में कोई मृत्यु हो जाये तो वह संबंधियों को मृत्यु की सूचना देने के लिये एक पोस्ट कार्ड नहीं भेजेगा, क्योंकि यह अपमानजनक तरीका है। वह इस काम के लिये गांव से ग्राम–सेवक जो इस नाम से जाने जाते हैं, को भेजने पर जोर देगा कि वह मीलों तक पैदल चलकर यह संदेश दे कि पटेल के घर में किसी की मृत्यु हो गयी है। यदि पटेल के घर में कोई विवाहित लड़की आती है और वापिस जाना चाहती है तो वह चाहेगा कि एक या दो ग्राम–सेवक उसके साथ जायें, उसकी चौकसी करें और सुनिश्चित करें कि वह अपनी ससुराल सुरक्षित पहुंच जाए। यदि कोई शादी होती है तो वह उम्मीद करेगा कि सारा समुदाय लकड़ियाँ तोड़े और बिना किसी पारिश्रमिक के सब प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराये। यदि वे ऐसा करने से इंकार करें तो वह उनकी शिकायत कलेक्टर के पास कर सकता है कि उसके ग्राम–सेवक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं और कलेक्टर अधिनियम के अधीन उन पर जुर्माना लगा सकता है। अथवा उनकी भूमि छीन सकता है और उनको वहाँ से निकाल सकता है। मुझे यह बात बहुत विचित्र लगती है कि क्या यह कानून संविधान में निहित मूल अधिकारों के विरुद्ध नहीं है और क्या विधि विभाग अथवा गृह विभाग को इसे परिवर्तन नहीं करना चाहिए।

दो अन्य अधिनियम भी हैं जो बम्बई हेरिडेटरी विलेज आफिसर्स एक्ट से संबंधित हैं। एक का नाम बम्बई रेवेन्यू ज्यूरिस्डिक्शन एक्ट है और दूसरा पेंशन एक्ट है (गृह मंत्री को अपने स्थान से उठते हुए देख कर) मेरे माननीय मित्र संभवतः असुविधा महसूस कर रहे हैं।

डॉ. के. एन. काटजू : बल्कि मैं तो बहुत आराम से हूँ।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर : मैं ज्यों–ज्यों आगे बढ़ूंगा, असुविधा भी बढ़ती जायेगी।

इन दोनों अधिनियमों के कारण अधिकारियों, निदेशक अथवा आयुक्त या मंत्री द्वारा किये गये किसी भी अनुचित व्यवहार के विरुद्ध न्यायपालिका तक पहुंचने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। न्यायालयों से भी कोई सहायता नहीं मिलती क्योंकि राजस्व अधिकार–क्षेत्र अधिनियम में लिखा है कि, कलेक्टर, जो कार्यपालक अधिकारी होता है, कि निर्णय में परिवर्तन, फेर–बदल अथवा पुनरीक्षण करने की शक्ति न्यायालय के अधिकार–क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती। पेंशन अधिनियम में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति जिसे कोई इनाम दिया जाता है, न्यायालय में नहीं

जा सकेगा और न्यायालय उस मामले में तब तक कुछ नहीं कर सकेगा जब तक वह कलेक्टर से यह प्रमाण–पत्र न प्राप्त कर ले कि न्यायालय उस मामले पर विचार करें। इसलिये इन गरीब लोगों के लिये इस अधिनियम विशेष के अधीन किये जा रहे अनेक अन्यायों का कोई समाधान करा पाना बिल्कुल असंभव है। यदि मैं विधि मंत्री रहता तो मेरा इरादा यह सुधार करने का था परन्तु मेरे विचार में किसी भी विधि मंत्री का और विशेषकर गृह मंत्री का यह कर्तव्य है कि वह इन कानूनों की छानबीन करे और पता लगाये कि वे मूल अधिकारों के कहाँ तक विरुद्ध हैं। महोदय, मुझे खेद है कि ये विभाग आलस्य से भरपूर हैं। इस मामले पर विचार करने के लिये उनमें न कोई उत्साह है न कोई प्रेरणा। उनमें आदर्शवाद का मुद्दा नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो कुछ कहा है, उसके बाद उनके मन में इस मामले में कुछ करने की इच्छा जागृत होगी और वे इस बात को सुनिश्चित करें कि जहाँ आवश्यक है उनको राहत दी जाये। महोदय, प्रारंभिक टिप्पणी के रूप में मुझे इतना ही कहना था। अब मैं, स्वयं विधेयक पर अपने विचार रखूंगा।

मैं विधेयक के नाम के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। यह अधिक महत्वपूर्ण बात तो नहीं है परन्तु मेरे विचार में नाम से अन्तर पड़ता है। शेक्सपियर ने कहा है कि गुलाब की सुगन्ध मीठी होती है, चाहे उसका नाम गुलाब या कोई और हो। मैं शेक्सपियर की इस बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे विचार में नाम का बहुत महत्व होता है और मेरे विचार में किसी अच्छे कानून का नाम अच्छा और संक्षिप्त होना चाहिए। इस विधेयक का नाम क्या है? ''अस्पृश्यता का व्यवहार करने अथवा उससे उत्पन्न किसी अशक्ता के प्रवर्तन के लिए दंड की व्यवस्था वाला विधेयक'', मेरे विचार में यह बहुत भद्दा नाम है और शब्द बहुत बड़े हैं। इस विधेयक का सही नाम क्या होना चाहिए, इसके बारे में विवाद हो सकता है। मेरे निजी विचार हैं कि इसका नाम ''नागरिक अधिकार (अस्पृश्य) संरक्षण अधिनियम'' होना चाहिए। आख़िर आप उनके नागरिक अधिकारों का संरक्षण करने से अधिक तो कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिये नागरिक अधिकारों पर ही जोर दिया जाना चाहिये। मैं इस विधेयक के प्रभारी अपने माननीय मित्र से कहना चाहूँगा कि यदि अमरीका में हब्शियों के संबंध में ऐसे मामले का उल्लेख किया जाता या 'सिविल बार' का उल्लेख किया जाता तो उनको पता चलता कि जो विधेयक वे अब संसद से पास करवाना चाहते हैं, वह अमरीका में पहले ही पास हो जाता है फिर जिस विधेयक का उल्लेख किया जाता, तो वह नागरिक अधिकार संरक्षण विधेयक कहलाता। इस में 'हब्शी' नाम का उल्लेख नहीं है। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि वह बार–बार अस्पृश्यता अथवा अस्पृश्य शब्दों को क्यों दोहराते हैं। विधेयक के पाठ में उन्होंने अनुसूचित जाति शब्द का उल्लेख किया है। संविधान में भी अनुसूचित जाति शब्द का ही प्रयोग किया गया है। और पता नहीं विधेयक के नाम में अनसूचित जाति शब्द का प्रयोग करने में उनको

क्यों संकोच है। मेरा निजी विचार यह है कि यदि इस विधेयक का नाम अस्पृश्य नागरिक अधिकार संरक्षण विधेयक अथवा अनुसूचित जाति नागरिक अधिकार संरक्षण विधेयक रखा जाये तो मुझे बहुत प्रसननता होती। मैं आशा करता हूँ कि मेरे मित्र इस पर विचार करेंगे।

अब, महोदय, मैं विधेयक में कुछ भयंकर भूलों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। वास्तव में नागरिक और संवैधानिक अधिकारों के प्रयोग में आने वाली किसी बाधा को दूर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। निःसंदेह, विधेयक का अंतिम परिणाम नागरिक और संवैधानिक अधिकारों के प्रयोग की स्वतंत्रता होगी परन्तु मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ कि बहुत अच्छा होता यदि मेरे मित्र स्पष्ट रूप से लिख देते कि विधेयक का उद्देश्य किन्हीं नागरिक व संवैधानिक अधिकारों के प्रयोग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। अमरीका के सिविल राइट्स बिल में से मैं एक उपबन्ध पढ़ कर सुनाता हूँ। इस उपबंध में लिखा है– पुस्तक के नाम वाले पृष्ठ को मत पढ़िए– इससे आपको दुःख पहुंचेगा। यह गवर्नमेंट आफ आयरलैंड एक्ट, 1920 और प्रोफेसर कीथ के कमांड पेपर से लिया गया यूनाइटेड स्टेट्स कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट XIV से लिया गया है। उस उपबन्ध में यह लिखा है। अस्पृश्य जनों पर लागू करने योग्य बनाने हेतु मैंने इसमें कुछ बदलाव किया है परन्तु इसका मूल पाठ सिविल राइट्बिल के पाठ में से लिया गया है :

''देश के सभी नागरिक विधि के समक्ष समान हैं और सबके समान नागरिक अधिकार हैं। कोई भी विद्यमान अधिनियम, विनियम, आदेश, रीति–रिवाज अथवा विधि की व्याख्या जिससे–अस्पृश्यता के कारण राज्य के किसी भी नागरिक पर कोई जुर्माना, अहित, निर्योग्यता अथवा भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है तो उसका प्रवर्तन उस दिन से समाप्त हो जाएगा जिस दिन से यह संविधान लागू होता है।''

मेरे विचार से इस प्रकार का स्पष्ट वक्तव्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। निसंदेह अनुच्छेद 13 में इस बात का प्रावधान है, परन्तु इससे कोई हानि नहीं कि पूरे अनुच्छेद 13 को आवश्यक संशोधनों सहित दुबारा लिख दिया जाता। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि विधेयक में इस बात का उल्लेख क्यों नहीं है। विधेयक से ऐसा आभास होता है कि यह विधेयक साधारण किस्म का है वैसे ही जैसे धोबी कपड़े नहीं धोता, नाई दाढ़ी नहीं बनाता, मिठाई वाला लड्डू नहीं बेचता आदि–आदि। लोग सोचते होंगे कि ये कितनी मामूली बातें हैं और संसद ने इतना कष्ट क्यों किया कि वह अपना समय धोबी, नाई और लड्डू वाले से निपटने में लगा रही है। यह विधेयक वैसा नहीं है। यह वह विधेयक है जो नागरिक मौलिक अधिकारों के संबंध में संरक्षण प्रदान करने वाला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि

इसमें स्पष्ट धारा जोड़ी जानी चाहिए जो वर्तमान विधेयक में नहीं है। अतः यह प्रथम मूल है जिसका सुधार किया जाना आवश्यक है। दूसरी मूल जिसे मैं भयंकर भूल मानता हूँ वह सामाजिक बहिष्कार के विरुद्ध कोई उपबंध सम्मिलित न किए जाने से संबंधित है। मैं अपने अनुभव के आधार पर महसूस करता हूँ कि अनुसूचित जातियों को अपने इन अधिकारों के प्रयोग से रोकने के लिए गांवों के समुदाय जिस सब से बड़े और घृणित माध्यम का उपयोग करते हैं वह है सामाजिक बहिष्कार। वे उनका पूरी तरह बहिष्कार कर देते हैं। यह असहयोग का ही दूसरा रूप है। यह केवल मेरा मत नहीं है बल्कि यह उस समिति का मत है जो अनुसूचित जातियों, दलित जातियों व आदिवासी कबीलों की स्थिति की जांच करने के लिए बंबई सरकार द्वारा नियुक्त की गई थी, मैं सदन को बताना चाहूँगा कि ठक्कर बापा इस समिति के सदस्य थे और उन्होंने इस प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर किये थे। मैं उस प्रतिवेदन से केवल एक पैरा पढूंगा जो सामाजिक बहिष्कार से संबंधित है। यह पैराग्राफ संख्या 102 है। उसमें समिति ने यह लिखा हैः

''यद्यपि हमने सार्वजनिक उपयोगिता की सभी वस्तुओं के संबंध में जातियों को उनके अधिकार दिलाने के लिये अनेक उपायों की सिफारिश की है, तथापि हमें इस बात की आशंका है कि उनका उपयोग करने की मांगों में अभी बाकी समय तक कठिनाइयाँ आयेंगी। सब से पहली कठिनाई, जिसकी आशंका है, यह है कि रूढ़िवादी वर्ग उनके विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही कर सकता है। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रत्येक गांव में अनुसूचित जातियों की संख्या बहुत कम होती है जबकि रूढ़िवादी लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है जो किसी भी कीमत पर दलित वर्गों के किसी भी संभावित आक्रमण से अपने हितों के सम्मान की रक्षा करने के लिये तैयार रहते हैं। पुलिस द्वारा मुकदमा चलाये जाने के ख़तरे के कारण रूढ़िवादी लोगों की संख्या बहुत अधिक होती है जो किसी भी कीमत पर दलित वर्गों के किसी भी संभावित आक्रमण से अपने हितों के सम्मान की रक्षा करने के लिये तैयार रहते हैं। पुलिस द्वारा मुकदमा चलाये जाने के ख़तरे के कारण रूढ़िवादी वर्ग हिंसा का मार्ग अपनाने में संकोच करते हैं और इसीलिये इस तरह के मामले बहुत कम होते हैं। दूसरी कठिनाई आर्थिक स्थिति से पैदा होती है जिस से दलित वर्ग पीड़ित रहता है। प्रेसीडेंसी के अधिकांश भागों में दलित जातियाँ आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र नहीं हैं। कुछ लोग रूढ़िवादी जातियों के लोगों की भूमि पर आसामियों के रूप में काम करते हैं जो उन लोगों की इच्छा पर होता है। कुछ अन्य रूढ़िवादी जातियों के लोगों द्वारा खेतिहर मजदूर के रूप में नियुक्त किये जाते हैं और वे उसी आय पर अपना भरण–पोषण करते हैं और शेष, रूढ़िवादी जातियों द्वारा ग्राम–सेवक के रूप में की गयी सेवाओं के बदले दिये गये खाद्यान से गुजारा चलाते हैं। हम ने

ऐसी अनेक घटनाएं सुनी हैं जिनमें रूढ़िवादी जातियों ने गांवों में दलित जातियों के विरुद्ध अपनी आर्थिक शक्ति का हथियार के रूप में उपयोग किया है। जब दलित जातियों ने अपने अधिकार का प्रयोग करने की हिम्मत दिखाई तो उनको अपनी जमीन से बेदखल करवा दिया, उनका रोजगार समाप्त कर दिया और ग्राम–सेवक के रूप में उनकी परिलब्धियों को भी बंद कर दिया। ऐसे बहिष्कार की योजना बहुत बड़े पैमाने पर बनायी जाती है कि जिन मार्गों से अन्य समुदाय आते–जाते हैं, उधर से दलित वर्ग के लोग नहीं जा सकते और गांव का बनिया उनको जीवन के लिए आवश्यक वस्तुएं देना भी बन्द कर देता है। साक्ष्य के अनुसार दलित जातियों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार की घोषणा बड़े मामूली कारणों से कर दी जाती है। अनेक बार दलित जातियों द्वारा सांझे कुंए के उपयोग को लेकर सामाजिक बहिष्कार की घोषणा कर दी जाती है परन्तु ऐसे साधारण कारणों के मामले भी बहुत मिल जाते हैं जब घोर बहिष्कार की घोषणा कर दी जाती है। जैसे किसी दलित जाति के व्यक्ति ने यज्ञोपवीत पहन लिया, कोई भूमि खरीद ली। अच्छे कपड़े या आभूषण पहन लिये, या किसी सार्वजनिक मार्ग से दूल्हे की घोड़ी पर बिठा कर बारात ले गये। दलित वर्ग के दमन के लिये सामाजिक बहिष्कार से अधिक किसी कठोर हथियार को हम नहीं जानते हैं। इसके सामने हिंसा का मार्ग भी फीका पड़ जाता है क्योंकि इसका दूरगामी और होश उड़ाने वाला प्रभाव होता है। यह अधिक खतरनाक है क्योंकि यह विधि सम्मत है और संविदा की स्वतंत्रता के सिद्धान्त के अनुरूप है। हम इस बात पर सहमत हैं कि बहुसंख्यकों का यह अत्याचार सख्ती से कुचल दिया जाना चाहिए। बशर्तें कि हम दलित जातियों को उनके उत्थान के लिये आवश्यक कार्यवाही करने और बोलने की स्वतंत्रता की गारंटी दे सकें।''

यह उस समिति का निष्कर्ष है जो अनुसूचित जातियों की स्थिति पर विचार करने के लिये विशेष रूप से नियुक्त की गई थी। सामाजिक बहिष्कार के इस मुद्दे से निपटने के लिये इस विधेयक में कोई व्यवस्था नहीं है।

मैं माननीय सदस्य का ध्यान वर्ष 1922 के बर्मा एन्टी बायकाट एक्ट की ओर दिलाना चाहता हूँ, यदि वे समझें कि स्पष्ट शब्दों में इस मामले को रखना कठिन काम है जिसको न्यायालयों में कानूनी तरीके से प्रयोग में लाया जा सके तो मेरा सुझाव यह है कि 1922 के बर्मा एन्टी बायकाट एक्ट में उल्लिखित उपबंधों की प्रतिलिपि तैयार की जा सकती है। इससे हमें बहुत ही कठिन विषय अर्थात् सामाजिक बहिष्कार की बहुमूल्य परिभाषा मिल जाएगी। वह उस अधिनियम की धारा 2 में दी गयी है। बर्मा के इस अधिनियम में सामाजिक बहिष्कार को ही अपराध नहीं माना गया अपितु सामाजिक बहिष्कार के लिये उत्तेजित करना भी अपराध करार दिया गया है। वकील जिसे शैली में जितना सही शब्दों का प्रयोग करना चाहें, उस में सामाजिक बहिष्कार

की धमकी देना भी अपराध माना गया है। मेरे माननीय मित्र ने एक हिंदू के बचाव हेतु जो अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करना चाहता था परन्तु उसकी जाति के लोग उसको ऐसा करने के लिये विवश करते थे, इसके विकृत अर्थ के विचार से परिवर्तन करने हेतु, धारा 8 की उप–धारा (2) का प्रयोग किया है। मेरे विचार में दो तरीकों से ऐसा कर सकते हैं–एक तो उसके विरुद्ध हिंसात्मक कार्यवाही करके अथवा उसका सामाजिक बहिष्कार करके। जैसाकि समिति ने बताया है कि गांव के समुदाय प्रायः सामाजिक बहिष्कार के मार्ग को हिंसात्मक कार्यवाही की अपेक्षा तरजीह देते हैं क्योंकि यह काम पर्दे के पीछे से होता है और संविदा कानून की शर्तों के बिल्कुल अनुरूप रहता है जबकि हिंसात्मक कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध माना जाता है। इसलिये इधर–उधर की बातों के और ऊल–जलूल परिणाम प्राप्त करने के बजाय सीधा मार्ग क्यों न अपनाया जाये और सामाजिक बहिष्कार को, अनुसूचित जातियों को अपने अधिकारों का उपयोग न करने के लिये विवश करने वाला अवैध माध्यम क्यों न मान लिया जाये? आखिरकार सामाजिक बहिष्कार पर क्या आपत्ति हो सकती है? मेरा मत है कि कानूनी शब्दावली में सामाजिक बहिष्कार एक षड्यंत्र से कम नहीं होता जो भारतीय दंड संहिता के अधीन अपराध माना गया है। यदि दो व्यक्ति परस्पर मिल कर तीसरे व्यक्ति के साथ कोई अन्याय करते हैं तो यही षड्यंत्र होता है। यह सामाजिक बहिष्कार अधिकांश लोगों की सहमति के साथ किया जाता है और यह षड्यंत्र होता है और इसको अपराध माना जाता है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि मेरे माननीय मित्र इस महत्वपूर्ण बात को क्यों भूल गये।

तीसरी भूल–पता नहीं, यह भूल है या नहीं–आप मेरी गलती को सुधार सकते हैं। मैं चाहता था कि विधि मंत्री यहाँ उपस्थित होते क्योंकि यह निपट कानूनी मामला है, परन्तु निःसंदेह गृह मंत्री भी पहले विधि मंत्री रह चुके हैं और वे वकालत करते रहे हैं और मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ वे उससे अपरिचित नहीं हो सकते। अब प्रश्न यह है, मैं अपने आपसे पूछता हूँ कि ये अपराध क्षम्य है अथवा अक्षम्य जो इस विधेयक में शामिल किये गये हैं। क्योंकि इस विधेयक में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है उसमें कुछ नहीं लिखा है। पिछले दिन जब हम अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त के प्रतिवेदन पर चर्चा कर रहे थे, माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि आयुक्त ने इस बात की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाया था कि अस्पृश्य लोग उन पर अत्याचार करने वालों पर मुकदमा नहीं चला सकते क्योंकि वे आर्थिक रूप से अक्षम हैं और इसीलिये वे अपराधियों के साथ समझौता करने को तैयार रहते हैं, जब कभी अपराधी समझौता करना चाहते हैं। सच यह है कि कानून अशक्त है और जिनके पक्ष में वह बनाया गया है वे उसको कार्यरूप दे नहीं सकते और जिनके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये इसको बनाया गया है वे पीड़ित व्यक्ति

को शांत कराने में समर्थ हैं। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन–जाति आयुक्त का यह निष्कर्ष था। ऐसी स्थिति को सहन नहीं किया जा सकता है। यदि दोषी व्यक्ति को अपराध के लिए दंड दिलाना है तो अपराध को शमनीय नहीं बताया जाना चाहिए। यदि दोषी लोग कुछ रकम दे कर या वैसा ही कुछ करके समझौता कर लेते हैं और छूट जाते हैं तो वे अस्पृश्य जनों को हमेशा–हमेशा के लिये परेशान करते रहेंगे और अस्पृश्यता का उन्मूलन कभी नहीं होगा।

इसलिये अपराध का माफ किया जाना बहुत गम्भीर मामला है। और इस गम्भीर मामले को विशिष्ट तरीके से निपटाया जाना चाहिए। मुझे पता नहीं कि मेरे माननीय मित्र का आशय क्या है परन्तु अन्य विधियों में अन्य उपबंधों का हवाला देकर हम स्थिति को ठीक से समझ सकें तो मैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 का हवाला देना चाहूँगा जिसमें लिखा है कि कौन से अपराध शमनीय हैं और कौन से शमनीय नहीं हैं। मेरे माननीय मित्र को स्मरण होगा कि भारतीय दंड संहिता में कुल मिलाकर 511 धाराएं हैं और उनमें से 106 विशुद्ध घोषणात्मक विषयों और दंड से संबंधित हैं जिनमें कानून लागू होता है, कानून के साधारण अपवाद खर्चे आदि हैं। इसलिए हम 511 में से 106 को रद्द कर देंगे या निकाल देंगे। जिन धाराओं में वास्तव में अपराध परिभाषित हैं वे कुल मिलाकर लगभग 400 हैं। भारतीय दंड संहिता में चार सौ अपराधों, कृत्यों और लोपों को अपराध बनाया गया है। इस 400 की संख्या में शमनीय अपराध कितने हैं? इस विषय पर हमको विचार करना चाहिए क्योंकि उसमें अन्तर्निहित सिद्धांत महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने कहा है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 में ही यह व्यवस्था दी गयी है कि कौन–से अपराध शमनीय हैं और कौन से नहीं है। मैंने कुछ हिसाब लगाया है। मैं हिसाब में कुछ कमजोर हूँ फिर भी मैं यह कहने में ज्यादा गलती नहीं कर सकता कि 400 में से केवल 44 अपराध शमनीय हैं। शेष अपराध अशमनीय हैं। इस स्थिति को देखते हुए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि दंड विधि का सिद्धांत यह है कि सामान्य तौर पर कोई अपराध अशमनीय नहीं होगा और ये 44 अपराध सामान्य नियम के अपवाद हैं। 44 अपराधों में से 24 अपराध मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना भी शमनीय हैं और 20 दांडिक मजिस्ट्रेट की अनुमति से शमनीय हैं। अतः वास्तव में, 24 अपराध ही शमनीय हैं। अब क्या इन अपराधों को इस विधेयक में शमनीय दिखाया गया है, या नहीं? विधेयक में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मेरे विचार में, उसमें इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए कि इस विधेयक के अधीन कोई भी अपराध अशमनीय होगा। यदि मेरे मित्र इस सुझाव को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं तो इसका क्या परिणाम होगा? इसका परिणाम यह होगा कि इन अपराधों में से अनेक अपराध ऐसे होंगे जो अति अथवा गम्भीर क्षति पहुंचाने वाले होंगे। उनमें केवल शक्ति का प्रदर्शन ही नहीं होगा,

उनमें ऐसे अपराध होंगे जिनमें क्षति, गम्भीर क्षति व हिंसात्मक गतिविधियाँ शामिल होंगी। अब यदि कोई मजिस्ट्रेट धारा 345 की उपधारा (1) या (2) लागू करता है, मैं धारा 345 की 2 उपधाराओं को पढ़कर अपने माननीय मित्र को परेशान नहीं करना चाहता जिसके अंतर्गत इस प्रकार की अपराधों की परिभाषा दी गयी है–वे देखेंगे कि अपराधों में क्षति पहुंचाना भी शामिल है। वे यह भी पायेंगे कि उनमें से अधिकांश ऐसे अपराध हैं, जिनको मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना या अनुमति से शमनीय बताया गया है, परन्तु जिनको क्षति पहुंचाने, गंभीर क्षति पहुंचाने, किसी व्यक्ति को बंद रखने या उसके किसी रिश्तेदार का अपहरण करने अथवा ऐसे ही कुछ मामले अन्तर्ग्रस्त होंगे। वे सब शमनीय अपराध हैं–पूरी तरह –प्रत्येक अपराध शमनीय है। इसलिये कहने का अभिप्राय यह है कि जब तक आप इस विधेयक में कोई विशिष्ट व स्पष्ट उपबंध नहीं रखेंगे, सभी अपराध–यदि उनमें सामाजिक बहिष्कार भी है–दंड संहिता में इसका बिल्कुल कोई उल्लेख नहीं है–षड्यंत्र के अतिरिक्त यह कोई अपराध नहीं है–और ऐसा अन्य कृत्य जिन में क्षति अथवा हिंसक कार्यवाही अन्तर्ग्रस्त है, जहाँ तक धारा 345 का सम्बन्ध है, शमनीय बने रहेंगे और यह विधेयक पूरी तरह निष्प्रभावी सिद्ध होगा। यह एक दिखावा मात्र होगा। अतः मेरे माननीय मित्र इस विषय पर विचार करेंगे और सुनिश्चित करेंगे–वे निश्चय ही विधि मंत्रालय से परामर्श ले सकते हैं–क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 345 की शब्दावली के अन्तर्गत ये अपराध शमनीय होंगे और यदि हाँ, तो क्या इस प्रयोजन के लिये इस विधेयक में कोई स्पष्ट उपबंध रखने की आवश्यकता नहीं है कि अस्पृश्यता से सम्बंधित मामले अशमनीय नहीं समझे जायेंगे।

अब, महोदय, मैं कुछ दोषपूर्ण उपबंधों का उल्लेख करना चाहता हूँ। मैंने कुछ भूलों का उल्लेख किया था, अब मैं दोषपूर्ण उपबंधों के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। दंड के बारे में पहला ऐसा उपबंध खण्ड 8 हैं। विधेयक में जो दंड निर्धारित किया गया है वह 6 मास का कारावास या जुर्माना है जो 500 रुपये तक हो सकेगा या कारावास और जुर्माना दोनों दंड भी दिये जा सकते है। मेरे माननीय मित्र दंड के मामले में बहुत वाक्पटुता दिखा रहे थे। उनका कहना है कि दंड बहुत ही हलकी होना चाहिए और मुझे हैरानी हो रही थी कि कहीं वे हलकी दंड की वकालत इसलिये तो नहीं कर रहे थे क्योंकि वे स्वयं कोई ऐसा अपराध करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ''सजा हलकी'' होनी चाहिए जिससे अपराधी के मन में कोई संताप न रहे। मेरे विचार में वे इस बात की भूमिका बना रहे थे कि अपराधी लोग जिन्होंने अस्पष्श्य जनों के विरुद्ध अपराध किया है, वे वास्तव में बहुत कृपालु सज्जन हैं, उनके मन में प्यार है और दया है और यह कार्य उनसे भूले–भटके हो गया है जो वस्तुतः माफ कर दिया जाना चाहिए। मेरे लिये यह बहुत बड़ी राहत है कि उन्होंने केवल चेतावनी देकर

छोड़ देने के दंड का प्रावधान नहीं रखा। मेरे विचार में, इसके लिये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 561 सब से अच्छी रहती। जी, हाँ, वह सब से अच्छी रहती; यदि हमारा उद्देश्य अपराधी व्यक्ति को भी एक अच्छा व्यक्ति बनाना है; तो अच्छा यही है कि उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया जाये। वह प्रेम का प्रसार करता रहेगा और उसके अपने मन में कोई विद्वेष नहीं रहेगा। दुर्भाग्यवश, हमारे माननीय मित्र ने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इसलिये दंड का सुझाव दिया है।

दंड विधान के बारे में कुछ जानकारी रखने के कारण मैं कह सकता हूँ कि जिन नियमों पर दंड व्यवस्था आधारित है, वे दो हैं। एक, अपराधी को अपना अपराध दोबारा करने से मुख्यतः रोकना है मेरे विचार में यह दंड न्यायशास्त्र का प्राथमिक नियम है। दंड आवश्यक है। नहीं तो अपराधी बार–बार अपराध करता रहेगा। उसको रोकने के लिए दंड दिया जाना आवश्यक है। दंड का दूसरा उद्देश्य यह है कि कहीं अपराधी अपराध को अपना व्यवसाय न बना ले, इस बात को रोकने के लिए भी दंड दिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपराध करना व्यवसाय बना लेता है तो फिर उसको रोकने के लिए सख्त दंड देना पड़ेगा।

अब, महोदय यदि आप इन दोनों सिद्धान्तों को स्वीकार कर लें तो क्या इस विधेयक के प्रयोजन के लिये मेरे माननीय मित्र द्वारा प्रस्तावित दंड पर्याप्त है? पहली बात यह है कि 6 महीने का कारावास अधिकतम दंड रखा गया है और कोई मजिस्ट्रेट एक दिन के कारावास का दंड देकर भी अपराधी को छोड़ सकता है। न्यूनतम दंड निर्धारित नहीं किया गया है कि कारावास 6 महीने या तीन महीने से कम नहीं होगा या कुछ ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है। सारी बात मजिस्ट्रेट पर छोड़ दी गई है। वह मजिस्ट्रेट कैसा होगा, यह भी संभव है और मैं कल्पना कर सकता हूँ कि मजिस्ट्रेट की कुर्सी पर न्याय करने वाला काशी का कोई पंडित होगा। इस कानून को लागू करने के मामले में उसकी अंतरात्मा क्या कहेगी?

श्री बासप्पा शेट्टी (मैसूर) : काशी या कश्मीर?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : कश्मीर के ब्राह्मण सच्चे ब्राह्मण नहीं होते। मुझे इस बात की जानकारी है कि वे मांस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं। जैसा कि वे कहते हैं इसलिये वे ब्राह्मण नहीं हैं।

अब जैसाकि मैंने कहा है, यदि आप चाहते हैं कि कानून का पालन हो, तो न्यूनतम दंड भी निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि मजिस्ट्रेट उससे कम सजा न दे सके। दूसरे दंड को वैकल्पिक रखा गया है–कारावास या जुर्माना। मजिस्ट्रेट वैकल्पिक दंड के रूप में केवल जुर्माना भी लगा सकता है और ऐसे भी अपराधी हो सकते हैं जो कानून के शिकंजे से बचने के लिये 500 रुपये तक भी देने को तैयार

होंगे। ऐसे दंड का क्या लाभ हो सकता है? भारतीय दंड संहिता में अनेक प्रकार के दंड देने का विधान है जिनका धारा 53 में उल्लेख है–मृत्यु, देश निकाला, कारावास, संपत्ति का जब्त किया जाना, जुर्माना, कोड़े मारना, सुधारालय में नज़रबन्दी। सात अपराध ऐसे हैं जिनके लिए दंड संहिता में मृत्यु दंड का विधान है, 50 अपराधों के लिये देश निकाले के दंड का विधान है, 21 अपराधों कयसे लिये सादा कारावास का विधान है और 12 अपराधों के लिये जुर्माना लगाये जाने की व्यवस्था है। अन्य सभी मामलों में कठोर कारावास ही विधान है। मेरे माननीय मित्र ने इस विधेयक को इतना कम महत्व क्यों दिया है। इसमें पर्याप्त दंड दिये जाने की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी। यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मेरा तात्पर्य यह है कि उनसे एक यह आशा तो कर सकते हैं कि वे न्यूनतम सजा का भी प्रावधान करते। चाहे वह तीन महीने का कारावास और जुर्माना ही होता यदि वह जुर्माना निर्धारित करना चाहते हैं–मैं जुर्माना लगाने के पक्ष में नहीं हूँ। यदि आप कहें कि जुर्माने की राशि पीड़ित व्यक्ति को दी जाएगी तो मैं जुर्माने का भी समर्थन कर सकता हूँ। अन्यथा मैं जुर्माना लगाने के पक्ष में नहीं हूँ।

श्री बी. बी. शर्मा (उत्तर प्रदेश) : अधिकतम अर्थात् मृत्यु दंड क्यों नहीं?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि आप ऐसा चाहते हैं तो ठीक है, कर लीजिए– मैं इतना अत्याचारी नहीं हूँ और मेरे विचार में आप भी पूरी ईमानदारी से यह सुझाव नहीं दे रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा, भारतीय दंड संहिता में ऐसे कोई मामले नहीं हैं जिनमें न्यूनतम दंड निर्धारित न किया गया हो। अथवा कठोर कारावास निर्धारित न किया गया हो। तीन धाराएं हैं जिनमें कठोर कारावास का दंड निर्धारित है– धारा 194, 226 और 449। फिर दंड संहिता की धारा 397 और 398 में कारावास की न्यूनतम अवधि निर्धारित है। मैं यह वही समझता कि जब पूर्वउद्धरण उपलब्ध हैं तो क्यों....

डॉ. के. एन. काटजू : 397 क्या हैं?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : डकैती। यह डकैती से भी खराब है। मेरे विचार में किसी व्यक्ति को भूखा मारना और पानी तक न पीने देना लगभग हत्या करने के बराबर है। मेरे विचार में विधेयक में यही एक कमी है। विधेयक में, दूसरी कमी यह है कि अच्छे बर्ताव के लिये जमानत लेने का कोई प्रावधान नहीं है। दंड प्रक्रिया संहिता की चार धाराएं हैं– धारा 107, 108, 109 और 110 और वे अब अच्छे बर्ताव के लिये मजिस्ट्रेट को जमानत देने का अधिकार देती हैं। मुझे समझ नहीं आता कि इस विधेयक में इस आशय का उपबंध क्यों नहीं रखा गया। जब राजपूताना तथा अन्य राज्यों में सवर्ण हिंदू अस्पृश्य जनों को तंग करने के लिये उत्तेजना फैला रहे हैं

क्योंकि वे नागरिक तथा संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हैं आप अच्छे बर्ताव के लिये जमानत क्यों नहीं मांग सकते?

श्री जे. एस. बिष्ट (उत्तर प्रदेश) : दंड प्रक्रिया संहिता में ये सभी उपबंध हैं।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं यही बात तो कह रहा हूँ। दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसे व्यक्ति से जमानत (प्रतिभूति) लेने के पूर्वोदाहरण है जो शान्ति नहीं बनाये रखते, अच्छे बर्ताव के लिये, जो उपद्रव करने वाली सामग्री का प्रसार करते है, जो आवारागर्द है और जो बार–बार अपराध करते हैं। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि क्या उन उपबंधों को इस कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों से जमानत (प्रतिभूति) मांगने के लिए लागू किया जा सकता है। सम्भव है कि इस विधेयक के अन्तर्गत आने वाले मामले के लिए विशिष्ट उपबन्ध करना पड़े ऐसा इस विधेयक में विशिष्ट उपबन्ध करके ही किया जा सकता है।

महोदय, भारतीय पुलिस अधिनियम में एक अन्य उपबंध है। इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन यदि गांव के कुछ लोग या पूरी जनता शान्ति भंग करे तो सरकार वहाँ पर अतिरिक्त पुलिस तैनात कर सकती है और अतिरिक्त पुलिस का खर्च गांव के निवासियों से वसूल कर सकती है? यह एक सामान्य उपबंध है। इस बारे में भी मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि सरकार प्रस्तुत अधिनियम को लागू करने के लिये उस उपबंध का उपयोग कर सकती है या नहीं। वह अधिनियम एक साधारण अधिनियम है, शान्ति आदि भंग होने के बारे में है। यह बिल्कुल अलग मामला है और मैंने सोचा था कि यदि अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करना है तो पुलिस अधिनियम की धारा 15 के आधार पर कोई विशिष्ट खंड इस विधेयक में जोड़ा जाना चाहिए। किन्तु ऐसा कोई प्रावधान विधेयक में नहीं है।

अब मैं एक अन्य प्रश्न उठाना चाहता हूँ, जिसके बारे में मुझे संदेह है, यह कानून कौन लागू करेगा, केन्द्र या राज्य? यदि केन्द्र को यह कानून लागू करना है तो क्या यह बेहतर नहीं होगा कि इस आशय का एक खंड इस में जोड़ दिया जाये कि यह कानून केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया जायेगा? मैं यह सुझाव इसलिये दे रहा हूं कि मैं महसूस करता हूँ कि राज्य आपत्ति कर सकते हैं कि यह कानून समवर्ती सूची में आता है और ये साधारण तौर पर इस अधिनियम को लागू करने का अधिकार राज्य सरकारों का है। मेरे विचार में यह कानून समवर्ती, सूची में रखे जाने वाला कानून नहीं है जिसका राज्य लागू करने के अधिकार का दावा कर सकें।

मेरा दावा है कि यह केन्द्रीय कानून है यद्यपि यह अनुच्छेद 7 की सूची I में नहीं आता। अनुच्छेद 35 में उल्लिखित उपबंध बिल्कुल स्पष्ट है। अनुच्छेद 35 में लिखा है कि अनुच्छेद 17 के अनुसरण में बनाये गये कानून का उल्लंघन किये जाने

पर दंड देने के लिये बनाये जाने वाला कोई कानून संसद द्वारा बनाया जायेगा, राज्य द्वारा नहीं। यह इतने स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है। इस लिये मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि संविधान में दी गयी व्यवस्था के अनुसार यह कानून केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया जाएगा, न कि राज्य द्वारा। मैं यह इस लिये कहता हूँ क्योंकि मेरे माननीय मित्र कह सकते हैं कि चूंकि हमने इस अधिनियम के अधीन अपराधों को संज्ञेय अपराध बना दिया है, अतः यदि राज्य भी इस कानून को लागू करें तो उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। परन्तु अनुच्छेद 35 को देखते हुए उनका तर्क मान्य नहीं समझा जा सकता। इसलिये मैं उनको सुझाव देना चाहता हूँ कि वे इस विधेयक में एक स्पष्ट उपबंध जोड़ें कि यह कानून केन्द्रीय सरकार द्वारा लागू किया जायेगा। यदि मेरे मित्र और राज्यों का विचार यह है कि यह समवर्ती सूची में पड़ने वाला विधान है तो मैं उनका ध्यान अनुच्छेद 73 के परन्तुक की ओर दिलाना चाहूँगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है और समवर्ती सूची में पड़ने वाले कानूनों को लागू करने से सम्बन्धित है। मेरे माननीय मित्र को स्मरण होगा कि वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम में दी गयी व्यवस्था में विषयों का इसी प्रकार वर्गीकरण किया गया था– सूची I केन्द्रीय विषय, सूची II राज्य विषय और सूची III समवर्ती विषय। परन्तु भारत सरकार अधिनियम में एक स्पष्ट प्रावधान था कि समवर्ती क्षेत्र में केन्द्र कानून बनाने की शक्ति तक ही सीमित है। वह कानून लागू करने के क्षेत्र का उल्लंघन नहीं कर सकता। भारत सरकार अधिनियम, 1935 में ऐसा उपबन्ध रखे जाने के कारण हमारे लिए इस समय बिल्कुल असंगत है। किन्तु जब हमने यह संविधान बनाया था हमने ऐसे उपबंध को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। हमने कहा था कि यद्यपि साधारणतया केन्द्र इस समवर्ती सूची में किसी कानून को राज्यों द्वारा लागू करने के लिए छोड़ सकता है फिर भी इस बात को तय करने का विकल्प केन्द्र के पास रहना चाहिए कि क्या समवर्ती सूची में शामिल कोई विशेष कानून उनके द्वारा लागू किया जायेगा, राज्यों द्वारा नहीं। अनुच्छेद 73 के परन्तुक में इस आशय को कार्यरूप दिया गया है। हमने कहा कि यदि केन्द्र यह तय कर लेता है कि समवर्ती सूची में शामिल कोई कानून केन्द्र द्वारा लागू किया जायेगा तो राज्य सरकारें उसमें कदापि हस्तक्षेप नहीं कर सकतीं। इस लिये मेरी पक्की राय है कि यह दलील अविधिमान्य है।

*****

(53)

संविधान (चतुर्थ संशोधन) विधेयक, 1954

***डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बंबई) :** सभापति महोदय, जो व्यक्ति इंग्लैण्ड की संसदीय प्रणाली से परिचित हैं वे यह जानेंगे कि ब्रिटिश संविधान की कार्यविधि का एक सिद्धांत है जिसे इंग्लैंड की सभी पार्टियाँ मानती हैं। वह सिद्धांत यह है कि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता। यदि संविधान की कार्यविधि में कोई गलती होती है, तो गलती के जिम्मेदार प्रधानमंत्री और उसके मंत्री होते हैं। लेकिन सम्राट कभी गलत नहीं हो सकता और कभी गलती नहीं कर सकता। हमने भी इस देश में व्यावहारिक रूप से कुछ मामूली उपान्तरों के साथ इंग्लैण्ड के संविधान को अंगीकार किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे संषविधान की कार्यप्रणाली एक सिद्धांत द्वारा संचालित होती है, जो इंग्लैंड की जनता द्वारा अपनाये गये सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। जिस सिद्धांत पर हम अपने देश में चलते हैं वह यह है कि प्रधानमंत्री कोई गलती नहीं कर सकता है और यह कि वह कोई गलती नहीं करेगा। अतः प्रधानमंत्री जो काम करने का प्रस्ताव रखते हैं उसे सही मानकर स्वीकार करना चाहिए और उसके संबंध में कोई प्रश्न नहीं करना चाहिए। राजनीति में एक व्यक्ति के प्रति ऐसी श्रद्धा कुछ मामलों में क्षम्य हो सकती है लेकिन मुझे यह ऐसे मामलों में क्षम्य प्रतीत नहीं होती जिनमें मूल अधिकारों पर आक्रमण किया जा रहा हो। मूल अधिकार संविधान की उद्देशिका के आधार हैं। उद्देशिका कहती है कि स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व इस संविधान के आधार होंगे। संविधान के ये उद्देश्य मूल अधिकारों द्वारा कार्यान्वित किये जाते हैं। इसीलिए मुझे यह सोचना पड़ा कि मूल अधिकारों पर कोई आक्रमण किया जाये, तब प्रत्येक संसद सदस्य का यह कर्तव्य है कि वह देश के प्रति व्यक्तिगत निष्ठा रखने के साथ–साथ इस का आलोचक भी बने। दुर्भाग्यवश, इस प्रकार का आलोचनात्मक दृष्टिकोण किसी में भी नहीं मिलता है। इस देश में मूल अधिकारों का इतिहास बहुत रोचक है। प्राचीन काल में हिंदू राजाओं के समय में केवल दो ब्राह्मण और गायकों ही मूल अधिकार प्राप्त थे। और पुराणों में राजा का का वर्णन ''गौ–ब्राह्मण प्रतिपालक'' के रूप में किया गया है। राजा का कर्त्तव्य था : उसकी प्रजा के अन्य लोगों को उसकी ओर से न्याय मिले अथवा नहीं, अथवा ''गाय'' को छोड़कर अन्य पशुओं की ओर कोई ध्यान दिया जाए अथवा नहीं, यह बात बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं थी। जब तक ब्राह्मण और गाय की रक्षा की जाती

* संसदीय वाद–विवाद, (राज्य सभा) जिल्द–9 ख, 19 मार्च, 1955, पृ. 2446–66

थी, राजा का स्वर्ग में जाना नियत था।

जब देश में मुसलमानों का शासन हुआ, तो उन्होंने उन मूल अधिकारों को हिन्दू राजाओं से छीन लिया जिन्हें हिंदू राजाओं ने ब्राह्मणों और गायों को दे रखा था। दुर्भाग्यवश गाय ने अपने केवल जिन्दा रहने के अधिकार को ही नहीं खोया बल्कि प्रत्येक व्यक्ति की शिकार हो गई। यही ब्राह्मणों की दशा में हुआ। मुसलमानों ने मुसलमानों को विशेषाधिकार दिये और गैर–मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं दिये। इस देश में मुसिलम शासन समाप्त होने के पश्चात् अंग्रेजों का शासन हुआ। कोई भी व्यक्ति, वर्ष 1772 से 1935 तक पारित हुए भारत सरकार के विभिन्न अधिनियमों की जांच करें, तो उसे यह पता चल जायेगा कि भारत सरकार के उन अधिनियमों में से किसी भी अधिनियम में मूल अधिकारों जैसी कोई भी बात नहीं है, जो संसद ने देश के प्रशासन के लिए पारित किये थे। वर्ष 1947 या इसके आस–पास जब इस देश में स्वराज एक सच्चाई बन गई तब मूल अधिकारों का विचार पैदा हुआ। हमारे संविधान में पहली बार मूल अधिकारों को मूर्तरूप दिया गया। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि यद्यपि इस देश में विदेशी शासन कर रहे थे किसी भी व्यक्ति ने मूल अधिकारों के लिए अधिनियम के सम्बन्ध में कभी कोई आन्दोलन नहीं किया। काँग्रेस 1885 में अस्तित्व में आई। प्रत्येक व्यक्ति को कॉग्रेस द्वारा पारित वार्षिक संकल्पों की जांच करनी चाहिए। उन्होंने मूल अधिकारों के सम्बन्ध में कभी कोई मांग नहीं की।

बाबू गोपीनाथ सिंह (उत्तर प्रदेश) : क्या आपने 1931 के काँग्रेस के कराची प्रस्तावों को पढ़ा है?

डॉ. अम्बेडकर : ठीक है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा था कि जब वे संविधान बनायेंगे, तब उनको मूल अधिकार दिये जायेंगे। मैं अब उस बात पर आ रहा हूँ, जैसाकि मैं कहता हूँ, एक बहुत ही अनोखी टिप्पणी है कि पहले पहल काँग्रेस को जो लोग चला रहे थे उनमें कोई भी भारतीय और भारतवासी लोग असाधारण बुद्धिजीवी थे। वे साधारण व्यक्ति भी नहीं थे, वे बहुत विद्वान थे, वे बहुत जागरूक थे, जहाँ तक मेरी जानकारी है उनमें से किसी व्यक्ति ने मूल अधिकारों के लिए मांग नहीं की। लेकिन जैसे ही स्वराज प्राप्त हुआ, मूल अधिकारों की मांग की गई। यह एक विचारणीय मामला है कि ऐसा क्यों हुआ? निःसंदेह विभिन्न व्यक्ति विभिन्न प्रकार के उत्तर देंगे। लेकिन, मेरा उत्तर बहुत साधारण है। मेरा उत्तर बहुत साधारण है। मेरा उत्तर यह है– इसका कारण यह है कि जब देश में अंग्रेजों का शासन था, भारतवासियों ने मूल अधिकारों की मांग क्यों नहीं की। यद्यपि अपने शासन के एक पहलू के रूप में अंग्रेजों का साम्राज्य था, फिर भी इस में कोई संदेह नहीं

हो सकता कि इस देश का प्रशासन, न्याय, निष्पक्षता तथा सद्विवेक द्वारा चलाया जाता था। महोदय, मुझे याद है मैं कम से कम अपने प्रांत के बारे में बता रहा हूँ कि न्यायपालिका किस प्रकार स्वतंत्र थी जिसमें पूर्णतः यूरोपीय शामिल थे। यह कार्यपालिका कैसे स्वतंत्र थी, इस सम्बन्ध में मुझे एक मामला याद है......................

दीवान चमन लाल (पंजाब) : क्या यह तिलक का मामला है?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह मामला बहुत प्रसिद्ध है ईस्ट इंडिया कम्पनी के समय ने बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति श्री नाइट का निर्णय बहुत लोकप्रिय था। उन्होंने बंबई सरकार के विरुद्ध एक रिट जारी की थी और बंबई सरकार ने उसे मानने से इनकार कर दिया था। बंबई सरकार ने कहा था कि बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को कार्यपालिका के विरुद्ध कोई रिट जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। जब उन्होंने उसे यह बताया कि वे उस विशिष्ट रिट का अनुपालन नहीं करेंगे, तो श्री नाइट ने क्या किया? उन्होंने चपरासी को बुलाया और कहा, ''उच्च न्यायालय की चाबियाँ लाइये'' और उन्होंने उससे उच्च न्यायालय के प्रत्येक कमरे को बंद करने के लिए कहा जिनमें उनका अपना कमरा भी शामिल था। दूसरे दिन अपने लिए जहाज का टिकट ले लिया और यह कहते हुए लंदन वापस लौट गये।'' ''यदि आप बंबई उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होने के नाते मेरे आदेशों का पालन नहीं करने जा रहे हैं, तो आप का उच्च न्यायालय बिल्कुल नहीं रहेगा।'' वस्तुतः बाद में प्रिवी कांउसिल ने उसके आदेश को उलटा दिया। लेकिन वह मामला यहाँ बिल्कुल नहीं है। प्रश्न यह है कि अंग्रेजों ने इस देश पर उस ढंग से शासन किया जिसमें प्रत्येक व्यक्ति ने यह महसूस किया कि उसमें सुरक्षा की कुछ भावना है। यही कारण है। मेरे विचार से इस देश के किसी व्यक्ति ने मूल अधिकारों के लिए कोई शोर नहीं मचाया। लेकिन जैसे ही स्वराज आया प्रत्येक व्यक्ति ने सोचा अल्पसंख्यकों में से कम से कम बहुत से लोगों ने सोचा कि बहुसंख्यकों के हाथ में राजनैतिक सत्ता दिये जाने की संभावना है जिसमें उनकी संवैधानिक नैतिकता नहीं है। उनके सरकारी सिद्धांत वर्गों की असमानता थी। यद्यपि प्रत्येक समुदाय में असमानता है या कुछ भी कहें असमानता व्यावहारिक विषय है। यह एक सरकारी सिद्धांत नहीं है, बल्कि इस देश में चूंकि बहुसंख्यक लोग चतुर्वर्ण से जुड़े हुए हैं, इसलिए असमानता एक आधिकारिक सिद्धांत है। दूसरी बात यह है कि उनकी जाति व्यवस्था राजनैतिक और प्रशासनिक विभेद की तलवार है। इसका परिणाम यह निकला कि मूल अधिकार—अनिवार्य बन गये। मैंने क्या पाया—और मैं इस बात को उन लोगों की अपेक्षा अधिक जानता हूँ जो सम्भवतः कुछ करते हैं, क्योंकि मैंने इस संबंध में कुछ किया था और वह यह था कि कॉंग्रेस पार्टी मूल अधिकारों के संबंध में प्रफुल्लित थी। वे मूल अधिकार चाहते थे। और कॉंग्रेस ने सोचा कि मूल

अधिकार इतने आवश्यक हैं कि यदि भारत के लोगों का संविधान होगा और उसमें मूल अधिकार नहीं हों तो वे दुनिया उन्हें अच्छा नहीं समझेगी। यही कारण था कि कॉंग्रेस ने मूल अधिकारों के सम्बन्ध में हल्ला बोल दिया। मैं यह जानता हूँ कि संविधान सभा की कार्यवाहियों में किसी भी सदस्य ने खड़ा होकर यह नहीं कहा ''हम मूल अधिकार नहीं चाहते हैं।'' मूल अधिकार अलंकरण के रूप में माने गये थे जो भारत के लोगों के लिए आवश्यक होने चाहिए। आज उनके दृष्टिकोण में पूर्णतः बदलाव आ रहा है। आज वे मूल अधिकारों को एक लोहे की जंजीर के रूप में देखते हैं जिसे जब कभी तोड़ने का अवसर आये, तोड़ा जाना चाहिए। मैं जानता हूँ कि यह एक मूलभूत परिवर्तन है। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि मूल अधिकारों को मानो कि उनका कोई महत्व नहीं है। अपमान के साथ मानने का यह दृष्टिकोण ही उनको किसी भी समय बहुमत की सुविधानुसार अथवा पार्टी प्रमुख की इच्छा से बदला जा सकता है, वह दृष्टिकोण है जिससे भविष्य में कुछ भयानक परिणाम निकल सकते हैं। और मैं इसलिए बहुत दुखी महसूस करता हूँ कि यहाँ तक कि इस किस्म का मामला अर्थात् मूल अधिकारों का उल्लंघन या उनमें परिवर्तन सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा इस प्रकार माना जा रहा है मानो यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण बात नहीं है।

ऐसा सुझाव दिया जाना प्रतीत होता है कि जिन लोगों ने संविधान की रचना की थी उन्हें कोई अनुभव नहीं था कि मूल अधिकार लचीले होने चाहिए, उनमें प्रगतिशील परिवर्तन की पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए। महोदय, मसौदा समिति का सभापति होने के नाते मुझे ऐसे किसी सुझाव को छोड़ देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो मूल अधिकारों को पढ़ता है जैसे कि संविधान में अधिनियमित किये गये हैं उसे यह ज्ञात होगा कि प्रत्येक मूल अधिकार का एक अपवाद है। यह कहता है, कोई बात अंतर्विष्ट होते हुए भी राज्य उन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। हम इस तथ्य से पूर्णतः अवगत थे कि मूल अधिकार सख्त नहीं होने चाहिए, उनमें लचीलापन होना चाहिए और हमने पर्याप्त नम्यता उपलब्ध कराई।

अनुच्छेद 31 जिसके सम्बन्ध में हम इस संशोधन विधेयक में विचार कर रहे हैं वह एक ऐसा अनुच्छेद है जिसके विषय में मैं और मसौदा समिति कुछ भी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। उसके लिए हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। वह हमारा मसौदा नहीं है, परिणाम यह हुआ कि जिस समय अनुच्छेद 31 तैयार किया जा रहा था, कॉंग्रेस पार्टी खुद आपस में इतनी बटी हुई थी कि हम यह नहीं जानते थे कि क्या किया जाये, कौन सी बात रखी जाये और कौन–सी न रखी जाये। कॉंग्रेस पार्टी के तीन भाग थे। एक भाग का नेतृत्व सरकार बल्लभ भाई पटेल कर रहे थे जो पूर्ण प्रतिकर के लिए अड़े हुए थे। पूर्ण प्रतिकर का अर्थ है भूमि अर्जन अधिनियम में जो

अधिनियमित है, अर्थात् बाजार मूल्य तथा 15 प्रतिशत प्रतिकर। यह उनके विचार में था। हमारे प्रधान मंत्री प्रतिकर के विरुद्ध थे। हमारे मित्र, श्री पंत ने, जो अब यहाँ हैं– और मुझे उन्हें यहाँ देखकर प्रसन्नता है– अपने जमींदारी उन्मूलन विधेयक की संविधान से पहले कल्पना की थी, उसे अभी तैयार किया जा रहा है। वे चाहते थे कि उनका विधेयक आसानी से पारित हो जाये। यह उनकी निजी समस्या थी। अतः यह तीन तरफा लड़ाई थी। और हमने इस समस्या को उनके ऊपर ही छोड़ दिया था कि वे इसे जैसे चाहे सुलझा लें। अनुच्छेद 31 के सम्बन्ध में उनका जो भी निर्णय था उन्होंने उसे केवल मूर्तरूप दिया। मेरे निर्णय के अनुसार अनुच्छेद 31 बहुत अशुभ बात है, और वह ऐसी बात है जिसे मैं देखना नहीं चाहता हूँ। यदि मैं ऐसा कह सकता हूँ और मैं ऐसा कुछ गर्व के साथ कहता हूँ कि जो संविधान देश को दिया गया है वह एक अनोखा संविधान है। ऐसा केवल मैंने ही नहीं कहा बल्कि बहुत लोगों तथा संविधान के बहुत से छात्रों ने कहा है। यह बहुत साधारण तथा बहुत ही आसान है। बहुत से प्रकाशनों ने मुझ से संविधान पर टीका लिखने के लिए कहा है और इसके लिए भारी धनराशि देने का भी वचन दिया है। लेकिन मैंने उनसे हमेशा कहा है कि संविधान पर टीका लिखना इस बात को मान्यता देना है कि संविधान खराब है और यह ऐसा है जिसे समझ पाना कठिन है। ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो अंग्रेजी जानता है वह संविधान को समझ सकता है। अतः टीका आवश्यक नहीं है।

डॉ. अनूप सिंह (पंजाब) : पिछली बार जब आप बोले थे आपने कहा था कि मैं संविधान को जला दूंगा।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : क्या आप उसका उत्तर चाहते हैं? मैं यहाँ आपको उसका सही जवाब दूंगा।

मेरे मित्र कहते हैं कि पिछली बार जब मैं बोला था तो मैंने कहा था कि मैं संविधान को जला दूंगा। ठीक है, जल्दी में मैंने इसके कारण को नहीं बताया था। अब मेरे मित्र ने मुझे अवसर दिया है, इसलिए मैं इसके संबंध में कारण बताऊंगा। कारण यह है कि हमने भगवान के आने तक तथा रहने के लिए मंदिर बनाया था लेकिन उसमें भगवान की प्राण–प्रतिष्ठा होने से पहले ही शैतान ने उस पर कब्जा कर लिया, हम मंदिर को तोड़ने के अलावा क्या कर सकते थे। हम यह नहीं चाहते थे कि इस पर असुरों का कब्जा हो। हम यह चाहते थे कि इस पर देवी–देवताओं का कब्जा हो। यही कारण था जिससे मैंने कहा था कि मैं इस संविधान को जला दूंगा।

श्री बी. के. पी. सिन्हा (बिहार) : मंदिर की अपेक्षा शैतान का विनाश कीजिए।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारे में ऐसा करने

की शक्ति नहीं है। यदि आप शतपथ ब्राह्मण के बारे में पढ़ेंगे तो आप यह देखेंगे कि सुरों को हमेशा असुरों ने परास्त किया है। और असुरों ने उस अमृत पर कब्जा कर लिया था जिसे युद्ध में जीवित रहने के लिए देवताओं को उनसे छीनकर अपने पास रखना था। महोदय, अब, मेरी बात में व्यवधान डाला जा रहा है।

माननीय उपसभापति : आपको........... में डाला जा रहा है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : उन सभी प्रकार की बातों में जिनको मैं लेना नहीं चाहता हूँ।

मैं यह कह रहा था कि अनुच्छेद 31 एक ऐसा अनुच्छेद था जिसके सम्बन्ध में हम उत्तरदायी नहीं थे। फिर भी हमने उस अनुच्छेद को उतना लचीला बनाया है जितना कि हम प्रतिकर के मामले में इसे बना सकते थे। यदि सदन के सदस्य समवर्ती सूची की प्रविष्ट 42 को देखें और इसकी तुलना भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 299 से करें तो उनको यह पता चलेगा कि प्रारूपण समिति ने उपबंध को कितना लचीला बना दिया है। भारत सरकार अधिनियम की धारा 299 में जो प्रतिकर के प्रश्न को प्रभावित करती है निम्नलिखित संघटकों की व्याख्या की गई है। उनमें से एक संघटक यह था कि पूर्ण प्रतिकर होना चाहिए जिसमें उनका निःसंदेह प्रतिप्राय भूमि अर्जन अधिनियम की शर्तों के अनुसार प्रतिकर था। दूसरा संघटक कहता है कि प्रतिकर का भुगतान किया जाना चाहिए और यह कब्जे से पहले नकद दिया जाना चाहिए। यह उपबंध भारत सरकार के अधिनियम, 1935 में था। उस उपबंध को देखिये जिसे हमने समवर्ती सूची की प्रविष्टि 42 में किया है। मेरा यह विश्वास है कि सदस्यगण उस उपबंध से यह समझेंगे कि प्रतिकर के निर्णय का प्राधिकार राज्य विधानमंडलों तथा संसद दोनों को दिया गया है और हमने ऐसा क्यों किया, इसका कारण बहुत साधारण था। इसका कारण यह था कि हमने सोचा था, यदि प्रतिकर को सूची–एक और सूची–दो में बांटा जाये ताकि केन्द्र ऐसे अर्जन के मामले में उतना प्रतिकर निर्धारित कर सके जितना वह करना चाहे और प्रान्त या राज्य भी उतना प्रतिकर निर्धारित कर सके जितना निर्धारित करना वे उचित समझें। इसके परिणाम–स्वरूप देश में पूर्ण अव्यवस्था होती और यह कि इसमें कुछ हद तक एक रूपता होनी चाहिए। इसलिए राज्यों को प्रतिकर के संबंध में नियम बनाने के लिए प्राधिकार देते समय हमने संसद को भी प्राधिकार दिया था ताकि संसद एक साधारण कानून बना सकें जो सम्पूर्ण भारत पर लागू होगा और जो राज्य के किसी भी ऐसे कानून को हटा सके जो पक्षपात पूर्ण हो। इसी कारण हमने इसे समवर्ती सूची में रखा था हमने जो उपबंध किया है वह क्या है? हमने यह कहा था कि यह आवश्यक नहीं है कि सरकार को सम्पत्ति के अर्जन के लिए वास्तविक प्रतिकर देना

चाहिए। हमने ऐसा नहीं कहा था। हमने कहा था कि ''प्रतिकर'' दिया जाये न कि ''भुगतान'' किया जाये ताकि केन्द्र और राज्य सरकारों को प्रतिकर वास्तविक रूप से भुगतान किये बगैर सम्पत्ति का अर्जन करने की छूट रहे।

हमने भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 299 और प्रविष्टि 42 के मध्य जो अन्तर किया है वह यह है कि प्रतिकर किसी भी प्रकार का हो सकता है जिसे संसद या राज्य विधानमंडल दोनों में से कोई एक या दोनों प्रतिकर को पेपर बॉड, नकद प्रमाणपत्र या वे जिस प्रकार देना चाहे, देने के लिए कानून द्वारा निर्धारित कर सकते हैं, या यदि वे चाहे तो इसका नकद भुगतान भी कर सकते हैं। हमने यह भी कहा है कि यद्यपि संसद वास्तव में प्रतिकर निर्धारित नहीं कर सकती है। यह केवल मुआवजे के सम्बन्ध में नियम निर्धारित कर सकती है ताकि यदि कोई कानून पास किया जाता है जिसमें कोई विशिष्ट रूप से यह कहते हुए कोई खण्ड नहीं होगा कि प्रतिकर कितना होना चाहिए अपितु केवल नियम और सिद्धांत निर्धारित करना ही सम्पत्ति का कब्जा लेने और इसका अर्जन करने के लिए सरकार के लिए पर्याप्त होगा। महोदय अब मैं इस सदन के सदस्यों से पूछना चाहूँगा कि यदि वे ऐसे किसी संविधान के बारे में बता सकते हैं जिसमें सम्पत्ति अर्जित करने के सम्बन्ध में कोई ऐसी सरल प्रक्रिया है जितनी हमारे संविधान में है। क्या कोई सदस्य मुझे यह बता सकता है कि कोई दूसरा संविधान है जो सरकार को जनता के उद्देश्य के लिए सम्पत्ति अर्जित करने के लिए अधिक सुसविधाएं उपलब्ध करता है? अब इस सब सुविधा के होते हुए क्या ऐसे मामलों के सम्बन्ध में सरकार के लिए कोई प्रस्ताव लाना आवश्यक है जिसमें उसे कोई प्रतिकर नहीं देना होगा? उनको वर्तमान पीढ़ी पर पूरा बोझ डालने की आवश्यकता नहीं है। उनसे यह कहने के लिए पूछा नहीं गया है कि वे बांड जिन्हें जारी कर सकेंगे, वापस लेने योग्य होने चाहिए। वे उन्हें वापिस लेने योग्य बना सकते हैं। फिर भी उन्हें इस संबंध में यह कहने की आवश्यकता है कि बांड पर कुछ ब्याज दिया जाये जैसा कि प्रत्येक कर्जदार ऐसा करने के लिए सहमत होता है और हर ऋणदाता लेता है। यहाँ तक कि बहुत उतावले समाजवादी कैसे और यह क्यों कहें, ''ठीक है, हम प्रतिकर का भुगतान नहीं करेंगे'' मैं यह नहीं समझता हूँ। मेरी राय में तीन रास्ते हैं जिनहें माना जाना चाहिए। पहला रास्ता यह है कि पूरा प्रतिकर दिया जाना चाहिए, दूसरे के अनुसार कोई प्रतिकर नहीं दिया जाना चाहिए और तीसरे के अनुसार प्रतिकर दिया जाना चाहिए जितना कानून द्वारा निर्धारित किया जाये। मैं उन लोगों से इस सम्बन्ध में पूर्णतया सहमत हूँ जो यह सोचते हैं कि भूमि अर्जन अधिनियम की शर्तों के अनुसार पूरा प्रतिकर स्वीकार करना संभव नहीं है। मैं इस बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि यदि पूरे प्रतिकर से भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन निर्धारित नियमों द्वारा निर्धारित प्रतिकर अभिप्रेत है, तो मैं सरकार का साथ देने के

लिए बिल्कुल तैयार हूँ और मैं यह कहता हूँ कि यह एक असम्भव प्रस्ताव है जिसे हमें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अब इस स्थिति में सदन का ध्यान इस तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा कि हम ही वे लोग नहीं है जो समाजवाद लाना चाहते हैं। समाजवाद का अर्थ क्या है कोई नहीं बता सकता। यह प्रधानमंत्री का समाजवाद है, जिसके सम्बन्ध में उन्होंने खुद यह कहा था कि वे इसकी परिभाषा नहीं कर सकते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का भी समाजवाद है; वे यह नहीं जानते हैं कि समाजवाद क्या है। और यहाँ तक कि कम्यूनिस्ट अर्थात् साम्यवादी भी.....

श्री एस. एन. द्विवेदी (उड़ीसा) : आप दोनों को नहीं जानते हैं।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं समाजवादी नहीं हूँ।

श्री एस. एन. द्विवेदी : आप यह न जानते हुए भी कि समाजवाद क्या है, इसकी आलोचना करना चाहते हैं।

माननीय उपसभापति : व्यवस्था बनाये रखें, आप अपनी बात जारी रखें।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यहाँ तक कि वामपंथी भी कहते हैं कि उनका अपना समाजवाद है और मैं यह जानना चाहता हूँ कि तो वे अपने आप को वामपंथी क्यों कहते हैं यदि वे केवल समाजवादी हैं। यह सभी प्रकार की दहशत को समाप्त कर देगा जो ''साम्यवाद'' शब्द बहुत से लोगों के लिए है और वे आंध्रा में आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं; यदि वे नाम में परिवर्तन कर लें। मैं अपने मित्र श्री पंत से जो कुछ कहना चाहता था वह यह है—मैं आशा करता हूँ कि वे मेरी बात सुन रहे हैं।

माननीय उपसभापति : वस्तुतः वे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं उनसे जो कहना चाहता था वह बहुत मजेदार है। जिस किसी व्यक्ति ने युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटिश पार्टी के विधायी कार्यक्रमों का अध्ययन किया है, वे यह देखेंगे कि लेबर पार्टी ने वर्ष 1945 में प्रकाशित ट्रेड यूनियन कांग्रेस की रिपार्ट के अनुसार विभिन्न उद्योगों और रेलवे सहित विभिन्न प्रकार की सेवाओं और यहाँ तक कि बैंक ऑफ इंग्लैण्ड का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। मैं यह नहीं समझ सका कि लेबर पार्टी ने बैंक ऑफ इंग्लैण्ड का राष्ट्रीयकरण करके उसके कार्यकरण में कितना परिवर्तन किया है। मैं मुद्रा का छात्र हूँ और मुझे बैंक ऑफ इंग्लैण्ड के बारे में कुछ जानकारी है लेकिन वहाँ यह है कि उन्होंने वहाँ ऐसा किया। लेकिन मैं अपने मित्र श्री पंत से जो कहना चाहता था, यह है कि जहाँ भी लेबर पार्टी ने राष्ट्रीयकरण किया है। उसने पूरा प्रतिकर दिया है—पूरा.................। यह कहना पड़ता है कि जितना अर्जन किया है उनके हिस्सों का बाजार मूल्य दिया है। इसलिए प्रतिकर के भुगतान

से राष्ट्रीयकरण के रास्ते में कोई रूकावट नहीं आ सकती। लेकिन जैसाकि मैंने कहा था मैं उस प्रस्ताव के लिए बिल्कुल तैयार हूँ क्योंकि हिस्सों का मूल्य निवेश की गई शेयर पूंजी के बिल्कुल मुनीसिव नहीं है। यह विभिन्न प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों के कारण है। यह एक ऐसा सामाजिक कारण है जिससे शेयरों के मूल्य में वृद्धि हुई है और इसका कोई कारण नहीं है कि एक निजी अंशधारक को स्वयं अपना सामाजिक मूल्य अलग रखने का अधिकार होना चाहिए जो अपने शेयरों के मूल्य का एक भाग बन गया है। मैं यह भी नहीं समझता हूँ 'कि कोई प्रतिकर नहीं' सिद्धांत को कैसे समर्थन दिया जा सकता है। रूस में सरकार कोई प्रतिकर नहीं देती, यह सच है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि रूस की सरकार—लोगों को रोजगार देने, उन्हें रोटी देने, उन्हें कपड़ा देने, उन्हें घर देने, उन्हें परिश्रमी बनाने तथा सभी प्रकार की मानव सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है। यदि सरकार उन लोगों का पेट भरने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती है, जिनको सरकार ने प्रतिकर से वंचित किया है, तब वस्तुतः उन परिस्थितियों में कोई प्रतिकर नहीं दिया जायेगा यह सिद्धांत वैध है। आप प्रतिकर क्यों चाहते हैं? प्रतिकर केवल इसलिए आवश्यक है कि सरकार ने किसी व्यक्ति को उसकी आजीविका कमाने के साधनों से वंचित कर दिया है। आप किसी व्यक्ति को उसकी जीविका के साधनों से वंचित नहीं कर सकते हैं और उसी समय यह नहीं कह सकते हैं "जाओ और अपना भरण—पोषण स्वयं करो" तो ठीक मेरी राय में, यह सिद्धांत बहुत ही बर्बर है। इसलिए इसे स्वीकार करना संभव नहीं है। लेकिन हम उस सिद्धांत को क्यों नहीं स्वीकार कर सकते हैं कि प्रतिकर से सिर्फ यह अभिप्रेत है कि वह प्रतिकर, जो संसद के कानून द्वारा निर्धारित किया गया है? क्यों नहीं? इसका अभिप्राय यह नहीं है कि संसद भूमि अर्जन अधिनियम की शर्तों के अनुसार ही कानून बनायेगी। आप भूमि अर्जन अधिनियम को निरस्त भी कर सकते हैं। आपको ऐसा करने का अधिकार है क्योंकि यह संसद और राज्य विधानमंडलों दोनों के क्षेत्राधिकार में है। यह नया भूमि अर्जन अधिनियम बना सकती है और उसमें नये सिद्धांत रख सकती है। ऐसा करने में कोई हानि नहीं है और इसके करने में कोई परेशानी नहीं है। यदि आप वैसा करते हैं ठीक है, किसी भी व्यक्ति को शिकायत करने का अधिकार नहीं हो सकता क्योंकि जब आप कानून द्वारा प्रतिकर निर्धारित करने के लिए इस प्रकार का उपाय कर सकते हैं, सदन के सभी भागों को जो कुछ वे कहना चाहते हैं उन्हें वह कहने का अधिकार होगा। यह सामूहिक समझौते के परिणामस्वरूप होगा। यदि एक संसद कुछ सिद्धांतों को अच्छा मानती है और दूसरी संसद यह मानती है कि वे सिद्धांत खराब हैं, संसद उन्हें बदल सकती है। लेकिन यह सब किया जाना चाहिए और यह संसद द्वारा ही किया जा सकता है। इसलिए मेरा संसद को यह सुझाव है कि इस प्रकार के विधेयक लाने की अपेक्षा एक सुस्पष्ट विधेयक लाया जाये और जैसाकि मैं बाद में एक

बहुत छोटी बात को वास्तव में दिखाने जा रहा हूँ, इसकी लाश बिना रोये, और बिना गीत गाये ले जानी चाहिए और इसके ऊपर किसी व्यक्ति को चिल्लाना नहीं चाहिए। मैं इसके ऊपर चिल्लाने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इससे कुछ अच्छा नहीं होने वाला है या इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला, जैसाकि मैं दिखाऊंगा। इसलिए मेरा सरकार को यह सुझाव था कि इन मूल अधिकारों का समय–समय पर अतिक्रमण करने की अपेक्षा, यह बहुत अच्छा है कि संसद को प्रतिकर निर्धारित करने के लिए हमेशा के लिए शक्ति प्रदान की जाये। संविधान में समय–समय पर काट–छांट करना बुरी बात है। मैंने ऐसा पिछली बार कहा था लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि सरकार ने इस ओर कोई ध्यान दिया है। मैं फिर उसी चेतावनी को दोहराना चाहूँगा और मैं कुछ कारण बताना चाहूँगा कि संविधान में इतनी आसानी से संशोधन और उसमें रद्दोबदल क्यों किया जाये। कोई भी व्यक्ति जो, सभाओं के कानूनों की व्याख्या करने में संदर्भ है और सांविधिक नियमों की व्याख्या करने के लिए निर्धारित नियम हैं वे यह याद दिलायेंगे कि व्याख्या करने के प्रसिद्ध नियम हैं जिसे आश्चर्य चकित निर्शाभद (स्टेअर डेसीसिस) कहते हैं और उसका अर्थ यह है कि जब सभाओं ने बहुत ही एक रूप भावना से बहुत वर्षों के लिए कोई व्याख्या दी है और बहुत वर्षों के पश्चात् कोई विधिवक्ता आगे आता है सभा को यह सहमत कर देता है कि वर्तमान व्याख्या गलत है और इसमें परिवर्तन होना चाहिए सभा कहती है कि वे ऐसा नहीं करेंगे यद्यपि वे इसके लिए सहमत है कि व्याख्या गलत है। न्यायालयों ने निर्णीतानुसरण सिद्धांत को क्यों अपना लिया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। कोर्ट कहता हैः–

''हमने जो कुछ भी सही या गलत व्याख्या की है, वह अब महत्वपूर्ण बात नहीं है। इसका एक मामूली सा कारण यह है कि बहुत से लोगों ने हमारी व्याख्या के अनुसार सदैव ही सही कानून होने के नाते कार्य किया है, उत्तरदायित्व निभाना है, अधिकारों को प्राप्त किया है। अब यह कहें कि ये सभी उत्तरदायित्व और अधिकार गलती से प्राप्त किये गए हैं। इससे समाज में बिखराव आ जायेगा। इसलिए गलती को ही जारी रहने दिया जाये।''

यह दृष्टिकोण न्यायालयों ने अपनाया है। मेरे विचार में भी इसी कारण से, संविधान में निरन्तर संशोधन क्यों नहीं किया जाना चाहिए। लोग यह जानते हैं कि संविधान में कुछ नियम, बाध्यताएं अन्तर्विष्ट हैं और उनके अनुसार लोग अपनी संविदाएं करते हैं वे भविष्य के लिए अपनी योजनाएं बनाते हैं। इसलिए प्रति वर्ष इन मूल्यों में गड़बड़ करना ठीक नहीं है। यही कारण है कि मैं यह कहता हूँ कि संविधान में इतनी आसानी से और बार–बार संशोधन नहीं किये जाने चाहिए। मैं यह नहीं जानता हूँ कि क्या सरकार इस बात को सुनेगी, कदाचित नहीं।

श्री ताजमुल हुसैन (बिहार) : वे क्यों सुने?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : ठीक है, महोदय, यह एक आदत है। जब किसी गाय को किसी दूसरे व्यक्ति के खेत में घुसने की आदत हो जाती है, आप नैतिकता से उसकी आदत को बदल नहीं सकते हैं। यह आदत है।

माननीय उपसभापित : बोलते जाइए, बोलते जाइए।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : दूसरे देशों में जब कभी संविधान के किसी खण्ड की न्यायपालिका द्वारा उस ढंग से व्याख्या की जाती है। जिसे सरकार नहीं चाहती है तो सरकार सहमति दे देती है, सरकार न्यायालय के निर्णय को उलटना नहीं चाहती है। अपने देश में हमने एक अलग मनोवृत्ति पैदा कर दी है। हमारी मनोवृत्ति ऐसी है कि यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हमारी पसंद का निर्णय नहीं देते हैं तो इस निर्णय को बाहर फेंक सकते हैं। यहाँ ऐसा है। मुझे उच्चतम न्यायालय के व्यवहार से तो कुछ खुशी है। थोड़े समय में ही जब यह अस्तित्व में आया है, मैं उच्चतम न्यायालय के कुछ अलग–अलग चरण देखता हूँ। बीमार होने के कारण पिछले दो या तीन वर्षों से मैं उच्चतम न्यायालय में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं उस से संपर्क बनाये रख रहा हूँ जो कुछ न्यायालय में हो रहा है। मुझे याद है कि उच्चतम न्यायालय ने अपनी शक्तियों के अनुसार सबसे पहले यह घोषणा की या घोषणा करने का साहस किया कि भारतीय दंड संहिता की कुछ धारा शक्तिबाह्य है। हमारी सरकार ने एकदम प्रतिक्रिया की और यह घोषणा करने के लिए एक संशोधन लायी कि उच्चतम न्यायालय की व्याख्या गलत है।

(व्यवधान)

माननीय सभापति : हमें उच्चतम न्यायालय पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं आशा करता हूँ कि उन अनवरत संशोधनों के होते हुए भी जिनकी सरकार लाने की इच्छुक प्रतीत होती है, इस बात के बावजूद कि सरकार क्या कह सकती है, उच्चतम न्यायालय अपना स्वतंत्र निर्णय देना जारी रखेगा। मुझे नहीं लगता कि उच्चतम न्यायालयों ने कोई ऐसा निर्णय दिया है जिसके बारे में कोई व्यक्ति यह कह सकता है कि यह इस संविधान के शब्दों के अनुरूप नहीं है।

महोदय, अब मैं विधेयक के विभिन्न खण्डों पर विचार करूंगा। पहला खण्ड खण्ड–2 है। विधेयक का यह खण्ड–2 मूल अनुच्छेद 31 के खण्ड (2) को दो भागों में विभाजित करता है। वे भाग हैं खण्ड (2) और खण्ड (2क)। खण्ड (2) के सम्बन्ध में किसी ने

कुछ नहीं कहना है क्योंकि इसमें केवल मूल खण्ड (2) में अन्तर्विष्ट शब्दों, शब्दावली को कुछ कम करके दोबारा रखा गया है। इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन खण्ड (2क) एक नई चीज है और इसकी सावधानी से जांच की जानी चाहिए। सबसे पहली बात है कि मैं इस खण्ड का अर्थ ही नहीं समझ सका हूँ। इसकी प्रधानमंत्री महोदय ने भी व्याख्या नहीं की है। और माननीय मित्र गृहमंत्री जी से भी इसकी कोई व्याख्या प्राप्त नहीं हुई है। इसे सही रूप से क्या कहने के लिए रखा गया है? यह एक रहस्यमय किस्म का खण्ड है, वह रहस्य छिपाया गया है। मुझे इस खण्ड (2क) का विश्लेषण करने दीजिए। यह क्या कहता है? संशोधन विधेयक में जो भाषा प्रयुक्त की गई है, उसको साधारण भाषा में इसे रखना, उस भाषा से बिल्कुल भिन्न है जो खण्ड में प्रयोग की गई है। ऐसा प्रतीत होता है। यदि सरकार किसी संपत्ति के स्वामित्व को खरीदती है तो वह उसके अर्जन के समान होगा और सरकार को अनुच्छेद 31 के अनुसार पूरा प्रतिकर देना होगा। यदि सरकार स्वामित्व खरीदना चाहती है तो यह अर्जन के बराबर है और सरकार प्रतिकर देने के लिए बाध्य होगी। दूसरी बात यह है कि यदि सरकार किसी सम्पत्ति का कब्जा लेती है तो कब्जा लेना भी अर्जन की कोटि में आएगा और सरकार प्रतिकर देने के लिए बाध्य होगी। दूसरी बात यह है कि यदि सरकार किसी सम्पत्ति का कब्जा लेती है तो कब्जा लेना भी अर्जन की कोटि में आएगा और सरकार अनुच्छेद 31 की शर्तों के अनुसार प्रतिकर देने के लिए बाध्य होगी।

विधेयक के खण्ड में यही कहा गया हैः यह क्या है जो अर्जन के बराबर नहीं होगा? यह क्या है इसे छोड़ दिया गया है जिसे सरकार कर सकती है। और करना चाहती है तथा अब भी प्रतिकर से बचती है? यदि स्वामित्व प्राप्त करती है तो यह कहा जाता है वह प्रतिकर का भुगतान करेगी; यदि वह कब्जा लेती है तो यह खण्ड कहता है, इसे प्रतिकर का भुगतान करना होगा क्योंकि ऐसा करना अर्जन के बराबर होगा।

श्री ताजमुल हुसैन : शोलापुर के मामले में क्या है? यह मामलों में सुधार करने के लिए केवल अस्थायी कब्जा था।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : वह निर्णय यहाँ मेरे पास है मै इस पर आऊंगा।

ऐसा प्रतीत होता है कि केवल वह मामला जो इन दो मामलों–स्वामित्व का और कब्जे का अर्जन से अलग होगा, और वह लाइसेंस को रद्द करने का मामला है क्योंकि जब आप किसी लाइसेंस को रद्द करते हैं आप स्वामित्व का अर्जन नहीं करते हैं। और आप कब्जा नहीं लेते हैं और इसलिए लाइसेंस के रद्द होने के कारण आप प्रतिकर देने के लिए दायी नहीं बनते हैं। इस खण्ड का अभिप्राय यही है। मेरी कामना है कि यह सकारात्मक शब्दों में कहा गया जाता कि निम्नलिखित मामलों में सरकार प्रतिकर का भुगतान नहीं करेगी लेकिन अन्य तरीके से रखने पर

इस खण्ड के वास्तविक अर्थ को पाठकों की दृष्टि से छिपाया गया है। यदि मेरी व्याख्या सही है तब खण्ड का क्या करने का आशय है, वह सरकार को प्रतिकर के भुगतान के दायित्व से छूट देना है जब कभी यह किसी लाइसेंस को रद्द करे। क्या वह प्रतिकर भुगतान नहीं किये जाने का न्यायिक कारण है?

मुझे विश्वास है कि वह मामला जो मेरे माननीय मित्र श्री पंत के दिमाग में है और जो मेरे भी दिमाग में है वह बस मालिकों का है। बस मालिकों को मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत किसी मार्ग पर अपनी बसें चलाने के लिए लाइसेंस लेने पड़ते हैं। मेरे मित्र श्री पंत बहुत लोभी व्यक्ति हैं और वे बसों को चलाने का एकाधिकार अपने हाथ में लेना चाहते हैं और इसीलिए वे बस मालिकों को पसंद नहीं करते हैं। वे उन्हें बसें चलाने से कैसे रोक सकते हैं? उन्होंने लाइसेंसों को रद्द कराने की शक्ति प्राप्त करनी है। इसलिए वे उनके लाइसेंसों को रद्द करते हैं और उन मार्गों पर सरकारी बसों को लगाते हैं। जिस पर वे अपनी बसें चला रहे थे और साथ ही वे उन्हें कोई प्रतिकर नहीं देना चाहते हैं। मैं जो प्रश्न पूछना चाहता हूँ वह यह हैः क्या यह न्यायोचित या उचित प्रस्ताव है। मुझे सरकार द्वारा बसें चलाये जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह नहीं जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश में किराए इतने सस्ते कैसे हैं। क्या यह किराया निजी बसों की अपेक्षा सस्ता हैं।

श्री एच. पी. सक्सेना (उत्तर प्रदेश) : हाँ।

श्री ताजमुल हुसैन : और बेहतर है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं यह नहीं जानता हूँ कि क्या वे अच्छी सेवा देती हैं, संभवतया वे अच्छी सेवा देती है।

श्री ताजमुल हुसैन : हाँ, देती हैं, सरकारी बसें। हमेशा अच्छी सेवा देती हैं।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : लेकिन विचारणीय प्रश्न यह है; कई लोगों का निकाय इस विशिष्ट व्यवसाय में लगा है जो इस व्यवसाय से अपनी जीविका कमा रहे हैं। उन्होंने साज समान, बसों, कार्यशाला और अन्य आवश्यक वस्तुएं को खरीदने में बहुत बड़ी धन राशि निवेश कर दी है। आप अचानक जाकर कहते हैं ''अपना व्यवसाय बंद कर दीजिए, हम आपको व्यवसाय चलाने की अनुमति नहीं देंगे,'' इतने पर भी मैं इसे बुरा नहीं मानता लेकिन मैं अपने मित्र से जो प्रश्न पूछना चाहूँगा वह यह है, मेरे मित्र जो कुछ कर सकते हैं, वह यह है कि वे साज–समान खरीद सकते हैं क्योंकि वह साज–समान हमारे लिए सरकारी बसें चलाने के लिए उपयुक्त होगा। यदि ऐसा किया जाए और तब कहा जाए कि वे कोई अधिक प्रतिकर नहीं देने जा रहे हैं। क्योंकि साज–समान उस धनराशि से खरीदा गया है जिससे कि अपनी पसंद

का कोई अन्य धंधा कर सकते थे जो मेरे विचार से बिल्कुल न्याय–संगत प्रस्ताव होगा। लेकिन सरकार यह नहीं करना चाहती है। सरकारी बसें चलाने के लिए वे नई बसें खरीदने को प्राथमिकता देती हैं। मंत्री महोदय को अभी इसका जवाब देना है कि वे उन व्यक्ति से पुरानी बसें क्यों नहीं खरीदना चाहेंगे जिनके लाइसेंसों को उसने रद्द किया है। इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

माननीय सभापति : डॉ. अम्बेडकर, आपने लगभग एक घंटा ले लिया है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय हाँ, यह बिल्कुल सच है।

माननीय उपाध्यक्ष : कृपया जितनी जल्दी सम्भव हो समाप्त करें।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हाँ महोदय। मैं जो कह रहा था वह यह था कि इस प्रकार के मामलों में आदमी को उसकी जीविका के साधनों से वंचित करना और उसके साज–सामान के नुकसान के लिए प्रतिकर न देना गलत होगा। इस विषय में मैं कुछ तर्क सुनना चाहूँगा जो इस प्रकार के व्यवहार का औचित्य बताये। इसलिए मेरा अनुरोध है कि खण्ड (2क) विधान का पक्षपातपूर्ण भाग है। इसका न्याय निष्पक्षता और अच्छे व्यवहार से कोई सम्बन्ध नहीं है। जब तक मेरे मित्र कुछ समाधानप्रद स्पष्टीकरण नहीं देते हैं मैं उस खण्ड का विरोध करूंगा।

अब मैं संशोधन विधेयक के खण्ड 3 को लूंगा। मैं सबसे पहले यह कहना चाहूँगा कि खण्ड 3 में अन्तर्विष्ट उपबंध मेरी राय में अत्यधिक निरर्थक, तुच्छ और नीरस है और मैं यह नहीं जानता हूँ कि सरकार संविधान में इस खण्ड को शामिल करके क्या प्राप्त करने जा रही है। अब संशोधन विधेयक के खण्ड 3 में प्रस्तावित खण्ड (1) के उपखण्ड (छ), (ज) और (झ) के सम्बन्ध में मुझे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि इन खण्डों के अधीन कार्यवाही करके मैं यह नहीं देखता हूँ कि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान होने जा रहा है। अर्जन का सारांश यही है कि यह किसी व्यक्ति के हितों को नुकसान पहुंचाता है। मैं यह नहीं समझता हूँ कि इन उपखण्डों से किसी व्यक्ति को कोई नुकसान होगा और इसीलिए, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ कि इन मामलों में कोई प्रतिकर की आवश्यकता नहीं होगी।

लेकिन एक बात है जिसे इन उपखण्डों के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा और वह यह है कि यदि (छ), (ज) और (झ) इन उपखण्डों के अधीन कोई कार्यवाही की जाती है तो यह इस आधार पर ही होनी चाहिए जो लोक प्रयोजन को औचित्य पूर्ण ठहराते हैं। यह सरकार की ओर से केवल मनमानी कार्यवाही नहीं होनी चाहिए। यह एक सनक नहीं होनी चाहिए कि सरकार एक कम्पनी को दूसरी कम्पनी में मिलाना चाहती है या एक कम्पनी के प्रबंध को दूसरी कम्पनी को अंतरित करना चाहती है। ये खण्ड लोक प्रयोजन

के सिद्धांत के अनुसार होने चाहिए। यदि वे ऐसे हैं तो उनको कोई आपत्ति नहीं है।

अब दूसरे विधान खण्ड (क) पर आते हैं। इस संबंध मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह इसी रूप में रह सकता है।

खण्ड (ख) के संबंध में मैं यह नहीं जानता हूँ कि क्या (ख) का पहला भाग खण्ड (क) से भिन्न हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों एक जैसे हैं लेकिन मैं इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण चाहूँगा कि ''कृषि जोतों में किन्हीं अधिकारों में उपान्तरण'' से क्या अभिप्राय है। उसका क्या अभिप्राय है? इस सम्बन्ध में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। जहाँ तक मैं समझता हूँ किसान को चार अधिकारों की आवश्यकता है। पहला, काश्तकारी की सुरक्षा, जमींदार द्वारा बिना किसी उचित कारण के बेदखल नहीं किया जाना। दूसरा वह उस उचित लगान का भुगतान देने का दायी होना चाहिए जो, यदि आवश्यक हो तो न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाए। तीसरा उसे कृषिजोतों को अंतरित करने का अधिकार होना चाहिए। यदि वह अपनी कृषिजोत बेचना चाहता है तो उसे बेचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और भूस्वामी को उसके रास्ते में नहीं आना चाहिए। और चौथा यह वंशानुगत होनी चाहिए। इस संबंध में यह कहना है कि यदि वह मर जाता है तो उसके आश्रितों को जमीन पर दावा करने का अधिकार होना चाहिए। अब ये चार बातें हैं जो मेरे विचार से कृषि भूमि के काश्तकार के हित में है। मैं यह नहीं जानता हूँ कि संशोधन का स्वरूप क्या है और वे कौन से अधिकार हैं जिनमें वे संशोधन करना चाहते हैं। मेरे विचार से इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण आवश्यक है।

इसके बाद उपखण्ड (ग) पर आता हूँ जो कृषि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने से सम्बन्धित है। ठीक है जो कुछ मैं कह सकता हूँ वह यह है कि क्या इस विशिष्ट खण्ड का कोई वास्तविक परिणाम निकलेगा, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वह अधिकतम सीमा क्या है जो आप निर्धारित करने जा रहे हैं। यह समाजवादी पार्टी का एक निश्चित विचार है। वे चाहते हैं कि काश्तकार को भूमि की अधिकतम जोते निर्धारित करने के पश्चात् भूमि का वितरण किया जाना चाहिए।

माननीय उपसभापति : क्या इन मामलों को संयुक्त समिति की बैठक में उस समय नहीं लिया जाना है, जब वह मामले को चर्चा के लिए लेगी?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हो सकता है लेकिन प्रश्न यह है कि यह जानना आवश्यक है कि क्या ये बातें वास्तव में संविधान में शामिल किये जाने के लिए अच्छी हैं। मेरे मित्र श्री पंत जानते हैं क्योंकि वे उत्तर प्रदेश में भूधृतियों विषयक समिति के अध्यक्ष थे जिसके बारे में मैंने यह पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश में भूमि की अधिकतम सीमा ''रैयत'' के लिए लगभग दो एकड़ हैं और मुझे यह पता नहीं है कि भारत के किसी अन्य भाग में जहाँ रैयतवाड़ी विद्यमान है वहाँ जोत दो एकड़ से ज्यादा है। मैं

नहीं समझता हूँ कि आप कितनी अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकते हैं। इसलिए मुझे यह बिल्कुल व्यर्थ प्रतीत होता है।

दूसरी बात जिसके विषय में मैं कुछ हवाला देना चाहता हूँ वह यह है। यह कहती है कि अतिरिक्त भूमि राज्य को या अन्यथा अंतरित की जायेगी। मैं यह नहीं जानता हूँ कि ''अन्यथा'' का क्या अभिप्राय है, क्या इसका यह अभिप्राय है कि इसे किसी अन्य काश्तकार को दिया जाये; यह अर्थ हो सकता है। यदि हाँ, तो मैं चेतावनी का एक शब्द कहना चाहूँगा। मेरा यह विचार है कि देश में किसान स्वत्व से पूरा विनाश होने जा रहा है। हम क्या चाहते हैं– वह यह है यद्यपि मैं वामपंथी नहीं हूँ–रूस की सामूहिक खेती करने की पद्धति यही एक तरीका है जिससे हम अपनी कृषि समस्या को सुलझा सकते हैं। मेरे विचार में किसान स्वत्व पैदा करना और उन किसानों को भूमि सौंपना जिनके पास पैदा करने के साधन नहीं हैं।

श्री ताजमुल हुसैन : क्या उन्होंने ऐसा रूस में किया है?

माननीय उपसभापित : इसकी चिंता न करें , उन्होंने वहाँ का उदाहरण दिया है?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं समाजवादी, वामपंथी या अन्य किसी से भी सूचना लेने के लिए तैयार हूँ। मैं इसमें कोई बुरा नहीं समझता हूँ। जैसा कि बुद्ध ने कहा है कि कोई भी चीज अचूक नहीं है। कोई भी चीज अंतिम नहीं है और प्रत्येक वस्तु की जांच होनी चाहिए।

श्री ताजमुल हुसैन : इसलिए हम डॉ. अम्बेडकर द्वारा बनाये गये संविधान का संशोधन कर रहे हैं।

श्री एस. महंती (उड़ीसा) : और आपके द्वारा पारित।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अब खाली और बंजर भूमि के सम्बन्ध में। वह प्रस्ताव वास्तव में स्वागत योग्य प्रस्ताव है और मैं उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन मुझे यह देखना है कि यदि आप खाली भूमि का कब्जा प्रतिकर दिए बिना लेते हैं, क्या नगरपालिका इस अधिकार को क्रियान्वित करेगी क्योंकि मुझे डर है कि अधिकांश नगर पार्षद गंदी बस्तियों में रहने वालों के मित्र हैं और इसलिए वे इस अधिकार का निष्पादन नहीं करेंगे जब तक कि कुछ और नहीं किया जाता है।

अब प्रबंध के सम्बन्ध में जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ वह यह है। अधिकांश लोग यह महसूस नहीं करते हैं कि इसमें क्या शामिल है। यदि सरकार किसी मिल का प्रबंध इसलिए नहीं लेना चाहती क्योंकि इसका प्रबंध खराब है ऐसा करने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन प्रश्न यह है मान लीजिए सरकार का प्रबंध भी पिछले प्रबंध

की तुलना में उससे भी खराब हो जाता है और हानियाँ होती हैं, तो उन हानियों के लिए कौन उत्तरदायी होगा? मेरे विचार में, कुछ उपबंध किये जाने चाहिए। जहाँ तक भारत में राष्ट्रीयकृत उद्योगों का प्रश्न है, वे बहुत लाभदायक होते प्रतीत नहीं होते हैं। जैसा कि समाचार–पत्रों से पता चला है हमारे निगम ने एक वर्ष के भीतर हमें एक करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया है।

श्री एस. महंती : और लगभग 50 लाख रुपये।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं यह नहीं जानता कि दूसरे निगम क्या करेंगे।

लेकिन आप किसी व्यक्ति की संपत्ति का इसलिए अर्जन करते हैं क्योंकि इसका प्रबंध ठीक नहीं है और यह किसी सामाजिक कार्य के लिए ली जा रही हैं, आपको कुछ उपबंध अवश्य करने चाहिए कि जो कुछ नुकसान हो सकते हैं, उनको किसी व्यक्ति द्वारा पूरा किया जायेगा और वह उस वृद्ध व्यक्ति के सिर पर नहीं डाला जायेगा जो संपत्ति का मालिक था।

महोदय, अब एक शब्द खण्ड 5 के सम्बन्ध में। यह मुझे बहुत आपत्ति जनक प्रतीत होता है। खण्ड 5 के द्वारा हमें क्या करने के लिए कहा गया है। खण्ड 5 के द्वारा राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित कानूनों को संवैधानिक वैधता देने के लिए हमसे पूछा गया गया है। हमने उन कानूनों को नहीं देखा है। उन्हें परिचालित नहीं किया गया है; उन पर यहाँ वाद–विवाद नहीं हुआ है। और अब हमसे उनहें केवल संसद की संवैानिक शक्तियों को निष्पादित करने के लिए नहीं पूछा गया है बल्कि अधिनियम के अन्य खण्डों से उन्हें संवैधानिक प्रतिरक्षा देने के लिए भी कहा गया है। महोदय मेरे विचार से यह सदन के गौरव के लिए अपमानजनक है कि किसी राज्य द्वारा पारित उन कानूनों को वैध बनाने के लिए पूछा जाये जिन्हें हमने देखा भी नहीं है जिन पर विचार भी नहीं किया गया है। ऐसा करने के लिए सरकार के लिए यह उचित है कि इन विषयों को समवर्ती क्षेत्र में रखा जाए ताकि उन्हें संसद अपनी निहित शक्तियों द्वारा वैधता दे सके। लेकिन यह बहुत गलत बात है। क्योंकि हमने इसे पहले संशोधन में किया है जहाँ हमने संविधान में नौवीं अनुसूची जोड़ी थी। यह कोई कारण नहीं है हमें संविधान में इस अनियमितता को और भोंडेपन को क्यों बढ़ाना चाहिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ।

*****

(54)

राज्य पुनर्गठन विधेयक, 1956

***डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बंबई) :** उपसभापति महोदय, इस विधेयक के सम्बन्ध में वाद–विवाद के हंगामे का केन्द्र बिन्दु जैसा कि मुझे समाचार–पत्रों से पता चलता है, बंबई शहर को दी गई स्थिति है। जैसाकि विधेयक से स्पष्ट है, यह शहर जो इस देश के नागरिक मामलों में प्रमुख शहर था इसके स्तर को घटाकर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के स्तर का कर दिया हैं जो हमारे संविधान में भारत के संघ राज्यक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। उसका अभिप्राय यह है कि इन संघ राज्य क्षेत्र और अब बंबई शहर के लिए कोई विधानमंडल या कार्यपालिका नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति अपने विशाल सपनों में भी इस प्रकार के पागलपन की बात नहीं सोच सकता। जो शहर भारत का प्रमुख शहर रखा है, जिससे भारत ने राजनीति सीखी हो, अब उसका स्तर लक्षद्वीप और मालद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जैसा बना दिया है मुझे भरोसा है कि जिस सरकार ने इस प्रस्ताव को प्रोत्साहन दिया है उसके सम्बन्ध में उसके पास उस निर्णय को लेने के पक्के तथा अकाट्य कारण होंगे। बंबई शहर के लिए दावा करने के लिए संघर्ष रहा है। महाराष्ट्रियनों ने यह दावा किया है कि बम्बई शहर उनका है। हमारे गुजराती भाई भी हैं, मैं यह नहीं जानता हूँ कि वे किस आधार पर अपना दावा करते हैं लेकिन वे इस शहर पर सुविधा के आधार पर दावा करते हैं। वे कहते हैं कि वे शहर को महाराष्ट्रियनों के कब्जे में जाने की अनुमति नहीं देंगे और इसके लिए झगड़ा चल रहा है। श्री मोरारजी देसाई ने यह स्वीकार कर लिया है कि बंबई महाराष्ट्र का है। मैंने उनके भाषण को पढ़ा है जो उन्होंने गुजरात महाप्रदेश कांग्रेस में दिया था। और भी ऐसी बातें हैं जिन्हें उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने वक्तव्य में कहा था कि बंबई महाराष्ट्र का है। यदि ऐसा है तो मैं यह समझने में बिल्कुल असमर्थ हूँ कि बम्बई को महाराष्ट्र को दिये जाने में क्या आपत्ति हो सकती है। ब्रिटिश शासनकाल में जब नागरिकता एक समान थी कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता था और रह सकता था। तथा स्थानीय लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। उन परिस्थितियों में विभिन्न प्रान्तों के विभिन्न लोग अन्य प्रान्तों के शहरों में गये उन्होंने वहाँ अपनी दिलचस्पी पैदा की और वहीं पीढ़ियों तक रहे। लेकिन जो पुनर्विभाजन हम कर रहे हैं उससे मैंने मद्रास में कोई गैर–मद्रासी

---

* संसदीय वाद–विवाद, (राज्य सभा) खण्ड, 12–क–1956, 1 मई, 1956, पृ. 834–46

रहते हुए नहीं देखा और किसी ने मद्रास को तमिलियनों की देन के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की है। कलकत्ता भी उतना ही विश्वव्यापी शहर हैं जब मैं श्रम सदस्य था तो मैं प्रायः कलकत्ता वहाँ के श्रमिकों की दशा देखने के लिए जाया करता था। और मुझे यह पता चला कि बंगाल के लोग उन लोगों को ''बंगाली'' नहीं कहते थे जो कलकत्ता में रह रहे थे उनको वे ''कलकतिका'' कहते थे। ये ''कलकतियाँ'' है। उससे यह पता चलता है कि वे बंगाली जनसंख्या के अंग नहीं थे। और उनकी यहाँ भारी आबादी है। ऐसा होते हुए भी, हमारे मित्रों, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने कोई आपत्ति नहीं की है और न कलकतियों ने कलकत्ता को बंगालियों को दिये जाने के सम्बन्ध में कभी कोई आपत्ति की है। मेरा पहला प्रश्न मेरे मित्र श्री पंत से यह है कि यदि कलकत्ता बंगालियों को जा सकता है, और मद्रास तमिलों को जा सकता है तो बम्बई का महाराष्ट्रियनों को जाने में क्या आपत्ति है? मेरे विचार में यह एक मूल प्रश्न है जिसके विषय में महाराष्ट्रियनों को उन्हें संतुष्ट करना चाहिए। हाँ, यह कहा जाता है कि बम्बई में गुजराती आबादी है जो 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है। और यह कि वहाँ महाराष्ट्रियनों का भी बहुमत नहीं है। यह कहा जाता है कि यही कारण है जो बम्बई के ऊपर महाराष्ट्र के दावे को बिगाड़ देता है। मुझे आश्चर्य है कि इस देश में कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ विदेशी नागरिकों की आबादी 15 प्रतिशत नहीं है। और यह कहा जाता है कि तथ्यों के अनुसार बम्बई की स्थिति यह है कि वहाँ 15 प्रतिशत गुजराती हैं वह अजीब है। कोई भी व्यक्ति यह दिखाने के लिए कितने ही उदाहरण दे सकता है कि हमारे शहरों में हमेशा मिली–जुली बसती होती हैं। कोई भी शहर यह दावा नहीं कर सकता है कि वहाँ सबकी एक समान आबादी है। और यदि इस तथ्य के होते हुए दूसरे शहर पश्चिम बंगाल का होने का दावा कर सकते हैं। मैं यह समझने में बिल्कुल असमर्थ हूँ कि बंबई शहर को भी उसी प्रकार का दावा क्यों नहीं करना चाहिए। कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा है कि बंबई कभी महाराष्ट्र का नहीं था। मुझे उन लोगों की जानकारी पर आश्चर्य है। बंबई के पहले निवासी कौन थे? वे कोली, मछुआरे थे, और क्या मछुआरे यह कह सकते हैं कि वे महाराष्ट्रियन नहीं हैं? मैं यह चाहूँगा कि कोई व्यक्ति वहाँ जाये और जांच करके यह पता लगाये कि इस संबंध में कोलियों की क्या राय है जो महाराष्ट्र के मूल निवासी थे। यदि वे महिलाएं और पुरुष जिन्होंने यह ऊटपटांग आरोप लगाये हैं मैं उनकी विशेषताओं के बारे में थोड़ी जानकारी चाहता हूँ। मैं उनसे यह कहना चाहूँगा कि पुर्तगालियों के बम्बई पर कब्जा करने से भी पहले, बम्बई पर एक विधवा रानी लक्ष्मी बाई का कब्जा था और पुर्तगालियों ने इसे उससे किराये पर लिया था। यह पुर्तगालियों की भी नहीं थी। पुर्तगालियों ने इसे कभी नहीं जीता। उन्होंने इसे ले लिया। बेचारी रानी बाद में कुछ नहीं कर सकी। अंत में इसे अंग्रेजों को

चार्ल्स द्वितीय की पत्नी को दहेज में दे दिया गया। यह इतना छोटा था कि दहेज 10 पौंड से अधिक नहीं था। यह इसलिए था कि बंबई उस समय कुछ नहीं था, इसमें कुछ कोली रहते थे। मैं मूल बम्बई का मूल नक्शा अपने साथ लाया हूँ कि यह पुर्तगालियों से अंग्रेजों के पास कब गया। अतः ऐतिहासिक रूप से, भौगोलिक रूप से और तार्किक रूप से, मैंने जो तर्क दूसरे शहरों के बारे में दिये हैं मैं यह नहीं देख सकता हूँ कि कोई व्यक्ति महाराष्ट्रियनों के इस दावे पर कैसे झगड़ा कर सकता है कि बंबई उनका है।

वस्तुतः मेरे और महाराष्ट्रियनों की राय में भारी अंतर है। शेष महाराष्ट्रियन लोग बम्बई को संयुक्त महाराष्ट्रियन के भाग के रूप में चाहते हैं। अब मैं संयुक्त महाराष्ट्र के बहुत विरुद्ध हूँ। मैं यह समझता हूँ कि महाराष्ट्रियन लोग संयुक्त महाराष्ट्र क्यों चाहते हैं। और मुझे इसके बारे में विश्वास है कि भविष्य के इतिहास के दौरान हम उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे उत्तरी संघ राज्यक्षेत्रों में किसी भी क्षेत्र से झगड़ा नहीं करने जा रहे हैं। आप संयुक्त महाराष्ट्र क्यों चाहते हो? मैं महाराष्ट्रियनों के साथ हूँ कि बंबई महाराष्ट्र का है? इसके लिए मैं पूरी शक्ति से संघर्ष करूंगा। इस प्रश्न के संबंध में बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं हो सकता है। और इसीलिए मैंने यह सुझाव दिया था कि सरकार को बंबई को एक अलग शहर राज्य का दर्जा देना चाहिए और इसे ''महाराष्ट्र शहर–राज्य'' कहा जाना चाहिएः ताकि यह महाराष्ट्र का एक भाग बने और उसी समय इसे ''क'' श्रेणी राज्य का स्तर मिले। लेकिन चूंकि सरकार कुछ कारणों से जिन्हें समझना मेरे लिए बहुत कठिन है, बंबई शहर का दर्जा घटाकर निकोबार द्वीप समूह के बराबर करने जा रही है; मैंने उनसे अब सीधे कहा है कि मैं अपनी स्थिति को बदलता हूँ और उनसे शेष महाराष्ट्रियनों के साथ लड़ता हूँ। अब मैं महाराष्ट्र के बारे में जो कुछ कहना चाहता हूँ वह यही है।

इस प्रश्न के संबंध में कि बंबई शहर में महाराष्ट्रियनों का बहुमत नहीं है, मैं उस विचार को स्पष्ट करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि बहुत–सी गलतफहमियाँ हैं। आबादी के कुछ आंकड़ों का पता लगाया गया है जिनसे यह पता लगता है कि बम्बई में महाराष्ट्रियनों की आबादी 46 प्रतिशत या इसके आसपास है। इसलिए वे बहुमत में नहीं हैं। महोदय, यह एक पूर्ण गलतफहमी है। कोई भी व्यक्ति जो जनगणना के विषय में जानता है, जो आंकड़े जानता है और जो बंबई शहर के अनोखे आंकड़े जानता है वह उन आंकड़ों की ओर ध्यान नहीं देगा। जनगणना के आंकड़े किसी खास दिन की परिस्थिति का रिकार्ड होते हैं जिस दिन जनगणना की जाती है। इससे सामान्य परिस्थिति मालूम नहीं होती है। उस खास दिन घटी घटना का एक विशिष्ट घटना के रूप में लिया जाता है लेकिन यह बिल्कुल विशिष्ट नहीं है। दूसरी ओर नोट

किये जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बम्बई शहर उन शहरों में से एक शहर है जो दूसरे शहरों से वहाँ आकर बसने और बंबई छोड़कर दूसरे शहरों में चले जाने की शर्त के अनुसार है। दुर्भाग्यवश वर्ष 1941 में जिस समय नई जनगणना की गई थी अपने भ्रम को कम करने के विचार से भारत सरकार ने बाहर से बंबई में आकर बसने वाले और वहाँ से बाहर जाने वाले वर्ष 1931 के आंकड़ों को रद्द नहीं किया। उससे यह पता नहीं चलेगा कि बाहर से आकर बसने वालों और बाहर जाने वालों की स्थिति में क्या तीव्र परिवर्तन हुआ है? मैं यह नहीं समझता हूँ कि यहाँ तक कि गैर महाराष्ट्रियन आबादी जो बहुमत में प्रतीत होती है वहाँ स्थायी रूप से बहुमत में हैं। उनमें से अधिकांश लोग मौसमी मजदूरी के लिए आते हैं। यदि वे जनगणना वाले दिन वहाँ होते हैं तब उनकी उपस्थिति को बम्बई के निवासी के रूप में रिकार्ड कर लिया जाता है। दूसरे दिन वे अपने गाँव वापस चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जीविका के लिए पर्याप्त रूपया कमा लिया है। इन परिस्थितियों में क्या कोई व्यक्ति बंबई के नागरिकों की जनगणना के आंकड़ों को सही आंकड़े मान सकता है? मैं उस निष्कर्ष को बिल्कुल नहीं जानता हूँ। मैं जनगणना के आंकड़ों का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने उनका अच्छी तरह अध्ययन किया है। मैं जानता हूँ कि उनका क्या अर्थ है। इसलिए इन आंकड़ों से यह दावा करना कि महाराष्ट्रियनों की आबादी कम है यदि यह गलत नहीं तो पूर्णतः संदिग्ध है। इसका कोई महत्व नहीं है। इससे केवल यही पता चलता है कि उस विशिष्ट दिन क्या हुआ था जिस दिन जनगणना रिकार्ड की गई थी। अब मैं कह चुका हूँ कि मैं महाराष्ट्रियनों के बहुमत से सहमत नहीं हूँ, यदि मैं ऐसा कह सकता हूँ कि संयुक्त महाराष्ट्र होना चाहिए। मेरा दावा यह है कि वहाँ यह नहीं होना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश, राजस्थान और इन बड़े हिंदी भाषी प्रांतों के बारे में वही बात कहने जा रहा हूँ जो हमारे सामने बहुत धुंधले दिखाई देते रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश को उस रूप में अपने सामने खड़े हुए देखकर काँप जाता हूँ।

श्री एच. पी. सक्सेना (उत्तर प्रदेश) : भगवान आप की आत्मा की रक्षा करें।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरी आत्मा की रक्षा के लिए प्रार्थना न करें। मेरी आत्मा नहीं है। मैं बौद्ध हूँ। किसी व्यक्ति को मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करने का कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भगवान में विश्वास नहीं करता हूँ। मेरी आत्मा नहीं है। मैंने आपको इस कष्ट से मुक्त कर दिया है।

अब मुझे आश्चर्य है, मुझे यह कहना चाहिए कि आयोग को उत्तर प्रदेश को उसी रूप में रखना चाहिए था जिसमें वह है, राजस्थान को भी उसी रूप में रखना चाहिए था जिसमें वह है और विंध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश दोनों को मिलाकर–एक कर देना चाहिए था।

श्री के. एस. हेगड़े (मद्रास) : मध्य भारत।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसका क्या अभिप्राय है? मैंने थोड़ा हिसाब लगाया है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 1,14,323 वर्ग मील है। इसकी जनसंख्या 6,32,54,118 है। बिहार का क्षेत्रफल 70,368 वर्ग मील है। और इसकी जनसंख्या 4,02,18,916 है। मध्यप्रदेश का क्षेत्रफल 2,01,633 वर्ग मील है। इसकी आबादी 3,28,46,971 है। मैं यह जानता हूँ कि मुझे विदर्भ, राजस्थान के लिए कुछ काटना है। क्षेत्रफल 1,28,424 वर्ग मील है और जनसंख्या 1,52,97,979 है। कुल क्षेत्रफल 10 करोड़ वर्ग मील है और जनसंख्या लगभग 15 करोड़ है।

श्री टी. पांडे (उत्तर प्रदेश) : दस लाख वर्ग मील।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इससे मेरे तर्क में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।

मेरी राय में जिस प्रश्न पर विचार किये जाने की आवश्यकता है वह बहुत गम्भीर प्रश्न है। क्या हमें एक भाषा के लिए एक राज्य बनाना होगा या एक राज्य के लिए एक भाषा रखनी होगी? यदि इस प्रश्न के कोई राजनैतिक परिणाम नहीं थे तो कोई भी व्यक्ति इसके बारे में चिंता नहीं करता। लेकिन कठिनाई यह है कि इस प्रश्न के बहुत गंभीर राजनैतिक परिणाम हैं। संयुक्त राज्य में विभिन्न राज्यों की जनसंख्या अलग–अलग है। कुछ राज्यों में जनसंख्या कम है और कुछ राज्यों में ज्यादा है। लेकिन अमरीकी इसकी इस कारण से कोई परवाह नहीं करते क्योंकि राज्यों को बराबर के अधिकार हैं। निम्न सदन को वही अधिकार प्राप्त हैं जो उच्च सदन को प्राप्त हैं। और प्रत्येक राज्य को उच्च सदन में जनसंख्या को ध्यान में न रख कर बराबर प्रतिनिधित्व दिया गया है। सीनेट में उन्हें समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यहाँ क्या स्थिति है। हमारे संविधान में ऐसी समानता बिल्कुल नहीं है। प्रत्येक राज्य को बराबर अधिकार नहीं दिये गये हैं। और अपर चैम्बर को जहाँ तक वित्त का संबंध है कोई अधिकार नहीं दिये गये हैं। ऐसा हो सकता है कि उत्तरी क्षेत्र के राज्य किसी एक ऐसे मामले पर मिलकर एक हो जाएं जिस पर दक्षिणी राज्य सहमत न हों– इसकी बहुत सम्भावना है। ऐसा होने पर क्या होने की सम्भावना है? ऐसा होने पर, यदि मैं यह कहूँ, उत्तर प्रत्येक उस प्रस्ताव को रद्द करेगा जिसे दक्षिणी राज्य चाहते हैं। यदि ऐसा होता है तो मुझे डर है कि गृह युद्ध हो सकता है। मैं कुछ बढ़ा–चढ़ाकर भावनाओं को व्यक्त कर रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार की घटना घट चुकी है। ऐसा संयुक्त राज्य में हो चुका है। संयुक्त राज्य में गृहयुद्ध इन असमान अधिकारों के कारण हुआ। प्रारम्भिक अवस्थाओं में कुछ सीमा तक गुलाम राज्य गुलामी में रहने के लिए सहमत थे लेकिन उस सीमा से अधिक गुलामी में रहने के लिए वे सहमत

नहीं थे। ऐसा हुआ, मुझे विश्वास है, कि कैलीफोर्निया किसी समय एक संघ राज्यक्षेत्र था वह कोई राज्य नहीं था। इसको राज्य बनाने का निर्णय बाद में लिया गया है। दक्षिणी राज्यों ने झगड़ा किया क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि यदि कैलीफोर्निया राज्य बन जाता है तो इसे मतदान का अधिकार प्राप्त हो जायेगा और वह मतदान के संतुलन को बदल देगा। ऐसा होते हुए भी उत्तरी राज्यों ने कैलीफोर्निया को राज्य में बदलने का निर्णय किया। उसके द्वारा उन्हें मतदान में बहुमत प्राप्त हुआ है और इसके पश्चात् उन्होंने इस मतदान के बहुमत के आधान पर संयुक्त राज्यों से बिल्कुल गुलामी खत्म करने का निर्णय किया, जिससे दक्षिणी राज्यों के राजनैतिक और आर्थिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। दक्षिण राज्यों ने इसका तुरंत विरोध किया। उन्होंने कहा, "हम संघ का अंग नहीं रहेंगे, यदि आप उस अधिकार को गुलामी समाप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं। फिर गृह युद्ध हुआ। यहाँ ऐसे लोग हैं जो अन्य के लोगों के प्रभाव से डरते हैं। आपने हाल ही में एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखा होगा वह...............

श्री कैलाशबिहारी लाल (बिहार) : क्योंकि दक्षिणी राज्य गुलामी चाहते हैं।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। श्री राजगोपालाचारी बहुत समय से इस भय के बारे में कहते आ रहे हैं कि यह संघ टूट जायेगा।

माननीय सदस्यगण : नहीं।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : बहुत से गुलाम हैं जो इसे कायम रखते हैं।

श्री आर. यू. अग्नि भोज (मध्यप्रदेश) : आजादी संगठित लोगों द्वारा रखी जाती है गुलामों द्वारा नहीं, इसलिए यह देश अपनी आजादी को गुलामी के माध्यम से नहीं बल्कि एकता के माध्यम से रखेगा।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आपके आश्वासन से मुझे खुशी है।

श्री आर. यू. अग्निभोज : आपको बहुत धन्यवाद।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अब कोई भी व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके संबंध में मामला उत्तर और दक्षिण के मध्य हो सकता है और यदि वैसा होता है और यदि मामले को खूनी निष्कर्ष की ओर ले जाना है तो हमने एकता लाने के बारे में जितने भी प्रयास किये हैं, वे सभी व्यर्थ हो जायेंगे। इसलिए मैं सुझाव देता हूँ कि संयुक्त प्रान्तों को काटकर तीन प्रान्तों में काट देना चाहिए। बिहार को काटकर दो भागों में काट देना चाहिए और मध्य प्रदेश को भी दो भागों में काट देना चाहिए।

श्री आर. यू. अग्निभोज : आपको 600 राज्य बनाने चाहिएं।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसमें कुछ भी हानि नहीं। इसका भाषाई सिद्धांत पर बिल्कुल भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन सभी की एक ही भाषा है। यदि उत्तर प्रदेश को तीन राज्यों या मध्य प्रदेश को दो राज्यों में बांट दिया जाता है तो क्या अंतर पड़ता है? इसमें मुझे कोई अंतर दिखाई नहीं देता। मैंने अपने मित्र का एक बार वक्तव्य पढ़ा था, मुझे वह याद है। श्री पंत ने उसमें कहा था कि उत्तर प्रदेश का विभाजन करने के बारे में उनको कोई आपत्ति नहीं होगी बल्कि उन्होंने वाद–विवाद के दौरान इसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहा है और न उन्होंने अपनी ओर से स्वतः त्याग का स्वैच्छिक रूप से कोई सुझाव दिया है। लेकिन मैं एक चेतावनी देता हूँ, मैं जानता हूँ कि सदन मेरी बात नहीं सुनेगा, लेकिन मैं जो महसूस करता हूँ उसे कहना मेरा कर्त्तव्य है। महाराष्ट्र के सम्बन्ध में मेरे विचार बहुत ठोस हैं और मैं संयुक्त महाराष्ट्र का पुरजोर विरोध करता हूँ। मैं महाराष्ट्र के बारे में अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक अधिकाधिक रूप से कह सकता हूँ। संयुक्त महाराष्ट्र की कुछ भी परिस्थिति रही हो। मुझे पता है महाराष्ट्र में सतारा जिले या उस क्षेत्र के मराठा ही राजनैतिक पदों पर कब्जा कर सकते हैं। शेष जनता जहाँ भी कहीं भी है। वैसी ही रहेगी। मैं यह नहीं समझता कि सतारा का मंत्री रत्नागिरी जिले की चिंता कैसे कर सकता है। मुझे यह याद नहीं है कि किसी मंत्री ने रत्नागिरी का कभी दौरा किया है।

एक माननीय सदस्य : बहुत से मंत्रियों ने दौरा किया है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे विचार में भत्ता लेने की खातिर किसी कार्य के लिए नहीं।

एक माननीय सदस्य : तब भी उन्होंने दौरे किये हैं।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : क्षेत्र दर क्षेत्रों की पूरी तरह उपेक्षा की गई है। सतारा के मराठों को रत्नागिरी जिले में क्या दिलचस्पी है। उदाहरणस्वरूप महाविदर्भ के ब्राह्मण को सतारा जिले में क्या दिलचस्पी हो सकती है। मैं एक साथ सिमट जाने की मनोवृत्ति से बिल्कुल नहीं समझता हूँ। क्या यह भरत मिलाप की तरह है? जब राम लंका से आये, भरत ने उन्हें गले लगाया। किसलिए भाई–भाई के प्यार और स्नेह के लिये। इससे अधिक कुछ नहीं। ऐसे क्षेत्रों में स्वयं अपनी दिलचस्पी बढ़ाने अपनी दिलचस्पी की ओर ध्यान देने की अनुमति क्यों नहीं देते? इसके अतिरिक्त जैसा कि मेरे मित्र श्री पंत जानते हैं–मैं ग़लत हो सकता हूँ–"मैं यह मानता हूँ वे अनुभवी व्यक्ति हैं उनका स्थान कौन लेगा–क्या वह मुझे बता सकते हैं? मंत्री के रूप में उनका स्थान कौन लेगा? मुझे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता। निश्चित रूप से मैं कांग्रेस में कोई आम आदमी नहीं देखता हूँ। यदि मुझे मेरे मित्र श्री पंत जैसी महान हस्ती का कोई मंत्री देखना पड़े तो वह कांग्रेस से बाहर का कोई व्यक्ति होगा। मैं उसके बारे में निश्चित हूँ।

श्री एच. पी. सक्सेना : उदाहरण के लिए आप।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं बहुत जल्दी मर जाऊँगा। मुझे शामिल न करें। इस प्रकार की बातों से यह देश तबाह हो जायेगा। हमारी पहली चिंता वह है कि राजनीतिज्ञों को पैदा किया जाये तथा उन्हें प्रशिक्षित किया जाये ताकि वे अपने कंधों पर उत्तरदायित्व लेना सीख सकें। हमें एक चीज पर हमेशा के लिए अड़कर नहीं बैठना चाहिए। जब तक हम जिंदा है हमें अन्य व्यक्तियों को जिम्मेदारी लेने के लिए अनुमति देनी चाहिए ताकि यदि वे कोई गलती करें तो हम उसे समय पर ठीक कर सके। यदि आप उत्तर प्रदेश को तीन प्रान्तों में बांट देते हैं। आपको संभवतया प्रशासन की कला में 30 मंत्रियों को प्रशिक्षित करना पड़ेगा जबकि यदि आप एक प्रांत रखते हैं तो आपको 10 मंत्रियों को रखना पड़ेगा, इससे अधिक कुछ नहीं। यही बात बिहार में होगी और यही बात इन बड़े प्रान्तों में होगी। इस लिए मेरी राय में इन बड़े प्रांतों को उसी रूप में जिसमें कि वे हैं रखने से इस देश को भारी हानि होगी। मेरे मित्र शायद इस तर्क को सुन सकते हैं। यदि वे अन्य तर्क को नहीं सुनते हैं। यदि मैंने उनके तर्क को ठीक प्रकार से सुना है तो उनका तर्क यह है ''ओह'' ऐसे देश को जिसमें राम और कृष्ण पैदा हुए हैं। विभक्त नहीं करते यह तर्क है। मेरे विचार में किसी समय यह इस्तेमाल किया था लेकिन वह किसी राजनेता का तर्क नहीं है। महोदय, अब मैं मराठावाडा के लोगों के बारे में कह रहा था। इससे मेरा अभिप्राय महाराष्ट्रियनों से है। वही बात महाराष्ट्र के बारे में सत्य है। महाराष्ट्र कुछ ब्राह्मणों को छोड़कर राजनीति में परिपक्व नहीं हैं। मुझे यह कहने में खेद है। मैं किसी प्रकार के व्यक्तिगत द्वेष से यह नहीं कह रहा हूँ। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरा भी अपना सार्वजनिक जीवन है और मैं किसी और से मुकाबला नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं यह चाहता हूँ कि मेरे राज्य का प्रशासन अच्छा होना चाहिए और उसके अनुसार यहाँ का प्रशासन ठीक हो सकता है, इसमें सक्षम व्यक्ति होने चाहिए। अब संयुक्त महाराष्ट्र में आपके पांच या छः से अधिक मंत्री नहीं होंगे। उनमें से कुछ ब्राह्मण और कुछ गैर–ब्राह्मण होंगे। क्या यह महाराष्ट्र के भविष्य के लिए पर्याप्त होगा? आपके यहाँ मराठावाड़ा संघ राज्यक्षेत्र है जो हाल ही में निजाम के शासन से मुक्त हुआ है। लेकिन आपको अभी वहाँ जाना होगा और वहाँ की गरीबी को देखने के विचार से क्षेत्र को देखना होगा। वहाँ के लोगों की हालत, उनके पास पहनने के लिए कपड़े खाने की रोटी और शिक्षा नहीं हैं, यह सभी देखना होगा। वहाँ अभी भी कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं है। मुझे यह बताया गया था कि वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय था जिसमें केवल एक कुर्सी थी और सभी अध्यापक उस कुर्सी पर कब्जा करने के लिए सुबह–सुबह भागते थे। ताकि कोई दूसरा अध्यापक उस कुर्सी पर न बैठे। मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या यह अत्यंत पिछड़ा हुआ क्षेत्र जहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है, लोगों के खाने को रोटी, कपड़े, विद्यालय या इस प्रकार

की कोई अन्य व्यवस्था नहीं है, ठीक रहेगा। कुछ कारणों या अन्य कारणों से निजाम ने अपना प्यार और स्नेह मराठवाड़ा को छोड़कर अन्य लोगों को दिया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे मित्र काका गाडगिल, संयुक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने पर मराठवाड़ा के लोगों की दशा की ओर ध्यान देंगे अथवा क्या वे अपना ध्यान पूना और उसके निवासियों की ओर देंगे। हमें निरर्थक बात नहीं करनी चाहिए। हमें उन बातों को उसी रूप में देखना चाहिए जिस में वे हैं। मराठवाड़ा को एक पृथक प्रान्त या राज्य की अनुमति क्यों नहीं होनी चाहिए और मराठवाड़ा को स्वयं शासन चलाने देना चाहिए। वे अपनी भलाई को अच्छी तरह जानते हैं। मैं मराठवाड़ा से केवल इस कारण से जुड़ा हुआ हूँ कि मैंने वहाँ एक कॉलेज की स्थापना की थी। लेकिन यह कॉलेज पनप नहीं रहा है और प्रतिवर्ष उससे मुझे भारी नुकसान हो रहा है। मैं यह जानता हूँ कि मराठवाड़ा के लोग बम्बई के उन लोगों की अपेक्षा स्वयं की अच्छी तरह देखभाल करेंगे, जो उनके बारे में बातें करते हैं। विशेष रूप से वहाँ बिल्कुल शिक्षा नहीं है। यह खतरा है कि मराठवाड़ा को कहीं पूरा विश्वविद्यालय से न जोड़ दिया जाये। केवल ईश्वर ही जानता है कि क्या होगा।

श्री बी. बी. शर्मा (उत्तर प्रदेश) : अतः आप ईश्वर में विश्वास करते हैं?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आपने जो कहा है उसे मैं नहीं सुन सकता हूँ। यदि आप उसका उत्तर चाहते हैं, आपको कान खोलकर बात करनी चाहिए।

श्री बी. बी. शर्मा : वह किसका भगवान है?

श्री जसपत राय कपूर (उत्तर प्रदेश) : असुविधाजनक प्रश्नों को न सुनें।

श्री बी. बी. शर्मा : आपका ईश्वर कौन है?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे लिए लोग ही ईश्वर हैं। महोदय, मराठवाड़ा के मामले में यह सर्वथा आवश्यक है कि वहाँ के लोगों को एक पृथक स्वशासी निकाय मिले जो उनकी शिक्षा की देखभाल कर सके और वे पूरा विश्वविद्यालय के सम्मुख हाथ और पैर बांधकर खड़े न हों। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे।

एक अन्य मुद्दा है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा। जैसाकि मैंने कहा है, मैं गलत भी हो सकता हूँ लेकिन मेरा यह विचार है कि इस संघ राज्य में बहुत से छिद्र हैं और यह टूट सकता है। हमारा टूटने वाला समाज है। हमारी कोई यूनियन नहीं है। हममें एकता नहीं है और किसी भी समय ये सारी चीज टूट सकती हैं। मैंने एक रास्ता सुझाया था कि उत्तर प्रान्तों की सीमा को घटाकर छोटा किया जाए ताकि दक्षिण के लोगों को भारी दबाव से कोई कठिनाई न हो सकें। मैंने दूसरा उपाय सुझाया है और वह सुझाव यह है कि इस देश की दो राजधानियाँ हों। मेरा सुझाव है

कि हैदराबाद को भारत की दूसरी राजधानी बनाया जाये। आप दिल्ली को राजधानी बना सकते हैं जो कुछ मौसमों में यह अच्छी हो सकती है। लेकिन आप को दक्षिण भारत में एक राजधानी बनानी चाहिए जिससे वहाँ के लोग यह महसूस कर सकें कि उनकी सरकार उनके भी पास है। मैंने किसी समय यह सुझाव दिया था कि हैदराबाद को भारत की दूसरी राजधानी बनाया जाए। यह एक ऐसा अत्यंत सुंदर शहर है जिसे मैंने भारत में देखा है। इसमें वे सभी प्रकार की सुख–सुविधाएं हैं। जो एक राजधानी के लिए जरूरी हैं। एक विधानसभा और राज्य परिषद का होना आवश्यक हो सकता है। यदि ऐसा किया जाता है तो दक्षिण के लोग जिनके साथ मैंने बातचीत की है, यह महसूस करेंगे कि उन की सरकार उनके करीब है। क्योंकि यह उनसे उतनी दूर नहीं है जितनी दिल्ली है। दक्षिण के लोगों के लिए दिल्ली एक विदेशी प्रदेश की तरह है। दिल्ली का मौसम गर्म है और वहाँ अधिक समय ठहरना नहीं चाहते। मैं आशा करता हूँ कि मेरे माननीय मित्र इन मुद्दों पर विचार करेंगे।

महोदय, मैं न तो बहुत देर तक बोलने की स्थिति में हूँ और न मेरे पास अनुरोध करने के लिए बहुत से अन्य मुद्दे ही हैं। लेकिन एक बात है जिसे मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने यह आशा की थी कि राज्य पुनर्गठन समिति की इस रिपोर्ट को केवल पार्टी के लोगों के सम्मुख ही प्रस्तुत नहीं किया जायेगा बल्कि व्यापक रूप से सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा और उन्हें इस पर भारत के सभी नागरिकों की आम राय प्राप्त करनी चाहिए और उनके निर्णय को कार्यरूप दिया जाना चाहिए। महोदय, मुझे आशा थी कि अब हम जो फैसला, करें, वह हमेशा के लिए फैसला हो, क्योंकि आज एक माली के लिए एक पेड़ लगाना और कल उसे उखाड़ना और यह देखना कि क्या इसकी जड़ें जम गई हैं एक बहुत बेवकूफी की बात है। इस तरीके से पौधा कभी जिन्दा नहीं रह पायेगा। मैं अपने मित्र को याद दिला कर कोई सहायता नहीं कर सकता हूँ कि जो कुछ भी गलती से तय किया गया है वह हमेशा के लिए तय नहीं किया गया है। इसे तय किया जाना है। यदि आप इन बातों को अपनी पार्टी की सहायता से तय करने जा रहे हैं तो याद रखें आपकी पार्टी चिरस्थायी नहीं है। आप सभी अपनी आंखों के सामने इसके कमजोर होने के लक्षण देख सकते हैं।

यदि आप जो कुछ करना चाहते हैं वह विपक्ष की राय लिए बगैर करेंगे तो मुझे इसके बारे में थोड़ा भी संदेह नहीं है कि जब विपक्ष सत्ता में आयेगा तो वह इसे उखाड़ कर फेंक देगा और दोबारा जड़ जमायेगा। इस प्रकार की बात हमारे लिए बहुत खतरनाक होगी। महोदय, मैं बोल चुका हूँ।

श्री सी. पी. पारिख (बंबई) : माननीय सदस्य ने यह कह कर गलत वक्तव्य दिया है कि श्री मोरारजी देसाई ने किसी समय स्पष्ट रूप से यह कहा था कि बंबई

महाराष्ट्र का है। मेरा विचार है कि माननीय सदस्य को ऐसा वक्तव्य उत्तरदायित्व की भावना से देना चाहिए।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह 'टाइम्स आफ इंडिया' में है।

***डॉ. बी. आर. अम्बेडकर द्वारा अनुपस्थिति की अनुमति**

माननीय उपसभापति : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि डॉ. अम्बेडकर से निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ हैः—

''मैं इलाज के लिए बंबई आया था और मुझे आशा थी कि मैं समय पर दिल्ली लौटने योग्य हो जाऊंगा। दुर्भाग्यवश मैं स्वस्थ नहीं हुआ हूँ। अतः मैं संसद आने में तथा अनुपस्थिति के सम्बन्ध में अनुमति के लिए प्रार्थना—पत्र देने में असमर्थ हूँ। मैं आशा करता हूँ कि राज्यसभा मेरे अनुरोध को मंजूर करेगी।''

क्या सदन के अनुग्रह से डॉ. बी. आर. अम्बेडकर को 29 मार्च, 1955 से नौवें सत्र के अंत तक की बैठकों और चालू सभा के दौरान हुई सभी बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी जाये?

(किसी भी माननीय सदस्य में विसम्मत नहीं था।)

अनुपस्थित रहने के लिए अनुमति दी जाती है।

निधन संबंधी उल्लेख — डॉ. बी. आर. अम्बेडकर का निधन

****प्रधानमंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) :** उपसभापति महोदय, मुझे सभा को यह सूचित करते हुए गहरा अफसोस है कि इस सदन के एक सदस्य, जिसने बहुत से मामलों में बहुत ही अग्रणी भूमिका निभायी थी का थोड़ी देर पहले निधन हो गया है। वे सदस्य डॉ. बी. आर. अम्बेडकर हैं। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर बहुत वर्षों तक भारतीय सार्वजनिक मामलों में एक बहुत विवादग्रस्त व्यक्ति रहे थे। लेकिन उनके विशिष्ट गुणों, उनके पांडित्य और दृढ़ विश्वास की गहनता कभी—कभी किसी विशेष विषय के लिए अपेक्षित गहनता से भी अधिक गहनता जिसकी प्रतिक्रिया हुई, के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है। लेकिन वे उस गहन भावना के प्रतीक थे जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए, वे भारत में दलितों उसकी वह गहन भावना के प्रतीक थे जिन्हें पिछले युगों में पूर्व सामाजिक व्यवस्था के अन्तर्गत परेशान किया गया है। और यह उतना ही ठीक है कि हम इस बोझ को मान्यता दें और हमेशा याद करें। यह हो सकता है कि हममें से कुछ लोगों ने यह सोचा हो, जैसाकि मैंने

---

* संसदीय वाद—विवाद (राज्य सभा), जिल्द—10 ग, 1 अक्तूबर, 1955, पृ. 5529—30

** संसदीय वाद—विवाद (राज्य सभा), जिल्द—10 ग, 6 दिसम्बर, 1956, पृ. 1769—70

अभी–अभी कहा है कि उन्होंने उस भावना को अति व्यक्त किया। लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, भाषण की शैली के अतिरिक्त उस रीति से उसकी भावना की गहनता की सत्यता को किसी व्यक्ति को चुनौती नहीं देनी चाहिए जो हम सभी को महसूस करनी चाहिए और कदाचित इससे भी अधिक उन लोगों को महसूस करना चाहिए जिनहें स्वयं में या अपने समूहों या वर्गों में उसे झेलना न पड़ा हो।

वे ऐसे थे। अतः वे इसके प्रतीक हो गये। लेकिन संसद में हम उन्हें बहुत सी अन्य बातों के लिए याद करते हैं विशेष रूप से उनकी उस विशिष्ट भूमिका के लिए जो उन्होंने संविधान की रचना करने में निभाई। और शायद वह बात उनके अन्य कार्यकलापों की अपेक्षा बहुत समय तक याद की जायेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य हमसे यह अपेक्षा करेगा कि उनके परिवार को हमारी तरफ से भारी शोक और सहानुभूति का संदेश भेजा जाए और उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया जाए।

यह इस सदन की परम्परा है। महोदय मेरा विश्वास है कि जब किसी व्यक्ति का दिल्ली में निधन होता है सदन शेष दिन के लिए स्थगित हो जाता है। महोदय इसे मैं आपके तथा सदन के ऊपर छोड़ता हूँ लेकिन मैं यह सुझाव दूंगा कि उस परम्परा का पालन करना हमारे लिए ठीक तथा उचित होगा।

माननीय उपसभापति : मैं प्रधान मंत्री द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से स्वयं खुद को जोड़ना चाहूँगा। मुझे विश्वास है कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य उन विचारों से सहमत है। हमने डॉ. अम्बेडकर के अकस्मात निधन को गहरे दुःख और शोक की भावना के साथ सुना है। वे सदन में परसों ही उपस्थित थे और अपनी सामान्य मुद्रा में थे अपने मित्रों से माजाक और बातें कर रहे थे। बहुत से लोग उनसे तथा उनके राजनैतिक दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकते हैं लेकिन वे हमारे लब्ध प्रतिष्ठ सदस्य थे और उनकी बात को हमेशा सम्मान के साथ सुना जाता था। उनके भाषणों में पांडित्य, विद्वत्ता और गहन अध्ययन झलकता था तथापि वे हमारे संविधान के एक महान् शिल्पी के रूप में याद किये जायेंगे। वे यह देखने के बड़े इच्छुक थे कि हिंदू कानून और उसका अधिकांश अधिनियमित कर दिये गये हैं। यह इस सदन के लिए विशेष रूप से भरी क्षति है। और उनके सम्मान में मैं सदन से दो मिनट खड़े होने की प्रार्थना करता हूँ।

(सदन दो मिनट मौन रहा)

माननीय उपसभापति : सदन कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित होता है।

तत्पश्चात् सदन 11 बजकर 53 मिनट से शुक्रवार 7 दिसम्बर, 1956 को 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।

लोकसभा

गुरुवार, 6 दिसम्बर, 1956 लोकसभा 11 बजे समवेत हुई

डॉ. अम्बेडकर का निधन

12.00 बजे

प्रधानमंत्री और सदन के नेता (श्री जवाहरलाल नेहरू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को डॉ. अम्बेडकर के निधन का दुखद समाचार देना होगा। केवल दो दिन पहले ही, अर्थात् परसों वे दूसरी सभा जिसके वे सदस्य थे में उपस्थित थे। अतः, आज उनके निधन का समाचार हम सभी के लिए एक सदमे के रूप में आया है जिसके बारे में इतनी जल्दी इस प्रकार की घटना होने का कोई आभास भी नहीं था।

जैसा कि इस सदन का प्रत्येक सदस्य जानता है कि डॉ. अम्बेडकर ने भारत के संविधान की रचना करने के बाद में संविधान सभा के विधायी भाग और इसके बाद अंतरिम संसद में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इसके बाद कुछ समय वे संसद के सदस्य नहीं रहे। फिर वे राज्य में आये जिसके वे वर्तमान सदस्य थे।

अक्सर यह कहा जाता है कि वे हमारे संविधान के शिल्पियों में से एक थे। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि संविधान के किसी शिल्पी ने संविधान की रचना करने में उतनी रुचि और परेशानी नहीं उठायी जितनी डॉ. अम्बेडकर ने उठायी थी। हिंदू कानून में सुधार करने के संबंध में उनके द्वारा ली गई दिलचस्पी और उठायी गई परेशानियों के लिए भी उन्हें याद किया जायेगा। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस सुधार को बहुत बड़े उपाय में देखा था कदाचित उस ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में नहीं जिसका उन्होंने स्वयं मसौदा तैयार किया था। अपितु पृथक–पृथक टुकड़ों में। लेकिन मैं कल्पना करता हूँ कि उन्हें जिस लिए सर्वाधिक याद किया जायेगा वह हिंदू समाज के सभी दमनकारी लक्षणों के विरुद्ध विद्रोह के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। कभी–कभी वे ऐसी भाषा का प्रयोग करते थे जिससे लोगों को ठेस पहुंचती थी। वे कभी–कभी ऐसी बातें कहते थे जो शायद पूरी तरह न्याय, संगत नहीं हुआ करती थीं। लेकिन हमें उन्हें भूल जाना चाहिए। मुख्य बात यह थी कि उन्होंने कुछ ऐसी बातों के विरुद्ध विद्रोह किया जिनके विरुद्ध हम सभी को विद्रोह करना चाहिए था

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–10, भाग–II, 6 दिसम्बर, 1956, पृ. 2059–68

और हमने भी वस्तुतः विभिन्न मात्रा में विद्रोह किया है। संसद ने स्वयं भी अपने बनाये गये विधान में पुरानी उन प्रथाओं या परम्पराओं का खण्डन करने का वर्णन किया है जिनकी वजह से हमारे असंख्य लोग अपने सामान्य अधिकारों से वंचित रहे।

जब मैं डॉ. अम्बेडकर के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में बहुत सी बातें आती हैं। क्योंकि वे अत्यंत विवादग्रस्त व्यक्ति थे। उनके भाषण मधुर नहीं होते थे। लेकिन उनके लिए सभी भाषणों के पीछे शक्तिशाली प्रतिक्रिया और उन कुछ बातों के प्रति विद्रोह होता था जिन्होंने बहुत लम्बे समय तक हमारे समाज को दबाये रखा, सौभाग्यवश उस विद्रोह को समर्थन मिला लेकिन कदाचित उस रूप में नहीं मिला जिसमें वे चाहते लेकिन उस विद्रोह की तह में जाकर जो उपाय और सिद्धांत बने उनको संसद ने और मुझे विश्वास है प्रत्येक दल और पार्टी ने जिनके प्रतिनिधि यहाँ हैं, समर्थन दिया। अपने सार्वजनिक कार्यकलापों तथा विधायी कार्यकलापों दोनों में हमने हिंदू समाज के ऊपर लगे इस कलंक को दूर करने की भरसक कोशिश की। कोई भी अकेला व्यक्ति कानून द्वारा इसे पूरी तरह दूर नहीं कर सकता। क्योंकि इस प्रथा की बहुत गहरी जड़ें जमी हुई हैं और मुझे डर है कि यह अभी भी देश के बहुत से भागों में जारी है। भले ही इसे अवैध माना जा सकता है। यह सत्य है लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह अपने अंतिम चरणों में है और इसके समाप्त होने में कुछ समय लग सकता है। जब कानून और जनता की राय दोनों ने उस स्थिति को समाप्त करने के लिए अधिक से अधिक दृढ़ निश्चय कर लिया हे तो यह ज्यादा समय तक नहीं चल सकता है? फिर भी जैसाकि मैंने कहा था डॉ. अम्बेडकर अपने तरीके से ही प्रख्यात हुए और वे सबसे अधिक उस विद्रोह के प्रतीक हो गए थे। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम चाहे उनसे बहुत से मामलों में सहमत हों या न हों, उनके अध्यवसाय, उनकी दृढ़ता और यदि मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर सकता हूँ तो इस कभी–कभी इस संघर्ष के प्रति उनके विरोधियों की कटुता ने लोगों के मन को जागरूक रखा और उसने उन्हें उन मामलों के बारे में शिथिल नहीं होने दिया जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता और उससे हमारे देश में उन समूहों को जागृत करने में सहायता की जिन्हें पुराने समय में बहुत लम्बे समय तक सताया गया था। इसलिए यह दुखद है कि भारत में दलितों और उत्पीड़ितों का इतना प्रख्यात हिमायती और हमारे कार्यकलापों में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाने वाले व्यक्ति का निधन हो गया है।

जैसा कि सदन जानती है, वे मंत्री थे, हमारे मंत्रिमंडल के कई वर्षों तक सदस्य रहे थे। सरकारी कार्य में उनको सहयोग देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैंने उनके भाषणों को सुना है और वस्तुतः मैं उनसे पहले कई बार मिला हूँ। लेकिन मेरा उनसे कोई घनिष्ट संबंध नहीं था संविधान सभा के समय मुझे बेहतर जानने का मौका मिला था। मैंने उनको सरकार में आने के लिए निमंत्रण दिया था। कुछ

लोगों को आश्चर्य हुआ कि मैं ऐसा करूंगा क्योंकि यह सोचा गया था कि उनकी सामान्य गतिविधियॉ विरोधी किसम की थी वह सरकारी किसम की नहीं थी। फिर भी मैंने उस समय यह महसूस किया कि उन्होंने संविधान की रचना करने में बहुत ही महत्वपूर्ण और रचनात्मक भूमिका निभायी थी और यह कि वे सरकारी कार्यकलापों में भी रचनात्मक भूमिका निभाना जारी रखेंगे। वास्तव में उन्होंने ऐसा किया भी। यहाँ कुछ मामूली मतभेद होने के बावजूद मुख्य रूप से यदि मैं ऐसा कहूँ कि यह मतभेद किन्हीं सैद्धांतिक बातों में नहीं थे। मेरे विचार से भाषाई मामलों और प्रयुक्त भाषा के सम्बन्ध में थे। हमने आपसी फायदे के लिए कई वर्षों तक सरकार में सहयोग किया। जो कुछ भी हो एक बहुत ही लब्ध प्रतिष्ठ हस्ती का, जिसने हमारे सार्वजनिक जीवन और भारतीय पटल पर अपनी एक छाप छोड़ी है, निधन हो गया है। वे एक ऐसी हस्ती थे जिसे प्रायः हम सभी जानते थे। मैं यह मानता हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि हम सभी बहुत दुख महसूस कर रहे हैं। हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। वे बहुत समय से बीमार थे। फिर भी किसी व्यक्ति का निधन होना दुखद है। मुझे विश्वास है कि महोदय, आप और सदन हमारा गहरा शोक और सहानुभूति, उनके परिवार लोगों को भेज देंगे।

ऐसी घटनाओं के सम्बन्ध में तथा सदन के स्थगन के सम्बन्ध में हमारे प्रक्रिया नियमों में विभिन्न प्रकार के नियम निर्धारित किये गये हैं। साधारण रूप से, वे नियम सदन के सदस्यों के लिए लागू होते हैं। डॉ. अम्बेडकर इस सदन के सदस्य नहीं थे। वे राज्यसभा के सदस्य थे। नियम यह कहता है कि ऐसे मामलों में, सदन में इस संबध में उल्लेख किया जाये लेकिन तब तक स्थगन नहीं हो सकता जब तक वे विशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में नहीं आते, उस मामले में पूर्ण स्थगन किया जा सकता है। इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि वे विशिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं। सख्त नियम के अनुसार नियम कहता है कि सांकेतिक स्थगन किया जा सकता है। मेरा अनुरोध है कि इस नियम का उल्लंघन किये बिना या इस नियम की भावना को कम किये बगैर, वर्तमान मामला कुछ कारणों से जिसमें से मैंने कुछ का उल्लेख किया है और अन्य का उल्लेख नहीं किया है यह न्यायसंगत है कि सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित किया जाये। वह आपकी तथा सदन की इच्छाओं के अनुसार है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : महोदय इस मामले में मैं सदन के नेता का साथ देती हूँ और यह प्रार्थना करती हूँ कि आप हमारी पार्टी और हमारे साथियों की संवेदना डॉ. अम्बेडकर के परिवार के सदस्यों को भेज दें।

हम, युवा सदस्यों को उनके साथ कार्य करने का कभी सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ।

हमारे भी मतभेद थे। लेकिन आज हम सभी इस बात को नहीं भूल सकते हैं कि वे हमारी जनता के अंतःकरण से उन बुराइयों को कैसे बाहर लाये जिनसे हमारी जनता के एक भाग को हमारे सामाजिक दमन की व्यवस्था के कारण परेशानियाँ उठानी पड़ीं। व्यक्तिगत रूप से मैं यह महसूस करती हूँ कि यद्यपि हमने हिंदू कोड बिल को टुकड़ों में पारित किया है, फिर भी जिन सिद्धांतों को डॉ. अम्बेडकर ने अपने मूल मसौदे में मूर्तिरूप दिया था वे अनेक दृष्टिकोणों से विवेकपूर्ण थे। हम भी उनके विशिष्ट पांडित्य के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं जिसके कारण वे सामाजिक असमानता और संकीर्ण पूर्वाग्रहों के विरुद्ध खड़े हुए और उन्होंने उन व्यक्तियों में अपना स्थान बना लिया जिन्हें संविधान की रचना करने में दिखाये गये पांडित्य के लिए याद रखेगा। मैं सदन के नेता का सहयोग करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि उनकी याद में, उनको सम्मान देने के लिए इस सदन को स्थगित किया जाये।

श्री अशोक मेहता (भंडारा) : मैं डॉ. अम्बेडकर को दी गई श्रद्धाँजलि में सहयोग देने की कामना करता हूँ।

मुझे उनके साथ एक से अधिक बार सहयोग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और उनके विलक्षण एवं आकर्षित करने वाले चरित्र के बहुत पहलू थे। हम बंबई से आने वाले लोग उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद करेंगे। हम उन्हें एक अर्थशास्त्री के रूप में याद करेंगे, हम उन्हें मजदूरों के नेता के रूप में याद करेंगे हम उन्हें एक राजनैतिक नेता के रूप में याद करेंगे। उस महान् कार्य के अतिरिक्त जो उन्होंने इस सदन में किया है और सरकार के सदस्य के रूप में जहाँ तक देश के मेरे भाग का संबंध हैं उन्होंने वहाँ नई चेतना पैदा की है। उनके कारण ही हमारे क्षेत्र के लोगों के एक बहुत बड़े भाग को सामाजिक महत्व की भावना से प्रेरित किया गया। उन्हें विश्वास की भावना दी गई। मेरा विश्वास है, यदि वे वहाँ नहीं होते, तो शायद देश का मेरा भू–भाग वह नहीं होता जो आज है।

मुझे विश्वास है कि उनकी याद को अपना सम्मान देने के लिए तथा आज सदन को स्थगन करके उनका सम्मान करने का प्रयास करने में हम केवल उनके महान् ऋण को चुका रहे हैं। हममें से बहुत से लोग उनकी उन महान सेवाओं के कारण हैं जो उन्होंने हमारे समाज को दी हैं।

श्री वि. घ. देशपांडे (गुना) : सभापति महोदय, मैं समझता हूँ कि डॉ. अम्बेडकर के निधन के समाचार से केवल संसद में ही नहीं बल्कि समूचे राष्ट्र में एक दुःख की लहर फैल जायेगी। डॉ. अम्बेडकर ने भारत का संविधान बनाया था और उसको तैयार करने के लिए उन्होंने अधिक परिश्रम और योग्यता का परिचय दिया था। इसके अतिरिक्त डॉ. अम्बेडकर हिन्दू समाज के एक महान नेता थे हालांकि

डॉ. अम्बेडकर ने हिन्दू समाज पर बड़े प्रहार किए, तीखे और कड़वे प्रहार किये, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसका भी एक कारण था कि डॉ. अम्बेडकर का जन्म जिस जाति में हुआ था उनके प्रति सवर्ण हिन्दुओं ने बहुत पाप किये हैं और उन पापों को देखने के पश्चात् डॉ. अम्बेडकर का कभी इतना तीक्ष्य होना समझ में आ सकता है और यह भी हमारे पापों का फल है ऐसा मैं मानता हूँ।

डॉ. अम्बेडकर की योग्यता और पांडित्य इतना उत्कृष्ट था और इतना महान् था कि मैं समझता हूँ कि दूसरे किसी कारण से नहीं तो इसलिए कि उनका व्यक्तिव इतना महान था कि जिस को लेकर उन्होंने अस्पृश्यता के विरुद्ध इतना घोर संग्राम किया, डॉ. अम्बेडकर को मान देना अत्यावश्यक है। डॉ. अम्बेडकर ने अस्पृश्यता निवारण के लिये जो जीवनपर्यन्त प्रयत्न किये वे कभी भुलाये नहीं जा सकते और हालांकि उनके पहले से अस्पृश्यता निवारण का आंदोलन किसी न किसी रूप में इस देश में चलता आया है पर अस्पृश्य लोगों को एक मनुष्य के नाते खड़े होकर लड़ने और झगड़ने का काम अगर किसी ने सिखाया तो यह डॉ. अम्बेडकर ने सिखाया और उन्हें हिन्दू समाज के इस पद–दलित वर्ग को उठाया ओर उनको बताया कि वे भी दूसरों की तरह इन्सान हैं और इस नाते अस्पृश्य लोगों के प्रति की गई उनकी सेवाओं को देश कभी नहीं भूला सकेगा। आज हमारे बीच एक महान नेता उठ गया है। और मैं समझता हूँ कि उनकी मृत्यु से जो स्थान रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति निकट भविष्य में होना मुश्किल नजर आता है। सदन के नेता ने जो उनकी मृत्यु पर दुःख प्रदर्शित किया है उसमें मैं पूरी तरह उनके साथ हूँ।

श्री फ्रेंक एंथनी (मनोनीत एंग्लो इंडियन) : मैं उस स्वतंत्र ग्रुप को उन भावनाओं के साथ सहयोग देना चाहूँगा जो सदन के नेता ने दी हैं।

यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं डॉ. अम्बेडकर को बहुत वर्षों से जानता हूँ। और मैं यह महसूस करता हूँ कि कुछ मिनटों में उन्हें पर्याप्त श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती है। वे बहुमुखी प्रतिभा के थे। वे केवल गहरे ही नहीं थे, वे गम्भीर विद्वान थे और जैसा कि सदन के नेता ने कहा था वे एक विवाद–ग्रस्त व्यक्ति थे। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि जटिल व्यक्तिव के प्रभावशाली व्यक्ति थे, उनमें एक अदम्य लड़ाकू होने की विशेषता थी, और यही अदम्य भावना थी जिसने उन्हें व्यक्तिगत बुराइयों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बनाया जो शायद कम अड़ियल चरित्र को परास्त कर देती।

हो सकता है हम उनकी राजनीति से सहमत न हों। कदाचित हम कभी–कभी उस ढंग से भी सहमत नहीं रहे जिससे उन्होंने बातें कही थी लेकिन उनसे कटु व्यक्तिगत दुर्व्यवहार हुआ, वह जिससे उन्होंने अपने प्रारम्भिक जीवन में संघर्ष किया, के बारे में सुनने पर मैं इस बात का न्याय करने के लिए नहीं मानूं कि शायद उनकी

आत्मा में कुछ हद तक कठोरपन आ गया था और उस सीमा तक कड़वाहट यदि न्यायोचित नहीं है, तो वे कम से कम समझने योग्य है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि डॉ. अम्बेडकर ने विनम्रता से शुरूआत की लेकिन उनका नाम भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा और मुझे विश्वास है कि केवल उनकी जाति के लोगों को ही नहीं, बल्कि देश को इस महान् सपूत पर गर्व होगा। मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप मेरी संवेदना को उनके परिवार के लोगों को पहुंचा दें।

श्री काजरोलकर (बंबई नगर–उत्तर–रक्षित–अनुसूचित जातियाँ) : अध्यक्ष महोदय, आज का दिन सम्पूर्ण भारत के लिये विशेष करके हम हरिजनों के लिए बड़ा दुखद और अंधकार का दिन है। डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के बड़े महान नेता थे और उन्होंने देश की कई रूपों में सेवा की है। देश के वे महान नेता थे ही लेकिन हम हरिजनों के तो वे प्राण थे और हरिजन सदा उनके ऋणी रहेंगे। उन्होंने जिन्दगी भर हरिजनों को ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न किया और आज के दिन हरिजनों की जो अवस्था में सुधार हुआ है और हम कुछ ऊपर उठे हैं, उसका मुख्य श्रेय बाबासाहेब को ही है। बाबासाहेब का जन्म एक गरीब अछूत घराने में हुआ था और उनको अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने सफलतापूर्वक सारी कठिनाइयों का सामना किया और उन पर विजय पाई। उन्होंने जीवन भर इस अस्पृश्यता के कलंक को हिंदू जाति के माथे पर से हटाने का प्रयत्न किया और अस्पृश्यता निवारण के लिए घोर संग्राम किया। आखिर उन्होंने हिंदू धर्म को जो कि अस्पृश्यता को मानता है अपना धर्म नहीं मानूंगा और हमने देखा कि उन्होंने अपनी यह प्रतिज्ञा पूरी भी की। भगवान से मेरी प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और मैं समझता हूँ कि उनकी आत्मा को सच्ची और वास्तविक शांति तभी मिलेगी जब यह अस्पृश्यता का कलंक हिन्दू जाति से मिट जाएगा।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : सदन के नेता और मेरी पार्टी के बोलने के पश्चात् साधारणतया मेरे बोलने का कोई औचित्य नहीं है लेकिन मैं इस औचित्य की वकालत करता हूँ कि मुझे 35 से भी अधिक वर्ष तक डॉ. अम्बेडकर का मित्र रहने का सौभाग्य प्राप्त है। वे जितने देश को प्यारे थे उस की तुलना में वे हम महाराष्ट्रियनों को दस गुना ज्यादा प्रिय थे। वही व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे क्षेत्र में अत्यधिक पद–दलित जातियों में आत्मसम्मान और गौरव की भावना पैदा की। निःसंदेह उनकी भाषा बहुत कड़वी थी। लेकिन दिल उनका बहुत कोमल था। उनकी गलतियों को हम सभी जानते हैं, लेकिन उनके गुण उनकी गलतियों से अधिक हैं।

उन्होंने हमारे संविधान की रचना करने के मामले में जो कुछ किया, वह सर्वविदित

है। लेकिन आवश्यक रूप से यथास्थिति में अन्याय के विरुद्ध विद्रोही थे। चाहे वह अन्याय सामाजिक क्षेत्र का हो या आर्थिक क्षेत्र का हो ।

अंत में, अधिक प्रगतिशील तरीकों पर सोचते रहते थे। अभी हाल में मैंने उनसे कुछ चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जातियों को और विशेषाधिकार नहीं दिये जायें, अब उन्हें खुद आगे आना चाहिए और सम्पूर्ण भारतीय समुदाय के शेष सदस्यों के साथ अन्याय से लड़ना चाहिए जो अभी विद्यमान हैं। इस प्रकार के व्यक्ति का निधन हो गया है लेकिन इस संसार में प्रत्येक वस्तु नश्वर है।

इसलिए जो कुछ अच्छे कार्य उन्होंने किये हमें उन्हें याद रखना चाहिए और उन्होंने प्रगतिशीलता रूप से जो प्राप्त किया और जिसे करने का उनका उद्देश्य था इसके लिए वे स्मरणीय हैं।

इस सदन के दूसरे सदस्यों ने जो भावनाएं व्यक्त की हैं मैं स्वयं उनकी भावनाओं के साथ हूँ।

माननीय अध्यक्ष : सदन के नेता तथा विभिन्न ग्रुपों के नेताओं ने सदन में जो भी विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे सहमत हूँ। मुझे विश्वास है कि सदन भी उन विचारों को उतना ही सहयोग देगा। डॉ. अम्बेडकर एक महान् और प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने नीचे से शुरूआत की थी और अनुसूचित जाति के नेता हो गये। वे एक महान् विद्वान और लेखक थे और इससे भी अधिक वे एक प्रभावशाली वक्ता थे।

उन्होंने हमारे संविधान का मार्गदर्शन किया। समाज सुधार के क्षेत्र में उन्होंने बहुत से हितकारी उपाय शुरू किये। उनके निधन से भारत ने अपना एक महान सपूत खो दिया हैः मैं इस सदन की भावनाओं तथा संवेदना को उनके शोक सन्तप्त परिवार को भेज दूंगा।

सम्मान के रूप में मुझे विश्वास है कि सदन आज सम्भवतया स्थगित रहेगा। उनके दुख में हम खड़े होकर एक मिनट मौन धारण करेंगे।

तत्पश्चात् सदस्य एक मिनट के लिए मौन खड़े हुए।

माननीय अध्यक्ष : अब सदन उन्हें सम्मान देने के लिए स्थगित होगा और कल पुनः 11 बजे समवेत होगा।

12.23 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 7 दिसम्बर, 1956 के 11 बजे तक के

*****

खंड – आठ

संसद सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्नों के

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

विधि मंत्री

द्वारा दिये गये उत्तर

18 नवम्बर, 1947

से

28 सितम्बर, 1951 तक

प्रश्न और उत्तर

(1)

*भारत के उच्च न्यायालयों से अपीलें

4. श्री आर. आर. दिवाकर : (क) क्या माननीय विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के उच्च न्यायालयों से अपीलें हिजमेजेस्टी इन कांउसिल के यहाँ लंबित हैं।

(ख) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर हाँ है तो क्या उन पर वही विधियाँ, अधिनियम और नियम पहले की तरह लागू होते हैं।

(ग) यदि उपर्युक्त (क) का उत्तर नहीं है तो विभिन्न प्रान्तों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों से अपीलों को किस प्रारूप में फाइल किया जाता है?

(घ) क्या प्रिवी कॉसिल की न्यायिक समिति के समक्ष अपीलें सुने जाने तथा उनके द्वारा निपटाये जाने के लिए अब भी लंबित पड़ी हुई हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) हाँ,

(ख) हाँ,

(ग) प्रश्न नहीं उठता,

(घ) हाँ, जब तक नये संविधान में इसके विपरीत कोई उपबंध नहीं किया जाता है।

श्री एम. अनंत शयनम अय्यंगर : उच्च न्यायालय से अपीलों के लिए वर्तमान सरकार किस प्रकार के न्यायालय स्थापित करना प्रस्तावित करती है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : वह सरकार के विनिश्चय का मामला नहीं है, बल्कि उस पर संविधान सभा को विनिश्चिय करना है।

श्री एम. अनंत शयनम् अय्यंगर : क्या माननीय विधि मंत्री यह जानते हैं कि वर्तमान भारत सरकार अधिनियम और डोमिनियन स्वतंत्रता अधिनियम के अन्तर्गत

---

* संसदीय सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–1, भाग–I, 18 नवम्बर, 1947, पृ. 70–71

नई व्यवस्था में, प्रिवी कौंसिल को अपील करने के सम्बन्ध में प्रिवी कौंसिल की अधिकारिता समाप्त हो सकती है और उच्चतम न्यायालय में निहित हो सकती है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं यह नहीं जानता हूँ कि क्या सरकार ऐसी स्थिति में कोई फैसला ले सकती है जबकि संविधान सभा की बैठक संविधान की परिभाषा करने के प्रयोजन से हो रही है?

श्री एम. अनंतशयनम् अय्यंगर : क्या पूर्व मंत्री भारत सरकार अधिनियम की धारा 299 और अन्य धाराओं के अंतर्गत कुछ मामलों में अपीलों को प्रिवी कौंसिल में जाने से बचाने के लिए कार्यवाही करने के लिए संकल्प पेश करना नहीं चाहते थे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता कि क्या स्थिति रहती है जैसी पहले थी। मैं मानता हूँ कि तत्कालीन विधि मंत्री कार्यवाही प्रस्तावित कर रहे थे जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने उल्लेख किया है। लेकिन नया संविधान बनाने के संदर्भ में कुछ भी अनुध्यात नहीं था।

माननीय अध्यक्ष : व्यवस्था रखें। व्यवस्था बनाये रखें। क्या माननीय सदस्य श्री अय्यंगर, सूचना के लिए पूछेंगे? यह बहस का विषय बनता प्रतीत होता है।

श्री एम. अनंतशयनम् अय्यंगर : मैंने सूचना मांगी थी। लेकिन माननीय सदस्य यह जानने को उत्सुक दिखाई नहीं देते कि पहले क्या हुआ है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने कहा मुझे इसकी जानकारी है?

श्री एम. अनंतशयनम् अय्यंगर : क्या माननीय सदस्य का वर्तमान भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही करने का विचार है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं यह नहीं समझता हूँ कि इस प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है जब हम यह जानते हैं कि कुछ महीनों में नया संविधान तैयार हो जायेगा।

श्री के. संथानम : क्या माननीय सदस्य जानते हैं कि यदि उच्चतम न्यायालय की स्थापना में नई संविधान सभा तक विलंब होता है तो संविधान का लागू होने पर संक्रमण संबंधी कठिनाईयाँ होंगी।

माननीय अध्यक्ष : व्यवस्था बनाये रखें। व्यवस्था बनाये रखें। यह राय का प्रश्न है।

*****

(2)

*लंबित अपीलों का निर्णय करने के लिए प्रिवी कौंउसिल की न्यायिक समिति की अधिकारिता

5. श्री आर. आर. दिवाकर : (क) क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि प्रिवी कॉउसिल की न्यायिक समिति की अधिकारिता उसके समक्ष अब लंबित अपीलों तथा उन अपीलों पर, जो उसके बाद फाइल की जायेंगी, पर कार्यवाही उस समय तक होगी जब तक सिविल प्रक्रिया संहिता जैसे विद्यमान अधिनियमों में कोई परिवर्तन नहीं होता है?

(ख) प्रिवी कौंउसिल के सम्बन्ध में डोमिनियन सरकार की भावी नीति क्या होगी?

(ग) क्या सरकार का प्रिवी कौंउसिल की अधिकारिता मुक्त उच्चतम न्यायालय की शीघ्र स्थापना के औचित्य पर विचार करने का प्रस्ताव है?

(घ) यदि हाँ, तो इस प्रकार के न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में अपेक्षित उचित समय क्या है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) हाँ।

(ख) प्रिवी कॉउसिल की अपीलों के सम्बन्ध में सरकार की भावी नीति सामान्यतया नये संविधान में समाविष्ट संविधान सभा के विनिश्चय के अनुसार होगी।

(ग) नहीं, जब तक नया संविधान लागू नहीं होता है।

(घ) फिलहाल कोई अनुमान देना सम्भव नहीं है।

सेठ गोविंद दास : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि यदि संविधान सभा यह निर्णय लेती है कि कोई भी अपील प्रिवी कौंउसिल को नहीं भेजी जानी चाहिए, उन अपीलों का क्या होगा जो उस विनिश्चय से पहले ही प्रिवी कौंउसिल को भेजी जा चुकी हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे विश्वास है कि संविधान सभा ऐसे मामलों को शामिल करने के लिए अपना निश्चय करते समय, समुचित उपबंध करेगी।

---

* संसदीय सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–1, भाग–I, 18 नवम्बर, 1947, पृ. 71

(3)

*फेडरल न्यायालय और प्रिवी कांउसिल द्वारा विचारित मामलों की संख्या

8. श्री एस. नागप्पा : क्या विधि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) फेडरल न्यायालय द्वारा पिछले तीन वर्षों में वर्षवार विचारित मामलों की कुल संख्याः और

(ख) उन मामलों की कुल संख्या जो प्रिवी कौंउसिल को भेजे गये हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) वर्ष 1944, 1945 और 1946 इन तीन वर्षों के दौरान फेडरल न्यायालय ने जिन मामलों की सुनवाई की, उनकी संख्या क्रमशः 34, 16 थी।

(ख) उन्हीं तीन वर्षों के दौरान प्रिवी कौंउसिल में दायर की गई भारतीय अपीलों की कुल संख्या क्रमशः 58, 59 और 61 थीं।

श्री बी. एम. गुप्ते : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि प्रिवी कौंउसिल द्वारा अपीलों के कितने मामले आरक्षित किये गये थे।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह प्रश्न ही नहीं उठता है।

श्री बिश्वनाथ दास : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यदि राष्ट्रमंडल का कोई देश मुकदमा लड़ने वाली अपनी जनता को प्रिवी कौंउसिल में अपीलों को भेजने की अनुमति नहीं दे रहा है, क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सरकार इस प्रश्न के सम्बन्ध में संविधान सभा के निर्णय तथा वर्तमान दिन के मध्य कोई अंतरिम प्रबंध करने पर विचार कर रही है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं अपने माननीय मित्र के प्रश्न को बिल्कुल भी नहीं समझा लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि सरकार मामले की जांच कर रही है और यदि सरकार इसे व्यवहार्य पाती है तो वह अंतरिम कार्यवाही कर सकती है।

---

* संसदीय सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–1, भाग–I, 18 दिसम्बर, 1947, पृ. 75–76

श्री बिश्वनाथ दास : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि विशिष्ट कारण क्या है जिसकी जांच की जा रही है? मेरा प्रश्न बहुत स्पष्ट तथा विशिष्ट है। मैंने जो कहा था वह यह था कि राष्ट्रमंडल देश मुकदमा लड़ने अपनी जनता को प्रिवी कौंउसिल में अपीले भेजने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि भारत भी राष्ट्रमंडलीय देशों में से एक देश है, क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार करेगी या उन्होंने संविधान सभा के निर्णय और वर्तमान दिन के मध्य कोई आंतरिक प्रबंध करने के प्रश्न के इस पहलू पर विचार किया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने कहा था कि सरकार मामले पर विचार कर रही है और कोई कार्रवाई किये जाने से पहले सरकार को यह देखना होगा कि फेडरल न्यायालय उच्चतम न्यायालय बने और यदि वे प्रिवी कौंउसिल का कार्य करते हैं तो उस पर सौंपे गए काम करने के लिए उसे पूरे न्यायाधीश मिलें।

श्री बी. पोकर साहिब बहादुर : क्या माननीय मंत्री महोदय यह जानते हैं कि पूर्व सरकार में पार्टी के विकल्प के अनुसार प्रिवी कौंउसिल में अपीलों के पड़े रहने के अतिरिक्त इस बात को ध्यान में रखते हुए कि फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों के पास करने के लिए पर्याप्त काम नहीं है, अपीलों को फेडरल न्यायालय को भेजने के प्रश्न पर विचार कर रही थी और इस उपाय से मुकदमा लड़ने वाले लोगों को उच्च न्यायालयों के विरुद्ध अपनी अपीलों की पैरवी करना सुलभ हो सकता है।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : पूरे प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

*****

(4)

*फेडरल न्यायालय का गठन

श्री फूलन प्रसाद वर्मा : (क) क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत की संविधान सभा ने कतिपय अन्तर्वर्ती उपबंध पारित किये हैं जिसके द्वारा फेडरल न्यायालय उच्चतम न्यायालय समझा जायेगा और वह अंतिम अपीलीय न्यायालय होगा और नई अपीलें प्रिवी कॉउसिल को भेजने की अपेक्षा उच्चतम न्यायालय को भेजी जायेंगी?

(ख) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर हाँ है, तो सरकार ने उन उपबंधों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाये हैं या उठाये जा रहे हैं?

(ग) क्या सरकार यह जानती है कि परम्परागत उपबंध में यह निर्धारित किया गया है कि प्रिवी कॉउसिल के समक्ष लंबित पड़े मामलें प्रिवी कॉउसिल द्वारा ही निपटाये जायेंगे?

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर हाँ हो तो क्या सरकार का इस बात को स्पष्ट करने का प्रस्ताव है कि ''लंबित'' अभिव्यक्ति का ठीक–ठीक अभिप्राय क्या है?

(ड.) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मामले की सुस्पष्ट स्थिति के सम्बन्ध में मुकदमा लड़ने वाली जनता, वकीलों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के दिमाग में अनिश्चित्ता बहुत ज्यादा हैं?

(च) यदि उपर्युक्त भाग (ड.) का उत्तर हाँ है तो क्या सरकार का इस विषय के संबंध में कोई विवरण जारी करने का विचार है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) भारत ने संघीय संविधान समिति की सिफारिशों को ज्ञापन के उन संगत भागों को देखा है जिन्हें बाद में संविधान सभा

* संसदीय सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–1, भाग–I, 18 नवम्बर, 1947, पृ. 88

द्वारा अंगीकार कर लिया गया था।

(ख) सरकार इन सिफारिशों को लागू करने के लिए तब तक कोई कदम नहीं उठा सकती है जब तक संविधान में कोई उपबंध नहीं जोड़ा जाता है जो इस समय संविधान सभा द्वारा तैयार किया जा रहा है।

(ग) नहीं, महोदय। ऊपर उल्लिखित ज्ञापन में इस प्रकार की कोई सिफारिश अन्तर्विष्ट नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता। (ङ.) सरकार को मुकदमा लड़ने वाली जनता के दिमागों की किसी अनिश्चित्ता की कोई जानकारी नहीं है। उन्हें न्यायालयों के सदस्यों से इस विषय के संबंध में कुछ जांच प्राप्त हुई हैं लेकिन यह कोई ऐसा सुझाव नहीं देती कि अनिश्चित्ता बड़ी मात्रा में है।

(च) संविधान सभा द्वारा स्वीकृत संकल्प काफी स्पष्ट है और सरकार इस स्थिति में इस संबंध में कोई विवरण जारी करना आवश्यक नहीं समझती है।

*****

(5)

*हिंदू विधि संहिताकरण समिति का प्रतिवेदन

236 श्री के. संथानम : क्या माननीय विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या हिंदू विधि संहिताकरण समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो समिति की सिफारिशों के अनुसार कब तक विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) हाँ।

(ख) एक सरकारी विधेयक ठीक उसी शब्दावली में 11 अप्रैल, 1947 को भारतीय संविधान सभा में पुरःस्थापित किया गया था जिसमें हिंदू विधि समिति द्वारा प्रारूप तैयार किया गया था। 17 नवम्बर, 1947 को विधेयक को जारी रखने के लिए एक प्रस्ताव इस सदन द्वारा अंगीकार किया गया है।

*****

* संसदीय सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–1, भाग–I, 1 नवम्बर, 1947, पृ. 453

(6)

*हिंदू धर्मार्थ और धार्मिक न्यासों द्वारा आय का गबन

397 डॉ. पी. एस. देशमुख : (क) क्या माननीय विधि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) क्या सरकार को हिंदू धर्मार्थ तथा धार्मिक न्यासों से आय की बर्बादी और गबन की मात्रा की जानकारी है?

(ख) क्या सरकार का इन सभी न्यासों को समाप्त करने के लिए विधान पुरःस्थापित करने के औचित्य पर विचार करने का प्रस्ताव है ताकि सम्पत्तियों का राष्ट्र निर्माण के उद्देश्य में उपयोग किया जा सकें?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) नहीं महोदय, (ख) नहीं महोदय। इस प्रश्न को बिल्कुल छोड़कर कि क्या सभी हिंदू धर्मार्थ और न्यासों को समाप्त करने का विधान आवश्यक या वांछनीय है इस प्रकार का धार्मिक विधान प्रांतीय विधायी सूची की प्रविष्टि 34 के अन्तर्गत प्रांतीय क्षेत्र के भीतर आता है और केन्द्रीय सरकार इसलिए सुझाए गए विधान पर पहल नहीं कर सकती है।

*****

---

* संसदीय सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–1, भाग–I, 27 नवम्बर, 1947, पृ. 781

(7)

*गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गए अधिकरणों की संख्या तथा नाम

167 श्री मोहन लाल सक्सेना : (क) क्या माननीय विधि मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त कितने न्यायाधिकरण अभी भी कार्य कर रहे हैं?

(ख) क्या यह सच है कि इन अधिकरणों के बहुत से सदस्य अब पाकिस्तान के हैं?

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे सदस्यों की स्थिति क्या है और क्या उनके स्थान पर कोई दूसरे सदस्य नियुक्त कर लिये गये हैं?

(घ) क्या सरकार का निम्नलिखित जानकारी देते हुए एक विवरण सदन के पटल पर रखने का प्रस्ताव है:

(i) विभिन्न अधिकरणों के नाम;

(ii) विचारित किये गये तथा निपटाये गये मामलों की संख्या; और

(iii) प्रत्येक अधिकरण के कितने समय तक कार्य किया है और सरकार ने प्रत्येक अधिकरण पर कितनी धनराशि खर्च की है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) यह मान लिया जाता है कि माननीय सदस्य दंड विधि संशोधन अध्यादेश, 1943 के अधीन गठित विशेष अधिकरणों का उल्लेख कर रहे हैं। ऐसे अधिकरण जो अब तक कार्य कर रहे हैं उनकी संख्या चार है।

(ख) और (ग) तीन विशेष अधिकरण थे जिनका मुख्यालय लाहौर में था, उनके कुछ सदस्य अब पाकिस्तान में हैं। भारतीय स्वतंत्रता (विशेष अधिकरण) आदेश, 1947 के अन्तर्गत ये अधिकरण और इनके समक्ष लंबित मामले स्थानांतरित हो गये और अधिकरणों में से पाकिस्तान के सदस्यों तथा पाकिस्तान के संबंधित लंबित मामलों

---

* संसदीय सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–1, भाग–I, 27 नवम्बर, 1947, पृ. 781

सहित पश्चिमी पंजाब को सौंप दिया गया। अन्य दो अधिकरण भारत के सदस्यों तथा भारत से संबंधित लंबित मामलों सहित भारत को अंतरिम कर दिये गये और उनके पूर्वी पंजाब तथा बंबई विशेष अधिकरण नये नाम रखे गये। एक नये सदस्य जिससे पूर्वी पंजाब अधिकरण की संरचना पूरा करने की अपेक्षा थी, उन्हें बंबई सरकार द्वारा नियुक्त किया जा रहा है।

(घ) मांगी गई सूचना दर्शाने वाला विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

विभिन्न अधिकरणों के नाम	तारीख जिससे प्रत्येक अधिकरण कार्य कर रहा है	विचारण किये गये तथा निपटाये गये मामलों की संख्या	निपटान के लिए लंबित मामलों की संख्या	प्रत्येक मामले में खर्च की गई धन राशि
1	2	3	4	5
पहला अधिकरण कलकत्ता	सितम्बर, 1943	66	12	सूचना उपलब्ध नही है।
दूसरा विशेष अधिकरण कलकत्ता	जुलाई, 1945	शून्य	1	—वही—
पूर्वी पंजाब विशेष अधिकरण परवर्ती (तीसरा विशेष अधिकरण लाहौर)	मई, 1945	54*	79	—वही—
बुंबई विशेष अधिकरण (परवर्ती दूसरा विशेष अधिकरण लाहौर	फरवरी, 1945	6	2	—वही—

* सितम्बर, 1943 में गठित पहले लाहौर विशेष अधिकरण द्वारा निपटाये गये मामलों सहित जिसे अब पश्चिमी पंजाब विशेष अधिकरण नया नाम दिया गया है।

श्री एम. अनंतशयनम् अय्यंगर : महोदय, अधिकरण लंबित मामलों की निपटाने में कितना समय लेंगे?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं कोई निश्चित उत्तर देने में बिल्कुल असमर्थ हूँ।

श्री मोहन लाल सक्सेना : क्या यह सच है कि इन अधिकरणों के समक्ष बहुत से मामले लंबित पड़े हुए हैं।

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे विश्वास है, यह सच है।

श्री मोहन लाल सक्सेना : क्या माननीय विधि मंत्री उनके जल्दी निपटाने के लिए कोई कदम उठा रहे हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : ठीक है, अधिकरणों के समक्ष लंबित मामलों का जल्दी निपटारा कराना सरकार के मंत्री के लिए बहुत कठिन है, मामलों के निपटारे में विलंब का मुख्य कारण विभिन्न कारणों से पार्टियों द्वारा स्थगन प्राप्त करना होता है। स्थगनों की मंजूरी के लिए कोई पक्के नियम विहित करना बहुत कठिन है।

श्री आर. के. सिघवा : क्या इन स्थगनों के लिए कोई वैध कारण हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं नहीं कह सकता हूँ।

श्री मोहन लाल सक्सेना : क्या कोई निश्चित अवधि है, जिसके लिए इन अधिकरणों को नियुक्त किया गया है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं, महोदय।

*****

(8)

*आयकर अपीलीय अधिकरण का पुनर्गठन या उपांतरण करने का प्रस्ताव

287 श्री एम. अनंतशयनम् अय्यंगर : (क) क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आयकर अपीलीय अधिकरण का पुनर्गठन या उपांतर करने के लिए कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो वे प्रस्ताव क्या हैं?

(ख) क्या सरकार का आयकर अधिनियम के अधीन सभी मामलों में आयकर अपीलीय अधिकरण से प्रान्तीय उच्च न्यायालयों को निर्देशों को समाप्त करने के लिए कानून स्थापित करने तथा उनके स्थान पर सीधे फेडरल न्यायालय को निर्देश भेजने को प्रतिस्थापित करने पर विचार करने का कोई प्रस्ताव है जहाँ निर्देश का प्रावधान है।

(ग) क्या सरकार का आयकर अपीलीय अधिकरण का किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष नियुक्त करके, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, इसका स्तर बढ़ाने पर विचार करने का प्रस्ताव है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : (क) नहीं।

(ख) भारतीय आयकर अधिनियम के अधीन निर्देशों के लिए फेडरल न्यायालय को आरंभिक न्यायालय बनाने के सुझाव पर फेडरल न्यायालय की अधिकारिता को बढ़ाने के लिए प्रस्ताव के सम्बन्ध में वर्ष 1945–46 में पूर्णरूप से विचार किया गया था और विधायी विभाग के तारीख 15 जनवरी, 1945 के संकल्प के अनुसरण में सार्वजनिक राय ली गई थी। वह राय सुझाव के अत्यधिक विरुद्ध थी और स्वर्गीय श्री भूलाभाई देसाई ने इसे सिद्धांत रूप से अत्यधिक आपत्तिजनक और निर्धारितियों के लिए अनुपयुक्त बताया था। अब फेडरल न्यायालय नागरिक अपील के लिए उच्चतम न्यायालय है, इसलिए इसे आयकर निर्देशों के लिए आरंभिक न्यायालय

---

* संसदीय सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–1, भाग–I, 14 फरवरी, 1948, पृ. 719

बनाना अनुपयुक्त तथा विसंगत होगा।

(ग) आयकर अपीलीय अधिकरण से विधि के मुद्दों से संबंधित निर्देश उच्च न्यायालय में किए जाते हैं। इसका स्तर बढ़ाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है इसका अध्यक्ष नियुक्त करना आवश्यक नहीं है। अधिकरण का वर्तमान सतर बहुत ऊँचा है और इसका अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने में सावधानी बरती जाती है जो बार का वरिष्ठ सदस्य है या वरिष्ठ जिला न्यायाधीश है और जो खण्डपीठ के लिए प्रोन्नत किया जाता है।

वस्तुतः दोनों पूर्व अध्यक्ष अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं।

*****

(9)

*साधारण निर्वाचन

96 श्री देशबंधु गुप्ता : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या लोकसभा के लिए पहले आम चुनाव की कोई निश्चित तारीख निश्चय की गई है?

(ख) मतदाता सूचियाँ तैयार करने में क्या प्रगति की गई है और निर्वाचन तंत्र स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं।

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) लोकसभा के लिए पहले आम चुनाव की कोई तारीखें निश्चित नहीं की गई है। स्पष्ट रूप से ऐसा करना बहुत जल्दी है।

(ख) मतदाता सूचियाँ तैयार करने के संबंध में संविधान सभा के आखिरी सत्र में तारांकित प्रश्न संख्या 469 का पिछले 9 दिसम्बर को दिये गये उत्तर की ओर ध्यान आकषित किया जाता है। पिछले दो महीनों के दौरान राज्यों ने कुछ और प्रगति की है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यालय की स्थापना की जा चुकी है, और उसके प्राधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निकट भविष्य में किये जाने की आशा है। निर्वाचन से संबंधित विभिन्न मामलों को शामिल करते हुए एक व्यापक विधेयक को तैयार करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।

श्री देशबंधु गुप्ता : क्या मंत्री महोदय का ध्यान हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि निर्वाचन, वर्ष 1950 के अंत में किया जायेगा? क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार का यही निर्णय है? और यदि

---

* संसदीय सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–1, भाग–I, 6 फरवरी, 1947, पृ. 79

हाँ, तो क्या निर्वाचक नामावलियाँ आदि तैयार करने में की गई प्रगति वर्ष 1950 में निर्वाचन कराये जाने के लिए पर्याप्त है?

प्रधानमंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू) : मेरा वक्तव्य था "अगली सर्दियों के दौरान" इस वर्ष के अंत में नहीं : लेकिन वर्ष 1950–51 की शरद ऋतु में।

श्री त्यागी : विभिन्न राज्यों में पिछले छः या सात महीनों के दौरान रिक्त हुए स्थानों के लिए उप–चुनाव कराने के लिए क्या प्रबंध किये जा रहे हैं?

डॉ. अम्बेडकर : यह वह मामला है जिसे प्रांतों के राज्यपालों के ऊपर छोड़ दिया गया है और वे भी ऐसे आदेशों के अंतर्गत है जिनके अधीन संविधान द्वारा राष्ट्रपति को इस संबंध में आदेश देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

श्री व्यास : क्या सरकार ने ऐसे राज्यों के मामले में जहाँ आज कोई विधान मंडल नहीं है, तैयार करवाने के लिए कोई विशेष ध्यान दिया है?

डॉ. अम्बेडकर : निश्चित रूप से।

श्री भारती : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या यह सच है कि भारत सरकार ने वर्ष 1951 की जनगणना के पश्चात् निर्वाचन कराने की वांछनीयता के सम्बन्ध में प्रांतों और राज्यों से उनकी राय मांगी है ताकि कुछ सांस लेने का समय मिल सके? मैंने उन कागजातों से समझा है जिनके माध्यम से भारत सरकार ने वर्ष 1951 की जनगणना के पश्चात् आम चुनाव कराये जाने के औचित्य के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों से उनकी राय मांगी है।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे इस प्रकार के किसी प्रस्ताव की जानकारी नहीं है।

श्री त्यागी : क्या सरकार की जानकारी में सीटों के ऐसे कोई उदाहरण आये हैं जो एक महीने पहले विभिन्न राज्यों में रिक्त हुए थे और जिन्हें अभी तक भरा नहीं गया है।

डॉ. अम्बेडकर : यह मामला प्रांत के लिए है।

श्री देशबंधु गुप्ता : क्या माननीय मंत्री को इस बात की जानकारी है कि उप प्रधानमंत्री ने संविधान सभा को यह आश्वासन दिये थे कि पूर्वी पंजाब, दिल्ली और शायद बंबई या पश्चिम बंगाल जैसे कुछ क्षेत्रों में नये चुनाव नई जनगणना पर आधारित होंगे? यदि ऐसा है तो नये चुनावों के लिए निर्वाचक नामावलियाँ तैयार किये जाने से पहले इन क्षेत्रों में जनगणना के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मेरे विचार में, यह तथ्यों का सही विवरण नहीं है।

श्री देशबंधु गुप्ता : क्या मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान उस प्रश्न और विधि मंत्री

जी द्वारा दिये गये उत्तर की ओर आकृष्ट कर सकता हूँ और उनसे पूछ सकता हूँ कि क्या यह सच है अथवा नहीं कि उपप्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया था।

माननीय अध्यक्ष : माननीय गष्ह मंत्री ने पहले ही प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री देशबंधु गुप्ता : वे यह कहते हैं कि यह सच नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि क्या यह सच है या नहीं। यह आश्वासन रिकार्ड पर है।

श्री कॉमथ : क्या मंत्री महोदय का ध्यान मद्रास के यूनाइटेड प्रेस ऑफ इंडिया की उस रिपोर्ट की ओर आकष्ट किया गया है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को सम्बोधित एक प्रश्न में उनसे यह पूछा था कि क्या राज्यों के विधानमंडलों के चुनाव वर्ष 1951 में जनगणना समाप्त होने के कुछ महीनों बाद कराना उनके लिए सुविधाजनक होगा?

डॉ. अम्बेडकर : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

*****

(10)

*अनुसूचित जातियों की सूची

806 प्रो. यशवंत राय : क्या माननीय विधि मंत्री संविधान के अनुच्छेद 341 को देखने तथा यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी जातियाँ यह जानने के लिए चिंतित हैं कि उन्हें अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया गया है, अथवा नहीं; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं। और अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल की गई जातियों की घोषणा कब की जाएगी।

विधि मंत्री (डॉ. बी. आर. अम्बेडकर) : (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 341 की अपेक्षा के अनुसार राज्यों के राज्यपालों तथा राजप्रमुखों से उन जातियों, वंशों और जनजातियों के रूप में संविधान के उद्देश्य के लिए उल्लिखित किया जाना है और उनके विचारों तथा सुझावों की अब जांच की जा रही है। इस जांच के शीघ्र पूरा होने की आशा है और उनके पश्चात् अनुसूचित जातियों का उल्लेख करते हुए अधिसूचना जारी की जाएगी।

प्रो. यशवंत राय : महोदय, क्या मैं यह जान सकता हूँ कि सरकार सूची की घोषणा करने में कितना समय लगाएगी।

* संसदीय सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–1, भाग–I, 13 मार्च, 1950, पृ. 791

डॉ. अम्बेडकर : मैंने कहा है, ''शीघ्र''! मुझे विश्वास है कि इसमें अधिक समय नहीं लगेगा।

श्री रत्नास्वामी : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि जातियों की सूची में शामिल करने के संबंध में सरकार ने यह निर्णय किस आधार पर लिया है?

डॉ. अम्बेडकर : प्रश्न स्पष्ट नहीं है। हमने भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अधीन अनुसूची प्राप्त की है। इसके अतिरिक्त हमने कुछ अन्य जातियों को शामिल किये जाने के सम्बन्ध में प्रांतीय सरकारों की राय जानने के लिए उनसे कुछ प्रश्न पूछे हैं। जैसे ही उनकी राय प्राप्त हो जाएगी, सूचियाँ जारी कर दी जायेंगी।

डॉ. एम. एम. दास : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि आगामी जनगणना में अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जातियाँ माना जायेगा।

डॉ. अम्बेडकर : मैं ऐसा मानता हूँ।

सरदार बी. एस. मान : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या संकलित की जाने वाली प्रस्तावित सूचियाँ देश के सभी राज्यों के लिए समान रूप से लागू होंगी अथवा क्या वे प्रत्येक राज्य के लिए अलग–अलग होंगी।

डॉ. अम्बेडकर : ऐसा नहीं हो सकता है। ये हमेशा प्रांतीय सूची होंगी।

श्री बूरागोहैन : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या अनुसूचित जनजातियों की सूची की भी जांच हो रही है।

डॉ. अम्बेडकर : ओह, हाँ।

श्री त्यागी : क्या सरकार का आशय उन जातियों को सूची में शामिल नहीं किये जाने का है जिन्होंने तथाकथित हिन्दू जातियों के बराबर प्रगति कर ली है।

डॉ. अम्बेडकर : अनुसूचित जातियाँ हमेशा अछूत रही हैं। कुछ भी कम नहीं।

श्री त्यागी : क्या सरकार का आशय सूचियों में परिवर्तन करने का है ताकि उन जातियों को निकाला जा सके जिनके साथ, उनके प्रगति करने के बाद छूआछूत नहीं की जाती है?

डॉ. अम्बेडकर : अनुसूचियों को बदले जाने की प्रक्रिया संविधान में उपलब्ध है। यह संसदीय विधान द्वारा किया जा सकता है।

श्री नायक : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 340 को लागू करने के लिए कोई कदम उठाये हैं?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आयोग की नियुक्ति एक अलग मामला है। वह भी विचाराधीन है।

श्रीमती दुर्गाबाई : चूंकि अस्पृश्यता पर संविधान द्वारा रोक लगा दी गई है, क्या यह अब भी निकालने या शामिल करने का आधार बन सकती हैं?

श्री बर्मन : क्या अंतिम सूची के प्रकाशित किये जाने से पहले अंतरित सूची प्रकाशित करने का विचार है?

डॉ. अम्बेडकर : यह अनुध्यात नहीं है, क्योंकि सूची जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गयी है।

*****

(11)

*निर्वाचक नामावली

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) संविधान के अंतर्गत होने वाले आम चुनावों पर आने वाले कुल व्यय के बारे में बताना बहुत अधिक जल्द बाजी होगी। अब तक प्राप्त हुई सूचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भाग 'क' और भाग 'ख' के राज्यों को केन्द्र वर्ष 1949–50 के दौरान 1.86 करोड़ रुपये तथा वर्ष 1950–51 के दौरान 1.34 करोड़ रुपए देगा और इस धनराशि का अधिकांश भाग निर्वाचक नामावलियों को प्रकाशित करने और उन्हें तैयार करने पर व्यय किया जाएगा।

(ख) निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने और उन्हें प्रकाशित करने में राज्य सरकारों द्वारा खर्च की गई अतिरिक्त राशि को केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा आधा–आधा वहन किया जाएगा। केवल लोकसभा चुनाव होने की स्थिति में राज्य सरकारों द्वारा व्यय की गई अतिरिक्त लागत को पूर्ण रूप से केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा किन्तु यदि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ–साथ हो रहे हों तो इस अतिरिक्त लागत को केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा आधा–आधा वहन किया जाएगा। यहाँ पर ''अतिरिक्त लागत'' का अर्थ उस खर्च से है जिसे राज्य सरकार निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने, उन्हें प्रकाशित करवाने अथवा चुनाव प्रक्रिया में खर्च करती है जिसमें वर्तमान राज्य सरकार के किसी भी अंग का कोई व्यय शामिल नहीं है। दूसरे शब्दों में, अतिरिक्त लागत को निकालते समय इसमें राज्य सरकारों के वर्तमान अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा।

श्री नन्दकिशोर दास : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन का कार्य पूरा हो गया है?

---

* संसदीय सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–4, भाग–I, 21 मार्च, 1950, पृ. 964

डॉ. अम्बेडकर : जी नहीं, इस कार्य की अलग–अलग राज्यों में अलग–अलग स्थिति है।

श्री नन्द किशोर दास : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्रीय संसद के चुनाव खर्च में निर्वाचन आयुक्त और उनके कार्यालय का खर्च भी शामिल किया जाएगा?

डॉ. अम्बेडकर : नहीं, वह अलग खर्चा है।

श्रीमती दुर्गाबाई : मैं जानना चाहती हूँ, कि क्या संविधान के अंतर्गत विचाराधीन निर्वाचन आयोग की स्थापना कर दी गई है: यदि नहीं, तो कब तक कर दी जाएगी?

डॉ. अम्बेडकर : मेरा ख्याल है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो गई है और वह या तो आज अपना कार्यभार संभाल रहे हैं अथवा कल से ही उन्होंने अपना कार्यभार संभाल लिया है।

श्री त्यागी : मैं राज्य विधानसभा के उप चुनाव के बारे में आज की स्थिति जानना चाहता हूँ कि क्या ये उप चुनाव पुरानी निर्वाचक नामावलियों के आधार पर होंगे अथवा नई निर्वाचक नामावलियों के आधार पर?

डॉ. अम्बेडकर : वर्तमान निर्वाचक नामावलियों के आधार पर होंगे, क्योंकि चुनाव के समय वही उपलब्ध होंगी।

श्री टी.टी. कृष्णमाचारी : मैं जानना चाहता हूँ कि नियुक्त किए गए निर्वाचन आयुक्त जो कुछेक दिनों में अपना कार्यभार संभालने वाले हैं, क्या उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदामिहित किया गया है? यदि ऐसा है तो क्या और निर्वाचन आयुक्तों की भी नियुक्ति की जाएगी? यदि हाँ, तो यह संख्या क्या होगी?

डॉ. अम्बेडकर : प्रश्न के बाद के भाग के बारे में सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्रीमती दुर्गाबाई : क्या मैं जान सकती हूँ कि इस निर्वाचन आयुक्त का कार्य क्षेत्र क्या होगा?

डॉ. अम्बेडकर : उसका पहले ही संविधान में वर्णन किया जा चुका है।

श्री कॉमथ : क्या विधि मंत्री यह बताने की स्थिति में हैं कि आम चुनाव दशकीय जनगणना के पहले होंगे या बाद में?

डॉ. अम्बेडकर : मैं कोई वादा तो नहीं करता पर मैं ऐसा मानता हूँ कि दशकीय जनगणना का निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने के कार्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और साथ ही सीटों के मामले पर भी। इसलिए इस कार्य को चलने दीजिए।

श्री ए. पी. जैन : किसी भी राज्य में अंतिम निर्वाचक नामावली के कब तक प्रकाशित हो जाने की उम्मीद है?

डॉ. अम्बेडकर : आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं यह नहीं समझ पाया कि मेरे मित्र का ''प्रकाशित होने'' से क्या तात्पर्य है? क्या वे अनंतिम सूची की बात कर रहे हैं अथवा संशोधित सूची की अथवा अंतिम सूची की?

श्री ए. पी. जैन :मेरा आशय अंतिम सूची से है।

डॉ. अम्बेडकर : कोई निश्चित तारीख बताना तो बहुत कठिन है परन्तु हम आशा करते हैं कि यह कार्य अगली जनवरी अथवा फरवरी तक कभी भी पूरा हो जाएगा।

सेठ गोविन्द दास : चुनाव बजट के कब तक तैयार हो जाने की आशा है? और क्या इसे संसद के समक्ष रखा जाएगा?

डॉ. अम्बेडकर : मैं कुछ समझा नहीं।

माननीय अध्यक्ष : क्या यह संभव है कि अगला बजट पेश करने से पूर्व चुनाव व्यय का आकलन कर लिया जाएगा और क्या इसे संसद के समक्ष रखा जायेगा।

डॉ. अम्बेडकर : यह विनियोग अधिनियम के अंतर्गत आएगा।

सेठ गोविन्द दास : इसके कब तक तैयार हो जाने की आशा है?

माननीय अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

प्रो. रंगा : क्या सरकार तथा राज्य सरकारों ने ऐसी कोई तारीख निर्धारित की है कि उन्हें अमुक तारीख तक इन सूचियों को तैयार करके इनकी संवीक्षा करने के पश्चात् इन्हें अंतिम रूप देना है?

डॉ. अम्बेडकर : जी हाँ श्रीमान्।

प्राो. रंगा : वह तारीख क्या है?

डॉ. अम्बेडकर : मुझे इसकी सूचना नहीं है, हमें आशा है कि निर्वाचक नामावलियों का यह कार्य अगले वर्ष के प्रारंभ तक पूरा हो जाएगा।

श्रीमती दुर्गाबाई : मैं जानना चाहती हूँ कि क्या निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन से संबंधित चुनाव कार्य और द्विभाषी क्षेत्रों का मामला भी निर्वाचन आयुक्त के कार्यों में शामिल है?

डॉ. अम्बेडकर : द्विभाषी क्षेत्र?

श्रीमती दुर्गाबाई : निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य?

डॉ. अम्बेडकर : निश्चित रूप से यह निर्वाचन आयुक्त का कार्य होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इस सत्र में ''लोक प्रतिनिधित्व विधेयक'' नाम का एक विधेयक ला रहा हूँ जिसमें निर्वाचन आयुक्त में निहित शक्तियों और उनके प्रयोग का उपबंध होगा ताकि वे इस मामले में सही कार्य कर सकें।

श्री ए. पी. जैन : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि सरकार के विचाराधीन वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावलियाँ पूरी हो जाने के पश्चात् अंतिम रूप से चुनाव होने में कितना समय लगेगा?

डॉ. अम्बेडकर : मैं कोई अटकल लगाना नहीं चाहता।

*****

(12)

*आयकर अपीलीय अधिकरण

1106 लाला राजकंवर : क्या विधि मंत्री निम्नलिखित जानकारी युक्त विवरण सभापटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) देश में आयकर अपीलीय अधिकरणों की संख्या कितनी है। इनमें प्रत्येक में कितने–कितने कर्मचारी हैं?

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन अधिकरणों द्वारा कितने मामले शुरू किए गए और कितने मामले निपटाए गए?

(ग) प्रत्येक अधिकरण में इस समय कितने–कितने मामले लम्बित पड़े हैं?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : एक विवरण सभापटल पर रखा है। (कृपया परिशिष्ट V, उपबंध नं. 55 देखें)। (यहाँ पर नहीं दिया गया है)

लाला राजकंवर : लम्बित मामलों को तेजी से निपटाए जाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है।

डॉ. अम्बेडकर : मेरा विचार है कि मामलों के निपटारे का कार्य संतोषजनक है। यदि वह संतोषजनक नहीं है तो सरकार और अधिकरणों की स्थापना करेगी।

श्री टी. टी. कृष्णमाचारी : मैं जानना चाहता हूँ कि अधिकरण के सदस्यों को दिए जाने वाले वेतन को हाल में कम किया है अथवा पुनः श्रेणीकरण किया गया है?

श्रीमती दुर्गाबाई : मैं जानना चाहती हूँ कि इन अधिकरणों में नियुक्तियाँ कैसे की जाती हैं?

डॉ. अम्बेडकर : ये नियुक्तियाँ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती हैं।

---

* संसदीय सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–4, भाग–I, 24 नवम्बर, 1947, पृ. 1059

(13)

*विधि मंत्रालय में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

123 प्रो. यशवन्त राय : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विधि मंत्रालय में निम्नलिखित श्रेणियों में अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(i) राजपत्रित अधिकारी, (ii) अधीक्षक और सहायक; तथा (iii) उच्च श्रेणी तथा अवर श्रेणी लिपिक और स्टेनोग्राफर;

(ख) क्या यह संख्या अनुसूचित जातियों के आरक्षण के बराबर नहीं है; और

(ग) सरकार का भारत के संविधान के अनुच्छेद 335 के अनुसार किए गए आरक्षण को पूरा करने के लिए कौन से विशेष कदम उठाने का विचार है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) विधि मंत्रालय में अनुसूचित–जाति–कर्मचारियों की संख्या निम्न प्रकार है:–

राजपत्रित अधिकार	–	शून्य
अधीक्षक	–	शून्य
सहायक	–	2
उच्च श्रेणी लिपिक	–	शून्य
अवर श्रेणी लिपिक	–	3
स्टेनोग्राफर	–	1

(ख) जिन श्रेणियों में आरक्षण नियम लागू हैं उनमें अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों की संख्या निर्धारित आरक्षण से कम है।

(ग) वर्ष 1949 के गृहमंत्रालय के कार्यकलापों की समीक्षा खंड (II) के पैरा 5 तथा पैरा 7 के दूसरे और तीसरे उपपैरा पर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

*****

* संसदीय सभा (विधायी) वाद–विवाद, खंड–4, भाग–I, 24 नवम्बर, 1947, पृ. 1067

(14)

*हिन्दू कोड बिल सलाहकार समिति

1352 श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिंदू कोड बिल संबंधी गैर–सरकारी सलाहकार समिति में क्या किसी महिला संगठन के प्रतिनिधि को शामिल किया गया है अथवा किए जाने का विचार है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : इस बारे में मेरा यह कहना है कि यह उल्लेख उस प्रस्तावित औपचारिक सम्मेलन से संबंधित है जो हिंदू कोड बिल के बारे में संसद के भीतर तथा बाहर प्रतिनिधि लोकमत का पता लगाने के लिए है जैसा की इस बिल पर हुई चर्चा के दौरान 19 दिसम्बर, 1949 को माननीय प्रधानमंत्री ने इस सदन में घोषणा की थी। सरकार का इरादा इस सम्मेलन को यथासंभव प्रतिनिधिक स्वरूप प्रदान करने का है और निःसंदेह इस सम्मेलन में महिला संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन : इस सच्चाई को ध्यान में रखते हुए कि हिंदू कोड देश के पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित करेगा (हंसी का ठहाका)। महोदय, इस मामले में मैं आपका संरक्षण चाहती हूँ। सदन में जब किसी महिला के अधिकारों की बात उठती है तो सामान्यतः सदस्य ऐसे हंसने लगते हैं जैसे कि यह मजाक का विषय हो। लेकिन मेरे लिए यह मजाक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि विधि मंत्री हमें यह बताएं कि क्या हिंदू कोड बिल वास्तव में महिलाओं को बड़े पैमाने पर प्रभावित करेगा। भारत में अनेकों महिला संगठन हैं और उनसे शीघ्र ही बुलाई जाने वाली इस सलाहकार समिति के लिए अपने–अपने प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा गया है।

डॉ. अम्बेडकर : यही बात तो उत्तर में कही गई है।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन : क्या मैं आपसे यह पूछ सकती हूँ कि उन महिला संगठनों के नाम क्या हैं जिन्हें इस सलाहकार समिति में अपना–अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए कहा गया है?

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–1, भाग–I, 3 अप्रैल, 1950, पृ. 1267

डॉ. अम्बेडकर : मुझे अफसोस है कि मुझे उनके नाम याद नहीं हैं लेकिन मेरा इरादा निश्चित रूप से उन महिला संगठनों को आमंत्रित करने का है जिनके पास हमारी सूचना पहुंच चुकी है परन्तु वे इस कोड के ज्यादा पक्ष में नहीं है।

श्रीमती अम्मू स्वामीनाथन : क्या आप मुझे यह बताएंगे कि यह सम्मेलन कब होने जा रहा है?

डॉ. अम्बेडकर : आशा करता हूँ कि इस मास की 14 तारीख को होने जा रहा है।

श्री देशबंधु गुप्ता : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सदन के उन सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है जो इस कोड का विरोध करते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : सम्मेलन को तीन भागों में विभाजित किया गया है। इसमें प्रवर समिति के सदस्य होंगे और सदन का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य होंगे तथा अन्य सदस्य भी होंगे जो न तो सदन के सदस्य होंगे और न ही समिति के, बल्कि वे बाहर के होंगे।

श्री बी. दास : मैं जानना चाहूँगा कि क्या माननीय विधि मंत्री महोदय सरकार को हिंदू कोड बिल पास करने के लिए इस सदन का विशेष सत्र बुलाने की सलाह देंगे?

डॉ. अम्बेडकर : इस बात का पहले से पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता नहीं है.

माननीय अध्यक्ष : कृपया शान्त हो जाइए। मैं इस प्रश्न को उठाने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री देशबंधु गुप्ता : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या माननीय मंत्री महोदय को समाज के विभिन्न वर्गों से इस आशय के सुझाव प्राप्त हुए हैं कि कुंभ के मेले को ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन की तारीख कुछ दिन के लिए आगे बढ़ायी जाए ताकि कुंभ से लौट कर आने वाले इस सम्मेलन में भाग ले सकें?

डॉ. अम्बेडकर : मुझे इस आशय का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु मैंने समाचार–पत्रों में कुछ वक्तव्य जरूर देखें हैं।

श्री एम. ए. अय्यंगर : मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूँगा कि उन्होंने प्रवर समिति से सदस्यों का चुनाव करने के लिए क्या सिद्धांत अपनाया है? क्या उन्होंने इस कोड के विरोध में कुछ भी बोलने वाले लोगों से परहेज किया है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं समझता कि मेरे दिमाग में किसी भी तरह का कोई पक्षपात है।

श्री एम. ए. अय्यंगर : मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रवर समिति से चुने गए कितने सदस्य इस बिल के पक्ष में हैं और कितने विपक्ष में हैं तथा कितने सदस्यों को इस पर सन्देह है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ कि कुछ सदस्य इसके पक्ष में हैं, कुछ इसके विपक्ष में हैं और बहुत से सदस्यों की स्थिति संदिग्ध है।

(15)

*संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते

726 मौलवी वाजिद अली : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का संविधान के अनुच्छेद 106 के परिप्रेक्ष्य में निकट भविष्य में संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों के संबंध में कोई विधेयक लाने का विचार है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : जी नहीं श्रीमान्। माननीय सदस्य द्वारा उल्लेखित अनुच्छेद के दूसरे भाग को ध्यान में रखते हुए सरकार संसद सदस्यों के वेतन और भत्तों के संबंध में कोई विधेयक लाना आवश्यक नहीं समझती। ऐसा लगता है कि इस संबंध में वर्तमान स्थिति संतोषजनक है।

मौलवी वाजिद अली : यह सच नहीं है कि उपर्युक्त अनुच्छेद में वर्तमान संसद के संबंध में कुछ नहीं कहा गया है? मेरा प्रश्न भावी लोक सभा से संबंधित है जिसका जिक्र माननीय मंत्री महोदय अपने प्रस्तावित विधेयक में कर चुके हैं।

डॉ. अम्बेडकर : इस सदन की ओर से मुझे औपचारिक रूप से लिखित ऐसा कोई संदेश प्राप्त नहीं हुआ है कि वर्तमान व्यवस्था असंतोषजनक है।

श्री ब्रजेश्वर प्रसाद : क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है कि वर्तमान में दिए जा रहे रेल यात्रा भत्ते के स्थान पर रेलवे का प्रथम श्रेणी का पास प्रदान किया जाए?

डॉ. अम्बेडकर : यह एक सुझाव है जिस पर विचार किया जा सकता है।

*****

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–1, भाग–II, 15 अप्रैल, 1950, पृ. 1557

(16)

*आम चुनाव

5 श्री कॉमथ : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करने और भाग क, ख और ग के राज्यों में प्रत्येक राज्य में निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन के कार्य के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) नए संविधान के अंतर्गत आम चुनाव कराने के लिए कौन–सी तारीख निर्धारित की गई है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : सदन के पटल पर एक विवरण रखा है (कृपया परिशिष्ट 1 का अनुलग्नक 4 देखें।)

(ख) इस प्रश्न पर कल राष्ट्रपति सत्रारंभ के अभिभाषण में चर्चा की गई थी।

श्री कॉमथ : महोदय, क्या यह सच है कि अक्तूबर माह के दौरान जारी किए गए राष्ट्रपति के आदेश में भारतीय संघ के भाग क और भाग ख के राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 179 लाख के लगभग बताई गई है जबकि सन् 1941 की जनगणना के अनुसार इन राज्यों में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या 248 लाख के लगभग है?

डॉ. अम्बेडकर : यह प्रश्न माननीय गृह मंत्री महोदय से पूछा जाना चाहिए।

डॉ. देशमुख : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या विधि मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान व्यवस्था के चलते अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा और क्या वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति उम्मीदवारों के दोहरे निर्वाचन–क्षेत्रों को घटाकर एक निर्वाचन–क्षेत्र करने पर विचार कर रहे हैं।

डॉ. अम्बेडकर : निश्चित रूप से यह मामला सदन द्वारा उस समय निपटा लिया जाएगा जिस समय सदन में निर्वाचन–क्षेत्रों से संबंधित आदेश रखा जाएगा।

प्रो. रंगा : क्या संविधान के अनुसार यह निहायत जरूरी है कि संसद अर्थात् लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक ही साथ कराये जाएं।

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–6, भाग–II, 15 अप्रैल, 1950, पृ. 12

डॉ. अम्बेडकर : इस मामले को निर्वाचन आयुक्त द्वारा अपनी सुविधा के अनुसार निपटा लिया जाएगा।

सरदार बी. एस. मान : क्या मैं यह जान सकता हूँ कि निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन के मामले में शीघ्र ही की जाने वाली 1951 की जनगणना का उपयोग किया जाएगा अथवा इस समय उपलब्ध वर्ष 1941 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग किया जाएगा?

डॉ. अम्बेडकर : मेरे विचार में, संविधान में यह उपबंध किया गया है कि अनंतिम संसद के अस्तित्व में आने के तीन वर्ष के भीतर चुनाव कराए जाएंगे। जहाँ तक जनगणना का सवाल है, पुरानी जनगणना को भी आधार बनाया जा सकता है लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति द्वारा मतदाताओं की संख्या के आधार पर पंजाब तथा पश्चिम बंगाल जैसे कतिपय प्रांतों की जनसंख्या का आंकलन करा लिया जाए।

श्री केशव राव : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या अल्प–संख्यक समुदायों की ओर से अपने लिए बहु–सदस्यीय निर्वाचन–क्षेत्रों के विषय से संबंधी कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं?

डॉ. अम्बेडकर : मैं नहीं जानता हूँ कि निर्वाचन आयोग को क्या शिकायतें प्राप्त हुई हैं, परन्तु मैं यह कह सकता हूँ कि इस संबंध में मुझे अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

डॉ. देशमुख : क्या आप बताएंगे कि राष्ट्रपति के पहले वाले आदेश के अधीन जिन जातियों की आपत्तियों का लोप कर दिया गया था, क्या सरकार उनकी आपत्तियों पर विचार करने जा रही है?

डॉ. अम्बेडकर : इस बात पर इस समय विचार नहीं किया जा सकता। संविधान में यह उपबंध है कि जब कभी राष्ट्रपति विभिन्न जातियों और जनजातियों के संबंध में कोई आदेश देता है तो उसमें सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जाती है और मामले को संसद की कार्यवाही के लिए छोड़ दिया जाता है।

श्री त्यागी : माननीय मंत्री का अंतिम रूप से तैयार लोक प्रतिनिधित्व विधेयक को और मतदान नियमों को इस सदन में कब पेश करना प्रस्तावित करते हैं?

डॉ. अम्बेडकर : विधेयक को मैं निश्चित रूप से इसी सत्र के दौरान सदन के समक्ष रखने जा रहा हूँ किन्तु मैं यह नहीं समझ पाया हूँ कि मेरे माननीय मित्र का 'नियमों' से क्या अभिप्राय है।

श्री त्यागी : नियमों से मेरा मतलब चुनावों के नियमों से है।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे यह मालूम नहीं है कि हम जब तब इस अधिनियम को पारित नहीं कर देते हैं तब तक चुनाव संबंधी नियम बनाएंगे अथवा नहीं।

श्री आर. के. चौधरी : महोदय, क्या यह तथ्य है कि माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा अवधारित की गई जनसंख्या पर अनेक गंभीर आपत्तियाँ इस आधार पर की गई हैं कि अवधारित जनसंख्या कुछ दृष्टांतों में 1941 की जनगणना की तुलना में कम आई है और चूंकि इसका अवधारण जो मतदाता सूची में वर्णित मतदाताओं की संख्या के आधार पर किया गया है, दोष युक्त पाई गई हैं इसलिए क्या अवधारित जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के पुनरीक्षण की संभावना है?

डॉ. अम्बेडकर : यह प्रश्न माननीय गृहमंत्री जी से पूछा जाना चाहिए।

श्री चंद्रिका राम : क्या मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करने वाले राज्यों की संख्या जान सकता हूँ?

डॉ. अम्बेडकर : मैं ऐसा नहीं समझता कि अनुसूचित जातियों के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य ऐसा है कि जिसका परिसीमन आम निर्वाचन के परिसीमन से अलग करने की आवश्यकता है।

श्री कॉमथ : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आम चुनावों की तिथि अप्रैल–मई से आगे बढ़ाकर नवम्बर–दिसम्बर, 1951 कर दी गई है, क्या मतदाताओं की अर्हता तारीखें और अर्हता अवधि में कोई परिवर्तन किया जाएगा?

डॉ. अम्बेडकर : जब तक पहले से पारित अधिनियम में संशोधन नहीं हो जाता है, हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते।

माननीय अध्यक्ष : मेरा ख़्याल है कि हमें अगला प्रश्न लेना चाहिए।

*****

(17)

*आम चुनाव

134 श्री देशबंधु गुप्ता : (क) क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने अगले आम चुनावों के लिए महीने के अंतिम रूप से नियत कर लिया है और यदि हाँ, तो वह कौन–सा महीना है?

(ख) क्या संसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही कराए जाएंगे?

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–6, भाग–II, 20 नवम्बर, 1950, पृ. 138

(ग) इस विषय पर प्रत्येक राज्य द्वारा व्यक्त किए गए विचार क्या हैं?

(घ) लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग–अलग कुल कितने मतदाता नामांकित हैं और निर्वाचक नामावलियों को अंतिम रूप से कब प्रकाशित किया जाएगा?

(ड.) इस चुनावों पर कितना व्यय होने का अनुमान है;

(च) इस कार्य के लिए कितने अधिकारियों को कितने समय के लिए लगाया जाएगा?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) प्रश्न के इस भाग पर दिनांक 14 नवम्बर, 1950 को राष्ट्रपति के सत्रारंभ के अवसर पर दिए गए अभिभाषण में विचार कर लिया गया है।

(ख) किसी राज्य के संसदीय निर्वाचन–क्षेत्रों में लोकसभा और उस राज्य के विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों, यदि कोई हों, में साथ–साथ चुनाव कराए जाने का विचार है, लगभग उसी समय राज्य विधान परिषदों के चुनाव भी कराए जाएंगे लेकिन साथ–साथ नहीं;

(ग) सभी राज्य इस पक्ष में हैं कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव साथ–साथ ही कराए जाएं;

(घ) लोक सभा और राज्य विधानसभाओं के लिए वही मतदाता हैं। जहाँ तक मतदाताओं की गिनती का सवाल है, लोकसभा के लिए मतदाताओं की कुल संख्या दर्शाने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा है (देखिए परिशिष्ट I उपाबंध संख्या 29)

अनुपूरक मतदाताओं के आंकड़े अभी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, भोपाल, बिलासपुर, कुर्ग और हिमाचल प्रदेश से आने हैं। भाग क और भाग ख (जम्मू और कश्मीर) के अलावा के राज्यों में राज्यसभा के लिए आवंटित सीटों के लिए मतदाताओं की संख्या 30,55 है। भाग 'ग' के लिए राज्यसभा के लिए आवंटित सीटों को भरने के लिए चुनाव की पद्धति संसद द्वारा तय की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में संशोधन करने के लिए चालू सत्र के दौरान एक विधेयक पेश करने का विचार है। भाग 'क' के राज्यों तथा मैसूर में विधान परिषदों के लिए निर्वाचक नामावलियों को तैयार करने का कार्य चल रहा है और उन मतदाताओं के बारे में कोई भी विचार प्रस्तुत करना असंभव नहीं है। जैसे ही निर्वाचन –क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य तथा अनंतिम निर्वाचक नामावलियों संबंधी दावों तथा एतराजों का समाधान हो जाएगा वैसे ही नामावलियों को यथाशीघ्र अनंतिम

रूप से प्रकाशित कर दिया जाएगा। इस कार्य के अगली जनवरी के अंतिम दिनों अथवा फरवरी के आरंभिक दिनों में पूरा हो जाने की संभावना है।

(ड.) एक मोटे अनुमान के आधार पर कुल मिलाकर अब तक हो चुका तथा आगे होने वाला व्यय जिसे भारत सरकार चुनावों के संबंध में वहन करने वाली है, लगभग 520 लाख रुपए बैठता है और सभी राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाने वाला कुल व्यय लगभग 490 लाख रुपए बैठता है।

(च) यदि माननीय सदस्य वास्तविक चुनावों के समय इस कार्य में लगाए जाने वाले अधिकारियों के बारे में पूछना चाहते हैं तो उनकी अनुमानित संख्या और इस प्रयोजन के लिए उन्हें कितने समय तक इस कार्य में लगाया जायेगा, बताना संभव नहीं है।

श्री देशबंधु गुप्ता : मैं जानना चाहता हूँ कि निर्वाचक नामावलियों में नामों के न होने अथवा गलत प्रविष्टि होने के संबंध में शिकायतें मिली हैं? और यदि हाँ, तो इन दोषों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

डॉ. अम्बेडकर : सच बात तो यह है कि यह मामला निर्वाचन आयुक्त के क्षेत्राधिकार में आता है और मुझे पक्का विश्वास है कि यदि कोई अनियमिततर चुनाव निर्वाचन आयुक्त के ध्यान में लाई गई तो वे उन्हें दूर करने में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

श्री देशबंधु गुप्ता : क्या निर्वाचन आयुक्त अथवा सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि अकेले दिल्ली राज्य में 40,000 महिलाओं ने मतदाता के रूप में अपना नाम दर्ज कराने के सम्बन्ध में सिर्फ इसलिए अपनी आपत्तियाँ दर्ज कराई हैं कि उन्हें ''श्रीमती अमुक अमुक'' अथवा ''कुमारी अमुक अमुक'' नामांकित किया गया है?

डॉ. अम्बेडकर : यह संभव है।

श्री देशबंधु गुप्ता : महोदय, इस तथ्य को देखते हुए कि अब चुनाव स्थगित किए जा चुके हैं, क्या सरकार आपत्तिकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायतें दर्ज कराने की अपेक्षा स्वयं ही इन गलत प्रविष्टियों को सही करने का विचार करेगी?

डॉ. अम्बेडकर : मैं इस सुझाव को पहुंचा दूंगा.....................

माननीय अध्यक्ष : शांत रहिए, शांत रहिए। यह कार्यवाही के लिए सुझाव है।

श्री श्यामानन्दन सहाय : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि संविधान में प्रावधान है कि प्रौढ़ मताधिकार होगा, क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या निर्वाचक नामावलियाँ तैयार करते समय अगली जनगणना के परिणामों को ध्यान में रखा जाएगा?

डॉ. अम्बेडकर : यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि संविधान में यह उपबंध किया

गया है कि संविधान लागू होने के तीन वर्षों के भीतर चुनाव होते हैं तो वर्ष 1941 की जनगणना के आंकड़ों से काम चलाया जाए, अथवा कतिपय अन्य मामलों में, जनसंख्या राष्ट्रपति के आदेश द्वारा तय किया जा सके।

श्री देशमुख : क्या माननीय मंत्री को यह जानकारी है कि कुछ राज्यों में, मतदाता सूचियों के लिए जो मूल्य प्रस्तावित किया गया है वह बहुत ज्यादा है और क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार ऐसा कोई आदेश जारी करेगी जिसका यह आशय हो कि इन सूचियों की कीमत बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए?

डॉ. अम्बेडकर : मेरे कानों में भी यह बात पड़ी है कि कुछ स्थानीय विधानसभाओं में इस मुद्दे पर बहस हुई है और मैंने यह भी सुना है कि कुछ राज्य सरकारों ने तो पहले ही मतदाता सूचियों के मूल्यों को घटा दिया है।

श्री टी. एन. सिंह : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या माननीय मंत्री जी द्वारा अपने उत्तर में प्रयुक्त किए गए ''साथ–साथ'' शब्द का अर्थ है कि अलग–अलग सभी राज्यों में एक ही दिन चुनाव कराएं जाएंगे अथवा क्या ये चुनाव तीन–चार दिनों में कराएं जाएंगे?

डॉ. अम्बेडकर : खर्च को कम से कम करने के उद्देश्य से ये चुनाव एक ही दिन में हो जाने चाहिए।

श्री आर. वेलायुधम : क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या परिसीमन समितियों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई अंतिम तिथि निर्धारित कर दी गई है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ कि तारीख एक बार निर्धारित की गई थी, क्योंकि निर्वाचन आयोग का इरादा यह था कि वह निर्वाचन–क्षेत्र आदेश राष्ट्रपति को सौंपेगा और इसी सत्र में उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा। लेकिन इस को ध्यान में रखते हुए कि चुनाव की तिथि स्थगित हो गई है और शायद उसका विचार है कि मामले के तथ्यों के अनुरूप निर्वाचन–क्षेत्रों को तैयार करने में समर्थ बनाने के लिए और समय चाहता है।

श्री के. वैद्या : महोदय, उन राज्यों को ध्यान में रखते हुए जहाँ किसी तरह का कोई विधानमंडल नहीं है, क्या चुनाव अप्रैल में नहीं हो जाने चाहिए?

डॉ. अम्बेडकर : यदि मेरे मित्र आसन ग्रहण करेंगे तो मैं उत्तर दूंगा। जहाँ तक लोकसभा का सवाल है, उसका राज्य की विधायिका से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि चुनाव तो लोगों को करना होता है। जहाँ–जहाँ विधान परिषद हैं वहाँ इस विधेयक द्वारा जिसे मैं आज ही सदन में प्रस्तुत करने वाला हूँ, वे उन राज्यों में जहाँ विधायिका अस्तित्व में नहीं आई है चुनावों के लिए प्रावधान करने जा रहे हैं।

श्री द्विवेदी : महोदय, क्या मैं जान सकता हूँ कि चुनावों में खड़े होने वालों के

लिए कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित की जाने वाली है?

डॉ. अम्बेडकर : इस मामले में प्रो. के. टी. शाह द्वारा पेश संकल्प के द्वारा, वाद–विवाद जारी है।

श्री राधेलाल व्यास : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आम चुनाव एक वर्ष के लिए स्थगित कर दिए गए हैं क्या अर्हक तिथि और अर्हक अवधि में भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में समुचित संशोधन करके परिवर्तन किया जाएगा?

माननीय अध्यक्ष : इस विषय पर सदन में चर्चा की जा सकती है।

श्री देशबंधु गुप्ता : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि प्रतिरूपण ज्ञात करने के लिए कोई युक्ति खोज ली गई है।

डॉ. अम्बेडकर : हाँ, मैंने सुना है कि हमारी वैज्ञानिक प्रयोगशालाएँ ऐसी किसी युक्ति का पता लगा रही हैं।

*****

(18)

*उच्चतम न्यायालय में सरकारी अभिकर्ता

442 श्री राजबहादुर : (क) क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्र तथा राज्य सरकारों के लिए अथवा उनकी ओर से उच्चतम न्यायालय के लिए सालिसिटर अथवा अभिकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए सरकार के तत्ववावधान में कोई एजेन्सी अथवा तंत्र स्थापित किया गया है?

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी एजेन्सी अथवा तंत्र की स्थापना के क्या कारण थे और क्या आवश्यकता थी?

(ग) कथित एजेंसी अथवा तंत्र के गठन तथा उसके रख –खाव पर भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः कितना–कितना धन व्यय किया जाएगा? और

(घ) क्या इस प्रकार की एजेन्सी अथवा तंत्र के सृजन से दक्षता अथवा कार्य निष्पादन पर प्रभाव पड़ा है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) हाँ,

(ख) भारतीय मुकदमों पर प्रिवी कांउसिल की अधिकारिता समाप्त हो जाने और

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–6, भाग–II, 28 नवम्बर, 1950, पृ. 410

नए संविधान के लागू हो जाने पर उच्चतम न्यायालय की स्थापना से केन्द्र और राज्य सरकारों के संबंध में उच्चतम न्यायालय के सामने आने वाले मामलों में भारी वृद्धि हो गई है। बड़े पैमाने पर इन संवैधानिक परिवर्तनों के कारण ऐसे मामलों में नयी–नयी और पेचीदा समस्याएं खड़ी हुई हैं। यह माना गया था कि देश के सबसे बड़े अधिकरण उच्चतम न्यायालय के समक्ष आए सभी मामलों पर सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए चाहे वह मामला सिविल हो अथवा दंडिक हो और जिसमें भारत सरकार अथवा किसी भी राज्य सरकार का हित हो वह मामला किसी केन्द्रीय एजेन्सी को सौंपा जाना चाहिए ओर उस एजेन्सी में फेडरल कोर्ट के व्यवहार तथा प्रक्रिया तथा सरकारी प्रशासन में अनुभव रखने वाले उन कर्मियों को रखा जाना चाहिए जो नए संविधान का भी ज्ञान रखते हों। जब इस प्रस्ताव को भाग 'क' तथा 'ख' की राज्य सरकारों के सम्मुख रखा गया तो उनमें से 10 राज्यों ने इसे स्वीकार किया था।

(ग) इस केन्द्रीय एजेन्सी पर चालू वित्त वर्ष के दौरान लगभग 47,600 रुपए और अगले वित्तीय वर्ष के दौरान 87,400 रुपए व्यय होने का अनुमान है। इस व्यय को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक सरकार के मामलों की संख्या और मामलों की प्रकृति के आधार पर आनुपातिक रूप से वहन किया जाएगा। भाग लेने वाली राज्य सरकारों द्वारा चालू वर्ष के लिए भुगतान योग्य धनराशि का आकलन वर्ष के अंत में ही किया जा सकता है।

(घ) केन्द्रीय एजेन्सी अनुभाग की स्थापना से पूर्व केन्द्रीय सरकार के लिए एजेन्सी का कार्य सरकारी सालिसिटरों द्वारा किया जाता था और साथ ही उसे सालिसिटर शाखा में सामान्य सलाह मशविरे का कार्य भी करना होता था। इस प्रकार प्रत्येक रियासत तथा राज्य सरकार की अपनी अलग–अलग व्यवस्था होती थी। केन्द्रीय एजेन्सी की स्थापना से स्वभावता धन की बचत होगी और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, विशेषकर राज्य सरकारों के मामले में। इससे उच्चतम न्यायालय के समक्ष आने वाले विभिन्न संवैधानिक मसलों पर राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच बेहतर समन्वय की स्थापना होगी।

श्री राज बहादुर : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी राज्य ने इन प्रस्तावों को अनुमोदित नहीं किया है अथवा इन्हें अस्वीकार किया है?

डॉ. अम्बेडकर : मुझे नहीं मालूम कि किस राज्य ने इसका अनुमोदन नहीं किया है परन्तु मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इन राज्यों ने अपनी सहमति दे दी है और असम, पश्चिम बंगाल, मद्रास, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने इस योजना में भाग नहीं लिया है। शायद वे अब भाग लें।

श्री राज बहादुर : मैं उन राज्यों की संख्या जानना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रस्ताव

को स्पष्ट स्वीकषति नहीं दी है।

डॉ. अम्बेडकर : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ जिन्होंने इस योजना में स्पष्ट रूप से भाग नहीं लिया है उनका कहना है कि वे इसमें शामिल नहीं होना चाहते अथवा उन्होंने अपना निर्णय देने से मना कर दिया इस समय मैं कुछ कह पाने में असमर्थ हूँ।

श्री राजबहादुर : जहाँ तक वित्त का संबंध है अब तक हो चुके व्यय की तुलना में आगे होने वाला व्यय कितना है?

डॉ. अम्बेडकर : तुलना करने का कोई आधार ही नहीं है क्योंकि इससे पूर्व ऐसी कोई एजेन्सी ही नहीं थी।

श्री राजबहादुर : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या स्थानीय सालिसिटरों और एजेन्टों की राय ली गई थी अथवा नहीं?

डॉ. अम्बेडकर : इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने सरकारों की राय जान ली है।

*****

(19)

मुस्लिम वैयक्तिक कानून

561 डॉ. एम. एम. दास : (क) क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय संघ में राज्य कौन से हैं जहाँ मुस्लिम पर्सनल लॉज वैयक्तिक कानूनों (शरीयत) एप्लीकेशन ऐक्ट, 1937 प्रवृत्त नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय संघ के मुसलमान शरीयत नामक वैयक्तिक कानूनों द्वारा शासित होते हैं; और

(ग) क्या सरकार को कूच बिहार के मुसलमानों की ओर से कोई अभ्यावेदन मिला था जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार के समक्ष यह विचार व्यक्त किया गया था कि उनकी वर्तमान वैयक्तिक कानूनों के स्थान पर शरीयत को लाया जाये?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) और (ख)। मुस्लिम पर्सनल लॉज (शरीयत) एप्लीकेशन ऐक्ट 1937 भाग (ख) के राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में विलय हो गए कूच बिहार के इलाके में लागू नहीं है। यह शेष भारत में प्रवृत्त हैं। जहाँ तक कूच

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–6, भाग–I, 1 दिसम्बर, 1950, पृ. 536

बिहार का संबंध है, कूच बिहार (एसिमिलेशन ऑफ लॉज) बिल जो संसद के समक्ष लंबित पड़ा है, खण्ड 3 में 1937 के अधिनियम को उस क्षेत्र में लागू करने के बारे में उपबंध किया गया है भाग 'ख' के राज्यों की स्थिति यह है कि वहाँ मुसलमान मुख्यतः शरीयत द्वारा शासित हैं लेकिन यह स्थापित रूढ़ि या प्रथा या स्थानीय विधियों द्वारा समाविष्ट परिवर्तनों के अध्यधीन है।

(ग) जहाँ तक मुझे ज्ञात है, पश्चिम बंगाल सरकार ने कूच बिहार में मुसलमानों को लागू होने वाले पर्सनल (स्वीय) विधि से भिन्न कानून लाने के लिए कुछ नहीं किया है। जैसे ही इस सदन द्वारा कूच बिहार (एप्लीकेशन ऑफ लॉज) बिल पारित होगा और यह प्रवृत्त होगा, वह सरकार उचित समय के भीतर पर्याप्त विचार करके विधेयक के खण्ड 3(2) के अधीन कूच बिहार में मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) एप्लीकेशन ऐक्ट, 1937 को लागू कर देगी।

डॉ. एन. एम. दास : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या माननीय विधि मंत्री पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले परिवर्तनों के बारे में कूच बिहार के मुसलमानों के विचारों को जानना आवश्यक और उचित समझते हैं?

डॉ. अम्बेडकर : यह मामला पश्चिम बंगाल सरकार के जिम्मे छोड़ दिया गया है।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या संसद के समक्ष मुस्लिम संहिता भी लाने के लिए सरकार के विचारार्थ कोई प्रस्ताव लंबित है?

डॉ. अम्बेडकर : जी नहीं।

श्री त्यागी : क्या सरकार का इरादा मुसलमानों में व्याप्त मुस्लिम कानूनों को विनियमित करने के लिए कोई कानून बनाने का है?

डॉ. अम्बेडकर : यह प्रश्न पहले उठाया गया था और इसका उत्तर भी दिया जा चुका है।

श्री त्यागी : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार का इरादा मुस्लिम कानून में सुधार करने का है?

माननीय अध्यक्ष : कोई मुस्लिम संहिता लाने का इरादा नहीं है। यही बात मंत्री महोदय बता चुके हैं और उनके उत्तर में सभी मुद्दे आ गए हैं।

श्री ए. सी. गुहा : क्या सरकार संविधान के अनुसार सभी समुदायों के लिए कोई एक समान सिविल संहिता लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

डॉ. अम्बेडकर : यह मुद्दा मेरे भी दिल में है लेकिन मेरे पास समय ही नहीं है।

(20)

*संघ के विरुद्ध मामलों में वकीलों की नियुक्ति

709 श्री काज़मी : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) भारतीय संघ के विरुद्ध मामलों की न्यायालय कार्यवाहियों में विधि व्यावसायियों की नियुक्तियों के लिए क्या प्रक्रिया है;

(ख) क्या उन्हें पारिश्रमिक दिया जाएगा? और

(ग) क्या इन नियुक्तियों के समय भारत के अटार्नी जनरल; एडवोकेट, जनरल ऑफ स्टेट अथवा स्थानीय सरकारी वकील से परामर्श किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) भाग 'क' के सभी राज्यों में केन्द्रीय सरकार संबंधी कानूनी कार्य सामान्यतः करार से आपसी राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है तथा यह कार्य राज्य के विधि परामर्शी तथा उसके नियंत्रणाधीन विधि अधिकारियों द्वारा किया जाता है जैसे जिला सरकारी वकील। बंबई तथा कलकत्ता के प्रेसीडेन्सी नगरों में इस कार्य को करने के लिए हमारे अपने सालीसिटर हैं। रेलवे और आयकर विभाग जैसे कुछ विभागों ने भी न्यायालयों में अपने मामलों के लिए अपनी–अपनी व्यवस्था की हुई है। केन्द्र सरकार ने भाग 'क' के सभी राज्यों में जिला वकील नियुक्त कर रखे हैं ताकि वे रेलवे से संबंधित मामलों के अलावा केन्द्र सरकार द्वारा अथवा केन्द्र सरकार के विरुद्ध दाखिल मुकदमों की कार्यवाही को सरकारी वकील के रूप में चलाएं। भाग 'ख' के राज्यों के लिए अभी कोई स्थानीय व्यवस्था नहीं की गई है। भाग 'ख' राज्यों में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए मुख्य आयुक्तों को प्राधिकृत किया गया है।

(ख) सिवाय वहाँ के जहाँ विशेष दरों पर सहमति हो गई है, राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए सरकारी वकील राज्य सरकार के मामलों की पैरवी के लिए जिस दर से शुल्क लेते हैं, उसी दर पर वे केन्द्रीय सरकार के मामलों की भी पैरवी करते हैं।

(ग) जैसा कि प्रश्न के भाग 'क' के उत्तर में बताया गया है, एक साधारण नियम के तौर पर, जिला सरकारी वकील भाग राज्यों में भारत सरकार के विरुद्ध मामलों

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–6, भाग–I, 6 दिसम्बर, 1950, पृ. 694

में भी सरकारी वकील के रूप में कार्य करते हैं इसलिए ऐसे वकीलों की नियुक्तियाँ करते समय परामर्श का प्रश्न ही नहीं उठता।

(21)

*अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधि

814 श्री जांगडे : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1941 की जनगणना के आधार पर मध्यप्रदेश से लोकसभा के लिए अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सदस्य संख्या निर्धारित की गई है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या अथवा भाग 'क' के राज्य अथवा भाग 'ख' के राज्यों की दशा में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा हेतु आरक्षित सीटों का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद, 387 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए संविधान (जनसंख्या अवधारण) आदेश, 1950 के उपबंधों के अनुसार जनगणना आयुक्त द्वारा आंकलित की गई जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। जनगणना आयुक्त ने जनसंख्या का प्राकलन 1 मार्च, 1950 के आधार पर किया है और उसे 14 सितम्बर, 1950 के असाधारण राजपत्र में गष्ह मंत्रालय की अधिसूचना में पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है।

*****

(22)

**परिसीमन समिति की रिपोर्ट

817 श्री देवगिरीकर : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अब तक कितने राज्यों ने परिसीमन समिति की रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं?

(ख) क्या उन निर्वाचन–क्षेत्रों को अंतिम रूप से स्वीकार कर लिया गया है अथवा उनमें कोई परिवर्तन किया जाएगा? और यदि हाँ, तो यह परिवर्तन कब किया जाएगा और इसे कौन करेगा?

---

* संसदीय वाद–विवाद खंड–6, भाग–I, 11 दिसम्बर, 1950, पृ. 804

** संसदीय वाद–विवाद खंड–6, भाग–I, 11 दिसम्बर, 1950, पृ. 805

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी प्रस्ताव सभी राज्यों से निर्वाचन आयुक्त को प्राप्त हो गए हैं। सिर्फ पश्चिम बंगाल से राज्य की विधानसभा संबंधी प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। असम, बम्बई, उड़ीसा, हैदराबाद, त्रावण कोर–कोचीन, सौराष्ट्र, दिल्ली, विंध्य प्रदेश, भोपाल, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों की संसदीय सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है।

(ख) निर्वाचन–क्षेत्रों के परिसीमन आदेश देने की प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 13 में दी गई है, कि निर्वाचन आयोग प्रत्येक राज्य में स्थापित संबंधित परिसीमन के बारे में प्रस्ताव तैयार करेगा और ऐसे परिसीमन के बारे में आदेश जारी करने के लिए उस प्रस्ताव की राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। निर्वाचन आयोग को परिसीमन सलाहकार समितियों के प्रस्तावों में संशोधन करने और उनमें परिवर्तन करने का अधिकार है। निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत किए गए इन प्रस्तावों में राष्ट्रपति संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकते हैं और राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार किया गया प्रत्येक आदेश, संसद में रखे जाने पर, संसद के द्वारा रखे गए उपान्तरण के अध्यधीन होगा।

*****

(23)

*आम चुनाव

1052 प्रो. एस. एन. मिश्र : (क) क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अगले चुनावों में सरकार को लगभग कितना व्यय वहन करना पड़ेगा;

(ख) सरकार को अप्रैल–मई के दौरान चुनाव कराने के पक्ष में कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और कितनों ने इसका विरोध किया है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) इसके लिए दिनांक 20 नवम्बर, 1950 को श्री देशबंधु गुप्ता द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 134 के भाग (ड.) के उत्तर पर गौर फरमाएँ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार कुल ग्यारह अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से दस अभ्यावेदन अप्रैल–मई, 1951 में चुनाव कराए जाने के विरोध में हैं और एक

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–6, भाग–I, 19 दिसम्बर, 1950, पृ. 1034

अभ्यावेदन चुनावों को नवम्बर, 1951 तक के लिए स्थगित करने के विरुद्ध है।

प्रो. एस. एन. मिश्र : क्या मैं जान सकता हूँ कि चुनावों को नवम्बर–दिसम्बर, 1951 तक स्थगित करने के मुख्य कारण क्या हैं?

श्री द्विवेदी : क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या सरकार चुनावों के दौरान पार्टी और धार्मिक ध्वजों पर प्रतिबंध लगाने जा रही है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए, जो भी आवश्यक होगा वह सब किया जाएगा।

श्री जोशिम अल्वा : क्या सरकार प्रचार तंत्र की ऐसी कोई व्यवस्था अपनाने जा रही है जिससे चुनाव उचित ढंग से हों और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचा जा सकें?

डॉ. अम्बेडकर : मेरा विचार है कि इस बात को राजनीतिक दलों के जिम्मे छोड़ देना ही बेहतर होगा।

श्री जयनारायन व्यास : क्या सरकार चुनाव व्यय करने के लिए विभिन्न राज्यों पर लेवी लगाएगी?

डॉ. अम्बेडकर : जी हाँ। विभिन्न राज्यों तथा केन्द्र के बीच पहले ही यह करार हो गया है कि चुनावों पर आए व्यय को अनुपातिक रूप से वहन किया जाएगा।

डॉ. एम. एम. दास : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या किसी राज्य सरकार ने कोई प्रतिनिधि मण्डल भेजा है और यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम निकला?

डॉ. अम्बेडकर : किस बात का प्रतिनिधि मण्डल?

डॉ. एम. एम. दास : चुनावों की तिथि को बढ़ाने के लिए।

डॉ. अम्बेडकर : नहीं। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कोई प्रतिनिधि मण्डल भेजा गया था।

श्री आर. वेलायुधन : वह कौन सा अकेला राज्य है जिसने चुनावों की तिथि को आगे बढ़ा देने का विरोध किया है?

डॉ. अम्बेडकर : मैंने यह नहीं कहा था कि अभ्यावेदन राज्यों से प्राप्त हुए हैं। वे अभ्यावेदन अलग–अलग व्यक्तियों के हो सकते हैं और यह जरूरी नहीं है कि वे राज्यों के हों। चुनाव तिथि को आगे बढ़ाए जाने का विरोध करने संबंधी अभ्यावेदन को भेजने वाले उस प्रतिनिधि विशेष का नाम मुझे मालूम नहीं है।

श्री बी. के. पी. सिन्हा : क्या यह सच है कि कुछ पार्टियाँ यह जानकर परेशान

हो गई थी कि चुनावों के लिए इस बात का संकल्प पारित किया जा रहा है कि सरकार ने चुनावों की तिथि को आगे बढ़ाकर बहुत भारी नुकसान किया है?

डॉ. अम्बेडकर : मैं समझता हूँ कि मेरे माननीय मित्र मुझसे ज्यादा जानते हैं।

(24)

*अल्पावधि सूचना : प्रश्न और उत्तर

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों की निर्वाचन नामावलियाँ

श्री जे. आर. काम्बले : क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मार्च, 1951 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' के 'इवनिंग न्यूज' और 21 मार्च, 1951 के 'इंडियन न्यूज क्रॉनिकल' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि दिल्ली के निर्वाचन आयुक्त ने आदेश दिया है कि आगामी आम चुनावों के लिए दिल्ली राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियों को केवल उर्दू में प्रकाशित किया जाएगा;

(ख) क्या इस समाचार में प्रकाशित तथ्यों में सच्चाई है और यदि हाँ तो इन निर्वाचक नामावलियों को संघ की राजभाषा हिन्दी में प्रकाशित न किए जाने के क्या कारण है; और

(ग) भाग 'ग' के राज्यों में अगले आम चुनावों के लिए निर्वाचन नामावलियों की भाषा के संबंध में सरकार की क्या नीति है?

विधि मंत्री (डॉ. अम्बेडकर) : (क) और (ख) प्रश्न में जिन दो समाचारों का उल्लेख किया गया है, उनका संबंध दिल्ली जिला बोर्ड के चुनावों से है और उनका संसद के आम चुनावों से कोई लेना–देना नहीं है। जहाँ तक लोक सभा के लिए होने वाले आम चुनावों के संबंध में दिल्ली की निर्वाचक नामावलियों का संबंध है, इन्हें अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू तीन भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा।

(ग) किसी राज्य की निर्वाचक नामावलियों को किस भाषा में तैयार किया जाए, इस संबंध में निर्णय लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचक नामावली का तैयार किया जाना) नियम, 1950 के नियम 6 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा लिया जाएगा।

सामान्यतः निर्वाचन नामावलियों को पूरे देश में केवल क्षेत्रीय भाषाओं में तैयार किया जाता है लेकिन कुछेक राज्यों के द्विभाषी क्षेत्रों में चुनाव आयोग का निर्देश है

---

* संसदीय वाद–विवाद, खंड–7, भाग–I, 2 अप्रैल, 1950, पृ. 2788

कि निर्वाचक नामावलियों को एक और भाषा में भी तैयार किया जाएगा।

श्री जे. आर. कपूर : क्या मैं यह समझूँ कि आगामी आम चुनावों के सम्बन्ध में दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों को अंग्रेजी में भी प्रकाशित किया जा रहा है?

डॉ. अम्बेडकर : कौन से ग्रामीण क्षेत्र और किस प्रयोयजन से?

श्री जे. आर. कपूर : दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में आम चुनावों के लिए।

डॉ. अम्बेडकर : मैंने अभी–अभी बताया था कि संसद के लिए होने वाले आम चुनावों के लिए इन निर्वाचक नामावलियों को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। सामासिक क्षेत्रों में इन्हें कुछ अतिरिक्त भाषाओं में भी प्रकाशित किया जाता है।

श्री जे. आर. कपूर : मैं जानना चाहता हूँ कि संसद के लिए होने वाले आगामी आम चुनावों के लिए दिल्ली राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधी निर्वाचक नामावलियों को अंग्रेजी के अलावा हिन्दी तथा उर्दू में भी प्रकाशित किया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में केवल अंग्रेजी भाषा जानने वाले लोगों की संख्या कितनी है?

डॉ. अम्बेडकर : निर्वाचक नामावलियों को केवल अंग्रेजी में प्रकाशित नहीं किया जा रहा है बल्कि इन्हें तीन भाषाओं में प्रकाशित किया जा रहा है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनावों के लिए दिल्ली में निर्वाचक नामावलियों को वास्तव में अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू–तीन भाषाओं में प्रकाशित किया जा रहा है ताकि मतदाता जिस भाषा को समझता हो, वह उसी भाषा की निर्वाचक नामावली का प्रयोग कर सके।

श्री जे. आर. कपूर : पिछले आम चुनावों के दौरान राज्य की निर्वाचक नामावलियों को किस भाषा में प्रकाशित किया गया था?

डॉ. अम्बेडकर : उस भाषा को क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है पहले भी वही नियम था, जो आज है।

श्री जे. आर. कपूर : पिछले आम चुनावों में दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों की क्षेत्रीय भाषा के रूप में किस भाषा को अपनाया गया था?

डॉ. अम्बेडकर : मुझे पक्का पता नहीं है परन्तु संभावना इसी बात की है कि उर्दू होगी। इस समय की स्थिति में परिवर्तन हुआ है।

श्री हुसैन इमाम : क्या यह सच है कि दिल्ली राज्य में ग्रामीण और शहरी कोई

अलग–अलग चुनाव क्षेत्र नहीं है?

माननीय डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। इस सदन द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न समितियों द्वारा निरूपित चुनाव क्षेत्रों को मैंने देखा नहीं है।

सेठ गोविन्द दास : विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय भाषा के अलावा और कौन–कौन सी भाषाओं में इन निर्वाचक नामावलियों को प्रकाशित किया जाएगा?

डॉ. अम्बेडकर : इस बात का तो मुझे पता लगाना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, श्री एंथनी द्वारा पूछे गए ऐसे ही प्रश्न का उत्तर देते समय शायद मैंने यह कहा था कि जहाँ तक बंबई का सवाल है वहाँ पर निर्वाचक नामावलियों को अंग्रेजी में भी तैयार किया जा रहा है। बेंगलोर और मैसूर राज्य के कुछ अन्य क्षेत्रों का मामला भी ऐसा ही हो सकता है, परन्तु मैं यह दावे के साथ नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर कह रहा हूँ।

*****

खण्ड – VII

19 मई, 1952

से

6 दिसंबर, 1956 तक

(44)

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव

***माननीय सभापति :** मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कुछ ऐसे संशोधनों की सूचना दी गई है जिन पर राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित मामलों के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई चर्चा नहीं की जा सकती। राष्ट्रपति के अभिभाषण में उल्लिखित कुछ विषय जैसे खाद्य उत्पादन, भू–राजस्व, विदेश–नीति और निराधात्मक नजरबंदी है उनसे संबंधित संशोधन प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

श्री एच. पी. सक्सेना (उत्तर प्रदेश) : क्या प्रस्तुत किए गए सभी संशोधन स्वीकृत हो गए हैं या नहीं?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बंबई) : अस्थायी संसद में जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह इस प्रकार है। संभवतः यह कोई नई बात नहीं है, जबसे संविधान प्रवर्तन में आया है, गत दो या तीन वर्षों से यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जहाँ तक मुझे स्मरण है निचले सदन के अनेक सदस्य बैठे हुए हैं और वे मेरी भूल को सुधार सकते हैं–लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई गई है कि वह आरंभ में सभी संशोधनों को प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। निःसंदेह वे संशोधन ऐसे ही होते हैं जिनको स्वीकार किया जा सकता है। तत्पश्चात् वह विभिन्न संशोधनों के प्रस्तावक सदस्यों को अपने संशोधनों के समर्थन में भाषण देने के लिए आमंत्रित करते हैं? सामान्यतः यही समझा जाता था कि चूंकि किसी व्यक्ति ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया है उसका इतना कर देने से अनिवार्य रूप से बोलने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता। परंतु अध्यक्ष महोदय इस बात को ध्यान में रखकर कि कुछ सदस्यों ने संशोधन प्रस्तुत करने का अपना इरादा बताया है, उन्हें भाषण देने की अनुमति दे देते हैं। उन्होंने, इस प्रक्रिया को अपनाया है। मेरे विचार में, वही प्रक्रिया इस सदन में भी अपनाई जानी चाहिए।

एक अन्य टिप्पणी के संबंध में, मैं पूरे आदर के साथ कहना चाहूँगा कि हाउस आफ कॉमन्स में क्या होता है, उसका उल्लेख करते हुए आपने बताया कि राष्ट्रपति

---

* संसदीय वाद–विवाद (राजय सभा), जिल्द–1, 1 मई, 1952, पृ. 801–81

के अभिभाषण में स्पष्ट रूप से उल्लिखित विषयों से संबंधित संशोधनों को स्वीकृति दी जाएगी। आपकी बात का सम्मान करते हुए मेरा विचार यह है कि इस नियम की व्याख्या भिन्न प्रकार से है। अभिभाषण पर वाद–विवाद का अभिप्राय है कि विरोधी पक्ष सरकार को बताए कि सरकार को किन विषयों को अभिभाषण में सम्मिलित करना चाहिए था। इसलिये राष्ट्रपति के अभिभाषण में यदि कोई विषय सम्मिलित नहीं किया गया है तो वह इसी कारण से तात्कालिक बन जाता है क्योंकि विरोधी पक्ष महसूस कर सकता है कि सरकार ने ऐसे विषयों को अभिभाषण में सम्मिलित किया है जो उसके विचार में अन्य विषयों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि मेरे विचार में किसी संशोधन की केवल इसलिए उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए क्योंकि वह ऐसे विषय से संबंधित है जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में सम्मिलित नहीं किया गया, बल्कि विरोधी पक्ष को ऐसे विषय विशेष पर चर्चा करने और अपने विचार सरकार के समक्ष रखने का अवसर देना चाहिए जो संशोधन से संबंधित हो और जिसे राष्ट्रपति के अभिभाषण में सम्मिलित विषयों से अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मैंने सोचा कि मैं आपको यह सब कुछ बता दूं ताकि आप संशोधनों संबंधी प्रक्रिया को विनियमित कर सकें।

परिषद के नेता (श्री एन. गोपाल स्वामी) : मैं माननीय मित्र डॉ. अम्बेडकर द्वारा रखे गए दृष्टिकोण से सहमत हूँ।

डॉ. अम्बेडकर : इस सदन में अब कोई व्यक्ति 'माननीय' नहीं रहा।

श्री एन. गोपाल स्वामी : मैंने उनको 'मेरे माननीय मित्र' कहा है। ऐसा कहने पर तो कोई प्रतिबंध नहीं है।

महोदय, इस संबंध में हमारे विचारार्थ वास्तविक बात यह है कि क्या इस सदन की प्रक्रिया के लिए निर्मित संविधान और नियम माननीय मित्र द्वारा दिए गए सुझाव को कार्यरूप देने की अनुमति देते हैं।

***डॉ. अम्बेडकर (बंबई) :** मैंने पहले इस वाद–विवाद में भाग न लेने पर विचार किया था ताकि इस सभा के नए सदस्यों को, जो विरोधी पक्ष की आगे की सीटों पर बैठे हैं, राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अवसर दिया जा सके। परंतु मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि यदि मैं दो महत्वपूर्ण मामलों के बारे में, जो निश्चित ही सभा के सदस्यों के मन में भी हैं और अधिकांश जनता के मन में भी हैं, अपने विचार व्यक्त कर देता हूँ, तो वह लाभप्रद रहेगा। पहला मामला, जिसके बारे में अधिकांश लोग चिंत्ति हैं वह खाद्यान का है। निश्चय ही देश को इस बड़ी भारी अभूतपूर्व समस्या का सामना करना पड़ा है। महोदय, अल्पायु में ही मैंने अकाल की स्थिति को देखा था क्योंकि मेरे पिता अकाल राहत कार्य में संलग्न

---

* संसदीय वाद–विवाद (राजय सभा), जिल्द–1, 21 मई, 1952, पृ. 266–69

अनेक लोगों को, मजूरी के रूप में, धनराशि वितरित करते थे। मैं उनके साथ ही रहता था और अकाल ग्रस्त लोगों की हालत को देखता था। मैंने अर्थशास्त्र का विद्‌यार्थी होने के कारण एक महान भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी रमेश चंद्र दत्त, जिन्होंने इस देश पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा किये जाने के समय से लेकर इस देश में समय–समय पर पड़े अकाल का पूरा ब्यौरा दिया है, द्‌वारा लिखित शानदार किताबों को पढ़ा था। परंतु महोदय, पिछले इतिहास को स्मरण करते हुए, यह बात मेरी कल्पना से परे है कि मैंने जो कुछ देखा था अथवा पढ़ा था उसकी तुलना आज की स्थिति से की जा सकती है। मेरे विचार में, ऐसा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक समय था जब अकाल पड़ते थे परंतु वे 10–15 अथवा 20 वर्षों के बाद पड़ते थे। आज हमारी स्थिति यह है कि इस देश में लगभग हर माह अकाल पड़ता है। इस महीने बिहार में अकाल पड़ा है तो दूसरे महीने रायलसीमा में अकाल पड़ा है और तीसरे महीने देश के किसी अन्य भाग में अकाल पड़ा है। मेरे विचार में, समाचार–पत्र पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति यह बात नहीं कह सकता कि कोई ऐसा महीना गुज़रा है जिसमें इस देश के किसी भाग में अकाल न पड़ा हो। मैं कॉंग्रेस पार्टी के कुछ सदस्यों द्‌वारा दिए गए इस तर्क को बड़े ध्यान से सुन रहा था कि विरोधी पक्ष को सरकार की कटु आलोचना नहीं करनी चाहिए। विरोधी पक्ष को स्मरण रखना होगा कि जब अंग्रेज भारत छोड़कर गये, तो अनाज के गोदाम खाली पड़े थे, साधन अविकसित थे और लोग आर्थिक उत्पादन के मामले में अप्रशिक्षित थे। यदि मैं, सम्मानपूर्वक कहूँ तो इन तर्कों में कोई सार नहीं है। यह बात इस सदन को पसंद आ सकती है या उनको अच्छी लग सकती है जो सदन में सत्ताधारी दल के प्रति नर्म रुख रखते हैं, परंतु मैं अपने मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि जनता इस तर्क को अधिक समय तक स्वीकार नहीं करेगी।

एक माननीय सदस्य : आप स्वयं भी तो सरकार में रह चुके हैं।

डॉ. अम्बेडकर : आप मेरे अतीत पर ध्यान न दें। अब मेरा संबंध विच्छेद हो चुका है। मैं सत्ताधारी पक्ष को बताना चाहता हूँ कि यह बहाना अधिक समय तक नहीं चल सकता। कोई भूखा आदमी किसी ऐसे आलोचक से सहानुभूति नहीं रख सकता जो उसको बताए ''मेरे प्यारे मित्र, यद्‌यपि मेरे पास शक्ति है, सत्ता भी है, स्थिति का समाधान करने के लिए सभी कानूनी शक्तियाँ मुझे प्राप्त हैं फिर भी आप मुझसे आशा मत करना कि मैं कोई जादू कर दिखाऊंगा क्योंकि हमारा अतीत कोई बहुत अच्छा नहीं था'' यदि यह सरकार कुछ ही समय में लोगों के निराश और हताश होने से पहले स्थिति का समाधान नहीं करती है तो लोग महसूस करने लगेंगे कि इससे बेहतर होगा कि कोई सरकार न हो। एक समय ऐसा आएगा जब, यदि संसद में बैठे हम लोग उचित समय के भीतर, जनता के कल्याण और उसकी भलाई के काम की जिम्मेदारी को नहीं समझते तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि बाहर बैठी आम जनता हमें

नफ़रत की निगाह से देखने लगेगी। ऐसी स्थिति बिल्कुल पैदा नहीं होनी चाहिए।

महोदय, सरकार के द्वारा इस इमदाद के बारे में अचानक निर्णय किए जाने के कारण स्थिति अत्यधिक खराब हो गयी है। एक तरीके से इमदाद एक अतिरिक्त परियोजना है जो सरकार ने ऊंची जीवन निर्वाह लागत के कारण आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए आरंभ की है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, इमदाद प्रवर्तन में है.....

श्री बी. बी. शर्मा (उत्तर प्रदेश) : माननीय सदस्य कितने प्रतिशत लोगों को खाद्यान्न के मामले में इमदाद दिलाना चाहते हैं?

डॉ. अम्बेडकर : महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मुझ से यह आशा न करें कि मैं संपूर्ण राशन प्रणाली की ब्यौरेवार बात करूं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता कि वे जनसंख्या का किस प्रकार वर्गीकरण करें जिससे हम इस नतीजे पर पहुंच सकें कि किन वर्गों को रियायती दर पर राशन दिया जाना चाहिए और किन वर्गों को नहीं दिया जाना चाहिए। सरकार ने ऐसी कोई जानकारी हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं की है। यदि सरकार हमें वह जानकारी दे तब मैं निश्चय ही उस प्रस्ताव के बारे में अपने विचार प्रस्तुत कर सकता हूँ। इस समय मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इमदाद दिये जाने की नीति बदल देना बिल्कुल नई बात है। मुझे पता चला है कि वर्ष 1946–47 से, जब इमदाद दी जाने लगी थी जो 22 करोड़ थी जो वर्ष 1951–52 में बढ़ कर 36 करोड़ हो गई, गत वर्ष के बजट में जो वित्त मंत्री ने लेखानुदान प्राप्त करने के लिए अस्थायी संसद में प्रस्तुत किया था, उन्होंने अनुमान लगाया था कि वह इस वर्ष लगभग 25 करोड़ की इमदाद दे सकते हैं। यह उनका अनुमान था। मुझे ऐसा विश्वास है कि जब उन्होंने बजट पेश किया था तब वह इतना खर्च करने का वचन देने को मानसिक रूप से तैयार थे। उसके बाद अचानक ही यह परिवर्तन हो गया। कुछ कारण बताए गए हैं। एक कारण यह है कि इमदाद की राशि लगभग 55 करोड़ हो जाएगी। कुछ सदस्यों ने इसे 90 करोड़ तक बताया है। मुझे सही आंकड़ों की जानकारी नहीं है। किंतु मैं इतना कहना चाहता हूँ कि गत अस्थायी संसद में भी, जब बजट पेश किया गया था, सरकार 25 करोड़ तक इमदाद देने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार थी। मुझे यह बात समझ में नहीं आती कि सरकार उस वचन से क्यों मुकर रही है, अपने कर्तव्य का निर्वाह क्यों नहीं कर रही है। निश्चय ही......

माननीय सभापति : आपका समय समाप्त हो गया है। आप एक या दो मिनट और ले सकते हैं।

डॉ. अम्बेडकर : मुझे कुछ और भी कहना है। आपके द्वारा कृपापूर्वक दिये गये एक या दो मिनट में मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर पाऊंगा। मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूँ।

(45)

बजट (साधरण), 1952–53 – आम चर्चा

***डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बंबई) :** सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार रखते हुए जहाँ मैंने अपनी बात समाप्त की थी, वहीं से मैं आगे बढ़ता हूँ। सदन को स्मरण होगा कि जब मुझे अपना भाषण बंद करना पड़ा तथा तब मैं खाद्यान इमदाद के विषय पर बोल रहा था। आज मैं उस मामले से निपटने के लिये बेहतर स्थिति में हूँ। इसी बीच वित्त मंत्री का एक वक्तव्य भी आ गया है जिसमें उन्होंने अचानक पहलू बदल लेने को न्यायोचित बताया है। वित्त मंत्री ने यह जो स्पष्टीकरण दिया है वह संभवतः लोगों को डराने के लिए दिया है ताकि वे भविष्य में खाद्यान पर इमदाद देने के संबंध में कोई कार्यवाही करते हैं तो उनको यह कार्यवाही इस प्रकार करनी होगी कि वह पिछले वर्ष व्याप्त मूल्य स्तर को बनाए रख सकें। मेरे विचार में, यह बात भूमिका के रूप में कही गई थी। उसके बाद उन्होंने आगे कहा था कि यदि गत वर्ष के मूल्य स्तर को बनाए रखने के विचार से इमदाद दी जाती है और यदि इसको औद्योगिक क्षेत्रों तक सीमित रखा जाता है तो सरकार को 60 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं और यदि इस इमदाद को ग्रामीण क्षेत्रों तक बढ़ाया जाए तो सरकार को 90 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। इससे स्पष्ट हो जाता है कि यदि ये आंकड़े सही हैं, तो यह सब कुछ बहुत ही उत्साही जनों को जो किसी न किसी रूप में इमदाद दिए जाने के पक्ष में हैं जिससे उपभोक्ता वर्गों की दुर्दशा में कुछ सुधार हो सके, संयत रखने का सोच–समझ कर प्रयास किया गया है। जहाँ तक मैं समझता हूँ किसी भी व्यक्ति की इतनी बड़ी कल्पना नहीं हो सकती जिसका आधार वित्त मंत्री ने बताया है और प्रस्तुत किया है। विभिन्न समाचार–पत्रों में भी इस विषय पर चर्चा की गई है और जहाँ तक मैंने उसको समझा है किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि आप इतनी अधिक इमदाद दें कि इस वर्ष का मूल्य स्तर भी उतना ही रहे जितना कि गत वर्ष वर्ष में था। किसी भी व्यक्ति ने ऐसी मांग नहीं की है। महोदय, जहाँ तक ग्रामीण क्षेत्रों की मांग का संबंध है जिसे माननीय वित्त मंत्री ने इमदाद न दिए जाने का आधार बताया है, मुझे खेद है कि उन्होंने अब इस तथ्य को स्वीकार किया है जिसके बारे में हम गत अनेक वर्षों से कहते आ रहे हैं परंतु वह इस बात से इन्कार करते रहे हैं। मुझे पता है कि प्रांतीय मंत्रियों की यह

* संसदीय वाद–विवाद (राजय सभा), जिल्द–1, 27 मई, 1952, पृ. 469–80

मांग रही है कि यदि आप इमदाद देते हैं तो आपको औद्योगिक जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। यह बहुत पुराना तर्क है। परंतु मुझे कोई ऐसा वित्त मंत्री अथवा खाद्य मंत्री याद नहीं आता, जो इस प्रकार से सहमत रहा हो, हालांकि एक के बाद एक अनेक मंत्री बने हैं—भारत सरकार का सदा यही विचार रहा है अथवा नीति रही है कि इमदाद देने के मामले में कुछ वर्गीकरण अवश्य किया जाना चाहिए....................

वित्त मंत्री (श्री सी. डी. देशमुख) : महोदय, मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ। इमदाद की प्रणाली जिसके अंतर्गत केवल औद्योगिक नगरों को इमदाद दी जाती है, केवल गत वर्ष अपनायी गयी है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, ग्रामीण क्षेत्रों के लिये भी इमदाद दिये जाने की मांग कोई नयी मांग नहीं है। किसी भी भारत सरकार ने, जहाँ तक मुझे याद है, उस मांग को स्वीकार नहीं किया है।

श्री सी. डी. देशमुख : मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि गत वर्ष से पूर्व इमदाद ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों को दी जाती थी, इसलिए ऐसा कोई विचार पैदा नहीं हो सकता।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि ऐसी बात है तो वित्त मंत्री मुश्किल में फंस जायेंगे। यदि आपने पहले इस मांग को स्वीकार किया है कि इमदाद सबको दी जानी चाहिए तो मैं नहीं समझता कि अब आप उससे पीछे क्यों हट रहे हैं।

श्री एच. एन. कुंजरू (उत्तर प्रदेश) : जो कुछ भी मांग रही हो, उन्होंने इस संबंध में कहा है कि इमदाद औद्योगिक नगरों को ही नहीं दी गयी, बल्कि सभी ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों को दी गयी है। क्या यह सच है? क्या इमदाद उन ग्रामीण क्षेत्रों को दी गई है जबकि प्रथम खाद्य नीति समिति की सिफारिश के अनुसार समूचे देश में भारी घाटे की स्थिति थी।

श्री सी. डी. देशमुख : मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि गत वर्ष को छोड़कर इमदाद औद्योगिक क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं थी।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरा विचार यह है चूंकि आप बहुत ही अच्छा नहीं कर सकते तो स्थिति को जितना बेहतर बनाए रख सकते हैं, बनाए रखिए, ताकि वह और खराब न हो। जनता का जितना भला कर सकते हैं, कीजिए। ऐसी स्थिति में, आपके सीमित साधनों को ध्यान में रखते हुए देश आपको क्षमा करने के लिये तत्पर रहेगा। परंतु बजट में 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने के बाद भी यदि आप भलाई का काम नहीं करेंगे तो जनता को शिकायत करने का पूरा अधिकार होगा।

महोदय, मैं इंग्लैंड में, चांसलर आफ दॅ एक्सचेकर ने अपने बजट के दौरान जो कुछ किया, मैं वित्त मंत्री का ध्यान उस ओर दिलाना चाहूँगा। मेरे विचार में, वह मुझसे अधिक जानते हैं। मैंने ये आंकड़े समाचार–पत्रों व अन्य पत्रिकाओं से संकलित किए हैं जहाँ मैंने चांसलर आफ़ द एक्सचेकर द्वारा हाऊस आफ़ कॉमन्स में प्रस्तुत बजट के कुछ विश्लेषण को पढ़ा है। महोदय, खाद्य इमदाद के विषय पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए मुझे पता चला है कि इंग्लैंड में वर्ष 1950 में खाद्य इमदाद 48 करोड़ पौंड थी। पिछले बजट में इस इमदाद में कमी की गई है, उसमें 16 करोड़ पौंड की कमी की गई है। जहाँ तक चांसलर आफ़ द एक्सचेकर के बजट के इस भाग का संबंध है, संभवतः माननीय वित्त मंत्री को इस बात से राहत मिलेगी कि इंग्लैंड में चांसलर आफ़ द एक्सचेकर ने जो कुछ किया है वह उससे कुछ भिन्न नहीं कर रहे हैं। परंतु यदि आद इंग्लैंड में चांसलर आफ़ द एक्सचेकर द्वारा प्रस्तुत बजट के स्वरूप के दूसरे पहलू पर अर्थात् इंग्लैंड में चांसलर के प्रतिसंतुलन प्रस्तावों पर ध्यान दें, तो पता चलेगा कि एक ओर इमदाद कम की गई तो दूसरी ओर आय–कर राहत में 2.228 मिलियन पौंड तक की वषदि्ध की गयी है। दूसरे, परिवार भत्ते में भी 37 मिलियन पौंड की वृदि्ध की गई है। पेंशन राशि में भी पर्याप्त वषदि्ध की गयी है। आवास सहायता में भी भारी वृदि्ध की गई है। चांसलर आफ द एक्सचेकर द्वारा बजट में इतनी बड़ी राहत दिये जाने से निश्चय ही उपभोक्ता की क्रय–शक्ति में वृदि्ध हुई है। यदि उपभोक्ता समुदाय की क्रय–शक्ति में इतनी अधिक वृदि्ध होती है तो यदि इमदाद में 167 मिलियन पौंड की कटौती कर दी जाती है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता।

हमारे माननीय मित्र वित्त मंत्री ने अपने बजट में कौन–सी राहत की व्यवस्था की है? कुछ भी नहीं। कराधान का स्तर वही है, उसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप वैसा का वैसा है। जनता की क्रय–शक्ति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त, खाद्यान की लागत में वृदि्ध कर दी गई है। चांसलर आफ़ द एक्सचेकर और हमारे वित्त मंत्री के, जनता की समस्याओं के प्रति, दृष्टिकोण के बीच यह मूल अंतर है। मेरे विचार में, हमारे माननीय मित्र वित्त मंत्री को भी विचार करना चाहिए कि क्या जनता की भलाई में वृदि्ध करने के लिए, इंग्लैंड में चांसलर आफ द एक्चेकर द्वारा उठाए गए कदमों की तरह वह भी कुछ कदम उठाने की व्यवस्था करेंगे।

महोदय, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ कि माननीय वित्त मंत्री अभी क्या रुख अपनाने वाले हैं।

9.00 बजे प्रातः

किंतु, मैं उसका सकारात्मक पक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह ईमानदार आदमी हैं और वह दिल से जनता की भलाई चाहते हैं। वह क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं? जहाँ तक मैं भारत सरकार की खाद्यान संबंधी नीति को समझ पाया हूँ मेरे विचार में, माननीय वित्त मंत्री इमदाद के विरुद्ध नहीं हैं। यदि मैं उनकी स्थिति को जैसे कि समझता हूँ ठीक व्यक्त करूं तो वह इमदाद के पक्ष में हैं। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह उपभोक्ता के बजाए उत्पादक को इमदाद देना चाहते हैं जो अधिक अन्न उपजाओ, अनुदान के रूप में हो सकती है या किसी अन्य रूप में भी हो सकती है। तार्किक दृष्टि से उनका विचार स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि देश में खाद्यान का उत्पादन अधिक होता है तो मूल्यों में गिरावट आएगी, उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचेगा और फिर उपभोक्ताओं को इमदाद देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मेरे विचार में यदि मैंने उनकी स्थिति सही रूप से समझी है तो मैंने उसकी सही अभिव्यक्ति की है। वह इमदाद के पक्ष में है किंतु वह उत्पादक को देना चाहते हैं उपभोक्ता को नहीं।

महोदय, यह एक प्रकार का दृष्टिकोण हो सकता है, हममें से कुछ अन्य सदस्यों का इससे अलग भी दृष्टिकोण हो सकता है। मेरे विचार में इस दृष्टिकोण के संबंध में हमें यह प्रश्न पूछना है कि इनमें से कौन–सा दृष्टिकोण जनता को शीघ्र लाभ पहुंचाने वाला है? जहाँ तक अधिक खाद्यान उपजाओ संबंधी नीति के लिए इमदाद उपलब्ध कराने का संबंध हे, मेरे विचार में, सरकार कह सकती है कि जहाँ तक खाद्य उत्पादन का संबंध है, इसका कोई लाभ नहीं हुआ है। मेरे विचार में, विपक्ष के सदस्यों को इसके लिए कोई नजीर प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम सब इस बात को जानते हैं कि रिजर्व बैंक ने एक जांच की थी और उसमें बताया गया था कि अधिक अन्न उपजाओं की नीति पूरी तरह असफल सिद्ध हुई है। अतः इससे स्पष्ट है कि इमदाद उपभोक्ताओं के बजाय उत्पादक को देकर कोई वांछनीय परिणाम नहीं निकला है।

दूसरी बात यह है कि 'अधिक खाद्यान उपजाओ' पर जोर देने वाली योजना, खाद्य विभाग अथवा भारत सरकार द्वारा परस्पर विरोधी नीति अपनाए जाने के कारण असफल रही हे। वे एक ओर किसानों को तथा अन्य लोगों को इमदाद देते रहे हैं ताकि वे अधिक उत्पादन करें तथा दूसरी ओर वे नगदी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यवाही करते रहे हैं जिनकी प्रतिस्पर्धा खाद्य उत्पादन के साथ चलती रहती है। किसान बिनौले के उत्पादन और काली मिर्च जैसी चीजों के उत्पादन को अधिक लाभप्रद मानता है वह अधिक खाद्यान उत्पादन की ओर अधिक ध्यान नहीं देता। निश्चय ही, यदि सरकार का उद्देश्य और पक्का इरादा खाद्य का उत्पादन बढ़ाने का है तो उसे कुछ ऐसे ठोस कदम उठाने होंगे जिससे किसान खाद्यान के भिन्न उपजों की दिशा में न सोचे। सरकार ने इस प्रकार का कोई कदम नहीं

उठाया है, इसका परिणाम यह है कि कृषि क्षेत्र में इस देश में दो प्रतिस्पर्धी आर्थिक गतिविधियाँ चल रही हैं—नगदी फसलें बनाम खाद्य उत्पादन।

इसका परिणाम यह हुआ है कि अधिक अन्न उपजाओ संबंधी अभियान के बावजूद और उस पर किए गए खर्च के बावजूद हम इतना उत्पादन नहीं बढ़ा सके जिसका कि अनाज के मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़ता। अब मैं माननीय वित्त मंत्री से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या वह इस बात को महसूस करते हैं अथवा नहीं कि यदि अधिक खाद्यान्न उपजाकर मूल्यों में गिरावट लाने का उनका उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो क्या वह इसके बावजूद उपभोक्ता को दंडित करते रहेंगे और उसको कोई इमदाद नहीं देंगे या कोई अन्य राहत नहीं देंगे, जिससे वह दयनीय स्थिति से उभर सकें? इस बात में कोई विवाद नहीं है कि जिस प्रकार की स्थिति से हम गुजर रहे हैं उसमें हमारे देश में किसी न किसी रूप में इमदाद आवश्यक है। बात इतनी सी है कि किस समय रक्त की पूर्ति की जानी है, किस स्तर पर – उत्पादन के स्तर पर अथवा उपभोक्ता के स्तर पर इमदाद दी जानी है। मैं इस आशा के साथ यह टिप्पणी कर रहा हूँ कि माननीय वित्त मंत्री पुनः इस बात पर विचार करेंगे कि हमारी समस्या का तत्काल समाधान उपभोक्ता को इमदाद देने के बजाय उत्पादक को देने से हो सकता हे। हो सकता है कि उनको सफलता मिल जाए। जैसा कि हम जानते हैं, पहले हमारी सरकार ने, जब मैं उसका सदस्य था, घोषणा की थी कि हमें वर्ष 1952 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री आये दिन इस बात पर जोर देते हैं कि वर्ष 1952 के बाद हम अनाज का एक दाना भी बाहर से आयात नहीं करेंगे। मेरे विचार में, आज मैं ठीक ही कह रहा हूँ कि भारत सरकार अब महसूस करने लगी है कि आत्मनिर्भरता प्राप्ति कोरा सपना है। उन्होंने अब घोषणा कर दी है कि वे वर्ष 1956 तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा ही जाने। आए दिन लक्ष्य को कम किया जाता है। हम कह नहीं सकते कि इस देश की जनता को कितने वर्षों तक यह कष्ट भोगना पड़ेगा और वित्त मंत्री तथा खाद्य मंत्री विभिन्न विचार, प्रस्ताव व योजनाएं बना कर, जैसेकि प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं, इस मामले में विलम्ब करते रहेंगे। मैं इस विषय पर और विस्तार से कुछ नहीं कहना चाहता।

महोदय, अब मैं समग्रतः साधारण बजट के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। निःसंदेह प्रत्येक देश में बजट में बताया जाता है कि सरकार जनता के लिए क्या—क्या काम करेगी। इस देश में एक बार ऐसा भी समय था जब ब्रिटिश सरकार का काम कर वसूल करना और शांति तथा व्यवस्था बनाए रखना था। उनके बजट में जनता का कल्याण, लोगों की भलाई, उनकी शैक्षणिक प्रगति, जन स्वास्थ्य, बेरोजगारी या इन समस्याओं का समाधान और राहत व्यवस्था आदि का, जिनका

विभिन्न योरोपीय देशों के बजट में विस्तार से उल्लेख किया जाता है, कोई स्थान नहीं होता था। न केवल शासन में इन बातों का कोई स्थान था बल्कि सरकार ने स्वयं भी इस दायित्व को कभी स्वीकार नहीं किया था। हमने सोचा था और हमें आशा भी थी कि जब यह देश स्वतंत्र हो जाएगा, तो इस विषय का वह पहलू भी बदल जाएगा कि सरकार कर वसूल करने वाली एजेंसी मात्र नहीं रहेगी और किसी गलत कार्य के लिए लोगों को दंड देने हेतु मजिस्ट्रेट वाला काम नहीं करेगी, बल्कि सरकार कुछ अधिक जिम्मेदारी संभालेगी और वे सभी काम करेगी जो 20वीं शताब्दी में सभी सरकारें निभाती हैं। महोदय, क्या इस सदन में प्रस्तुत बजट के सूक्ष्म अध्ययन के पश्चात् कोई व्यक्ति कह सकता है कि इसमें सरकार ने कोई नई बात कही है, क्या इसमें किसी ऐसे कार्य का उल्लेख है जो सभी आधुनिक सभ्य सरकारें कर रही हैं। मुझे इसमें कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। हम अंग्रेजों के समय के इतिहास को दोहरा रहे हैं अर्थात् कर वसूल करना और अपराधियों को दंड देना। विश्व में व अन्य देशों में गरीब और निचली जातियों को पहुंचाए जाने वाले सामाजिक लाभ हेतु इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं वित्त मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह हमको वचन देंगे, जैसे कि वह खाद्य इमदाद के संबंध में देते रहे हैं कि हम वर्ष 1952 तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे, यदि वर्ष 1952 में नहीं तो वर्ष 1956 में हो जाएंगे और यदि वर्ष 1956 में भी नहीं तो वर्ष 1960 में तो हो ही जाएंगे? यदि कोई दिन निश्चित होता है अथवा नई प्रणाली आदि का दिन निर्धारित होता है तो आशा बनी रहती है। क्या वह हमको बतायेंगे कि जहाँ तक सामाजिक सेवाओं का संबंध है क्या वह विदेशों द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करेंगे? वह इस बात से इंकार करते हैं। बजट में सारी व्यवस्था, यदि संक्षेप में कहा जाए, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा है, कि संपूर्ण विषय का सार यह है कि धनराशि का अधिकांश भाग सेना द्वारा उपयोग किया जा रहा है जो इस देश की जनता के लिए अपेक्षित है। हमारे देश का कुल बजट 404 करोड़ रुपये का है जिसमें से लगभग 200 करोड़ रुपये सेना पर खर्च कर दिए जाते हैं। इस स्थिति को समझना बहुत कठिन बात है। महोदय, जब शांति स्थापित हो गई थी, तब सैन्य विघटन का आदेश पास किया गया था। उस समय तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भारत की सेना को कम करने का निर्णय लिया था। परंतु आज स्थिति क्या है? हम देखते हैं कि वर्ष 1947 में भारत सरकार का राजस्व लगभग 172 करोड़ रुपये था। मैं उस आठ महीने के बजट की बात कर रहा हूँ जो अगस्त 1947 से अप्रैल 1948 तक के लिये पेश किया गया था। उस समय सैन्य बजट 90 करोड़ रुपये का था। आज हमारा राजस्व बढ़ कर 404 करोड़ रुपये हो गया है। और हमारा सैन्य खर्च भी लगभग 200 करोड़ रुपये हो गया है। यह एक असाधारण स्थिति है कि जैसे–जैसे हमारा

राजस्व बढ़ता है वैसे–वैसे हमारा सैन्य खर्च भी बढ़ता है। मेरे विचार में, यह प्रक्रिया उल्टी होनी चाहिए थी। सैन्य खर्च कम हो जाना चाहिए था। यदि आप अपने सैन्य खर्च में 50 करोड़ रुपये की भी कमी कर लेते तो हम जनता की कितनी भलाई कर सकते थे? सैन्य खर्च में कम किये गये इस 50 करोड़ रुपये की राशि को हम नदी घाटी परियोजनाओं पर लगा सकते थे। विदेशों से सहायता मांगने के बजाए हम दामोदर घाटी परियोजना को 3 वर्ष में पूरा कर सकते थे। यदि हम सैन्य बजट की इस 50 करोड़ रुपये की राशि को अपनी जनता की बेहतरी के लिये खर्च करते तब हम लोगों की कितनी भलाई कर सकते थे? मैं यह बात समझने में असमर्थ हूँ कि भारत सरकार किन कारणों से सैन्य बजट में निरंतर वृद्धि करती जा रही है। महोदय, एक अन्य दृष्टि से भी, यह एक असाधारण स्थिति है। हमें बताया गया है कि हमारी विदेश नीति शांति और मैत्री की नीति है। मेरे माननीय मित्र दीवान चमन लाल ने इसका, नेहरू का नाम दिया है। यदि नेहरू नीति का यही उद्देश्य है तो इसका स्वागत है, किंतु तभी, जब सभी लोग इसका पालन करें। अब, यदि इस देश की विदेश नीति का उद्देश्य समूचे विश्व में मित्रता और शांति बनाये रखना है तो मैं अपने शत्रुओं के बारे में जानना चाहता हूँ जिनका मुकाबला करने के लिये हम 197 करोड़ रुपये की लागत पर इतनी बड़ी सेना तैयार रखना चाहते हैं।

श्री जे. आर. कपूर (उत्तर प्रदेश) : हमारा पड़ोसी देश।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं इस बात को नहीं जानता। यदि हमें यह बात बताई जाती कि हमारे संबंध किसी अन्य देश से अच्छे नहीं हैं, कि हमारी सुरक्षा को किसी भी समय ख़तरा हो सकता है तो हममें से अधिकांश लोग इस बात पर सहमत हो जाते कि ख़तरे की प्रतीक्षा करने के बजाय हमें अपनी सेना को तैयार रखना चाहिए ताकि किसी आपात् स्थिति में हम उस ख़तरे का दृढ़ता से मुकाबला कर सकें। किंतु हमें तो यह बताया गया था कि इस विश्व में हमारा कोई शत्रु नहीं है। फिर मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी सेना रखने की क्या आवश्यकता है। दूसरे, यदि शत्रु हो सकता है, यदि हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं तो, वह पाकिस्तान ही हो सकता है, और वह भी कश्मीर के कारण। अब, जहाँ तक कश्मीर का संबंध है, मुझे आशा है कि इस सदन को उस पर विस्तृत चर्चा करने का अवसर मिलेगा। इस विषय पर कुछ कहने का मेरे पास समय भी नहीं है और कश्मीर जैसी बड़ी समस्या पर कुछ शब्द कहना मैं उचित भी नहीं समझता। किंतु निश्चय ही यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय से पूर्व कश्मीर अथवा इस देश पर आक्रमण करने की मूर्खता करेगा। अतः इतनी बड़ी सेना बनाये रखने की क्या आवश्यकता है? यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती।

फिर, महोदय, संभवतः हमने कभी इस बात को महसूस नहीं किया कि जितना शीघ्र कश्मीर की समस्या सुलझ जाएगी उतना ही अच्छा होगा क्योंकि यदि हम कश्मीर विवाद के कारण ही रक्षा बजट में भारी वृद्धि करते हैं तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम उस विवाद का अंत करने के लिये कोई ठोस कदम उठाएं। मैं इस विषय पर विस्तार से कुछ कह नहीं सकता किंतु जहाँ तक मैंने, कश्मीर के मामले के समाधान के लिए हुई बातचीत का अध्ययन किया है उसमें भारत सरकार ने जो भूमिका अदा की है, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उसमें एक भी शब्द मुझे ऐसा नहीं मिला जिससे उसकी सकारात्मक भूमिका की झलक मिलती हो। भारत ने इस मामले में नकारात्मक दृष्टिकोण ही अपनाया है। वे केवल सैन्य स्थापना पर ही विचार करते रहे हैं। जनमत की बात विश्व के इतिहास में कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार के मामलों को जनमत के माध्यम से किये जाने के पूर्ववर्ती दृष्टांतों का पता लगाने के लिये अधिक अतीत में जाने की जरूरत नहीं है। पहले विश्व युद्ध के पश्चात्, मुझे अच्छी तरह से याद है कि दो मामलों को जनमत द्वारा हल किया जाना था। एक मामला अपर सिलेसिया का था और दूसरा एलसके लोरेन का था। इन दोनों मामलों का समाधान जनमत द्वारा किया गया था। मुझे विश्वास है कि मेरे माननीय मित्र श्री गोपालास्वामी आयंगर को, जो परिपक्व व तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, इस बात की पूरी जानकारी होगी। कि क्या हम अपर सिलेसिया और एलसके लोरेन में कराये गये जनमत के बारे में लीग आफ़ नेशन्स द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते हैं और इस व्यवस्था का उपयोग कश्मीर के मामले में नहीं कर सकते हैं और उसका शीघ्र समाधान नहीं कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हम रक्षा बजट में से 50 करोड़ रुपये निकाल सकते हैं और उसका उपयोग अपनी जनता की भलाई के लिए कर सकते हैं।

मैं इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहता परंतु इतना अवश्य कहना चाहता हूँ कि हममें से अधिकांश लोग यह महसूस करते हैं कि इस देश की जनता के कल्याण के मार्ग में रक्षा बजट बहुत बड़ी बाधा है।

एक और बात है जिसकी ओर मैं वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने अपने बजट संबंधी भाषण में संकेत दिया था कि भविष्य में इस देश में, जहाँ तक कराधान का संबंध है, कोई बहुत अच्छी संभावना नहीं है। उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे आय–कर राजस्व का स्तर वही नहीं रहेगा जो गत दो वर्षों में रहा है। वह भली–भांति जानते हैं कि निर्यात शुल्क, जो हमारे देश के वर्तमान राजस्व का बहुत बड़ा हिस्सा है अब इस देश के राजस्व ढांचे का स्थायी अंग रहने वाला नहीं है। निर्यात शुल्क को, जिसका स्वरूप सभी देशों में असामान्य

व असाधारण रहता है, किसी देश के कर ढांचे का सहज अंग नहीं करार दिया जा सकता क्योंकि वह अन्य देशों में विद्यमान परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जैसे ही उन स्थितियों में भिन्नता दिखाई देती है, आपको कर में अंतर रखना पड़ता है। आपको ऐसी भी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जब ऐसे शुल्कों को पूरी तरह छोड़ देना पड़े। मेरे विचार में राजस्व में कमी की आशंका की संभावना का कारण यही है। राजस्व में कुछ मदों को कम कर देने से जो हानि होगी उसे राजस्व के खाते में पूरी करने के बारे में वित्त मंत्री का क्या प्रस्ताव है? क्या वह रक्षा बजट में कमी करेंगे अथवा जनता के समाज कल्याण विभागों के बजट में कटौती करेंगे? मुझे कुछ पता नहीं है। यदि सैन्य बल व खर्च का वर्तमान स्तर बनाए रखा गया तो जहाँ तक जनता के कल्याण की स्थिति का संबंध है वह काफी बिगड़ जाएगी। मैं चाहता हूँ कि वित्त मंत्री इस बात को ध्यान में रखें और हमें बताएं कि जब ठोस रूप में ऐसी संभावना उनके सामने आ जाएगी तो वह क्या करेंगे।

*****

(46)

*आंध्र राज्य विधेयक, 1953

माननीय सभापति : प्रस्ताव रखा गयाः

"कि आंध्र राज्य के निर्माण मैसूर राज्य के क्षेत्रों को बढ़ाने और मद्रास राज्य के क्षेत्र को कम करने तथा तत्संबंधी विषयों के लिए विधेयक (लोकसभा द्वारा पारित रूप में) विचार किया जाए।"

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बंबई) : सभापति महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य आंध्रवासियों के लिए एक नया राज्य बनाना है। वैसे तो यह मामला आंध्रवासियों का ही है, अन्य सदस्य जो आंध्र से संबंधित नहीं हैं वे सामान्य रूप से भाग ले सकते हैं, क्योंकि इस नये प्रांत के बन जाने से भाषा के आधार पर कुछ अन्य प्रांत बनाए जाने की मांग को बल मिलेगा। इस प्रकार पश्चात्वर्ती भावनाओं के कारण ही मैं कुछ शब्द कहने के लिये खड़ा हुआ हूँ।

महोदय, यदि हम इस विधेयक का अध्ययन करें, तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या सदन में लाए गए इस विधेयक के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहिए या आंध्रवासियों को धन्यवाद देना चाहिए जो अलग प्रांत की उत्कट मांग करते रहे

---

* संसदीय वाद–विवाद (राजय सभा), जिल्द–4, 2 सितम्बर, 1953, पृ. 864–79

हैं। इस सदन के सभी सदस्य जानते हैं, ज्योंही काँग्रेस पार्टी संगठित हुई और वर्ष 1921 में उसका संविधान बनाया गया, सबसे पहले इसने संविधान में भाषायी प्रांतों के सिद्धांत को शामिल करने का काम किया। मुझे इस बात का कोई ख्याल नहीं है, कि वर्ष 1921 से लेकर वर्ष 1949 तक किसी समय या इसके आसपास काँग्रेस ने इस सिद्धांत को संविधान में से निकाला हो या संविधान में उसको शामिल किए जाने पर खेद व्यक्त किया हो। वर्ष 1949 में, मेरा विचार है– यदि मैं गलती पर हूँ तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं–कि यह वह वर्ष था, जब प्रारूपण समिति अपना काम कर रही थी और तत्कालीन विधानसभा के एक सदस्य ने भाषायी प्रांत बनाये जाने के संबंध में एक संकल्प प्रस्तुत किया था। विधि विभाग मेरे अधीन था। और इस कारण वह संकल्प मेरे विभाग के अंतर्गत आता था। अतः मुझे मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों से परामर्श करना था कि संकल्प का क्या उत्तर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अच्छा तो यही होगा कि आप इस संकल्प को प्रधानमंत्री अथवा स्व. सरदार वल्लभभाई पटेल को हस्तांतरित कर दें जिसे मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उस संकल्प का उत्तर दिये जाने की जिम्मेदारी मुझ पर पड़े। फिर संकल्प के प्रस्तावक और काँग्रेस उच्च कमान में तय हो गया कि यद्‌यपि वे उस संकल्प को व्यापक तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिससे वह उस समय विद्यमान सभी बहुभाषी प्रान्तों पर लागू हो फिर भी वे आंध्र प्रांत बनाने पर विचार करने के लिए तैयार थे। प्रारूपण समिति के सदस्य यह जानने के लिये प्रतीक्षा कर रहे थे कि क्या वे राज्यों की अनुसूची में आंध्र को पृथक राज्य के रूप में दर्ज करें। इस बात को विशेष रूप से जानने वाले माननीय सदस्य, प्रारूपण समिति की रिपोर्ट के पहले प्रारूप की पाद टिप्पणी में देखेंगे कि मैंने प्रधानमंत्री से पूछा था कि वह मुझे बताएं कि क्या आंध्र को संविधान की अनुसूची में दर्ज किया जाना चाहिए। मुझे कोई उत्तर नहीं मिला था जिसके परिणामस्वरूप उस समय आंध्र पृथक प्रांत नहीं बना। मेरे लिए यह हैरानी की बात थी कि एक पार्टी जो लगभग 20 वर्षों तक भाषायी प्रांतों के सिद्धांत को मानती रही, वह 20 वर्ष के बाद उससे हट गई। निश्चय ही, 20 वर्ष की अवधि, चाहे कोई व्यक्ति कितना ही नासमझ क्यों न हो, किसी मामले पर विचार करने के लिये बहुत लंबा समय होता है और वह कोई स्पष्ट निष्कर्ष निकाल सकता है कि क्या वर्ष 1921 में अपनाया गया सिद्धांत का संपादन कुछ फेर–बदल करके किया जाना चाहिए। इसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 1949 से लेकर अब तक सरकार का दृष्टिकोण अनिश्चयपूर्ण रहा है। वह एक बार कहती है कि भाषायी प्रांत नहीं बनाए जाएंगे और दूसरी बार कहती है कि ''हाँ, हम आंध्र प्रदेश बनाएंगे'' और जब तक आध्र प्रदेश बनाने के लिए एक माननीय व्यक्ति ने अपना जीवन बलिदान नहीं कर दिया, सरकार ने इस विषय पर कोई ठोस कार्यवाही

करना उचित नहीं समझा। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है और मैं सरकार की अनुचित आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि यदि किसी दूसरे देश में किसी सिद्धांत को जिसे पहले स्वीकार कर लिया गया हो, आश्रय लेने के लिये एक व्यक्ति को अपने जीवन का बलिदान करना पड़ता तो सरकार की क्या स्थिति होगी। यह बिल्कुल संभव है कि ऐसी सरकार का अंत कर दिया जाता। परंतु हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार इस प्रस्ताव से खिलवाड़ कर रही है।

सरकार का तर्क यह है कि यदि भाषायी प्रांत बनाए जाते हैं तो इससे भारत की एकता समाप्त हो जाएगी। सरकार के प्रत्येक सदस्य द्वारा यह तर्क बारंबार दोहराया गया है। महोदय, मुझे इस तर्क का प्रयोग किए जाने पर हैरानगी होती है। यदि कोई व्यक्ति संविधान से संबंद्ध राज्यों की अनुसूची को देखे तो उसे पता चलेगा कि विभिन्न भागों–भाग क, भाग ख और भाग ग में कुल मिलाकर 27 राज्यों का उल्लेख है। अभी मैंने भाग घ का उल्लेख नहीं किया। अब आप यदि इन 27 राज्यों पर ध्यान पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि इनमें से 23 भाषायी राज्य हैं। केवल 4 राज्य बहु–भाषी हैं। मैं अपने माननीय मित्र, गृह मंत्री से पूछना चाहूँगा कि वह सोचते हैं कि क्या 23 भाषायी राज्यों ने जो संविधान के प्रारंभ से विद्यमान हैं, इस देश की एकता को भंग करने के लिए किसी प्रकार की कोई हरकत की है। वह मेरे प्रश्न का उत्तर दें। ये 23 भाषायी राज्य भारत की एकता को भंग नहीं कर सके। भारत की एकता बनाए रखने की चिंता मुझे भी उतनी ही है, जितनी उनको है और मैं ऐसी किसी व्यवस्था का समर्थन नहीं करूंगा जिससे इस देश की एकता भंग होती है।

हमने परमात्मा की कृपा से, स्वतंत्रता ही प्राप्त नहीं की, बल्कि हमने एकता भी हासिल की है और यह हमारा पहला कर्तव्य है कि हम चाहे किसी भी पार्टी के हों, हम देखें कि इस स्वतंत्रता और एकता को कायम रखा जाए। किंतु इस तथ्य को ध्यान में रखकर जबकि पहले से 23 भाषायी राज्य विद्यमान हैं यह कहना कि भाषायी राज्यों से भारत की एकता खंडित हो जाएगी, बहुत ही हल्की बात लगती है। भाषायी राज्य बनाने की रीति का अनुसरण न करने की दलील के समर्थन में सरकार को कुछ ठोस तर्क प्रस्तुत करने चाहिए।

महोदय, अब, आंध्र के लोगों पर आते हैं जिन्हें बहुत देर के बाद सरकार द्वारा यह शुभकामना दी गई है, इससे उन्हें क्या मिला है? सबसे पहले जैसा कि मैंने विधेयक को पढ़ा है, उसमें इस नए राज्य आंध्र की राजधानी का कोई उल्लेख नहीं है। राजधानी राज्य की जीवन–दायिनी शक्ति होती है। राजधानी के बिना किसी राज्य का अस्त्तिव ही क्या रह जाता है। वास्तव में राजधानी ही राज्य की मूल होती है। इसका कोई उल्लेख ही नहीं किया गया है। राजधानी कौन बनाएगा। क्या नए आंध्र राज्य के विधानमंडल

की बैठक होगी जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि इसकी राजधानी कौन–सी होगी? क्या इस नए राज्य की कार्यपालिका सरकार निर्णय करेगी कि नए आंध्र राज्य की राजधानी अमुक स्थान पर होगी? विधेयक में इसका उल्लेख नहीं है कि राजधानी बनाने के लिए कौन प्राधिकृत है। समाचार–पत्रों को पढ़ने से अवश्य पता चलता है कि राजधानी बनाने के मामले पर आंध्रवासियों में मतैक्य नहीं है। कुछ लोग विजयवाड़ा चाहते हैं और कुछ कुरनूल चाहते हैं और जो कुरनूल के पक्ष में हैं, वे संभवतः एक मत से जीते हैं। इस प्रकार की स्थिति में, मेरे विचार में सरकार नहीं गिरती है–मुझे पक्का भरोसा है भारी बहुमत के साथ उसे विपक्ष से किसी प्रकार का कोई ख़तरा नहीं है, यदि वह साहस बटोर कर कहती कि उनके निर्णय के अनुसार ''कोई अमुक स्थान राजधानी बनाया जाना चाहिए,'' और बाद में उसे बदलने की, यदि आंध्रवासी चाहें, छूट दे देते। महोदय, राजधानी के इस प्रश्न के संबंध में, मैं एक अन्य बात का उल्लेख करना चाहता हूँ। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि आध्र राज्य की राजधानी के लिए किस स्थान को चुना जाना है परंतु प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है कि जिस नगर को राजधानी के रूप में चुना जाएगा, वह अस्थायी राजधानी होगी। मैंने यही सुना है। अब, मैं सोचता हूँ कि चाहे वे विजयवाड़ा चुनें या कुरनूल अथवा कोई अन्य स्थान चुनें, उनको राजधानी के लिए आवश्यक भवन निर्माण पर कुछ धनराशि तो खर्च करनी पड़ेगी। निश्चय ही, वहाँ पर एक सचिवालय होना चाहिए और मंत्रियों के लिए आवास भी होने चाहिए.............

श्री सी. जी. के. रेड्डी (मैसूर) : यह बहुत महत्वपूर्ण है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : और इसी प्रकार के अनेक काम करने होंगे, तभी राजधानी का स्वरूप बनेगा। मुझे इस बात का कोई अनुमान नहीं है कि नयी आंध्र सरकार इस अस्थायी राजधानी के निर्माण पर कितनी धनराशि खर्च करने का विचार रखती है। जब यह कहा जा रहा है कि यह अस्थायी राजधानी होगी और स्थायी राजधानी का चयन बाद में होगा तो फिर क्या होगा? मेरे विचार में, होगा यह कि अस्थायी राजधानी के निर्माण पर आरम्भ में जो लगभग पांच करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, वे व्यर्थ ही चले जाएंगे और आंध्रवासी अपने नए राज्य के लिए जिस स्थान को स्थायी राजधानी बनाने का निर्णय करेंगे, उस पर पांच या दस करोड़ रुपये पुनः खर्च करने पड़ेंगे। मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या माननीय गृह मंत्री अथवा माननीय वित्त मंत्री, जो मेरे विचार में बहुत ही दयालु हैं और भी व्यक्ति आकर अनुदान मांगता है और वे दे देते हैं। वह पहले अस्थायी राजधानी के लिए पांच करोड़ रुपये और फिर स्थायी राजधानी के लिए पांच या दस करोड़ देने के लिए तैयार होंगे। यदि ऐसी बात है तो इस देश के वित्त प्रबंधन का यह निश्चय ही विचित्र तरीका होगा।

महोदय, नए राज्य की वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए यह दर्शाया गया है

कि नए राज्य का आरंभ 5 करोड़ के घाटे की व्यवस्था से होगा। अनेक आशावादी आध्रवासियों ने, जो स्थिरता से भी अधिक आंध्र राज्य बनाये जाने में रुचि रखते हैं, जांचकर्ता श्री जस्टिस वांचू को बताया है कि उनके विचार में, अनेक साधन उपलब्ध हैं जिनसे वे इस अंतर को पाट सकेंगे और राज्य को आत्मनिर्भर बना लेंगे।

श्री जस्टिस वांचू ने प्रत्येक सुझाव पर विचार किया है, जो उनको आंध्र के विभिन्न पक्षों द्वारा दिये गये थे और उन्होंने बिल्कुल निभ्रांत रूप से कहा है कि ये सब कोरी कल्पनाएँ हैं और इससे न तो नए राज्य के राजस्व में वृद्धि हो सकती है और न ही व्यय में कमी आ सकती है। वैसे राजस्व में वृद्धि करके अथवा व्यय को कम करके कुछ भी किया जा सकता है। फिर भी नए आंध्र राज्य का कामकाज 2 करोड़ रुपये के घाटे की व्यवस्था से आरंभ होगा। यह कम से कम है जिससे आंध्रवासियों को काम चलाना होगा। अब यह चिंता तो आंध्रवासियों की है कि क्या वे 5 करोड़ रुपये का अथवा 2 करोड़ रुपये का घाटा पूरा कर सकेंगे या नहीं, इस बारे में हमें कुछ नहीं कहना है, यह काम उनका है।

इसके बाद तीसरा मुद्दा आता है जो मैं अपने माननीय मित्र गृहमंत्री से कहना चाहता हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे माननीय मित्र ने आंध्र राज्य के जन्म मृत्यु संबधी आंकड़ों पर ध्यान नहीं दिया है। इस राज्य की सामाजिक स्थिति क्या है? जब मैं आंध्र की सामाजिक स्थिति की बात करता हूँ तो मेरा अनुरोध है कि आंध्र के भाई मुझे गलत न समझें। ऐसी बात नहीं है कि मैं कोई बयान दे रहा हूँ। मैं आंध्रवासियों पर कोई दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ परंतु यह एक सामान्य प्रस्ताव है जिसकी मैं व्याख्या कर रहा हूँ और अपने भाषण की समाप्ति पर मैं इस बारे में विस्तार से बोलूंगा।

महोदय, जैसा कि मैंने पहले बताया था मैं आंध्रवासी नहीं हूँ। फिर भी, मेरा एक राजनीतिक ग्रुप के साथ संबंध है—मैं उसको पार्टी नहीं कह सकता क्योंकि वह एक आदर सूचक शब्द है—जिसे शिड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन (अनुसूचित जाति परिसंघ) कहा जाता है। उस ग्रुप का नेता होने के कारण मुझे आंध्र के क्षेत्रों में घूमने का अवसर मिला है जिसके परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की स्थिति के बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हो सकी है। मेरी जानकारी इस प्रकार है—इस आंध्र प्रदेश में, जैसाकि सभी स्थानों पर है, कुछ बड़े समुदाय हैं और कुछ बहुत ही छोटे समुदाय हैं। बड़े समुदायों में सबसे बड़ा समुदाय रेड्डी जाति का है, उसके बाद दूसरे नम्बर का कम्मा समुदाय है, उसके बाद काप्पू और उनके नीचे अभागे अनुसूचित जाति के लोग आते हैं, जो भूमिहीन श्रमिकों के रूप में काम करते हैं। मुख्य तौर पर इस प्रदेश का यह चित्र है। जैसे कि मैंने कहा कि यह मामला अकेला

नहीं है। इसी प्रकार के अन्य अनेक क्षेत्र हैं।

एक दूसरी बात मैंने यह देखी है कि लगभग सारी भूमि रेड्डी समुदाय के कब्जे में है। वे सबसे बड़े भू–स्वामी हैं। दूसरे नंबर पर सम्भवतः कम्मा समुदाय है, जिससे मेरे मित्र प्रो. रंगा का संबंध है। मुझे हाल ही में बताया गया है कि यह कितनी बड़ी बुराई है, मुझे एक काँग्रेसी ने स्वयं बड़े स्पष्ट ढंग से सब कुछ बताया था। यदि मैं उनके नाम का उल्लेख करूं तो शायद उनको बुरा लगेगा। ऐसा करने से मेरा कथन अधिकृत बन जाएगा परन्तु मैं उनके नाम का उल्लेख नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उनसे पूछा नहीं है।

एक माननीय सदस्य : क्या वह इस सभा का सदस्य है?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : वह निचले सदन का सदस्य है।

डॉ. के. एन. काटजू : निचला सदन कहना मुझे अच्छा नहीं लगता।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे तो मेरे मित्र ने बताया कि यह कोई विचित्र बात नहीं है। आंध्र प्रदेश में एक गांव है। गांव की पूरी भूमि 1400 एकड़ है। उसमें से केवल 14 एकड़ भूमि अलग–अलग व्यक्तियों की है, शेष सारी भूमि एक रेड्डी की है। आप केवल कल्पना कर सकते हैं...................

श्री पी. सुन्दरय्या (मद्रास) : हमें उसे जब्त कर लेना चाहिए।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। एक तीसरा तथ्य मुझे बताया गया कि गांव का सारा व्यापार रेड्डी समुदाय के हाथों में है............................

एक माननीय सदस्य : इसमें क्या गलत बात है?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : गांव का सबसे छोटा अधिकारी भी रेड्डी है, मुल्की भी रेड्डी है। महोदय, मैं जानना चाहता हूँ, विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि क्या काँग्रेस पार्टी द्वारा हमें अनुग्रहपूर्वक 10 वर्ष के लिए दिया गया आरक्षण समाप्त होने वाला है।

एक माननीय सदस्य : आपने स्वीकार किया था।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी, हाँ, और हम क्या कर सकते थे, यदि आप पूड़ी नहीं ले सकते तो रोटी तो मिलनी चाहिए। महोदय, वहाँ की स्थिति को ध्यान में रखकर आप कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ अनुसूचित जातियों की स्थिति क्या होगी। अत्याचार दमन और संप्रदायवाद से बचाव के लिए, जो इस प्रकार स्थित सभी राज्यों में, न केवल आंध्र प्रदेश में, निश्चय ही होते हैं, हमारे माननीय मित्र ने क्या व्यवस्था

की है? मेरे लिये सबसे अधिक खेद की बात यह है कि गृह मंत्री, जिसका काम यह सुनिश्चित करना है कि बहुसंख्यक वर्ग के अत्याचार से प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा की जाए, एक ऐसा विधेयक यहाँ पर लाए हैं, जिसमें इस बात की कोई संकल्पना नहीं है कि राज्य का स्वरूप क्या होगा और लाखों लोगों का भविष्य क्या होगा। महोदय, मुझे पता है कि उनका जन्म ऊंचे घराने में हुआ है।

डॉ. के. एन. काटजू : कौन? मैं? मैंने साधारण रूप से अपना जीवन आरंभ किया था।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : परन्तु सच तो यह है कि वह कश्मीरी पंडित है। चाहे वह भंगी का भी व्यवसाय करें, वह फिर भी कश्मीरी पंडित ही रहेंगे उनको कभी कष्ट नहीं होगा। सभी लोग उनके पुरखों के कारण, उच्च कुल में जन्म के कारण, उनकी शिक्षा–दीक्षा के कारण, उनका सम्मान करेंगे। प्रश्न तो हमारे बारे में है, जिनको गत 2000 वर्षों से अत्याचार सहने पड़ रहे हैं?

श्री एच. पी. सक्सेना (उत्तर प्रदेश) : परन्तु हम सब आपका सम्मान करते हैं।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : संभव है दस वर्ष के अंतर्गत मेरी मृत्यु हो जाए। महोदय, मेरे ध्यान में तीन बातें हैं जो मैं अपने माननीय मित्र गृहमंत्री के विचारार्थ रखना चाहता हूँ। यदि वह चाहें तो अब भी सदन में समय है।

श्री के. एस. हेगड़े : क्या यह सुझाव दिया गया है कि आंध्र में बिल्कुल भिन्न परंपरा अपनाई जानी चाहिए।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं यह सुझाव देने वाला हूँ। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया है।

श्री के. एस. हेगड़े : वह सभी राज्यों पर लागू होगा?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने ऐसा कहा है।

श्री के. एस. हेगड़े : यह सामान्य प्रस्ताव है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : कृपया एक मिनट प्रतीक्षा कीजिए। सभापति महोदय, आंध्र राज्य बन जाने से हमारी कठिनाइयाँ समाप्त नहीं होंगी। ऐसे अनेक राज्य हैं जो इसी प्रकार की मांगें प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए मेरे विचार में सरकार के लिए यह पता लगाना आवश्यक है कि क्या कोई ऐसे तरीके हैं जिनसे बहुभाषी राज्यों को यथात्त रखा जाए और ऐसी भावनाएं और दोष न पनपने दिये जाएं जिनसे कुछ मामलों में भाषायी राज्य बनाने की मांग पैदा होती है। मैं इस मामले पर ध्यान देता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला बन सकता है। महोदय,

मेरा सुझाव दोहरा है। जहाँ कहीं बहुभाषी राज्य हैं, मैं चाहता हूँ वहाँ के राज्यपाल को उस राज्य के अल्पसंख्यकों की रक्षा करने के लिए कुछ विशेष शक्तियाँ प्रदान की जाएं। यह एक प्रस्ताव है जो मैं सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। मैं इस संबंध में कुछ अधिकृत बाते कहना चाहता हूँ, ताकि वे यह न समझें कि यह मेरी कोरी कल्पना है। मैं कुछ संवैधानिक पूर्वोदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि ऐसे सभी राज्यों में जहाँ बहु–भाषी लोग रहते हैं, आपको वहाँ पर विभिन्न भाषा वर्गों से संबंधित सदस्यों की समितियाँ बनानी चाहिएं जिनको सुनवाई करने और मंत्रालय से पूछताछ करने का अधिकार हो कि क्या उनकी समस्याओं से निपटने के लिए न्याय किया जा रहा है, यदि ये तीन काम किए जाएं तो मेरे विचार में, हम राज्यों को यथावत रख सकेंगे। कम से कम प्रथम अवस्था में तो ऐसा कर सकेंगे। अंत्तोगत्वा, यदि हम इस नतीजे पर पहुंचे कि इन उपायों के साथ भी सफल नहीं हो पाएं तो विधि का विधान मानना पड़ेगा अर्थात् भाषायी राज्य बनाने पड़ेंगे। महोदय, भाषायी राज्य बनाने के मामले में मेरे विचार में दो बातों का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। एक बात यह है कि भाषायी राज्य को सक्षम होना चाहिए। संभव है कि कोई राज्य छोटा हो, उसकी अपनी संस्कृति हो, उसकी अपनी भाषा हो, उसकी अपनी भावनाएँ हों और अपना नाम हो। फिर भी वह इतना छोटा है कि उसके पास प्रशासन चलाने के लिए साधन उपलब्ध न हों। लोग संस्कृति व भाषा के सहारे जीवित नहीं रह सकते, लोग संसाधनों के सहारे जीवित रहते हैं जो उनके राज्य में उपलब्ध होते हैं; परंतु यदि परमात्मा ने उनको संस्कृति दी है भाषा दी है किंतु संसाधन नहीं दिए हैं तो, मेरे विचार में, वे पृथक भाषायी राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरी बात यह है कि केवल हमारे देश में ही भाषायी प्रांत बनने में कठिनाइयाँ आती हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि स्विटजरलैंड में ऐसी कठिनाइयाँ क्यों नहीं हैं यद्यपि स्विटरलैंड स्वयं बहुभाषी राष्ट्र है। केंटन्स में फ्रांसीसी, जर्मन और इटेलियन हैं। फिर भी वह बहुत प्रसन्न राष्ट्र है और वह सर्वाधिक खुशहाल देश है स्विटजरलैंड में कोई प्रांत न होने के क्या कारण हैं, जबकि वह बहुभाषी देश है? इसका जो उत्तर मैं दे सकता हूँ वह यह है कि स्विटजरलैंड में भाषावाद संप्रदायवाद से बोझल नहीं है। हमारे देश में, भाषावाद संप्रदायवाद का ही दूसरा नाम है। जब आप भाषायी प्रांत बनाते हैं तो क्या होता है, आप प्रशासन की बागडोर एक समुदाय के हवाले कर देते हैं, जो बहुसंख्यक समुदाय होता है, और मैं ऐसे कई प्रांतों के नाम बता सकता हूँ, जहाँ यह सब कुछ होने की संभावना है। वह समुदाय अपनी भावना को पवित्र मान कर और महत्वकांक्षी होकर सब से घटिया किस्म के संप्रदायवाद को बढ़ावा देने लगता है जिसको अन्यथा भेदभाव पूर्ण व्यवहार कहा जाता है। इसी प्रकार के भेदभाव पूर्ण व्यवहार से अन्याय की घटनाएं होती हैं और बुरी भावनाएं पैदा होती हैं। यदि हमारा भाषावाद संप्रदायवाद से प्रभावित

हो, तो भाषावाद हमारे लिए बिल्कुल ख़तरनाक सिद्ध नहीं होगा। परंतु सच यह है कि यह खतरनाक है। परंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि पद पर आसीन समुदाय को संप्रदायवाद का प्रयोग करने से रोकने के दो तरीके बहुत उपयोगी हैं अर्थात् राज्यपाल को ऐसी किसी कार्यवाही को निरस्त करने की शक्ति और दूसरे मंत्रालय या राज्यपाल को अभ्यावेदन देने के लिए छोटी–छोटी समितियों की नियुक्ति।

अब, महोदय, एक परंपरा चली आ रही है। लोग मुझे आकर कहते रहते हैं "ओह, आप संविधान के निर्माता हैं।," मेरा उत्तर होता है कि मैं तो साधारण सेवक था। मुझे जो कुछ करने को कहा गया था, वह मैंने इच्छा न होते हुए भी किया।

श्री पी. सुंदरय्या : आपने ऐसी स्थिति में अपने मालिकों की सेवा क्यों की?

माननीय सभापति : शांति, शांति।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : परंतु, महोदय, अंग्रेजों से नफरत के कारण हमने लोकतंत्र के बारे में उनके कुछ विचार अपनाए हैं, जो सार्वभौम रूप में स्वीकार्य नहीं हैं। हमने उनसे एक यह विचार लिया कि राज्यपाल को कोई शक्ति नहीं होनी चाहिए, उसे केवल रबड़ स्टांप का काम करना चाहिए। यदि कोई मंत्री, वह कितना ही दुष्ट क्यों न हो, कितना ही भ्रष्ट क्यों न हो, राज्यपाल के समक्ष कोई प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो उसे उसको स्वीकार करना ही होगा। इस देश में विकसित लोकतंत्र की यही अवधारणा है।

श्री एम. एम. रानावत (राजस्थान) : किंतु आपने उसका बचाव किया।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हम वकील लोग बहुत–सी बातों का बचाव करते हैं (व्यवधान)। आप मेरी बात को गंभीरता से सुनें क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण समस्या है।

महोदय, जैसा कि मैंने बताया, चूँकि हम अंग्रेजों का विरोध करते थे, हम ने लोकतंत्र के एक सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों को भारत छोड़कर चले जाना चाहिए और अंग्रेजों को कोई शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। एक राज्यपाल को कोई शक्ति प्राप्त नहीं होनी चाहिए। मैं दो मामले आपको बताता हूँ।

मैं एक मामला कनाडा के संविधान के बारे में रखना चाहता हूँ और मैं उस संविधान की धारा 93 का उल्लेख करता हूँ। जैसाकि इस सदन का प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि हमारी तरह कनाडा भी द्विभाषी देश है। इसके एक भाग में अंग्रेजी भाषा बोली जाती है, और एक भाग में फ्रांसीसी बोली जाती है। और सबसे खराब बात यह है कि अंग्रेजी भाषा भाषी लोग प्रोटेस्टेंट हैं और फ्रांसीसी रोमन कैथोलिक हैं। वर्ष 1864 में जब कनाडा में संविधान का निर्माण किया गया था, कैथोलिक जनता

के मन में बड़ी भारी आशंका थी कि आंग्ल प्रोटेस्टेट लोगों की बहुसंख्या के रहते उनका क्या होगा और वे संयुक्त कनाडा के संविधान को अंगीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए वहाँ की संसद ने कनाडा के संविधान में धारा 93 जोड़ी। इस धारा के परिणामस्वरूप दो बातें हुईं। इसमें उल्लिखित है कि यदि कोई प्रांत स्वभावतः प्रोटस्टेंट क्षेत्रों वाले प्रांत से ही अभिप्राय था– जहाँ रोमन कैथोलिक्स रहते हैं, किन्हीं ऐसे मामलों के बारे में कोई कानून पास करते हैं जिसको रोमन कैथोलिक अपने धर्म के आधार पर विशेषाधिकार समझते हैं तो वे गवर्नर जनरल से अपील कर सकते हैं कि उनके साथ अन्याय किया गया है और गवर्नर जनरल की धारा 93 के अधीन उस शिकायत की जांच करने का अधिकार है। शिकायत करने का यह सांविधिक अधिकार है। धारा 93 के अधीन कैथोलिक्स बहुसंख्या के किसी कानून के रद्द कराने के लिए अपील के लिए अधिकार ही नहीं दिया गया बल्कि इसके आगे गवर्नर जनरल को कैथोलिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए सकारात्मक कानून बनाने का भी अधिकार दिया गया है। मैं अपने मित्र गृहमंत्री से यह पूछना चाहूँगा कि क्या कनाडा के संविधान में धारा 93 जोड़े जाने से वह कनाडा के संविधान को लोकतांत्रिक समझते हैं या अलोकतांत्रिक। इसका वह क्या उत्तर देंगे?

प्रातः 11 बजे।

डॉ. के. एन. काटजू : मेरा उत्तर है कि संविधान का प्रारूप आपने तैयार किया है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आप अपनी त्रुटियों के लिए मुझे जिम्मेदार बताना चाहते हैं?

माननीय सभापति : उनके कहने का अभिप्राय यह है कि उन्होंने वर्तमान संविधान को सही ठहराया है क्योंकि यह बहुमत का निर्णय था। आप आगे बोलिए।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि धारा 93 के अधीन गवर्नर जनरल को दी गई शक्तियाँ यहाँ पर राज्यपाल को दी जाती हैं तो इससे लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक संविधान का कोई अहित नहीं होगा। इससे तो हर प्रकार से, कुछ छोटे भाषायी क्षेत्रों या भाषायी ग्रुपों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी जो सोचेंगे कि राज्य में बहुसंख्यक वर्ग उनके साथ न्याय नहीं कर रहा है।

मैं दूसरा सुझाव अंग्रेजों के संविधान के आधार पर देना चाहूँगा। मेरे माननीय मित्र को ब्रिटिश संविधान में स्कॉटलैंड की स्थिति की जानकारी होगी और इसीलिए मैं उनके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता। परंतु उनको दो बातें याद होंगी। एक यह कि यद्यपि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड एक ही देश है– उनको कोई अलग–अलग देश नहीं

बता सकता— फिर भी स्कॉटिश लोगों के हितों की देखभाल करने के लिए ब्रिटिश संविधान में स्कॉटलैंड के लिए स्पेशल सैक्रेटरी ऑफ स्टेट की अलग व्यवस्था है। वह लंदन तो अवश्य गए होंगे, मेरे विचार में अनेक बार गए होंगे (माननीय मंत्री ने इशारा करके बताया—तीन बार) तीन बार। निश्चय ही वह पार्लियामेंट स्ट्रीट से गुजरे होंगे, और 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बिल्कुल निकट पीतल का एक बोर्ड 'स्कॉटिश ऑफिस' भी देखा होगा। जहाँ पर स्कॉटलैंड के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बैठता है। ब्रिटेन में एक यह व्यवस्था की गई है। उन्होंने यह नहीं कहा, जैसे कि मेरे मित्रों ने कहा है कि ऐसा करना संप्रदायवाद को मान्यता देना होगा। क्या उन्होंने कोई ऐसी बात की? स्कॉटलैंड कई दो सौ साल पहले इंग्लैंड से मिला था और इसके बावजूद ब्रिटिश लोगों ने स्कॉटिश लोगों की भावनाओं का आदर करने के लिए सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट फॉर स्कॉटलैंड का एक सांविधिक पद बना दिया है।

इस संबंध में, मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि ब्रिटिश संसद में दो समितियाँ हैं। एक समिति वेल्स और मनमौथशायर के लिए है और दूसरी स्कॉटलैंड के लिए है जिसमें स्कॉटिश सदस्य हैं। स्कॉटलैंड से संबंधित सभी विधेयक स्कॉटिश समिति के पास भेजने होते हैं जिससे स्कॉटिश सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का पूरा अवसर मिल सके। इसी प्रकार, वेल्स तथा मनमौथशायर के सदस्यों को भी समितियों में शामिल किया जाता है जब उनसे संबंधित किन्हीं मामलों पर विचार किया जाता है। छोटे समुदायों व ग्रुपों की भावनाओं को संतुष्ट करके, जिनको इस बात की आशंका रहती है कि बहुसंख्यक वर्ग उनके साथ अन्याय कर सकता है, ब्रिटिश संसद काम करती है। महोदय, मेरे मित्र मुझसे कहते हैं कि मैंने संविधान बनाया है। परंतु मैं यह कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। मैं इसे बिल्कुल नहीं चाहता। यह किसी भी व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। परंतु वह जो कुछ भी है, यदि हमारे लोग इसका अनुसरण करना चाहते हैं तो उनको यह नहीं भूलना चाहिए कि बहुसंख्यक वर्ग भी है और अल्पसंख्यक वर्ग भी है और वे यह कहकर अल्पसंख्यकों की उपेक्षा नहीं कर सकते "ओह नहीं, आपको मान्यता देना लोकतंत्र को हानि पहुंचाना है।" मैं कहना चाहता हूँ कि अल्पसंख्यकों को दुख पहुंचाने से अधिक अहित होगा। कभी—कभी मुझे इस बात की आशंका होती है कि यदि अल्पसंख्यकों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया गया जैसे कि हमारे बम्बई राज्य में किया जा रहा है— मैं संकीर्ण नहीं बनना चाहता, परंतु मेरे मित्र मुझे बताते रहते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं रहता, और मैं अपने राज्य में कोई रुचि नहीं रखता जैसा कि आप जानते हैं और मैं स्वयं महाराष्ट्रियन कहलवाना भी नहीं चाहता— मुझे पता नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। मैं हिंदी भाषा को बहुत चाहता हूँ किंतु समस्या यह है कि हिंदी भाषा भाषी लोग ही हिंदी के सबसे बड़े दुश्मन हैं।

माननीय सभापति : डॉ. अम्बेडकर, यह तो अलग बात है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यह अलग बात है।

अब, महोदय, मुझे बताया गया है कि दो प्रांतों से ही मंत्री बनाए जाते हैं। मंत्रिमंडल के चतुर सदस्य किसी विशिष्ट क्षेत्र में संसाधनों के विकास हेतु पूरी धनराशि प्राप्त कर लेते हैं और दूसरे क्षेत्रों को कुछ भी नहीं मिलता। रायल सीमा क्षेत्र के संबंध में भी यह बात कही जाती है कि तटवर्ती लोग अपने क्षेत्र के लिए आमतौर पर बड़ी धनराशि प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं और रायल सीमा के लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। यदि मेरे माननीय मित्र इस संविधान में यह व्यवस्था कर दें कि इसी विधेयक के अंतर्गत विधि अनुसार एक समिति गठित की जाएगी जिसमें रायल सीमा से संबंधित सदस्य शामिल किए जाएंगे और जिनको राज्यपाल तथा मंत्रिमंडल के सदस्यों को अभ्यावेदन देने का अधिकार होगा कि उनके क्षेत्र से संबंधित सदस्यों को भी मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया जाए तो मेरे विचार में, उनकी अधिकतर शिकायतें दूर हो जाएगी। इसी प्रकार, महोदय, हमारे बंगाली सदस्य भी इस बात को लेकर बहुत उत्तेजित हैं कि बिहार का कुछ भाग बंगाल है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। हो भी सकता है, क्योंकि मूलतः बंगाल काफी फैला हुआ था गवर्नर जनरल के पास बहुत बड़ा क्षेत्र था और जहाँ कहीं भी गवर्नर जनरल जाता था, बंगाली भी उनके साथ जाते थे।

माननीय सभापति : आप आंध्र विधेयक पर बोलिए।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हाँ, मैं केवल उदाहरण दे रहा था। कल्पना कीजिए कि यह बात सही है कि बिहारी लोग बंगालियों के साथ उचित व्यवहार नहीं करते। तब इस समस्या का समाधान करने का एक ही तरीका है कि विधानमंडल की एक समिति बनाई जाए जिसमें बंगाली सदस्य हों और जिनको अपनी शिकायतें मंत्रिमंडल को व राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति को भेजने का अधिकार प्राप्त हो। जब ये सभी प्रयास असफल हो जाएं, तो फिर हमारे पास एक ही चारा रह जाता है कि हम भाषायी राज्य बनाएं, और फिर एक रूप में भारत के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। यदि यही हमारा अंतिम लक्ष्य है तो परमात्मा ही हमें बचा सकता है। किंतु महोदय, मैं अपने माननीय मित्र से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे कुछ सुझावों पर विशेषकर, मैंने जो सुझाव अंत में दिया है ध्यानपूर्वक विचार करें और देखें कि क्या वह मेरे सुझावों के आधार पर भाषायी प्रांतों की समस्या का समाधान ढूंढ़ने में सफल हो सकते हैं। इसके लिए यदि वह चाहें तो एक नया विधेयक ला सकते हैं, भले ही वह ऐसा न करना चाहें, फिर भी ऐसा करना पड़ा सकता है।

*****

(47)

संपदा शुल्क विधेयक, 1953

***डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बंबई) :** सभापति महोदय, वित्त मंत्री द्वारा इस सदन में रखे गए इस विधेयक के संबंध में मैं कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहूँगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ, किंतु इसके साथ ही मेरे विचार में कुछ बातों का स्पष्टीकरण अपेक्षित है। मेरे विचार में संपदा शुल्क वसूल करने के लिए यह जानना परमावश्यक है कि मृत व्यक्ति कितनी संपदा छोड़कर गया है। जहाँ तक इस विधेयक का संबंध है, मैं अब तक यह नहीं जान सका कि अधिनियम के अधीन जो प्राधिकरण बनाए गए हैं, वे इस बात का कैसे पता लगाएंगे कि मृत व्यक्ति कितनी संपदा छोड़ गया है। विधेयक की धारा 4 में तीन प्राधिकरणों के नामों का उल्लेख हैः बोर्ड, संपदा शुल्क नियंत्रक और मूल्य निर्धारक। इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए इन प्राधिकरणों द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा पीछे छोड़ी गई संपदा की जानकारी प्राप्त करना मेरे विचार में बहुत ही कठिन काम है।

सबसे पहले तो उनके लिए यह पता लगाना ही कठिन है कि कौन व्यक्ति मरा और वह कब मरा। इस देश में काफी लंबे समय से शिकायत की जाती है कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अंतर्गत बच्चे के जन्म, लड़की या लड़का, अथवा किसी परिवार में किसी की मृष्त्यु की सूचना नगरपालिकाओं या गांव के प्राधिकारियों के पास दर्ज कराना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो वह दर्ज करवा सकता है। गांवों में सबसे निचले ग्रेड का एक गांव अधिकारी होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वह गांव के पटेल को जाकर बताए कि गांव में अमुक व्यक्ति के घर बच्चा पैदा हुआ है। वह ऐसा करे या न करे या वह बहुत समय के बाद करे। नगरपालिकाओं में, मैं बम्बई नगरपालिका की बात कर रहा हूँ, जो सबसे बड़ी नगरपालिकाओं में गिनी जाती है—सब जानते हैं कि वहाँ भी यह बात अनिवार्य नहीं है कि कोई व्यक्ति नगरपालिका को सूचित करे कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है यद्यपि किसी मृत व्यक्ति को दफनाने या जलाने के लिए सरकारी अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। मेरा अपना

* संसदीय वाद—विवाद (राज्य सभा), खंड—4, ख, 18 सितम्बर, 1953, पृ. 2805—15

अनुभव यह है कि प्रायः व्यक्ति को जब श्मसान में ले जाते हैं, तो वहाँ मामूली क्लर्क होता है, जिसको हम चार आने देते हैं और वह हमको एक टिकट का प्रतिपत्र देता है जिसमें लिखा होता है ''ठीक है, आप शव लाए हैं और आप इसको दफ़ना या जला सकते हैं जैसे भी आप के यहाँ रस्म–रिवाज चलता हो।'' मुझे पता नहीं यह प्रमाण–पत्र विशेष–जिसे मष्त्यु प्रमाण–पत्र कहा जा सकता है– किसी को कितना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। शायद इसको किसी मिल के प्रबंधक को दिखाया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति मर गया है, मैं उसका संबंधी हूँ और उसका शेष वेतन जो आपके पास हो, मुझे दे दिया जाए। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं कि श्मसान में नियुक्त क्लर्क नगरपालिका को इस बात की सूचना देता है या नहीं कि अमुक व्यक्ति मर गया है, और उसका शव वहाँ पर लाया गया था जिसे जला दिया गया था या दफ़ना दिया गया था। इस देश में जन्म व मृत्यु पंजीकरण की यह स्थिति है।

महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए प्राधिकारियों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर यह पता लगाना बहुत कठिन है कि कौन व्यक्ति मरा है। इंग्लैंड में संपदा शुल्क संबंधी कानून लागू करना केवल इस कारण सरल है कि वहाँ प्रत्येक व्यक्ति अपनी वसीयत लिखने के बाद मरता है, और जहाँ तक इस बात का संबंध है, किसी व्यक्ति को प्रमाणित वसीयत प्राप्त करनी होती है। सदन इंग्लैंड के ऑफिसर्स को, जैसाकि उनको इंग्लैंड में कहा जाता है– जो आंतरिक कर व्यवस्था के अंतर्गत काम करते हैं–इस बात का पता लगाने के लिए उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है कि क्या प्रमाणित वसीयत लेने के लिये कोई आवेदन प्राप्त हुआ है। यदि हाँ, तो उससे वे पता लगा लेते हैं कि कौन व्यक्ति मरा है, उसकी कितनी सम्पदा थी जो उस आवेदन–पत्र में दर्शायी गई है। परंतु दुर्भाग्य से, हमारे देश में प्रमाणित वसीयत प्राप्त करने की किसी को आदत ही नहीं है। निःसंदेह एक नियम है कि जहाँ तक भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम का संबंध है, यदि कोई वसीयत है तो उसकी प्रमाणित इच्छा–पत्र अधिनियम के अधीन प्रमाणित प्रति प्राप्त करनी होगी। यदि किसी व्यक्ति पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता तो भी यदि वसीयत छोड़ी गयी है तो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन वसीयत की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है। हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं स्वयं हैरान हूँ कि यदि मेरे मित्र मुझे इस विधेयक के अधीन संपदा शुल्क नियंत्रक नियुक्त करें, तो मैं क्या करूंगा, मृत व्यक्तियों की सूचना पाने के लिए कहाँ जाऊंगा? इस काम के लिए काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इस विधेयक में एक तो यही कमी है।

इस विधेयक में मैंने जो दूसरी बात पायी है, वह यह है। विधेयक के खण्ड 17 में माननीय सदस्य ने बताया है कि संपदा शुल्क किसको अदा करना है। यदि मृत व्यक्ति का हित किसी नियंत्रित कंपनी में है तो नियंत्रित कंपनी का कोई प्रतिनिधि

अदा करेगा; यदि कोई अन्य है, तो वह अन्य व्यक्ति अदा करेगा। फिर भी प्रश्न यह है कि नियंत्रक को किस प्रकार पता चलेगा कि मृत व्यक्ति का हिस्सा अमुक नियंत्रित कंपनी में था और उसकी दूसरी भी संपत्ति है? मेरे विचार में विधेयक में ऐसा खंड होना चाहिए था जिसका मैं उल्लेख करने जा रहा हूँ। प्रत्येक उत्तराधिकारी को, चाहे मृत व्यक्ति ने वसीयत छोड़ी हो या नहीं, न्यायालय में जाना चाहिए और छोड़ी गई संपत्ति की घोषणा करनी चाहिए ताकि नियंत्रक को उस घोषणा से पता चल सके कि कितनी संपत्ति छोड़ी गई है। फिर वह इस बात का पता लगाने के लिये आगे कार्यवाही कर सकता है कि क्या कोई ऐसी सम्पत्ति है जो मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई हो और जिसे छिपाया गया हो। अन्यथा नियंत्रक लक्ष्यहीन पूछताछ करता रहेगा कि वह कितने मूल्य की सम्पत्ति छोड़ गया है। विद्यमान परिस्थितियों में जिनमें भ्रष्टाचार का बोलबाला है, मुझे बहुत संदेह है कि इस प्रकार के कानून के अंतर्गत सारा मामला नियंत्रक के हाथों में छोड़ने से आज से भी अधिक भ्रष्टाचार नहीं बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ कि इन दो पहलुओं में सुधार किया जाए जिससे इस कानून के कारण होने वाली कठोरता–और प्रत्येक कानून कठोर होता है, से इस शुल्क के अदा करने वाले लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।

मैं सभा का ध्यान एक अन्य प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूँ जो उस राशि के बारे में है जो संपदा शुल्क से प्राप्त होने की संभावना है। मैं माननीय सदस्य के भाषणों को, जो वह समय–समय पर संपदा शुल्क विधेयक के संबंध में देते रहे हैं, सुनता रहा हूँ और मैंने देखा है कि वह बहुत ही सजग रहे हैं और उन्होंने कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं बताए। मेरा विचार है कि पिछली बार जब उन्होंने वर्ष 1952 में विधेयक पुरःस्थापित किया था, उन्होंने सदन को बताया था कि वह इस बात का अनुमान लगाने में असमर्थ है कि इस कर से कितनी धनराशि वसूल होगी। मेरे विचार में इस प्रकार के कानून के संबंध में, जो इतने व्यापक क्षेत्र पर लागू किया जाता हो, माननीय वित्त मंत्री को कम से कम आंकड़ों का अनुमान तो लगाना चाहिए अथवा कम से कम राजस्व बोर्ड से कुछ जांच करने के लिये कहना चाहिए जो उनको कुछ अनुमान बताए कि क्या कर की राशि उनके द्वारा किए जा रहे परिश्रम के अनुरूप होगी। मैंने राजस्व बोर्ड की रिपोर्ट को पढ़ा है और पाया है कि उसमें कुछ आंकड़ें उपलब्ध हैं जिनको वित्त विभाग हमें बताने के लिये उपयोग कर सकता था। अब शुल्क की दरें निश्चित कर दी गई हैं और विधेयक के साथ संलग्न हैं जिनसे पता चल जाता है कि इस शुल्क से क्या प्राप्ति होने वाली है। इस में यह भी बताया गया है कि भारत में संयुक्त परिवारों की कुल संख्या कितनी है। इससे इतना ही पता नहीं चलता कि संयुक्त परिवारों से कुल कितना आयकर वसूल हुआ बल्कि, ऐसे संयुक्त परिवारों की कुल संख्या का भी उल्लेख है जिनका कर–निर्धारण किया

गया था और उन्होंने अपनी आय संबंधी विवरणियों में कुल कितनी आय दिखायी थी। इसलिए, महोदय, मेरे विचार में, इस कर का प्रभाव काफी हद तक इस देश के संयुक्त परिवारों पर पड़ेगा और वर्ष 1950–51 के लिए राजस्व बोर्ड की रिपोर्ट में दी गई जानकारी के आधार पर यह पता लगाना संभव होगा कि वित्त मंत्री इस संसाधन से कितना राजस्व प्राप्त होने की आशा करते हैं। यह जानकारी मिल जाने पर हम बड़े उत्साह से यह कहने की बेहतर स्थिति में होंगे कि कोई बात नहीं, जितना भी परिश्रम के अनुरूप धनराशि की वसूली नहीं हुई तो माननीय वित्त मंत्री को स्वयं इस विधेयक को लाने में किए गए परिश्रम पर दुःख होगा।

श्री बी. सी. घोष (पश्चिम बंगाल) : फिर वह शुल्क बढ़ा देंगे।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं एक दूसरी बात की ओर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। लोगों के मन में एक विचार है कि सम्पदा शुल्क और आय–कर में बहुत अंतर है। जबकि आय–कर के बारे में कुछ कटुता हो सकती है, सम्पदा शुल्क के बारे में ऐसी कोई कटुता नहीं हो सकती। दोनों में अंतर यह है कि आयकर आय पर लगाया जाता है जबकि सम्पदा शुल्क पूंजी के ऊपर कर होता है। निःसंदेह सतही तौर पर यह अंतर सही है क्योंकि जब हम संपदा शुल्क लगाते हैं, हम उसको आय में से नहीं लेते बल्कि हम उस पूंजी में से लेते हैं जो कोई व्यक्ति छोड़ कर चला गया है। आय–कर के मामले में हम व्यक्ति की चालू आय से कर लेते हैं। महोदय, मैं यह कहना चाहूँगा कि यह बिल्कुल सतही अंतर है। अन्तोगत्वा आय–कर और संपदा शुल्क में कोई अंतर नहीं है क्योंकि संपदा शुल्क इससे अधिक कुछ नहीं कि वह जमा की गई आय, जिस पर एक स्थान पर कर लगाया जाता है और एक परिभाषित अवधि में लगाया जाता है अर्थात् जब कोई व्यक्ति मर जाता है। अब मुझे यह बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि क्या आप जो कर व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर लगाते हैं, उसके कोई ऐसे परिणाम होंगे जिससे राजस्व का साधन समाप्त हो जाएगा अथवा क्या वह इतना अच्छा होगा और हमारा देश इतना सुनम्य है कि सम्पदा शुल्क के रहते हुए भी देश में उत्पादन बढ़ेगा और इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि आप सम्पदा शुल्क लगाएं और इससे कोई अन्यतर नहीं पड़ेगा कि कितनी ऊंची दर से लगाएं। मेरे माननीय मित्र मुझ से बेहतर तथ्य जानते होंगे परंतु मैं सदन को ग्रेट ब्रिटेन के कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ। मैंने वे वर्ष 1951–52 के राजस्व बोर्ड के प्रतिवेदन से लिए हैं। उनसे संबंधित आंकड़ों की जानकारी मिलती है। वर्ष 1942–43 में ग्रेट ब्रिटेन में वसूल किए गए आय–कर की कुल राशि 18 मिलियन पौंड थी और वर्ष 1951–52 में यह राशि 20 मिलियन पौंड थी। जहाँ तक मृत्यु से संबंधित शुल्कों की बात है, वर्ष 1942–43 में कुल वसूली 93,340,343 पौंड थी और वर्ष 1951–52 में कुल वसूली 182,600,643 पौंड थी। मैं चाहता हूँ कि सदन हमारे देश के संबंध में ऐसे आंकड़ों पर भी ध्यान दें।

महोदय, मेरे माननीय मित्र वित्त मंत्री को हाल ही के इस प्रतिवेदन की जानकारी होगी जो यूनेस्को की एक कमेटी द्वारा तैयार की गयी थी। यूनेस्को की अनेक समितियाँ हैं। उनकी एक समिति ने इस बात का पता लगाने के लिए जांच–पड़ताल की थी कि दक्षिण एशियाई देश अपनी औद्योगिक व आर्थिक प्रगति के मामले में इतने पिछड़े हुए क्यों हैं। उन्होंने इसका कारण यह बताया कि देश में बचत इतनी कम है कि वहाँ पूँजी निर्माण होता ही नहीं। पूंजी निर्माण न होने के कारण ही, वहाँ न कोई उद्योग स्थापित होते हैं और न ही कोई अन्य काम होते हैं। निःसंदेह, यदि हम साम्यवादी देश होते–और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम बहुत जल्दी बन ही जाएंगे–तो हमारे आर्थिक, औद्योगिक व कृषि संबंधी सभी कार्यकलाप अच्छा हो या बुरा हो और फिर इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता कि हम कितना कम बचा पाएं या न बचा पाएं। यदि हम कुछ बचा पाएं तो संभवतः सरकार हमें और बचत करने के लिये कहेगी और इसमें कोई कठिनाई भी न होगी। परंतु जब तक हमारे देश में साम्यवादी सरकार नहीं आती जो लोगों के कल्याण और उनकी शिक्षा की पूरी जिम्मेदारी ले लेती है........

श्री बी. बी. शर्मा (उत्तर प्रदेश) : और उनकी दुर्गति के लिए............

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। प्रत्येक व्यवस्था में कुछ अच्छाई व कुछ बुराई होती है। कोई भी व्यवस्था संपूर्ण नहीं होती।

माननीय सभापति : आप आगे बढ़िए।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे खेद है कि उन्होंने मेरे तर्कों की कड़ी को छिन्न–भिन्न कर दियाँ मैं यह कह रहा था कि जब तक हमारे देश में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती जो, जनता के कल्याण की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले और जब तक हमारे देश में यह व्यवस्था है कि जनता अपने कल्याण के लिये स्वयं उत्तरदायी है, ऐसी स्थिति में सरकार जनता की, उनके कल्याण के लिये सहायता करती है, उनका कल्याण नहीं करती, यह बहुत आवश्यक है कि हमारी कर प्रणाली ऐसी हो कि पूंजी निर्माण के लिये पर्याप्त धनराशि बच जाए, सरकार हर बार हमसे कुछ धनराशि ले लेती है और हमको आगे नहीं बढ़ने देती। महोदय, मेरे माननीय मित्र जो यह विधेयक लाए हैं, जितनी मुझे अपने अनुभव से जानकारी है, यह कोई नया कानून नहीं है। मुझे याद है कि पहली बार इस विधेयक की रूपरेखा 1944–45 में तैयार की गई थी। सर जेरेमी रायसमैन, जो उस समय वित्त मंत्री थे, ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा था कि अनुसूची–एक में उल्लिखित त्रुटि में जैसे ही संसद सुधार कर देगी वह संपदा शुल्क विधेयक के समान एक विधेयक पुरःस्थापित करेंगे। 1935 के अधिनियम में इस बात का बिल्कुल कोई उल्लेख नहीं था कि प्रांतों द्वारा अथवा केन्द्र सरकार द्वारा संपदा शुल्क जैसा कोई कर लगाया जाएगा। तत्पश्चात् वर्ष 1946 में सर आर्चिवाल्ड रोलेंड्स

जो सर जेरेमी रायसमैन के स्थान पर आए, ने एक विधेयक पुरःस्थापित किया। वर्ष 1946 के विधेयक में विचित्र बात यह थी कि काँग्रेस और मुस्लिम लीग– दोनों ने उसका विरोध किया था। काँग्रेस जनों ने कहा था ''आपको सम्पदा शुल्क जैसा कोई कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है।'' और मुस्लिम लीग ने कहा था, ''यदि आप ऐसा कोई कर लगाएंगे तो आप हमारे 'वक्फ' में हस्तक्षेप करेंगे, जोकि एक न्यास है और जो आंशिक रूप से खुदा के लिए है और आंशिक रूप से इंसान के लिए है।'' इस प्रकार, सरकार काँग्रेस अथवा मुस्लिम लीग किसी से समर्थन न मिलने के कारण उस विधेयक के बारे में आगे कुछ न कर सकी और उसका परित्याग कर दिया गया। तत्पश्चात् वर्ष 1948 में श्री षण्मुखम चेट्टी ने पुनः इस मामले को उठाया और एक अन्य विधेयक पुरःस्थापित किया। विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा गया और प्रवर समिति का विचार था कि जब तक देश में मिताक्षरा कानून लागू है– और वह इस देश के बहुत बड़े भू–भाग पर लागू है, तक संपदा शुल्क विधेयक का कोई लाभ नहीं होगा। इसका परिणाम यह हुआ कि उसको वापिस ले लिया गया–अथवा उसका परित्याग कर दिया गया। श्री षण्मुखम चेट्टी के स्थान पर डॉ. जॉन मथाई आए और उन्होंने धनराशि बनाने पर बहुत जोर दिया, प्रवर समिति का पुनः सत्र बुलाया और उनके सामने पुनः वह विधेयक रखा और प्रवर समिति का निर्णय प्राप्त किया कि इस बात के होते हुए भी कि हिंदू संहिता विधेयक गत चार वर्षों से अनिर्णीत पड़ा है और कोई नहीं जानता कि वह कितने समय तक ऐसे ही पड़ा रहेगा–स्थायी रूप से तथा शाश्वत रूप से–और मेरे सिवाय इसके लिये किसी को कोई दुःख नहीं है......

डॉ. श्रीमती सीता परमानन्द (मध्य प्रदेश) : केवल माननीय सदस्य को ही खेद नहीं है बल्कि अन्य सदस्यों को भी खेद है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं जानता हूँ कि महिला सदस्यों का काफ़ी सहयोग रहा है। मैं कहना चाहूँगा कि पिछली बार जब मैं काफ़ी परेशान था, मैंने कुछ महिला सदस्यों को बुलाया–मेरा अभिप्राय स्थूलकाय महिलाओं से है–और मैंने उनको सुझाव दिया कि यदि उनमें से कोई एक आमरण अनशन की धमकी दें तो हम शायद हिंदू संहिता विधेयक को पास करवा सकें। महोदय, मैं बताता हूँ............

ख़्वाजा इनाइत उल्लाह (बिहार) : आप फिर इशारा दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष : डॉ. अम्बेडकर, आप सत्याग्रह को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी, हाँ, कभी–कभी यह उपयोग सिद्ध होता है। यदि इससे विधेयक पास न भी होता, तो भी निश्चय ही उनका वजन तो कम हो जाएगा और उनके स्वास्थ्य में पर्याप्त सुधार हो जाएगा। यह स्थिति थी। वर्ष 1949 में डॉ. मथाई ने उनका निर्णय प्राप्त किया। प्रवर समिति का दूसरा प्रतिवेदन आया और

उसमें लिखा था "हिंदू संहिता विधेयक की चिंता न करो। आओ हम संपदा शुल्क विधेयक पर विचार करें," परन्तु तीन वर्ष तक टिप्पण (नोट) लिखे जाते रहे। हम नहीं जानते, क्यों। वर्ष 1952 तक वित्त विभाग की फाइल में वह विधेयक पड़ा रहा और माननीय मित्र को, शायद कार्यालय की सफाई करते हुए कहीं पर उसकी एक प्रति मिल गई। उन्होंने क्या किया? यह बहुत रोचक बात है। प्रवर समिति ने कहा था कि कोई उपयुक्त संशोधन लाकर हम मिताक्षरा के कानून की कठिनाई दूर कर लेंगे। मेरे माननीय मित्रों ने उस कठिनाई को दूर करने के लिए कुछ प्रयास किया था और उन्होंने मिताक्षरा कानून को लगभग हटाकर उस कठिनाई को दूर कर लिया है। खंड 7 में कहा गया है कि यदि 18 वर्ष से कम आयु वाला व्यक्ति मर जाता है तो उस मामले में संपदा शुल्क नहीं लगेगा परंतु यदि कोई सहभागी ऐसी स्थिति में मरता है जिसमें हम उसको हिंदू विधान के अंतर्गत एकमात्र जीवित सहभागी करार देते हैं, तब संपदा शुल्क लगाया जा सकता है। महोदय, यदि मेरे माननीय मित्र इस गोलमोल तरीके से मिताक्षरा विधि को समाप्त कर सकते हैं तो क्या वह हिम्मत करके एक अन्य विधेयक लाकर अथवा अपने साथी विधि मंत्री को एक अन्य विधेयक लाने की प्रेरणा देकर यह नहीं कह सकते कि मिताक्षरा विधि को समाप्त किया जाता है? अतः महोदय, ये कुछ बातें थीं जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता था। मिताक्षरा विधि सांकेतिक तौर पर समाप्त है क्योंकि मिताक्षरा विधि में संपत्ति किसी के हाथ में जाने जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि जन्म से ही सम्पत्ति पर उसका अधिकार होता है। सम्पत्ति पर उसका अधिकार होता है। सम्पत्ति का किसी के हाथ में जाने का कोई प्रश्न ही नहीं हैं यह ग़लत विचार है। मुझे पता नहीं कि किसने उनको यह बात बताई है। मिताक्षरा विधि के अनुसार सम्पत्ति किसके हाथ में नहीं जाती। जैसे ही किसी बालक का जन्म होता है, संपत्ति उसकी हो जाती है और पिता का हिस्सा कम हो जाता है। इसलिए पिता की मृत्यु हो जाने पर क्या चीज़ किसके हाथ जाती है? कुछ भी नहीं। जैसे ही बेटा पैदा होता है, पिता का हिस्सा प्रभावित होता है। मान लीजिए, उसका दूसरा बेटा पैदा होता है, जैसे कि उसकी संभावना होती है और पहला बालक इतना अभागा होता है कि उसका भाई आ जाता है, तो हिस्सा और भी कम हो जाता है।

महोदय, मुझे बताया गया है कि विश्व में लगभग 44 देश ऐसे हैं जिनमें इस प्रकार का अर्थात् संपदा शुल्क कानून पास किया गया है। मेरे पास उनकी सूची नहीं है। परंतु मुझे विश्वास है कि दक्षिण एशियाई देशों में से बहुत कम देशों ने ऐसा कानून बनाया है। उनके पास कुछ भी नहीं है। जैसे कि समिति के प्रतिवेदन में दर्शाया गया है, उनके पास कुछ छोड़ जाने योग्य है ही नहीं। हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि "संचय कैसे किया जाए?" हम पूंजीपतियों से घृणा करते हैं और मैं भी करता हूँ। मैं सारी आयु परेल में, इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट की चॉल, कमरा संख्या 50

में रहा हूँ। यदि लोग वहाँ जाएं तो हम मिल सकते हैं। मैं पहले अपने कमरे के लिये 3 रुपये 8 आने किराया देता था और मैंने आज भी उसे आपात स्थिति के लिए रखा हुआ है, इसलिए कि कहीं मुझे वापिस जाने के लिए कह दिया जाए। इसलिये मैं पूंजीपतियों का बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूँ परन्तु, मैं सोचता हूँ हमको इस देश में पूंजी और पूंजी में अंतर को समझना चाहिए। यदि आप उनसे पूंजी लेना चाहते हैं तो ले लें। रूस की प्रणाली अपना लीजिए और उसी के अनुसार काम कीजिए। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि आपको कुछ अंतर रखना चाहिए। अपने उत्साह में—जो बहुत अच्छी बात है—मुझे इस बात की आशंका है कि वे अपने होश खो बैठे हैं क्योंकि कुछ अन्य देशों ने कुछ किया है। परन्तु भारत निश्चय ही यूरोप नहीं है। मैं अनेक बार यूरोप गया हूँ। मैं भारत और यूरोप के बीच अंतर को सहज ही समझ सकता हूँ। जो यूरोप के लिये अच्छा है, वह निश्चय ही भारत के लिये अच्छा नहीं हो सकता। हमें अभी उस स्तर तक पहुंचना है जिस स्तर पर यूरोप पहुँच चुका है अर्थात् आराम का ज्ञतर, समानता के व्यवहार का जीवन स्तर, शिक्षा का स्तर, आदि। हमें इन सब बातों की आवश्यकता है। इस सबके लिए हमको धन चाहिए। अंग्रेजों का उदाहरण लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में उनकी प्रगति देखिए। वर्ष 1860 में उनके यहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा थी, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 11वीं या 12वीं शताब्दी में स्थापित हो चुकी थी। इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं, हमें सोच—समझ कर करना चाहिए। निःसंदेह हमारा उत्साह अपनी जगह ठीक है। यह अच्छी बात है कि हम जनता की बेहतरी करें किन्तु हम ऐसा करते हुए हम जो साधन अपनाएं हमें उन साधनों पर भी सावधान रहना चाहिए, बस मुझे इतना ही कहना है।

*****

(48)

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति

***डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बंबई) :** सभापति महोदय, विदेश नीति पर इस वाद—विवाद में कुछ अधिक नहीं किया जा सकता, अधिक से अधिक उन सिद्धांतों पर चर्चा की जा सकती है जिन पर सरकार की विदेशी नीति आधारित है। इससे अधिक कुछ कहने का समय भी नहीं है। निःसंदेह, सिद्धांत बहुमूल्य होते हैं। किंतु मेरा मानना है कि राजनीतिज्ञ विशेषकर विदेशी नीति के मामलों से निपटने वाले सिद्धांतों को पसंद नहीं करते। वे सब मामलों से तदर्थ आधार पर निपटना चाहते हैं, वे अंतर्निहित सिद्धांत की परवाह नहीं करते।

मुझे स्मरण है कि, विश्व युद्ध के पश्चात् फ्रांस की सामरिक शंकाओं को दूर

* संसदीय वाद—विवाद (राज्य सभा), खंड—7, क, 26 अगस्त, 1954, पृ. 469—93

करने के लिए फ्रांस को कुछ भूभाग देने के विचार से जर्मनी के कुछ राज्य–क्षेत्रों के बीच विभाजन रेखा खींचने हेतु निर्णय के लिये श्री लायड जार्ज और श्री क्लीमनसियु वर्सेलीस संधि से पूर्व जब पेरिस में एक होटल में मिले तो उनके पास एक लंबा चौड़ा नक्शा था जो पूरे कमरे में फैला हुआ था तब श्री लायडजार्ज और श्री क्लीमनसियु उसको नज़दीक से देखकर ठीक स्थान पर पता लगाने के लिये उस पर पेट के बल पड़े हुए थे कि कहाँ पर रेखा खींची जाए। काफी जांच–पड़ताल के बाद उन्होंने एक रेखा खींची जो निःसंदेह, फ्रांस के लिए बहुत उपयुक्त थी। तत्पश्चात् श्री लॉयड जार्ज ने श्री निकल्सन को, जो उनके विदेश कार्यालय से विशेषज्ञ के रूप में उनके साथ गये थे, बुलाया और उनके द्वारा खींची गई रेखा के बारे में राय बताने को कहा (श्री निकल्सन भौंचक्के रह गए और बोले, ''ओह, यह तो बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। नैतिक रूप में इसका बचाव बिल्कुल नहीं किया जा सकता।'' ये दोनों राजमर्मज्ञ तत्काल पीछे मुड़े और अपनी टांगों को हवा में उछालते हुए बोले ''श्री निकल्सन, आप हमें इसका कोई बेहतर कारण बता सकते हैं?''

मुझे स्मरण है कि लगभग वर्ष 1924 में श्री लो, एक महान् कार्टूनिस्ट ने लंदन में ईवनिंग स्टैंडर्ड में एक कार्टून प्रकाशित किया था जिसमें यूरोप के विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों को, जो यूरोपीय समस्याओं के समाधान तलाश रहे थे हैट, लंबे कोट, और धारीदार पैंट पहने एक दूसरे का हाथ पकड़े और नाचते हुए तथा यह कहते हुए दिखाया गया था ''ओह, हमें तो सिद्धांतों रहित शांति दो, हमें सिद्धांतों रहित शांति दो। (पीस विदाउट प्रिंसिपल्स) निःसंदेह उस पर दुनिया हँसी।

मुझे प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके कुछ सिद्धांत हैं, जिन पर वे चलते हैं। अब इस बाबत निर्णय सदन को करना है कि जिन सिद्धांतों का यह अनुसरण करते हैं क्या वह सुरक्षित रास्ता है और क्या वे मान्य सिद्धांत हैं जिनको अपने देश के भविष्य के लिए आधार रूप में स्वीकार किया जा सकता है। हम केवल इसी प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं। मैं अपने आपको इन्हीं सिद्धांतों तक सीमित रखूंगा।

हमारे प्रधानमंत्री जिन सिद्धांतों पर चल रहे हैं और जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा है, उनकी संख्या मुख्यतः तीन हैं। एक है शांति, दूसरा है साम्यवाद और मुक्त लोकतंत्र के बीच सह–अस्तित्व और तीसरा है ''सिएटो'' का विरोध। ये तीन सिद्धांत हैं जिन पर हमारी विदेश नीति आधारित है। अब, महोदय, इनकी मान्यता निर्धारित करने और इन सिद्धांतों की पर्याप्ता जांचने के लिये, मेरे विचार में, यह आवश्यक है कि हम अपनी वर्तमान समस्याओं की, जिनसे हम संबंधित हैं और जिनके लिए ये सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, पृष्ठभूमि को जान लें।

अब, मेरे विचार में, इसकी पृष्ठभूमि और कुछ नहीं है, केवल विश्व में साम्यवाद

का विस्तार है। किसी सिद्धांत का अनुसरण करना था। उसकी विधि मान्यता और सिद्धांत के स्वरूप को समझना तब तक असंभव है जब तक कोई व्यक्ति विश्व की वर्तमान समस्या को, विश्व के उस भाग की समस्या को, जो संसदीय व मुक्त लोकतंत्र अर्थात् विश्व में साम्यवाद के विस्तार को समझ न ले। मैं सदन को कुछ आंकड़े उपलब्ध कराना चाहता हूँ। ये मैंने इस विषय में एकत्र किए हैं। मैं अधिक अतीत में नहीं जाना चाहता। किंतु मई 1945 से, जब युद्ध समाप्त हो गया था, आरंभ करना चाहता हूँ, मई 1945 तक रूस ने 10 यूरोपीय देशों पर नियंत्रण कर लिया था।

श्री बी. गुप्ता : यह बिल्कुल झूठ है।

माननीय सभापति : श्री गुप्ता, आपको उत्तर देने का अवसर मिलेगा।

श्री बी. गुप्ता : वह इस प्रकार की बातें नहीं कर सकते, उनकी आयु के व्यक्ति को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिएं।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुन्दरय्या, आप उनको बताएं कि उनको उत्तर देने का अवसर मिलेगा, वह उत्तेजित न हों।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आपको उत्तर देने के लिए समय मिलेगा। आप धैर्य रखें। प्रधानमंत्री को इससे असुविधा हो सकती है किंतु आज उन्हें नहीं है। आज वह शांत है। आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं?

यदि आपको इसका कोई प्रमाण—चाहिए तो मैं आपको दे सकता हूँ—यह मेरे पास है, परंतु शर्त यह है कि आप मुझे यह वापिस कर देंगे।

श्री बी. गुप्ता : आपने ये दस्तावेज मेकार्थी और डल्स से लिए हैं।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, मैं यह कह रहा था कि यदि हम मई 1945 से स्थिति को समझने का प्रयत्न करें और पता लगाएं कि क्या घटनाएं हुई हैं तो यह स्थिति सामने आती है। जैसाकि मैंने बताया रूस ने यूरोप के दस क्षेत्रों— (1) फिनलैंड; (2) ऐस्टोनिया; (3) लात्विया; (4) लिथुआनिया; (5) पोलैंड; (6) चेकोस्लोवाकिया; (7) हंगरी; (8) रूमानिया; (9) बुल्गारिया और (10) अल्बानिया पर अपना कब्जा कर लिया था।

श्री बी. गुप्ता : और ग्यारहवां डॉ. अम्बेडकर।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे प्रसन्नता है कि आपने मेरी सूची में वृद्धि की है। आपकी जानकारी पुस्तक से भी अद्यतन है।

इसके अतिरिक्त, रूस ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नार्वे और डेनिश आइलैंड ऑफ़ बॉनहोम के कुछ भागों पर कब्जा कर लिया है। इन दस यूरोपीय देशों में से तीन को तो रूस ने सीधे अपने साथ मिला लिया है और अपने देश का अंग बना लिया

शेष सात को अपने प्रभाव के अधीन रखा है। रूस की इस यूरोपीय विजय का अर्थ है–85,000 वर्ग मील भूमि पर कब्जा करना तथा 230 लाख लोगों को अपने अधीन कर लेना।

सुदूर पूर्व में रूस ने चीन का क्षेत्र (तनू टुवा), मंयूचूरिया और कोरिया, 38वें समानांतर का उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी सखालिन को अपने देश में मिला लिया। सुदूर पूर्व में इसका कुल क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मील है जहाँ 500,000 लोग रहते हैं।

श्री पी. सुंदरय्या : पीपल्स रिपब्लिक आफ़ चायना का भी बताइए? उसको क्यों छोड़ रहे हैं?

श्री गोविंदा रेड्डी : उन्होंने बताया है।

श्री बी. गुप्ता : इतिहास का खुलासा किया जा रहा है, बहुत बड़े इतिहासकार आए हैं।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : वे दक्षिण कोरिया और इंडो चायना में भी आगे बढ़े हैं।

महोदय, यह पृष्ठभूमि है जिसमें हमें अपने सिद्धांत की समीचीनता पर विचार करना है जिन पर इस देश की विदेश नीति आधारित है। मैं सर्वप्रथम पहले सिद्धांत 'शांति' को लाता हूँ। हम शांति चाहते हैं, युद्ध तो कोई भी नहीं चाहता। प्रश्न केवल यह है कि इस शांति के लिए क्या मूल्य चुकाना होगा। इस शांति के लिए हमें क्या मूल्य अदा करना पड़ रहा है। यह स्पष्ट है कि देशों में विभाजन करके अथवा उनके टुकड़े करके शांति स्थापित की जा रही है। आस्ट्रिया–हंगरी को अलग–अलग करने की बात मैं समझ सकता हूँ क्योंकि वहाँ नागरिकता, भाषा, संस्कृति और जातियाँ भिन्न–भिन्न होते हुए भी लोगों को आस्ट्रियन एम्पायर के प्रभुसत्तासंपन्न एकाधिपत्य में इकट्ठे रखा गया था। प्रथम विश्व युद्ध के समय जनमत के सुप्रसिद्ध सिद्धांत के आधार पर आस्ट्रियन एम्पायर का अंत हो गया था। परन्तु आज यहाँ भी यह कर रहे हैं। ऐसे देश हैं जिनकी संस्कृति एक है, सामाजिक दृष्टि से भी एक जैसे हैं, जिनकी भाषा एक है, जाति एक है, नियति एक है, उनकी एक–साथ रहने की इच्छा है। आप जाते ही उनको विभाजित कर देते हैं और उनका एक भाग ऐसे लोगों को सौंप देते हैं जो साम्यवाद फैलाना चाहते हैं। मैंने जो आंकड़े दिए हैं उनसे इस बारे में कोई संदेह नहीं रह जाता है कि आज साम्यवादी देश जाइंट की तरह असाधारण रूप से विशाल देश हैं–किसी ने 'जाइंट' को नहीं देखा है, कम से कम मैंने तो नहीं।

श्री बी. गुप्ता : आपको छोड़कर।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : ....और वह सबसे बड़े व्यक्तियों में से एक होगा जिसकी केवल कल्पना की जा सकती है। यह एक बहुत बड़ा व्यापक देश है जो

लोगों को बर्बाद करने में लगा है और उनको अपने प्रभुत्व में लाता जा रहा है और उसका कहना है कि वह उनको स्वाधीन करवा रहा है। रूस द्वारा मुक्ति जहाँ तक मैं समझता हूँ, ऐसी है कि उसके बाद में फिर गुलामी है; इस मुक्ति के बाद आज़ादी नहीं है। परंतु बात यही है–और इस बात से मुझे बहुत चिंता है। आप इस प्रकार की शांति से और कुछ नहीं कर रहे बल्कि उस विशाल देश की पिपासा को शांत कर रहे हैं जो प्रतिदिन किसी न किसी देश को हड़प कर लेता है। जब आप उस जाइंट अर्थात् विशाल देश की नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं तो मेरे मन में एक प्रश्न उठता है और वह यह कि वह जाइंट एक दिन हमारी ओर मुखतिब होगा और बोलेगा कि मैंने सब देशों पर कब्जा कर लिया है और अब शेष केवल आप ही बचे हैं, तो अब मैं आपको भी अपनी प्रभुता में लेना चाहता हूँ।''

श्री एच. पी. सक्सेना : ऐसी स्थिति में, हम उस 'जाइंट' को ही 'खा' जाएंगे।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : हमें अधिक शान नहीं दिखानी चाहिए। अभी किसी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में हमारी विदेश नीति का परीक्षण नहीं हुआ है और जब कभी ऐसा कोई अवसर आएगा तभी पता चलेगा कि क्या हम स्थिति का स्वयं मुकाबला कर सकते हैं या नहीं। परंतु जो बात मैं कहना चाहता था, वह यह थी कि किसी बड़े देश की सेवा करने का सिद्धांत मुझे अत्यंत अभद्र सिद्धांत लगता है और हम इससे किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं? क्या रूस इस बात के लिए हमारे प्रति कृतज्ञता प्रकट करेगा कि भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय संसद ने इंडो–चाइना अथवा कोरिया के विभाजन का समर्थन किया है और क्या वे इस प्रकार का कोई व्यवहार हमारे साथ नहीं करेंगे? मेरे विचार में, भारतवासियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए और इसको भूलना नहीं चाहिए और न ही इसकी अनदेखी करना चाहिए।

अब दूसरी बात यह है सह–अस्तित्व की। सह–अस्तित्व की बात, मेरे विचार में, आश्चर्यचकित करने वाली है जब तक कि यह बहुत ही सीमित अर्थ में न हो। प्रश्न यह है कि क्या साम्यवाद और मुक्त लोकतंत्र एक साथ काम कर सकते हैं? क्या उनका एक–साथ काम करना व्यावहारिक है? क्या यह संभव है कि उनमें परस्पर संघर्ष नहीं होगा? यह सिद्धांत हर प्रकार से बिल्कुल बेहूदा लगता है, क्योंकि साम्यवाद जंगल की आग की तरह है; वह सब कुछ जलाता चला जाता है। यह संभव है कि जो देश साम्यवाद के केंद्रीय बिंदु से बहुत दूर है, सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि वह सोच सकते हैं कि जब तक आग उन तक पहुंचेगी, शायद वह बुझ ही जाए या वह उन तक कभी भी न पहुंचे, परंतु उन देशों का क्या होगा जो जंगल की इस आग में घिरे हुए हैं? क्या आपको लगता है कि जो लोग यहाँ रहते हैं, उनका और जंगल की इस आग का एक साथ होने की कोई संभावना है?

सह–अस्तित्व की नीति का धन्यवाद देते हुए कनाडा और यूरोप के राजमर्मज्ञों के विचारों को मैंने पढ़ा है। उनकी प्रशंसा और उनके गुणगान का कम से कम मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। मैं उनके विचार और उनकी राय को कोई महत्व नहीं देता। कनाडा का राजनीतिज्ञ बड़ी सरलता से कह सकता है कि सह–अस्तित्व संभव है क्योंकि कनाडा, चीन और रूस से हजारों मील दूर है। इसी प्रकार इंग्लैंड भयानक प्रचण्ड अग्नि से अपने आपको निकाल लेने के बाद अब सोचता है कि वह अब कुछ करने में असमर्थ है और इसलिए वह सह–अस्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन और समर्थन करता है। परंतु यहाँ भी दूरी की बात लागू होती है। व्यक्ति को यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी देश की विदेश नीति में भौगोलिक पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है। प्रत्येक देश की विदेश नीति भौगोलिक स्थिति के अनुसार भिन्न–भिन्न हो सकती है। कोई बात कनाडा के लिए अच्छी हो सकती है, परंतु हमारे लिए नहीं। जो बात इंग्लैण्ड के लिए अच्छी हो, वह हमारे लिए अच्छी नहीं भी हो सकती। इसलिए, मेरे विचार में, प्रधानमंत्री ने सह–अस्तिव का सिद्धांत अधिक सोच–समझ कर नहीं अपनाया।

महोदय, इसके बाद मैं 'सीटों' के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूँगा। मैं सीटो के संबंध में प्रधानमंत्री के विचारों को बड़े ध्यान से सुन रहा था और मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 'सीटो' के बारे में उन्होंने अपना कोई पक्का इरादा नहीं बनाया। यदि मैंने उनको ठीक से सुना है तो उन्होंने कहा है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस देश ने जेनेवा निर्णयों के अनुसार किसी आयोग का चेयरमैन बनना स्वीकार किया है, अतः इस कारण उनके लिए अथवा इस देश के लिए 'सीटो', में शामिल होना उपयुक्त होगा, नि'संदेह एक साथ दो बातें असंगतिपूर्ण होंगी। लेकिन इसके अतिरिक्त, मेरे विचार में 'सीटो' के संबंध में गुण–दोष के आधार पर विचार करना चाहिए।

मेरे विचार में 'सीटो' में असंगति के दो कारण हैं। मेरे विचार में, मैं किसी गुप्त बात का रहस्य नहीं बता रहा हूँ और न ही मैं प्रधानमंत्री पर कोई ऐसा आरोप लगा रहा हूँ, जिसके बारे में वह अनभिज्ञ हों कि उनके और अमरीका के बीच कुछ नाराज़गी है, किसी कारणवश उनके और अमरीका के विचार परस्पर मेल नहीं खाते। मेरे विचार में, अमरीका से आए किसी विचार के प्रति हमेशा उनकी कुछ प्रतिकूल सोच का यही कारण है।

श्री बी. गुप्ता : क्या आप कोई संबंध जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष : प्रधानमंत्री शांत हैं, लेकिन आप बोलते जा रहे हैं।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : और दूसरा कारण यह है कि यदि भारत 'सीटो' में

शामिल होता है तो रूस क्या सोचेगा। मेरे विचार में, यहाँ पर भी सीटो, के बारे में सदन में कुछ पृष्ठभूमि बताए जाने की आवश्यकता है जिससे 'सीटो' पर गुण–दोष के आधार पर विचार किया जा सके, अब, महोदय, इस सब की पृष्ठभूमि क्या है? यह इस प्रकार है :

मैंने ऐसे देशों की सूची का उल्लेख किया है जिन पर रूस का नियंत्रण हो चुका है। मेरे विचार में यह सर्वविदित है कि यह इसलिए हुआ है क्योंकि, यदि मैं यह कहूँ, पिछले महायुद्ध के दौरान अमरीकियों की मूर्खता के कारण हुआ है। रूसियों ने श्री रूज़वेल्ट की सहमति से और श्री चर्चिल की कष्टसाध्य इच्छा से इन क्षेत्रों पर कब्ज़ा किया था, जब युद्ध समाप्त हुआ, उन्होंने बड़ी भारी ग़लती यह की कि हिटलर पर विजय पाने के लिए उन्होंने अनेक राष्ट्रों की स्वाधीनता को बलि चढ़ा दिया।

11.00 बजे।

मेरे विचार में, ''ट्रायम्फ एंड ट्रजिडी'' नामक अपने अंतिम खण्ड में उन्होंने यही भावना व्यक्त की है। इसी कारण उन्होंने अपने अंतिम खण्ड का नाम ''ट्रायम्फ एण्ड ट्रजिडी'' रखा। अब, महोदय, अमरीकी क्या कर रहे हैं। यदि मैंने उनकी नीति को सही समझा है तो अब वे यह कर रहे हैं। उनका दृष्टिकोण यह है कि रूस ने युद्ध के दौरान जो कुछ पाया है अर्थात् 10 देश, उसे उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए। वास्तव में, मुझे यह सोचना चाहिए कि अमरीका और ब्रिटेन का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वे इन देशों को आज़ाद करवाते। लेकिन किसी भी देश की न तो इच्छा शक्ति है, और न ही नैतिक शक्ति और न ही वे अपने आप को इतने महान् कार्य में लिप्त करना चाहते हैं।

इसलिए वे रक्षा की दूसरी पंक्ति वाला काम कर रहे हैं, वह यह है कि रूस अथवा चीन को स्वतंत्र विश्व के किसी अन्य भाग पर कब्जा करने की अनुमति न दी जाए। मेरे विचार में, यह ऐसा सिद्धात है कि जिससे सभी स्वतंत्रता प्रेमी जन स्वीकार करने के लिये तैयार होंगे। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। उन्होंने 'सीटो' योजना इसीलिए बनाई है कि रूस किसी अन्य देश पर आक्रमण न कर पाए। सीटो का संगठन किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं है। सवतंत्र देशों पर आक्रमण रोकने के लिए सीटो का संगठन बनाया गया है। मुझे इस बात की आशंका है कि क्या प्रधानमंत्री किसी भी प्रकार से इस सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए तैयार होंगे कि स्वतंत्र विश्व का कोई ऐसा भाग जो किसी तरह संयोगवश स्वतंत्र रह गया है, स्वतंत्र ही बना रहे और उनको पराधीन न बनाया जाए। क्या भारत पर आक्रमण होने की कोई संभावना नहीं है? मेरे विचार में, उस पर आक्रमण होने की पूरी गुंजाइश है। मेरे पास समय नहीं है अन्यथा, मैं सदन को बता सकता

था कि यह देश किस प्रकार से एक ओर पाकिस्तान और अन्य मुस्लिम देशों से पूरी तरह घिरा हुआ है। मुझे पता नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है लेकिन चूंकि स्वेज़ नहर सौंप दिये जाने के कारण मिस्र और इंग्लैंड के बीच की रुकावट दूर हो गई है, मेरे विचार में अब मुस्लिम देशों के पाकिस्तान के साथ मिलने और उस ओर एक ब्लॉक बनाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। इस ओर चीन द्वारा ल्हासा पर कब्ज़ा किए जाने की अनुमति देकर प्रधानमंत्री ने चीन की सीमा भारतीय सीमा के निकट ले आने में उनकी सहायता की है। इन सब बातों को देखते हुए मुझे ऐसा महसूस होता है कि इस बात पर विचार न करना नासमझी की बात होगी कि अब भारत पर आक्रमण नहीं किया जा सकता। भारत पर आक्रमण किया जा सकता है और शायद वही लोग आक्रमण करेंगे जिनका हमेशा से आक्रमण करने की आदत है।

अब मैं दूसरे प्रश्न पर आता हूँ। यदि हम 'सीटो' में शामिल होते हैं तो रूस क्या कहेगा? इस बारे में, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि रूस की विदेश नीति की कुंजी क्या है? हमारी विदेश नीति की कुंजी अन्य देशों की समस्याओं का समाधान करना है, न कि अपनी समस्याओं का समाधान करना। हमारे देश में कश्मीर की समस्या है। हम उसका समाधान करने में सफल नहीं हुए हैं। सब लोग संभवतः भूल गए हैं कि वह समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। लेकिन संभवतः हम एक दिन अचानक जागें और पाएं कि शैतान खड़ा है। मुझे पता चला है कि प्रधानमंत्री ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने वाली एक सुरंग खोदने संबंधी परियोजना का प्रारम्भ किया है। महोदय, मेरे विचार में इससे कोई अधिक ख़तरनाक बात नहीं हो सकती जो प्रधानमंत्री कर सकता हो। फ्रांस को इंग्लैंड के साथ जोड़ने के लिये इंग्लिश चेनल के नीचे सुरंग बनाने की बात हमने सुनी थी। यह बात हम गत 50 वर्षों से सुनते आ रहे हैं। मेरे विचार में, किसी व्यक्ति ने प्रस्ताव रखा होगा और अब तक इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिये ब्रिटेन ने कोई कार्यवाही नहीं की है, क्योंकि यह दोहरी धार वाला हथियार है। कोई शत्रु यदि वह फ्रांस पर विजय पा लेता है तो उस सुरंग का उपयोग करके इंग्लैंड तक अपनी फौजें भेज सकता है और इंग्लैंड पर भी विजय पा सकता है। ऐसा भी हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री, सुरंग खोदकर, समझते हैं कि वह अकेले उसका उपयोग कर सकेंगे। वह यह नहीं समझते कि रास्ता दोनों तरफ जाता है और कोई विजेता जो दूसरी ओर से आता है और कश्मीर पर विजय पा लेता है, वह सीधे पठानकोट तक आ सकता है और संभवतः प्रधानमंत्री के निवास स्थान तक पहुंच सकता है—मैं नहीं जानता।

माननीय सभापति : समय अधिक हो गया है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अब, एक या दो छोटी–छोटी बातें।

माननीय सभापति : भाषण समाप्त करने के लिए एक या दो छोटी–छोटी बातें।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हाँ। प्रधानमंत्री पंचशाील के सिद्धांत पर निर्भर कर रहे हैं जो श्री माओ द्वारा अपनाया गया है और अनाक्रमण की तिब्बत संधि में लेखबद्ध था। मुझे इस बात पर कुछ हैरानी है कि प्रधानमंत्री पंचशील को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, पंचशाील बौद्ध धर्म का अनिवार्य अंग है और यदि श्री माओ का पंचशील में विश्वास होता है तो वह अपने देश में बौद्धों के साथ, निश्चय ही, बेहतर व्यवहार करते, राजनीति में पंचशील का कोई स्थान नहीं है विशेषकर, साम्यवादी देश की राजनीति में, साम्यवादी देश दो सर्वविदित सिद्धांतों को मानते हैं, जिनपर वे प्रायः अमल करते हैं। एक नैतिकता जो सदा डावांडोल रहती है। कोई नैतिकता नहीं है। आज की नैतिकता कल की नैतिकता नहीं है।

आज की नैतिकता के अनुसार आप अपना वचन निभा सकते हैं और कल उतने ही औचित्य के साथ उस वचन को भंग कर सकते हैं क्योंकि कल की नैतिकता आज से भिन्न होगी, दूसरी बात यह है कि जब रूसी साम्यवादी देश अन्य देशों से कोई लेन–देन करता है तो प्रत्येक सौदा अपने आप में एक पृथक सौदा होता है। जब हम किसी व्यक्ति से कोई लेनदेन करते हैं तो हम सद्भावना से शुरू करते हैं और उनके आभारी होकर समाप्त करते हैं। जब रूसी किसी व्यक्ति के साथ कोई लेनदेन करते हैं तो वे सद्भावना के साथ आरंभ नहीं करते और न ही वे अंत में कोई आभार व्यक्त करते हैं। लेनदेन आरंभ होता है और उसी सीमा के भीतर समाप्त भी हो जाता है। जब स्थिति परिपक्व अवस्था में पहुंचेगी तब प्रधानमंत्री को भी अंत में इसका पता चल जाएगा। वह हमेशा कहते हैं कि एक सिद्धांत है 'एशिया फ़ॉर एशियाटिक्स।' हाँ, जहाँ तक उपनिवेशवाद का संबंध है, यह सिद्धांत बिल्कुल सही है। एशिया, एशिया निवासियों के लिये होना ही चाहिए परंतु हम किस प्रकार की स्थिति से जूझ रहे हैं? क्या आज एशिया एक है? किस रूप में? अब एशिया विभाजित है। आधे एशिया में साम्यवाद का बोलबाला है। उनके जीवन के सिद्धांत भिन्न हैं और उनकी सरकार के सिद्धांत भी भिन्न हैं। शेष एशिया के जीवन के सिद्धांत अलग हैं और सरकार के सिद्धांत भी अलग हैं। एशिया निवासियों में एकता कहाँ है? ऐसी बातें करने का क्या लाभ है कि एशिया एशिया निवासियों के लिये है? ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। एशिया पहले ही एशिया निवासियों के बीच युद्ध व संघर्ष का अखाड़ा बनता जा रहा है। इसलिये हम स्वाधीनता में विश्वास रखते हैं तो हमें स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मिलकर चलना चाहिए, यही बेहतर होगा।

अब मैं गोआ के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि प्रधानमंत्री की गोआ ख़ाली करवाने की नीति बिल्कुल सही है। यह बहुत अच्छी नीति है और सबको उनको समर्थन देना चाहिए। मैं भी उनका समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। यदि मुझे ठीक याद है तो पुर्तगाल द्वारा गोआ ख़ाली करने और भारत को सौंप देने के बारे में मैंने बहुत पहले जब हमने स्वाधीनता प्राप्त की थी, उनसे बातचीत की थी। मेरे पास कुछ टिप्पण हैं जो एक शिष्टमंडल ने उनको प्रस्तुत किए थे, मैं उनका नाम भूल गया हूँ लेकिन वे टिप्पण मेरे पास हैं। परंतु प्रधानमंत्री ने इस पर कोई गंभीर रुचि नहीं दिखाई। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि यदि प्रधानमंत्री ने आरंभ में इस मामले में सक्रिय रुचि ली होती, तो मुझे विश्वास है कि गोआ का कब्जा लेने के लिए भारत सरकार द्वारा पुलिस की साधारण कार्यवाही पर्याप्त होती। परंतु वह हमेशा उनके विरुद्ध जोर–जोर से बोलते रहे, कोई कार्यवाही नहीं की। इसका परिण ाम यह निकला कि जहाँ तक हमारी जानकारी है, पुर्तगालियों ने गोआ में मोर्चाबंदी कर ली है। निःसंदेह, प्रधानमंत्री की जानकारी सही होनी चाहिए और हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि गोआ में अब भी कोई रक्षा व्यवस्था नहीं है, कि वहाँ पर कोई रक्षक सेना नहीं है और पुर्तगाल द्वारा लाई गई कोई सेना नहीं है।

श्री जवाहर लाल नेहरू : मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने सोचा, उन्होंने ऐसा कहा था, परंतु जो कुछ भी हो, बात यह है कि मेरा निजी विचार यह है कि पर्यवेक्षकों पर चर्चा का कोई महत्व नहीं है और उसका कोई परिणाम भी नहीं निकलेगा। मान लीजिए, पुर्तगाली गोआ निवासियों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार करें, तो भी क्या हम गोआ पर अपना दावा छोड़ देंगे? संभव है कि वे उनको डोमिनियन का दर्जा दे दें और उनको पूरे नागरिक बना लें, फिर भी हम गोआ पर अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह भारत का अंग है। इसलिए मेरे विचार में पर्यवेक्षकों के बारे में किसी चर्चा का कोई अर्थ नहीं है। हमको पुर्तगाल की जनता से इस बारे में विचार–विमर्श करना चाहिए। क्या वे अपनी प्रभुसत्ता उसी प्रकार छोड़ने को तैयार हैं जिस प्रकार अंग्रेजों ने छोड़ी है? मेरे विचार में, हमें केवल इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए, महोदय, यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ प्रबुद्ध राष्ट्र पुर्तगालियों का साथ दे रहे हैं। मुझे यह जानकर खेद है कि श्री चर्चिल परोक्ष रूप से पुर्तगाल का पक्ष ले रहे हैं और हमसे कहते हैं कि 'बल प्रयोग न करों', क्यों? क्या वे प्रधानमंत्री द्वारा प्यार किए जाने के बाद यहाँ से जाने वाले हैं? और बिना कोई गोली चलाए? यही स्थिति ब्राजील की है और पता नहीं अमरीका का रवैय्या क्या है, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक रूप से अब तक कुछ नहीं कहा है। हो सकता है, वे भी पुर्तगाल का ही साथ दें। मुझे विस्मय

हो रहा है कि यह सब कुछ क्यों हो रहा है। इंग्लैंड जिसने स्वेच्छा से इस देश की जनता को प्रभुसत्ता सौंप दी, एक दूसरे देश को ऐसा करने के विपरीत सलाह क्यों दे रहा है। यह बात समझ में नहीं आती। प्रधानमंत्री मेरे सुझाव को स्वीकार करें या न करें परंतु मुझे ऐसा महसूस होता है वे हमारे प्रधानमंत्री को बता देना चाहते हैं कि तटस्थ रहने का भी मूल्य–चुकाना पड़ता है।

श्री पी. सुंदरय्या : प्रधानमंत्री को इस बात पर ध्यान देना चाहिए।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं प्रधानमंत्री को एक सुझाव देना चाहता हूँ। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य सदस्य पुर्तगाल का समर्थन कर रहे हैं, तो मेरे विचार में, हमें पुर्तगाल के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। परंतु इस बारे में मैं दो प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि अमरीका का एक मामला स्टेट ऑफ लूसियाना के बारे में था जो अमरीकी बस्तियों में फ्रांस वाली बस्ती थी और अमरीका फ्रांस को वहाँ से निकालना चाहता था और लूसियाना को अमरीका के अधिकार में लेना चाहता था। उन्होंने उसका मूल्य देने का तरीका अपनाया था। जो मूल्य दिया गया था–उसके आंकड़े मेरे पास हैं।

श्री पी. सुंदरय्या : चांदी के कुछ सिक्के।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : बहुत बड़े क्षेत्र के लिए बहुत ही कम मूल्य दिया गया था। गोआ उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। गोआ लूसियाना के एक कस्बे के बराबर है। यदि प्रधानमंत्री यह तरीका अपनाना चाहें तो....................

श्री जवाहर लाल नेहरू : वह क्या है?

माननीय सभापति : पुर्तगाल से खरीद लो.............................

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इस पर चर्चा की जानी चाहिए। मैं वैकल्पिक तरीकों के बारे में सुझाव दे रहा हूँ।

माननीय सभापति : यह एक सुझाव है। दूसरा क्या है?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : प्रधानमंत्री के समक्ष मैं जो दूसरा सुझाव रखना चाहता हूँ वह यह है कि हम गोआ को पट्टे पर ले सकते हैं। हमें अपने ही देश में बरार के पट्टे की जानकारी है। बरार निज़ाम की संपत्ति था। उसका उस पर प्रभुत्व था परंतु ब्रिटिश सरकार ने लगभग 1853 में बरार को स्थायी पट्टे पर ले लिया था। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने कितनी धनराशि निज़ाम को दी थी। संभव है वह बहुत कम हो।

श्री बी. गुप्ता : यदि हम ऐसा करते हैं तो हमें भारत की प्रतिष्ठा को गिरवी रखना होगा।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे खेद है मैं उनकी बात समझ नहीं पाया। उनकी बात को समझना मेरे लिए बहुत कठिन है।

माननीय सभापति : उनकी बात को समझना बहुत कठिन है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं कहना चाहता हूँ कि हम इस मामले में यह जानने के अधिक इच्छुक नहीं हैं कि नाममात्र का प्रभुतासम्पन्न कौन है। हम गोआ का कब्जा प्राप्त करने के इच्छुक हैं और वहाँ पर अपनी सरकार का शासन चाहते हैं। हमारे सामने एक मामला है जिसमें हमारे अपने देश में एक अन्य प्रभुत्वसम्पन्न का राज्य क्षेत्र पट्टे पर लिया गया था और कुछ अंलकरणों के साथ भारत का स्थायी अंग बना लिया गया, जो इस बात का द्योतक है कि वहाँ कोई संप्रभु था। मेरे विचार में उसके पुत्र को प्रिंस ऑफ़ बरार बना दिया गया था। यह एक दूसरा तरीका है जिसे शायद प्रधानमंत्री आजमाना चाहें। मुझे इस बात का कोई कारण नहीं दिखाई देता कि प्रधानमंत्री इन दो तरीकों में से एक को अपनाकर पुर्तगाल को राजी करने में सफल क्यों नहीं होंगे।

मैं केवल एक बात कहने के बाद बैठ जाऊंगा। मैं एक दिन चाथम हाउस स्थित 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ इंटरनेशनल अफ़ेयर्स, (अंतर्राष्ट्रीय कार्य संस्थान) द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक पढ़ रहा था। उसमें किन्हीं मामलों का विश्लेषण किया गया था जिनके कारण दूसरा विश्व युद्ध हुआ था और उसका लेखक, निःसंदेह बहुत ही विद्वान व्यक्ति था। उसने दो निष्कर्ष निकाले थे कि युद्ध क्यों हुआ था और उसे क्यों नहीं टाला जा सका था। एक कारण यह था कि श्री चेम्बरलेन निःशस्त्रीकरण की नीति के कारण, जिसके संबंध में लेबर पार्टी आंदोलन कर रही थी, यूरोप में शक्ति संतुलन को ठीक से कायम नहीं रख सके और हिटलर की शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी और उसको नियंत्रण में रखना कठिन हो गया था। दूसरी बात उन्होंने यह कही थी कि चेम्बरलेन ने हिटलर की बात को सही मानकर सबसे बड़ी गलती की थी। हिटलर से अधिक झूठा व्यक्ति कोई नहीं था। जब चेकोस्लोवाकिया से सूडेटन जर्मन्स् को अलग किया गया था तब हिटलर को, वह जो चाहता था दिया गया था और उसने कहा था कि वह और कुछ नहीं चाहता। पूरे सदन को यह बात याद होगी कि जब उस संधि पर हस्ताक्षर किए गए तो वह दूसरे ही दिन चेकोस्लोवाकिया पहुंच गया। मैं आशा करता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री ऐसी भयानक ग़लतियाँ नहीं करेंगे। महोदय, मैं यहीं समाप्त करता हूँ।

*****

(49)

बैंक विवादों के संबंध में सरकारी आदेश

***डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई) :** सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री के भाषण से मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कुछ आरोपों का जो जनता सरकार के विरुद्ध इस आधार पर लगा सकती है कि उन्होंने पूंजीपतियों का साथ दिया है और श्रमिकों के हितों की अवहेलना की है, खंडन करने पर अधिक ज़ोर दिया गया है। मैं निश्चित ही सरकार के विरुद्ध ऐसे आरोप लगाने वालों में नहीं हूँ। मैं अपने भाषण के अंत में अपना पक्षकथन रखूंगा कि सरकार ने मेरे निर्णय में व्यक्त की गई स्थिति को बिल्कुल ग़लत समझा है और अपने समक्ष रखे गए तथ्यों को भी नहीं समझा।

दोपहर 12.00 बजे।

प्रधानमंत्री का पक्षकथन– यदि मैंने उन्हें सही ढंग से समझा है–एक ऐसी महिला की स्थिति से मिलता है जिसने एक अवैध बालक को जन्म दिया हो और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया "महोदय, यह अवैध हो सकता है, लेकिन बहुत ही छोटा बालक है।" ठीक है हम मान लें कि इन दो मामलों को अलग किया जा सकता है। यह तथ्य है कि निर्णय अवैध है और दूसरे वह संभवतः बहुत छोटा निर्णय है। हमारा संबंध तो इस बात से है कि निर्णय सही है या नहीं है।

चूंकि समय बहुत कम है, इसलिए विषय–वस्तु पर कुछ बोलने से पूर्व कोई भूमिका बांधना संभव नहीं है। इसलिये मैं सीधे विषय वस्तु पर अपने विचार व्यक्त करता हूँ।

विपक्ष के नेता ने एक मुद्दा उठाया था जो इस प्रकार हैः– क्या श्रम अधिकरण (अपील) अधिनिर्णय में सरकार द्वारा किए गए फेर–बदल न्यायोचित हैं? प्रधानमंत्री ने ठीक ही कहा कि सरकार को ऐसा करने का अधिकार है और मैं उनके विचार से पूरी तरह सहमत हूँ कि सरकार को अधिनिर्णय में फेर–बदल करने का अधिकार होना चाहिए क्योंकि आख़िरकार, सरकार ने, जिसके वह प्रभारी हैं, पूरी जनता के कल्याण की बात सोचनी है, न कि जनता के एक भाग के कल्याण की और उन पर इस बात की पूरी जिम्मेदारी है। अतः यह उनका विधि सम्मत अधिकार है। जैसा कि मैंने पहले कहा था, प्रश्न यह है कि क्या उन्होंने अपने अधिकार का सही

---

* संसदीय वाद–विवाद (राज्य सभा), खण्ड–7, क, 2 सितम्बर, 1954, पृ. 1207–16

प्रयोग किया था।

अब महोदय, मेरी मंशा को समझने के लिये मेरे विचार में इन परिवर्तनों को मद–वार प्रस्तुत करना आवश्यक है। जो सरकार ने श्रम अधिकरण (अपील) अधिनियम में किये है। वे उपांतर क्या है? मेरे विचार में, वे चार हैं। सर्वप्रथम, सरकार ने एक नया क्षेत्र जोड़ा है जिसे चतुर्थ श्रेणी क्षेत्र कहा गया है जिनकी संख्या 30,000 से कम है, अब तक जितने अधिनिर्णय हुए हैं, श्री न्यायमूर्ति सेन का अवार्ड, शास्त्री अवार्ड और अधिकरण अधिनिर्णय, उनमें इस बात पर सहमति थी कि क्षेत्रों का तीन वर्गों में वर्गीकरण किया जाना पर्याप्त है। चौथे वर्ग की आवश्यकता नहीं है, परंतु सरकार ने सोचा, जिसका कारण निःसंदेह माननीय वित्तमंत्री अपने उत्तर में बताएंगे कि उन्होंने यह नया चौथा वर्ग क्षेत्र क्यों बनाया। महोदय, उन्होंने दूसरी बात यह की है कि चतुर्थ वर्ग क्षेत्र के लिये वेतन निर्धारित कर दिया है। जहाँ तक वर्ग क बैंकों का संबंध है, न्यूनतम वेतन–में मकान किराया भत्ता और महंगाई भत्ता जैसी अन्य चीजों का उल्लेख नहीं कर रहा क्योंकि हमारा संबंध मूल न्यूनतम वेतन से है–जो 66 रुपये है, ग वर्ग बैंकों के लिए यह 51 रुपये है और घ वर्ग बैंकों के लिये भी 51 रुपये है। यदि इनमें कोई ग़लती हुई है तो मेरे मित्र उस त्रुटि को दूर कर सकते हैं। मैंने पाया कि दो परिवर्तनों को एक साथ रखा गया है। सरकार ने अधिकरण के अवार्ड में जो तीसरा परिवर्तन किया है वह यह है कि सरकार ने मेरे विचार में दिल्ली, अजमेर और एक अन्य नगर, जिसका मैं नाम भूल गया हूँ, छोड़कर भाग ख और भाग ग राज्यों को अवार्ड के प्रवर्तन से अलग रखा है। सरकार ने जो चौथा परिवर्तन किया है वह यह है कि यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया नामक एक बैंक को इसके प्रवर्तन से पूरी छूट दी गई है।

वित्तमंत्री (श्री सी. डी. देशमुख) : क्या मैं बता सकता हूँ कि वर्तमान परिलब्धियों का संरक्षण भी अवार्ड में एक परिवर्तन है?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हाँ, मैं इसको स्वीकार करता हूँ।

श्री सी. डी. देशमुख : मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहता हूँ कि यह सही है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, अब हमें इन परिवर्तनों के समर्थन में बताए गए कारणों पर विचार करना है। कहा जाता है कि भारत के विकास, वाणिज्य और उद्योग के लिए बैंक व्यवसाय अत्यंत आवश्यक उद्योग अथवा सेवा है। यह बात ऐसी है जिसके संबंध में कोई विवाद नहीं है कि बैंक व्यवसाय बहुत ही आवश्यक है जो सभी वैध तरीकों से सुदृढ़ बना रहना चाहिए। दूसरी बात यह है कि यदि बैंक आवश्यक हैं तो उनके कर्मचारियों के वेतन और मजदूरी को इस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए कि वे बैंकों को लाभ कमाने दें। यही एक संभाव्यता है और मेरे

विचार में बहुत से लोग इस बारे में कुछ पूछताछ करना चाहेंगे, परंतु यह तो एक नींव है जिस पर ये सभी परिवर्तन आधारित हैं।

पहली बात, जिसकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, वह यह है, वास्तव में इस समय सेन अवार्ड प्रवर्तन में है। यह वर्ष 1951 से प्रवर्तन में है। शास्त्री के वेतन–मानों की अपेक्षा इसके वेतनमान निश्चित ही काफी अधिक हैं। अब बात यह है कि न्यायमूर्ति सेन द्वारा 1951 में दिया गया यह अवार्ड प्रवर्तन में है और सरकार ने विशेष अध्यादेश जारी करके इसको लागू किया था क्योंकि इस के गठन में कोई तकनीकी दोष होने के कारण कुछ बैंक व्यवस्थाओं के आवेदन–पत्र उच्चतम न्यायालय ने सेन अवार्ड को अवैध करार दिया था और इसीलिए सेन समिति को अवार्ड देने का अधिकार नहीं था। जब बैंक प्रबंधकों ने कर्मचारियों के वेतन को कम करना आरंभ कर दिया तब सरकार ने हस्तक्षेप किया और अध्यादेश जारी करके घोषणा की कि वेतनों को स्थिर कर दिया गया है जिसका अर्थ यह है कि सेन अवार्ड के अंतर्गत कर्मचारियों को जो भी दिया गया था, वह उनको मिलता रहेगा। यद्यपि उच्चतम न्यायालय में अवार्ड को अवैध ठहराया है। अब, महोदय, यह एक ऐसा साक्ष्य है जिससे पता चलता है कि यह तर्क कि यह अवार्ड यदि बैंकों को लागू करना पड़ेगा तो उनको पर्याप्त लाभ नहीं होगा, मुझे निरर्थक प्रतीत होता है।

तत्पश्चात् हम रिज़र्व बैंक की एक पुस्तिका, जिसे मेरे विचार में ''द ट्रेंड ऑफ़ इवेंट्स'' या कुछ ऐसा ही नाम दिया गया, में दिए गए आंकड़ों की तुलना करते हैं। इसमें वर्ष 1949 से 1953 तक के आंकड़े उपलब्ध हैं। इनमें से मैंने केवल संबंधित आंकड़े निकाले हैं। अब 'क' वर्ग के बैंकों में इस अवधि में कार्यपूंजी में 10 प्रतिशत की कमी आई है। कुल आय 20 प्रतिशत बढ़ी है और लाभांश में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 'ख' वर्ग के बैंकों में जमा राशि में 13 प्रतिशत की कमी हुई है, कार्यपूंजी में भी 13 प्रतिशत की कमी आई है परंतु कुल आय में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 'ग' वर्ग के बैंकों में, जमाराशि में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, कार्यपूंजी में भी 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और कुल आय में भी वृद्धि वृद्धि हुई है तथा लाभांश में भी वृद्धि हुई है। जहाँ तक 'घ' वर्ग के बैंकों का संबंध है, मेरे विचार में, वे सबसे खुशहाल हैं क्योंकि उनकी स्थिति में, सभी प्रकार से जमा राशि में, कार्यपूंजी में, कुल आय में और लाभांश में वृद्धि हुई है। अब महोदय, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि वर्ग 'क' और वर्ग 'ख' के बैंकों के लाभ में कुछ कमी हुई है। इसके कारण क्या हैं? क्या इसका कारण वेतन वृद्धि है अथवा इसका कारण कुछ और है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जमाराशि कम हुई है और ब्याज की दर बढ़ा दी गई है। जिसके कारण उनको कुछ कम लाभ हुआ है। और निश्चय ही यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्रचार के परिणामस्वरूप वेतन वृद्धि के कारण बैंकों की कोई हानि हुई है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि

वेतन वृद्धि के कारण लाभ कम हुआ है। उनमें निश्चय ही इस कारण कमी नहीं आई यद्यपि उनमें कमी आयी है। इसलिए न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित वेतन को कम करने के लिए पंचाट में फेर–बदल करने के तर्क को निश्चय ही स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जहाँ तक दूसरे परिवर्तन अर्थात् चतुर्थ वर्ग क्षेत्र बनाये जाने का संबंध है, मैं यह बात समझने में असमर्थ हूँ कि यह नया क्षेत्र बनाने की सरकार को क्यों आवश्यक अनुभव हुई। तीन अधिकरणों के समक्ष इन मामलों की सुनवाई हो चुकी है। श्रमिकों और बैंक प्रबंधकों के अनेक वकीलों ने बहस में हिस्सा लिया। निश्चय ही उनमें से किसी ने भी किसी भी वर्ग के बैंक के मामले में इसको आवश्यक नहीं समझा। फिर सरकार ने ऐसा करना क्यों आवश्यक समझा कि यह नया क्षेत्र बनाया जाना चाहिए। मुझे यह बात समझ में नहीं आती।

फिर महोदय, तीसरा परिवर्तन–भाग 'ख' और भाग 'ग' के राज्यों में इसको लागू न करने के निर्णय को न्यायोचित ठहराना सबसे अधिक कठिन काम प्रतीत होता है।

माननीय सभापति : समय समाप्त हो रहा है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैंने अभी कुछ और बातें कहनी हैं....................

माननीय सभापति : ठीक है, यथा संभव संक्षेप में बोलिए।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : धन्यवाद! इस बात को समझना बहुत कठिन है कि किस आधार पर भाग 'ख' और भाग 'ग' राज्यों के इन दो क्षेत्रों को इस अवार्ड के प्रवर्तन से छूट दी गई है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि वर्ग 4 क्षेत्र के लिये सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतनमान अर्थात् 51 रुपये का न्यूनतम वेतन भाग 'ख' और भाग 'ग' राज्यों में लागू नहीं होगा। इसका तात्पर्य यह है वहाँ के कर्मचारियों को नियोजकों की कृपा पर छोड़ दिया गया है।

वे उनको अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। यह अलग बात है कि बैंक व्यवस्था आवश्यक है और बैंकों को लाभ अर्जित करना चाहिए। यह भी उचित बात है परंतु क्या हमें इस प्रकार के शोषण की अनुमति देनी चाहिए? यह तो पूरा शोषण है। कोई न्यूनतम मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। मेरे विचार में, इस बात को किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

अब, फिर यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया की छूट के बारे में सरकार द्वारा प्रस्तावित चौथा परिवर्तन भी एक असाधारण बात है। जहाँ तक इस बारे में मैं जानकारी एकत्र कर सकता हूँ, मूलतः कलकत्ता में शरणार्थियों द्वारा अपनी सहायता के लिये चार बैंक आरंभ किए गए थे, मुझे विश्वास है ऐसा बैंक कारोबार चलाने के लिए किया गया था।

वित्त मंत्रालय में उप–मंत्री (श्री ए. सी. गुहा) : मेरे विचार में, माननीय सदस्य की यह

बात ठीक नहीं है। विभाजन से बहुत पहले से बैंक चल रहे हैं विभाजन के पश्चात् वे एक बैंक में आमेलित कर दिये गये।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। इससे मेरी बात को समर्थन मिलता है। मेरे तर्क का आधार बहुत कमज़ोर था। मैं मान लेता हूँ कि बैंक व्यवसाय काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन वे आमेलित कर दिए गए।

श्री ए. सी. गुहा : वे लंबे समय से तो चल रहे थे परंतु स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरी जानकारी के अनुसार, इस बैंक की कार्यपूंजी 33 करोड़ रुपये है। मेरे मित्र इस बात से इंकार भी कर सकते हैं और मेरी गलती को दुरूस्त भी कर सकते हैं। इस बैंक की पूंजी लगभग 33 करोड़ रुपये है। अब वर्गीकरण के अनुसार, जिसे सेन अवार्ड, शास्त्री अवार्ड और अपील अधिकरण द्वारा अपनाया गया है, इस बैंक को 'क' श्रेणी के बैंकों में रखा जाना चाहिए क्योंकि 'क' वर्ग के बैंक ऐसे बैंक हैं जिनकी कार्यपूंजी 25 करोड़ रुपये या इससे अधिक है। अतः निश्चय ही इस बैंक को 'क' वर्ग में रखा जाना चाहिए और सरकार द्वारा निर्धारित वेतनमान इस बैंक में भी लागू होने चाहिए। प्रकट रूप में ऐसा न करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। यह स्पष्ट है कि यह बैंक किन्हीं कारणों से, जो मैं समझ नहीं पाया, कठिन स्थिति का सामना कर रहा था। उसने शास्त्री समिति से अनुरोध किया था और कुछ छूट की मांग की थी। शास्त्री कमेटी ने इसको 31 दिसंबर, 1954 तक छूट दी थी। उन्होंने कहा था कि उस तारीख के बाद उस पर अवार्ड लागू हो जाएगा। जब यह मामला अपील के विचारार्था भेजा गया, तब इस बैंक ने, जो शास्त्री कमेटी द्वारा दी गई रियासत से संतुष्ट नहीं था, और छूट देने के लिए पुनः आवेदन किया और अधिकरण ने छूट की अवधि को दिसंबर 1955 तक बढ़ा दिया। सरकार ने अपनी अधिसूचना में इन परिवर्तनों का उल्लेख किया जो वह करना चाहती है। इसमें कहा गया है ''यह अवार्ड इस बैंक पर बिल्कुल लागू नहीं होगा।'' मेरे विचार में, मेरे मित्र का तात्पर्य, यह नहीं है कि यह अवार्ड उन पर कभी भी लागू नहीं होगा। मुझे आशा है कि यह उन पर कभी तो लागू होगा। इस बात का कोई औचित्य तो होना चाहिए कि सरकार इस बैंक विशेष का इतना अधिक पक्ष क्यों ले रही है कि उसको पिछले दो न्यायाधिकरण द्वारा दी गयी सीमित अवधि की रियायत की अपेक्षा एकदम पूरी छूट दे दी। इस बात का कोई औचित्य नहीं है।

अब कुछ अन्य बातें हैं जिनकी ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि सरकार को कुछ पहलुओं के संबंध में अवार्ड में परिवर्तन करना चाहिए था परंतु ऐसा नहीं किया गया और पहली बात जिसमें मेरे विचार में सरकार को परिवर्तन करने के बारे में सोचना चाहिए था वह वर्गीकरण करने की प्रणाली थी

जिसको आरंभ से अर्थात् सेन समिति से लेकर श्रम अपील अधिकरण तक अपनाया गया है। मैं इस बात को सिद्ध करने के लिये कि यह वर्गीकरण कितना बेहूदा है, एक उद्धरण देना चाहता हूँ। 'क' वर्ग के बैंकों को लीजिए। 'क' वर्ग के बैंक ऐसे बैंक हैं जिनकी कार्यपूंजी 25 करोड़ रुपये से अधिक है। ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। इसमें केवल 25 करोड़ रुपये का उल्लेख है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि अन्य सभी बैंक, जिनकी कार्यपूंजी 100 करोड़ रुपये अथवा 200 करोड़ रुपये हो सकती है, उस बैंक के बराबर हैं जिसकी पूंजी केवल 25 करोड़ रुपये है। ग़लत वर्गीकरण के सुस्पष्ट उदाहरण के रूप में मेरे विचार में इम्पीरियल बैंक का मामला सबसे अधिक उपयुक्त है। मेरे मित्र ने कुछ आंकड़े दिए हैं परंतु मैं कुछ ऐसे आंकड़े देना चाहता हूँ जो मेरे पास हैं और जो बहुत उपयोगी हैं। मेरे विचार में, इसकी पूंजी लगभग 218 करोड़ रुपये है और सभी भारतीय अनुसूचित बैंकों में कुल जमाराशि की कुल 41 प्रतिशत धनराशि इस बैंक में जमा है। अब मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या 25 करोड़ रुपये की कार्यपूंजी रखने वाले बैंकों को उस बैंक के बराबर दर्जा देना उचित है जिसकी कार्यपूंजी 218 करोड़ है और क्या यह वांछनीय और आवश्यक नहीं था कि सरकार इम्पीरियल बैंक के लिए एक विशेष श्रेणी बनाती।

प्रो. एन. जी. रंगा (आंध्र) : उसका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मेरे पास सभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन ऐसे अनेक समूह हैं जो 25 करोड़ रुपये और 218 करोड़ रुपये के बीच में आते हैं और मुझे विश्वास है कि यदि अनेक वर्गीकरण होते तो अधिक कर्मचारियों को वेतन तथा अन्य परिलब्धियों के रूप में अधिक लाभ मिलते क्योंकि उन सबका संबंध लाभ से होता परंतु वित्तमंत्री ने बिना उचित जांच—पड़ताल करवाए इन तीन निकायों द्वारा प्रस्तावित वर्गीकरण को चुपचाप स्वीकार कर लिया है।

माननीय सभापति : अपनी बात को समाप्त कीजिए डॉ. अम्बेडकर, दूसरे वक्ताओं को भी बोलना है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी हाँ, महोदय, मैं एक या दो मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। मुझे पता नहीं कि इस बात के क्या कारण हैं कि मेरे माननीय मित्र ने यूनाइटेड बैंक के मामले में जो छूट दी जिसका श्रमजीवी वर्गों पर विपरीति प्रभाव पड़ा, परंतु उन्होंने इम्पीरियल बैंक को अलग प्रवर्ग नहीं बनाया जिससे श्रमजीवी वर्गों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता। निश्चय ही वे एक दूसरे के समकक्ष आ जाते।

वर्गीकरण के इस मुद्दे से एक अन्य बात सामने आती है। इन तीन निकाय में से सेन कमेटी, शास्त्री कमेटी तथा अपील अधिकरण किसी ने भी इस देश में भारतीय बैंकों और विदेशी बैंकों के बीच कोई अंतर रखने की आवश्यकता नहीं समझी। विदेशी बैंकों से मेरा अभिप्राय एक्सचेंज बैंकों से है। शास्त्री अवार्ड से पता चलता है कि इनमें से

12 एक्सचेंज बैंक ऐसे थे जो सेन कमेटी, शास्त्री कमेटी और अपीली अधिकरण के विचाराधीन विवाद में एक पार्टी थे। अब, महोदय, शास्त्री अवार्ड के अनुसार, इनमें से प्रत्येक बैंक में, जमाराशि के रूप में 50 करोड़ रुपये थे, जो इस देश में जमाकर्ताओं से एकत्र की गई थी। यह सर्वविदित है कि ये विदेशी अथवा एक्सचेंज बैंक मुख्यतः निवेशकों अथवा विदेशी वाणिज्य को समर्थन देने में लगे रहते हैं।

मेरे विचार में, वे देशी उद्योग अथवा देशी व्यापार में कोई सहायता नहीं देते। यह तो एक बात है, दूसरी बात यह है कि, विदेशों में बड़ी संख्या में कर्मचारियों को आमंत्रित करते हैं। और जिन भारतीय जनों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं, उनको सबसे निचले स्तर पर रखते हैं। वे, जिन यूरोपीय लोगों को नियुक्त करते हैं, उनको काफी अधिक वेतन देते हैं। निश्चय ही, मैं पूछना चाहूँगा कि क्या भारतीय बैंकों व विदेशी बैंकों के बीच अंतर रखना उचित नहीं है, जिससे इन विदेशी बैंकों से भारतीय लोग भी कुछ लाभ उठा सकें जो सब विदेशी कर्मचारी ले रहे हैं। महोदय, मैं बोल चुका हूँ।

*****

(50)

अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयुक्त, 1953 का प्रतिवेदन

***डॉ. बी. आर. अम्बेडकर (बम्बई) :** उप–सभापित महोदय, यह तीसरा प्रतिवेदन है जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त ने राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया है। प्रतिवेदन को पढ़ने पर सबसे पहले आयुक्त द्वारा संसद सदस्यों के विरुद्ध शिकायत की बात सामने आती है। उनका कहना है कि उनके प्रतिवेदन में जिन विभिन्न मुद्दों का उल्लेख किया गया है, उन पर उनके द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। उनका कहना है कि संसद सदस्य इस बात को भूल गए हैं कि वह कोई कार्यवाही अधिकारी नहीं हैं, उनका काम केवल प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। वह जो सिफारिशें करता है या सुझाव देता है, उनको कार्यरूप देना कार्यकारी विभागों का काम है। मेरे विचार में, उनका यह कहना बिल्कुल उचित है। यह कोई कार्यकारी अधिकारी नहीं होता और जो कार्यवाही की गई है उसके लिए गृह मंत्रालय अथवा भारत सरकार के अन्य विभागों की आलोचना की जानी चाहिए। परंतु आयुक्त द्वारा की गई आलोचना को सही करार देते हुए मेरे विचार में आयुक्त द्वारा अपने प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए ही उन्हीं की आलोचना की जा सकती है। मैं शिकायतों से संबंधित अध्याय का उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि मेरे विचार में उस पुस्तक का यह अध्याय अत्यन्त रुचिकर व शिक्षाप्रद होना चाहिए था। हम सबको इस बात की जानकारी है कि अनुसूचित जातियों के लोग सभी प्रकार के अत्याचारों, दमन तथा दुर्व्यवहार के शिकार होते हैं और ये सब कुछ गांवों के लोग करते हैं जिनमें उन्हें रहना होता है। निःसंदेह हम लोग यह जानना चाहते थे कि उनके साथ प्रतिदिन, किस प्रकार का अत्याचार व दुर्व्यवहार होता है। निःसंदेह, आयुक्त के प्रतिवेदन में ऐसी शिकायतों का उल्लेख होना चाहिए था और मैं देखता हूँ कि अनुसूचित जातियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आयुक्त ने बिल्कुल कुछ नहीं लिखा। मेरे पास जो शिकायतें पहुंची हैं, उनसे पता चलता है और मुझे विश्वास है कि आयुक्त के पास अनेक शिकायतें, जो एक हजार अथवा पांच सौ से कम नहीं होती, पहुंची होंगी परंतु मैं एक या दो का उल्लेख करना चाहता हूँ

---

* संसदीय वाद–विवाद (राज्य सभा), खण्ड–7 क, 6 सितम्बर, 1954, पृ. 1447–75

जिनके बारे में मुझे जानकारी मिली है और जो थोड़े ही समय पहले घटित हुई हैं। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों ने बताया है कि राजस्थान में तथाकथित डाकुओं ने अनुसूचित जाति के तीस लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी है। वास्तविकता यह है कि राजपूत और स्वर्ण हिंदू यह नहीं चाहते कि राजस्थान में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोग उन मूल अधिकारों का लाभ उठाएं, जो उनको अन्य हिन्दुओं के साथ बराबरी का दर्जा प्रदान करते हैं। इन मूल अधिकारों का लाभ उठाने के मामले में उनको भयभीत करने और विचलित करने के लिए स्वर्ण हिन्दुओं ने अपने आपको डाकुओं के एक दस्ते के रूप में संगठित कर लिया है और वे उन चमारों पर गोलियाँ चलाते हैं जो मूल अधिकारों का लाभ उठाते हैं या उठाने का प्रयत्न करते हैं। उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए वहाँ पुलिस की टुकड़ियाँ भेजी गई हैं परंतु मुझे पता चला कि पुलिस भी डाकुओं के साथ मिली हुई है। पुलिस के पास जो बंदूकें थीं, उनमें से आधी डाकूओं को दे दी गईं और रिपोर्ट में यह लिखा गया कि डाकुओं ने पुलिस से बंदूकें छीन लीं। पुलिस ने इन डाकुओं को आधी गोलियाँ भी दे दीं। आधी गोलियाँ चलाई गईं, वह भी संभवतः हवा में चलाई गई होंगी क्योंकि उनसे कोई हताहत नहीं हुआ। इसका परिणाम यह निकला कि डाकू मौज—मस्ती कर रहे हैं। वास्तव में डाकू कोई अन्य लोग नहीं हैं बल्कि वे उसी तरह हैं जैसे अमरीका के दक्षिणी राज्यों में कुक्लेक्स क्लान, गोरों का एक दस्ता जो ऐसे हब्शियों को गोली मारने के लिए तत्पर रहते हैं जो उस समानता के अधिकार का प्रयोग करने का प्रयत्न करते हैं जो उनको गृह युद्ध के पश्चात् प्रदान किया गया था। आयुक्त के प्रतिवेदन में इस घटना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

मैं एक अन्य घटना का उल्लेख करता हूँ जो बंबई में घटित हुई है। एक भंगी एक गांव में रहता था जिस पर हिंदुओं ने आरोप लगाया कि वह गाँव में कोई बीमारी लाया है। वे समझते थे कि उसके पास दुर्भावनापूर्ण शक्ति है, जो रोग पैदा कर सकती है और वह गांव में फैल गई है। उन्होंने उसको पकड़ लिया और उससे बोले कि वह अपने सिर पर जलती आग को उठाए और गॉव का चक्कर लगाए जिससे वे बुरी शक्तियाँ जो गांव में बीमारी लाई हैं, वहाँ से चली जाएं। सौभाग्यवश वे इस बात को भूल गए कि उसके सिर पर पगड़ी है और वह भी सिर से पगड़ी उतारना भूल गया। जलती आग और वह बर्तन जिसमें आग रखी थी, इतना अधिक गर्म था कि लगभग आधी खोपड़ी जल गई। आयुक्त के प्रतिवेदन में इस घटना का भी कोई उल्लेख नहीं है। मुझे हैदराबाद राज्य में, औरंगाबाद जिले में हुई एक घटना याद है जिसमें ग्रामवासियों ने अनुसूचित जाति की एक महिला को पिशाचिनी घोषित कर दिया था और उसको उस गांव में पड़ी किसी महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने उससे पूछताछ की। वह अपने आपको निर्दोष प्रमाणित नहीं कर सकी क्योंकि ऐसा करने का कोई साधन नहीं था। इसका परिणाम यह निकला कि उसको मारा—पीटा ही नहीं गया बल्कि

उसका घर भी जला दिया गया। उसके परिवार के सदस्यों पर बुरे–बुरे लांछन लगाए गए। आयुक्त के प्रतिवेदन में इस घटना का भी कोई उल्लेख नहीं है।

मेरे माननीय मित्र, गृह मंत्री, मेरे विचार में, इस बात को स्वीकार करेंगे कि अनुसूचित जाति के लोग अच्छे या बुरे कारण से मुझे और सरकारी अधिकारियों को अपनी शिकायतें भेजते रहते हैं और मेरे पास भी इन अत्याचारों और दमन की घटनाओं की लंबी सूची रहती है। मैं चाहता था कि इस सार्वजनिक दस्तावेज में इनमें से कुछ शिकायतों का उल्लेख किया जाता तो अच्छा होता। परंतु इसमें ऐसा कुछ रिकार्ड नहीं किया गया। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आयुक्त का यह प्रतिवेदन, जहाँ तक शिकायतों के लेखबद्ध करने का संबंध है, किसी के आग्रह पर लिखवाया गया है। संभवतः आयुक्त इस अत्यन्त महत्वपूर्ण उद्देश्य को बिल्कुल भूल गए कि उनका पद बनाए जाने का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह था कि सर्वण हिंदुओं द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों के साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार के घिनौने रूप को सामने लाकर जनता की अंतरात्मा को झकझोरा जाए जिससे प्रबुद्ध जन जनता में जाकर उनको, कि क्या इस प्रकार का व्यवहार सभ्य लोगों द्वारा किया जाना चाहिए। परंतु यदि आप इन तथ्यों को उजागर नहीं करेंगे, जब आप किसी कारणवश उन मामलों को दबा देंगे तो इस पद को बनाए जाने का उद्देश्य विफल हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आयुक्त अपने दूसरे प्रतिवेदन को तैयार करते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे और उन तथ्यों को प्रस्तुत करने में शर्म महसूस नहीं करेंगे, जो कष्ट झेल रहे जनसमूह व अछूत जन उसको भेजते हैं। आयुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के स्वरूप के बारे में यह मेरी पहली टिप्पणी है।

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आयुक्त द्वारा जिन मामलों का हवाला दिया गया है, कानून के उल्लंघन के अनेक मामले हुए हैं और अनुसूचित जातियों पर अनगिनत अत्याचार और दमन की घटनाएं हुई हैं। मेरे विचार में यह मामला गृह मंत्री के विभाग के अंतर्गत आता है। अनुसूचित जातियों के लिए विशेष रूप से और सभी लोगों के लिए सामान्य कानून का पालन कहाँ तक किया गया है और कितने मामलों में कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड दिया गया है? महोदय, पहले दिन, जब गृहमंत्री ने सदन में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, मैं दुर्भाग्यवश उस दिन कुछ विलंब से आया था परंतु उनका भाषण समाप्त होने तक मैं पहुंच गया था। उनके भाषण का मुझ पर यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने जो कुछ कहा वह हलके–फुलके तरीके से ही नहीं कहा बल्कि– यदि मैं यह कहूँ तो वह मुझे क्षमा करेंगे–उसमें किसी हद तक छिछोरापन झलकता था। उन्होंने कहा था कि लोगों पर मुकदमा चलाने का क्या लाभ होगा। लोग सत्याग्रह करने लगेंगे, लोग ऐसे–वैसे कार्य करने लगेंगे। इसलिये हमें कोई ऐसी कार्यवाही का सहारा नहीं लेना चाहिए जिसे विधि का प्रतिशोध कहा जाए। यदि गृह मंत्रालय का यही रवैया है तो निःसंदेह किसी प्रकार की कोई आशा

नहीं की जा सकती। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध जो अराजकता हज़ारों वर्षों से चल रही है वह विधि–संगत है और विधि संगत ही रहेगी, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोग स्वयं विधि का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकते। जैसा कि आयुक्त ने कहा है अनुसूचित जाति के लोग आर्थिक दृष्टि से सर्वथा हिंदुओं के इतने अधीन हैं और इतने दबे हुए हैं कि वे उन लोगों को कभी चुनौती देने की स्थिति में नहीं होंगे जिन पर वे आर्थिक आजीविका के लिए निर्भर हैं।

आयुक्त ने आरंभ से ही इस बात को स्वीकार किया है। इस बात का उल्लेख उसके पहले प्रतिवेदन में भी किया गया था, दूसरे प्रतिवेदन में भी किया गया और अब तीसरे में भी उसका उल्लेख है कि अनुसूचित जाति के लोग स्वयं अपने अधिकारों की रक्षा कर पाएंगे, ऐसा सोचना व्यर्थ है। अपना दमन करने वालों पर मुकदमा करने के लिये उनके पास न तो साधन हैं न ही उनके विरुद्ध लड़ने के लिए आर्थिक सामर्थ्य है।

दूसरी बात, जिस पर आयुक्त ने अधिक बल नहीं दिया है और मैं इस बात को 20 वर्षों के अनुभव से स्वयं जानता हूँ कि अनेक मामलों में पुलिस बल सवर्ण हिंदुओं के साथ मिला होता है। 90 प्रतिशत पुलिस कर्मचारी सवर्ण हिंदुओं में से भर्ती किए जाते हैं। अब केवल कुछ प्रतिशत पुलिस कर्मी अनुसूचित जातियों में से भर्ती किये जाने लगे हैं और वे भी पुलिस के सिपाही के ओहदे पर लिए जाते हैं। उनमें कोई भी अधिकारी नहीं होता। इसका परिणाम यह है कि उच्च श्रेणी के पुलिस कर्मी सवर्ण हिंदुओं के साथ मिले हुए हैं। जब अनुसूचित जातियों के लोग थाने में जाते हैं तो वे प्रायः उनकी शिकायतें अपनी केस डायरी में दर्ज करने से इंकार कर देते हैं, भले ही वह अपराध संज्ञेय ही क्यों न हो। वे उनको थाने से बाहर निकाल देते है और उनसे कहते हैं कि ''भाग जाओ।'' पहले तो वे उसकी शिकायत दर्ज ही नहीं करते और यदि करते भी हैं तो वे ऐसे बेहूदा तरीके से जांच–पड़ताल करेंगे कि अंततोगत्वा मुकदमा ख़ारिज हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, मैं माननीय गृह मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह सोचते हैं कि उनका कोई कर्तव्य है या नहीं। मैं उनसे पूछता हूँ कि विधि के उल्लंघन के मामले, जिनकी सूचना प्राप्त हो रही है और जिनके साक्षी अनुसूचित जाति के लोग हैं व अन्य लोग हैं क्या वे मूल विधि और मूल अधिकारों के उल्लंघन हैं या नहीं हैं? क्या मूल अधिकार संविधान के भाग नहीं हैं? यदि आप मूल अधिकारों को कुचलने के लिए इतनी बड़ी संख्या में आततायियों को और गुंडों को अनुमति दे रहे हैं तो क्या यह संविधान की अवमानना नहीं है। क्या आपका यह कर्तव्य नहीं है कि आप अपने मंत्रालय में अथवा अलग से इस प्रयोजन के लिए एक विशेष विभाग बनाएं? अमरीका में एक न्यायिक विभाग है जिसका कृत्य व कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि संविधान और संघीय विधियों का सम्मान किया जाए। मेरे विचार में, यही उपयुक्त अवसर है कि गृह मंत्री इस बात को समझें कि

यदि संविधान के अनुसार सब कार्यकलाप होने हैं, यदि देश का विधान बनना है, यदि सभी लोगों को यह मान्य होना है तो उनका काम यह सुनिश्चित करना है कि इसको ठीक तरीके से लागू किया जाये। यह तभी हो सकता है जब वह इसको लागू करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। यह काम राज्य सरकारों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि वे इस काम को करने में असमर्थ हैं। इस काम को पुलिस भी नहीं कर सकती। क्योंकि वे ऐसा करना ही नहीं चाहते। फिर अनुसूचित जनजाति के लोग भी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास इसको लागू करने के साधन नहीं हैं। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि वह इस मामले को गंभीरता से लें और वह इस काम को इस तरीके से करें, जैसे कि किसी राजनीतिज्ञ को करना चाहिए।

अब मैं शिक्षा के विषय में कुछ कहना चाहूँगा। यह संतोष की बात है और मैं स्वीकार करता हूँ कि सरकार अनुसूचित जातियों की शिक्षा पर प्रति वर्ष अधिक से अधिक धनराशि खर्च करती है। यदि मैं अपने बारे में कुछ कहूँ तो आशा है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। वर्ष 1942 में पहली बार भारत सरकार ने मेरे आग्रह करने पर, जब मैं कार्यकारी परिषद का सदस्य था, स्वीकार किया था कि अनुसूचित जातियों को शिक्षा के संबंध में उनकी भी जिम्मेदारी है। उससे पूर्व शिक्षा केवल प्रांतीय विषय था। जहाँ तक मुसलमानों और हिंदुओं का संबंध था भारत सरकार ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को तीन लाख रुपये का वार्षिक अनुदान देकर उनकी सामर्थ्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है। मैंने यह मामला उठाया कि क्या जिस सरकार ने मुसलमानों और हिंदुओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की है, उसका अनुसूचित जातियों के प्रति कोई कर्त्तव्य नहीं है और सरकार ने इस बात को माना कि यह सही बात है और उसका उत्तर स्वीकारात्मक ही मिला। उन्होंने केंद्रीय निधि में से अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए 3 लाख रुपये, अनुदान के रूप में दिये, यद्यपि मैं अनुसूचित जातियों के लिए प्रतिवर्ष शिक्षा संबंधी अनुदान बढ़ाये जाने के विषय में हो रही प्रगति से संतुष्ट हूँ, फिर भी मैं दो बातों के बारे में काफी असंतुष्ट हूँ। एक बात यह है कि वर्ष 1942 में जब मैंने भारत सरकार में पहली बार इस मामले को उठाया था तब इस बात पर सहमति हुई थी कि भारत में विश्वविद्यालय स्तर तक अनुसूचित जातियों की शिक्षा की जिम्मेदारी प्रांतीय सरकारों की होगी और भारत सरकार अनुसूचित जातियों की शिक्षा के लिए जितनी धनराशि देगी वह विदेशों में उनकी शिक्षा पर खर्च की जाएगी। इस समझौते के अनुसार अनुसूचित जातियों के छात्रों का पहला ग्रुप इंग्लैंड भेजा गया था। यद्यपि इंग्लिश व अमरीकी विश्वविद्यालयों में प्रवेश के मामले में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ छात्रों की बहुत भीड़ थी फिर भी भारत सरकार ने यहाँ से विदेशी विश्वविद्यालय पर काफी जोर डाला था, कि चूंकि यह पहला अवसर है जब सबसे निचले तबके के छात्रों को उच्चतर शिक्षा के लिए भेजा जा रहा है, विदेशी

विश्वविद्यालयों को उनके मामले में कुछ सहानुभूति दिखानी चाहिए। इसका परिणाम यह निकला कि अनुसूचित जातियों के लगभग 30 छात्रों को प्रवेश मिल गया। तत्पश्चात् वर्ष 1945 में पुरानी सरकार गयी और वर्ष 1946 में कॉंग्रेस सरकार ने सत्ता संभाली। मुझे आशा थी कि जो व्यवस्था वर्ष 1943 या उसके आसपास आरंभ की गई थी, जिसको कार्यरूप दे दिया गया था और जिसके अंतर्गत भारत में और विदेशों में अनुसूचित जाति के लोगों की शिक्षा के लिए सरकार ने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली थी, वह जारी रहेगी। परंतु मुझे तब बहुत हैरानी हुई और दुःख भी हुआ जब मैंने देखा कि श्री राजगोपालाचारी जो कॉंग्रेस सरकार के शिक्षा मंत्री बने और जो किसी अनुचित काम को भी उचित दिखाए जाने में बहुत प्रवीण थे, ने अनुसूचित जाति के छात्रों को विदेश भेजने की व्यवस्था समाप्त कर दी। उसके बाद अनुसूचित जाति का कोई भी छात्र विदेशों में अग्रेतर पढ़ाई के लिये नहीं गया। मैं तो यही कहूँगा कि यह बहुत ही खतरनाक बात हुई है। निःसंदेह हिंदू लोग मेरी आलोचना को पसंद नहीं करते, परंतु मैं जानता हूँ कि मेरी आलोचना सही है। मेरी इस बात का कितना भी विरोध क्यों न हो, मैं फिर भी आलोचना करना जारी रखूंगा।

श्री बी. के. पी. सिन्हा (बिहार) : परंतु अनुसूचित जातियों के लोग भी हिंदू हैं।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : जी, यदि आप उनको ऐसा समझें। कानूनी दृष्टि से मैं भी हिंदू हूँ।

श्री बी. के. पी. सिन्हा : सच भी यही है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : महोदय, बात यह है कि इस देश में, मैं उन कारणों में इस समय नहीं जाना चाहता, यह बिल्कुल सच है कि ऊंचे वर्गों के लोगों को सबसे ऊंची शिक्षा मिलती है। उनके बच्चें कैंब्रिज जाते हैं ऑक्सफोर्ड जाते हैं, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाते हैं और विदेशों में दूसरे सभी विश्वविद्यालयों में जाते हैं।

डॉ. के. एन. काटजू : संभवतः मेरे माननीय मित्र यह नहीं जानते कि हरिजन अथवा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को भी विदेशों में भेजा जाता है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अच्छा, तो आपको पछतावा हो रहा है।

डॉ. के. एन. काटजू : उनको इससे लाभ पहुंच रहा है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : मैं सुन नहीं सकता।

डॉ. के. एन. काटजू : क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? वह शिकायत कर रहे हैं कि अनुसूचित जातियों के सदस्यों को विदेशी छात्रवृत्तियाँ देने की व्यवस्था का परित्याग कर दिया गया है, जो वर्ष 1946 में राजाजी द्वारा दी जा रही थीं। मैंने केवल इतना कहा है कि आज भी उनको छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं और उस योजना को गत वर्षों

में प्रयोग के तौर पर चलाया गया था और अब उस योजना को पांच वर्षों के लिए स्थायी कर दिया गया है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आप उसे पुनर्जीवित कर रहे हैं क्योंकि आपने उसकी गलती को समझा है।

डॉ. के. एन. काटजू : उसे पुनः चालू किया गया है और अब छात्रवृत्तियाँ दी जा रही हैं।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अनेक वर्षों के बाद।

डॉ. के. एन. काटजू : मेरा उस बात से संबंध नहीं है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आपको अपने विभाग का इतिहास पढ़ना चाहिए। आप केवल इतना नहीं कह सकते कि ''मैं नहीं जानता''। मैं यह कह रहा था कि मेरे माननीय मित्र ने जो कुछ भी कहा है, मेरी आलोचना सही है और वह मूल मत है। इस दिशा में दो कौम हैं—एक शासन करने वाली कौम है और दूसरी, जिस पर शासन किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : प्रश्न क्या है?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : पिछड़ी जातियाँ, सब प्रजा के लोग हैं। किसी भी स्थान पर उनका कोई अधिकार नहीं है। कुछ भी नहीं है। प्रशासन में उनका कोई स्थान नहीं है। वे किसी कार्यपालिका पद पर नहीं हैं। कार्यपालिका और प्रशासन पर उच्च वर्गों का एकाधिकार है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनको ऊंची शिक्षा मिलती है। भारत सरकार में भी विभागों के बारे में छानबीन क्यों नहीं की जाती। सरकार के प्रत्येक सचिव का पुत्र या पुत्री केम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड में पढ़ते पाए जाएंगे, उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए दो—दो या तीन—तीन बार चक्कर लगाए हैं। क्योंकि उनके पास प्रचुर साधन उपलब्ध हैं। पिछड़ी जाति के व्यक्ति का बेटा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने में भी असमर्थ रहता है। शताब्दियों से इस प्रकार भिन्न—भिन्न दो वर्गों के आधार पर यह व्यवस्था चल रही है—यह असहनीय बात है क्योंकि सदा के लिए एक ही वर्ग द्वारा शासन चलाए जाने की व्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ समय के लिए वे ऐसा कर सकते हैं। परंतु उनको सोचना चाहिए कि अन्य वर्गों को भी शैक्षिक अर्हता प्राप्त होनी चाहिए ताकि वे भी शासन की बागडोर संभाल सकें। हम हमेशा के लिए शासित वर्ग नहीं रह सकते।

श्री एच. पी. सक्सेना (उत्तर प्रदेश) : भारत में वर्गों की कोई व्यवस्था नहीं है। यह वर्गविहीन देश है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : इसलिए मैं कहता हूँ कि यदि आप देश में एकता चाहते हैं, सबको एक स्तर पर लाना चाहते हैं तो यह ठीक नहीं है कि आप सबसे ऊंची शिक्षा

प्राप्त करें और दूसरों को न्यूनतम शिक्षा मिले या वह भी न मिले। आपको इस विचार से विदेश में शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। मैंने इस उद्देश्य को सामने रखकर भारत सरकार से कुछ कोटा लेने कि लिए संघर्ष किया था और उनसे कहा था कि वे विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की जिम्मेदारी प्रांतों पर डालें। राज्य वह जिम्मेदारी आप पर डाल कर बहुत प्रसन्न है। वे क्या करते हैं? उन्होंने नशाबंदी चालू कर रखी है और वे लोगों को गंभीर बनाते हैं। मेरा निजी विचार यह है कि यदि कोई व्यक्ति गंभीर है परंतु किसी बात से अनभिज्ञ है तो वह उस व्यक्ति से बेहतर नहीं है जो शिक्षित है और थोड़ी–सी पी लेता है। मैं बाद वाले व्यक्ति को तरजीह दूंगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मेरे माननीय मित्र अनुसूचित जातियों के लड़कों को विदेश भेजने संबंधी व्यवस्था को पुनः बहाल कर रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ।

अब, महोदय, हाल ही में एक दूसरी बात मेरी जानकारी में आई है कि शिक्षा विभाग ने एक परिपत्र जारी किया है–एक या दो महीने पहले–कि अनुसूचित जाति के उन्हीं लड़कों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, जिन्होंने परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं अन्य लड़कों को नहीं मिलेगी। मुझे इस बात पर हैरानगी है कि इतने उदार हृदय वाली सरकार, जिसके मन में सहानुभूति और इच्छा है कि अनुसूचित जातियों का स्तर ऊंचा हो, वह इतनी कठोर शर्त रख सकती है कि वे 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करें। आपको उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए जिनमें अनुसूचित जाति का लड़का रहता है। शायद उसके पिता अथवा माता के पास उसकी पढ़ाई के लिए अलग से कोई कमरा भी है या नहीं, संभवतः रात के समय पढ़ने के लिए उसके पास लैम्प भी है या नहीं। वह एक जन–समूह में रहता है। उस छात्र से परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक लेने की आशा कैसे की जा सकती है? क्या यह बेहूदा बात नहीं है। आप कुछ समय तक साधारण स्तर रहने दीजिए अर्थात् 33 प्रतिशत अंक जो सभी विश्वविद्यालयों द्वारा मान्यताप्राप्त हैं और जो आपके द्वारा भी भारत सरकार में रोजगार देने के प्रयोजन के लिये मान्यता प्राप्त हैं। यदि कोई लड़का केवल परीक्षा पास करके भारत सरकार में नियुक्त किया जा सकता है तो वह ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के लिये छात्रवृत्ति पाने के लिए पात्र क्यों नहीं है? यदि आप उसकी प्रगति में जानबूझकर बाधा डालना चाहते हैं तो वह अलग बात है। कठिनाई यह है। जून के अंतिम सप्ताह में, किसी समय प्रवेश का काम शुरू होता है। विभिन्न कॉलेज बिना फीस मांगे अनुसूचित जातियों के छात्रों को प्रवेश दे देते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि भारत सरकार उन्हें छात्रवृत्ति दे देगी। कॉलेज में प्रवेश के तीन महीने बाद मंत्रालय एक परिपत्र जारी कर देता है कि छात्रवृत्ति केवल उन्हीं छात्रों को दी जाएगी जिन्होंने परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए होंगे। ऐसी स्थिति में कॉलेज उन लड़कों का क्या करे जिनको उन्होंने इस विश्वास पर प्रवेश दे दिया था कि पहले वाली व्यवस्था प्रभावी रहेगी। वे लड़के भी क्या करेंगे, जिन्होंने कॉलेजों में प्रवेश पा लिया है? मुझे

आशा है कि मेरे माननीय मित्र गृह मंत्री इस विषय पर विचार करेंगे और शिक्षा मंत्री से बातचीत करेंगे और उनसे कहेंगे कि वह कम से कम इस वर्ष के लिए इस कठिनाई का कोई समाधान निकालें। आप आगामी वर्ष जो चाहें करें बशर्ते कि आप छात्रों को व कॉलेजों को काफी पहले अपने प्रस्ताव से अवगत करा दें।

इसके बाद मैं सेवाओं के विषय में कुछ कहना चाहूँगा। आयुक्त ने सेवाओं के संबंध में अपने आंकड़े तीन ग्रुपों में— सेना, अखिल भारतीय सेवा और भारत सरकार की केंद्रीय सेवा— में विभक्त कर दिए हैं। मैंने देखा है कि सेना के मामले में कुछ वर्गों में स्थिति और बिगड़ी है। वर्ष 1952 में अनुसूचित जाति के 2 सेकंड लेफ्टिनेन्ट थे। वर्ष 1953 में एक भी नहीं था। वर्ष 1952 में जूनियर कमीशन ऑफिसरों की संख्या 601 थी, वर्ष 1953 में उनकी संख्या 435 थी। वर्ष 1952 में गैर कमीशन ऑफिसरों की संख्या 3,273 थी, वर्ष 1953 में उनकी संख्या घट कर 2,533 रह गई। वर्ष 1952 में अन्य पदों में उनकी संख्या 22,288 थी और वर्ष 1953 में यह घटकर 18,666 रह गई। सेना में अनुसूचित जातियों की स्थिति खराब होने के क्या कारण हो सकते हैं, यह मेरी समझ में नहीं आया। मेरे विचार में, सेना एक ऐसा विभाग है जहाँ अधिक प्रतिभावान होना आवश्यक नहीं है, मेरा आशय अन्य पदों से है। ऊंचे वर्गों के स्टाफ के लिए ऐसा आवश्यक हो सकता है—बहुत अधिक प्रतिभावान व्यक्ति। परन्तु मैं उनके बारे में नहीं कह रहा हूँ। हम देखते हैं कि अन्य पदों (अदर रैंक्स) में भी उनकी संख्या 22,000 से घटकर 18,000 रह गई है। इसके क्या कारण हैं? जहाँ तक मैं समझता हूँ सेना में वृद्धि हो रही है और सेना के प्रसार को देखते हुए स्वभावतः यह आशा की जाती है कि सेना में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। अन्य सभी स्थानों पर आप उन्हें अनुपयुक्त बताते हैं। यह बड़ी दुरूह शब्दावली है। सभी लोक सेवा आयोगों और नियुक्ति करने वाले प्राधिकारियों ने यह शब्दोक्ति याद कर रखी है। आप बड़ी सरलता से कह देते हैं कि अमुक व्यक्ति अनुपयुक्त है और बात समाप्त हो जाती है, परंतु सेवा में अनुपयुक्त करार दिये जाने का क्या कारण है? सेना मे आपने व्यक्ति की छाती का माप निर्धारित किया हुआ है। अनुसूचित जातियों में ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इस शर्त को पूरा न करते हों। फिर आपने व्यक्ति की ऊंचाई का मापदंड निर्धारित कर रखा है—लगभग 5 फुट 4 इंच। मेरे विचार में अनुसूचित जाति के सभी उम्मीदवारों की इतनी ऊँचाई होगी (व्यवधान)। संभव है कि कुछ उम्मीदवार इस मापदंड पर खरे न उतरें, मैं मानता हूँ। परंतु यदि वे स्वास्थ्य, छाती के नाप और कद की ऊँचाई के मापदंड के अनुसार सही पाये जाते हैं तो मेरे विचार में अनुसूचित जाति का प्रत्येक व्यक्ति सेना की सेवा के लिये उपयुक्त समझा जाना चाहिए। जब आप उनको भारत सरकार के अन्य विभागों में नियुक्त करने से मना करते हो तो सेना और पुलिस जैसे विभागों में, जहाँ शिक्षा के स्तर का इतना अधिक महत्व नहीं है, उनको कुछ रियायत अवश्य

दी जानी चाहिए। परंतु, आप वहाँ भी उनके साथ सौतेला व्यवहार करते हैं। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि गृह विभाग इन आंकड़ों पर कभी ध्यान देता है या नहीं। निश्चय ही सरकार को कमांडर–इन–चीफ से पूछना चाहिए कि इन की संख्या में इतनी कमी क्यों हुई है।

तत्पश्चात्, महोदय, मैं अखिल भारतीय सेवाओं पर आता हूँ। इस संबंध में प्रशासनिक सेवा व भारतीय पुलिस सेवा का उल्लेख किया जाता है। मेरे विचार में इनके लिए भर्ती वर्ष 1952 में लोक सेवा आयोग के माध्यम से आरंभ हुई थी। मेरे माननीय श्री दातार, यदि मैं कुछ गलत हूँ तो उसमें सुधार कर सकते हैं। परन्तु मेरे विचार में यह वर्ष था....

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बी. एन. दातार) : लगभग 1946।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : नहीं, मैं उनकी गिनती नहीं कर रहा हूँ जिनको प्रांतों से भर्ती किया गया था। एक या दो को छोड़कर अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को भर्ती नहीं किया गया था, शेष सबको अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया था यद्यपि प्रान्तीय सरकारें उनको पूरी तरह उपयुक्त समझती थीं। केन्द्रीय लोक सेवा आयोग ने उनको बिल्कुल अनुपयुक्त पाया। यह तो इसका प्राचीन इतिहास है, अब हमें वर्तमान स्थिति पर विचार करना है। क्या वर्ष 1952 से लेकर जबसे नया संविधान लागू हुआ है भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए कोई भर्ती की गई है? मैंने भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति का एक भी व्यक्ति नियुक्त किया गया नहीं देखा है। मैंने भारतीय पुलिस सेवा के लिये भी लोक सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति का एक भी व्यक्ति नियुक्त किया गया नहीं देखा है। केवल गत वर्ष, मैंने लोक सेवा आयोग से संघर्ष किया था और उनको भारतीय पुलिस सेवा के लिए एक व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया था। क्या गृह विभाग, जो सेवाओं का प्रभारी है, इस विषय को कोई महत्व नहीं देता अथवा इसको बहुत अधिक महत्व देता है? ये दो कार्यपालक सेवाएं हैं, मेरे माननीय मित्र बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कार्यपालक सेवा और प्रशासनिक सेवा के बीच क्या अंतर है। प्रशासनिक सेवा प्रायः लिपिक सेवा है। कार्यपालक सेवा में दिशा दिखाने की शक्ति होती है। अब मैं बिल्कुल निडर होकर कहना चाहता हूँ कि कार्यपालक पद पर बैठे एक अधिकारी की तुलना में 200 लिपिकों की कोई शक्ति नहीं है। हिंदी में हम कहते है 'मारने जगह' ये बेचारे क्लर्क क्या हैं? आप सैनिक दुर्ग (गढ़ी) देखेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई गढ़ी नहीं है– देश के हमारे भाग में स्थान–स्थान पर मराठा गढ़िया मिलेंगी।

श्री बी. एन. दातार : हम इसे 'मार किला' कहते हैं।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : आदमी वहाँ बैठकर फायर कर सकता है दुश्मन को।

ये कार्यपालक पद ऐसे पद हैं जहाँ से दिशा निर्देशन किया जा सकता है। लिपिकों को सब प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए। कोई भी अधिकारी उनकी चरित्र पंजी (केरेक्टर रोल) में कोई अनुचित शब्द लिखकर या यह लिखकर कि यह व्यक्ति किसी काम का नहीं उसे खराब कर सकता है। उसके संरक्षण का केवल एक ही तरीका है कि कार्यपालक सेवा में उसका कोई व्यक्ति है, जो यह सुनिश्चित करें कि उसके साथ कोई अन्याय न हो। इसी प्रकार, सरकार द्वारा निर्धारित नीति के बारे में कि क्या वह नीति सफल होगी और उसके वांछित परिणाम निकलेंगे, उन लोगों पर निर्भर करता है जिन पर उस नीति को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व है। यदि कार्यपालक अधिकारी किसी नीति को भली–भांति लागू नहीं करना चाहते या वे उसका विरोध करते हैं तो चाहे नीति कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह सफल नहीं होगी। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक मेरा अनुभव है, समूचा प्रशासन, जिसमें केवल सवर्ण हिंदू ही हैं, सब से अधिक सहानुभूतिहीन प्रशासन है और इसीलिए अनुसूचित जातियों को कष्ट सहने पड़ रहे हैं। जब हम सेवाओं में प्रतिनिधित्व पर बल देते हैं तो इसे संप्रदायवाद का नाम देकर बदनाम किया जाता है। हम तो अन्य लोगों के संप्रदायवाद को कम करने का प्रयत्न करते हैं। हम सम्प्रदायवाद के पक्ष में नहीं हैं। मेरे माननीय मित्र को यह बात याद रखनी चाहिए। जब तक आपका प्रशासन और आपके कार्यपालक अधिकारी अनुसूचित जातियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया नहीं अपनाते तब तक आपका कोई कानून और कोई प्रशासनिक नीति लाभप्रद सिद्ध नहीं होगी।

इसके बाद मैं केंद्रीय सेवाओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं 1 दिसम्बर, 1952 की स्थिति के अनुसार केवल स्थायी पदों के आंकड़े ले रहा हूँ अस्थायी पदों के नहीं। आयुक्त का कहना है कि रेल मंत्रालय, संचार मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, सूचना मंत्रालय और उसके अधीन अन्य संगठनों ने इसके संबंध में आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसलिए ये आंकड़े केवल उन्हीं विभागों के हैं जिन्होंने सूचना दी है। आंकड़े बहुत प्रभावोत्पादक हैं। वर्ग I में वास्तविक संख्या 752 है और उनमें अनुसूचित जातियों की संख्या 10 है; गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनुपात के अनुसार वह संख्या 175 होनी चाहिए। वर्ग II (राजपत्रित पद) में कुल संख्या 642 है जबकि इनमें अनुसूचित जातियों की संख्या सात है; अनुपात की दृष्टि से यह संख्या 107 होनी चाहिए। वर्ग I (अराजपत्रित) कुल संख्या 1123 है और उनमें अनुसूचित जातियों की संख्या 44 है जो 185 होनी चाहिए, वर्ग श्रेणी III में कुल संख्या 10,372 है, उनमें अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 536 है और यह संख्या 728 होनी चाहिए। वर्ग IV में, कुल संख्या 8807 है।

डॉ. पी. सी. मित्रा (बिहार) : उनमें से कितने लोगों ने आवेदन–पत्र भेजे थे?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 1251 है जबकि उनकी

संख्या 1478 होनी चाहिए थी। मेरे विचार में वर्ग IV के कर्मचारी चपरासी होते हैं और इस वर्ग में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या काफी अधिक है। ये सब आंकड़े गृह मंत्रालय की निगाह में होने चाहिए। उन्होंने एक अनुपात निर्धारित किया है और निश्चय ही इस बात को सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है कि विभिन्न मंत्रालय उस अनुपात को ध्यान में रखकर काम करें। विभिन्न मंत्रालय इसके कार्यान्वयन में गड़बड़ी क्यों करते हैं और गृह मंत्री ने क्यों कोई कार्यवाही नहीं की? यदि उन्होंने कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है जिसमें उनके द्वारा निर्धारित कोटे के अनुसार अनुसूचित जाति के लोगों को पद प्राप्त हो सके? महोदय, यह तस्वीर बहुत ही निराशाजनक है। इस संदर्भ में मुझे एक कार्टून याद आता है जो विगत युद्धकाल में जर्मनों ने बनाया था। उस कार्टून में बताया गया था कि वाशिगंटन में एक बूढ़ा हब्शी था, जब युद्ध की घोषणा की गई तो उस हब्शी के मन में जैसा कि सब जानते हैं अमरीका में हब्शियों के गोरों के साथ अच्छे सम्बन्ध नहीं हैं– हब्शी बहुत कुद्ध रहते हैं, वे गोरों के साथ लड़ते रहते हैं कि उन्हें समान अवसर क्यों नहीं उपलब्ध कराए जाते– अचानक देश भक्ति की भावना जागृत हो गई और उसने सोचा कि उसे अपनी देश भक्ति की भावना अपने युवा बेटे को अंतरित कर देनी चाहिए। वह बाजार गया और अमरीका का राष्ट्रीय ध्वज–छोटा सा खरीदकर ले आया जिसे उसका लड़का पकड़ सके और उसने वह अपने लड़के को दे दिया। उसने कहा ''मेरे बेटे, आज मैं तुम्हें अपनी राजधानी दिखाना चाहता हूँ'' लड़का उसके भाव को नहीं समझा। लड़के को दॉये हाथ में उठाकर और लड़के ने बायें हाथ में ध्वज पकड़ा हुआ था– वह उसको वाशिंगटन शहर के आसपास घुमाता रहा, उसको सुप्रीम कोर्ट दिखाई, काँग्रेस हाउस दिखाया, सीनेट आदि दिखाया और अंत में भोजन कर के वहाइट हाउस आ गया, वह एक या दो मिनट ठहरा और फिर लड़के से बोला, ''मेरे प्यारे बेटे, यह हमारे प्रेजिडेंट का हाउस है।'' परंतु लड़के ने कहा ''पिताजी, आप क्या बात कर रहे हैं? वह गोरा आदमी है और आप उसकी प्रशंसा कैसे कर सकते हैं?'' बूढ़े आदमी ने कहा ''ओह, अपना मुंह बन्द रख, यह सिर्फ कहने की बात है।'' अंदर से वह बिल्कुल काला है। मेरे विचार में, यह दृष्टांत गृह मंत्री पर भी लागू होता है, सफेद कपड़े पहनने के बावजूद वह मन से काले हैं और इसका प्रमाण है यह लापरवाही, जो इस बात से पता चलती है कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन नहीं होता, कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

मैंने सेवाओं की स्थिति स्पष्ट कर दी है और अब मैं प्रचार के विषय पर अपने विचार रखूंगा। मैं देखता हूँ कि भारत सरकार ने अस्पृश्यता के विरुद्ध प्रचार करने के लिए वर्ष 1953–54 के लिए 50 लाख रुपये की मंजूरी दी है। मुझे पता चला है कि योजना यह है कि राज्य सरकारों द्वारा चुनी गई प्राइवेट एजेंसियों को कुछ धनराशि दी जाएगी और कुछ धनराशि भारत सरकार द्वारा सीधी अखिल भारतीय संगठनों को

दी जाएगी। यह योजना है। मैं नहीं जानता कि अस्पृश्यता उन्मूलन से मेरे माननीय मित्र का अभिप्राय क्या है, अस्पृश्यता का अर्थ क्या है? हमें इसका अर्थ भली–भांति समझ लेना चाहिए। मेरी समझ के अनुसार अस्पृश्यता हिंदू समाज के मानसिक रोग का नाम है। यह कोई ऐसा दोष नहीं है जिससे मैं पीड़ित हूँ, न ही मेरे अंदर कोई रसौली है न ही मुझे गठिया का दर्द है और न ही कोई अन्य शारीकि अक्षमता है जिसका इलाज किया जा सके बल्कि यह प्रत्येक हिंदू के मन में समाया हुआ है कि अस्पृश्यता का पालन करना बहुत अच्छी बात है। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे मित्र इस मानसिक अकड़ को कैसे सीधा करेंगे जो हजारों वर्षों से उनके मन में बैठी है। जब तक उन सबको किसी ऐसे अस्पताल में नहीं भेजा जाता जहाँ मानसिक रोगों का इलाज होता है तब तक उनका इलाज होना बहुत मुश्किल है। परंतु मैं उनको वहाँ नहीं भेजना चाहता। इसलिए हमें समझना चाहिए कि हम कहते क्या हैं और करते क्या हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि अस्पृश्यता धर्म पर आधारित है। इसमें कोई संदेह नहीं है और ऐसा समझ लेने में कोई शर्म की बात नहीं है। मनु ने अपनी संहिता में निश्चित शब्दों में अस्पृश्यता का उल्लेख किया है। उसने लिखा है कि अछूत लोग गांव से बाहर रहेंगे, वे केवल मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करेंगे, वे साफ कपड़े नहीं पहनेंगे, वे अपने निर्वाह के लिये भीख मांगेंगे, आदि और फिर हिन्दुओं पर कैसे न आरोप लगाएं। हजारों वर्षों से इस गंदी नीति के अध्ययन के कारण उनके मन में यह सिद्धांत कूट–कूट कर भरा गया है कि अस्पृश्यता बहुत पवित्र वस्तु है। हिंदू को पढ़ाया गया है कि चूहा सबसे पवित्र है और उसका जीवन सर्वोत्तम है जो एक मोरी के भीतर रहता है और जिसका किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता, उसे यह नहीं छूना चाहिए उसे वह नहीं छूना चाहिए, उसे यह नहीं खाना चाहिए उसे वह नहीं खाना चाहिए आदि और यही जीवन है जो एक चूहा उस मोरी में रहकर गुजरता है। यह चूहा किसी दूसरे चूहे को अपने घर भीतर घुसने नहीं देगा। यह स्थिति है और हम केवल इतना सुनिश्चित कर सकते हैं अस्पृश्यता जो कि हिन्दुओं की मानसिक ऐंठन हैं, उसको सार्वजनिक जीवन में इतना अधिक न उभारा जाए कि वह लोगों की नागरिक स्वतंत्रता में बाधक बनने लगे।

डॉ. पी. सी. मित्रा : अस्पृश्यता केवल एक रूढ़ि है और प्रथा है।

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : यदि आप मेरे साथ बैठकर इस विषय का अध्ययन करना चाहते हैं तो मैं आपके साथ कुछ घंटे बैठने को तैयार हूँ।

इसलिए, महोदय, इस प्रचार को मेरे लिए समझ पाना असंभव है। मैं अपने माननीय मित्र श्री कुंजरू से सहमत हूँ कि इसका कोई परिणाम नहीं निकल सकता बल्कि सार्वजनिक पैसा बेकार जाएगा।

दूसरे, मैं यह नहीं समझ पाया कि यह मामला सामाजिक कार्यकर्ताओं के संगठनों

पर क्यों छोड़ा जा रहा है। इस देश में सामाजिक कार्यकर्ता पेशेवर होता है, उसके अंदर सहानुसभूति नाम की कोई वस्तु नहीं होती। वह पेशेवर व्यक्ति होता है। यदि मुस्लिम लीग उसकी मांग करे तो वह संभवतः मुस्लिम लीग का काम करेगा और यदि हिंदू महासभा उसकी मांग करे तो वह हिंदू महासभा का काम करेगा; यदि काँग्रेस उसकी मांग करे तो वह कांग्रेस का काम करेगा। वह पेशेवर होता है उसके भीतर प्रेम नाम की वस्तु नहीं होती जैसा कि टॉलस्टाय ने कहा है—ठीक ही कहा है— सेवा करने से पूर्व आपको प्यार करना सीखना होगा जब तक कोई व्यक्ति किसी के साथ प्यार नहीं करता, उसकी सेवा नहीं कर सकता। इन पेशेवर लोगों का किसी के साथ प्यार नहीं होता; वे केवल अपनी जीविका कमाने का प्रयास करते हैं और इसलिए शायद मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होगी यदि वे सभी तीनों प्रकार की संस्थाओं से परिलब्धियाँ प्राप्त कर रहे हों। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। यदि मेरे मित्र कुछ कहना चाहते हैं तो उचित तरीका यह होगा कि वह बेरोजगार स्नातकों को यह काम करने के लिये लगाएं। वे काफी संख्या में मिल जाएंगे, जो प्रतिभावान शिक्षित लड़के होंगे और जीवन के प्रति उनका कुछ आधुनिक दृष्टिकोण भी होगा और वह संभवतः इस विषय में सद्विवेक से काम ले सकेंगे। आप उनको उचित वेतन पर नियुक्त करें, उन्हें साइकिल या मोटर साइकिल दीजिए और प्रत्येक व्यक्ति को सात, दस या पंद्रह गांव सौंपिए और उनसे कहिए कि वे प्रत्येक गांव में जाएं, सार्वजनिक सभाएं करें, अस्पृश्यता के बारे में जनता को शिक्षित करें और उनको बताएं कि आधुनिक समय में इस बात से इस देश का अपमान होता है। यह तरीका अपनाने से इसके अच्छे परिणाम निकलेंगे और यह किसी भी अन्य तरीके से अधिक प्रभावीत भी होगा, जो मेरे मित्र अपनाना चाहते हैं। ये सामाजिक काँग्रेस सरकार का काम करने में क्यों रुचि लेंगे, यह मेरी समझ के बाहर है। अतीत काल में, ब्रिटिश सरकार के समय केंद्रीय सरकार कलेक्टर के माध्यम से प्रशासनिक कार्य करती थी। उसको धन दिया जाता था उसको कुछ क्षेत्रों मे कुछ करने के लिए कह दिया जाता था। वह सरकार को जवाबदेह होता था। उसके हाथों में धन सुरक्षित होता था। यदि आप कलेक्टर नियुक्त नहीं करना चाहते तो कोई ऐजेंसी बना दीजिए जैसे कि मैंने सुझाव दिया है, कुछ प्रतिभावान लड़कों का एक ग्रुप बना दीजिए, वे इस सेवा को भली—भांति अंजाम देंगे। इस प्रकार की व्यवस्था का, जिसमें विभिन्न विचारों के लोग होंगे, उसका कुछ भी नाम रखा जाए, कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है।

फिर, महोदय.................

श्री के. बी. लाल (बिहार) : क्या वे पेशेवर लोग नहीं होंगे?

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : सरकारी कर्मचारी पेशेवर नहीं होता। क्यों? बाद में आप

उनका उपयोग चुनावों में अपने पक्ष में मत हासिल करने के लिए करना चाहते हैं। सारी समस्या तो यही है। अब महोदय, यह बात इस प्रचार कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ एजेंसियों का चयन और उनको धन दिये जाने के बारे में है। आयुक्त ने इस संबंध में मेरे गृह विभाग के बीच हुए पत्राचार पर कुछ टिप्पणियाँ की हैं। उन्होंने कहा है कि अन्य एजेंसियों ने धन प्राप्त करने और प्रचार करने के लिए सरकार की पेशकश को स्वीकार कर लिया है। मैं ही दुविधा में था, मैंने इन्कार कर दिया था और आयुक्त ने सोचा कि मैंने जो गलती की है, उसको जनता के सामने रखना अच्छा होगा। अच्छा होता, यदि वह उनको वह पूरा पत्र देते जो मैंने गृह विभाग में लिखा था। मेरे विचार में, श्री दातार ने ही इस मामले की छानबीन की होगी, यदि मैं गलती पर नहीं हूँ और उनको याद होगा कि मैंने कहा था कि भारत सरकार ने जिन निकायों का चयन किया है वे राजनीतिक दल हैं, जैसे हरिजन लीग और कोई अन्य लीग, वे सब राजनीतिक निकाय हैं। फेडरेशन (संघ) भी राजनीतिक हैं। इसलिए मेरे विचार में राजनीतिक निकायों को सरकारी धन उपलब्ध कराना गलत होगा जो राजनीतिक प्रचार के लिए धन का उपयोग कर सकते हैं, अनुसूचित जातियों की बेहतरी के लिये नहीं और मैंने उनको बताया था कि एक अन्य निकाय, जो बम्बई में बन रहा है और जो विशुद्ध समाज कल्याण का निकाय है, के एक चेयरमैन हैं। इनके पास दो या तीन लाख रुपये की बड़ी धनराशि उपलब्ध है। वे एक हाल बना रहे हैं जहाँ से वे अपने कार्यकलाप चलायेंगे। निःसंदेह उसमें मैं यह लिखना भूल गया कि वह निकाय, यद्यपि वह बम्बई में बनाया गया है, उसका सामाजिक कार्य बम्बई शहर अथवा बम्बई राज्य तक सीमित नहीं है। वे देश के किसी भी भाग में किसी प्रकार का सामाजिक कार्य कर सकते हैं। केवल उनका केंद्र तथा मुख्य कार्यालय बंबई में रहेगा। श्री दातार ने मेरे सुझाव को ठुकरा दिया और उसका उल्लेख प्रतिवेदन में कर दिया। मुझे केवल यही कहना था। यदि श्री दातार मुझे लिखते कि उन्होंने मेरा सुझाव स्वीकार नहीं किया है तो मुझे अपने पर विश्वास है कि मैं अपना मन बदल लेता और फेडरेशन के नाम से पेशकश को स्वीकार कर लेता, क्योंकि याचक को जो कुछ मिले, उसे ले लेना चाहिए और मैं अब भी कहता हूँ कि यदि वह दोबारा कहें कि फ़ेडरेश ही एक ऐसा निकाय है जिसको भारत सरकार धनराशि देगी तो मुझे इसमें कोई संकोच नहीं होगा। लेकिन मेरा अब भी अपना विचार यही है कि यह काम राजनीतिक निकायों को नहीं सौंपा जाना चाहिए।

अब महोदय, मैं अनुसूचित जातियों के आर्थिक उद्धार के प्रश्न पर आता हूँ। शिक्षा और सेवाओं के साथ–साथ अनुसूचित जातियों का दर्जा ऊँचा करने के लिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। अनुसूचित जातियों का आर्थिक दर्जा बढ़ाने के साधन क्या हैं? स्पष्ट है अनुसूचित जातियों का आर्थिक उद्धार उन अवसरों पर निर्भर करेगा जो नको मिलेंगे जिसको लाभप्रद व्यवसायों में लगाया जाना कहा जा सकता

है। जब तक उनको लाभप्रद व्यवसायों में स्थान नहीं दिया जाएगा, उनका आर्थिक उद्धार नहीं हो सकता। वे दास ही बने रहेंगे, यदि नहीं तो गांवों में जमींदारों के खेतिहर श्रमिक बने रहेंगे। इस संबंध में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। इन लाभप्रद व्यवसायों में से मेरे विचार में सरकार को जिस सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए वह है अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि का दिया जाना। उनको भूमि पर बसा देना चाहिए जिससे उनको आजीविका का स्वतंत्र साधन उपलब्ध हो सके, उनका किसी भी व्यक्ति से भय समाप्त हो जाए, वह अपना सिर सीधा रखकर चल सकें, निर्भीकता और हिम्मत से जी सकें। मेरे विचार में, इस मुद्दे पर सभी मंत्री सहमत होंगे। सरकार को अनुसूचित जातियों के लोगों को भूमि अवश्य उपलब्ध करानी चाहिए, अब पहला प्रश्न यह है कि क्या अनुसूचित जातियों के लोगों को भूमि देने के लिए भूमि उपलब्ध है? क्या जिनके पास इस समय भूमि है उनसे कुछ भूमि अलग करवाने की शक्ति सरकार के पास है और क्या सरकार को उनसे भूमि लेकर अनुसूचित जातियों के लोगों को देने का अधिकार है? यदि भूमि को खरीदा जाना है तो क्या सरकार द्वारा भूमि खरीदने के लिए अनुसूचित जातियों को धनराशि दिये जाने की संभावना है? अनुसूचित जाति के लोगों को भूमि दिये जाने के तीन तरीके हैं। जिन लोगों के पास भूमि है, सरकार उनकी जोत की सीमा निर्धारित करे और उस सीमा से अधिक भूमि उनसे छीन ले तथा अनुसूचित जाति के लोगों को दे दे। दूसरे, यदि कोई भूमि बेची जानी हो तो उसको खरीदने के लिए सरकार धनराशि उपलब्ध कराए।

महोदय, यह बात प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि भारत में भूमि जोत आर्थिक दृष्टि से आजीविका का साधन ही नहीं, इसका समाज में स्तर से भी संबंध है। जिस व्यक्ति के पास भूमि है उसका स्तर उस व्यक्ति से ऊंचा है जिसके पास भूमि नहीं है। अब यह स्पष्ट है कि गांवों में आर्थिक दर्जे का सबसे अधिक महत्व है। कोई भी हिंदू यह नहीं चाहता कि किसी अस्पृश्य व्यक्ति के पास भूमि हो जिससे वह कहीं ऐसा न हो कि सामाजिक प्रथा के अधीन निर्धारित अपने समुदाय के दर्जे से ऊँचे दर्जे पर पहुंच जाए। महोदय, गांव में अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति को थोड़ी सी भी भूमि मिलना मुझे असंभव लगता है। मैं कह नहीं सकता कि सरकार जोत की सीमा निर्धारित करने हेतु कहाँ तक कानून बना पाएगी। क्रांति हो सकती है। यदि सरकार, भूमि संबंधी विधान पास करते समय, संपत्ति को किसानों के नाम करने के लिए बनाये कि वह भूमि के सर्वोपरि स्वामी के रूप में भूमि को अपने नाम रखें, तब वे कानून बना सकते हैं कि चूंकि भूमि सरकार की है इसलिए कोई भी व्यक्ति कुछ निर्धारित एकड़ भूमि से अधिक भूमि नहीं रख सकेगा। परंतु सरकार ने इन किसानों को मालिक बनाकर सबसे बड़ी गलती की है। महोदय, एक बार टेलीरैंड ने नेपोलियन से कहा था, ''आप यूरोप के साथ यह झंझट क्यों करना चाहते हैं? आप यह शत्रुता

क्यों पैदा कर रहे हैं? आप फ्रांस के बादशाह बनकर और मुझे अपना प्रधान बनाकर संतुष्ट क्यों नहीं हो जाना चाहते? नेपोलियन के महल के बाहर कुछ सैनिक खड़े थे जिनके हाथों में बंदूक थी और जिनके आगे धूप में चमचमाती संगीनें लगी हुई थी। नेपोलियन को गाली देने की आदत थी। वह टेलीरैंड से बोला ''आप कितने बहुमूल्य रेशमी वस्त्र पहने हैं, आप मेरी बटालियन को देखते हैं?'' उसने कहा, ''मैं उनको देख रहा हूँ'' फिर नेपोलियन ने पूछा, ''मुझे शहंशाह क्यों नहीं बनना चाहिए?'' टेलीरैंड ने उसका उत्तर दिया और मित्र उस उत्तर को याद रखेंगे ''आप इन संगीनों पर बैठ नहीं सकते, और सब कुछ कर सकते हैं।'' अब आपने इन किसानों को मालिक बना दिया है। अब आप उन पर नियंत्रण नहीं रख सकते, वे आप पर नियंत्रण रख सकते हैं। आप बड़े गलत तरीके से गोल–माल करते रहे हैं, अनेक लोगों के परामर्श की परवाह न कर आप गोल–माल करते रहे हैं। परंतु आपने चुनाव जीतने के उद्देश्य से यह सब कुछ किया और अब उसका नतीजा आपको भुगतना पड़ रहा है, फिर भी, जोत सीमा लागू करना कोई असंभव काम नहीं है।

मेरे माननीय मित्र, श्री गोविंद वल्लभ पंत द्वारा नियुक्त संयुक्त प्रांत काश्तकारी समिति के प्रतिवेदन का अध्ययन मैंने किया है। मैंने उसकी एक–एक पंक्ति को पढ़ा है और मुझे इस बात की आशंका है कि क्या इसके तथ्यों के बारे में उन लोगों को कुछ भी जानकारी है जो जोत सीमा लागू करने के बारे में बहुत शोर मचाते थे। उत्तर प्रदेश में औसत जोत कितनी है? कम से कम एक एकड़ और अधिक से अधिक लगभग चार या पांच एकड़। वहाँ पर यही स्थिति है और इस से आगे सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक इंच भूमि पर खेती की जाती है और वह किसी न किसी के कब्ज़े में है। आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते और मुझे विश्वास है कि दूसरे अधिकांश राज्यों में भी यही स्थिति है। इसलिए गृह मंत्री से मेरा निवेदन है कि आप अनुसूचित जातियों को यह कहकर कब तक बेवकूफ बनाते रहेंगे, ''ओह, आप शांत रहिये, हम आपको भूमि देने वाले हैं। या तो हम भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करेंगे या आपके द्वारा भूमि खरीदे जाने पर हम वित्त पोषण करेंगे। हम यह करेंगे या वह करेंगे और ये बातें करके उन्हें कब तक मूर्ख बनाते रहेंगे। आखिर आपको ऐसा करने के लिये कोई अन्य तरीका निकालना होगा। आपको इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए और यदि आप इसका समाधान नहीं करेंगे तो आपको पता है, इसके क्या परिणाम निकलेंगे, बहुत खराब परिणाम निकलेंगे। बाहर आग जल रही है, वह बहुत शीघ्र अंदर आ सकती है और अनुसूचित जाति के लोग झंडा उठाकर आ जाएंगे और आप तथा आपका संविधान नष्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं रहेगा।

अब, महोदय, मैं अपने माननीय मित्र को एक सुझाव देना चाहता हूँ और वह यह है। योजना आयोग के प्रतिवेदन से पता चलता है कि देश में बहुत बड़े ऐसे क्षेत्र का

पता चला है जहाँ खेती नहीं होती। योजना आयोग के अनुसार यह क्षेत्र 980 लाख एकड़ है। इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि मुझे पता चला है कि सरकार संविधान में संशोधन करने पर विचार कर रही है। उनको संविधान में संशोधन करने का बहुत शौक है। मेरी समझ में नहीं आता, कि यदि आपको हर शनिवार को उसमें संशोधन लाना है तो संविधान की आवश्यकता ही क्या है? फिर भी, जब आप संशोधन कर ही रहे हैं तो मेरा सुझाव है कि आप संशोधन कीजिए और बंजर भूमि की खेती को सूची संख्या I में रखिए जिससे यह मामला केंद्रीय सरकार के अधिकार–क्षेत्र में आ जाए। राज्य सरकारों के पास इस भूमि का विकास करने के साधन उपलब्ध नहीं हैं। उनकी स्थिति ऐसी है कि न तो वह स्वयं उसका विकास कर सकते हैं और न ही किसी अन्य व्यक्ति को उसका विकास करने देते हैं। इसलिए संविधान में संशोधन करके बंजर भूमि सूची संख्या I में सम्मिलित करने में कोई गलत बात नहीं होगी।

मैं दूसरा सुझाव यह देना चाहता हूँ, जो शायद कुछ लोगों को अच्छा न लगे, परंतु सुझाव देने में कोई हानि नहीं होगी। आप पुनः नमक कर लगा दो। हमारे देश में सबसे हल्का कर नमक कर ही है। जब यह समाप्त किया गया था इससे लगभग 10 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होता था। अब यह राशि कम से कम 20 करोड़ हो जाएगी। निःसंदेह नमक कर महात्मा गांधी की स्मृति में समाप्त किया गया था। मैं उनका आदर करता हूँ और मैं आपको सुझाव देता हूँ कि आप इस कर को लगाएं और उससे अस्पृश्यजनों के विकास और पुनर्वास के लिये महात्मा गांधी के नाम से एक गांधी न्यासनिधि बनाएँ। आखिरकार, हम सबके अनुसार अस्पृश्यजन उनको सबसे अधिक प्रिय थे और उनके निकट थे और इस बात का कोई कारण नहीं है कि गांधी जी स्वर्ग से इस परियोजना के लिये आशीर्वाद न दें अर्थात् कर लगाना और उसका उपयोग बंजर भूमि के विकास के लिए करना और उस पर अनुसूचित जाति के लोगों को बसाने के लिए करना। इसमें कथनी और करनी दोनों का ताल–मेल होगा। आप जानते हैं कि पोकर के खेल में वचन और कार्यनिष्पादन के बीच अंतर होता है। मैं आपको यह योजना बताता हूँ जिसमें कथनी ही नहीं बल्कि करनी भी है। मैं नहीं समझता कि इस देश की जनता को अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए नमक कर के माध्यम से अंशदान क्यों नहीं देना चाहिए। आप इसको गांधी कल्याण योजना के नाम से बजट के बाहर रख सकते हैं जो गांधी के नाम से बना रहेगा और उन लोगों को राहत मिलती रहेगी जिनको वह संरक्षण प्रदान करना चाहते थे और जिनका उत्थान करना चाहते थे। गृह मंत्री महोदय के लिए यह मेरा सुझाव है और मुझे आशा है कि वह इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे।

महोदय, मैंने अपनी बात कह दी है और मुझे कुछ नहीं कहना। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार विभिन्न सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और सामाजिक एजेंसियों के माध्यम से यह जो प्रयास कर रही है, मुझे एक बात से कुछ दुख–सा होता है कि

हमारे प्रधानमंत्री ने इस विषय में कोई रुचि नहीं ली है। वास्तव में, वह उदासीन ही नहीं है बल्कि अस्पष्ष्य जनों के विरुद्ध है। मैंने उनकी जीवनी पढ़ी है और मैंने पाया है कि उन्होंने गांधी को भी भला–बुरा कहा है क्योंकि गांधी जी अनुसूचित जातियों की पृथक मतदाता सूची को समाप्त करने के मामले को लेकर मरने तक को तैयार हो गए थे। उन्होंने अपनी जीवनी में लिखा है–''गांधी इस साधारण–सी समस्या को लेकर क्यों परेशान हो रहे हैं?'' महोदय, प्रधानमंत्री की बात सुनकर मुझे गहरा आघात पहुंचा–कि वर्ष 1934 में श्री नेहरू ये शब्द कह रहे हैं। मैंने सोचा कि चूंकि सरकार की जिम्मेदारी उन पर आ पड़ी है, हो सकता है उनके विचार बदल गए हों। फिर यह सोचा जो जिम्मेदारी गांधी जी अपने ऊपर लेने को तैयार थे, वह अब नेहरू जी को उठानी चाहिए, परन्तु मुझे उनके मन में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। महोदय, वर्ष 1952 में, मेरे माननीय मित्र बाबू जगजीवन राम की अध्यक्षता में नागपुर में एक सम्मेलन हुआ था।

मुझे पता चला कि बहुत बड़ा शामियाना लगाया गया था। मंच पर रजत वर्ण की दो कुर्सियाँ रखी गई थी; एक बाबू जगजीवन राम के लिए और एक पंडित जवाहर लाल नेहरू के लिए। उसमें श्रोताओं की संख्या दो सौ या तीन सौ थी और एक हजार पुलिसकर्मी थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू को उस सम्मेलन का उद्घाटन करना था। उनका भाषण इस समय मेरे पास है लेकिन मैं उसे पढ़कर सदन को कष्ट नहीं देना चाहता फिर भी उनका सार यह है। मुझे बताया गया है कि उस सम्मेलन का आयोजन करने के लिए वह बाबू जगजीवन राम से बहुत नाराज थे। वह बड़े ज़ोर से बोले ''मैं इस बात को नहीं मानता कि अस्पृश्य जनों की बहुत बड़ी समस्या है। आर्थिक दृष्टि से गरीब लोगों की आम समस्या है, अस्पृश्य जनों की समस्या भी उसी का हिस्सा है। अन्य समस्याओं के साथ इस समस्या पर भी ध्यान दिया जाएगा इस समस्या पर कोई विशेष ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है।'' महोदय, यदि प्रधानमंत्री इतनी उपेक्षापूर्ण बात करेंगे तो हम शेष कार्यकर्ताओं से, जिन्होंने अपने ऊपर इस समस्या विशेष में रुचि लेने, कर्तव्य करने अथवा जिम्मेदारी निभाने का बीड़ा उठाया है, किस उत्साह की अपेक्षा कर सकते हैं। मेरे विचार में, अस्पृश्यता का उन्मूलन नहीं होगा। उनका विश्वास है कि इसका उन्मूलन हो जाएगा, परंतु मेरे विचार में, नहीं होगा, जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह मानसिक ग्रंथि है। इसमें अनेक वर्ष लग जाएंगे। इसके साथ ही हम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आंदोलन क्यों न तेज करें कि अस्पृश्यता का उन्मूलन हो या न हो, परंतु अनुसूचित जातियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व संवैधानिक अधिकारों को पूरा संरक्षण मिले। इस उद्देश्य के लिए प्रयास अवश्य जारी रहने चाहिएं।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। शायद लोग कहते होंगे कि मैंने अधिकांश समय अनुसूचित जातियों की समस्याओं के संबंध में अधिक बोला है और आदिवासियों

के विषय में कुछ नहीं बोला और मैं इस विषय पर कुछ बोलने वाला भी नहीं क्योंकि मेरे और बहुत से अन्य मित्र मुझसे अधिक साधिकार बोल सकते हैं। इसलिए मैं उस विषय के बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ, और मुझे कहनी भी चाहिए कि अनुसूचित जातियों, आदिवासी जातियों और आपराधिक जातियों की तुलनात्मक स्थिति के बारे में लोगों के मन में काफी भ्रम है। जहाँ तक अनुसूचित जातियों का संबंध है, उनकी स्थिति इस प्रकार है, वे तैयार हैं–वास्तव में तैयार नहीं है–परंतु वे पहले ही सभ्यता की परिधि में हैं। वे परिधि से बाहर नहीं हैं। वे अवसर की समानता और स्तर की समानता पाने के लिए संघर्षरत हैं। उनकी यही समस्या है। आदिवासी लोगों की समस्या बिल्कुल भिन्न है। वे हिंदू सभ्यता की परिधि से बाहर हैं। इन आदिवासी लोगों के बारे में जिस प्रश्न पर विचार करना है वह यह है : क्या वे हिन्दू सभ्यता के घेरे में आना चाहते हैं और उनके साथ विलय चाहते हैं तथा उसके बाद वे स्तर की समता और अवसर की समता चाहेंगे? मैंने आदिवासी समुदाय के अनेक नेताओं से बात की है– आदिवासी समुदाय के अनेक पुरुषों व महिलाओं से, वे हिंदू सभ्यता के घेरे में बिल्कुल नहीं आना चाहते।

डॉ. श्रीमती सीता परमानंद : प्रश्न......

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर : वे इस परिधि से बाहर रहना पसंद करते हैं, वे इसके भीतर नहीं आना चाहते।

जहाँ तक अपराधिक जनजातियों का संबंध है उनकी केवल आर्थिक समस्या है। आप उनको अच्छी आजीविका अर्जित करने के लिये अच्छे अवसर उपलब्ध करवा सकते हैं। यदि उन्हें आजीविका कमाने के अच्छे अवसर मिल जाते हैं तो वे अपराधी नहीं रहेंगे।

अब महोदय, एक प्रश्न यह पूछा गया है। मेरे लिए यह बड़े दुःख की बात है कि हिंदू सभ्यता जो अनेक वर्षों पुरानी है, कुछ लोग कहते हैं कि यह 6

––समाप्त––

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
DR. AMBEDKAR FOUNDATION

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

☎ 23320571
23320589
23320576
FAX : 23320582

निदेशक
DIRECTOR

15, जनपथ,
15, JANPATH
नई दिल्ली - 110001
NEW DELHI-110001

दिनांक – 31.10.2019

रियायत नीति (Discount Policy)

सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पहले के नियमों के अनुसार CWBA वॉल्यूम के संबंध में रियायत नीति (Discount Policy) जारी रखें। तदनुसार, CWBA इंग्लिश वॉल्यूम (डिलक्स संस्करण–हार्ड बाउंड) के एक पूर्ण सेट की कीमत और CWBA हिंदी वॉल्यूम (लोकप्रिय संस्करण–पेपर बाउंड) के एक पूरे सेट की कीमत निम्नानुसार होगी :

क्र.सं.	सीडब्ल्यूबीए सेट	रियायती मूल्य प्रति सेट
	अंग्रेजी सेट (डिलक्स संस्करण) (वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 17)– 20 पुस्तकें।	रू 2,250/–
	हिंदी सेट (लोकप्रिय संस्करण) (खंड 1 से खंड 40 तक)– 40 पुस्तकें।	रू 1073/–

2. एक से अधिक सेट के खरीदारों को सेट की मूल लागत (Original Rates) यानी रू 3,000/–(अंग्रेजी के लिए) और रू 1,430/–(हिंदी के लिए) पर छूट मिलेगी जो कि निम्नानुसार है।

क्र.सं.	विशेष	मूल लागत पर छूट का प्रतिशत
	रू 1000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	10%
	रू 1001–10,000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	25%
	रू 10,001–50,000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	33.3%
	रू 50,001–2,00,000/– रुपये तक की पुस्तकों की खरीद पर	40%
	रू 2,00,000/– से ऊपर की पुस्तकों की खरीद पर	45%

3. इच्छुक खरीदार प्रतिष्ठान की वेबसाइट : www.ambedkarfoundation.nic.in पर विवरण के लिए जा सकते हैं। संबंधित CWBA अधिकारी / पीआरओ को स्पष्टीकरण के लिए दूरभाष नंबर 011–23320588, पर कार्य दिवसों में पूर्वाह्न 11:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

(देबेन्द्र प्रसाद माझी)
निदेशक, डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान

बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर सम्पूर्ण वाड्.मय (भाग-II)

ISBN (सेट) : 978-93-5109-129-5

रियायत नीति के अनुसार
सामान्य (पेपरबैक) खंड 01-40
के 1 सेट का मूल्य : ₹ 1073/-

प्रकाशक :

डॉ. अम्बेडकर प्रतिष्ठान
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
भारत सरकार
15, जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
फोन : 011–23320571
जनसंपर्क अधिकारी फोन : 011–23320588
वेबसाइट : http://drambedkarwritings.gov.in
ईमेल : cwbadaf17@gmail.com